सत्यमेव जयते

अभ्यर्थी के लिए पुस्तिका

दस्तावेज संख्या–26 संस्करण–1
फरवरी–2019

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

"No voter to be left behind"

324.6:EPS:HBCAN2019

अभ्यर्थी के लिए पुस्तिका

दस्तावेज संख्या 26 संस्करण 1

फरवरी 2019

भारत निर्वाचन आयोग

विषय-सूची

1.परिचय **01**

1.1. **सामान्य** 14

1.2.**आदर्श आचार संहिता** 14

1.3.**मतदान अभिकर्ता** 15

1.4.**अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण** 15

1.5.**बैंक खाता** 15

1.6.**ईवीएम एवं वीवीपीएटी** 15

1.7.**इनमें से कोई नहीं (नोटा)** 16

1.8.**डाक मतपत्र** 17

1.9.**धन के प्रभाव को नियंत्रित करना** 17

1.10.**सूक्ष्म-पर्यवेक्षक** 17

1.11.**क्षेत्र अधिकारी** 17

1.12. **महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी** 18

1.13. **केंद्रीय पुलिस बल** (सीपीएफ) 18

1.14. **मतदाता सहायता बूथ** 18

1.15. **बीएलओ** 18

1.16. **पारदर्शिता** 18

1.17. **निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीमांकन** 19

1.18. **फोटो निर्वाचक नामावली (पीईआर) एवं ईपीआईसी** 19

1.19. **अभ्यर्थी को एक निर्वाचक होना चाहिए** 21

1.20. **नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख से पहले निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करना** 22

1.21. **निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार** 22

2. अर्हता और निरर्हता **23**

2.1. **परिचय** 23

2.2. **लोक सभा निर्वाचन के लिए अर्हता** 23

2.3. **विधान सभा निर्वाचन के लिए अर्हताएं** 24

2.4. **निर्वाचक नामावली में नाम आदि में त्रुटिसुधार** 25

2.5. **अभ्यर्थियों द्वारा पुष्टि की शपथ** 26

2.6. **प्रवासी निर्वाचकों द्वारा नाम निर्देशन** 26

2.7. **पुष्टि की शपथ संबंधी महत्वपूर्ण बातें** 27

2.8. **लोकसभा के निर्वाचन के लिए निरर्हताएं** 30

2.9. **विधान सभा निर्वाचन के लिए निरर्हता** 34

2.10. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हताएं** 36

2.11. **मतदान के लिए निरर्हता होने पर सदस्यता के लिए निरर्हताएं** 36

3. नाम निर्देशन और प्रतीक का आवंटन **38**

3.1. **नाम निर्देशन** 38

3.2 नाम निर्देशन की अवधि **41**

3.3 नाम निर्देशन पत्र का प्रपत्र **41**

3.4 प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए **41**

3.5 योग्यताएं और अयोग्यताएं **42**

3.6 नाम निर्देशन पत्र..... 42
3.7 अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी अनुच्छेदों की जानकारी 42
3.8 शपथ-पत्र दाखिल करना.....42
3.9 नाम-निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी का नाम.....46
3.10 तिथि जिस पर नाम निर्देशन पत्र यथोचित प्ररूप में दाखिल किये जाने चाहिए.....47
3.11 नाम निर्देशन दाखिल करने का समय.....47
3.12 किसके द्वारा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है.....47
3.13 नाम-निर्देशन पत्र किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए.....47
3.14 नाम निर्देशन पत्र को कहाँ सुपुर्द किया जाना चाहिए.....48
3.15नाम निर्देशन के समय पर लोगों और वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध.....48
3.16 किसके द्वारा नाम निर्देशन पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए.....48
3.17 प्रस्तावकों की संख्या.....49
3.18 प्रस्तावक को संबन्धित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए.....49
3.19 अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए यदि वह अथवा उसके प्रस्तावक, दोनों ही अपने नाम हस्ताक्षर करने में असमर्थ होते हों.....50
3.20 नाम निर्देशन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ.....50
3.21 अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए यदि वह किसी सरकारी पद के तहत बर्खास्त होने के 5वर्ष के भीतर निर्वाचन लड़ रहा हो.....50
3.22 अभ्यर्थी के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होने की दशा में निर्वाचन नामावली की प्रति प्रस्तुत करना 50
3.23 किसी अभ्यर्थी द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए कितने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं?.....50
3.24 जमा.....50
3.25 निर्वाचन प्रतीक.....54
3.26 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का विकल्प.....55
3.27 अभ्यर्थियों के प्रतीकों का आवंटन.....55
3.28 प्रारंभिक जाँच.....64
3.29 अभ्यर्थी का फोटोग्राफ.....66
3.30 निर्वाचक नामावली अथवा नाम निर्देशन पत्र में गलतियां, मुद्रण त्रुटि.....68
3.31 नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति तथा जाँच की सूचना एवं प्रतीकों का आवंटन.....68
3.32 नाम निर्देशन की सूचना की जाँच.....69
4. नाम निर्देशन की जाँच.....70
4.1. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का कार्य किसके द्वारा किया जाता है.....70
4.2. नाम निर्देशन की जाँच के दौरान कौन शामिल हो सकता है?.....70
4.3. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के लिए पर्याप्त सुविधाएं.....71
4.4. उठाई जाने वाली आपत्तियाँ.....71
4.5. नाम निर्देशन पत्र को रद्द करने का आधार.....72
4.6. अभ्यर्थी द्वारा शपथ अथवा पुष्टि.....73
4.7.एक नाम निर्देशन पत्र के रद्द होने की स्थिति में, किसी अन्य नाम निर्देशन पत्र, जो वैध पाया जाता हो, के नाम निर्देशन पर प्रभाव न पड़ना.....74
4.8. दस्तावेज तथा अन्य सामग्री की मार्गदर्शी सूची, जिसे अभ्यर्थी को जाँच के समय प्रस्तुत करना चाहिए.....74

4.9. **अभ्यर्थियों के नामों में सुधार** 74
4.10. **अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें** 75
4.11. **आचार संहिता - राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें** 75
5. अभ्यर्थिता वापस लेना 76
5.1. अभ्यर्थिता वापस लेना 76
5.2. **वापसी का नोटिस** 76
5.3. **वैध नाम वापसी के लिए अपेक्षाएं** 76
5.4. **अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अंतिम होगी** 77
5.5. **वापसी की नोटिस के लिए रसीद** 77
5.6. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची** 77
5.7. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नामों की व्यवस्था** 78
5.8. **निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को पहचान-पत्र जारी करना** 79

6. निर्वाचन अभिकर्ता 81
6.1. **निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति** 81
7. अभियान की अवधि 83
7.1. **प्रस्तावना** 83
7.2. **भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचकीय अपराध** 83
7.3. **आदर्श आचार संहिता और इसका अनुपालन** 85
7.4. **स्थायी समितियाँ** 85
7.5. **जुलूस और बैठकें** 86
7.6. **सार्वजनिक और निजी संपत्ति का विरूपण** 87
7.7. **अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण** 92
7.8. **मतदान बंद होने के ठीक पहले 48घंटे के दौरान सार्वजनिक बैठक और जुलूस पर प्रतिबंध** 93
7.9. **सार्वजनिक सभाओं में बाधा** 93
7.10. **आचार संहिता का सख्ती से पालन - राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए क्या करें और क्या न करें** 94
7.11. **मुद्रण और पर्चों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबंध** 94
7.12. **लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के दुरुपयोग का निषेध** 96
7.13. **अभियान की अवधि खत्म हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध** 97
7.14. **अनाधिकारिक पहचान पर्चियाँ** 97
7.15. **मतदान पूर्वाभ्यास** 98
7.16. **मतदान प्रक्रिया के बारे में निर्वाचकों को शिक्षित करना** 98
7.17. **नकली मतदान-पत्र** 99
7.18. **नकली मतदान इकाई (बैलेट यूनिट)** 99
7.19. **मतदान केन्द्र में ईवीएम का मुद्रित सैंपल** 100
7.20. **प्रतीक** 100
7.21. **मृत, अनुपस्थित स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची** 100
7.22. **मतदान से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मौत** 102

8. महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी 105

8.1. वीडियोग्राफी से संबंधित निर्देश 105

9. ईवीएम एवं वीवीपीएटी का परिचय 111

9.1. प्रस्तावना 111

9.2. ईवीएम का परिचय 112

9.3. वीवीपीएटी का परिचय 114

10. मतदान हेतु तैयारी - ईवीएम तथा वीवीपीएटी को आरंभ करना 115

10.1 परिचय 115

10.2 ईवीएम तथा वीवीपीएटी का यादृच्छिकीकरण तथा प्रथम स्तर की जाँच 115

10.3 ईवीएम और वीवीपीएटी का संख्यांकन 116

10.4 मतदान मशीनों का डेटाबेस 116

10.5 मतदान मशीनों के यादृच्छिकीकरण की अनुसूची 116

10.6 रिटर्निंग अधिकारी को मतदान मशीनों और सूची का वितरण 117

10.7 द्वितीय यादृच्छिकीकरण 118

10.8 मतदान मशीनों की तैयारी 119

10.9 वास्तविक पोल के लिए मतदान मशीनों का वितरण 120

10.10 कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट एवं वीवीपीएटी के सक्रिय होने से लेकर छद्म मतदान तक प्रतिस्थापन 120

10.11 कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी का वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापन 121

10.12 मतदान के बाद सीयू, बीयू और वीवीपीएटी वापस लेना 121

10.13 पुनर्मतदान के लिए प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी 122

10.14 राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों का संचार 122

10.15 इवेंट्स की वीडियोग्राफी 123

10.16 मतदान मशीनों और वीवीपीएटी की तैयारी की तारीख और समय के बारे में अभ्यर्थियों को सूचना 123

10.17 बैलट यूनिट की तैयारी 124

10.18 मतपत्र लगाना 124

10.19 प्रयोग न होने वाली अभ्यर्थी बटनों को छिपाना 125

10.20 एम2 बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच बैठाना 126

10.21 एम3 बैलट यूनिट में थंब व्हील्स का समायोजन 126

10.22 बैलट यूनिट को मोहरबंद करना 127

10.23 बैलट यूनिटों और कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को आपस में जोड़ना 128

10.24 कंट्रोल यूनिट की तैयारी 129

10.25 बैटरी स्थापित करना 129

10.26 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या निर्धारित करना 129

10.27 मशीन को क्लियर करना 130

10.28' अभ्यर्थी सेट सेक्शन' को मोहरबंद करना 131

10.29 वीवीपीएटी सेट करना 131

10.30 तैयार मतदान मशीनों का सुरक्षित संरक्षण 131

10.31 मतदान मशीनों के रिकॉर्डों का अनुवीक्षण 132

10.32 मतदान दलों को मतदान मशीनों की आपूर्ति 132

11. डाक मतपत्र- **134**
11.1. **सेवा मतदाता** 134
11.2. **डाक मत-पत्र - प्ररूप एवं भाषा** 135
11.3. **निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए डाक मत-पत्र** 135

12. मतदान कार्मिक **140**
12.1. **मतदान दलों का गठन** 140
12.2. **मतदान दलों के गठन की प्रक्रिया** 141
12.3. **मतदान दल का संयोजन** 143

13. पर्यवेक्षक **145**
13.1. **परिचय** 145
13.2. **पर्यवेक्षकों की सांविधिक शक्तियाँ** 145
13.3. **सूक्ष्म पर्यवेक्षक** 146
13.4. **क्षेत्र अधिकारी** 146

14. मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था **149**
14.1. **सुरक्षा** 149

15. मतदान दिवस **151**
15.1. **प्रस्तावना** 151
15.2. **मतदान के दिन अवकाश की घोषणा** 151
15.3. **प्रचार पर प्रतिषेध** 151
15.4. **मतदान केन्द्र में या उसके निकट शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिषेध** 152
15.5. **अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ** 152
15.6. **मतदाताओं को मतदान से रोकना** 152
15.7. **मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहनों की अवैध हायरिंग** 153
15.8. **मतदान के दिन यातायात विनियमन** 153
15.9. **मतदान केन्द्र से ईवीएम पर बैलेट पेपर को हटाना अपराध माना जाएगा** 155
15.10. **आदेश नहीं मानने वाले व्यक्तियों को हटाना** 155
15.11. **मतदान अभिकर्ता** 155
15.12. **मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र कब पहुँचना चाहिए** 157
15.13. **मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति की जाँच और छद्म मतदान का अनिवार्यत: संचालन और प्रमाणन** 157
15.14. **मतदान अभिकर्ता का कर्तव्य** 159
15.15. **मतदान अभिकर्ता द्वारा लाई जाने वाली चीजें** 159
15.16. **मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि को लगाए रखना** 159
15.17. **मतदान केंद्रों पर व्यवस्था** 160
15.18. **मतदान केन्द्रों में प्रवेश** 160
15.19. **मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था** 161
15.20. **मतदान के संचालन से पहले के कार्य** 161

15.21. मतदान से पहले ईवीएम और वीवीपीएटी की तैयारी 162
15.22. बैलेट यूनिट की तैयारी 163
15.23. कंट्रोल यूनिट की तैयारी 163
15.24. वीवीपीएटी की तैयारी 164
15.25. ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रदर्शन 164
15.26. छद्म मतदान 166
15.27. कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना 167
15.28. विशेष टैग 168
15.29. स्ट्रिप सील 170
15.30. सील से कंट्रोल यूनिट को सील करने की विधि 172
15.31. पेपर सील का लेखा 174
15.32. वास्तविक मतदान के लिए तैयार मतदान मशीन तथा वीवीपीएटी 175
15.33. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना 175
15.34. मतदान शूरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा 175
15.35. मतदान शुरू होना 175
15.36. मतदान केन्द में मतदाताओं का प्रवेश 176
15.37. प्रेस प्रतिनिधियो और फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं 176
15.38. ईवीएम में वोटों की रिकॉर्डिंग की विधि 177
15.39. मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया 177
15.40. मतदाता की पहचान के लिए चुनौती 179
15.41. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से संदेहास्पद मतदाताओं की सूची 179
15.42. मतदाता की पहचान के लिए औपचारिक चुनौती 179
15.43. चुनौती फीस 180
15.44. चुनौती में संक्षिप्त जाँच 180
15.45. चुनौती शुल्क की जब्ती की वापसी 180
15.46. लिपिकीय और मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी करना 181
15.47. मतदाता की पात्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना 181
15.48. कम आयु वाले मतदाताओं द्वारा मतदान के प्रति सावधानियां 182
15.49. प्रोक्सी के माध्यम से मतदान: वर्गीकृत सेवा मतदाता 182
15.50. नेत्रहीन एवं अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान 183
15.51. निविदत्त मत 185
15.52. मतदान नहीं करने का निर्णय लेने वाले निर्वाचक 185
15.53. मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन 186
15.54. पेपर ट्रेल पर मुद्रित विवरणों के बारे में शिकायत की स्थिति में प्रक्रिया 186
15.55. मतदान कोष्ठ के आसपास जाने के लिए पीठासीन अधिकारी (और अन्य) पर प्रतिबंध 187
15.56. समापन के समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान 188
15.57. मतदान का समापन 188
15.58. पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वोटों के लेखा-जोखे (प्ररूप 17 ग) की प्रति भेजना 188
15.59. मतदान की समाप्ति के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपीएटी को सीलबंद करना 189
15.60. निर्वाचन पेपर सील करना- मतदान अभिकर्ताओं द्वारा सीलें लगाना 189
15.61. ईवीएम, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों का संग्रह/संग्रहण केन्द्र में पहुँचाना 190

15.62. वोटिंग मशीनों को ले जाने वाले वाहनों के साथ जाना 190
15.63. ईवीएम, वीवीपीएटी और अन्य सामग्री के संग्रहण के लिए रिसेप्शन सेंटर में व्यवस्था 190
15.64. स्थगित मतदान 191
15.65. नए सिरे से मतदान 192
15.66. बूथ पर कब्जा कर लेने की स्थिति में निर्वाचन का प्रत्यादेश या नए सिरे से मतदान 193
15.67. यदि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा के बाद मतदान स्टेशन पर मतदान को रद्द कर दिया जाता है तो उस स्थिति में फिर से मतदान 193

16. मतगणना 198
16.1. प्रस्तावना 198
16.2. मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति और यादृच्छिकीकरण 198
16.3. आरक्षित पूल 200
16.4. पर्यवेक्षक द्वारा यादृच्छिक पुनर्जांच 200
16.5. पर्यवेक्षक की भूमिका 203
16.6. मतगणना की तिथि, स्थान और समय 204
16.7. मतगणना की शुरुआत 204
16.8. विभिन्न स्थानों पर गणना 205
16.9. मतगणना हॉलों में अनुमत व्यक्ति 206
16.10. उन मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या जो नियुक्त किए जा सकते हैं 206
16.11. गणन अभिकर्ताओं की योग्यता 207
16.12. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति 207
16.13. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की समय सीमा 208
16.14. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना 208
16.15. मतगणना कक्ष में गणन अभिकर्ताओं का प्रवेश 208
16.16. गणन अभिकर्ताओं के लिए बैज 209
16.17. मतगणना कक्ष में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना 209
16.18. मतगणना परिसर और मतगणना कक्ष में धूम्रपान निषिद्ध है 209
16.19. गणन अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था 210
16.20. मतगणना कक्षों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा 210
16.21. गोपनीयता का रखरखाव 216
16.22. मतगणना जारी रखी जाए 216
16.23. पहले डाक मतपत्रों की गणना करना 216
16.24. मतदान केन्द्रों पर डाले गए मतों की गणना 221
16.25. कंट्रोल यूनिटों के वहन बक्सों को खोलना 223
16.26. कंट्रोल यूनिट पर मुहर की जाँच करना 223
16.27. कंट्रोल यूनिट पर मुहर तथा पहचान चिन्हों की जाँच करना 223
16.28. कागज मुहर की क्रम संख्या का मिलान 223
16.29. कंट्रोल यूनिटों के साथ छेड़छाड़ पाए जाने पर इन्हें अलग रखा जाना 224
16.30. परिणाम सुनिश्चित करना 224
16.31. प्ररूप 17ग के "भाग- II मतगणना का परिणाम" को पूर्ण करना 229
16.32. अंतिम परिणाम-पत्र की तैयारी 231

16.33. एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन 231
16.34. पुर्नगणना 234
16.35. पुनः मतदान के मामले में मतगणना का स्थगन 235
16.36. मतगणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः मुहरबंद करना 236
16.37. मतों की समानता 236
16.38. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 236
16.39. निर्वाचन का प्रमाणपत्र 237

17. बहु-निर्वाचन 238
17.1. संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन 238
17.2. राज्य परिषद के लिए निर्वाचित लोक सभा का सदस्य 238
17.3. लोक सभा के लिए निर्वाचित राज्य परिषद का सदस्य 238
17.4. किसी भी राज्य विधान सभा या किसी संसद सभा में एक से अधिक सीट के लिए निर्वाचन 239
17.5. संसद और राज्य विधानसभा दोनों के निर्वाचन 239
17.6. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन 240

18. अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय और लेखों का अनुवीक्षण 242
18.1. विधिक उपबंध 242
18.2. स्टार प्रचारकों पर उपगत निर्वाचन व्यय 243
18.3. निर्वाचन व्यय के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका 245
18.4. केवल निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा लेखा दाखिल किया जाना 246
18.5. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 246
18.6. प्राधिकारी जिसके पास लेखा दाखिल किया जाना चाहिए 246
18.7. अभ्यर्थी द्वारा लेखों एवं निर्वाचन व्यय के रजिस्टरों का रख-रखाव 247
18.7.3. निर्वाचन व्ययों से संबन्धित लेखों का दैनिक रख-रखाव 247
18.7.4. निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से अभ्यर्थी द्वारा डोनेशन इत्यादि की प्राप्ति 248
18.7.5. अभ्यर्थी द्वारा नकद में व्यय 248
18.8. निरीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला लेखा 250
18.9. दर तालिका तैयार करना 253
18.10. बैरिकेड तथा मंच इत्यादि पर व्यय 254
18.11. लेखा दाखिल करने का तरीका 255
18.12. लेखों के साथ दाखिल किये जाने वाले वाउचर 255
18.13. हस्ताक्षर किये जाने वाले वाउचर 255
18.14. लेखे दाखिल करने की अंतिम तिथि 255
18.15. निर्वाचन की तारीख का अभिप्राय 256
18.16. लेखे की प्राप्ति के संकेत स्वरूप पावती जारी करना 256
18.17. लेखे दाखिल करने का नोटिस 256
18.18. निरीक्षण व प्रतिलिपियाँ 256
18.19. आयोग को रिपोर्ट करना 257
18.20. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक रिपोर्ट 257
18.21. विलंब से दाखिल किए गए लेखे 257

18.22. जाँच की प्रकृति 257
18.23. रिपोर्ट का प्रकाशन 258
18.24. रिपोर्ट पर आयोग का निर्णय 258
18.25. अभ्यर्थियों को आयोग के नोटिस की सुपुर्दगी 258
18.26. चूककर्ता अभ्यर्थी का अभ्यावेदन 258
18.27. जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पूरक रिपोर्ट 258
18.28. आयोग का अंतिम आदेश 259
18.29. अनर्हता का निराकरण 259
18.30. समय सीमा का कड़ाई के साथ अनुपालन करना 259
18.31. अधिकतम निर्वाचन व्यय 259
18.32. धन बल के भ्रष्टाचारी प्रभाव को रोकने के उपाय 261
18.33. निर्वाचन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 262
18.34. निर्वाचन लड़ रहे किसी भी अभ्यर्थी को व्ययों का लेखा दाखिल करने में छूट नहीं 262
18.35. संबन्धित कानूनी प्रावधान 262

19. विविध 263
19.1. निरक्षर व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर 263
19.2. पांडुलिपि, टंकित अथवा निजी तौर पर मुद्रित प्ररूप 263
19.3. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण 263
19.4. निर्वाचन दस्तावेजों का उत्पादन एवं निरीक्षण 264
19.5. परिणाम पत्रों और निर्वाचन विवरणी की प्रतिलिपियों की आपूर्ति 265
19.6. जमाराशि की वापसी के लिए आवेदन प्ररूप 265
19.7. जमाराशि कब वापस की जानी है 265
19.8. केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यावर्त्य जमाराशि 266
19.9. जमा वापसी की शर्तें 266
19.10. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को जमाराशि की वापसी 266
19.11. निर्वाचन के विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक 267
19.12. बाल श्रम 268

20. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 269
20.1. कौन निर्वाचन लड़ सकता है 269
20.2. जमानत राशि 271
20.3. नाम निर्देशन 271
20.4. शपथ अथवा पुष्टि 273
20.5. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 273
20.6. निर्वाचन अभिकर्ता 274
20.7. मतदान अभिकर्ता 275
20.8. मतदान कार्मिक 276
20.9. निर्वाचन अभियान 277
20.10. मतदान दिवस 280
20.11. सूक्ष्म पर्यवेक्षक 282

20.12. **मतगणना** 283
20.13. **निर्वाचन व्यय** 286
20.14. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन** 290

परिशिष्ट 1 301
भारत के संविधान से उद्धरण 301
परिशिष्ट 2 304
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से उद्धरण 304
परिशिष्ट 3 307
भारत के संविधान से उद्धरण 307
परिशिष्ट 4 308
शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप 308
परिशिष्ट 5 319
अधिसूचना 319
परिशिष्ट 6 326
प्ररूप 2क 326
परिशिष्ट 7 332
प्ररूप 2ख 332
परिशिष्ट 8 339
प्ररूप 26 339
परिशिष्ट 9 354
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य एवं भाषाएं 354
परिशिष्ट 9क 365
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य एवं भाषाएं **365**
परिशिष्ट 10 370
प्ररूप क 370
प्ररूप ख 372
परिशिष्ट 11 374
अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए - क्या करें और क्या न करें 374
परिशिष्ट 12 379
आचार संहिता- अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें 379
परिशिष्ट 13 387
प्ररूप 5 - अभ्यर्थिता वापिस लेने की सूचना 387
परिशिष्ट 14 389
प्रपत्र 8 - निर्वाचन अभिकर्तों की नियुक्ति 389
परिशिष्ट 15 390
प्ररूप 9 - निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण 390
परिशिष्ट 16 391
परिशिष्ट 17 413
राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता 413
परिशिष्ट 18 419

पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी आदेश 419
परिशिष्ट 19 423
निर्वाचनों का संचालन नियम 1992 423
परिशिष्ट 20 438
प्ररूप 17क 438
परिशिष्ट 21 439
प्रपत्र 17ख 439
परिशिष्ट 22 440
प्ररूप 17ग 440
परिशिष्ट 23 443
प्रपत्र 10 443
परिशिष्ट 24 445
प्रपत्र 11 445
परिशिष्ट 25 446
अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षरों के लिए प्ररूप 446
परिशिष्ट 26 447
पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा 447
परिशिष्ट 27 453
अभ्याक्षेपित मतों की सूची 453
परिशिष्ट 28 454
मॉक पोल (दिखावटी मतदान) प्रमाण-पत्र 454
परिशिष्ट 29 456
अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना संबंधी तिथि, समय और स्थान के संबंध में नोटिस 456
परिशिष्ट 30 457
अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना संबंधी तिथि, समय और स्थान के संबंध में नोटिस 457
परिशिष्ट 31 458
प्ररूप 18 - मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति 458
परिशिष्ट 32 460
प्ररूप 19 - निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण 460
परिशिष्ट 33 461
प्ररूप 20 - अंतिम परिणाम पत्रक 461
परिशिष्ट 34 464
भारत के संविधान से उद्धरण 464
परिशिष्ट 35 465
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण 465
परिशिष्ट 36 467
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण 467
परिशिष्ट 37 468
समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 से उद्धरण 468
परिशिष्ट 38 469
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण 469

परिशिष्ट 39 ..... **474**
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई राशि की वापसी संबंधी आवेदन (अभ्यर्थी द्वारा) 474
परिशिष्ट 40 ..... **480**
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण 480
परिशिष्ट 41 ..... **485**
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों संबंधी दैनिक लेखों के रख-रखाव के लिए रजिस्टर 485
परिशिष्ट 42 ..... **503**
परिशिष्ट 43 ..... **505**
प्रारूप सी-1 से सी-5 505-511

1. परिचय

1.1. सामान्य

1.1.1. भारत के संविधान ने प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है, जिसके अधीन कानून के तहत यथा-विनिर्धारित निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन कराए जाते हैं।

1.1.2. एक अभ्यर्थी को, जो एक संसदीय या एक विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा होता है, निर्वाचन विधि के मुख्य प्रावधानों और प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी कठिनाई या असुविधा का सामना न करना पड़े। संभवत: वह निर्वाचन विधि और नियमों के मूल प्रावधान से पहले से अवगत हो; फिर भी, उसके लाभ और मार्गदर्शन के लिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें लोकसभा अथवा विधान सभा (जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा से इतर) के निर्वाचन के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक प्रावधानों, नियमों, और जारी किए गए अनुदेशों/निर्देशों का सार दिया गया है।

1.1.3. विश्वसनीय और आवधिक निर्वाचन का संचालन आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की पहचान रहा है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली को विश्वभर में ख्याति प्राप्त है और इस ख्याति को और अधिक मजबूत करने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की भी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि निर्वाचन तंत्र सतर्क न हो तो निर्वाचन के शांतिपूर्ण होने के बावजूद भी कदाचार हो सकते हैं। निर्वाचन को वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन केवल तभी कहा जा सकता है जब सभी हितधारक निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते एवं स्वीकार करते हैं।

1.1.4. समय के साथ-साथ देश में विशेष रूप से हाल के दिनों में निर्वाचन प्रबंधन की एप्रोच और कार्यप्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। । निर्वाचनों संबंधी बढ़ती जटिलताओं के कारण एक संस्थागत दायित्व के रूप में निर्वाचनों का अधिकाधिक सूक्ष्म प्रबंधन किया जा रहा है। इस अध्याय में, हाल में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों और अनुदेशों की दृष्टि से निर्वाचन प्रबंधन की कुछ प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा दी गई है।

1.2. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता को स्पष्टता और कठोरता से लागू करने पर निर्वाचनों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है और हितधारकों/मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन प्रयोजन के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन संबंधी अपराध, कदाचार और भ्रष्टाचार जैसे मतदाताओं को भेष बनाने, रिश्वत देने और लालच देने, मतदाताओं को डराने व धमकाने की हर तरह से रोकथाम की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक

नामावली की शुरूआत करने से आशा है कि मतदाताओं का भेष बनाने की गुंजाइश को न्यूनतम करने में यह उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

1.3. मतदान अभिकर्ता

1.3.1. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किया जाने वाला मतदान अभिकर्ता आदर्श रूप से उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिए जिसका उद्देश्य मतदान केन्द्र पर निर्वाचन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप को कम से कम करना है। ऐसे मतदान अभिकर्ता सामान्यत: संबंधित मतदान क्षेत्रों या आसपास के मतदान केन्द्र के निवासी और निर्वाचक होंगे। मतदान अभिकर्ता के पास अधिमानतः ईपीआईसी अथवा ईआरओ/बीएलओ द्वारा जारी की गई फोटो मतदाता पर्ची अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य वैकल्पिक पहचान होनी चाहिए। जब भी, कोई भी सेक्टर मजिस्ट्रेट, किसी मतदान अभिकर्ता से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है, तो ईपीआईसी या फोटो मतदाता पर्ची या आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान प्रस्तुत करनी चाहिए।

1.4. अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण

1.4.1. मतदाताओं, विशेष रूप से देश के कुछ हिस्सों में समाज के कमजोर तबकों के मतदाताओं को डराना-धमकाना चिंता का विषय रहा है। इस चुनौती से निपटने की दृष्टि से, आयोग ने 'अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण' व्यवस्था शुरू की है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अनुकूल माहौल में आयोजित कराए जा सकते हैं। इसलिए, निर्वाचन के दौरान और मतदान के दिन कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नज़र रखना अनिवार्य हो जाता है।

1.5. बैंक खाता

1.5.1. प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोला जाए - निर्वाचन व्यय की निगरानी की सुविधा के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से एक अलग बैंक खाता खोला जाना अपेक्षित है। यह खाता अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने से कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा।

1.5.2. अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देगा/देगी। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से किए जाएंगे। निर्वाचन कार्य पर व्यय किया जाने वाला सभी पैसा इसी खाते में जमा किया जाएगा चाहिए यह अभ्यर्थी के स्वयं के धन सहित किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त हो।

1.6. ईवीएम एवं वीवीपीएटी

1.6.1. लोकसभा निर्वाचन 2004 के दौरान देश के सभी मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल

पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल पहली बार नागालैंड की 51-नोक्सेन (एसटी) विधान सभा से उपनिर्वाचन में किया गया था। हालाँकि, ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर मतदाता जागरूकता को यूं ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग का प्रयास, सभी मतदाताओं में, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में मतदाताओं और नए मतदाताओं के बीच ईवीएम और वीवीपीएटी के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। आयोग ने मतदान केन्द्रों को ईवीएम और वीवीपीएटी के आवंटन के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी की यादृच्छचयन प्रणाली शुरू की है और रिटर्निंग अधिकारी को इसका विशेष दायित्व दिया गया है। केवल जिला/उप-मंडल मुख्यालय में ईवीएम और वीवीपीएटी की प्रथम स्तर की जाँच केवल बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियरों द्वारा की जाती है, जैसा कि मामला हो। इस चरण पर, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वितरण के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का यादृच्छचयन किया जाता है। विशिष्ट मतदान केन्द्रों के आवंटन के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का दूसरा यादृच्छचयन अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता या अभ्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि और निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया जाता है।

1.6.2. वीवीपीएटी का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि निर्वाचक वीवीपीएटी की पारदर्शी विंडो से एक मुद्रित पर्ची, इसके कटकर वीवीपीएटी के ड्राप बॉक्स में गिरने से पूर्व, देख सके जिसमें अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम और निर्वाचन चिह्न दर्शाया गया हो जिसे उसने अपना मत दिया है।

1.7. इनमें से कोई नहीं (नोटा)

1.7.1. नोटा का प्रावधान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मत नहीं देने के निर्णय की अभिव्यक्ति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 की रिट याचिका सं. 161 में दिनांक 27.09.2013 अपने निर्णय में यह आदेश दिया है कि आयोग को मतपत्र/ईवीएम में "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" विकल्प के लिए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए ताकि जो निर्वाचक किसी भी अभ्यर्थी को अपना मत नहीं देना चाहते, वे अपने निर्णय की गोपनीयता भंग हुए बिना किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। मतपत्र पर, अंतिम अभ्यर्थी के नाम और विवरण वाले पैनल के बाद "इनमें से कोई नहीं: नोटा" शब्द युक्त एक बैलेट पैनल उपलब्ध होगा। जो निर्वाचक किसी भी अभ्यर्थी को अपना मत नहीं देना चाहते, वे अपने निर्णय की गोपनीयता भंग हुए बिना किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15 है, तो 16वें पैनल पर नोटा चिह्न के साथ, "इनमें से कोई नहीं" शब्द लिखे जाएंगे, और इस 16वें पैनल के सामने वाला बैलेट बटन भी खुला रखा जाएगा।

1.8. डाक मतपत्र

1.8.1. आयोग ने डाक मतपत्र के संदर्भ में नए अनुदेश जारी किए हैं। इस नई प्रणाली में योग्य मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने में देरी और इसके बाद इसे पहुँचाने और उनसे मतपत्र प्राप्त करने में विलंब को रोकने के लिए डाक मतपत्र के प्रबंधन में रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। नई प्रणाली को कार्यात्मक और पारदर्शी बनाने में अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं का भी कुछ दायित्व है। दिनांक 21.10.2016 की अधिसूचना द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन के द्वारा, नियम 18 के खंड (3) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों (अर्थात सेवा मतदाता) के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साधन से सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र भेजे जा सकते हैं। जहाँ डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, यथावश्यक परिवर्तित यह नियम और नियम 22, 24 और 27 के प्रावधान लागू होंगे।

1.9. धन के प्रभाव को नियंत्रित करना

1.9.1. निष्पक्ष निर्वाचन के लिए धन बल के प्रयोग को रोकना एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है जिससे सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते। ऐसा अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा किए गए खर्च पर समुचित नजर रखकर किया जा सकता है। आयोग, अभ्यर्थियों से आशा करता है कि वे इसके विभिन्न अनुदेशों के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन तंत्र के साथ सहयोग करें जिसमें वाहनों से प्रचार करना और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के विरूपण संबंधी अनुदेश शामिल हैं।

1.10. सूक्ष्म-पर्यवेक्षक

1.10.1. आयोग ने मतदान केन्द्र स्तर पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों (माइक्रो ऑब्जर्वर) की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की है जो सीधे आयोग के पर्यवेक्षक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करती है। सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को मतदान केन्द्रों पर विभिन्न कारकों के आधार पर तैनात किया जाता है, जिनसे मतदाताओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जैसे कि एक सामाजिक समूह के ऊपर दूसरे सामाजिक समूह का वर्चस्व, दुर्गम क्षेत्र, ईपीआईसी की अनुपलब्धता, हिंसा का पिछला इतिहास आदि।

1.11. क्षेत्र अधिकारी

1.11.1. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। आमतौर पर, एक क्षेत्र अधिकारी 10-12 मतदान केन्द्रों का प्रभारी होगा/होगी। वे उन्हें निर्दिष्ट किए गए मतदान केन्द्रों में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का समन्वय करेंगे।

1.12. महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी

1.12.1. निर्वाचन कार्य प्रक्रिया के दौरान और मतदान के दिन, निर्वाचकों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र के आकार, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या, मतदान केन्द्र कैप्चरिंग और अन्य कदाचार के पिछले इतिहास, सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्ट व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी अपराधों की संभावना तथा अन्य संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी की जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करने के बाद, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

1.13. केंद्रीय पुलिस बल (सीपीएफ)

1.13.1. आयोग जमीनी वास्तविकता के अपने मूल्यांकन के आधार पर निर्वाचन कराने वाले राज्यों में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय पुलिस बल तैनात करता है।

1.14. मतदाता सहायता बूथ

1.14.1. मतदान के दिन, ऐसे प्रत्येक परिसर/भवन में, जहाँ तीन या अधिक मतदान केन्द्र हों, निर्वाचकों को अपने नाम का पता लगाने में सहायता के लिए, अधिकारियों के दल द्वारा संचालित एक "मतदाता सहायता बूथ" स्थापित किए जाते हैं। इस बूथ में, वर्णमाला क्रम में अंश-वार निर्वाचक नामावली की एक प्रति, मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में उनकी क्रम संख्या और मतदान केन्द्र के नाम संबंधी सूचना देने के लिए उनकी सहायता हेतु प्रत्येक संबंधित मतदान केन्द्र पर रखी जाती है।

1.15. बीएलओ

1.15.1. बीएलओ एक स्थानीय सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारी होता है, जो स्थानीय निर्वाचकों से परिचित होता है और सामान्यत: उसी मतदान क्षेत्र का मतदाता होता है जो अपनी स्थानीय जानकारी के उपयोग से नामावली को अद्यतन करने में सहायता करता है। वास्तव में, बीएलओ जमीनी स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि होता है जो उसे दिए गए निर्वाचन क्षेत्र की नामावली के संबंध में सूची में परिवर्तन और वास्तविक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, बीएलओ एक पूर्णकालिक निर्वाचन अधिकारी नहीं होता/होती, लेकिन बीएलओ की जिम्मेदारी से उसके प्रोफाइल में एक अतिरिक्त आयाम जुड़ता है क्योंकि वह एक जिम्मेदार नागरिक ड्यूटी प्रदान कर रहा होता है। वह सूची से संबंधित मामलों में स्थानीय लोगों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भाँति होता है। प्रत्येक बीएलओ की देखरेख में एक/दो मतदान केन्द्र क्षेत्र होगा/होंगे।

1.16. पारदर्शिता

1.16.1. पारदर्शिता, प्रभावी और कुशल निर्वाचन प्रबंधन की कुंजी है क्योंकि पारदर्शिता से निर्वाचन की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। आयोग का प्रयास है कि निर्वाचन प्रबंधन पारदर्शी होना चाहिए और निर्वाचन प्रबंधन में शामिल किसी अधिकारी की

ओर से पक्षपात की शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आयोग, किसी निर्वाचन अधिकारी की ओर से तटस्थता न बरते जाने को बहुत गंभीरता से लेता है। इसलिए, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को समय-समय पर आयोग के अनुदेशों की जानकारी दी जाती है।

1.17. निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और सीमांकन

1.17.1. अभ्यर्थी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे निर्वाचन क्षेत्र की सही सीमा की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ से वह निर्वाचन लड़ रहा/रही है या निर्वाचन लड़ना चाहता/चाहती है। परिसीमन आयोग द्वारा, जो परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था, सभी राज्यों में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर) की सीमा पुन: निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को इसकी जाँच संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आदेश, 2008 (वेबसाइट से देखा जा सकता है।) से करनी चाहिए। अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन क्षेत्र की प्रकृति की भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात् चाहे यह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अभ्यर्थी को संसदीय और विधान सभा निर्वाचन आदेश के परिसीमन की अद्यतन सही प्रतिलिपि देखनी चाहिए। अद्यतन आदेशों की प्रतियाँ निरीक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर और मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास उपलब्ध होंगी।

1.18. फोटो निर्वाचक नामावली (पीईआर) एवं ईपीआईसी

1.18.1. लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, (अर्थात् उस वर्ष की पहली जनवरी जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार की गई या संशोधित की गई एवं अंत में प्रकाशित की गई) जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवासी, दिमागी हालत ठीक न होना, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा (अनुच्छेद 326)। कुछ संवैधानिक और सांविधिक अर्हताएं और निरहर्ताएं हैं। एक निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की शर्तें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में दी गई हैं। इस संबंध में संबंधित प्रावधान **परिशिष्ट 1** में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

1.18.2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की

जाएगी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली शामिल होगी। जम्मू-कश्मीर राज्य और विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप) में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उसी तरह अलग-अलग निर्वाचक नामावली तैयार की जाती हैं जिस तरह अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है।

1.18.3. जम्मू-कश्मीर के लिए, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार की जाती है। केवल जम्मू-कश्मीर के संविधान के तहत परिभाषित राज्य-विषय उसमें शामिल किए जाने के हकदार हैं।

1.18.4. स्वच्छ निर्वाचक नामावली पर अधिक जोर दिया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर प्रणाली शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की पहचान और उन्हें हटाना अधिक सटीक हो गया है और इससे निर्वाचन मशीनरी को निर्वाचक नामावली की निष्ठा सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

(क) नामावली संशोधन में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से यह इच्छा व्यक्त की है कि बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए) की मदद करने के लिए वे मतदान के दौरान मतदान अभिकर्ताओं (और मतगणना के दौरान गणन अभिकर्ताओं) की नियुक्ति की तर्ज पर नामावली संशोधन के लिए एक बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए) की नियुक्ति कर सकते हैं।

(ख) मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए जाने से फर्जी मतदान से बचने में काफी मदद मिली है। ईपीआईसी का यह काम 1994 से शुरू किया गया था। जारी किए गए सभी ईपीआईसी को एक विशेष संख्या दी गई थी और यही संख्या ईपीआईसी पर मुद्रित की गई थी। ईपीआईसी संख्या को निर्वाचक नामावली में शामिल किया गया है। इसके प्रतिरूपण को रोकने के लिए, निर्वाचक नामावली में ही निर्वाचकों की फोटो मुद्रित की गई है ताकि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की पहचान का प्रयोजन प्राप्त किया जा सके।

(ग) इसके अतिरिक्त, मतदान के दिन प्रतिरूपण की रोकथाम की दृष्टि से, आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली (पीईआर) तैयार की है जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

(घ) फोटो निर्वाचक नामावली में विद्यमान सूची में शामिल सभी सूचना के अतिरिक्त निर्वाचकों की फोटो होती हैं। इससे मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर निर्वाचक की पहचान के सत्यापन की प्रक्रिया सरल हो जाती है।

(ङ) ईपीआईसी का उपयोग मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की पहचान के लिए किया जाता है। उन मतदाताओं के मामले में, जो पहचान के लिए ईपीआईसी नहीं दिखा पाते, उनकी पहचान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी वैकल्पिक दस्तावेज़ से स्थापित की जाती है, जिसके लिए निर्वाचन के समय विशिष्ट आदेश जारी किए जाते हैं।

(च) एक निर्वाचक, जो ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाता है, जिसे किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे कार्ड को भी स्वीकार किया जाता है परंतु निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली में हो जहाँ वह मतदान के लिए आया है। लेकिन ऐसे मामलों में, निर्वाचक के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली की अच्छी तरह जाँच करके कि उस पर अमिट स्याही का कोई चिह्न नहीं है और उसे मतदान की अनुमति देते समय बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता एक से अधिक स्थान पर मतदान न करें।

1.19. अभ्यर्थी को एक निर्वाचक होना चाहिए

1.19.1. संसद या राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन में उम्मीदवारी के लिए एक मूलभूत अर्हता यह है कि संबंधित व्यक्ति मतदाता होना चाहिए। अगले अध्याय में, निर्वाचनों में उम्मीदवारी के लिए विभिन्न अर्हताओं और निर्हताओं के बारे में विस्तृत चर्चा दी गई है। हालाँकि, किसी भी अभ्यर्थी को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में शामिल किया गया है जिसके आधार पर निर्वाचन आयोजित किया जाएगा। कानून के तहत, निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने से काफी पहले संशोधित और अंत में प्रकाशित कर दी जाती है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली प्रकाशित किए जाने के बाद भी, उस व्यक्ति को, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया गया है, अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए आवेदन करने का अधिकार है, यदि वह इस समावेशन का/की अर्हक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 26 में ऐसे समावेशन के लिए प्रक्रिया दी गई है। नियम 26 के तहत, नाम शामिल करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्ररूप 6 में दो प्रतियों में आवेदन करना होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में विनिर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आवेदक का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने का निर्देश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है।

1.20. नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख से पहले निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करना

1.20.1. इस संबंध में, अभ्यर्थी के लिए यह नोट करना आवश्यक है कि निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख के बाद और ऐसे निर्वाचन के संपन्न होने से पहले ऐसा कोई समावेशन अनुमत नहीं है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 26 के तहत, किसी नाम को शामिल करने का आदेश केवल उस तारीख से सात दिनों के बाद ही दिया जा सकता है, जिस तारीख को ऐसे आवेदन के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में समावेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। कोई वास्तविक समावेशन संभव नहीं है जब तक निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी किए जाने से पहले समावेशन के लिए आवेदन नहीं कर दिया जाता।

1.21. निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार

1.21.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के तहत कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के त्रुटि सुधार का आवेदन, निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास करना होगा। पुन:, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख के बाद और उस निर्वाचन के संपन्न होने से पहले निर्वाचक नामावली में सुधार का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। अंतिम प्रकाशन के बाद, उपरोक्त मामलों से संबंधित प्रावधान और निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने एवं प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 व 23 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 26 और 27 में निहित हैं। ये प्रावधान **परिशिष्ट 2** में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

2. अर्हता और निरर्हता

2.1. परिचय

2.1.1. निर्वाचन लड़ने के लिए, अभ्यर्थी के पास कुछ अर्हताएं होनी चाहिए और साथ ही, उसके पास कतिपय निरर्हताएं नहीं होनी चाहिए। ये अर्हताएं और निरर्हताएं, संविधान और निर्वाचन संविधियों, दोनों में निर्धारित की गई हैं।

2.2. लोक सभा निर्वाचन के लिए अर्हता

2.2.1. यदि कोई अभ्यर्थी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा (हाउस ऑफ प्यूपिल) के लिए निर्वाचन लड़ना चाहता है, तो उसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक अर्हताएं होनी चाहिए:

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए/होनी चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 84 (क)];

2. निर्वाचन आयोग द्वारा उस व्यक्ति को संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्ररूप के अनुसार प्राधिकृत किसी शपथ या सदस्यता से पहले एक सदस्य के रूप में शपथ अथवा पुष्टि करनी चाहिए और इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। [संविधान का अनुच्छेद 84 (क) और तीसरी अनुसूची में प्ररूप III/क];

3. नाम निर्देशन की जाँच की तारीख को उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) के साथ पठित संविधान का अनुच्छेद 84 (ख)];

4.

(क) यदि अभ्यर्थी, किसी राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए लड़ रहा/रही है, तो वह अनुसूचित जाति का होना/की होनी चाहिए, चाहे उसी राज्य से हो या किसी अन्य राज्य से हो, और इसके अतिरिक्त, वह संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचक भी होना/होनी चाहिए;

(ख) यदि अभ्यर्थी, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट (असम के स्वशासी जिलों में सीट को छोड़कर) के लिए लड़ रहा/रही है, तो वह अनुसूचित जनजाति का होना/की होनी चाहिए, चाहे उसी राज्य से हो या किसी अन्य राज्य (असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर) से हो, और इसके अतिरिक्त, वह संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचक भी होना/होनी चाहिए;

(ग) यदि कोई अभ्यर्थी असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के लिए लड़ रहा/रही है, तो वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी जाति का होना/की होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त, वह उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें ऐसी सीट आरक्षित है या ऐसे स्वायत्तशासी जिले वाले किसी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना/होनी चाहिए;

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के लिए लड़ रहा/रही है, तो *उसे उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी जाति का होना/की होनी चाहिए,* और इसके अतिरिक्त, वह संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना/होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें- यदि कोई व्यक्ति इस श्रेणी के तहत अभ्यर्थी है, तो उसे *इटेलिक* अक्षरों में लिखे शब्दों को सावधानीपूर्वक नोट करना चाहिए।

(ङ) यदि कोई अभ्यर्थी सिक्किम राज्य को आवंटित सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो उसे सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक होना चाहिए/होनी चाहिए;

(च) यदि कोई अभ्यर्थी सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ता है अर्थात पूर्ववर्ती उप-खण्ड में यथा: उल्लेखित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के अतिरिक्त सीट के लिए चुनाव लड़ रहा/रही है, तो वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना/होनी चाहिए (देखें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4)।

2.3. विधान सभा निर्वाचन के लिए अर्हताएं

2.3.1. यदि कोई अभ्यर्थी किसी राज्य (जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा) या किसी संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) के लिए विधान सभा के निर्वाचन में खड़ा होना चाहता/होनी चाहती है, तो उसके पास निम्निलिखित में से प्रत्येक अर्हता होनी चाहिए:

1. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 173(क), संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 4(क) और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 4 (क)];

2. अभ्यर्थी को निर्वाचन आयोग द्वारा उस व्यक्ति द्वारा संविधान की तीसरी अनुसूची में अथवा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की प्रथम अनुसूची अथवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की अनुसूची में, जैसा कि मामला हो, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्ररूप के अनुसार प्राधिकृत किसी शपथ या सदस्यता से पहले एक सदस्य के रूप में शपथ अथवा पुष्टि करनी होगी और इस पर हस्ताक्षर करने होंगे [संविधान की तीसरी अनुसूची में अनुच्छेद 173 (क) और प्ररूप VII/क, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की प्रथम अनुसूची में प्ररूप 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की अनुसूची में धारा 4 (क) और प्ररूप 1];

3. अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन की जाँच की तिथि पर पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 173 (ख), संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 4(ख), और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36(2) (क) के साथ पठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 4 (ख)];

(क) यदि कोई अभ्यर्थी किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधान सभा सीट के

लिए चुनाव लड़ना चाहता/चाहती है, तो वह उन जातियों में से किसी एक जाति अथवा जनजातियों, जैसा कि मामला हो, का/की सदस्य होना/होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त, वह उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना/होनी चाहिए;

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी असम के किसी स्वायत्त जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता/चाहती है, तो वह किसी भी स्वायत्त जिले के अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य होना/होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त, वह उस विधान सभा के लिए निर्वाचक होना/होनी चाहिए जिसमें उस जिले के लिए ऐसी सीट या कोई अन्य सीट आरक्षित है;

(ग) अगर कोई अभ्यर्थी सिक्किम विधान सभा में भूटिया लेप्चा मूल के सिक्किमवासियों के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता/चाहती है, तो वह भूटिया या लेप्चा मूल का/की होना चाहिए और इसके अलावा, वह उस राज्य में संघ के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से इतर किसी भी विधान सभा क्षेत्र के लिए मतदाता होना/होनी चाहिए;

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी सिक्किम की विधान सभा में संघ के लिए आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे उस राज्य में संघ निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए;

(ङ) यदि कोई अभ्यर्थी सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, जो कि पूर्वोक्त सीट आरक्षित नहीं है, तो उसे संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शासित प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए

2.3.2. संविधान और विधि के सभी प्रासंगिक उपर्युक्त प्रावधानों को **परिशिष्ट 3** में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

2.3.3. उपर्युक्त विभिन्न अर्हताएं हैं, जो किसी अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए यदि वह लोकसभा या विधान सभा चुनाव के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना चाहता/चाहती है। अभ्यर्थी को इस बारे में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। उसे निम्नलिखित दो मामलों के संबंध में विशेष ध्यान रखने का परामर्श दिया जाता है।

2.4. निर्वाचक नामावली में नाम आदि में त्रुटिसुधार

2.4.1. अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम सही दर्ज किया गया है और फोटो बेमेल नहीं है। यदि उसके नाम या उसके पिता/उसकी माता/पति के नाम अथवा उसके पते के संबंध में वर्तनी या किसी अन्य संबंध (उम्र और लिंग सहित) में त्रुटि होती है अथवा फोटो बेमेल हो, तो उसमें त्रुटिसुधार कराने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी समय पर त्रुटिसुधार नहीं कराता/कराती, तो नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के समय, अन्य अभ्यर्थी आपत्ति कर सकते हैं।

2.5. अभ्यर्थियों द्वारा पुष्टि की शपथ

2.5.1. अभ्यर्थी को शपथ लेना या पुष्टि करना और उस पर हस्ताक्षर करना नहीं भूलना चाहिए जिसका पहले उल्लेख किया गया है (**अनुलग्नक 4**)। निर्वाचन आयोग ने कुछ लोगों को अधिकृत किया है जिनके समक्ष शपथ या पुष्टि की या उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की प्रासंगिक अधिसूचनाएं **परिशिष्ट 5** में पुन: प्रस्तुत हैं।

2.5.2. किसी भी विशेष निर्वाचन के लिए, अधिकृत व्यक्ति मुख्यत: निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। किसी अभ्यर्थी के जेल में या निवारक हिरासत में रहने के मामले में, जेल अधीक्षक या निवारक शिविर के कमांडेंट, जिसमें वह बंद है या हिरासत में है, शपथ लेने के लिए अधिकृत होते हैं। किसी अभ्यर्थी के बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्पताल या अन्यत्र बिस्तर पर होने के मामले में, अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक या उसका उपचार करने वाले चिकित्सक भी, उसी प्रकार अधिकृत होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जो भारत से बाहर है, शपथ या पुष्टि उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष, जहाँ अभ्यर्थी मौजूद है अथवा या ऐसे राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष की जा सकती है और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। जहाँ अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या उपस्थित नहीं हो पाता/पाती, तो शपथ या पुष्टि का निष्पादन और इस पर हस्ताक्षर, निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए बनाए गए आवेदन पर विशेष रूप से नामित व्यक्ति के समक्ष किया जा सकता है। आयोग ने सभी वेतनभोगी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सभी प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, सभी जिला जजों और जिला जजों के अलावा राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित सभी व्यक्तियों को ऐसे अधिकारी के तौर पर अधिकृत किया है, जिनमें से किसी के भी समक्ष अभ्यर्थी शपथ या पुष्टि का निष्पादन अथवा उस पर हस्ताक्षर कर सकता/सकती है।

2.6. प्रवासी निर्वाचकों द्वारा नाम निर्देशन

2.6.1. कोई अप्रवासी नागरिक, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के तहत सूची में पंजीकृत होने का/की हकदार है और जो प्ररूप 6क में आवेदन का दावा करता/करती है, वह उस स्थान की सूची में शामिल किया जाएगा/की जाएगी, जिसमें भारत में उसका निवास स्थान है जैसा उसके पासपोर्ट में उल्लेख किया गया है। प्ररूप 6क में दावा आवेदन व्यक्ति द्वारा सीधे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा प्ररूप 6क में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रति सहित ईआरओ को डाक द्वारा भेजा जाएगा। दावा आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अधिकार निर्वाचक नामावली में नामांकन से किसी प्रवासी निर्वाचक को विधि की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन निर्वाचन लडने का अधिकार मिल जाता है। विधि के अधीन

निर्धारित आवश्यक अर्हताओं में से एक यह है कि अभ्यर्थी को आयोग द्वारा इसके लिए अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ या पुष्टि का निष्पादन और उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उन व्यक्तियों में आते हैं, जिन्हें इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जो भारत से बाहर है, शपथ उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित की जा सकती है, जहाँ अभ्यर्थी मौजूद है। प्रवासी निर्वाचक शपथ या पुष्टि के निष्पादन के लिए संबंधित देश के भारतीय मिशन के अधिकृत व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।

2.6.2. यदि कोई प्रवासी निर्वाचक, जो नाम निर्देशन दाखिल करते समय नाम निर्देशन पत्र भारत में दाखिल कर सकता/सकती है, तो वह शपथ या पुष्टि का निष्पादन रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी कर सकता/सकती है। यदि कोई अभ्यर्थी जो प्रवासी निर्वाचक है, शपथ का निष्पादन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता/होती है, तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति के पासपोर्ट में विवरण की सावधानीपूर्व जाँच करके व्यक्ति की पहचान भलीभाँति सत्यापित की गई है। इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति को शपथ या पुष्टि का निष्पादन करते समय रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। मतदान के समय भी, प्रवासी निर्वाचकों की पहचान, उनके पासपोर्ट में विवरण की जाँच करके सत्यापित करना होती है।

2.7. पुष्टि की शपथ संबंधी महत्वपूर्ण बातें

2.7.1. शपथ या पुष्टि का निष्पादन और उस पर हस्ताक्षर उस निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों की जाँच निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तिथि से पहले की जानी चाहिए। पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर प्रसाद सिंह (1968) 2 एससीआर 812-एआईआर 1968 एससी 1064 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने शपथ लेने या इसकी पुष्टि करने के निष्पादन या हस्ताक्षर करने के मामले में दो प्रतिबंध लगाएं हैं। प्रथम, न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या पुष्टि के प्रपत्र में "नामांकित" शब्द स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा शपथ या पुष्टि का निष्पादन, अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन किए जाने से पूर्व नहीं किया जा सकता। अर्थात, न्यायालय के इस निष्कर्ष के अनुसार कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30, 31, 32 और 33 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, अभ्यर्थी द्वारा शपथ या सत्यनिष्ठ पुष्टि का निष्पादन, रिटर्निंग अधिकारी को धारा 33 के अधीन उसके नाम निर्देशन पत्र दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है। दूसरे, न्यायालय ने यह कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2)

(क) में शब्द "जाँच के लिए नियत की गई तिथि" से वह पूरा दिन अभिप्रेत है जिस तारीख को नाम निर्देशन की जाँच होनी है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय के इस निष्कर्ष के अनुसार, जाँच के दिन आरंभ में ही अर्हता होनी चाहिए। इसका अभिप्रेत है कि नाम निर्देशन की जाँच का दिन आने से पूर्व शपथ या निष्ठापूर्वक पुष्टि का निष्पादन कर दिया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ऐसी जाँच के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने से पहले अभ्यर्थी द्वारा जाँच की तारीख को ऐसी शपथ या सत्यनिष्ठ पुष्टि नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने खादर खान हुसैन खान और अन्य बनाम एस. निजलिंगप्पा (1970) I एससीए 548 के मामले के बाद इस अभिमत की पुष्टि की है। अत: अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद और किसी भी मामले में, जाँच की तारीख से पूर्ववर्ती दिन तक तत्काल शपथ लें।

2.7.2. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से शपथ या पुष्टि की जानी है।

2.7.3. यह आवश्यक नहीं है कि शपथ या पुष्टि का निष्पादन एकाधिक बार किया जाना चाहिए चाहे कोई अभ्यर्थी साधारण निर्वाचन में एकाधिक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी नामित किया गया हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत के.के. खादर खान हुसैन खान और अन्य बनाम एस. निजलिंगप्पा (1970) I एससीए 548 के मामले में व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 173 (क) की भाषा से यह स्पष्ट है; कि निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी होने के लिए अर्हक होने हेतु संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ या पुष्टि अपेक्षित होती है। अनुच्छेद में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि शपथ या पुष्टि करना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी की वैधता के लिए प्रारंभिक है, और इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि एक बार अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद उस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित प्रतिबंध हट जाते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एकाधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ता/लड़ती है, उसके पास किसी एक स्थान पर शपथ लेने का संतोषजनक प्रमाण होना चाहिए ताकि जाँच के समय अनावश्यक आपत्तियों से बचा जा सके। यह प्रमाणित करने का दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का है कि उसने किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ या पुष्टि निष्पादित की है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पर्याप्त है यदि वह/या उसका प्रतिनिधि, जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसने पहले ही उस विशेष निर्वाचन के लिए एक अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ या पुष्टि निष्पादित की है और उस पर हस्ताक्षर किए थे।

2.7.4. अभ्यर्थी द्वारा शपथ या पुष्टि पहले प्राधिकृत व्यक्ति से पहले निष्पादित करनी चाहिए और फिर उस हस्ताक्षर करने चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस कागज पर हस्ताक्षर करना ही पर्याप्त नहीं है जिस प्रपत्र पर शपथ लिखी हुई है। अभ्यर्थी को अधिकृत व्यक्ति से समक्ष शपथ लेनी चाहिए। वह अभ्यर्थी को शपथ पढ़ने और फिर उस पर हस्ताक्षर करने और उस कागज पर तारीख लिखने के लिए कहेगा जिस पर यह

शपथ लिखी हुई है। यदि अभ्यर्थी निरक्षर है या प्रपत्र नहीं पढ़ सकता/ सकती, तो अधिकृत व्यक्ति को शपथ पढ़नी चाहिए और उनसे उसे दोहराने के लिए कहना चाहिए और उसके बाद प्रपत्र पर उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति को प्रपत्र का अनुसमर्थन करना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा उस दिन और समय पर शपथ या पुष्टि निष्पादित और हस्ताक्षरित की गई है।

2.7.5. अधिकृत व्यक्ति तत्काल अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र देगा, कि उसने उस दिन और उस समय को उसके समक्ष शपथ या पुष्टि निष्पादित और हस्ताक्षरित की है। यदि प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, अभ्यर्थी इसे मांग कर ले सकता/सकती है।

2.7.6. यदि अधिकृत व्यक्ति जेल या हिरासत शिविर का अधीक्षक या कमांडेंट है, तो वह तत्काल अभ्यर्थी को नाम निर्देशन की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए शपथ की प्रमाणित प्रति तत्काल जारी करेगा। जेल के अधीक्षक या हिरासत शिविर का कमांडेंट, रिटर्निंग अधिकारी को संचार के तत्काल माध्यम से तारीख और समय का उल्लेख करते हुए लिखित सूचना भेजेगा जब उस अभ्यर्थी ने शपथ या पुष्टि का निष्पादन और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। वह अभ्यर्थी द्वारा किए गए शपथ या पुष्टि के निष्पादन और हस्ताक्षर की मूल प्रति रिटर्निंग अधिकारी को भी भेजेगा।

2.7.7. यदि अधिकृत व्यक्ति किसी अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सक अथवा उस देश में भारत का राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि है, जहाँ एक अभ्यर्थी मौजूद है अथवा जिला न्यायाधीश या उस राज्य में जिला न्यायाधीश के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित कोई व्यक्ति या वेतनभोगी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडेडरी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का वेतनभोगी मजिस्ट्रेट या निर्वाचन आयोग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति है, जैसे ही अभ्यर्थी ने शपथ या पुष्टि निष्पादित और उस पर हस्ताक्षर किए है, उसे यह तथ्य प्रपत्र पर प्रमाणित करना चाहिए, एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी चाहिए और मूल प्रति अभ्यर्थी को सौंप देनी चाहिए। यह देखना अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि नाम निर्देशन पत्र की जाँच के लिए तय समय को या उससे पूर्व मूल शपथ अथवा पुष्टि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए।

2.7.8. शपथ या पुष्टि करने के लिए प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी या निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

2.7.9. एक अभ्यर्थी को अपने पास पर्याप्त प्रमाण रखने के प्रति सावधान रहना चाहिए जो वह जाँच के समय शपथ या पुष्टि निष्पादित या हस्ताक्षरित करने के बारे में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में हो: अन्यथा वह परेशानी में आ सकता/सकती है यदि कोई यह चुनौती देता है कि उसने अपेक्षित शपथ या पुष्टि निष्पादित या हस्ताक्षरित नहीं की है और इसीलिए वह अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए अर्हक नहीं है।

2.8. लोकसभा के निर्वाचन के लिए निरर्हताएं

यदि कोई अभ्यर्थी, निर्वाचन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए खड़ा होना चाहता है, तो उसके पास निम्नलिखित संवैधानिक और सांविधिक, निरर्हताएं नहीं होनी चाहिए:

2.8.1. संवैधानिक निरर्हताएं

1. पहला, एक अभ्यर्थी, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना/होनी चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 102 (I) (क)]। इस सामान्य नियम के लिए, कुछ अपवाद हैं। पहले अपवाद का उल्लेख अनुच्छेद 102 (2) में ही किया गया है, जिसके अनुसार किसी मंत्री का कार्यालय, चाहे केंद्रीय मंत्री का कार्यालय हो अथवा राज्य मंत्री का कार्यालय, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं माना जाता है। अन्य अपवादों का उल्लेख संसद (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) में किया गया है।

कृपया ध्यान दें: अभ्यर्थी की सुविधा के लिए, यह अधिनियम (1959 का 10) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित निर्वाचन विधि की नियमावली में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

2. दूसरे, एक अभ्यर्थी दिमागी तौर पर अस्वस्थ नहीं होना/होनी चाहिए और सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किया जाए [संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (ख)]।

3. तीसरे, अभ्यर्थी अघोषित दिवालिया नहीं होना चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (ग)]।

4. चौथे, अभ्यर्थी निर्हरक हो जाएगा यदि वह भारत का/की नागरिक नहीं है अथवा यदि उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त की है अथवा यदि उसने किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आत्मपालन को स्वीकार कर लिया है। सरल शब्दों में, अभ्यर्थी अजनबी (एलियन) अथवा विदेशी नहीं होना चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (घ)]।

5. अंत में, अभ्यर्थी, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अर्हक घोषित नहीं किया जाना चाहिए [संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (ङ)]।

2.8.2. सांविधिक अर्हरताएं

संसद द्वारा बनाया गया विधि, जैसा उल्लिखित संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) में परिकल्पित है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है। उपर्युक्त संवैधानिक निरर्हताओं के अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संसद सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए बहुत-सी निरर्हताएं निर्धारित की गई हैं। इन निरर्हताओं का उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8-क, धारा 9, धारा 9-क, धारा 10 और धारा 10-क

में किया गया है। अत: इन निरर्हताओं को, उल्लिखित संवैधानिक निरर्हताओं से अलग करने के लिए सांविधिक निरर्हताएं कहा जाए। कुल छह सांविधिक निरर्हताएं हैं।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में प्रथम सांविधिक निरर्हता निहित है। इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन, विधि के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी के तहत दंडनीय अपराध का/की दोषी व्यक्ति विशिष्ट अवधि के लिए निर्हरक होगा:

(क) भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171ङ (रिश्वत का अपराध) या धारा 171च (निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376क या धारा 376ख या धारा 376ग या धारा 376घ (बलात्संग से संबंधित अपराध), या धारा 498क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध) या धारा 505 की उपधारा (2) या उपदारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध); या

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) जो "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करता है; या

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1960 का 52) (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध); या

(घ) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिविरूद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध किसी विधिविरूद्ध संगम की निधियों के बरतने से संबंधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध); या

(ङ) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46); या

(च) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61); या

(छ) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध); या

(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1968 (1988 का 41) की धारा 7 (धारा 3 से 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध); या

(झ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का

अपराध) या धारा 135क (बूथों का बलात् ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क) (किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध); या

(ञ) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 (किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध); या

(ट) राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध); या

(ठ) सती (निवारण) अधिनियम का आयोग 1987 (1988 का 3); या

(ड) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49); या

(ढ) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15)।

(i) यदि दोषी व्यक्ति को केवल जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो निरर्हता ऐसी सजा की तारीख से छह साल की अवधि के लिए होगी;

(ii) यदि दोषी व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो निरर्हता, सजा सुनाए जाने की तारीख से शुरू होगी और वह उसकी रिहाई होने से छह वर्ष की अवधि तक निर्हरक रहेगा/रहेगी।

2. धारा 8 की उप-धारा के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को खाद्य अथवा ड्रग्स की जमाखारी अथवा मुनाफाखोरी अथवा मिलावट के निवारण के प्रावधान वाले किसी विधि अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया/गयी हो और कम से कम छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है, तो उसे दोषी घोषित किए जाने की तारीख से निर्हरक घोषित किया जाएगा और वह इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और कारावास से उसकी रिहाई होने से छह वर्ष की अवधि तक निर्हरक रहेगा/रहेगी।

3. भारत में न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपर्युक्त (1) और (2) के अतिरिक्त किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा प्राप्त व्यक्ति, उसे दोषी घोषित किए जाने की तारीख से निर्हरक घोषित किया जाएगा और वह इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और करावास से उसकी रिहाई होने से छह वर्ष की अवधि तक निर्हरक रहेगा/रहेगी। यह नोट किया जाए कि किसी व्यक्ति के सामान्य मुकदमे में एकाधिक अपराध में दोषी घोषित किए जाने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के प्रयोजनों के लिए एक के बाद दूसरे कारावास की सजा दिए जाने के मामले में, प्रत्येक अपराध के कारावास की सजा की अवधि को जोड़ा जाना चाहिए और यदि कुल समयावधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को ऐसी सजा सुनाए जाने के परिणाम स्वरूप कारावास में रहने के लिए आदेश दिया गया है और यह

अवधि दो वर्ष या अधिक है, दोषी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के तहत निर्हरक घोषित किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उक्त धारा के अधीन निरर्हता दोषी घोषित किए जाने की तारीख से शुरू होगी, चाहे दोषी घोषित किए जाने के विरूद्ध कोई अपील दायर की गई हो और चाहे अभ्यर्थी बनने का इच्छुक व्यक्ति जमानत पर हो अथवा नहीं।

4. दूसरी सांविधिक निरर्हता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8-क में निहित है। इसमें निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता प्रावधान है। निर्वाचन याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी अपील में निर्वाचन में भ्रष्ट व्यवहार के दोषी पाये गये व्यक्ति को निर्वाचन आयोग के अभिमत के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा यथानिर्धारित छह वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए निरर्हक घोषित किया जा सकता है।

5. तीसरी सांविधिक निरर्हता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 में निहित है। इसमें राज्य से भ्रष्टाचार या द्रोह के लिए बर्खास्तगी के लिए निर्हरक घोषित किए जाने का प्रावधान है। जिस व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पदधारक होने पर, भ्रष्टाचार या राज्य से द्रोह के लिए बर्खास्त कर दिया गया हो, वह ऐसी बर्खास्तगी की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए निरर्हक घोषित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय के लिए जारी किए गए प्रमाण-पत्र में, कि व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पदधारक होने पर, भ्रष्टाचार या राज्य से द्रोह के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है, इस तथ्य के निर्णायक प्रमाण का समावेश होगा। हालाँकि, निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय का कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना भ्रष्टाचार या राज्य से द्रोह के लिए बर्खास्त किया गया है।

6. चौथी सांविधिक निरर्हता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क में निहित है। इस धारा के तहत, कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य के रूप में चुने जाने अथवा बनने के लिए निर्हरक है, यदि और जब तक ऐसा है तो, भारत सरकार के साथ वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अथवा किसी कार्य के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा कोई अनुबंध किया गया हो। हालाँकि, यदि अभ्यर्थी ने सरकार को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अथवा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन के लिए व्यापार अथवा कार्य संचालन में भारत सरकार के साथ अनुबंध किया है और अनुबंध का अपना दायित्व पूरी तरह निष्पादित किया है, तो केवल इस तथ्य के कारण अनुबंध मौजूद माना जाएगा कि सरकार ने अनुबंध का अपना दायित्व पूरी तरह अथवा आंशिक तौर पर निष्पादित नहीं किया है।

7. पाँचवीं सांविधिक निरर्हता, किसी सरकारी कंपनी के अधीन पदधारण है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 में निहित है। व्यक्ति को संसद सदस्यता के

लिए निर्हरक घोषित किया जाता है, यदि और जब तक वह, किसी निगम या कंपनी का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव हो, जिसकी पूँजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से कम नहीं है। तथापि, सहकारी समिति, को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

8. अंतिम सांविधिक निरर्हता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में निहित है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा और उसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और तरीके से निर्वाचन व्यय का विवरण न देने के लिए निरर्हता है। यह आशा की जाती है कि यदि किसी पूर्ववर्ती अवसर पर अभ्यर्थी ने उस अवसर पर ऐसी निर्हरता का सामना न किया हो। यदि किसी अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा और उसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और तरीके से निर्वाचन व्यय का विवरण न देने के लिए निर्हरक घोषित किया गया है, तब अभ्यर्थी को निरर्हक घोषित करने के निर्वाचन आयोग आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि होने पर अभ्यर्थी यह देखे कि तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है या नहीं। ये सभी संवैधानिक एवं सांविधिक निरर्हताएं हैं जो अभ्यर्थी में नहीं होनी चाहिए यदि वह लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के तौर पर खड़ा होना चाहता/खड़ी होना चाहती है।

2.9. विधान सभा निर्वाचन के लिए निरर्हता

यदि कोई अभ्यर्थी किसी राज्य के विधान सभा (जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा) या किसी विधान सभा क्षेत्र से संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्वाचन में खड़ा होना चाहता है/खड़ी होना चाहती है, तो उसके पास निम्नलिखित निरर्हताएं, संवैधानिक और सांविधिक नहीं होनी चाहिए:

(क) किसी राज्य (जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के अलावा) की विधान सभा की सदस्यता के लिए संवैधानिक निरर्हताएं। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 में निहित हैं।

1. पहला, अभ्यर्थी को इसके धारक को अर्हक घोषित करने के लिए विधि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा घोषित कार्यालय से इतर भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। विभिन्न राज्य विधान सभाओं ने लाभ के विभिन्न कार्यालयों की घोषणा के लिए कानून बनाए हैं जिनसे ऐसा पदधारक राज्य के विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हक घोषित नहीं होगा।

2. दूसरे, अभ्यर्थी दिमागी तौर पर अस्वस्थ नहीं होना/होनी चाहिए और सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित नहीं किया गया हो।

3. तीसरे, अभ्यर्थी अघोषित दिवालिया नहीं होना चाहिए।

4. चौथे, अभ्यर्थी निर्हरक हो जाएगा यदि वह भारत का/की नागरिक नहीं है अथवा यदि उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त की है अथवा यदि उसने किसी

विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आत्मपालन को स्वीकार कर लिया है। सरल शब्दों में, अभ्यर्थी अजनबी (एलियन) अथवा विदेशी नहीं होना चाहिए।

5. अंत में, अभ्यर्थी, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अर्हक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र, पुडुचेरी की विधान सभा की सदस्यता के लिए संवैधानिक निरर्हता, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 में निहित है।

1. अभ्यर्थी को इसके धारक को अर्हक घोषित करने के लिए विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा घोषित कार्यालय से इतर भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। पुदुचैरी विधान सभा ने पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1994 पारित किया है। अभ्यर्थी को उस विधान सभा के निर्वाचन के लिए एक इस अधिनियम का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

2. अभ्यर्थी के पास संसद सदस्य चुने जाने या बनने के लिए निरर्हता नहीं होनी चाहिए जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के उप-खंड (ख), उप-खंड (ग), या उप-खंड (घ) के प्रावधानों में निर्धारित है। धारा 14 (1) (ख) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाया गया कोई कानून", यह मानना अधिक सुरक्षित प्रतीत होता है कि संसद (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1959 लागू होगा यदि कोई व्यक्ति संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना चाहता है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित निरर्हता संबंधी प्रासंगिक प्रावधान के अतिरिक्ति, जिसका संदर्भ अब संसद (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1959 में अनुच्छेद 102 के अनुसरण में किया गया है। इस मामले को देखते हए, अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र भरने से पूर्व सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या उसे लाभ के किसी पद से इस्तीफा देना चाहिए, जहाँ तक यह सरकार के अधीन लाभ का पद है यदि यह संसद (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ज) और खंड (झ) की निरोधक परिधि के भीतर आता हो। किसी भी मामले में, अभ्यर्थी के लिए इस मामले में अपने वकील से परामर्श करना अधिक सुरक्षित होगा ताकि निर्वाचन के बाद उसे चुनौती न दी जा सके।

(ग) किसी राज्य (जम्मू-कश्मीर के अलावा) या पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा की सदस्यता के लिए सांविधिक निरर्हता। किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा की सदस्यता के लिए सांविधिक निरर्हताएं इस भिन्नता के साथ कि किसी भी धारा जैसे धारा 9-क और धारा 10 में "उपयुक्त सरकार को" संदर्भ से किसी राज्य की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता के संबंध में उस राज्य सरकार अभिप्रेत है, वहीं हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8-क, धारा 9, धारा 9-क, धारा 10 और धारा 10-क में निहित है, और संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य के लिए निरर्हता

के संबंध में, इससे न केवल उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार होगी वरन केन्द्र सरकार भी होगी ताकि यदि अभ्यर्थी ने संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ किसी कार्य के क्रम में कोई अनुबंध किया है, उसे निर्हरक घोषित किया जाएगा और यदि उसने केन्द्र सरकार के पास ऐसा अनुबंध किया है, तब भी उसे निर्हरक घोषित किया जाएगा। यह स्थिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के संबंध में भी अच्छी रहेगी। यह अभिमत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में "राज्य सरकार" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 2 (1) (क) के द्वारा और और संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 55 के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पर भी लागू होता है। निर्वाचन जैसे गंभीर मामले में, आयोग अभ्यर्थी को जो परामर्श देता है, वह यह है कि उसे हमेशा सावधानीपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और जोखिम नहीं लेना चाहिए। किसी भी मामले में, अभ्यर्थी के लिए इस संबंध में अपने वकील से परामर्श करना बेहतर होगा।

2.10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हताएं

2.10.1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा का सदस्य चुने जाने और होने के लिए, किसी व्यक्ति, संसद अथवा किसी राज्य की विधान सभा अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा बनाए गए कानून द्वारा घोषित पद से इतर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन लाभ का पदधारक नहीं होना जिससे वह निरर्हक न हो जाए। हालाँकि, कोई व्यक्ति केवल इस वजह से लाभ का पदधारक नहीं माना जाएगा कि वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) और धारा 15(2) के अधीन केन्द्र अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में मंत्री है।

2.10.2. किसी भी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102(1), या उक्त अधिनियम की धारा 15(1)(ख) और धारा 40(3) के प्रावधानों के अधीन संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या बनने के लिए निरर्हक भी घोषित किया जाएगा।

2.10.3. दूसरे शब्दों में, संसद के लिए निर्वाचन की निरर्हताएं जिसकी चर्चा इस अध्याय में पहले की गई है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान सभा के निर्वाचन के लिए लागू होगी।

2.11. मतदान के लिए निरर्हता होने पर सदस्यता के लिए निरर्हताएं

2.11.1. इस संबंध में, अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11-क का उल्लेख ले सकते हैं। यह धारा दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरण से उत्पन्न होने वाले मतदान के लिए निरर्हताओं का प्रावधान करती है।

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 171ङ अथवा 171च के तहत अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 अथवा धारा 135 अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के

खण्ड (क) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होने पर व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में मतदान के लिए निरर्हक हो जाएगा। मतदान के लिए निरर्हता की यह अवधि दोषी घोषित किए जाने की तारीख से छह वर्ष की अवधि है।

2. किसी व्याक्ति के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 99 के अधीन आदेश द्वारा भ्रष्टाचार को दोषी पाए जाने पर, उसे उस अवधि के लिए मतदान का निरर्हक घोषित कर दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन में खड़ा होने के लिए निरर्हक होने के लिए धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित किया गया है।

3. यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्टाचार या अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मतदान के लिए निरर्हक घोषित होता है, तो वह निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए निरर्हक बन जाता है और उस व्यक्ति का नाम, जो यथा अपेक्षित पंजीकरण के बाद इस प्रकार निरर्हक हो जाता है, तत्काल निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाएगा। ये प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में निहित हैं। और निर्वाचन के लिए खड़े होने के लिए एक निरर्हता यह है कि अभ्यर्थी उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए (देखें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 और धारा 5)। लेकिन यदि उसे मतदान के लिए निर्हरक घोषित कर दिया जाता है, तो वह निर्वाचक नहीं हो सकता/सकती, वह संसदीय क्षेत्र या विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़े होने के लिए निर्हरक है। अर्हता और निरर्हता संबंधी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है और अभ्यर्थी को उल्लिखित प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए क्योंकि इस पुस्तिका का अध्ययन करने से उन्हें संविधान और विधि के प्रावधानों को समझने में मदद मिलेगी।

3. नाम निर्देशन और प्रतीकों का आवंटन

3.1. नाम निर्देशन

3.1.1. किसी अभ्यर्थी को यदि यह लगता है कि वह/उसके अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए और लोकसभा या विधानसभा, जैसा भी मामला हो, के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं रखता है, और इस हेतु किसी भी प्रकार की निरर्हता नहीं है और इसलिए, वह लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना चाहता है। वह एक उप निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकता है, जो किसी नई लोकसभा या एक नई विधानसभा के गठन के लिए आवश्यक है, या वह एक उप-निर्वाचन में एक अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकता है, जो किसी आकस्मिक रिक्ति को भी भरने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।

3.1.2. यद्यपि, उसे/उसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है:-

क. किसी राज्य के विधान सभा के लिए उप निर्वाचन के मामले में (चाहे वह सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ आयोजित न हो), राज्य में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से;

ख. दो या दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन के मामले में, जो दो से अधिक ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ आयोजित किए जाते हैं;

ग. दो या दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन के मामले में, जो दो से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ आयोजित किए जाते हैं;

घ. दो या दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक राज्य के विधान सभा के लिए उप निर्वाचन के मामले में, जो एक साथ दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से होते हैं।

व्याख्या: दो या दो से अधिक उप-निर्वाचन को एक साथ आयोजित किया जाएगा, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह के उप निर्वाचन की अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 149 या 150 के तहत एक ही तारीख को जारी की जाती है।

3.1.3. यदि कोई अभ्यर्थी इस निषेध का उल्लंघन करता है और एक ही वर्ग के दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है, तो

तीसरे, चौथे और उसके बाद के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्रों को 1951 के अधिनियम की धारा 33(7) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के क्रम में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।

3.1.4. लोक सभा के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक या एक से अधिक अधिसूचनाओं (सामान्य प्रतिमान में रिट नोटिफिकेशन के रूप में) और आम तौर पर किसी राज्य की विधानसभा के लिए उप निर्वाचन राज्य के राज्यपाल द्वारा एक उप निर्वाचन हेतु अधिसूचनाओं को जारी करने के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। सभी उप निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह की अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

3.1.5. जैसे ही अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, अर्थात उप निर्वाचन या उप निर्वाचन के लिए रिट जारी की जाती हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के तहत निर्वाचन हेतु समय-सारणी को निर्धारित किया जाता है। समय-सारणी तय करने वाली यह अधिसूचना उसी तारीख को जारी की जाती है जिस दिन उप निर्वाचन या उप निर्वाचन के लिए रिट जारी की जाती है। धारा 30 के तहत समय-सारणी तय करने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में लोकसभा के लिए किसी निर्वाचन के मामले में और राज्य के आधिकारिक राजपत्र में संबंधित राज्य की विधान सभा के लिए किसी निर्वाचन के मामले में प्रकाशित की जाती है। यह सूचना समय सारणी को निर्धारित करते हुए-

क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि को निर्धारित करती है, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद सातवें दिन होगी या निर्वाचन को आयोजित करने की तिथि होगी, या यदि सातवाँ दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है, तो उसके अगले दिन, जो कि सार्वजनिक अवकाश नहीं है; (इस प्रकार मान लीजिए कि निर्वाचन की अधिसूचना या रिट 1 मार्च को जारी की जाती है, तो नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च (यानी सातवें दिन) होगी, जो अधिसूचना के प्रकाशन के सातवें दिन या उसके बाद निर्वाचन के आयोजन के लिए रिट की तिथि होगी। लेकिन यदि 8 मार्च को सार्वजनिक अवकाश है, तो नाम निर्देशन करने की आखिरी तारीख 9 मार्च होगी। यदि 9 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश है, तो नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च होगी, यदि 10 मार्च को फिर से कोई सार्वजनिक अवकाश है, तो 11 मार्च और इसी तरह आगे);

ख) नाम निर्देशन की जाँच की तारीख, जो नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद का दिन होगा, या यदि वह दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है,

तो अगला आगामी दिन, जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है (इस प्रकार यदि नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च है, तो नाम निर्देशन की जाँच की तारीख 9 मार्च को इस धारणा पर होगी, कि 9 मार्च को कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है);

ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि, जो नाम निर्देशन की जाँच करने की तारीख के बाद का दूसरा दिन होगा, अथवा यदि वह दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला आगामी दिन जो कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है (इस तरह मान लें कि जाँच की तारीख 9 मार्च है, तो अभ्यर्थिता की वापसी की अंतिम तारीख 11 मार्च होगी, इस धारणा पर कि 11 मार्च को कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है); और

घ) वह तिथि, जिस दिन कोई निर्वाचन, यदि आवश्यक हो, आयोजित किया जा सकता है, जो अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता की वापसी की अंतिम तिथि के बाद चौदहवें दिन से पहले की तारीख नहीं होगी। इस प्रकार, यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 11 मार्च है, तो मतदान 25 मार्च से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थिता की वापसी की अंतिम तिथि के बाद मतदान की तारीख चौदहवें दिन से पहले नहीं हो सकती है। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान एक से अधिक दिन में भी लिया जा सकता है। ऐसे मामले में, उपरोक्त उदाहरण में मतदान की पहली तारीख 25 मार्च से पहले नहीं हो सकती है।

3.1.6 अभ्यर्थी को यह ध्यान देना चाहिए कि न तो नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि, न ही नाम निर्देशन की जाँच की तारीख, और न ही अभ्यर्थियों की वापसी की अंतिम तिथि, एक दिन हो सकती है, जो कि कोई सार्वजनिक अवकाश है। लेकिन यह प्रतिबंध मतदान की तारीख पर लागू नहीं है। सार्वजनिक अवकाश पर, मतदान के आयोजन के लिए कोई रोक नहीं है।

नोट: ऊपर उल्लिखित 'सार्वजनिक अवकाश' का अर्थ है कि सार्वजनिक अवकाश को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है न कि किसी अन्य अवकाश को।

3.1.7 निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने पर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के तहत निर्वाचन की समय-सारणी तय करना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, निर्वाचन की एक सार्वजनिक नोटिस जारी की जाती है। इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन को आमंत्रित करता है और उस स्थान को निर्दिष्ट करता है जिस पर नाम निर्देशन पत्र वितरित किया जाना है।

धारा 31 के तहत यह सार्वजनिक सूचना निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के प्ररूप 1 से जुड़ी है। आम तौर पर, प्ररूप-1 में सार्वजनिक सूचना रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाती है, और ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां इस नोटिस का व्यापक प्रचार करने के लिए वह आवश्यक समझता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां आदि के कार्यालय शामिल हैं।

3.2 नाम निर्देशन की अवधि

3.2.1 यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि केवल आठ दिन (जिस दिन अधिसूचना जारी की जाती है) **नाम निर्देशन** के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, बीच में आने वाली छुट्टियों पर नाम निर्देशन दाखिल नहीं किया जा सकता है।

3.3 नाम निर्देशन पत्र का प्रपत्र

3.3.1 नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। लोकसभा निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन प्रपत्र 2क में किया जाएगा, जो निर्वाचन संचालन नियम 1961 का परिशिष्ट होगा। राज्य विधानसभा के लिए किसी निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन दाखिल करने के लिए प्रासंगिक रूप प्रपत्र 2बी है (प्रपत्र 2क और 2ख को **परिशिष्ट 6 और 7** में पुन: प्रस्तुत किया गया है)। नाम निर्देशन पत्र की मुद्रित प्रतियाँ बहुत ही मामूली कीमत पर रिटर्निंग अधिकारी से खरीदी जा सकती हैं। यदि आधिकारिक रूप से मुद्रित प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं या प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो अभ्यर्थी निजी रूप से मुद्रित, टाइप-लिखित, साइक्लोस्टाइल्ड रूप का उपयोग कर सकता है; लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा उपयोग किया गया प्रपत्र, बिल्कुल उपयुक्त नवीनतम रूप से मेल खाता है, जैसा कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के **परिशिष्ट** में दिया गया है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन प्ररूप में हर प्रविष्टि को भरने के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

3.4 प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए

3.4.1 निर्वाचन खर्च के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए। निर्वाचन खर्च की निगरानी की सुविधा के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेष रूप से निर्वाचन खर्च के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होती है। यह खाता उस तारीख से कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा जिस दिन अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेगा। इस बैंक खाते की खाता संख्या अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में रिटर्निंग अधिकारी को उनके नाम निर्देशन दाखिल करने के समय बताई जाएगी। सभी निर्वाचन खर्च अभ्यर्थी द्वारा केवल इस बैंक खाते से किए जाएंगे। चुनावी खर्च के लिए खर्च किए जाने वाले सभी पैसे इस बैंक

खाते में जमा किए जाएंगे, भले ही अभ्यर्थी के खुद के फंड सहित किसी भी स्रोत से इसकी फंडिंग की जाती हो।

3.4.2 निर्वाचन खर्च के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम पर या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। अभ्यर्थी के किसी भी परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से बैंक खाता नहीं खोला जाना चाहिए, यदि वह अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है।

3.4.3 बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है । खाते सहकारी बैंकों एवं डाकघरों सहित, किसी भी बैंक में खोला जा सकता है । अभ्यर्थी के वर्तमान बैंक खाते का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निर्वाचन उद्देश्य के लिए एक बैंक खाता अलग से खोला जाना होता है ।

3.5 योग्यताएं और अयोग्यताएं

3.5.1 एक अभ्यर्थी के पास सभी अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए, और उसे किसी भी प्रकार की अयोग्यता का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें इस संबंध में पूर्व के अध्याय में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है।

3.6 नाम निर्देशन पत्र

3.6.1 एक अभ्यर्थी का नाम निर्देशन उपयुक्त रूपों में से एक होना चाहिए - प्रपत्र 2क (लोकसभा के लिए) और प्रपत्र 2ख (राज्य विधानसभा के लिए)। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नाम निर्देशन प्रपत्र को बहुत सावधानी से भरें, और स्पष्ट रूप से और कानूनी रूप से सभी विवरण देना नहीं भूलें। नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थियों को दो स्थानों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस संबंध में कोई चूक, नाम निर्देशन को अस्वीकार करने का कारण बन सकती है।

3.7 अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी अनुच्छेदों की जानकारी

3.7.1 अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र में यह घोषणा करनी चाहिए कि वह योग्य है, और निर्वाचन में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं है। अभ्यर्थी को संविधान के अनुच्छेद 102(1), और 191(1), और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग II के अध्याय III में उल्लिखित प्रत्येक खंड के संबंध में घोषणा करनी होगी।

3.8 शपथ पत्र दाखिल करना

3.8.1 नाम निर्देशन पत्र के साथ, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्ररूप 26 **(परिशिष्ट 8)** में एक हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है। शपथ पत्र को प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त के समक्ष किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित शपथकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, या शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर

नोटरी/शपथ आयुक्त/मजिस्ट्रेट की मुहर होनी चाहिए, जिनके समक्ष शपथ को निष्पादित किया गया है।

3.8.2 नाम निर्देशन पत्र के प्रपत्रों की आपूर्ति करते हुए, रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन प्ररूप के साथ प्ररूप 26 (**परिशिष्ट** 8) की एक प्रति जो निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का **परिशिष्ट** है, संलग्न करेगा। शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा या सिर्फ टिक/डैश मार्किंग द्वारा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि किसी कॉलम में पूछी गई जानकारी, अभ्यर्थी के लिए शून्य या लागू नहीं है, तो उसे उस कॉलम में 'शून्य' या 'लागू नहीं' लिखना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए गए हलफनामों में, अभ्यर्थियों को सभी कॉलम भरने होते हैं, और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, शपथ पत्र दाखिल करने के समय, रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँचना होगा कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए गए हलफनामे के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को सभी मामलों में एक नया हलफनामा पूरा करने के लिए नोटिस देगा। माननीय न्यायालय ने माना है कि यदि किसी मद के विरुद्ध कोई सूचना नहीं दी जानी है, तो उपयुक्त टिप्पणी जैसे कि 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'अज्ञात' जैसा भी लागू हो, भरा जा सकता है, और ऐसे कॉलम में तदनुसार इंगित किया जाएगा। उन्हें कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अनुस्मारक दिये जाने के बाद भी रिक्त स्थान को भरने में विफल रहता है, तो नाम निर्देशन पत्र की जाँच के समय नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

3.8.3 भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लॉग इन करके अभ्यर्थी ई-फाइलिंग की वैकल्पिक सुविधा (प्ररूप 26) का लाभ उठा सकता है। ऐसे मामले में, मुद्रित प्रति को उचित मूल्य के स्टांप पेपर पर प्रिंट किया जाना चाहिए, और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल करने के पूर्व किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से समक्ष शपथ लेनी होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नोटरी नाम निर्देशन हलफनामा को नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3.00 बजे तक नवीनतम तौर पर दर्ज की जानी चाहिए। ई-फाइलिंग भौतिक रूप में नोटरीकृत हलफनामा दाखिल करने की वैधानिक आवश्यकता के लिए एक विकल्प नहीं है। ई-फाइलिंग की यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में उपलब्ध है।

3.8.4 शपथ-पत्रों की प्रतिलिपियों को सुगम्य निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक स्थान के परिसरों में जनसाधारण के लिए प्रदर्शित किया जायेगा । सभी

प्रकरणों में, प्रतिलिपियों को रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, चाहे कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र की परिधि के बाहर ही क्यों न स्थित हो ।

3.8.5 **अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामों को वेबसाइट में अपलोड करना:** सभी अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामा, चाहे वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किया गया हो, वेबसाइट पर जल्द ही डाल दिया जाएगा, जो अभ्यर्थियों द्वारा इसे दाखिल किए जाने के बाद, और किसी भी दशा में 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, तो वेबसाइट पर पहले से अपलोड किए गए उसके हलफनामे को नहीं हटाया जाएगा।

3.8.6 प्ररूप 26 में किए गए संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (ग) 2015 की संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारतीय संघ और अन्य) और रिट याचिका (सिविल) 2011 की संख्या 536 (जनहित फाउंडेशन और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हैं।)

3.8.7 वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निदेश दिए हैं- (i) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्ररूप को भरेगा और प्ररूप में, उसमें यथा अपेक्षित सभी प्रकार के विवरण अवश्य अंतर्विष्ट होने चाहिए। (ii) इसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में, बड़े अक्षरों में विवरण दिया जाएगा। (iii) यदि अभ्यर्थी एक दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है तो उसके लिए अपेक्षित है कि वह अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचित करें। (iv) संबंधित राजनीतिक दल के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के संबंध में पूर्वोक्त सूचना अपनी वेबसाइट पर डालें। (v) अभ्यर्थी के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त के बारे में इलाके में व्यापक रूप से परिचालित समाचार-पत्रों में एक घोषणा जारी करेगा और साथ ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि उसे नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद कम-से-कम तीन बार किया जाएगा।

3.8.8 उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पालन करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, या तो लंबित मामले हैं या अतीत में सजा के मामले हैं, और ऐसे राजनीतिक दल, जिन्होंने ऐसे अभ्यर्थी खड़े किए:-

क) लोक सभा, राज्यों की परिषद, विधान सभा या विधान परिषद के निर्वाचन में अभ्यर्थी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं - या तो लंबित मामले या ऐसे मामले

जिनमें अभ्यर्थी को दोषी ठहराया गया है, ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार के लिए एक घोषणा प्रकाशित करेंगे। इस घोषणा को प्रारूप सी-1 एतद संलग्न अनुलग्नक (**अनुलग्नक 43**) में, जो अभ्यर्थी के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद, कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों पर, और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक प्रकाशित किया जाना है। इस मामले को कम से कम 12 के फॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाना चाहिए और समाचार पत्रों में उपयुक्त रूप से स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि व्यापक प्रचार के लिए निर्देशों का अनुपालन पूरे नियम से किया जाए।

ख) आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों पर टीवी चैनलों पर उपरोक्त घोषणा प्रकाशित करने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन, टीवी चैनलों में घोषणा के मामले में, इन्हें 48 घंटे की अवधि से पहले पूरा किया जाना चाहिए, जो मतदान के समापन के लिए तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होता है।

ग) ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मामले में, जिनके पास प्ररूप 26 के मद 5 और 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामले हैं, रिटर्निंग अधिकारी समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने के लिए, यहां के निर्देशों के बारे में व्यापक प्रचार के लिए एक लिखित अनुस्मारक देगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अनुस्मारक के लिए एक मानक प्रारूप प्रारूप सी-3 (**अनुलग्नक 43**) के रूप में संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी उन अखबारों की प्रतियां जमा करेंगे जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी को उनके निर्वाचन खर्च के खाते के साथ प्रकाशित की गई थी।

घ) राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में, चाहे मान्यता प्राप्त दल या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां, ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा करने की आवश्यकता होती है, कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल को उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दे दी है। इस तरह की घोषणा का प्रावधान प्ररूप-26 में हाल ही में सम्मिलित मद (6क) में किया गया है।

3.8.9 राजनीतिक दलों - मान्यता प्राप्त दलों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां, जो आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करती हैं, या तो लंबित मामले या पिछले सजा के मामले, उनकी वेबसाइट पर, संबंधित राज्य में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र और साथ ही टीवी चैनलों में इस संबंध में विवरण देने के लिए घोषणा प्रकाशित करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों द्वारा यह घोषणा प्ररूप सी-2 में प्रकाशित की जानी है, यह अनुलग्नक (**अनुबंध 43**) में दिया गया है। समाचार पत्रों

और टीवी चैनलों में घोषणा का प्रकाशन ऊपर पैरा-2 (ए) में उल्लिखित अवधि के दौरान कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों पर किया जाना आवश्यक है। टीवी चैनलों के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन के लिए मतदान के समापन के लिए तय किए गए घंटे के साथ, यह प्रकाशन 48 घंटे की अवधि से पहले पूरे हो जाने चाहिए। ऐसे सभी राजनीतिक दल संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें यह उल्लिखित होगा कि उन्होंने इन निर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा किया है, और संबन्धित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में पार्टी द्वारा प्रकाशित घोषणाओं को शामिल करते हुए, पेपर कटिंग को संलग्न किया है। यह निर्वाचन पूरा होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद, अगले 15 दिनों के भीतर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जो संबंधित पक्षों द्वारा अनुपालन की पुष्टि करेगा, और डिफॉल्टर यदि कोई हो, के मामलों को इंगित करेगा।

3.8.10 यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी आवासों के आवंटन के सापेक्ष देय राशि के संबंध में अतिरिक्त हलफनामे के प्रावधान को, यदि कोई हो, जो देनदारियों से संबंधित सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकार के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया हो, उन्हें अब मद-8 के तहत प्ररूप-26 में शामिल किया गया है। अतः, अभ्यर्थी प्ररूप-26 के मद (8) में इस संबंध में अपेक्षित घोषणा/विवरण देंगे।

3.8.11 निर्वाचन के बाद अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को और राजनीतिक दल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को घोषणा प्रकाशित करने के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। आयोग ने इस प्रयोजनार्थ फॉर्मेट सी-4 और सी-5 (अनुबंध 43) उपलब्ध कराए हैं। स्पष्टीकरण के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट अनुबंध 43 में भी उपलब्ध कराया गया है।

3.9 नाम-निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी का नाम

3.9.1 अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में अपना वह नाम देना चाहिए, जो कि मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। हालांकि, यदि वह मानता है कि उसका नाम गलत तरीके से लिखा गया है या फिर मतदाता सूची में गलत तरीके से दर्शाया गया है, तो उसे नाम निर्देशन पत्र में अपना सही नाम देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी मतदाता सूची में ऐसी गलती को नजरअंदाज करेगा। ऐसे मामले में अभ्यर्थी के लिए यह भी उचित होगा कि वह अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ मतदाता सूची में अपने नाम की गलती के बारे में उपरोक्त तथ्य बताते हुए रिटर्निंग अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करे।

3.10 तिथि, जिस पर नाम निर्देशन-पत्र यथोचित प्ररूप में दाखिल किये जाने चाहिए

3.10.1 नाम निर्देशन पत्र उपयुक्त प्ररूप में नाम निर्देशन की अधिसूचना की तिथि से या उसके पश्चात किसी भी दिन नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक होने चाहिए ।

कृपया ध्यान दें: लेकिन कोई नाम निर्देशन पत्र सार्वजनिक अवकाश होने की ऐसी किसी तिथि को दाखिल नहीं किया जा सकता है

3.11 नाम निर्देशन दाखिल करने का समय

3.11.1 उपर्युक्त किसी भी दिन नाम निर्देशन केवल 11 बजे और दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि पर नाम निर्देशन दाखिल करने के लिए काफी भीड़ हो सकती है। अतः उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोपहर 3 बजे से पहले वे कमरे/हॉल के अंदर हों, जहाँ नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने हैं, और हॉल को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उनके नाम निर्देशन दाखिल करने से संबंधित सभी औपचारिकताओं को विधिवत पूरा नहीं कर लिया जाता। रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिये गए हैं कि कमरे/हॉल का दरवाजा ठीक 3 बजे बंद कर दिया जाए। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कमरे/हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, या किसी भी कागजात को कमरे में लाने की अनुमति नहीं देगा।

3.12 किसके द्वारा एक नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है

3.12.1 नाम निर्देशन पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और किसी अन्य के द्वारा नहीं। जहां भी संभव हो, यह सलाह दी जाती है कि एक अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि कोई अप्रत्याशित अड़चन या कठिनाई उत्पन्न न हो और उसकी अभ्यर्थिता को कोई खतरा नहीं हो। अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक डाक से नाम निर्देशन पत्र नहीं भेज सकता है। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के निवास स्थान पर या प्ररूप-1 में निर्दिष्ट सूचना के स्थान पर नहीं दिया जा सकता है। यदि इसे किसी अन्य स्थान पर वितरित किया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.13 नाम-निर्देशन पत्र किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए

3.13.1 अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को या ऐसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाना चाहिए जो इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत हो। ऐसे अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिसे प्ररूप-1 में संलग्न कर निर्वाचन संचालन नियम 1961 धारा 31 के तहत जारी किया गया है।

3.14 नाम-निर्देशन पत्र को कहाँ सुपुर्द किया जाना चाहिए

3.14.1 नाम निर्देशन पत्र को प्ररूप-1 में निर्दिष्ट स्थान पर ही दिया जाना चाहिए, और किसी अन्य स्थान पर नहीं। नाम निर्देशन पत्र निर्दिष्ट अधिकारी के निवास स्थान पर या प्ररूप-1 में सूचना के स्थान के बाहर नहीं दिया जा सकता है। यदि इसे किसी अन्य स्थान पर वितरित किया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.15 नाम-निर्देशन के समय पर लोगों और वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध

3.15.1 नाम निर्देशन दाखिल करने के समय कुछ अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में वाहनों और लोगों की उपस्थिति, रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में, सामान्य कानून और व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंता पैदा कर रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, किसी अभ्यर्थी के काफिले में या उसके साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में आने की अनुमति दी गई है, वह अधिकतम तीन तक सीमित है। इसी प्रकार नाम निर्देशन दाखिल करने के समय जिन व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, उनकी संख्या को पाँच (अभ्यर्थी सहित) तक सीमित किया गया है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न करें।

3.15.2 पुलिस अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे नहीं हों, पर्याप्त सहायक कर्मियों के साथ, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे, बशर्ते दोनों रिटर्निंग अधिकारियों का मुख्यालय एक ही कार्यालय भवन में तैनात हो, वे अभ्यर्थियों के साथ वाहनों और व्यक्तियों की संख्या को प्रतिबंधित करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यदि रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय विभिन्न परिसरों में स्थित हैं, या यदि दो से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हैं, जिनका मुख्यालय किसी एकल कार्यालय भवन में है, तो पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

3.16 किसके द्वारा नाम-निर्देशन पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए

3.16.1 नाम निर्देशन पत्र में प्रस्तावक(कों) के हस्ताक्षर के साथ-साथ अभ्यर्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावक(कों) और अभ्यर्थी के अपने हस्ताक्षर उचित स्थानों पर होने चाहिए, जहां ऐसे हस्ताक्षर के लिए नाम निर्देशन पत्र के स्थान निर्दिष्ट किया गया है। अभ्यर्थी को सावधान रहना चाहिए कि प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के लिए बताए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर न करें, या अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के लिए संकेतित स्थान में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर न किए जाएँ। नाम निर्देशन पत्र एक बहुत

ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसे यथासंभव सटीक रूप से भरने के लिए अत्यधिक सावधानी वरती जानी चाहिए। कोई एक प्रस्तावक एक ही अभ्यर्थी के, या विभिन्न अभ्यर्थियों के एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है।

3.17 प्रस्तावकों की संख्या

3.17.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत, लोक सभा या राज्य विधान सभा के निर्वाचन में एक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के लिए निम्नलिखित औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है-

i. निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक, प्रस्तावक के रूप में, यदि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी या राज्य में किसी मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, या राज्यों में इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है (प्ररूप 2क और 2ख का भाग-I देखें);

ii. निर्वाचन क्षेत्र के दस (10) प्रस्तावक, प्रस्तावकों के रूप में, यदि अभ्यर्थी एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, या यदि वह एक निर्दलीय अभ्यर्थी है (प्ररूप 2क और 2ख का भाग-II देखें);

3.17.2 यदि किसी राज्य की पार्टी को किसी एक राज्य में मान्यता प्राप्त है, और वह दूसरे राज्य में अपना अभ्यर्थी खड़ा कर रहा है, जिसमें उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे किसी अन्य राज्य में पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नाम निर्देशन को भी उस निर्वाचन क्षेत्र के दस (10) उनके प्रस्तावकों के रूप में समर्थन आवश्यक होगा।

3.18 प्रस्तावक को संबन्धित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए

3.18.1 यह पहले ही बताया जा चुका है कि किसी अभ्यर्थी का नाम देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में होना चाहिए, यदि वह लोकसभा के लिए निर्वाचन का अभ्यर्थी है। उन्हें उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना अनिवार्य नहीं है जिससे वह निर्वाचन लड़ रहे हैं। इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन लड़ता है, तो उसे राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए, और यह आवश्यक नहीं है कि वह उस विधानसभा क्षेत्र के लिए ही निर्वाचक हो, जिससे वह निर्वाचन लड़ना चाहता है (यह सामान्य नियम, हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4, 5 और 5(क) में उल्लिखित कुछ छूट के अधीन है, जैसे कि असम राज्य के स्वायत्त जिलों में आरक्षित कुछ सीटों, सिक्किम, और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में कुछ क्षेत्रों के मामले में। इन प्रावधानों को पिछले अध्याय में पूर्व में समझाया जा चुका है। ऐसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उन अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करता है)। लेकिन

अभ्यर्थी के प्रस्तावक(कों) के मामले में ऐसा नहीं है। प्रस्तावक(कों) को उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए, जहां से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है। सुनिश्चित करें कि प्रस्तावक(कों) का नाम निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत है, जहां से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है।

3.18.2 इसलिए, अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र के फोटो मतदाता सूची के माध्यम से अच्छी तरह से जाँचने की सलाह दी जाती है, जिसमें वह निर्वाचन लड़ने का इरादा रखता है, उसे उन निर्वाचकों के विवरणों की जाँच अच्छी तरह करनी चाहिए, जो उसका प्रस्तावक (कों) हो सकते है, कि वे सूची में हों और फोटो मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं की तस्वीर का कोई गलत मिलान नहीं है।

3.19 अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए यदि वह अथवा उसके प्रस्तावक, दोनों ही अपने नाम हस्ताक्षर करने में असमर्थ होते हों

3.19.1 निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के कानून [नियम 2(2)] के तहत, यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो उसे या उसके प्रस्तावक को नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करना तब माना जाएगा, यदि वह या उसके प्रस्तावक ने रिटर्निंग अधिकारी, या सहायक रिटर्निंग अधिकारी, या ऐसे अन्य अधिकारी की उपस्थिति में नाम निर्देशन पत्र पर कोई चिह्न या अंगूठे का निशान लगा दिया है, जो निर्वाचन आयोग, और रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, और प्रस्तावक या अभ्यर्थी की पहचान के रूप में संतुष्ट होने पर अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी ने, ऐसे अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के रूप में चिह्न/अंगूठे के निशान की पुष्टि की है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में चिह्न/अंगूठे के निशान लगाए जाने चाहिए, और उन्हें वहीं सत्यापित किया जाना चाहिए।

3.20 नाम-निर्देशन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ

3.20.1 प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पर सहमति देते समय, अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र में स्वयं एक घोषणा करना आवश्यक है ।

क. सबसे पहले, जैसे कि यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए, अभ्यर्थी की उम्र पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसी अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में अपनी सही उम्र देनी चाहिए। यदि किसी भी अभ्यर्थी को पता चलता है कि मतदाता सूची में उसकी उम्र का सही उल्लेख नहीं है, तो उसे नाम निर्देशन पत्र में केवल अपनी वर्तमान आयु देनी चाहिए, न कि गलत उम्र जो मतदाता सूची में दर्शाई गई हो;

कृपया ध्यान दें: यदि अभ्यर्थी की आयु कानूनी न्यूनतम निर्धारित आयु के करीब है, या यह कहा जाए कि यदि वह सिर्फ पच्चीस वर्ष का है, या उससे थोड़ा अधिक है और इस बात की आशंका है कि प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थी द्वारा उसकी उम्र के बारे में आपत्ति उठाई जा सकती है, तो उसकी उम्र के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण के साक्ष्य संलग्न करने चाहिए।

ख. दूसरे, अभ्यर्थी के राजनीतिक दल के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल से खड़ा हो रहा है;

कृपया ध्यान दें: परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होता है तो उसकी घोषणा कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं की जा सकेगी ।

ग. तीसरे, प्राथमिकता के क्रम में तीन प्रतीकों के चयन का है।

घ. चौथा, यह कि उसका नाम और उसके पिता/माता/पति के नाम की सही वर्तनी दर्शाई गई है, जैसा कि नाम निर्देशन पत्र में दिया गया है;

ङ. पाँचवां, इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अभ्यर्थी शैक्षिक रूप से योग्य है और उस सीट को भरने हेतु चुने जाने के लिए उसे निरर्हक ठहराया गया है जिसके लिए वह निर्वाचन में भाग ले रहा/रही है, और

च. छठा, यह कि अभ्यर्थी को वर्तमान उप निर्वाचन/उप-चुनावों में एक अभ्यर्थी के रूप में नामित नहीं किया गया है और न ही किसी राज्य की लोक सभा या विधान सभा में एक साथ, दो से अधिक संसद/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामनिर्देशित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

3.20.2 उपरोक्त वर्णित मामलों के संबंध में घोषणा के अलावा, किसी अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में एक और घोषणा करनी है, कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में खड़ा है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो उसे अपने नाम निर्देशन पत्र में इसकी घोषणा करनी चाहिए, भले ही वह एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ता हो, क्योंकि उस सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी वह सुरक्षा जमा की रियायती राशि का हकदार होगा। घोषणा को सही ढंग से करने में बहुत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी इस बात के प्रमाण के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रमाण पत्र/उपयुक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि के प्रस्तुत कर सकता है कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रमाण की मांग कर सकता है।

3.21 अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए यदि वह किसी सरकारी पद के तहत बर्खास्त होने के 5 वर्ष के भीतर निर्वाचन लड़ रहा हो

3.21.1 यदि कोई अभ्यर्थी, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर आसीन रहा है, और उसे पदच्युत कर दिया गया है और अयोग्यता की अवधि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 में निर्दिष्ट अनुसार पाँच वर्ष की हो, और उसकी बर्खास्तगी अवधि समाप्त नहीं हुई है, तब ऐसे मामले में तब तक उसे अभ्यर्थी के रूप में विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि वह निर्वाचन आयोग को उसके नाम निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करता कि वह भ्रष्टाचार अथवा राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है।

3.22 अभ्यर्थी के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने की दशा में निर्वाचन नामावली की प्रति प्रस्तुत करना

3.22.1 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में निर्वाचक के रूप में दर्ज किया गया है, जो उसके निर्वाचन क्षेत्र से अलग है जहां से वह एक अभ्यर्थी के रूप में खड़ा है, तो उसे अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ या तो पूर्व के संपूर्ण मतदाता सूची की एक प्रति दाखिल करनी होगी अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र या उस मतदाता सूची के प्रासंगिक भाग की एक प्रति (प्रासंगिक भाग का अर्थ मतदाता सूची का भाग है जिसमें उसका नाम दिखाई देता है), अथवा ऐसे रोल में जिसमें उसके नाम से संबंधित प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति हो। यदि किसी भी कारण से नाम निर्देशन पत्र के साथ इनमें से कोई भी दस्तावेज दाखिल करना संभव नहीं है, तो अभ्यर्थी को नाम निर्देशन की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा; अन्यथा उसका नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।

3.23 किसी अभ्यर्थी द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक अभ्यर्थी के रूप में खड़े होन के लिए कितने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं?

3.23.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उप-धारा (6) के तहत, अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा या किसी भी अभ्यर्थी की ओर से एक ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। ये नाम निर्देशन पत्र एक साथ या अलग से दाखिल किए जा सकते हैं।

3.24 राशि जमा करना

3.24.1 कानून के लिए यह अनिवार्य है कि निर्वाचन में अभ्यर्थी, निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करे। निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करने में विफलता उसके नाम निर्देशन को अमान्य

कर देगी। यदि वह किसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना चाहता है, तो उसके द्वारा जमा की जाने वाली निर्धारित सुरक्षा राशि पच्चीस हजार रुपये (25000 रुपये) है। लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को इसमें रियायत दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, और वह संसदीय क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना चाहता है, तो उसे बारह हजार पाँच सौ रुपये (12500 रुपये) जमा करने होंगे; यदि वह किसी विधानसभा क्षेत्र से अभ्यर्थी है, तो उसे दस हजार रुपये (10000 रुपये) जमा करने होंगे, और यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो उसे पाँच हजार रुपये (5000 रुपये) जमा करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को केवल कम राशि जमा करने की आवश्यकता है, भले ही वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के लिए निर्वाचन लड़ता हो, अर्थात एक सामान्य सीट से।

3.24.2 यह पहले ही बताया जा चुका है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कोई अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन ऐसे मामले में उसे चार अलग-अलग सुरक्षा राशि जमा नहीं करने होंगे। यह पर्याप्त होगा यदि वह पहले नाम निर्देशन पत्र के संबंध में केवल एक सुरक्षा राशि जमा करता है। अन्य नाम निर्देशन पत्रों के मामले में, कोई राशि जमा करना आवश्यक नहीं है। अभ्यर्थी को केवल पहले नाम निर्देशन पत्र के साथ मूल ट्रेजरी रसीद या चालान संलग्न करना है जिसे वह जमा करता है। जमा करने के लिए मूल रसीद या चालान की एक छाया प्रति, प्रत्येक बाद के नाम निर्देशन पत्र में संलग्न की जा सकती है, जो उसके द्वारा दाखिल की जा सकती है। हमेशा चालान की ट्रेजरी रसीद की आधिकारिक डुप्लिकेट प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, जो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी खजाने से उसके भविष्य के संदर्भ और उपयोग के लिए प्राप्त होता है।

3.24.3 अभ्यर्थी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा राशि को जमा दो तरीकों से जमा किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय या तो राशि रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद में जमा की जा सकती है, या वह भारतीय रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में राशि जमा कर सकता है। ऐसा करने से पहले उसे रिटर्निंग अधिकारी के पास अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना होगा और जैसा कि पहले ही बताया गया है, ट्रेजरी रसीद या चालान नाम निर्देशन पत्र में संलग्न करें जो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक से या सरकार के खजाने से डुप्लिकेट में प्राप्त होगा। यदि अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद राशि जमा नहीं करते हैं, या यदि वह अपने नाम निर्देशन

पत्र को ट्रेजरी रसीद या चालान के साथ संलग्न नहीं करते हैं, तो उनका नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।

3.24.4 संसद के निर्वाचन के लिए सुरक्षा जमा राशि को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन जमा किया जाना चाहिए: "8443-सिविल डिपॉजिट-121 चुनावों के संबंध में जमा- संसद के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किए गए डिपॉजिट"। राज्य विधानसभाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किए गए सुरक्षा जमाओं के लिए जमा राशि को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन जमा किया जाना चाहिए: "8443-सिविल डिपॉजिट्स-121-डिपॉजिट्स के संबंध में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए किए गए डिपॉजिट्स"।

3.25 निर्वाचन प्रतीक

3.25.1 नाम निर्देशन पत्र को देखने पर, ऐसा अभ्यर्थी जिसे किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, वह यह पाएगा कि उसे एक निर्दिष्ट सूची में से वरीयता के क्रम में, तीन प्रतीकों का चयन करना है। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में निर्वाचन आयोग को भारत के राजपत्र और प्रत्येक राज्य के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन निर्वाचन चिह्नों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है जो अभ्यर्थियों द्वारा चुने जा सकते हैं, संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में, और उन पर अभ्यर्थी की पसंद प्रतिबंधित होगी।

3.25.2 इन नियमों में यह भी आवश्यक होगा कि यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं, तो पहले नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों के रूप में उसके द्वारा घोषित किया गया है, और प्रतीकों के रूप में कोई अन्य घोषणा, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतीकों के आवंटन के समय ध्यान में रखा जाएगा, भले ही नाम निर्देशन पत्र जो पहले दायर किया गया हो, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, भले ही उनका पहला नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया गया हो, लेकिन उनके दूसरे या तीसरे या चौथे नाम निर्देशन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मान्य माना जाता है, तब भी उनके द्वारा अपने पहले नाम निर्देशन पत्र में बनाए गए प्रतीकों की पसंद पर प्रतीकों के आवंटन के समय ध्यान दिया जाएगा।

3.25.3 इन नियमों के लिए यह भी आवश्यक है कि अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त हो जाने के बाद, और जहां एक से अधिक अभ्यर्थी मैदान में हों, जिनका नाम निर्देशन वैध पाया गया है, तो वापसी के समय की समाप्ति के तुरंत बाद रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के अधीन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और चिह्न आबंटन की तैयारी करेगा, और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक अलग प्रतीक, जहाँ तक संभव हो,

उनकी पसंद के साथ, जैसा कि उनके द्वारा पहले नाम निर्देशन पत्र में दिखाया गया था।

3.25.4 इन नियमों के अनुपालन में, निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त, 1968 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में और राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए संबंधित और जुड़े मामलों के लिए चुनावों के लिए विनिर्देश, आरक्षण, विकल्प और निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने के आदेश जारी किए। इस आदेश को निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 कहा जाता है।

3.25.5 यह आदेश राष्ट्रीय और राज्य दलों के रूप में पार्टियों की मान्यता के लिए भी प्रावधान करता है। इस आदेश के पैरा 17 के तहत, आयोग नियमित अंतराल पर, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के नाम, उनके लिए क्रमशः चिह्नित प्रतीकों की सूची, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों की सूची और मुक्त प्रतीकों की सूची को सूचित करता है। कोई भी अभ्यर्थी इन सूचियों के बाहर किसी प्रतीक का चयन नहीं कर सकता है। यहां तक कि यदि वह ऐसा करता है, तो इस तरह के विकल्प को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

3.26 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का विकल्प

3.26.1 किसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा प्रायोजित किसी अभ्यर्थी के मामले में उसे केवल उस पार्टी के लिए विशेष रूप से आरक्षित प्रतीक को आवंटित किया जाएगा और कोई अन्य प्रतीक नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि प्ररूप-ए और बी आदि दाखिल करने की आवश्यकता का विधिवत पालन किया गया हो। इसे देखते हुए, ऐसे अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र में वरीयता के क्रम में तीन प्रतीकों को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह घोषणा करनी चाहिए कि वह पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है और संबंधित नाम निर्देशन पत्र के संबंधित भाग में इसका उल्लेख किया गया है।

3.26.2 अन्य अभ्यर्थी, आयोग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता के क्रम में तीन प्रतीकों का चयन करेंगे, और नाम निर्देशन पत्र में भी इस तरह की वरीयता को इंगित करेंगे।

3.27 अभ्यर्थियों को प्रतीकों का आवंटन

3.27.1 प्रचलित कानून के अनुसार, प्रत्येक निर्वाचन में आयोग के प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को एक प्रतीक चिह्न आवंटित किया जाएगा। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अलग-अलग निर्वाचन चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

3.27.2 ऊपर से संदर्भित प्रतीक आदेश से, अभ्यर्थी को यह पता चलेगा कि:

(क) प्रतीकों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात्

(i) आरक्षित प्रतीक, और

(ii) मुक्त प्रतीक।

(ख) "आरक्षित प्रतीक" का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त (राष्ट्रीय या राज्य) पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक, और एक "मुक्त प्रतीक" का मतलब आरक्षित प्रतीक के अलावा किसी अन्य प्रतीक से है।

(ग) मुक्त प्रतीक और आरक्षित प्रतीक अलग अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं।

(घ) राजनीतिक दलों की तीन श्रेणियां हैं, (i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल (जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त हैं) (ii) मान्यता प्राप्त राज्य दल (जो केवल निर्दिष्ट राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त हैं) (iii) पंजीकृत - गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां। नोट: निर्वाचन आयोग समय-समय पर एक समेकित अधिसूचना जारी करता है, जिसमें यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों की सूची और उनके लिए आरक्षित प्रतीकों को निर्दिष्ट करता है, साथ ही यह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों की सूची और प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची को भी अधिसूचित करता है। अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में सूचीबद्ध नाम के अनुसार राजनीतिक दल के सही नाम का उल्लेख करना चाहिए। इसी तरह प्रतीक के नाम का भी सही उल्लेख होना चाहिए। उक्त अधिसूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

(ङ) किसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी (जिस राज्य में यह मान्यता प्राप्त है) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी, अपने नाम निर्देशन पत्र में इसका चयन करेगा जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा, और केवल उस पार्टी का आरक्षित प्रतीक का उपयोग करेगा और कोई अन्य प्रतीक का नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर वह किसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, तो अपने नाम निर्देशन पत्र में, वह केवल उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक चुन सकता है, और कोई अन्य प्रतीक नहीं।

(च) एक आरक्षित प्रतीक केवल पार्टी द्वारा निर्धारित अभ्यर्थी को आवंटित किया जा सकता है, जिस पार्टी के लिए वह प्रतीक आरक्षित है। इस तरह के प्रतीकों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित नहीं किया जा सकता है, भले ही संबंधित पार्टी ने उस निर्वाचन क्षेत्र में अपना कोई अभ्यर्थी खड़ा नहीं किया हो।

(छ) यदि कोई राजनीतिक पार्टी, जिसे किसी राज्य या राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसी अन्य राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में किसी

निर्वाचन क्षेत्र में कोई अभ्यर्थी खड़ा करती है, जहां वह मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्य सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए, राज्य या राज्यों में उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जाए, जिसमें यह एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, इस बात के बावजूद कि इस तरह के प्रतीक ऐसे अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में निर्दिष्ट नहीं हैं, जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर आधारित होगा, नामतः -

(क) कि निर्वाचन के लिए अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बाद तीन दिन के भीतर, उसके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को उस प्रतीक के अनन्य आवंटन के लिए उक्त पार्टी द्वारा आयोग को एक आवेदन किया जाता है;

(ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में यह घोषणा की है, कि वह निर्वाचन में उस पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, और पार्टी ने ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आवंटन आदेश), 1968 के पैरा 13 में उल्लिखित अनुच्छेद (ख), (ग), (घ) और (ङ) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है; और

(ग) कि आयोग की राय में इस तरह के आवंटन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है;

बशर्ते कि उपर्युक्त कुछ भी राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी राज्य के निर्वाचन में उस पार्टी के लिए निर्धारित अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा, जिसमें वह पार्टी राज्य पार्टी नहीं है और जहां यह प्रतीक पहले से ही उस राज्य में किसी अन्य राज्य पार्टी के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

(ज) जहां एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ निर्वाचन होते हैं, जो ऐसे संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं, तब- (i) यदि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में किसी अन्य राज्य में किसी राज्य पार्टी द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थी को पैराग्राफ (छ) के तहत एक प्रतीक विशेष रूप से आवंटित किया गया है, तो वह चिन्ह किसी भी निर्वाचन में किसी भी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभ्यर्थी उस विशेष राजनीतिक दल द्वारा उस उक्त घटक विधानसभा क्षेत्र में खड़ा नहीं किया जाता है; और (ii) यदि उक्त घटक विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी निर्वाचन में उक्त पार्टी द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थी को पैरा (छ) के तहत एक प्रतीक विशेष रूप से आवंटित किया गया है, तो उस निर्वाचन में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य अभ्यर्थी को यह चिह्न आवंटित नहीं किया

जाएगा, जब तक कि ऐसा अभ्यर्थी उस विशेष राजनीतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया जाता हो।

(झ) भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय, खुद को एक राजनीतिक दल कहता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा रखता है, इस तरह की जानकारी प्रस्तुत करके राजनीतिक दल के रूप में इसे पंजीकरण करने के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन कर सकता है। इस हेतु उक्त अधिनियम की धारा 29ए के तहत यह आवश्यक है, और पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, आयोग द्वारा इसे जारी किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के तहत पंजीकृत पार्टी को निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रयोजनों के लिए एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी माना जाएगा। इस तरह की पंजीकृत पार्टी तब एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी हो सकती है जो उप निर्वाचन में इसके प्रदर्शन के आधार पर राज्य पार्टी या एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी मानी जाएगी।

(ञ) एक राष्ट्रीय या राज्य पार्टी, अर्थात् पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और स्वतंत्र अभ्यर्थियों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, अपने नाम निर्देशन पत्रों में केवल उस राज्य के सापेक्ष दिखाए गए मुक्त प्रतीकों में से एक निर्वाचन चिह्न का निर्वाचन कर सकते हैं, जहां से वे निर्वाचन लड़ रहे हैं, और कोई अन्य प्रतीक में से नहीं। जहां किसी भी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी एक निर्वाचन चिह्न को चुना गया है, रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी को वह चिह्न आवंटित करेगा, और किसी अन्य को नहीं।

(ट) जहां एक ही निर्वाचन में मुक्त प्रतीक को कई अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया हो, तो-

(क) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से, केवल एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी है, और बाकी सभी स्वतंत्र अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी उस गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थी को मुक्त प्रतीक आवंटित करेगा, किसी अन्य को नहीं; और, यदि उन कई अभ्यर्थियों में, दो या अधिक अलग-अलग गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए जाते हैं, और बाकी स्वतंत्र अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉट द्वारा यह तय करेगा कि अलग-अलग गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए दो या अधिक

अभ्यर्थियों में से कौन-से हैं जिन्हें मुक्त प्रतीक आवंटित किया जाएगा, और वह उस मुक्त प्रतीक को उस अभ्यर्थी को आवंटित करेगा जिस पर लॉट निकलती है, किसी अन्य को नहीं;

बशर्ते कि इस तरह के अलग-अलग गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए दो या अधिक अभ्यर्थियों में से केवल एक को ही, या ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले, जो लोकसभा का एक सदस्य रहा हो, या जैसा भी मामला हो, या विधान सभा का सदस्य रहा हो (इस तथ्य के बावजूद, कि क्या उन्हें उस मुक्त प्रतीक, या पिछले निर्वाचन में किसी अन्य प्रतीक को आवंटित किया गया था, जब उन्हें इस ऐसे सदस्य के रूप में चुना गया था), रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी को वही मुक्त प्रतीक आवंटित करेगा, और किसी अन्य को नहीं;

(ख) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से कोई भी किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, और सभी स्वतंत्र अभ्यर्थी हैं, लेकिन स्वतंत्र अभ्यर्थियों में से एक लोकसभा का सदस्य रहा हो, या जैसा भी मामला हो, या विधान सभा का सदस्य रहा हो, और उस स्वतंत्र अभ्यर्थी को वह मुक्त प्रतीक पिछले निर्वाचन में आवंटित किया गया था, और उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुना गया था, रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी को वही मुक्त प्रतीक आवंटित करेगा, और किसी अन्य को नहीं; और

(ग) यदि उन सभी अभ्यर्थियों में से, सभी स्वतंत्र अभ्यर्थी हैं, और इनमें से कोई भी वर्तमान सदस्य नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉट द्वारा यह तय करेगा कि स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़े अभ्यर्थियों में किसे कौन सा मुक्त प्रतीक आवंटित किया जाएगा, और वह उस मुक्त प्रतीक को उन स्वतंत्र अभ्यर्थियों को आवंटित करेगा जिन पर जिस चिन्ह की लॉट निकलती है, किसी अन्य को नहीं।

3.27.3 आयोग, प्रतीक आदेश के पैरा 10क के तहत इसके लिए किए गए एक आवेदन के आधार पर, किसी राजनीतिक पार्टी को किसी पूर्व आवंटित निर्वाचन चिन्ह के उपयोग हेतु अनुमति दे सकता है, जो वर्तमान में गैर-मान्यता प्राप्त है, लेकिन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से छह वर्ष पूर्व किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी थी, और जो किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी खड़ा करती है, चाहे उस पार्टी को पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता दी गई थी या नहीं, उसके लिए पूर्व में आरक्षित उस प्रतीक का उपयोग वह पार्टी वहाँ कर सकेगी, जब वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी थी।

3.27.4 किसी पार्टी द्वारा किसी अन्य राज्य में किसी राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त, या एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी थी, जिसे छह वर्ष पूर्व मान्यता प्राप्त नहीं थी, को उस राज्य के राज्य पार्टी का वह आरक्षित चिह्न आवंटित किया जा सकता है, जो इसे एक मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में आरक्षित प्रतीक प्रदान किया गया था, केवल और केवल उस परिस्थिति में, जब आयोग ने अनुच्छेद 10 या 10क के तहत इस हेतु एक विशेष निर्देश जारी किया हो।

3.27.5 प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 10ख के तहत, एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी लोकसभा या विधान सभा के लिए एक उप निर्वाचन में, मुक्त प्रतीकों की सूची से एक सामान्य प्रतीक के आवंटन के लिए आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किसी राज्य में पैरा 10ख के तहत सामान्य प्रतीक की पाने के लिए, किसी पार्टी को उस राज्य में विधान सभा के उप निर्वाचन के मामले में कम से कम 5% सीटों से निर्वाचन लड़ना चाहिए। लोकसभा उप निर्वाचन में, किसी राज्य में समान निर्वाचन चिन्ह चाहने वाली पार्टी को उस राज्य में कम से कम 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ना चाहिए। यदि पैरा 10ख की आवश्यकताओं के अनुसार आयोग को आवेदन किया जाता है, तो आयोग ऐसे दलों के अभ्यर्थियों को सामान्य प्रतीक आवंटित करने के लिए निर्देश जारी करेगा। ऐसे मामलों में, इस तरह की पार्टियों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशों में निर्दिष्ट प्रतीक आवंटित किए जाएंगे, जिनका उल्लेख दिशानिर्देशों में किया गया है। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतीक चिह्न, 1968 के पैरा 12 के प्रावधानों के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित करने के लिए ऐसे प्रतीक खुले रहेंगे। यहां तक कि उन मामलों में, जिनमें एक पंजीकृत पार्टी को पैरा 10ख के तहत कोई विशेष प्रतीक आवंटित किया गया है, लेकिन पार्टी ने अभ्यर्थी नहीं खड़ा किया है, या पार्टी के अभ्यर्थी के नाम निर्देशन को खारिज कर दिया जाता है, तो संबंधित प्रतीक को अन्य अभ्यर्थियों को भी आवंटित किया जा सकता है, जिन्होंने उक्त प्रतीक की मांग की है।

3.27.6 अन्य अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा खड़े नहीं किए गए हैं, वे अपने नाम निर्देशन पत्रों में प्रतीकों का निर्वाचन उसी मुक्त प्रतीक चिन्हों की सूची में से कर सकते हैं, किसी अन्य प्रतीक में से नहीं, सिवाय उस मामले में जहां पार्टी के अभ्यर्थियों को प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 10 या 10क के तहत रियायत की अनुमति दी गई है।

3.27.7 इस तरह के निर्वाचन में जहाँ पर केवल एक अभ्यर्थी द्वारा किसी मुक्त प्रतीक का चयन किया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी को ही वह निर्वाचन प्रतीक आवंटित करेगा, ना कि किसी और अभ्यर्थी को ।

3.27.8 ऐसे निर्वाचन में जहाँ प्रतीक को कई अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया हो, तब

(1) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से केवल एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी है, और बाकी सभी स्वतंत्र अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी उस पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थी को मुक्त प्रतीक आवंटित करेगा। इसका मतलब यह है कि पंजीकृत पार्टी के अभ्यर्थी को अन्य निर्दलीय अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाती है।

(2) यदि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के दो (या अधिक) अभ्यर्थियों ने एक ही मुक्त प्रतीक चुना है, और उनमें से कोई भी एक पिछली लोकसभा या विधान सभा का सदस्य था, तो जैसा भी मामला हो, तो उस अभ्यर्थी को दूसरों पर वरीयता दी जाएगी, और उसे उस विशेष प्रतीक को आवंटित किया जाएगा। यदि उनमें से कोई भी अभ्यर्थी पूर्व में किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो रिटर्निंग अधिकारी उनके बीच लॉट निकालेगा और लॉट के उस ड्रा के विजेता को वह प्रतीक आवंटित करेगा।

(3) यदि स्वतंत्र अभ्यर्थी समान मुक्त प्रतीक की मांग कर रहे हैं, और उनमें से एक पिछले सदन का आसीन सदस्य था और उसे पिछले निर्वाचन में उस विशेष मुक्त चिन्ह को आवंटित किया गया था, जब वह सदस्य के रूप में चुना गया था, तो रिटर्निंग अधिकारी उस स्वतंत्र प्रतीक को उसे आवंटित करेगा और ऐसे मामले में उस अभ्यर्थी को अन्य सभी स्वतंत्र अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाएगी।

(4) यदि स्वतंत्र अभ्यर्थियों में से सभी ने एक ही स्वतंत्र प्रतीक के विकल्प की मांग की है, और उनमें से कोई भी पिछले सदन का सदस्य नहीं था, तो स्वतंत्र प्रतीक के आवंटन को ड्रा निकाल कर निर्धारित किया जाएगा।

3.27.9 नाम निर्देशन पत्र के रूप में, कोई अभ्यर्थी यह पाएगा कि यदि वह पार्टी का अभ्यर्थी है, तो उसे नाम निर्देशन पत्र में ही इस आशय की घोषणा करनी होगी। हो सकता है उसे किसी मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा खड़ा किया जा सकता है, अर्थात् किसी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी द्वारा, या वह किसी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा खड़ा किया जा सकता है। आयोग का प्रतीक आदेश स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है, कि किसी अभ्यर्थी को एक विशेष पार्टी द्वारा खड़ा किया जाना माना जाएगा, केवल और केवल यदि,-

(क) अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की निर्धारित घोषणा की है। अभ्यर्थी उस राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, और उसका नाम पार्टी के सदस्यों की नामावली में दर्शाई गई है।

(ख) लिखित रूप में राजनीतिक दल द्वारा इस आशय की एक सूचना प्ररूप ख में, उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत की गई है।

(ग) प्ररूप ख में उक्त नोटिस पर पार्टी के अध्यक्ष, सचिव या पार्टी के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, और उस नोटिस को भेजने वाले अध्यक्ष, सचिव

या ऐसे अन्य पदाधिकारी को पार्टी द्वारा ऐसे नोटिस भेजने के लिए अधिकृत किया गया हो;

(घ) ऐसे अधिकृत व्यक्ति के नाम और नमूने हस्ताक्षर पार्टी द्वारा प्ररूप-क में उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, या संबन्धित संघ राज्य क्षेत्र को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि को 3 बजे तक सूचित कर दिया गया हो; और

(ङ) प्रपत्र क और ख में केवल उक्त पदाधिकारी, या पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। किसी भी पदाधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा रबर स्टैम्प आदि के माध्यम से कोई भी हस्ताक्षर या प्रतिकृति हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, और फैक्स, ईमेल आदि द्वारा प्रेषित कोई भी प्ररूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.27.10 प्ररूप ख में, पार्टी के पास मुख्य अभ्यर्थी के अलावा, एक एवजी अभ्यर्थी को भी नामित करने का विकल्प होता है। यदि किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को नामित किया गया है, तो इस विकल्प को पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में केवल मुख्य अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की जाँच पर अस्वीकार किए जाने या अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता की वापसी की स्थिति में ही माना जाएगा (और यदि एवजी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन अन्यथा मान्य और स्वीकृत था, और वह अभी भी विचाराधीन है)। यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पार्टी के मुख्य अभ्यर्थी द्वारा दायर नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किया जाता है, और यदि उस पार्टी के एवजी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पर केवल एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो एवजी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन खारिज कर दिया जाएगा। यदि उनके नाम निर्देशन पत्र को दस प्रस्तावकों द्वारा समर्थन दिया जाता है, और यदि ऐसे एवजी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा।

3.27.11 राजनीतिक दलों को किसी अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए प्रपत्र ख में अनुमति को निरस्त करने और निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में प्रपत्र ख में एक संशोधित नोटिस देने की सहमति दी जाती है, जैसे कि:

(1) प्ररूप ख में इस तरह के संशोधित नोटिस को, पूर्व नोटिस में प्राधिकरण को रद्द करने या प्रतिस्थापित करने के लिए, स्पष्ट रूप से उल्लेख करने चाहिए कि अभ्यर्थी के पक्ष में पहले के नोटिस को रद्द कर दिया गया है, और यह संशोधित नोटिस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने की आखिरी तारीख को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि बाद में;

(2) प्रपत्र ख में ऐसे संशोधित नोटिस पर अधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है जिसका सन्दर्भ निर्वाचन प्रतीक आदेश के परिच्छेद 13 के अनुच्छेद (ग) में है;

(3) रिटर्निंग अधिकारी संशोधित नोटिस की वास्विकता के बारे में संतुष्ट है; और

(4) अभ्यर्थी जिसके पक्ष में संशोधित नोटिस दिया गया है, ने अपने नाम निर्देशन पत्र में पहले ही यह घोषणा कर दी है कि उसे उक्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है-

3.27.12 यदि कोई राजनीतिक पार्टी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी के संबंध में प्ररूप बी में नोटिस देती है, और पार्टी ऐसे नोटिस में यह नहीं बताती है कि पहले के नोटिस को रद्द कर दिया गया है, तो अभ्यर्थी के संबंध में उस नोटिस को जिसका नाम निर्देशन पत्र पहले रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और शेष अभ्यर्थी (यों) को उस पार्टी द्वारा खड़ा किए गए अभ्यर्थी के रूप में नहीं माना जाएगा।

3.27.13 यदि कोई अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र में दो या अधिक राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए जाने का दावा करता है, और दोनों/ऐसी सभी पार्टियों ने प्ररूप ए और बी उसके पक्ष में जमा कर दिए हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी जाँच के समय तथ्यों की जाँच करेगा कि अभ्यर्थी उसके सदस्य के रूप में किस राजनीतिक दल का है, और क्या अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित अन्य राजनीतिक पार्टी/पार्टियों का सदस्य होना समाप्त कर दिया है, और उसी के अनुसार पार्टी के अभ्यर्थी की संबद्धता तय करेगा।

3.27.14 जहां किसी अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में यह घोषणा नहीं की है कि उसे किसी विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, तो उसे उस पार्टी द्वारा खड़ा किया नहीं माना जाएगा, भले ही वह पार्टी रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप ए और बी में इस आशय की सूचना दे, और उसे उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक, यदि कोई हो, आवंटित नहीं किया जाएगा।

3.27.15 इसी प्रकार, यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में घोषणा की है कि उसे किसी विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, लेकिन वह पार्टी किसी अन्य अभ्यर्थी को खड़ा करती है, तो उसे किसी अन्य राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किया नहीं माना जाएगा, भले ही बाद वाली पार्टी उसे अपनाना चाहती है, जब तक कि उस अभ्यर्थी ने निर्धारित समय के भीतर एक और नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया है, जिसमें उसने बाद वाली पार्टी द्वारा खड़ा किए जाने की घोषणा की हो, और निर्धारित समय सीमा के भीतर अन्य पार्टी द्वारा उसके पक्ष में प्ररूप क और ख दाखिल किया गया है।

3.27.16 यह भी अभ्यर्थी द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतीक आदेश चुनावी गठबंधन को मान्यता नहीं देता है, जिसे कभी-कभी राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज किया जाता है। इसलिए, किसी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के लिए आरक्षित किसी प्रतीक को इस तरह के राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा निर्धारित अभ्यर्थी के अलावा किसी भी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा।

3.28 प्रारंभिक जाँच

3.28.1 नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति पर, रिटर्निंग अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि अभ्यर्थी का नाम और निर्वाचक नामावली और उसका प्रस्ताव नाम निर्देशन पत्र में दर्ज किया गया है, जो निर्वाचक नामावली में हैं।

3.28.2 रिटर्निंग अधिकारी जाँच करेगा कि क्या प्ररूप 26 (**परिशिष्ट** 8) में शपथ पत्र विधिवत भरा गया है, और इसे नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया गया है। यदि संलग्न नहीं किया गया है, तो रिटर्निंग अधिकारी नीचे दिए गए चेक सूची के माध्यम से, इस आवश्यकता के बारे में अभ्यर्थी को अवगत कराएगा।

3.28.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में, रिटर्निंग अधिकारी या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी को डुप्लिकेट प्रतियों में, दस्तावेजों की चेक सूची, या अभ्यर्थियों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को अपने पास अनुरक्षित रखना चाहिए। जाँच सूची नीचे दी गई है:

मूल/डुप्लिकेट

(मूल को नाम निर्देशन पत्र के साथ रखा जाएगा और डुप्लीकेट अभ्यर्थी को सौंप दिया जाएगा)

<u>नाम निर्देशन दाखिल करने से सम्बंधित प्रलेखों की जाँच सूची</u>

निर्वाचन क्षेत्र का नाम .....

अभ्यर्थी का नाम .....

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि और समय.....

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या .....

क्र. सं.	दस्तावेज	यदि दाखिल कर दिया गया हो (लिखें हाँ/ना) - यदि दस्तावेजों में कोई त्रुटि/कमी है), उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ।
1	प्ररूप 26 में शपथ पत्र (क) क्या सभी कॉलम भरे गए हैं (ख) यदि नहीं, तो कौन सा कॉलम (स्तम्भ) खाली है (कृपया निर्दिष्ट करें)। (ग) क्या शपथ-पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास या नोटरी पब्लिक के समक्ष ली गई।	

2	निर्वाचक नामावली का प्रमाणित उद्धहरण (जब अभ्यर्थी किसी अलग निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होता है)।	
3	प्ररूप क और ख (राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित अभ्यर्थी के मामले में लागू))	
4	जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (यदि अभ्यर्थी एससी/एसटी से संबंधित है)	
5	सुरक्षा जमा राशि (क्या दी गई है)	
6	शपथ/ पुष्टि (क्या ली गई है)	

<u>निम्नलिखित प्रलेख जिन्हें दाखिल नहीं किया गया है, नीचे दर्शाए अनुसार दाखिल किया जाना चाहिए:-</u>

(क)_____ को अधिक से अधिक _____ तिथि तक दर्ज किया जाना चाहिए ।

(ख) प्रपत्र 26 में उपरोक्त उल्लेखित स्तंभों को रिक्त छोड़ दिया गया है। नाम निर्देशन की जाँच आरम्भ होने के पूर्व आपको सभी कॉलमों (स्तंभों) को विधिवत भरकर एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके अभाव में आपके नाम निर्देशन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(ग) _____को अधिक से अधिक _____ तिथि तक दर्ज किया जाना चाहिए ।

प्राप्त किया

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर) आरओ/एआरओ का हस्ताक्षर

दिनांक और समय:

कृपया ध्यान दें:

1. नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि में प्ररूप 26, प्ररूप क और ख में शपथ पत्र, सायं 3.00 बजे तक दायर किया जाना है।।

2. यदि प्ररूप 26 के शपथ पत्र में कॉलम खाली छोड़ दिया गया है, तो इसे मद 1 के सापेक्ष निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, और अभ्यर्थी को एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए जो नाम निर्देशन के लिए जाँच शुरू करने के लिए तय किए गए समय के भीतर सभी मामलों में पूरा हो। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुस्मारक दिये

जाने के बाद भी यदि सभी तरह से पूर्ण रूप से संशोधित शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफलता नाम निर्देशन पत्र की अस्वीकृति का आधार होगी।

3. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पहले और जाँच के लिए तय तारीख से पहले शपथ लेनी होगी।
4. निर्वाचक नामावली के प्रमाणित उद्धाहरण को जाँच के समय तक दाखिल किया जा सकता है।

3.28.4 इसमें बताई गई सभी आवश्यकताओं के साथ चेकलिस्ट की दोनों प्रतियाँ, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा और साथ ही अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी। चेकलिस्ट की डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी/ प्र स्तावक को सौंपी जाएगी, जिसे अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति में संलग्न करते हुये उसके द्वारा दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्र के साथ रखी जाएगी।

3.28.5 यदि और जब कोई दस्तावेज नाम निर्देशन दाखिल करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय की एक पावती रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जानी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उसे प्रस्तुत करने की तिथि और समय का उल्लेख करना चाहिए जिस पर यह प्रस्तुत किया गया था।

3.29 अभ्यर्थी का फोटोग्राफ

3.29.1 हर निर्वाचन में, अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक और नाम निर्देशन के साथ निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी नवीनतम तस्वीर प्रस्तुत करनी होगी। फोटोग्राफ के पीछे की तरफ अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। फोटो के लिए विनिर्देश निम्नानुसार हैं:

i. अभ्यर्थियों को अपनी हालिया तस्वीर (अधिसूचना की तारीख से 3 महीने पहले की अवधि के दौरान ली गई) जमा करना आवश्यक है।
ii. फोटोग्राफ स्टाम्प आकार के होने चाहिए, 2 सेमी X 2.5 से.मी. (चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर), सफेद/दूधिया पृष्ठभूमि में, पूरे चेहरे का दृश्य सीधे कैमरे की ओर होना चाहिए, तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ और आँखें खुली होनी चाहिए। अभ्यर्थी की सुविधानुसार फोटो रंगीन अथवा काले और सफेद रंग में हो सकता है।
iii. फोटोग्राफ सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। वर्दी में फोटो खींचने की अनुमति नहीं है। कैप्स/टोपी के प्रयोग से बचना चाहिए। गहरे रंग के चश्मे का भी प्रयोग न करें।

3.29.2 जब फोटो जमा किया जाता है, तो अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा अभ्यर्थी की फोटो जमा करने के दौरान उसे एक घोषणा पत्र देने के लिए कहा जाएगा, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, वह

अभ्यर्थी की है (नाम और पते का उल्लेख करते हुए), और फोटो 3 महीने की अवधि के भीतर ली गई है। घोषणा के लिए प्रारूप नीचे दिया गया है:

(ईसीआई निर्देश 576/3/2015/एसडीआर दिनांक 16.03.2015 तथा 576/3/2015/ एसडीआर खंड II दिनांक 21.05.2015)।

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा अभ्यर्थी की फोटो जमा करने के दौरान घोषणा:

विषय: ..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से ..... (सदन के नाम का उल्लेख) हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्यों/विधान परिषद का निर्वाचन।

मैं, ... (नाम और पता), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामांकित अभ्यर्थी के रूप में, मतपत्र पत्र पर छापने के उद्देश्य से मैं अपनी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं यह घोषणा करता हूं कि तस्वीर को निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 3 महीनों की अवधि के भीतर ली गई है।

(इस भाग को तब भरें जब अभ्यर्थी स्वयं फोटो जमा कर रहा हो)।

अथवा

मैं, ... (नाम), श्री ..... (अभ्यर्थी का नाम और पता), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... के निर्वाचन अभिकर्ता/ प्रस्तावक के रूप में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी की ओर से, मतपत्र पत्र पर छापने के उद्देश्य से मैं उक्त अभ्यर्थी की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं यह घोषणा करता हूं कि तस्वीर को निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 3 महीनों की अवधि के भीतर ली गई है।

(जब निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक फोटो जमा कर रहा हो तब इस भाग को भरें)

तिथि .....

नाम: .....

पता: .....

टेलीफोन नंबर.....

3.30 निर्वाचक नामावली अथवा नाम निर्देशन पत्र में गलतियां, मुद्रण त्रुटियां आदि

3.30.1 कानून उल्लेख करता है कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में कोई गलत विवरण या त्रुटि या तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि, या मतदाता सूची में या नाम निर्देशन में उल्लेखित किसी भी स्थान के संबंध में त्रुटि, अभ्यर्थी के मतदाता सूची या उसके प्रस्तावक या उसके मतदाता सूची के किसी अन्य व्यक्ति या नाम निर्देशन पत्र के संबंध में कोई भी लिपिक, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि, मतदाता सूची या नाम निर्देशन पत्र के पूर्ण संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। कानून के अनुसार यह रिटर्निंग अधिकारी की भी आवश्यकता होगी कि वह इस तरह के किसी भी त्रुटिपूर्ण नाम, गलत विवरण या त्रुटि को सुधारने या अनदेखी करने के लिए, जहां आवश्यक हो, इस तरह के त्रुटिपूर्ण बयान, मतदाता सूची या नाम निर्देशन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण या त्रुटि के सुधार को अनुमति दे। फिर भी एक अभ्यर्थी को विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि उसके नाम, या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में या इस तरह के किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण या या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि, या किसी भी स्थान के संबंध में मतदाता सूची में या नाम निर्देशन पत्र में नहीं हो। निर्वाचन के लिए रिट जारी होने के पूर्व, अभ्यर्थी को मतदाता सूची पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की सलाह दी जाती है जिसमें उसका नाम और उसके प्रस्तावक का नाम अग्रिम रूप से प्रकट होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उसने समय के भीतर अच्छी तरह से यह तय किया होगा कि वह एक अभ्यर्थी होगा। और निर्वाचन के लिए रिट जारी होने से पहले मतदाता सूची को अच्छी तरह से देखने के बाद, अगर वह यह पाता है कि कोई गलत विवरण, त्रुटिपूर्ण जानकारी या मतदाता सूची में कोई त्रुटि अपने या अपने प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में (उदाहरण के लिए पिता का नाम) है, या फोटो या किसी अन्य मामले का बेमेल होना पाया जाता है, तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के तहत त्रुटि आदि के सुधार के लिए और उसके नाम और उसके प्रस्तावक के नाम को शामिल करने के लिए धारा 23 के तहत तत्काल कदम उठाने होंगे।

3.31 नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति तथा जाँच की सूचना एवं प्रतीकों का आवंटन

3.31.1 अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र से यह ज्ञात होगा कि इसके एक हिस्से में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसमें इसे दाखिल करने के दौरान इसकी सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र भरने

और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय यह सुनिश्चित करें कि रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिसके समक्ष नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाता है, उसकी उपस्थिति में उसका अनुक्रमांक दर्ज करता है, और नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के प्ररूप को ठीक से भरता और हस्ताक्षर करता है।

3.31.2 किसी अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र से यह भी ज्ञात होगा कि रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिसके समक्ष नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है, उसे या उसके प्रस्तावक को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी एक रसीद अनिवार्य तौर पर प्रदान करेगा, जिसमें नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान की लिखित सूचना भी शामिल होती है। ये सभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 35 में निहित वैधानिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए यह अवश्य देखें कि नाम निर्देशन पत्र पर दिए गए प्ररूप में वितरण का प्रमाण पत्र विधिवत रूप से रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया जाता है, जिसे उसने नाम निर्देशन पत्र दिया है, और अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को उस स्थान को छोड़ने के पूर्व, जहाँ नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाता है, संबन्धित अधिकारी से नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति के लिए रसीद हेतु पूछने में संकोच न करें, जिसके लिए वह बाध्य है।

3.31.3 आयोग ने निर्देश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन की जाँच के बारे में उपरोक्त सूचना (नोटिस) के साथ-साथ, लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन - प्रतीक आवंटन की तिथि, समय और स्थान के बारे में भी एक और सूचना (नोटिस) देनी चाहिए / अभ्यर्थी को उस सूचना को ले लेना चाहिए, ताकि वह निर्वाचन -प्रतीक के आवंटन के समय पर उपस्थित रह सके, हो सकता है कि उनका नाम निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हो।

3.32 नाम निर्देशन के नोटिसों की जाँच

3.32.1 धारा 35 के अंतर्गत, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन के लिए निर्धारित तिथियों पर प्राप्त 67 नाम निर्देशन में से प्रत्येक के लिए अपने कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर एक नोटिस चिपकाया जाना आवश्यक है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न यह सूचना (नोटिस) प्ररूप-3क में है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के नोटिसों का अध्ययन और परीक्षण के लिए अच्छी तरह से परामर्श दिया गया है।

4. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच

4.1. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का कार्य किसके द्वारा किया जाता है

4.1.1. निर्वाचन प्रक्रिया का अगला चरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करना होता है। रिटर्निंग अधिकारी को विधिक तौर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के तहत जारी निर्वाचन समय सारणी में जाँच के लिए निर्धारित तारीख को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करनी अपेक्षित होती है।

4.1.2. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का कार्य नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने की अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन किया जाता है। अतः, यदि आज नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है तो कल नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की जाएगी। किंतु यदि कल कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उससे अगले दिन नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की जाएगी बशर्ते उस दिन पुनः कोई सार्वजनिक अवकाश न हो। अन्य शब्दों में, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन नहीं की जा सकती।

4.1.3. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी नहीं सौंपा जा सकता। केवल एक विकल्प है, जिसमें यह माना जा सकता है कि रिटर्निंग अधिकारी केवल तभी और केवल उस स्थिति में किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जब रिटर्निंग अधिकारी को अपरिहार्य कारणों से नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करने से रोका जाता हो (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22(2) का प्रावधान देखें)।

4.2. नाम निर्देशन की जाँच के दौरान कौन शामिल हो सकता है?

4.2.1. विधि के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए केवल चार व्यक्ति जाँच स्थल पर शामिल हो सकते हैं। ये चार व्यक्ति हो सकते हैं : (1) अभ्यर्थी स्वयं, (2) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता, (3) अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और (4) अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत एक अन्य व्यक्ति। यहाँ तक कि किसी अभ्यर्थी ने समान निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम नाम निर्देशन पत्र, अर्थात् चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हों और उनके भिन्न-भिन्न प्रस्तावक हों, तो केवल एक ही प्रस्तावक जाँच कार्य के दौरान उपस्थित रह सकता है। अतः, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए केवल चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं, और यदि, मान लो, उदाहरण के लिए, दस अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हों तो कुल मिलाकर चालीस व्यक्ति जाँच कार्य में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थी के लिए यह बेहतर होगा कि यदि चौथा व्यक्ति उसके द्वारा अधिकृत किया जाए और वह निर्वाचन नियमों की जानकारी के साथ जाँच के दौरान उपस्थित रहे,

ताकि वह जाँच कार्य के दौरान उक्त अभ्यर्थी के हितों की पर्याप्त सुरक्षा कर सके। यह भी अभ्यर्थी के हित में होगा कि वह स्वयं जाँच कार्य में उपस्थित रहे।

4.3. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के लिए पर्याप्त सुविधाएं

4.3.1. वे चार व्यक्ति (अभ्यर्थी सहित), जो जाँच के समय अभ्यर्थी की ओर से उपस्थित हो सकते हैं, उन्हें अधिकार है कि वे समस्त अभ्यर्थियों के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जाँच के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के समय समस्त उपलब्ध पर्याप्त सुविधाओं का लाभ उठाएं। अभ्यर्थी और तीन अन्य व्यक्तियों के लिए यह एक अमूल्य अधिकार है, जो अभ्यर्थी, नामित निर्वाचन अभिकर्ता, किसी एक प्रस्तावक और अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

4.4. उठाई जा सकने वाली आपत्तियाँ

4.4.1. अभ्यर्थी को किसी नाम निर्देशन पत्र के बारे में कोई कमजोर अथवा तकनीकी आपत्तियां नहीं लगानी चाहिए। इसी प्रकार, अभ्यर्थी अथवा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके नाम निर्देशन पत्र के विरुद्ध लगाए गए किसी कमजोर अथवा तकनीकी आधार वाले आरोप का विरोध किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 36(4) में स्पष्ट उल्लेख है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी पर्याप्त कारण के बिना किसी त्रुटि की वजह से किसी नाम निर्देशन पत्र को रद्द नहीं किया जाएगा। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 4 में उल्लेख है कि नाम निर्देशन पत्र में निर्वाचन चिह्नों के संबंध में किसी घोषणा के पूर्ण करने अथवा उसमें किसी त्रुटि की स्थिति में उक्त त्रुटि को पर्याप्त स्तर का नहीं माना जाएगा। अतः यदि कोई विरोधी अभ्यर्थी किसी त्रुटि के संबंध में कोई आपत्ति उठाता है, जो पर्याप्त स्तर की नहीं है, तो अभ्यर्थी अथवा उसकी ओर से शामिल होने वाला व्यक्ति, उसका विरोध कर सकता है। जैसा पहले भी बताया गया है, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने पर, रिटर्निंग अधिकारी यह संतुष्टि कर लेगा कि अभ्यर्थी का नाम और उसका तथा उसके प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली का क्रमांक नाम निर्देशन पत्र पर वही हो जो निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो। अभ्यर्थी के नाम अथवा उसके प्रस्तावक अथवा इस संबंध में किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली में अथवा नाम निर्देशन पत्र इत्यादि में दिए गए नाम के संबंध में नाम के गलत प्रयोग अथवा किसी गलत विवरण अथवा लिपिकीय अथवा तकनीकी अथवा मुद्रण की गलती को सामान्यतः आपत्ति का अधिकार नहीं बनाया जाना चाहिए, यदि किसी नाम और स्थान के संबंध में किसी विवरण में कोई गलती हो, तो उसे सामान्यतः समझ लेना चाहिए। यदि जाँच के समय ऐसे किसी नाम के गलत प्रयोग अथवा गलत विवरण इत्यादि के संबंध में कोई आपत्ति की जाती है तो अभ्यर्थी द्वारा तत्काल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम. 1951 की धारा 33(4) के प्रावधानों पर ध्यानाकर्षित करना चाहिए।

4.4.2. यदि किसी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र के लिए कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उसे रिटर्निंग अधिकारी पर यह बल देना चाहिए कि वह किसी कमजोर अथवा तकनीकी आधार पर नाम निर्देशन पत्र रद्द न करें। यदि रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी और परिचायक के परिचय से संतुष्ट हों, तो उसे अभ्यर्थी अथवा प्रस्तावक के नाम संबंधी विवरण में केवल तकनीकी त्रुटि अथवा असत्य विवरण के आधार पर नाम निर्देशन पत्र रद्द नहीं करना चाहिए।

4.5. नाम निर्देशन पत्र को रद्द करने का आधार

4.5.1. याद रखें कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र को रद्द करते समय निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर औचित्यपरक कार्य करेंगे,

i. यदि अभ्यर्थी विधि द्वारा लोकसभा अथवा विधान सभा का सदस्य बनने के लिए स्पष्ट अर्हता नहीं रखता; अथवा

ii. यदि अभ्यर्थी विधि में ऐसे सदस्य होने के लिए स्पष्ट रूप से निरर्हक है, अथवा

iii. यदि अभ्यर्थी ने संविधान द्वारा अपेक्षित शपथ या पुष्टि नहीं ली है; अथवा

iv. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र समय पर वितरित नहीं किया गया है; अथवा

v. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अथवा किसी प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाता हो; अथवा

vi. यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र को वितरित नहीं किया गया है; अथवा

vii. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी या उसके अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है; अथवा

viii. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्ररूप में मूल रूप से नहीं है; अथवा

ix. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र प्रस्तावकों की अपेक्षित संख्या में न दिए गए हों अथवा उस नाम निर्देशन पत्र में अपेक्षित स्थान पर अभ्यर्थी के अथवा उसके प्रस्तावक के अथवा दोनों के हस्ताक्षर न हों; अथवा

x. यदि पहले से ही स्पष्ट की गई विधि के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा उचित सुरक्षा राशि जमा नहीं की गई है; अथवा

xi. यदि नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अथवा उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है/हैं; अथवा

xii. यदि अभ्यर्थी उस वर्ग से संबद्ध नहीं होता, जिस वर्ग के लिए उसका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो, अर्थात् यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से संबद्ध नहीं हो और वह ऐसी सीट से अपना नाम निर्देशन दाखिल करता है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो; अथवा

xiii. यदि प्रस्तावक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है या प्रस्तावक होने के योग्य नहीं है।

xiv. यदि अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहता/रहती है।

xv. यदि अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र में अपनी आयु निर्दिष्ट करने में विफल रहता/रहती है।

xvi. यदि अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जिसके लिए उसने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है और न ही उसने उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है अथवा उसका अपेक्षित हिस्सा अथवा अपने नाम वाली उक्त निर्वाचक नामावली के साथ नाम निर्देशन पत्र की निर्वाचक नामावली प्रस्तुत की हो और जैसा उक्त अधिनियम की धारा 33(5) के तहत अपेक्षित अनुसार उक्त कागज़ात जाँच के लिए प्रस्तुत किए हों।

xvii. शपथ-पत्र में स्तम्भ (कॉलम) खाली छोड़ दिया गया और नोटिस के बावजूद नया हलफनामा दायर नहीं किया गया।

4.5.2. यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र किसी कारणवश रद्द कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी के आदेश की प्रामाणिक प्रतियां तत्काल प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें उक्त रद्दकरण के कारण दिए हों। आयोग के निर्देशानुसार, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र को रद्द करने के आदेश की एक प्रति तत्काल प्राप्त करने का पात्र होता है, जिसके लिए उसे कोई शुल्क अथवा प्रभार देने की आवश्यकता नहीं होती। यह ध्यान योग्य है कि यदि कोई नाम निर्देशन पत्र वैध पाया जाता है और स्वीकार हो जाता है तो वह अभ्यर्थी एक वैध अभ्यर्थी बन जाता है, भले ही अन्य नाम निर्देशन पत्र रद्द हो जाते हैं।

4.5.3. अभ्यर्थी किसी आपत्ति को दूर करने के लिए, यदि उसे लगता है कि उसके नाम निर्देशन पत्र में कोई आपत्ति उठाई गई है और उसे उस आपत्ति को दूर करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, तो वह समय लेने के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी समय लेने के लिए तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन दे सकता है। ऐसे मामले में रिटर्निंग अधिकारी धारा 36 की उप-धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार स्थगन की अनुमति दे सकता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे मामलों में संबंधित अभ्यर्थी को सुधार करने के लिए समय दिया जाए, जो कम से कम अगले दिन तक, किंतु जाँच की निर्धारित तारीख तक के लिए अनुमत हो सकता है।

4.6. अभ्यर्थी द्वारा शपथ अथवा पुष्टि

4.6.1. इस संबंध में, अभ्यर्थी का ध्यान पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर प्रसाद सिंह (एआईआर 1968 एससी 1064) केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर पुनः

आकर्षित किया जाता है। उक्त निर्णय के अनुसार, किसी अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन के बाद तथा नाम निर्देशन पत्र की जाँच की तारीख से पूर्व शपथ अथवा पुष्टि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश पिछले अध्याय में दिए गए हैं।

4.7. एक नाम निर्देशन पत्र के रद्द होने की स्थिति में, किसी अन्य नाम निर्देशन पत्र, जो वैध पाया जाता हो, के नाम निर्देशन पर प्रभाव न पड़ना

4.7.1. यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि अभ्यर्थी समान निर्वाचन क्षेत्र से कुल मिलाकर चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। यदि इन चारों नाम निर्देशन पत्रों में से कोई भी वैध पाया जाता है, तो वह अभ्यर्थी के वैध नाम निर्देशन के लिए काफी होगा, भले ही अन्य तीन नाम निर्देशन रद्द हो जाते हैं।

4.8. दस्तावेज तथा अन्य सामग्री की मार्गदर्शी सूची, जिसे अभ्यर्थी को जाँच के समय प्रस्तुत करना चाहिए

4.8.1. नाम निर्देशन के विरुद्ध संभावित आपत्तियों को दूर करने के लिए अभ्यर्थी को जाँच स्थल पर निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने चाहिए, जिनका विवरण इस प्रकार है -

(क) नाम निर्देशन दाखिल करने के समय आरओ द्वारा दी गई चेकलिस्ट की प्रति;

(ख) उसके/उसकी उम्र के बारे में संतोषजनक सबूत:

(ग) जहाँ जमानत राशि नकद जमा की गई हो, रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को दी गई रसीद और राशि सरकारी राजकोष में अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा की गई हो, ऐसे मामले में राजकोष अथवा चालान की डुप्लीकेट कॉपी;

(घ) नाम निर्देशन पत्र और नोटिस की रसीद जो अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी या अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर सौंपी गई थी; तथा

(ङ) प्ररूप 26 में दायर हलफनामे की एक प्रति; तथा

(च) कोई अन्य साक्ष्य अथवा सामग्री, जो अभ्यर्थी के नाम निर्देशन के विरुद्ध उठाई गई किसी आपत्ति को निरस्त अथवा उसका खंडन करती हो।

4.9. अभ्यर्थियों के नामों में सुधार

4.9.1. पूर्व समय में, कुछ अभ्यर्थियों से शिकायतें मिलती रही हैं कि बैलेट पेपर पर उनके नाम सही नहीं लिखे गए हैं। ऐसी शिकायतों से बचने के लिए, प्रत्येक अभ्यर्थी और उसकी अनुपस्थिति में उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा प्रस्तावक से अपेक्षा की जाती है कि वे नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अथवा नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के तत्काल बाद निर्वाचन चिह्न के आबंटन के समय अभ्यर्थी के नाम की उन भाषाओं में लिखित रूप में सही वर्तनी दें, जिन भाषाओं में बैलेट पेपर छपना है। यदि कोई अभ्यर्थी यह समझता है कि उसके नाम की वर्तनी ठीक नहीं है अथवा उसके नाम निर्देशन पत्र में गलत दिखाई गई है अथवा जिस नाम से उसे जाना जाता है, उससे भिन्न है, तो वह निर्वाचन लड़ने वाले

अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने से पहले किसी भी समय, रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में अपना नाम सही रूप में वर्तनी सहित प्रस्तुत कर सकता है और अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य दे सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी अनुरोध की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर फार्म 4 में जारी होने वाली सूची में आवश्यक सुधार अथवा परिवर्तन कर सकता है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नाम का स्वरूप और वर्तनी को शामिल कर सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी हो जाने के बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.10. अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें

4.10.1. हमारे देश की निर्वाचन विधि बहुत व्यापक है तथा उसकी प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। इनके समुचित अनुपालन से ही निर्वाचनों का होना आधारित होता है। अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए सुझाए गए 'क्या करें' और 'क्या न करें' संबंधी कुछ सुझाव **परिशिष्ट-11** में दिए गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये विस्तार रूप में नहीं हैं, किंतु केवल मार्गदर्शी हैं।

4.11. आचार संहिता - राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें'

4.11.1. आदर्श आचार संहिता (**परिशिष्ट**-17) के अलावा, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' संबंधी आचार संहिता का एक अन्य सैट जारी किया गया है जिसका निर्वाचन की घोषणा के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। इस आचार संहिता - 'क्या करें' और 'क्या न करें' की प्रति **परिशिष्ट-12** में दी गई है। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि वह स्वयं न ही उसका राजनैतिक दल, जिसने उसे निर्वाचन में खड़ा किया है, उसके अभिकर्ता, कार्यकर्ता, समर्थक, सहानुभूति रखने वाले किसी ऐसी भूल-चूक में शामिल न हों, जिससे उक्त आचार संहिता - 'क्या करें' और 'क्या न करें' का उल्लंघन होता हो।

5. अभ्यर्थिता वापस लेना

5.1. अभ्यर्थिता वापस लेना

5.1.1. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह एक वैध नामित अभ्यर्थी बन जाता है। किंतु तो भी, वह कई कारणों से प्रतिस्पर्धा से अपना नाम वापस ले सकता/सकती है। ऐसे कारण व्यक्तिगत अथवा राजनैतिक हो सकते हैं। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि वे अपनी अभ्यर्थिता तभी वापस ले सकते हैं, जब नाम निर्देशनों की जाँच-पड़ताल पूरी हो जाती हो, इससे पहले किसी चरण में नाम वापस नहीं लिया जा सकता।

5.2. वापसी का नोटिस

5.2.1. यदि कोई अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र की जाँच-पड़ताल ठीक पाए जाने के बाद भी अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने का निर्णय लेता है, तो उसे लिखित रूप में सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना प्ररूप-5 में दी जानी चाहिए, जैसा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (**परिशिष्ट 13**) में उल्लेख है। अभ्यर्थी को प्ररूप-5 सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और टिप्पणी पर हस्ताक्षर करने के बाद, अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक अथवा निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए धारा 30 (ग) के तहत निर्धारित अंतिम तिथि को सायं 3 बजे से पूर्व उसे रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना चाहिए। यदि प्रस्तावक अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थिता से वापसी का नोटिस प्रस्तुत करता है, तो अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्राधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता से वापसी के लिए प्रस्तावक अथवा निर्वाचन अभिकर्ता को प्राधिकार दिया गया हो। अन्यथा ऐसा नोटिस (सूचना) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थिता से वापसी का नोटिस, किसी भी मामले में, डाक द्वारा नहीं भिजवाया जाना चाहिए।

5.3. वैध नाम वापसी के लिए अपेक्षाएं

5.3.1. अभ्यर्थिता से वापसी का नोटिस निर्धारित प्ररूप (प्ररूप-5) में दिया जाना चाहिए।

5.3.2. इस पर केवल अभ्यर्थी के ही हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी ओर से कोई अन्य हस्ताक्षर नहीं कर सकता।

5.3.3. इसे अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख को अपराह्न सायं 3 बजे से पहले रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए; और

5.3.4. सुपुर्दगी का यह कार्य या तो अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके किसी प्रस्तावक, जिसने अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पर हस्ताक्षर किए हों, अथवा किसी नामित निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए, किंतु यदि इसे किसी प्रस्तावक अथवा

निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त प्रस्तावक अथवा निर्वाचन अभिकर्ता को इस कार्य के लिए अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

5.4. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अंतिम होगी

5.4.1. अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक यह भी ध्यान देना चाहिए कि एक बार उसके द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापसी को नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को देने के बाद, यह नोटिस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 37 (2) के अधीन अंतिम माना जाता है और अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में नोटिस रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.4.2. किंतु, यदि अभ्यर्थी चुनाव से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लेता है, तो उसे विशेष सावधानी बरतनी होती है कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया गया हो। अन्यथा, कानूनन अभ्यर्थिता से उसके नाम वापस लेने के मामले में कोई विचार नहीं किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 38 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उस अभ्यर्थी का नाम इस नतीजे के साथ शामिल कर लिया जाएगा कि भले ही वह अभ्यर्थी चुनाव नहीं लड़े, उसका नाम मतपत्र पर प्रदर्शित होगा, उसकी जमानत राशि लौटाई नहीं जाएगी, जो उसने अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय जमा की थी और अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा देना भी अपेक्षित होगा। किंतु, यदि अभ्यर्थिता का वापसी का नोटिस सही और वैध है और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अभ्यर्थी उक्त जमानत राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, जो राशि उसने अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय जमा की थी और उसे अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा देने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

5.5. वापसी का नोटिस के लिए रसीद

5.5.1. अभ्यर्थी द्वारा अथवा अभ्यर्थी की ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत किसी प्रस्तावक अथवा निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वापसी का नोटिस प्रस्तुत किए जाने के बाद, कृपया वापसी का नोटिस की रसीद प्राप्त करने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करें। यह रसीद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। यह रसीद प्राप्त किए बिना रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से न जाएं क्योंकि इसी रसीद की मदद से अभ्यर्थी अपनी जमानत राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।

5.6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

5.6.1. चुनाव चिह्न के आबंटन की प्रक्रिया पूरी होने और अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे के तुरंत बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की जाएगी जिसमें वैध नामांकित अभ्यर्थियों के नाम, पते, उनके फोटो और आबंटित चुनाव चिह्न होंगे, जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली होगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7क में जारी की जाएगी।

5.6.2. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो जाने के तत्काल बाद उसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को भी दी जाएगी।

5.6.3. निर्वाचन का संचालन (नियम), 1961 के नियम 31 के उप-नियम (1) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित की जाएगी।

5.6.4. संसदीय निर्वाचन के मामले में यह सूची भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी, और विधान सभा निर्वाचन के मामले में यह सूची संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

5.7. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नामों की व्यवस्था

5.7.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 38 तथा संशोधित प्ररूप 4 (वैध नामांकित अभ्यर्थियों की सूची) और प्ररूप 7क (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची) के अनुसार, उक्त सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात् (*i)* मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल और संबंधित राज्यों में राज्य की राजनैतिक दल के अभ्यर्थी, *(ii)* पंजीकृत गैर-पंजीकृत राजनैतिक दल के अभ्यर्थी और (*iii)* अन्य (स्वतंत्र) अभ्यर्थी। अतः, उक्त सूचियों में तथा साथ ही मतपत्रों पर भी इन श्रेणियों के अनुसार उसी क्रम में अभ्यर्थियों के नाम तदनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक श्रेणियों के नाम अलग-अलग वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। (तथापि, उपरोक्त उल्लिखित तीन श्रेणियों के शीर्षक, जैसा संशोधित प्ररूप 7क में उल्लेख है, मतपत्रों पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे)। सभी तीनों श्रेणियों की क्रम संख्या हालाँकि निरंतर क्रम में रहेगी।

5.7.2. रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थियों के नामों की व्यवस्था को वैध नामित अभ्यर्थियों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और मतदान पत्रों में भी उक्त तीन श्रेणियों के अनुसार वर्णक्रमानुसार रखे जाने और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी, भले ही दिया गया नाम सही नाम हो या उपनाम चाहे जो भी हो, रखे जाने का निर्धारण करेंगे। अभ्यर्थी के नाम से पहले जोड़े गए किसी आद्याक्षर, यदि कोई हो, इस उद्देश्यार्थ अनदेखा किया जा सकेगा। इस प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम “टी. के. रेड्डी” देता है, तो अभ्यर्थी के वर्णक्रमानुसार नाम के स्थान पर उसके नाम के अक्षर 'आर' के अनुसार नाम का निर्धारण किया जाएगा अक्षर 'टी' के अनुसार नहीं। तथापि, यदि समान श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के नाम समान हों किन्तु उनके आद्याक्षर भिन्न हों, उदाहरण के लिए पी. एस. रेड्डी और टी. के. रेड्डी, तो उक्त दोनों के नाम परस्पर उनके आद्यक्षरों के पहले अक्षर के अनुसार रखे जाएंगे। साथ ही, यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम तो समान हों

किंतु उनके उपनाम भिन्न हों, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम परस्पर उनके उपनामों के अनुसार वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किए जाएंगे।

5.7.3. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 22(3) और 30(3) में यह व्यवस्था है कि यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम तो समान हों, तो उन्हें उनके पेशे अथवा आवास के पते अथवा किसी अन्य तरीके से भिन्न रखा जाएगा। ऐसे मामलों में, मतपत्रों पर एवं वैध नामांकित अभ्यर्थियों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में एक ही श्रेणी में आने वाले ऐसे नामों की व्यवस्था अभ्यर्थियों के भिन्न नामों के संदर्भ द्वारा की जाएगी।

5.7.4. किसी अभ्यर्थी के नाम में किसी सम्मानसूचक, शैक्षणिक, विरासती अथवा पेशेवराना नाम जोड़े जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी, किन्तु वैध नामांकित तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा मतपत्रों पर उनके नाम वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किए जाने के क्रम में उक्त शीर्षक वाले नामों पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5.7.5. रिटर्निंग अधिकारी वैध नामांकित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नाम, जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो (**परिशिष्ट 9 और 9क**), भाषा की लिपि के अनुसार वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे।

5.8. निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को पहचान-पत्र जारी करना

5.8.1. निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, प्रत्येक निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रारूप में पहचान पत्र जारी करें:-

अभ्यर्थी का पहचान पत्र

फोटोग्राफ

श्री/श्रीमती..... निर्वाचन क्षेत्र ..... से ..... के निर्वाचन के लिए लड़ रहा अभ्यर्थी है और उसे ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

अभिप्रमाणित

स्थानः

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी

(मुहर)

[कृपया ध्यान दें:- यदि किसी राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल या गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी आयोग में पंजीकृत है तो उसे दल का नाम प्रविष्ट करना

चाहिए, अन्यथा प्रारूप में दल का नाम प्रदर्शित करने वाले अंतिम हिस्से को हटा दिया जाना चाहिए]।

5.8.2. आयोग ने निर्णय लिया है कि सभी निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को जारी किए गए पहचान पत्रों में उनके फोटोग्राफ होंगे। इसलिए रिटर्निंग अधिकारी को अनुदेश दिया जाना चाहिए कि वे अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख को निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाते ही अपने फोटोग्राफ की दो प्रतियां प्रस्तुत करें। सभी अभ्यर्थियों के पहचान पत्र दो प्रतियों में तैयार किए जाने चाहिए ताकि डुप्लीकेट रिकार्ड के प्रयोजन के लिए कार्यालय प्रति के रूप में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रखी जा सके।

5.8.3. अभ्यर्थी को अपना परिचय-पत्र रिटर्निंग अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे सदैव अपने पास रखना चाहिए। निर्वाचन अभियान के दौरान, मतदान के दिन तथा मतगणना के दिन, ऐसे अवसर भी हो सकते हैं, जब अभ्यर्थी की पहचान आवश्यक हो सकती है और यह परिचय-पत्र किसी अभ्यर्थी की पहचान के लिए तत्काल प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6. निर्वाचन अभिकर्ता

6.1. निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

6.1.1. अभ्यर्थी किसी भी व्यक्ति को अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है। ध्यान रखें कि विधि के अधीन, अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय किसी निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करना अभ्यर्थी के लिए आवश्यक या उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ऐसी नियुक्ति, यदि अभ्यर्थी ऐसी इच्छा करता है, किसी समय जब वह चाहता हो तो नाम निर्देशन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है या बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति को अभ्यर्थी द्वारा औपचारिक संचार द्वारा प्ररूप 8 (**परिशिष्ट 14**) में दो प्रतियों में किया जाता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी को भेजना होता है। रिटर्निंग अधिकारी अपनी एक प्रति वापस कर देगा और दूसरी प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को वापस कर देगा, जिसमें नियुक्ति की उसकी मंजूरी के बाद उसकी मुहर और हस्ताक्षर टोकन के साथ होंगे।

6.1.2. कोई भी व्यक्ति जो संविधान के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन संसद के किसी सदन या राज्य के विधान सभा के किसी सभा का सदस्य बनने के लिए या निर्वाचनों में मत देने के लिए निरर्हित है, जब तक निरर्हता बनी रहती है तब तक किसी नर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए निरर्हित रहेगा।

6.1.3. इसके अलावा, आयोग ने निर्देश दिया है कि संघ या राज्यों के मंत्रियों और सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राज्य का सुरक्षा कवच प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता (और मतदान और मतगणना अभिकर्ता के रूप में भी) नियुक्त नहीं किया जाएगा। उनके साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को मतदान केन्द्र और मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। सुरक्षा कवर वाले किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर को वापस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6.1.4. अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के साथ दर्ज करके अपने हस्ताक्षर के तहत प्ररूप 9 (**परिशिष्ट 15**) में लिखित रूप से निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर सकता है। यह उस तिथि से संचालित होगा, जिसमें से यह रिटर्निंग अधिकारी के पास दर्ज है। ऐसे प्रत्यावर्तन या निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, अभ्यर्थी उसके स्थान पर किसी अन्य निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। अभ्यर्थी को ऐसे नियुक्ति की सूचना प्ररूप 8 में लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को देनी चाहिए और उसमें तथ्यों को बताना चाहिए।

6.1.5. एक निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के संबंध में इस तरह के कार्य कर सकता है जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा अधिकृत किया गया है और इसके तहत बनाए गए नियम हैं। विशेष रूप से, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को वाउचर द्वारा समर्थित प्रत्येक मद पर किए गए अपने निर्वाचन व्ययों का पूरा हिसाब रखना होगा, जो कि निर्वाचन व्ययों के लेखा के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि किसी भी भ्रष्ट आचरण (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में उल्लिखित है) उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रतिबद्ध विधि में उसके द्वारा प्रतिबद्ध होने के रूप में माना जाएगा और जो उसके निर्वाचन को समाप्त कर देगा। इसलिए, अभ्यर्थी को निर्वाचन अभिकर्ता का चयन करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। भ्रष्ट आचरण के बारे में अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के बारे में अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन अभिकर्ता से पूछना चाहिए। अभ्यर्थी अपनी ओर से निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

6.1.6. अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति: प्रत्येक अभ्यर्थी को विभिन्न व्यय संबंधी मामलों में अभ्यर्थी की सहायता के लिए अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने की भी अनुमति है। यह अतिरिक्त अभिकर्ता व्यय निगरानी मामलों से संबंधित केवल गैर-वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से होंगे। वैधानिक कर्तव्यों, निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी की ओर से प्रदर्शन करने के लिए अधिकृत है, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 40 के तहत नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 12 के अनुसार पढ़ें।

6.1.7. आयोग ने निर्णय लिया है कि निर्वाचन अभिकर्ताओं को पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। प्ररूप 8 में निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का पत्र ही इस तरह के पहचान पत्र के उद्देश्य को पूरा करेगा। अभ्यर्थी को प्ररूप 8 में अपने नियुक्ति पत्र की दोनों प्रतियों के दाहिने शीर्ष भाग पर अपने निर्वाचन अभिकर्ता की तस्वीरों को चिपकाना चाहिए। इन तस्वीरों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी तरह से अभिप्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि अध्याय 5 के पैरा 5.8.2 में अभ्यर्थियों की तस्वीरों के सत्यापन के मामले में निर्देश दिया गया है।

7. निर्वाचन प्रचार की अवधि

7.1. प्रस्तावना

7.1.1. निर्वाचन कानून, अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु निर्धारित तिथि तथा मतदान की तिथि के बीच कम से कम तेरह पूर्ण दिवसों का अंतराल प्रदान करता है। इस अवधि का उपयोग निर्वाचन प्रचार करने और मतदाताओं को शिक्षित करने तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और ऐसे अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए, जिन्हें अभ्यर्थी तैनात करना चाहता है।

7.1.2. एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए इस अवधि का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए, कि उन्हें मतदान मशीनों के माध्यम से अपने मतों को कैसे दर्ज़ करना है। इसी प्रकार, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा नियुक्त मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं को इस बात से भी भली-भांति परिचित होने के लिए कहना चाहिए कि मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का उपयोग कैसे और किस प्रकार करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन के लिए, आयोग ने उनके लिए अलग-अलग विवरण पुस्तिकाएँ तैयार की हैं, जिनका उन्हें सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

7.2. भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचकीय अपराध

7.2.1. निर्वाचन अभियान शुरू करते समय, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नैतिकता और पवित्रता का उच्चतम स्तर बनाए रखा जाए, क्योंकि यही स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करेगा। सबसे प्रबल कारण, जो किसी निर्वाचन के सुचारू संचालन को प्रभावित करता है, और निर्वाचन के दौरान अनुकूल चुनावी प्रतिस्पर्धा के माहौल को बिगाड़ता है, वह है निर्वाचन विधि के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, जो भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों से संबंधित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 से 136 में और आईपीसी के अध्याय IX-ए में निर्वाचन विधि ने विभिन्न भ्रष्ट आचरणों और निर्वाचन अपराधों का उल्लेख किया है। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए, उपर्युक्त प्रावधानों को परिशिष्ट-16 में पुन: प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के किसी भी भ्रष्ट आचरण और अपराधों का कृत्य उसके निर्वाचन को रद्द करा सकता है। इसलिए अभ्यर्थी को अपने अतिउत्साही अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को किसी भी आपत्तिजनक गतिविधियों में संलग्न होने से दूर रखना चाहिए। यहां तक कि भ्रष्ट व्यवहार का एक भी दोष सिद्ध साबित उदाहरण अभ्यर्थी को निर्वाचन से बाहर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, यदि वह निर्वाचन में सफल होता है।

7.2.2. विशेष रूप से, अभ्यर्थी को अपनी ओर से निम्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए:

i. मतदाताओं के साथ ज़बरदस्ती या डराने-धमकाने के तरीके या अन्यथा या किसी भी तरह की रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव;

ii. परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवस्था (यह भी एक दंडनीय अपराध है);

iii. धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भड़काना या भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कृत्य एक भ्रष्ट आचरण है, और जो अभ्यर्थी के निर्वाचन को रद्द कर सकता है, और उसकी सदस्यता को अयोग्य ठहरा सकता है, साथ ही यह एक ऐसा निर्वाचन अपराध है जिसमें उसे तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है;

iv. निर्वाचन में अभ्यर्थी की संभावनाओं की मदद करने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी से कोई सहायता लेना, सिवाय इसके कि सरकारी कर्मचारी, यदि वह ऐसा चाहे, तो उसके लिए अपना मत डाल सकता है;

कृपया ध्यान दें: सरकारी कर्मचारी की ओर से इस तरह की सहायता भ्रष्ट आचरण के साथ-साथ अपराध भी है। यदि अभ्यर्थी उसे ऐसा करने के लिए उकसाता है, तो वह उकसाने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा। बशर्ते कि जहाँ कोई भी व्यक्ति सरकार की सेवा में है और अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन या निर्गमन में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी से संबंधित है, और वह अपने सरकारी दायित्वों के अधीन ऐसे अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से वह ऐसी कोई व्यवस्था करता है या कोई सुविधा प्रदान करता है, या किसी अन्य कार्य या वस्तु के लिए कार्य करता है (चाहे अभ्यर्थी द्वारा आयोजित कार्यालय के कारण या किसी अन्य कारण से), तो ऐसी व्यवस्था, सुविधाएं या कार्य या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहायता के रूप में नहीं माना जाएगा।

v. अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय कानूनी तौर पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है;

vi. मतदान केन्द्र से बैलेट पेपर या वोटिंग मशीन को हटाने या बल के उपयोग से बैलेट बॉक्स या वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ या अन्यथा (ये दंडनीय अपराध हैं);

vii. अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी सहमति से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा धर्म, जाति, जाति, समुदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने या वोट नहीं देने के लिए दबाव डालना अथवा इस हेतु भाषा या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या अपील या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक के लिए अपील या उपयोग करना, जो विधि के अधीन एक भ्रष्ट

आचरण है। (हालाँकि, किसी अभ्यर्थी को आवंटित कोई चुनाव चिन्ह धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होगा);

viii. किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में तथ्य के किसी भी बयान का प्रकाशन;

ix. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135क में यथा परिभाषित बूथ कैप्चरिंग या मतदान केंद्र पर जबरन कब्जा। बूथ कैप्चरिंग एक भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध दोनों है, जिसमें कम से कम छह महीने से लेकर दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

7.3. आदर्श आचार संहिता और इसका अनुपालन

7.3.1. उपर्युक्त भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों के अलावा, निर्वाचन प्रचार कई अन्य रूप भी ले सकते हैं, जो विभिन्न राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के बीच मनमुटाव, द्वेष, टकराव और नाराजगी की भावना पैदा कर सकते हैं और माहौल को बिगाड़ सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने हेतु आयोग ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु एक आदर्श आचार संहिता तैयार की है।

7.3.2. आदर्श आचरण संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की तिथि से ही लागू हो जाती है। आदर्श आचरण संहिता प्रकाशित की जा रही सामाग्री पर भी लागू होगी। आदर्श आचरण संहिता को **परिशिष्ट 17** में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

7.3.3. यदि इस आचरण संहिता का राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाता है, तो उनके बीच दुर्व्यवहार या टकराव का शायद ही कोई कारण होगा, और निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्य को सुचारू रूप से निष्पक्ष तौर पर संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार इन अधिकारियों को इस नेक कार्य में अभ्यर्थी के सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.4. स्थायी समितियाँ

7.4.1. सभी राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संहिता के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए, आयोग ने पूर्व में अनुदेश जारी किए हैं, कि प्रत्येक जिला प्रशासन के प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला स्तर पर एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट आदि और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अलावा, जिले में राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों में शामिल किया जाना चाहिए।

7.4.2. आयोग ने यह भी अनुदेश दिया है कि, उपरोक्त जिला समितियों के अलावा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसी ही समान समितियाँ गठित की जानी चाहिए। यह समिति रिटर्निंग

अधिकारी के अधीन कार्य करेगी और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति की बैठकें, यदि संभव हो, कई बार आयोजित की जा सकती हैं। यह एक प्रहरी के रूप में कार्य करेगा और देखेगा कि आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जा रहा है। यदि अभ्यर्थी ऐसी संहिता के उल्लंघन का कोई भी मामला देखता है, तो उसे आवश्यक उपचारात्मक या दंडात्मक कार्रवाई के लिए इसे समिति को रिपोर्ट करना चाहिए।

7.5. जुलूस और बैठकें

7.5.1. अभ्यर्थी या उसकी पार्टी को किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा के आयोजन के लिए उचित प्राधिकारी से आवश्यक पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए। आयोग ने निर्देश जारी किया है कि सभी सार्वजनिक मैदान, मीटिंग हॉल आदि को सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और किसी भी विशेष राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों को इस संबंध में कोई अनुचित पक्ष या वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों या अन्य पूजा स्थलों को इस तरह की सभाओं के लिए या किसी भी निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, जुलूसों के आयोजन के लिए भी पूर्वानुमति ली जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक यातायात और सुरक्षा व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के लिए यथा समय आवेदन करना चाहिए। ऐसे सड़कों या मार्गों पर जुलूस निकालने से बचना चाहिए जिस पर कुछ अन्य अभ्यर्थी एक ही समय या एक दिन जुलूस निकाल रहे हैं। सचित्र प्रदर्शन और शांतिपूर्ण माध्यम से मतदाताओं को शिक्षित करना सार्थक होगा। भाषण देने या नारे लगाने के दौरान शालीनता और शिष्टाचार के एक उच्च मानक को बनाए रखना चाहिए। ऐसी किसी भी सभा अथवा जुलूस अथवा सामान्य प्रचार के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग संबन्धित प्राधिकारियों से पूर्वानुमति के बगैर तथा इस हेतु आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत नहीं किया जाना चाहिए।

7.5.2. सार्वजनिक उद्बोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या कोई भी साउंड एम्पलीफायर, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो, या स्थिर स्थिति में हो, जिसका उपयोग मतदान उद्देश्यों हेतु सार्वजनिक सभा के लिए किया जाता है, रात्रि 10.00 बजे से लेकर सुबह 6.00 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जाएगा।

7.5.3. किसी भी प्रकार के वाहनों पर किसी भी तरीके से लगाए गए लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित अवधि के समाप्त होने के 48 घंटों की अवधि के दौरान नहीं किया जाना चाहिए।

7.5.4. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, किसी भी वाहन का उपयोग वैध अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी को ऐसे सभी वाहनों का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी या ऐसे

अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो वह निर्वाचन प्रचार में उपयोग कर रहे हैं, तथा जिन्हें विशेष रूप से इस अभियान में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है तथा ऐसे वाहनों के संबंध में पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त संख्या में वाहनों का उपयोग केवल उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अनुज्ञा दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है। निर्वाचन प्रचार के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, उनका विवरण प्रस्तुत करते समय, ऐसे क्षेत्रों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे वाहन संचालित होंगे। निर्वाचन अभियान में प्रयुक्त ऐसे सभी वाहनों होने वाले खर्च को संबन्धित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में दर्ज़ किया जाएगा।

7.5.5. कोई भी वाहन जो जिला प्रशासन के साथ निर्वाचन प्रचार के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है, यदि उसे निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे अभ्यर्थी का अनधिकृत प्रचार माना जाएगा और ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता के अध्याय IXक के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, और इसलिए ऐसे वाहनों को तुरंत प्रचार अभियान से अलग करना चाहिए।

7.5.6. लाउडस्पीकर की फिटिंग सहित वाहनों की बाहरी बनावट में संशोधन किया जाना मोटर वाहन अधिनियम/नियमों और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। ऐसे संशोधनों और विशेष अभियान वाले वाहनों जैसे वीडियो रथ आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

7.5.7. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रचार के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन केवल निर्वाचन अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति से किए जा रहे हों और इसकी विंडस्क्रीन पर जारी किए गए परमिट की मूल प्रति (फोटोकॉपी नहीं) को प्रदर्शित किया जाए। परमिट में वाहन संख्या और उस अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख होना चाहिए, जिसके पक्ष में इसे जारी किया गया है।

7.5.8. अभ्यर्थी को हेलीकाप्टर से उतरने के संबंध में और उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बारे में 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन को सूचित करना चाहिए और ऐसे हेलीकाप्टर के उतरने हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए।

7.6. सार्वजनिक और निजी संपत्ति का विरूपण

कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पास संपत्ति के विरूपण को रोकने के लिए कानून हैं, जिसमें कोई भी इमारत, संरचना, झोपड़ी, दीवार, पेड़, बाड़, पोस्ट, पोल या किसी अन्य निर्माण इत्यादि शामिल हैं। विरूपण में सुंदरता को विकृत करना, बिगाड़ना या हस्तक्षेप करना, नुकसान पहुँचाना, विघटन करना, किसी अन्य तरीके से खराब करना शामिल है। यह अपराध संज्ञेय है और इसमें कारावास या अर्थदंड दोनों का प्रावधान है। अभ्यर्थी को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि वह या उसके अभिकर्ता आदि इस कानून के प्रावधानों और/या निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण से संबंधित सामान्य कानून का उल्लंघन न करते हों। भारत निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विरूपण पर निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थी को संपत्तियों के विरूपण पर स्थानीय कानून से परिचित होना चाहिए और साथ ही ऐसे मामलों में आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए-

i. सार्वजनिक स्थानों का विरूपण:

1. किसी भी सरकारी परिसर (सिविल संरचनाओं सहित) में दीवार लेखन, पोस्टरों/कागजों को चिपकाने या किसी अन्य रूप में विरूपण, या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में कोई सरकारी कार्यालय और परिसर शामिल होगा जिसमें कार्यालय भवन स्थित है।

2. यदि स्थानीय कानून स्पष्ट रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर, भुगतान के आधार पर स्लोगन लिखने, पोस्टर प्रदर्शित करने, या कट-आउट, होर्डिंग्स, बैनर, राजनैतिक विज्ञापन इत्यादि को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करता है (जैसा कि सरकारी परिसर के लिए मान्य है) या अन्यथा, जहां कानून के संबंधित प्रावधानों और न्यायालय के आदेशों के अधीन अनुमति दी जा सकती है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी विशेष पार्टी(यां) या अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) द्वारा ऐसी किसी भी जगह का वर्चस्व/एकाधिकार नहीं किया गया है। सभी दलों और अभ्यर्थियों को इस संबंध में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

3. यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्थान दिया गया है, उदाहरण के लिए बिल बोर्ड, होर्डिंग्स आदि और यदि इस तरह की जगह पहले से ही किसी भी एजेंसी को अलग-अलग ग्राहकों को आवंटित करने के लिए दी गई है, तो संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, यदि कोई हो, द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थान तक पहुँचने का समान अवसर मिले।

ii. निजी स्थानों का विरूपण

(क) उन राज्यों में जहाँ इस विषय पर कोई स्थानीय कानून मौजूद नहीं है, और जहाँ कानून है वहाँ कानून के तहत प्रतिबंधों के अधीन हैं, विज्ञापन सामग्री जैसे झंडे और बैनर वहाँ रहने वालों की स्वैच्छिक अनुमति के साथ निजी परिसर में लगाए जा सकते हैं, जो अस्थायी हों और जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। अनुमति सहज रूप में मिलनी चाहिए और यह किसी दबाव या भय से नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के बैनर या झंडे से दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं करने चाहिए। इस संबंध में प्राप्त लिखित स्वैच्छिक

अनुमति की छाया प्रति नीचे निर्दिष्ट उप-पैरा (ग) में झंडे और बैनर लगाने के 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) यदि स्थानीय कानून स्पष्ट रूप से दीवार लेखन, पोस्टर चिपकाने, और इसी तरह के अन्य स्थायी/अर्ध-स्थायी विरूपण अनुमति नहीं देता है, जो आसानी से हटाने योग्य नहीं है, तो किसी भी परिस्थिति में संपत्ति के स्वामी से ऐसी सहमति प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यह उन राज्यों में भी लागू होगा, जहाँ संपत्ति के विरूपण को रोकने के विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है।

(ग) जहाँ स्थानीय कानून संपत्ति के स्वामी की अनुमति से निजी परिसरों पर दीवार लेखन और पोस्टर चिपकाने, होर्डिंग्स, बैनर आदि लगाने की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या संबंधित राजनैतिक दल द्वारा संपत्ति के मालिक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे, और 3 दिनों के भीतर उसकी छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नामित अधिकारी को निम्नलिखित प्रोफार्मा में एक बयान के साथ प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में और उप-पैरा (क) में उल्लिखित मामलों में स्पष्ट रूप से उस संपत्ति के मालिक का नाम और पता का उल्लेख होना चाहिए, जहाँ से व्यय या एक साथ व्यय किए जाने की संभावना के साथ इस तरह की अनुमति प्राप्त की गई है। ऐसे लेखन/प्रदर्शन में समुदायों के बीच असहमति पैदा करने वाला कुछ भी भड़काऊ या संभावित कथन शामिल नहीं होगा। इस प्रकार के विशेष प्रचार के व्यय को अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के निर्वाचन प्रचार व्यय में जोड़ा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को इंगित किए बिना किसी दल के लिए विशेष निर्वाचन प्रचार पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी या निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन संचालन से जुड़े किसी अधिकारी के समक्ष जाँच के लिए ऐसी सूचना अथवा अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर निर्वाचन अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को गाँव/इलाके/शहर-वार प्रस्तुत करेगा।

गांव/कस्बे/इलाके का नाम ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ..... में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री ....., द्वारा प्रदर्शित दीवार-लेखन/पोस्टर/होर्डिंग्स/बैनर आदि का विवरण।

क्र. सं.	निजी संपत्ति के मालिक का नाम और पता जिनसे लिखित अनुमति प्राप्त की गई है	दीवार-लेखन या होर्डिंग्स या बैनर या पोस्टर का विवरण (दीवार लेखन/होर्डिंग/बैनर/पोस्टर का आकार इंगित किया जाएगा)	दीवार लेखन/होर्डिंग/बैनर/पोस्टर आदि पर किए गए व्यय या होने की संभावना

			(रुपये)
			कुल

(घ) किसी भी स्थानीय कानून या किसी न्यायालय द्वारा जारी आदेश में लागू कानून के अधीन किसी प्रतिबंध के अंतर्गत, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर बैनर, झंडे, कट-आउट लगा सकते हैं, बशर्ते वे ऐसा किसी भी दल, संगठन या व्यक्ति के दबाव के बाइगर स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के करते हों, और यह उल्लेख किया है कि ये किसी भी अन्य तरीके से किसी अन्य के लिए असुविधा का कारण न बनें। यदि बैनर, झंडे आदि के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना है तो आईपीसी की धारा 171ज के प्रावधानों को लागू किया जाएगा और इसका पालन किया जाएगा। आईपीसी की धारा 171ज यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी सामान्य या विशेष अधिकार के बिना किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी सार्वजनिक सभा के आयोजन के लिए, या ऐसे उद्देश्य से किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन में, या किसी अन्य तरीके से व्यय को अधिकृत करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी के चुनाव को प्रोत्साहित करने या प्रापण का उद्देश्य, अर्थदण्ड के साथ दंडनीय होगा जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है: बशर्ते कोई व्यक्ति जो बिना किसी अधिकार के ऐसे व्यय करता है और बिना अधिकार की प्राप्ति के उसका व्यय दस रुपये से अधिक नहीं है, तो उस व्यय की तारीख से दस दिनों के भीतर अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस तरह के व्यय को मंजूरी दी जानी चाहिए, और इस प्रकार का व्यय अभ्यर्थी के अधिकार से किया गया खर्च माना जाएगा।

iii. हॉल/सभागारों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण

1. सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ सहकारी समितियों के स्वामित्व वाले हॉल/सभागारों/बैठक स्थानों के मामले में, यदि उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानून/दिशानिर्देश में वहाँ राजनैतिक बैठकों के आयोजन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटन समान आधार पर किया जाए और किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा इसमें एकाधिकार न हो। इस तरह के स्थानों में, बैनर, बंटिंग, झंडे, कट-आउट का प्रदर्शन, कानून के तहत किसी भी प्रतिबंध के अधीन बैठकों की अवधि के दौरान अनुमति दी जा सकती है। और ऐसे बैनर, झंडे, आदि को पार्टी/व्यक्ति द्वारा बैठक के समापन के तुरंत बाद और किसी भी मामले में बैठक समाप्त होने के युक्तिगत अवधि के उपरांत हटा दिया जाएगा । स्थायी/अर्ध-स्थायी

विरूपण जैसे दीवार लेखन/पोस्टर चिपकाना आदि की अनुमति ऐसे परिसर में नहीं दी जाएगी।

2. यदि कोई भी राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति स्थानीय कानून, यदि कोई है, अथवा उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन में किसी संपत्ति के विरूपण में लिप्त होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उल्लंघनकर्ता को उस विरूपण को तत्काल हटाने की नोटिस जारी करेगा। यदि राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/ व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो जिला अधिकारी विरूपण हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, और प्रक्रिया में होने वाले व्यय को संबन्धित राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति से वसूला जाएगा। इसके अलावा, संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में ऐसी राशि को जोड़ा भी जाएगा, और संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए (कानून की अवहेलना को रोकने से संबंधित कानून के तहत, यदि कोई हो, अथवा दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए सामान्य कानून के प्रावधानों के अधीन)।

iv. वाहनों का विरूपण

1. निजी वाहनों में, मोटर वाहन अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और अदालती आदेशों के अधीन, यदि कोई हो, तो झंडे और स्टिकर ऐसे वाहनों के स्वामी की स्वेच्छा से इस प्रकार लगाए जा सकते हैं, इस प्रकार कि वे सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी असुविधा या परेशानी का कारण नहीं बनते हों। यदि झंडे और स्टिकर के इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी को वोट देना है, तो आईपीसी की धारा 171ज के प्रावधानों के अनुसार इसका अनुपालन करना होगा।
2. वाणिज्यिक वाहनों पर, किसी भी झंडे, स्टिकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसे वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से च्नव प्रचार की अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली गई हो और इसकी मूल प्रति को वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं किया गया हो।
3. लाउडस्पीकर की फिटिंग सहित वाहनों की बाहरी बनावट में संशोधन किया जाना मोटर वाहन अधिनियम/नियमों और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। ऐसे संशोधनों और विशेष अभियान वाले वाहनों जैसे वीडियो रथ आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

v. निर्वाचन प्रचार संबंधी अन्य मुद्दे

व्यय के लेखा-जोखा की शर्त पर निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है:

1. जुलूस और रैलियों आदि में झंडे, बैनर, कट-आउट आदि का उपयोग स्थानीय कानूनों और लागू निषेधात्मक आदेशों के अधीन किया जा सकता है;

2. इस तरह के जुलूस में, पार्टी/अभ्यर्थी द्वारा पहने जाने वाली विशेष वस्तुएं जैसे टोपी, मुखौटा, दुपट्टा आदि पहनने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, दल/अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, शर्ट इत्यादि जैसे मुख्य परिधानों की आपूर्ति की अनुमति नहीं है।

3. शैक्षिक संस्थान, जिसमें इसके खेल के मैदान भी शामिल हैं {चाहे सरकारी सहायता प्राप्त, निजी या सरकारी} का उपयोग राजनैतिक प्रचारों और रैलियों के लिए नहीं किया जाएगा।

vi. अस्थायी चुनाव प्रचार कार्यालय का संचालन

स्थानीय चुनाव प्रचार के उद्देश्य से, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी निर्वाचन प्रचार कार्यालय स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दी जाएगी:

1. किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति के किसी भी अतिक्रमण के आधार पर ऐसा कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
2. किसी धार्मिक स्थानों या किसी धार्मिक स्थलों के परिसर में ऐसा कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
3. इस तरह का कोई भी कार्यालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल से संलग्न करके नहीं खोला जाएगा।
4. किसी मौजूदा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में ऐसा कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
5. ऐसे कार्यालय में केवल एक पार्टी का झण्डा और बैनर उस पार्टी के प्रतीकों/तस्वीरों के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है।
6. ऐसे कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 फीट X 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, जो आगे इस शर्त पर होगा कि यदि स्थानीय कानून ऐसे बैनर/होर्डिंग्स आदि के लिए उक्त से कम आकार का उल्लेख करते हैं; तब स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित कम आकार लागू होगा।

7.7. अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण

7.7.1. देश के कुछ हिस्सों में मतदाताओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के मतदाताओं के लिए खतरा और भय, चिंता का विषय रहा है। इस चुनौती का मुकाबला करने की दृष्टि से निर्वाचन आयोग ने "अति-संवेदनशीलता मापन" की प्रणाली शुरू की है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन केवल कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अनुकूल माहौल में संचालित किया जा सकता है। इसलिए, चुनाव के दौरान और मतदान के दिन कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखना अनिवार्य हो जाता है। निर्वाचनों में बाहुबल के माध्यम से निभाई जा रही भूमिका और चुनावी राजनीति की कुछ प्रचलित सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों पर डराने धमकाने के

खतरे को रोकने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं, जिसमें इसने ऐसे मतदान केंद्र स्थानों की पहचान की है जहां ऐसी डराने धमकाने की घटनाओं की संभावना प्रबल हो सकती है।

7.8 मतदान बंद होने के ठीक पहले 48 घंटे के दौरान सार्वजनिक बैठक और जुलूस पर प्रतिबंध

7.8.1. कानून में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित नहीं करेगा:

(क) किसी निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस का आयोजन, आह्वान, सहभागिता अथवा सम्बोधन करना; अथवा

(ख) चित्रांकन, टेलीविज़न या इस तरह के अन्य माध्यमों से जनसमुदाय को किसी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन करेगा; अथवा

(ग) किसी संगीत कार्यक्रम या किसी नाट्य प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मंचन के आयोजन के माध्यम से जनता हेतु किसी भी निर्वाचन मामले को प्रचारित करना, और ऐसा करके उस मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि के अड़तालीस घंटों की समाप्ति के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में जनता को आकर्षित करना।

7.8.2. कोई भी व्यक्ति, जो उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है, एक निश्चित अवधि हेतु कारावास के दंड का भागीदार होगा, जो दो साल तक या जुर्माना या दोनों हो सकती है।

7.8.3. "निर्वाचन विषय" की अभिव्यक्ति का अभिप्राय किसी निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करने हेतु कोई अपेक्षित या आकलित विषय से है।

7.8.4. जनसभाओं का आयोजन करने के दौरान, अथवा किसी जुलूस इत्यादि का नेतृत्व करते समय अभ्यर्थी को इन प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए।

7.9. सार्वजनिक सभाओं में बाधा

7.9.1. यदि प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थी का कोई समर्थक या अभ्यर्थी या उसकी पार्टी का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति उसकी किसी भी निर्वाचन सभा में गड़बड़ी करता है, तो ऐसी सभा का अध्यक्ष वहां उपस्थित किसी भी पुलिस अधिकारी से, जो वहाँ गड़बड़ी करने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम और पता प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। पुलिस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के तहत अपराधी के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई करेगी, जिसे **परिशिष्ट -16** में पुन: प्रस्तुत किया गया है। धारा 127 के तहत यह अपराध संज्ञेय है।

7.9.2. इसी तरह, अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं और समर्थकों को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थियों की सार्वजनिक सभाओं में गड़बड़ी पैदा न करें।

7.10 **आचार संहिता का सख्ती से पालन-राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए क्या करें और क्या न करें**

7.10.1. जैसा कि पिछले अध्यायों में पहले ही उल्लेख किया गया है, आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु "क्या करें" और "क्या न करें" के दो सेट प्रदान किए हैं **(परिशिष्ट -11 और 12** के अनुसार)। यह सुनिश्चित करें कि केवल अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दल भी, यदि कोई हो, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है, उसके अभिकर्ता, कार्यकर्ता, समर्थक और सहानुभूति रखने वाले लोगों द्वारा इन "क्या करें और क्या न करें" का सख्ती से निर्वाचन के समय की घोषणा और उनके पूरा होने तक अनुपालन करें।

7.11. पर्चों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबंध

7.11.1. अभ्यर्थी का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निर्वाचन के पर्चे और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाता है। यह खंड उल्लेख करता है कि-

(क) निर्वाचन के प्रत्येक पर्चे, इश्तहार, तख्ती या पोस्टर, जो किसी भी प्रक्रिया द्वारा मुद्रित या मल्टीग्राफ होते हैं (हाथ से कॉपी किए गए को छोड़कर), उसमें सामने की ओर मुद्रक का नाम और पता तथा प्रकाशकों के नाम और पते होने चाहिए:

(ख) इस तरह के किसी भी दस्तावेज के मुद्रक को इच्छुक प्रकाशक से उसकी पहचान के बारे में एक घोषणा दो प्रतियों में प्राप्त करनी चाहिए और उसकी पहचान को दो व्यक्तियों द्वारा पहचानकर्ता के रूप में सत्यापित किया जाना चाहिए, जिसे वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं (**परिशिष्ट-18** का अनुलग्नक-क)।

(ग) जैसे ही दस्तावेज़ मुद्रित होता है, प्रिंटर को घोषणा की एक प्रति और दस्तावेज़ की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए, अन्य मामले में यदि दस्तावेज़ राज्य की राजधानी में छपा हो तो इसे संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए जहां इसे मुद्रित किया गया है;

(घ) धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय है जिसमें छः महीनों तक का कारावास अथवा दो हजार रुपयों तक का अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है;

(ङ) हालाँकि ये प्रतिबन्ध किसी हैंडबिल, तख्ती या पोस्टर पर लागू नहीं होता जिसमें निर्वाचन अभिकर्मियों या कार्यकर्ताओं के लिए मात्र किसी निर्वाचन सभा या नियमित निर्देश जैसे सभा की तिथि, स्थान और अन्य विवरणों की घोषणा की गयी हो।

7.11.2. आदेश के अनुपालन की कड़ाई से निगरानी करने के लिए, कानून के उपरोक्त प्रावधानों की आवश्यकताओं को आयोग ने 2.9.94 **(परिशिष्ट-18)** पर विस्तृत आदेश में जारी किया है। आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

(क) उपर्युक्त उप-पैरा (ग) में उल्लिखित एक प्रति की बजाय, मुद्रक को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां भेजनी चाहिए, और प्रकाशक की घोषणा की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को इसकी छपाई के 3 दिनों के भीतर भेजनी चाहिए, ऐसा न करने पर इसे उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

(ख) मुद्रक को मुद्रित सामग्री की प्रतियाँ घोषणा के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें पैम्फ़लेट आदि की प्रतियों की संख्या के बारे में पूर्ण विवरण, और इसके लिए प्रभारित मूल्य को आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो मुद्रक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित हो। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा की एक प्रति **परिशिष्ट-18** के अनुलग्नक-बी में संलग्न की गई है।

(ग) जिलाधिकारी अपने कार्यालय में सभी निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि को किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेंगे, जो उन्हें प्रिंटिंग प्रेस से प्राप्त होगा, ताकि अभ्यर्थी और अन्य इच्छुक व्यक्ति उन दस्तावेजों के संबंध में जाँच कर सकें कि वांछित कानून का अनुपालन किया गया है और ऐसे मामलों को आयोग के संज्ञान में लाया जा सके और यह देखा जा सके कि किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी इस तरह के दस्तावेजों को उनके द्वारा प्राप्त करने के संबंध में उपरोक्त अनुसार कार्य करेंगे।

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारीगण जिन्हें अपराधों का पता लगाने और जाँच का कार्यभार सौंपा गया है, उन्हें निर्देश दिये गए हैं कि यदि लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 127-क के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में निर्वाचन पोस्टर, पर्चे आदि के प्रकाशन का कोई मामला आता है, अथवा संज्ञान में लाया जाता है तो ऐसे सभी मामलों में, अपराधियों के विरूद्ध त्वरित अभियोजन कार्रवाई की जानी चाहिए।

7.11.3. हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है कि विज्ञापन प्रिंट मीडिया, विशेष रूप से समाचार पत्रों में किसी विशेष राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के पक्ष या विपक्ष में दिए जाते है, जो कभी किसी ओर के नाम से अथवा कुछ संगठन के नाम से प्रकाशित किए जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं-

(क) विज्ञापनों के मामले में, जिसके स्रोत का पता लगाना संभव है, निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:

i. यदि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति या उसकी जानकारी में प्रकाशित किए गए हैं, तो इसे संबंधित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) द्वारा अधिकृत माना जाएगा और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के साथ इसकी गणना की जाएगी;

ii. यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार से प्रकाशित नहीं किया गया है, तो आईपीसी की धारा 171ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी- (संबन्धित अभ्यर्थी से लिखित प्राधिकार के बिना विज्ञापन में व्यय हेतु)।

(ख) यदि किसी प्रकाशक की पहचान को विज्ञापन में दर्शाया नहीं गया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी सम्बंधित समाचारपत्र से संपर्क करेगा, उससे सूचना प्राप्त करेगा और उपरोक्त के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा।

7.11.4. अभ्यर्थी को यह देखना होगा कि निर्वाचन के पर्चे और पोस्टर के छपने के संबंध में कानून की सभी आवश्यकताओं और आयोग के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया गया है, और ये उसकी ओर से प्रकाशित किया गया है। यह स्वस्थ निर्वाचन प्रचार सुनिश्चित करने और निर्वाचनों की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही, अभ्यर्थी को उसके संज्ञान में आए ऐसे किसी भी मामले को संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिसमें कानून के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी निर्वाचन पोस्टर या पैम्फलेट के प्रकाशन में किया गया हो।

7.12. लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के दुरुपयोग का निषेध

7.12.1. हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि, आदर्श आचरण संहिता और उसकी और से जारी निर्देशों/अनुदेशों के प्रावधानों का निर्वाचन के दौरान उल्लंघन करने वाले निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा त्वरित संदेश सेवाओं (एसएमएस) पर कुछ आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने की प्रवृत्ति को भी देखा है। उपरोक्त कृत्यों के द्वारा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का वातावरण खराब हो जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

i. ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस के लिए, जो निर्वाचन विधि के प्रावधानों, आदर्श आचरण संहिता और इस संबंध में आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करता हो, पुलिस प्राधिकारी ऐसे विशेष मोबाइल नंबरों को प्रसारित करेंगे, जिन पर ऐसे एसएमएस को भेज सकते हैं (आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वाले प्रेषक के मोबाइल नम्बर के साथ)। पुलिस अधिकारी उचित जाँच शुरू करेंगे और ऐसे एसएमएस भेजने वाले के मूल प्रेषक का पता लगाएंगे, तथा भारतीय दंड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के अधीन प्रासंगिक प्रावधानों व आयोग द्वारा जारी निर्देश/निर्देश एवं मामले में लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे।

ii. प्रचार की अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन कार्य के रूप में प्रेषित बड़ी मात्रा में (बल्क) एसएमएस, जो रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में आते हैं, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा, जो इस हेतु सेवा

प्रदाता से इसकी लागत का पता लगाएंगे और इसे संबन्धित अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों में बराबर बांटते हुए मामले के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

iii. मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि हेतु किसी भी राजनैतिक प्रकृति के बल्क एसएमएस प्रसारित करने पर प्रतिबंध होगा।

7.13. अभियान की अवधि खत्म हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध

7.13.1. अभ्यर्थी का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जो मतदान के समापन के 48 घंटे की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए, आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद, जिला निर्वाचन प्रशासन/पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद ऐसे सभी राजनैतिक कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाएं। हालाँकि, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निर्वाचित सांसद अथवा विधायक को लोक सभा/राज्य विधान सभा के निर्वाचन के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, भले ही वह उस लोकसभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है। हालाँकि, ऐसे सांसद/विधायक को निर्वाचन प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद, मतदान के समय से 48 घंटे पहले, संविधान में कोई भी निर्वाचन प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, विधायक केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहेंगे और लोकसभा निर्वाचन के मामले में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे।

7.14. अनाधिकारिक पहचान पर्चियां

7.14.1. राजनैतिक दल और अभ्यर्थी गैर-सरकारी पहचान पर्चियाँ जारी कर सकते हैं जिसमें मतदाताओं के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ सम्मिलित होंगी;

i. निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम और क्रमांक;

ii. निर्वाचक नामावली की भाग संख्या; तथा

iii. मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम।

7.14.2. पहचान पर्चियाँ सफ़ेद कागज पर होनी चाहिए और उसमें अभ्यर्थी का नाम और/अथवा उसके दल का नाम और/अथवा उसका निर्वाचन चिह्न नहीं होना चाहिए। पर्चियों में कोई नारा या किसी दल अथवा किसी अभ्यर्थी के लिए मतदान करने का आह्वान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मतदान केन्द्र के अन्दर प्रचार करने जैसा होगा, जिसकी अनुमति नहीं है। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में कोई पर्ची जिसमें ऐसा कोई नारा या आह्वान हो, प्रचार किये जाने के बराबर होगा जो कानून के अधीन स्वीकार्य नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा जारी किए जा सकने वाले पर्चियों की विषयवस्तु को नीचे दिया गया है:

- पीसी/एसी का नाम .....
- मतदान केन्द्र की संख्या और नाम .....
- (स्थान का विवरण) .....
- निर्वाचक नामावली में मतदाता का क्रमांक .....
- भाग संख्या.....
- नाम: .....

7.15. मतदान पूर्वाभ्यास

7.15.1. अभ्यर्थी अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदान के पूर्वाभ्यास में भाग लेने के लिए अपने मतदान अभिकर्ता की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि वे मतदान प्रक्रिया और मतदान मशीनों के संचालन से भलीभाँति परिचित हो सकें।

7.16. मतदान प्रक्रिया के बारे में निर्वाचकों को शिक्षित करना

7.16.1. अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं को निर्वाचकों को मतदान प्रक्रिया और विशेष रूप से मतदान मशीनों और वीवीपीएटी के माध्यम से मतों को दर्ज़ करने के तरीके के बारे में शिक्षित करना चाहिए। निर्वाचकों को मतदान मशीनों का उपयोग करने और बिना किसी डर के अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि यह किसी भी तरह से उनके मत की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेगा या उनकी पहचान का खुलासा नहीं करेगा, क्योंकि निर्वाचकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान वाले मतदाताओं के रजिस्टरों के पैकेट, मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद सील कर दिए जाएंगे, जिसमें पीठासीन अधिकारियों और मतदान अभिकर्ताओं की मुहरें लगी होंगी और इस तरह मुहरबंद किए पैकेट उसके बाद किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा खोले या निरीक्षण नहीं किए जाएंगे।

7.16.2. मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं को मतदान प्रक्रिया के अन्य विवरणों के बारे में निर्वाचकों को परिचित कराना चाहिए। निर्वाचकों को सूचित किया जाना चाहिए कि निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक का नाम और उसकी पहचान स्थापित होने के बाद, उसके बाएं हाथ की तर्जनी को अमिट स्याही से चिह्नित किया जाएगा। आयोग ने अब निर्वाचक की उंगली पर अमिट स्याही लगाने का तरीका बदल दिया है। अब अमिट स्याही को मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाया जाएगा, जो नाखून के ऊपरी छोर से बाईं ओर के पहले जोड़ के नीचे की रेखा में लगाया जाएगा।

फिर उसे मतदाताओं के रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की आवश्यकता होगी। यदि वह अपना अंगूठे का निशान रजिस्टर पर लगाता है, तो उसे मतदान अधिकारी की मेज पर रखे गए गीले कपड़े या कपड़े के टुकड़े की मदद से अपने अंगूठे को साफ करना चाहिए। ऐसा मतदान मशीन पर किसी भी संभावित धब्बे के लगने से बचने के लिए आवश्यक होगा। निर्वाचकों को बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाए

जाने के तरीके के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे मतदान केन्द्र में इस पर कोई आपत्ति न उठाएँ। वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट (नियंत्रण इकाई) के प्रभारी मतदान अधिकारी, फिर निर्वाचक को इस मतदाता पर्ची के आधार पर पूरी तरह घिरे मतदान कंपार्टमेंट में रखे गए बैलेट यूनिट (मतदाता इकाई) पर अपना मत रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे। इस कार्य के लिए, मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलट बटन दबाएगा जो मत दर्ज करने के लिए बैलेट यूनिट को सक्रिय करेगा। निर्वाचक अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम, फोटो और प्रतीक के लिए बैलेट यूनिट पर 'कैंडिडेट' बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करेंगे। उक्त बटन को दबाने पर, निर्वाचक को अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने लाल लाइट चमकती हुई दिखाई देगी, जिसका बटन उसने दबाया है और वीवीपीएटी अभ्यर्थी के प्रतीक, नाम और क्रमांक संख्या वाली कागज की एक छोटी पर्ची प्रिंट करेगी जो वीवीपीएटी की खिड़की में सात सेकंड के लिए दिखाई देगी। इसके अलावा, कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज सुनाई देगी। यह ऑडियो और विजुअल संकेत इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मतदाता का वोट उनकी पसंद के अभ्यर्थी के लिए विधिवत दर्ज किया जा चुका है।

7.17 नकली मतदान-पत्र

7.17.1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने नाम और निर्वाचन चिह्न का उपयोग करके मतदान-पत्र की नकल छपवाने पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें उसका वह स्थान दर्शाया गया हो जहाँ वास्तविक निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतदान-पत्र में उसका स्थान दिखाई देता हो। परन्तु इसमें उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन चिह्न सम्मिलित नहीं होने चाहिए। मतदान-पत्र की नकल को किसी भी रंग में; जैसे भूरा, पीला या ग्रे में छपवाया जा सकता है परन्तु गुलाबी और सफ़ेद में नहीं, और वे आकार या रंग में असली मतदान-पत्र के समान नहीं होने चाहिए।

7.18. नकली मतदान इकाई (बैलेट यूनिट)

7.18.1. ऐसे अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी, जो मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिरूपी बैलेट यूनिट तैयार करवाते हैं। प्रतिरूपी बैलेट यूनिट लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाईवुड से निर्मित, और वास्तविक मतदान यूनिटों के आकार से आधे आकार के बक्सों से बनाई जा सकती हैं, और उन पर भूरा, पीला या ग्रे रंगों का उपयोग किया जा सकता है। इन प्रतिरूपी मतदान यूनिटों में अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम और निर्वाचन चिह्न प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान है जैसा कि प्रतिरूपी मतपत्र में होता है। इसमें एक बैटरी से संचालित बटन और एक बत्ती होती है जिसके बटन को दबाये जाने पर बत्ती को जलाया जा सकता है।

7.19. मतदान केन्द्र में ईवीएम का मुद्रित सैंपल

7.19.1. निरक्षर मतदाताओं को ईवीएम के प्रयोग की प्रक्रिया के बारे में समझने हेतु, आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

(क) ईवीएम बैलेट यूनिट का एक मुद्रित नमूना एक कार्डबोर्ड (वास्तविक आकार) पर चिपकाया जाता है जिसकी आपूर्ति सभी पीठासीन अधिकारियों को की जाएगी। इस तरह के नमूने की प्रिंटिंग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें केवल प्रतिरूपी नाम और प्रतिरूपी प्रतीक जो उपयोग में नहीं हैं, का उपयोग किया गया है, और कोई वास्तविक नाम या प्रतीक नहीं हैं। इसे रंगीन मुद्रित किया जाएगा ताकि 'नीले बटन' 'हरी लाइट' और' लाल लाइट' आदि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

(ख) जब कभी कोई मतदाता ईवीएम का उपयोग करके वोट देने में असमर्थता व्यक्त करता है अथवा असमर्थ होता है, तो पीठासीन अधिकारी मतदाता को ईवीएम मतपत्र के कार्डबोर्ड मॉडल का उपयोग करके मतदान प्रक्रिया को इस तरह से समझा सकता है, जिससे मतदाता आसानी से इसका उपयोग कर सके। यह केवल मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान कम्पार्टमेंट के बाहर किया जाएगा और मतदान कम्पार्टमेंट के अंदर कभी नहीं।

(ग) पीठासीन अधिकारी या अन्य मतदान कर्मचारी मतदान कक्ष में बार बार प्रवेश नहीं करेंगे जिसके यह शिकायत का कारण न बन सके।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी मतदाता ने किसी कागज, टेप आदि को प्रतीक/नाम/मतपत्र, बटन पर चिपकाकर कोई शरारत नहीं की है, पीठासीन अधिकारी समय-समय पर बैलेट यूनिट का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही ऐसा करना चाहिए, जब मतदान कक्ष के अंदर कोई मतदाता न हो।

7.20. प्रतीक

7.20.1. मतदाताओं की सुविधा के लिए, अभ्यर्थी अपने निर्वाचन चिह्न की प्रतिलिपियाँ छपवा सकता है और उन्हें वितरित कर सकता है, परन्तु मतदाता मतदान केन्द्र में अपने साथ निर्वाचन चिन्ह वाले पर्चे नहीं ले जा सकता।

7.21. मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची

7.21.1. हाल में, भारत निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि मतदान के दिन, कुछ लोग मतदान केन्द्र पर ऐसे मतदाताओं के नाम पर मतदान करने के लिए आते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा जो अन्य स्थानों पर चले गए हैं। अभ्यर्थी की ओर से मत के लिए प्रचार करने के दौरान, उनके कार्यकर्ताओं और अभिकर्ताओं को लग सकता है कि कुछ मतदाता जिनके नाम निर्वाचक नामावली में हैं, वे मृत हैं, यह कि कुछ मतदाता अपने वास स्थाल से स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। अभ्यर्थी अपने कार्यकर्ताओं से अलग-अलग मतदान केन्द्र के लिए ऐसे मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची तैयार करने के लिए कह सकते हैं। यदि संभव हो तो, ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले सभी

अभ्यर्थियों की सहमति प्राप्त मतदाताओं की सूची प्राप्त की जाए, और इस रिटर्निंग अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के पहले दिन से कम से कम 7 दिन पूर्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। यदि ऐसी सूची पर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा सहमति नहीं दी जा सकी है, तो जितना संभव हो सके उतने की की सहमति प्राप्त की जाए या, यह भी न हो सके तो रिटर्निंग अधिकारी को उनकी अपनी सूची दें।

7.21.2. मतदान के समय किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे मतदाता का मत डालने को रोकने के लिए, आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत निर्वाचकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:

- मतदान केन्द्र-वार अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची तैयार की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत निर्वाचकों की एक पृथक सूची (एएसडी सूची) उपलब्ध कराई गयी है।
- मतदान वाले दिन, मत डालने के लिए, निर्वाचक, जिसका नाम ऐसी किसी सूची में है, को अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी या आयोग द्वारा मान्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पहचान दस्तावेज़ का सत्यापन करेगा और उनका विवरण मतदाताओं के रजिस्टर (प्रपत्र 17क) में सम्बंधित मतदान अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए।
- मतदाताओं के रजिस्टर (प्रपत्र 17क) के "हस्ताक्षर/अँगूठे के निशान" वाले कॉलम के सामने ऐसे निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के अतिरिक्त, उनके अँगूठे के निशान प्राप्त किए जा सकते हैं। हस्ताक्षर के अतिरिक्त अंगूठे का निशान उस निर्वाचक के मामले में भी लिया जाएगा जो साक्षर है और हस्ताक्षर कर सकता है।
- पीठासीन अधिकारी इसका एक रिकॉर्ड रखेगा और मतदान के अंत में इस आश्य का प्रमाण-पत्र देगा (इसे जाँच के लिए प्रपत्र 17क के साथ रखा जाना है), कि एएसडी सूची से इतने निर्वाचकों को उचित जाँच के उपरांत मत डालने की अनुमति दी गई।
- यदि मतदान केन्द्र में वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जा रही है तो ऐसे निर्वाचकों के फोटोग्राफ लिए जायेंगे और उनका रिकार्ड रखा जाएगा।

7.21.3. वहाँ उपस्थित सूक्ष्म प्रेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत निर्वाचकों से सम्बंधित इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है, और उन्हें अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में विशिष्ट उल्लेख करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को उन निर्वाचकों के लिए मतदान केन्द्रों में अपनाई जाने वाली इन प्रक्रियाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी, जो अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत निर्वाचकों की सूची में हैं। आयोग ने निदेश दिया है कि मतदान केन्द्र पर मत डालने के दौरान प्रवासी

निर्वाचकों की पहचान उनके द्वारा प्रस्तुत मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। मतदाताओं से ली गई मतदाता पर्ची को क्रमवार नत्थी किया जाना चाहिए और मतदान पूरा होने के बाद, इस प्रयोजन के लिए दिए गए अलग लिफाफे में इन्हें रखा जाना चाहिए।

7.21.4. सूची को सही-सही तैयार किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें किसी वास्तविक मतदाता का नाम शामिल न हो। यदि किसी वास्तविक मतदाता को गलती से मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची में शामिल किया जाता है, तो इससे वह नाराज हो जाएगा और मतदान केन्द्र पर उसके मतदान के अधिकार पर सवाल उठाया जाएगा।

7.21.5. अभ्यर्थी को अपने मतदान अभिकर्ता को प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए उस मतदान केन्द्र के ऐसे मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित और डुप्लिकेट फर्जी मतदाताओं की सूची की एक प्रति सौंपनी चाहिए, ताकि वह मतदान के दिन ऐसे किसी भी मतदाता के नाम पर मतदान के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति पर निगरानी रख सके और पीठासीन अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सके।

7.21.6. उपरोक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करके, अभ्यर्थी न केवल अपनी सहायता करेंगे अपितु वास्तव में फर्जी मतदान रोकने में निर्वाचन अधिकारियों को सहयोग भी करेंगे।

7.22. मतदान से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मौत

7.22.1. किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन रद्द किए जाने से संबंधित पूर्व के कानून (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52) में, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 द्वारा उल्लेखनीय संशोधन किया गया है। संशोधित धारा 52 के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में ही मतदान स्थगति किया जा सकेगा:-

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को पूर्वाहन 11.00 बजे के बाद किसी भी समय यदि ऐसे अभ्यर्थी की मृत्यु होती है और धारा 36 के अधीन उसका नामनिर्देशन वैद्य पाया जाता है; अथवा

(ख) धारा 36 के अधीन उसका नामनिर्देशन जाँच में वैद्य पाया गया है और उसने धारा 37 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उक्त दोनों में से किसी भी स्थिति के बावजूद धारा 38 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने से पूर्व किसी समय उसकी मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, अथवा

(ग) उसकी मृत्यु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में हो जाती है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट मतदान शुरू होने से पहले प्राप्त होती है।

7.22.2. अभ्यर्थी की मृत्यु की रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाने पर, रिटर्निंग अधिकारी मतदान को उस तारीख तक स्थगित करने का आदेश देंगे, जो निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में अधिसूचित की जाए।

7.22.3. उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अनुसार किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक अभ्यर्थी के नामनिर्देशन सहित सभी नामनिर्देशनों की जाँच के पश्चात ही मतदान के स्थगन के आदेश दिये जाएंगें। ऐसे मामलें में यह नोट किया जाए कि अभ्यर्थी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया तभी माना जाएगा जब अभ्यर्थी की मृत्यु होने तक निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों। यदि उक्त दल ने अभ्यर्थी की मृत्यु के समय तक निर्धारित प्ररूप 'क' और 'ख' में अभ्यर्थी को खड़ा करने के बारे में सूचना नहीं दी है, तो अभ्यर्थी को मतदान के स्थगन के प्रयोजन के संबंध में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले में किसी दल का यह तर्क कि उसने दिन के अपराहन 3.00 बजे तक (निर्वाचन चिन्ह आदेश के पैरा 13 के अधीन यथा अपेक्षित) अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दे देता, स्वीकार्य नहीं होगा।

7.22.4. इस संबंध में नोट करने वाला एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 के प्रयोजन से मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का अर्थ किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल अथवा संबंधित राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यताप्राप्त दल से है। किसी राज्य विशेष में राज्य दल के रूप में मान्यताप्राप्त दल को दूसरे राज्य जहाँ वह एक राज्य दल के रूप मे मान्यताप्राप्त नहीं है, चाहे उक्त दल को दूसरे राज्यों में अपना चिह्न इस्तेमाल करने के लिए छूट ही क्यों न दी गई हो, में केवल एक पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दल माना जाएगा। अतः ऐसे दल द्वारा किसी अन्य राज्य में खड़े किए गए अभ्यर्थी की मृत्यु पर मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा।

7.22.5. किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी की मृत्यु के बारे में रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग संबंधित राजनैतिक दल को मृतक अभ्यर्थी के स्थान पर उक्त निर्वाचन के लिए कोई और अभ्यर्थी का नामनिर्देशन करने के लिए कहेगा। राजनैतिक दल को निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय की सूचना जारी करने की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा नामनिर्देशन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशनों निर्धारित प्ररूप (अर्थात प्ररूप 2क अथवा 2ख, जैसा भी मामला हो) में किया जायेगा और उसे पुनः जमानत राशि भी जमा करानी होगी। निर्धारित प्ररूप में नामनिर्देशन के साथ निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के अधीन निर्धारित प्ररूप क और प्ररूप ख में दल द्वारा अपेक्षित सूचना भी संलग्न की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में उसके नामनिर्देशन, नामनिर्देशन की जाँच और अभ्यर्थिता वापस लेने से संबंधित कानून की सभी औपचारिकताओं का भी अनुपालन किया जाना होगा।

7.22.6. कोई व्यक्ति, जिसने मतदान के स्थगन से पूर्व धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी थी, वह मृतक अभ्यर्थी के स्थान पर अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन किए जाने के लिए पात्र है।

7.22.7. यदि मतदान के स्थगन से पूर्व धारा 38 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पहले प्रकाशित हो चुकी है, तो मृतक अभ्यर्थी के स्थान पर नामनिर्देशित अभ्यर्थी के नाम सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक नई सूची रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार और प्रकाशित की जाएगी।

7.22.8. निर्वाचन के अगले चरण आयोग द्वारा अधिसूचित संशोधित अनुसूची के अनुसार जारी रहेंगे।

8. महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी

8.1. वीडियोग्राफी से संबंधित निर्देश

8.1.1. निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि के उल्लंघन की घटनाओं के सही, विश्वसनीय और उसी समय रिकॉर्ड करने के लिए और अपने स्थाई आदेश के रूप में एवं सार्थक उपायों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं।

1. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी चुनावी माहौल की इन निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, लोक अभियान की अवधि भी और उसके बाद अर्थात मतदान के दिन तथा उसके बाद भी, डाले गए मतपत्रों की पेटियों और अन्य सामग्री की प्राप्ति, और उनके ट्रांसपोर्ट, मतपत्रों की गिनती, एवं परिणामों की घोषणा, संवेदनशील घटनाओं की तटस्थ होशियार व सार्थक रूप से वीडियो ग्राफी कराने के लिए प्रबंध करेंगे।
2. रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य के लिए वीडियो कैमरा और वे कर्मी जो उन के अधिकार क्षेत्र में सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध है, का प्रयोग कर सकेंगे या स्थानीय व्यावसायिक वीडियो ग्राफर की सेवाएं किराए पर ले सकेंगे।
3. रिटर्निंग अधिकारी वीडियो टीमों की कार्यसूची बनाते समय, निर्वाचकों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का आकार, संवेदनशील निर्वाचन स्थलों की संख्या, बूथ कब्जाने की पुरानी घटनाएं एवं अन्य अपनाए गये गलत तरीकों और सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति, किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों और अन्य संबंधित कार्य को ध्यान में रखेंगे।
4. रिटर्निंग अधिकारी मूल्यांकन के आधार पर वीडियो टीमों की संख्या की आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगे। किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम और न्यूनतम वीडियो टीमों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और इसे उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए इनका सही मूल्यांकन, रिटर्निंग अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

8.1.2. वीडियोग्राफरों को काम पर लेने के मामले और उनकी तैनाती के संदर्भ में आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :

1. प्राइवेट वीडियो ग्राफरों को संविदा पर लेते समय पूर्ण रूपेण संवीक्षा की जाएगी जिसमें उनके व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, वित्तीय स्थायित्व, एवं अन्य संबंधित कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा।
2. वीडियो ग्राफर किसी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं होने चाहिए और किसी भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके दल के किसी नेता के ज्ञात समर्थक या सहानुभूति रखने वाले नहीं होने चाहिए और न ही वे राजनैतिक दल या उनके

कार्यकर्ता या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उनकी सेवाएं किराए पर न ली हुई होनी चाहिए।

3. रिटर्निंग अधिकारी ऐसे वीडियोग्राफरों की चाय नाश्ते और खाने आदि का प्रबंध करेंगे ताकि उन्हें ड्यूटी पर इधर-उधर न भटकना पडे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ड्यूटी के दौरान वीडियोग्राफर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दल अथवा उनके किसी कार्यकर्ता का आतिथ्य किसी भी कीमत पर स्वीकार न करें।
4. वीडियो टीमों को वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों की व्यक्तिगत देखरेख और मार्गदर्शन में रहना होगा।
5. जब भी जरूरत पड़ेगी वीडियो टीमों को आम/निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों के साथ जाना पड़ेगा ताकि वे देखी हुई उन संवेदनशील घटनाओं के वीडियो टेप ले सकें।
6. वीडियोग्राफरों को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य वीडियोग्राफी से उन संवेदनशील घटनाओं को वीडियो टेप करना है जिनसे चुनाव प्रभावित होने की शंका है, लेकिन कैसेट भरने के लिए नियमित तौर पर सारी घटनाओं की वीडियो टेप करना जरूरी नहीं है।

8.1.3. विशेष निगरानी और वीडियोग्राफी के लिए निम्नलिखित मदों पर विचार किया जाना चाहिए-

- मान्यता प्राप्त दलों के मंत्रियों, शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तर के नेताओं द्वारा सभाओं को संबोधित करना/भाग लेना।
- दंगे या दंगे-फसाद की परिस्थितियाँ या पत्थर फेंककर हंगामा करना, हाथापाई आदि।
- हिंसक घटनाएं, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, लूटपाट, आगजनी, हथियारों को दिखाना आदि।
- बूथ कैप्चरिंग।
- मतदाताओं को डराना-धमकाना।
- साड़ी, धोती, कंबल आदि वस्तुओं के वितरण द्वारा मतदाताओं को प्रेरित करना/रिश्वत देना।
- मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के अंदर प्रचार।
- अत्यधिक कटौती जैसे व्यय का भद्दा प्रदर्शन।
- संदिग्ध/आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों की प्रवृत्ति और गतिविधि।
- अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्र
- नाम निर्देशन, जाँच और अभ्यर्थिता वापस लेना जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं
- आरओ द्वारा ईवीएम तैयार करना
- ईवीएम के जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम को बंद करना
- मतगणना के लिए ईवीएम बाहर निकालने से पहले स्ट्रांग रूम खोलना

- मतगणना प्रक्रिया

टिप्पणी: यह केवल सांकेतिक है और व्यापक नहीं है, वीडियो और डिजिटल फोटोग्राफी की दिनांक और समय के साथ रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए ताकि सही समय और तिथि का सत्यापन हो सके।

8.1.4. इस तरह रिकॉर्ड की गई सभी वीडियो फिल्में रिटर्निंग अधिकारी जल्दी ही देखेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी आयोजक, वक्ता अथवा प्रतिभागी ने किसी सार्वजनिक बैठक में कोई उल्लंघन तो नहीं किया है अथवा चुनाव से संबंधित आयोग के सांविधिक प्रावधानों एवं निर्देश या आदर्श आचार संहिता का गलत इस्तेमाल/व्यतिक्रमण तो नहीं हुआ है।

8.1.5. ऐसे मामले जहाँ रिटर्निंग अधिकारी स्वयं सक्षम हैं, वे स्वयं दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सुधारात्मक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और आयोग को तत्काल ही सूचित करेंगे।

8.1.6. गंभीर उल्लंघन के मामलों में जहाँ रिटर्निंग अधिकारी ऐसा निर्णय करते हैं कि आयोग को सूचना दी जाए तो उस संबंधित वीडियो टेप की कॉपी तत्काल ही त्वरित साधन से आयोग को भेजी जानी चाहिए। इन वीडियोटेपों को सावधानीपूर्वक अनुक्रमित् किया जाना चाहिए और इनके साथ उल्लंघन के कार्यो को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए जिन पर आयोग का ध्यान आकर्षित किया जाना हो। इस स्वयं स्पष्ट टिप्पणी में नियमित तौर पर उल्लंघन के पूर्ण विवरण, उनके लिए दोषी व्यक्ति और की जाने वाली कार्रवाई की संस्तुति अंकित की जानी चाहिए।

8.1.7. वीडियो ग्राफिक क्लिपिंग को दैनिक आधार पर संविधान में उपलब्ध पर्यवेक्षकों में से एक को दिखाया जाना आवश्यक है, ताकि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में पनपी स्थिति से आयोग को अवगत करा सके, ताकि जरूरत पड़ने पर उपचारात्मक उपायों को शीघ्रता से लागू किया जा सके।

8.1.8. मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा के लिए आयोग की मंजूरी की मांग करते हुए, रिटर्निंग अधिकारी को इस आशय का एक स्पष्ट विवरण शामिल करना होगा कि वीडियो ग्राफी की गई घटनाओं में देखे गए सभी उल्लंघन उचित रूप से और पूरी तरह से निपटाए गए हैं।

8.1.9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के सम्मान में जो कि 2003 की सिविल अपील संख्या 9228 (जनक बिंघम बनाम दास राय और अन्य) में दिए निर्णय 11 जनवरी 2005 में सम्मिलित हैं, आयोग निर्देश देता है मतदान की गोपनीयता से समझौता किए बगैर मतदान केन्द्र के अंदर निर्वाचकों के फोटोग्राफ लेने और सारी कार्रवाई कवर की जानी चाहिए। ऐसी फोटोग्राफी के लिए संबंधति जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से प्रबंध कराएंगे।

8.1.10. विशेष मामलों में जहाँ आयोग ने विशेष रूप से चिह्नित क्षेत्र/विधान सभा क्षेत्रों/मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के वीडियो/डिजिटल फोटोग्राफी को निर्देशित किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि मत डालने वाले सभी निर्वाचकों के पास ईपीआईसी या अन्य ईसीआई अनुमोदित फोटो पहचान-पत्र नहीं है, उन्हें उसी क्रम में दर्ज किया गया है, जैसेकि वे प्ररूप 17-क अर्थात् मतदाताओं का रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। प्ररूप 17-क में प्रविष्टि किए जाने के तुरंत बाद निर्वाचकों की तस्वीर ली जाएगी।

8.1.11. मतदान केन्द्र में और उसके आस-पास की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी ऐसे मतदान केन्द्रों में वीडियो/डिजिटल कैमरे से कैप्चर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए,

- मतदान शुरू होने से पहले छद्म मतदान (मॉक पोल) और ईवीएम की सीलिंग।
- मतदान कोष्ठ की स्थिति
- मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति
- कतार में अंतिम मतदाता और मतदान के निर्धारित समय के समीप बाहर प्रतीक्षा कर रहे मतदाता
- क्षेत्र अधिकारी, पर्यवेक्षकों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों आदि का दौरा

8.1.12. जिला निर्वाचन अधिकारी निर्दिष्ट मतदान केन्द्र को कवर करने के लिए उचित प्राप्ति रसीद लेकर चुने गए प्रशिक्षित अधिकारियों को डिजिटल कैमरे जारी करेंगे। ये अधिकारी मतदान की अवधि के दौरान ऊपर बताए अनुसार निर्वाचकों की तस्वीरों को कैप्चर करेंगे और मतदान के अंत में एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि "मैंने मतदान केन्द्र संख्या .....पर दिनांक .....को मतदान करने वाले सभी निर्वाचकों की तस्वीरों को कैप्चर किया है ..... और कैमरे में तस्वीरों की कुल संख्या ..... हैं।"

8.1.13. मतदान पूरा होने के पश्चात फोटोग्राफी करने वाले अधिकारी को इस उद्देश्य से स्थापित किए जाने के लिए एक अलग काउंटर, यथा संग्रह केन्द्र पर उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ कैमरा जमा करना होगा। इन अधिकारियों को मतदान केन्द्र के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए उचित ड्यूटी पास दिए जाएंगे। ऐसे कैमरों की प्राप्ति पर जिला निर्वाचन अधिकारी तस्वीरों और उनके फोटो को डाउनलोड करने की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक पुनर्मतदान की सिफारिश के लिए फोटो मिलान के परिणामों का उपयोग करेंगे। सभी मतदान केन्द्रों के संबंध में डाउनलोड किए गए डेटा को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बाद में उपयोग के लिए सीडी में रखा जाएगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तस्वीरों को डाउनलोड करने और बाद के चरणों या चुनावों में उपयोग के लिए उनकी तुलना करने के बाद कैमरों से इस सब डाटा को डिलीट (साफ) कर दिया जाएगा।

8.1.14. मतदान केन्द्रों के अंदर डिजिटल फोटोग्राफी में लगे कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरस्थ क्षेत्रों में कैमरों के संचालन के लिए पर्याप्त बैटरी उपलब्ध हो। सभी द्वितीय मतदान अधिकारी, सभी पीठासीन अधिकारी, सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षकों/अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाएगा।

8.1.15. आयोग के आदेशों के अनुपालन में निर्मित प्रत्येक वीडियो कैसेट संबंधित निर्वाचन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगी और इसकी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने के साथ इसे संग्रहीत किया जाएगा जब तक कि यह आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ निर्वाचन के अन्य रिकॉर्ड के मामले में निर्धारित तरीके से वीड आउट (नष्ट) न कर दी जाए।

8.1.16. इस तरह के सभी वीडियो-कैसेट जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेंगे, जैसा कि अन्य सभी निर्वाचन संबंधी रिकॉर्ड के मामले में होता है।

8.1.17. प्रत्येक वीडियोटेप को निम्न मानक ढंग से एक समान कोड संख्या के साथ अनुक्रमित किया जाएगा: राज्य/जिला/एसी/रिकॉर्डिंग की तिथि/वीडियो- घटना का संक्षेप होगा।

8.1.18. कैसेट की लॉकिंग सील को बरकरार रखा जाएगा और उसे तोड़ा नहीं जाएगा, ताकि किसी दूसरे कैसेट पर कैसेट की सामग्री की नकल करना असंभव हो जाए, लेकिन सामग्री के अचानक लोप होने, संपादन, हेरफेर, आदि को रोकने के लिए, भंडारण से पहले कैसेट को सुरक्षित करने के लिए टेप द्वारा कवर किया जाएगा।

8.1.19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 के साथ पठित नियम 93 (2) के अनुसरण में, आयोग ने निम्नलिखित नियम जारी किए हैं :

- निरीक्षण -

(क) वीडियो कैसेट के निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित में किया जाएगा और जिस कैसेट का निरीक्षण करना है उसकी आवश्यकता के विषय में पूरे ब्योरे उसमें दिए जाएंगे,

(ख) कैसेट के निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन करने वाले व्यक्ति को 25 रुपये प्रति घंटे या उसके किसी भाग के लिए भुगतान करने पर अनुमति दी जाएगी यदि निरीक्षण तत्काल किया जाना है तो उसकी फीस 50 रुपये देय होगी।

(ग) जिस दिन आवेदन किया जाता है उसी दिन या उसके बाद एक साधारण आवेदन पर निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी और तत्काल आवेदन पर निरीक्षण उसी दिन कराया जाएगा।

- प्रमाणित प्रति -

(क) वीडियो कैसेट का प्रमाणित प्रिन्ट आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय रूप से लागू कॉपी करने के वास्तविक व्यय एवं 25 रुपये आवेदन शुल्क के भुगतान करने पर दी जाएगी। आवेदन पत्र में आवेदक के निरीक्षण के अधिकार या प्रमाणित प्रति (प्रिन्ट) लेने को स्थापित किया जाना चाहिए और इसके लिए उसे उस विषय के वीडियो कैसेट में उसका प्रत्यक्ष और वास्तविक हित है, और उस हित की प्रकृति को स्पष्ट करना होगा।

(ख) आधिकारिक प्रयोजनों के लिए कैसेट के निरीक्षण या प्रमाणित प्रति (प्रिंट) की आवश्यकता होने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैसेट के किसी भी दृश्य को हटाने या क्षति या कैसेट को विकृत करने से बचने के लिए, अधिकारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही बड़ी तादाद में व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.1.20. इन वीडियो कैसेटों को जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा;

8.1.21. कैसेट्स की अंतर्वस्तु सामग्री की प्रामाणिकता और सत्यता की कोई गारंटी किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाएगी और इन्हें 'जैसे हैं, वैसे हैं' आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. ईवीएम एवं वीवीपीएटी का परिचय

9.1. प्रस्तावना

9.1.1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), निर्वाचन प्रक्रिया में मतपेटी का प्रतिस्थापन मुख्य है। पहली बार 1977 में निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद को इसका डिजाइन विकसित करने का काम सौंपा था। 1979 में, एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया था, जिसे निर्वाचन आयोग ने 6 अगस्त, 1980 को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रदर्शित किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बैंगलोर, एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम को ईवीएम के निर्माण के लिए ईसीआईएल के साथ सहयोजित किया गया था, और एक बार व्यापक सहमति होने के बाद इसकी शुरूआत हुई।

9.1.2. ईवीएम का पहली बार उपयोग मई, 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया; हालाँकि इसका उपयोग करने के लिए कोई विशिष्ट कानून न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों (अध्याय-3) में ईवीएम के उपयोग के लिए एक प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन किया। शुरुआत में इस पर आम सहमति केवल वर्ष 1998 में ही मिल सकी, और इनका इस्तेमाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीन राज्यों में फैले 25 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। इसका उपयोग वर्ष 1999 में 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में और बाद में फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों की 45 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। मई 2001 में हुए राज्य विधान सभा चुनावों में, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल राज्यों में, ईवीएम का उपयोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। तब से, प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव के लिए, आयोग ईवीएम का उपयोग करता आया है। वर्ष 2004 में लोकसभा के आम चुनाव हेतु देश के सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम (एक मिलियन से अधिक संख्या में) का उपयोग किया गया था।

9.1.3. मतदान मशीनों के उपयोग के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में परिणामी बदलाव भी अपेक्षित हैं, जो मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने और मतगणना के लिए विस्तृत प्रावधान करते हैं। दिनांक 24.3.1992 से प्रभावी निर्वाचनों का संचालन (संशोधित) नियम, 1992 (**परिशिष्ट 19**) के द्वारा उक्त नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन संशोधित नियमों से, नियम 49 के तहत ऐसे मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उपयोग किया जाता है, इस नियम के बाद भाग IV में एक नया अध्याय-II जोड़ा गया है, जिसमें नियम

49-क से 49-व शामिल किए गए हैं। साथ ही, नियम 66 के बाद एक नया नियम 66-क शामिल किया गया था, जिसके तहत मतदान मशीनों के माध्यम से दर्ज वोटों की गणना करने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, नियम 66-क, 55-ग, 56-घ और 57-ग के तहत नए प्रावधान जोड़े गए, जो ईवीएम के माध्यम से होने वाले मतदान की गणना के मामले में क्रमशः नियम 55, 56 और 57 का स्थान लेंगे। इन संशोधित नियमों के द्वारा, प्ररूप 17 को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में **परिशिष्ट** के रूप में जोड़े जाने के बाद नए प्ररूप 17-क, 17-ख और 17-ग भी जोड़े जा चुके हैं।

9.2. ईवीएम का परिचय

9.2.1. एक ईवीएम में दो यूनिट होती हैं, अर्थात्, कंट्रोल यूनिट (सीयू) और बैलेट यूनिट (बीयू)। ये दोनों यूनिट परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, जब मतदान मशीन 5 मीटर लंबी एक केबल से काम करना शुरु करती है, जिसका एक सिरा स्थायी रूप से बैलेट यूनिट से जुड़ा होता है। जब मतदान मशीन इस्तेमाल में लाई जाती है, तो इसका खुला सिरा कंट्रोल यूनिट में लगाया जाता है। एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित 16 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) का नाम दर्ज होता है।

9.2.2. वर्तमान में, ईवीएम के दो मॉडल हैं। इन्हें एम2 ईवीएम और एम3 ईवीएम कहा जाता है।

9.2.3. एम2 ईवीएमः 2006 के बाद के ईवीएम को एम2 ईवीएम कहा जाता है। एम2 ईवीएम में, 4 (चार) बैलेट यूनिट आपस में जोड़कर अधिकतम 64 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) को एकसाथ समायोजित किया जा सकता है, जिन्हें एक कंट्रोल यूनिट के साथ उपयोग किया जा सकता है।

9.2.4. एम3 ईवीएमः 2013 के बाद के ईवीएम को एम3 ईवीएम कहा जाता है। एम3 ईवीएम में, 24 (चौबीस) बैलेट यूनिट आपस में जोड़कर अधिकतम 384 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) को एकसाथ समायोजित किया जा सकता है। यदि चार से अधिक बीयू प्रयुक्त किए गए हैं, तो बैटरी 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं तथा 21वीं बैलेट यूनिट में लगाएँ जाने का प्रावधान होता है। 01 से 24 बीयू क्रमांक को सेट करने के लिए बीयू के दायीं तरफ शीर्ष में दो थम्बव्हील (Thumbwheels) लगे होते हैं। डिस्प्ले पैनल दो पंक्तियों में आंकड़े, प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर, प्रदर्शित करता है। एम3 ईवीएम में 'कैंडीडेट सेट सेक्शन' बैटरी सेक्शन से एक बाहरी द्वार से पृथक रहता है, जो दायीं से बायीं तरफ खुलती है।

9.2.5. बीईएल, बैंगलूरू तथा ईसीआईएल, हैदराबाद दोनों द्वारा निर्मित ईवीएम का स्वरूप एवं विशेषता लगभग एक सी ही हैं। दृष्टिबाधित (अंधे) व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए नीले बटन के दायीं ओर बैलेट यूनिट (बीयू) के शीर्ष कवर पर ब्रेल साइनेज (1-16) प्रदान किया गया है।

9.2.6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) 7.5 वोल्ट बैटरी से संचालित होती है तथा इसे कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह छेड़छाड़ से सुरक्षित, त्रुटि-मुक्त तथा संचालन में आसान है। ईवीएम में दो इकाइयाँ होती है - नियंत्रण इकाई (कंट्रोल यूनिट) तथा मतदान इकाई (बैलेट यूनिट), जिन्हें दो अलग-अलग वहन बक्सों में रखकर आपूर्ति की जाती है, जो आसानी से परिवहनीय होते हैं। ईवीएम में एक बार रिकॉर्ड की गई जानकारी उसकी मेमोरी में रहेगी, चाहे बैटरी निकाल दी जाए।

9.2.7. डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट), ईवीएम मतपत्र, के साथ-साथ डाले गए तथा ब्रेल मतपत्रों के लिए मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम और विवरण वाले पैनल के बाद अंतिम पैनल में 'इनमें से कोई नहीं' (नोटा) लिखा हुआ एक अन्य पैनल होगा, जो उन निर्वाचकों के लिए होगा, जो किसी भी अभ्यर्थी के लिए मतदान न करने का विकल्प चाहते हों। ये शब्द उसी भाषा अथवा भाषाओं में लिखे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम लिखे हों। पैनल का आकार अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर होगा।

9.2.8. मतदान इकाई में निर्वाचन की विशिष्टियाँ, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की फोटो, क्रम संख्या, नाम और उन्हें आबंटित क्रमशः प्रतीकों से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक नीला बटन है। इस नीले बटन को दबाकर मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के लिए अपना वोट दर्ज कर सकता है। इस बटन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक लैम्प है। जब वोट रिकार्ड होता है, तब लैम्प लाल रंग से जलेगा। इसके साथ ही बीप की आवाज भी सुनाई देगी। एक मतदान इकाई में अधिकतम 16 बटन होते हैं। यदि 15 अभ्यर्थी है, तो अंतिम बटन नोटा के लिए होगा।

9.2.9. कंट्रोल यूनिट के सबसे ऊपरी भाग पर विभिन्न जानकारियाँ और मशीन में रिकॉर्ड किए गए आंकड़े प्रदर्शित करने की व्यवस्था है, जैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए कुल वोटों की संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्राप्त वोट इत्यादि। इस भाग को सरल भाषा में कंट्रोल यूनिट का 'प्रदर्शन भाग' (डिस्प्ले सेक्शन) कहा जाता है। प्रदर्शन भाग के नीचे, बैटरी लगाने के लिए एक कक्ष है जिससे मशीन चलती है। इस कंपार्टमेंट के दायीं ओर एक और कंपार्टमेंट है जिसमें किसी निश्चित निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या सेट करने के लिए बटन होता है। इस बटन को "कैंडीडेट सेट" बटन कहा जाता है और इन दो कक्षों से मिलकर बने कंट्रोल यूनिट के सम्पूर्ण भाग को "कैंडिडेट सेट सेक्शन" कहा जाता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन के नीचे कंट्रोल यूनिट का 'रिजल्ट सेक्शन' है। इस भाग में (i) मतदान बन्द करने के लिए बायीं ओर "क्लोज" बटन (ii) मध्य में 'रिजल्ट' एवं 'प्रिंट' दो बटन होते हैं। 'रिजल्ट' बटन परिणाम जानने के लिए होता है। 'प्रिंट' बटन विस्तृत परिणाम के प्रिंट-आऊट के लिए होता है (इस कार्य हेतु एक विशेष उपकरण कंट्रोल यूनिट में जोड़ा जाता है), और (iii) मशीन में रिकार्ड किये गये आंकड़ों की जब आवश्यकता न हो तब उन्हें मिटाने के लिए "क्लीयर" बटन दायीं ओर होता है। कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से में

दो बटन हैं- एक पर "बैलेट" तथा दूसरे पर "टोटल" अंकित है। 'बैलेट' बटन दबाने पर वोट रिकार्ड करने के लिए बैलेट यूनिट (मतदान इकाई) तैयार हो जाती है तथा 'टोटल' बटन दबाने पर उस स्थिति में रिकार्ड किये गये कुल मत (लेकिन बिना अभ्यर्थी मतों के) प्रदर्शित होते हैं। इस सेक्शन को कंट्रोल यूनिट का 'बैलेट सेक्शन' कहा जाता है।

9.3. वीवीपीएटी का परिचय

9.3.1. निर्वाचनों का संचालन (संशोधित) नियम, 2013 के नियम 49क के प्रावधान के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को भी एक मतदान मशीन से जोड़ा जा सकता है ताकि जैसा निर्वाचन आयोग के निर्देश हों, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्रों अथवा उनके हिस्सों में वोट देने की कागज़ पर निशानी प्रिंट की जा सके। इसे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) कहा जाता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी*)* एक स्वतंत्र प्रिंटर सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ जुड़ा होता है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनके मतों को इच्छित रूप में डाला गया है। आयोग ने सभी निर्वाचनों में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी के उपयोग के निर्देश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान कोष्ठ में बैलेट यूनिट के साथ वीवीपीएटी रखेंगे; निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीवीपीएटी को ईवीएम के साथ जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, आनुपातिक तौर पर मतदान कोष्ठ में स्थान बढ़ाया जाएगा। वीवीपीएटी में, बैलेट यूनिट पर बैलेट बटन दबाने पर, मतदाता 7 सेकेंड के लिए मुद्रित पेपर स्लिप देख सकेगा, जिस पर उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या, उसका नाम और चुनाव चिह्न दर्शाया जाएगा, जिस अभ्यर्थी को उसने वोट दिया है। उक्त पेपर स्लिप कटकर वीवीपीएटी के साथ लगे ड्रॉप बॉक्स में गिरने से पूर्व सात सेकेंड तक प्रदर्शित होगी।

9.3.2. वीवीपीएटी 22.5 वोल्ट बैटरी से संचालित होती है और अब हर मतदान केन्द्र में सभी निर्वाचनों में उपयोग की जाती है। वीवीपीएटी पेपर स्लिप (कागज की पर्ची) की प्रिंटिंग के लिए वीवीपीएटी में इस्तेमाल किए गए थर्मल पेपर केवल 1500 पेपर स्लिप प्रिंट कर सकते हैं*,* जिनमें से लगभग 100 पेपर स्लिप वीवीपीएटी को आरंभ किए जाने के दौरान तथा मतदान केन्द्र में मॉक पोल के दौरान मुद्रित किए जाते हैं। इसलिए किसी भी मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1400 है। एम2 वीवीपीएटी के मामले में*,* कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के पास रखी जाती हैं और वीवीपीएटी मतदान कोष्ठ में रखी जाती हैं। एम3 वीवीपीएटी में कोई वीएसडीयू नहीं होती।

10. मतदान हेतु तैयारी - ईवीएम और वीवीपीएटी को आरंभ करना

10.1 परिचय

10.1.1 निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, 2013 के संशोधन के अनुसार नियम 49क के बाद यह प्रावधान जोड़ा गया है कि ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर जिसका डिजाइन आयोग द्वारा अनुमोदित है, का मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाएगा ताकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके किसी भाग में मत का पेपर ट्रेल मुद्रित किया जा सके। यह उपकरण वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) के नाम से जाना जाता है। आयोग ने यह निर्देश दिया है कि सभी संसद एवं राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का उपयोग सभी मतदान केन्द्रों में होगा।

10.2 ईवीएम तथा वीवीपीएटी का यादृच्छिकीकरण तथा प्रथम स्तर की जाँच

10.2.1 सामान्य नीति के अनुसार आयोग यह अपेक्षा करता है कि किसी जिले के भीतर उपलब्ध सभी ईवीएम मशीनें एवं वीवीपीएटी जिला निर्वाचन अधिकारी के सीधे नियंत्रण में जिला मुख्यालय में रखी जाएंगी। यह संभव है कि रखने की जगह की कमी के कारण ईवीएम एवं वीवीपीएटी विकेन्द्रीकृत तरीके से विभिन्न स्थलों पर रखी जाएं। ऐसे मामलों में भी प्रथम स्तरीय जाँच और यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के उद्देश्य से जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम उचित सुरक्षा में जिला मुख्यालय में लाई जाएंगी।

10.2.2 प्रथम स्तरीय जाँच जिला/उपप्रमंडल मुख्यालयों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जैसी भी स्थिति हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रबंधन संबंधी नियंत्रण के अधीन बीईएल/ईसीआईएल के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। प्रथम स्तरीय जाँच से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एक नोडल अधिकारी का नाम निर्देशित करेंगे तथा उस अधिकारी के टेलीफोन नंबरों सहित उसके नाम और उनसे संबंधित अन्य विवरण की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देंगे। प्रथम स्तर की जाँच, जिसमें मशीनों की कार्यक्षमता की जाँच शामिल है, 16 में से प्रत्येक बटन को दबाकर एक मत डालना, और इसके अलावा कुल मशीनों का 1200 मतों के साथ मॉक-पोल करते हुए 1% में, 1000 मतों के साथ 2% में, और 500 मतों में 2% डालने चाहिए। एफएलसी पोल और मॉक पोल परिणाम के अवलोकन के बाद, प्रत्येक ईवीएम (बीयू + सीयू) के लिए पोल डेटा को मिटा दिया जाता है, जिसके बाद गुलाबी कागज की सील (पीपीएस) से कंट्रोल यूनिट को सील करना, और उसके उपरांत रजिस्टर तैयार करना और ईवीएम प्रणाली के माध्यम से मतदान करना होता है।

10.2.3 निगरानी के प्रयोजन से प्रथम स्तरीय जाँच, यादृच्छिकीकरण तथा ई.वी.एम. की तैनाती की प्रक्रिया में उठाये गये विभिन्न कदमों में चिपकने वाला एक लेबल (पूर्व मुद्रित स्टिकर) बनाया जाएगा तथा उपयोग हेतु तैयार रखा जाएगा। (ये स्टीकर इंजीनियरों द्वारा एफएलसी के समय अपने पास रखे जाएंगे)।

10.3 ईवीएम और वीवीपीएटी का संख्यांकन

10.3.1 जैसे ही प्रथम स्तरीय जाँच पूरी होगी, कंट्रोल यूनिट के पीछे की ओर स्टीकर चिपकाया जाएगा और जाँच प्रभारी इंजीनियर स्टीकर में संबंधित स्थान में तारीख दर्शाते हुए अपने हस्ताक्षर करेगा। इसका अर्थ यह होगा कि कंट्रोल यूनिट हर दृष्टि से उपयुक्त है। स्टिकर में संबंधित जगह में कंट्रोल यूनिट (सीयू) की विशिष्ट मशीन संख्या का भी उल्लेख किया जाएगा।

10.3.2 इसके साथ-साथ, इस प्रयोजन के लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि भी संबंधित स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात् कंट्रोल यूनिटें समुचित ताले में अपेक्षित एहतियात और सावधानी के साथ रखी जाएंगी। जाँच के दौरान खराब (दोषपूर्ण) पायी गयी कंट्रोल यूनिट हटा ली जाएंगी और दुरस्त करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही हेतु अलग रखी जाएंगी। यह प्रक्रिया बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी पर भी लागू होगी जिन्हें सत्यापित, हस्ताक्षरित और क्रमांकित किया जाएगा। निर्वाचन में उपयोग हेतु उपयुक्त पायी गईं कंट्रोल यूनिटों, बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी को ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) में एफएलसी ओके भी चिह्नित किया जाएगा। प्रथम स्तरीय जाँच समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए।

10.4 मतदान मशीनों का डेटाबेस

10.4.1 सत्यापित और प्रमाणित कंट्रोल यूनिटों, बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी के आंकड़े अलग-अलग तैयार किए जाएंगे और इसे यादृच्छिकीकरण हेतु तैयार स्थिति में रखा जाएगा। डेटाबेस (आंकड़े) ढांचे में मशीन संख्या (कंट्रोल यूनिट / बैलेट यूनिट / वीवीपीएटी जैसा भी मामला हो, के पिछले हिस्से में धातु की प्लेट पर उकेरी गयी निर्माता द्वारा दी गयी मूल संख्या) दर्शाते हुए कंट्रोल यूनिटों, बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी का ब्यौरा होगा। इसलिए सत्यापित किए गए सीयू, बीयू और वीवीपीएटी को उचित सुरक्षा (ताला-चाभी) में रखा जाएगा।

10.5 मतदान मशीनों के यादृच्छिकीकरण की अनुसूची

10.5.1 जिला निर्वाचन अधिकारी विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को वितरित किये जाने के लिए कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी के यादृच्छिकीकरण के लिए कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। यह कार्य मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर यादृच्छिकीकरण ईएमएस में इस प्रकार किया जाएगा कि कंट्रोल यूनिटें/बैलेट यूनिटें/वीवीपीएटी समूहबद्ध करके

यादृच्छिक रूप से चयनित कर ली जाऐं ताकि वे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपेक्षित यूनिट सहित मतदान दिवस की आवश्यकता से मेल खा सकें। अतिरिक्त कंट्रोल यूनिटें/बैलेट यूनिटें/वीवीपीएटी भी यादृच्छिक रूप से समूहबद्ध की जाएंगी और प्रशिक्षण एवं जागरुकता के उद्देश्य से (मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण के साथ-साथ मतदाता जागरुकता के उद्देश्य से) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार वितरित की जाएंगी। मतदान के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों पर हरे रंग का स्टीकर लगाया जाएगा। स्टीकर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। मतदान के लिए निर्धारित कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों के स्टीकरों पर "निर्वाचन" लिखा होगा। यादृच्छिकीकरण के दौरान विद्यमान पहचान अंकित नहीं की जाएगी। यादृच्छिकीकरण के पश्चात् कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी को ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में "निर्वाचन" अथवा "प्रशिक्षण / जागरुकता" चिह्नित किया जाएगा।

10.5.2 प्रशिक्षण एवं जागरुकता के लिए सिर्फ एफएलसी ओके यूनिटों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पिछले निर्वाचन का कोई भी आंकड़ा मशीन में न हो और बैलेट पेपर एवं वीवीपीएटी के लिए केवल डमी प्रतीकों (डमी सिंबल्स) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

10.5.3 ऐसी ईवीएम एवं वीवीपीएटी जोकि जागरुकता के लिए उपयोग में लाई जानी है, की सूची राष्ट्रीकृत एवं राज्य के राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थी को सौंपी जानी चाहिए। मतदाता जागरूकता का उल्लेख करने वाले चमकदार नारंगी रंग के एक स्टीकर को ऐसे ईवीएम और वीवीपीएटी पर चस्पा कर दिया जाएगा। इन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा और इनका उपयोग केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाएगा, जो संबंधित डीईओ द्वारा तैनात किए गए हैं। उन्हें ईवीएम और वीवीपीएटी की कार्यप्रणाली के बार में व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तथा इस हेतु लॉग बुक रखी जाएंगी।

10.5.4 जागरुकता के उद्देश्य से अलग रखी गई, 5 प्रतिशत ईवीएम और वीवीपीएटी पर ईएमएस में एफएलसी ओके के स्थान पर "प्रशिक्षण एव जागरुकता" चिह्नित करना चाहिए।

10.6 रिटर्निंग अधिकारी को मतदान मशीनों और सूची का वितरण

10.6.1 प्रथम यादृच्छिकीकरण के पश्चात् मतदान केन्द्रों तथा प्रशिक्षण के लिए उपयोग हेतु प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित कंट्रोल यूनिटों और वीवीपीएटी, बैलेट यूनिटों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी तथा इन पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधि और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और

यह सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी। यदि कोई प्रतिनिधि यादृच्छिकीकरण के समय उपलब्ध नहीं होता है तब सूची दल कार्यालय को भेजी जाऐगी और इसकी पावती प्राप्त की जाएगी। प्रथम यादृच्छिकीकरण के पश्चात् यादृच्छिकीकृत कंट्रोल यूनिटों, बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी की सूची, जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया होगा कि कौन-सी कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग मतदान हेतु किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया जाना है तथा कौन सी कंट्रोल यूनिटों, बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी प्रशिक्षण और जागरुकता के लिए किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की जानी है, प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को प्रदान की जाएगी और इस संबंध में एक लिखित पावती प्राप्त की जाएगी। इस सूची की प्रति अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए। इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी का यादृच्छिकीकरण ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

10.6.2 तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र को यादृच्छिक रूप से आवंटित कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों/वीवीपीएटी का प्रभार ग्रहण करेगा। मतदान केन्द्र के प्रयोग हेतु निर्धारित कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों/वीवीपीएटी अलग-अलग उचित सुरक्षा में रिटर्निंग अधिकारी के स्ट्रांग रूम में लाई जाएंगी और चौबीसों घण्टे उचित सुरक्षा में रहेंगी। प्रशिक्षण ईवीएम एवं वीवीपीएटी, प्रशिक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को वितरित की जाएंगी। स्ट्रांग रूम को सील करते समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं और वे भी ताले पर अपनी मोहर लगा सकते हैं।

10.7 द्वितीय यादृच्छिकीकरण

10.7.1 ईवीएम एवं वीवीपीएटी का द्वितीय यादृच्छिकीकरण, कैंडिडेट सेटिंग बटन द्वारा मतदान के लिए ईवीएम एवं वीवीपीएटी को तैयार करके किया जाना होगा क्योंकि ईवीएम का पता लिखा टैग ईवीएम (कैंडिडेट सेटिंग) तैयार करते समय सील किया जाता है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी के दूसरे यादृच्छिकीकरण का उद्देश्य मतदान केन्द्रों को यादृच्छिकीकरण रूप से ईवीएम एवं वीवीपीएटी आवंटित करना है। रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए ईवीएम एवं वीवीपीएटी (कैंडिडेट सेटिंग) तैयार करने की तारीख नियत करेंगे और सभी अभ्यर्थियों को प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने अथवा अपने प्रतिनिधियों को भेजने की सूचना देंगे। यह तारीख अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख समाप्त होने तथा मतपत्रों को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र नियत की जानी चाहिए। निर्धारित तारीख को मतदान के लिए ईवीएम एवं वीवीपीएटी तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपीएटी का दूसरा यादृच्छिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि कंट्रोल यूनिटें और बैलट

यूनिटें एवं वीवीपीएटी मतदान केन्द्रों को यादृच्छिक रूप से आवंटित की जा सकें। कंट्रोल यूनिटों, बैलट यूनिटों एवं वीवीपीएटी के लिए निर्धारित किए गए मतदान केन्द्रों की संख्या सहित उनकी सूची सभी अभ्यर्थियों को सौंपी जाएगी। इसी प्रकार से आरक्षित रखी गई कंट्रोल यूनिटों, बैलट यूनिटों एवं वीवीपीएटी की सूची भी सभी अभ्यर्थियों को सौंपी जाएगी और उसकी लिखित पावती ली जाएगी।

10.8 मतदान मशीनों की तैयारी

10.8.1 ईवीएम एवं वीवीपीएटी की तैयारी के लिए (कैंडिडेट सेटिंग) अभ्यर्थियों को लिखित में पूरा कार्यक्रम भेजा जाना चाहिए। जिसमें यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों को ईवीएम/वीवीपीएटी की तैयारी देखने एवं छद्म मतदान निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवश्य उपस्थित रहना चाहिए।

10.8.2 इस स्तर पर उपर्युक्त के अनुसार यादृच्छिक रूप से मतदान केन्द्रवार निर्धारित कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट एवं वीवीपीएटी की पहचान मतदान केन्द्र संख्या से मिलान करके की जाएगी और उन्हें एक साथ टैग करके जोड़ी में रखा जाएगा। तैयारी हॉल में उपस्थित कोई भी अभ्यर्थी/अभिकर्ता, यदि चाहे तो मास्टर प्रशिक्षकों/तकनीकी कार्मिकों यदि उपलब्ध हों, से कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट/वीवीपीएटी छद्म मतदान एवं परिणाम सत्यापन की पुनः जाँच करा सकते हैं ताकि वे ईवीएम एवं वीवीपीएटी की कार्यप्रणाली से स्वयं संतुष्ट हो सकें। रिटर्निंग अधिकारी भी और अधिक सहायता उपाय के तौर पर इस प्रकार की कंट्रोल यूनिटों/बैलट यूनिटों की जोड़ियों एवं वीवीपीएटी में से न्यूनतम 5 प्रतिशत का यादृच्छिक सत्यापन कर सकते हैं ताकि ईवीएम एवं वीवीपीएटी के कार्य करने की स्थिति की जाँच हो सके।

10.8.3 बैलट यूनिटों को तैयार करने के पश्चात् पिंक पेपर सील (पीपीएस) से सील किया जाना चाहिए और उस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट/वीवीपीएटी के लिए पता लिखा टैग उपयोग किया जाना चाहिए।

10.8.4 आरक्षित कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट के साथ जुड़े पता लिखे टैग से 'आरक्षित' का दर्जा प्रदर्शित होगा। पता लिखे टैगों को लगाने का कार्य भी इसी समय, अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं/प्रेक्षकों की उपस्थिति में संपन्न होगा। ऊपर किये गये उल्लेख के अनुसार, मतदान केन्द्रों को आवंटित सभी यूनिट/बैलट यूनिटों/वीवीपीएटी सहित आरक्षित मशीनें भी अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। उन्हें स्ट्रांग रूम में ताले पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। छद्म मतदान (मॉक पोल) मतदान दिवस पर या कैंडिडेट सेटिंग के दौरान खराब पाई जाने वाली ईवीएम/ वीवीपीएटी को अलग वेयरहाउस में रखा जाना चाहिए।

10.9 वास्तविक पोल के लिए मतदान मशीनों का वितरण

10.9.1 जब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम एवं वीवीपीएटी को मतदान केन्द्रों को भेजे जाने हेतु बाहर निकाला जाना हो तो अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को लिखित में स्ट्रांग रूम खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

10.9.2 प्रेषण के समय, पीठासीन अधिकारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे धातु लेबल पर उकेरी गई मशीन संख्या का चिपकने वाले स्टीकर पर मौजूद संख्या से मिलान कर लें तथा ईवीएम और वीवीपीएटी को स्वीकार करने से पहले स्टीकर पर इंगित मतदान केन्द्र संख्या का भी पता लिखे टैग में उल्लिखित मतदान केन्द्र संख्या से सत्यापन एवं मिलान कर लें। यदि इनमें कोई भिन्नता हो, तो इसे प्रेषण व्यवस्था के प्रभारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए और उनका मिलान किया जाना चाहिए।

10.9.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाए कि वे विशिष्ट मतदान केन्द्र को आवंटित ईवीएम (कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट दोनों) और वीवीपीएटी की मशीनों की संख्या उनके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं से साझा करें ताकि वे मतदान दिवस को छद्म मतदान के प्रारंभ होने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का निरीक्षण करने की स्थिति में हों। पीठासीन अधिकारियों को छद्म मतदान प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित अभिकर्ताओं को मशीन संख्या आदि वाले स्टीकर प्रदर्शित करने की सलाह दी जानी चाहिए। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, पीठासीन अधिकारियों द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान केन्द्र में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट/कंट्रोल यूनिटों की संख्या, प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट/ कंट्रोल यूनिटों की क्रम संख्या प्रयुक्त बैलट यूनिट/बैलट यूनिटों की संख्या और प्रयुक्त बैलट यूनिट/बैलट यूनिटों की क्रम संख्या; एवं वीवीपीएटी की क्रम संख्या का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। ऊपर किये गये उल्लेख के अनुसार, ईवीएम और वीवीपीएटी के यादृच्छिकीकरण के सभी स्तरों की निरपवाद रूप से पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्ड समुचित रूप से रखे जाएंगे।

10.10 कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट एवं वीवीपीएटी के सक्रिय होने से लेकर छद्म मतदान तक प्रतिस्थापन

10.10.1 यदि कोई बैलट यूनिट या कंट्रोल यूनिट, ईवीएम एवं वीवीपीएटी की सक्रियता के दौरान सही काम न करने पर, मतदाता दलों के प्रस्थान या मतदान केन्द्र पर छद्म मतदान के दौरान सही कार्य न करने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:

i. यदि कोई बैलेट यूनिट सही से कार्य न कर रही हो तो खराब बैलेट यूनिट को आरक्षित बैलेट यूनिट से बदला जा सकता है।

ii. यदि कोई कंट्रोल यूनिट सही से कार्य न कर रही हो तो खराब कंट्रोल यूनिट को आरक्षित कंट्रोल यूनिट से बदला जा सकता है।

10.10.2 बदली गई बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की सूची निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ताओं को दी जानी चाहिए और आवश्यक प्रविष्टि ईएमएस में भी की जानी चाहिए।

10.11 कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी का वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापन

10.11.1 यदि कंट्रोल यूनिट या बैलट यूनिट वास्तविक मतदान के समय किसी मतदान केन्द्र पर सही कार्य नहीं करती तो समूचे ईवीएम (बीयू, सीयू, और वीवीपीएटी) को बदला जाना होगा और यदि वीवीपीएटी वास्तविक मतदान के दौरान किसी मतदान केन्द्र पर सही कार्य नहीं करती तो सिर्फ वीवीपीएटी को बदलने की ही जरूरत होगी। सेक्टर ऑफिसर या कोई अधिकृत ऑफिसर जो इसको बदलेगा, एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह सीयू/बीयू/वीवीपीएटी का मशीन नंबर और नई सीयू/बीयू/वीवीपीएटी का मशीन नंबर अलग से अंकित करेगा। ऑफिसर अपनी विशेष रिपोर्ट में अतिरिक्त सीयू/बीयू/वीवीपीएटी लगाने के कारणों, बदलाव का समय, उस समय बदली गई मशीन में डाले हुए वोट की संख्या दर्ज करेगा और वह ऑफिसर अपनी विशेष रिपोर्ट की एक प्रति पीठासीन अधिकारी को देगा जबकि एक प्रतिलिपि अपने पास रखेगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा जाएगा।

10.11.2 यदि वास्तविक निर्वाचन के दौरान ईवीएम को बदलना अनिवार्य हो जाता है तब कंट्रोल यूनिट और सभी बैलट यूनिटों एवं वीवीपीएटी सहित समूचे सेट को बदला जाना चाहिए । छद्म मतदान में नई ईवीएम में मत डालना प्रारंभ करने से पूर्व नोटा सहित प्रत्येक निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी का एक वोट डाला जाएगा और इस ईवीएम के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग से छद्म मतदान प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

10.11.3 परिवर्तन की स्थिति में, बदलने के बाद प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट की विशिष्ट पहचान संख्या को ईवीएम प्रबंधन प्रणाली में संबंधित मतदान केन्द्र के संबंध में चिह्नित किया जाएगा।

10.12 मतदान के बाद सीयू, बीयू और वीवीपीएटी वापस लेना

10.12.1 मतदान पूरा होने के बाद मशीनों को उचित सुरक्षा में रिसेप्शन सेंटर में वापस ले जाया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात् एक मतदान केन्द्र के ईवीएम का पूरा सेट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और कमरे को अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में मोहरबंद कर दिया जाएगा। उपयोग में न लाई गई वीवीपीएटी और ईवीएम को अलग-अलग स्ट्राँग रूम में रखा जाएगा।

10.13 पुनर्मतदान के लिए प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी

10.13.1 पुनर्मतदान की स्थिति में इस कार्य के लिये अपेक्षित ईवीएम और वीवीपीएटी आरक्षित सूची से ली जाएंगी और कंट्रोल यूनिट/बैलट यूनिट/वीवीपीएटी की संख्या की जानकारी अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को लिखित में दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट और वीवीपीएटी के पते लिखे टैग में तारीख और मतदान केन्द्र संख्या इंगित करते हुए स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित हो कि यह ईवीएम एवं वीवीपीएटी पुनर्मतदान में प्रयोग हेतु ही निर्धारित है।

10.13.2 पुनर्मतदान के पश्चात्, प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी को स्ट्राँग रूम, में रखे जाने के लिए अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः खोला जाएगा। पुनर्मतदान में प्रयुक्त यह ईवीएम और वीवीपीएटी उसी संबंधित पुरानी ईवीएम और वीवीपीएटी के साथ रखी जाएगी जो मूल मतदान में पहले उपयोग की गई होगी। संबंधित पुरानी ईवीएम और वीवीपीएटी पर प्रमुखता से **'इसकी गणना नहीं होगी'** का टैग तथा एक दूसरा टैग **'पुनर्मतदान ईवीएम-गणना की जाएगी'** पुनर्मतदान वाली नई ईवीएम और वीवीपीएटी पर लगाया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी दोनों टैगों पर हस्ताक्षर करेंगे।

10.13.3 पुनर्मतदान की स्थिति में, पुनर्मतदान में उपयोग की गई कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट एवं वीवीपीएटी विशिष्ट पहचान संख्या की प्रविष्टि ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) में की जाएगी।

10.14 राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों का संचार

10.14.1 राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को अपने गणना अभिकर्ताओं को समुचित रूप से प्रशिक्षित करने की लिखित में सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें प्रपत्र 17-ग की अपनी प्रतियां लाने के लिए कहा जाना चाहिए जिस पर मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन संख्या इंगित होती है और जो मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपी गई होती है (मिलान के उद्देश्य से)। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को भी मतदान के दौरान प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों और वीवीपीएटी की मतदान केन्द्रवार सूची की एक समेकित सूची भी दी गई है। इसके साथ ही परिवर्तन के तौर पर प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों और वीवीपीएटी की मशीन संख्या तथा पुनर्मतदान के दौरान प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों के बारे में अभ्यर्थियों को लिखित में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी से मतदान केन्द्रों में प्रयुक्त सभी ईवीएम के बारे में संपूर्ण सूचना मिल जाती है आगे और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रिटर्निंग अधिकारी संबंधित गणना कक्ष में ही मतदान केन्द्रवार प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी को कंट्रोल यूनिट संख्या दर्शाते हुए ईवीएम तैनाती का लेखा-जोखा चिपकाएंगे ताकि सभी उसे देख सकें।

10.14.2 उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए तथा इसे सभी संबंधित हितधारियों अर्थात् राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, संबंधित सभी

क्षेत्र अधिकारियों और पर्यवेक्षक के ध्यान में लाया जाना चाहिए। मतदान मशीनों को तैयार करने संबंधी अनुदेश, आयोग द्वारा दिनांक 12.10.2007 के ईसीआई सं. 51/87/2007-ईएमएस और दिनांक 23.9.2010 के पत्र सं. 51/87/2010-पीएलएन-IV के तहत जारी किए गए हैं। प्रयुक्त मशीनों को स्ट्राँग रूम में कम से कम एक प्लैटून की निगरानी में रखा जाना चाहिए।

10.15 इवेंट्स की वीडियोग्राफी

10.15.1 उपरोक्त सभी चरणों को पूरी तरह से वीडियोग्राफी के साथ कवर किया जाएगा, और इस संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

10.16 मतदान मशीनों और वीवीपीएटी की तैयारी की तारीख और समय के बारे में अभ्यर्थियों को सूचना

10.16.1 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, मतदान मशीनों को तैयार करने की तारीख से न्यूनतम एक सप्ताह पहले मान्यता-प्राप्त मतदान दलों/प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को ईवीएम एवं वीवीपीएटी को तैयार किये जाने वाले स्थान अथवा स्थानों तथा तैयारी आरंभ होने की तारीख और समय से अवगत कराते हुए उन्हें उपर्युक्त जानकारी लिखित में देंगे। रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उन प्रतिनिधियों की संख्या से भी अवगत कराएंगे जिसकी अनुमति प्रत्येक अभ्यर्थी को उक्त स्थान अथवा स्थानों पर अपने साथ ले जाने की है। यह पुनः प्रयोग के लिए तैयार की जाने वाली ईवीएम एवं वीवीपीएटी की संख्या पर निर्भर करेगा। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ईवीएम एवं वीवीपीएटी की पूरी तैयारी की वीडियोग्राफी की जाएगी।

10.16.2 यदि किसी कारण से, कोई भी अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचना में दी गई तारीख और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान मशीनों को तैयार करने की प्रक्रिया स्थगित नहीं करने का निर्देश देता है। यदि कोई अभ्यर्थी अथवा अभिकर्ता उपस्थित नहीं भी होता है तब भी रिटर्निंग अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे। तथापि, तैयारी प्रारंभ होने से पहले भवन में लगी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से उद्घोषणाएं की जाएंगी। यदि कोई अभ्यर्थी/उनका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिखित में विधिवत् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति विलंब से आता है तो उसे उस समय से आगे की प्रक्रिया देखने की अनुमति दी जाएगी।

10.16.3 जब अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता उपस्थित हो तब जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी उन्हें ईवीएम और वीवीपीएटी की तैयारी के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी उन्हें कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिटों और वीवीपीएटी को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उनका निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

10.17 बैलट यूनिट की तैयारी

10.17.1 रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर प्रत्येक बैलट यूनिट निम्नानुसार तैयार की जाएगी:-

क. इस प्रयोजनार्थ निर्धारित जगह में मतपत्र प्रवेश करना एवं लगाना।

ख. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्रयोग न किए जाने वाले अभ्यर्थी बटनों को छिपाना,

ग. नोटा सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्रयोग की जाने वाली यूनिटों तथा प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक यूनिट के क्रम के अनुसार स्लाइड स्विच (या एम3 ईवीएम में थम्बव्हील) को उचित स्थिति अर्थात् 1, 2, 3 या 4 (या एम3 ईवीएम में 01, 02 ....., 24) जैसा भी मामला हो, में लगाना, और

घ. बीयू को सील करने की प्रक्रिया के अनुसार यूनिट को सील करना।

10.18 मतपत्र लगाना

10.18.1 प्रत्येक बैलट यूनिट पर, एक पारदर्शी ऐक्रेलिक शीट (बैलट पेपर स्क्रीन) के तहत, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई जगह में एक मुद्रित बैलेट पेपर (मतपत्र) प्रदर्शित की जाएगी। बैलेट पेपर में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी का क्रमांक, उसका नाम, फोटो और उसे आवंटित चुनाव चिह्न होगा। जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) सोलह से अधिक है, वहाँ एक से अधिक शीट पर बैलेट पेपर मुद्रित किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बैलेट यूनिट केवल सोलह अभ्यर्थियों को शामिल करेगी। जहां अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) सोलह से अधिक है, लेकिन बत्तीस से कम या बराबर है, बैलेट पेपर को दो शीट पर मुद्रित किया जाएगा - क्रमांक 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम, आदि सहित पहली शीट होगी, और आगे क्रमांक 17 से अभ्यर्थियों के नाम, आदि सहित दूसरी शीट होगी। इसी तरह, जहां अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) बत्तीस से अधिक है और अड़तालीस तक या इसके कम है, तीसरी शीट में क्रमांक 33 से अभ्यर्थियों के नाम, आदि और क्रमांक 48 तक शामिल होंगे, और जहां अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) अड़तालीस से अधिक है, चौथी शीट में क्रम संख्या 49 से अभ्यर्थियों के नाम आदि शामिल होंगे। ऐसे मामलों में, बैलेट पेपर की प्रत्येक शीट को एक अलग बैलेट यूनिट पर प्रदर्शित किया जाएगा। बैलट यूनिट में एक पारदर्शी एक्रिलिक शीट (मतपत्र स्क्रीन) के नीचे मतपत्र लगाने का प्रावधान दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी बैलट यूनिट में मतपत्र लगाए जाने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर करेंगे/ अपना प्रतिकृति हस्ताक्षर लगाएंगे।

10.18.2 प्रत्येक बैलेट पेपर में एक क्रमांक और शीट संख्या होगी, जहां इसे एक से अधिक शीट पर मुद्रित किया गया होगा। यदि यह पहली शीट है और दो शीट का उपयोग किया जाता है, तो शीट संख्या को ½ के रूप में इंगित किया जाएगा, यदि यह तीसरी शीट है

और चार शीट का उपयोग किया जाता है तो संख्या 3/4 होगी, और आगे इसी तरह। इससे पहले कि इसे बैलेट यूनिट पर डाला जाए और फिक्स किया जाए, इसे या तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसके पिछले हिस्से पर हस्ताक्षरित किया जाएगा, या रिटर्निंग अधिकारी हस्ताक्षर वाली रबर की मुहर इसके पिछले हिस्से पर लगाई जाएगी।

10.18.3 बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे बैलेट पेपर को ठीक करने के लिए, सबसे पहले बैलेट यूनिट के ऊपरी कवर को खोलना होगा। यह कार्य दाहिनी ओर, यूनिट के दाहिनी छोर पर ऊपर तथा नीचे के खांचों को एक साथ दबाने तथा कवर को ऊपर उठाने पर हो सकेगा। बैलट यूनिट का ऊपरी कवर तथा निचला भाग एक पुस्तक के समान खुल जाएगा। इसके बाद, बैलेट पेपर स्क्रीन, जो सबसे ऊपर बाईं ओर ऊपरी कवर पर टिका होता है, को खोला जाएगा। स्क्रीन को खोलने वाले कब्जे ऊपरी कवर के अंदर होते हैं। कब्जों को एक साथ दबाकर, पहले थोड़ा सा दाहिनी ओर तथा फिर नीचे की ओर दबाने से मतपत्र स्क्रीन ऊपरी कवर के ऊपरी हिस्से पर खुलने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इस प्रकार से मतपत्र स्क्रीन खोलने के बाद मतपत्र को, बैलट यूनिट के ऊपरी कवर में ऊपर के हिस्से में लगाए जाने के उद्देश्य से दी गई जगह में लगाया जाना चाहिए। मतपत्र का उचित ढंग से सामंजस्य बैठाया जाना होगा ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और उसका प्रतीक तदनुरूपी लैंप और बटन की जगह हो तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएं बैलट यूनिट पर तदनुरूपी खांचों की बिल्कुल सीध में हों।

10.18.4 बैलट पेपर को मजबूती से फिक्स करने के बाद और बैलेट पेपर स्क्रीन को ऊपरी कवर के ऊपरी तरफ दबाया गया है, स्क्रीन को दो छेदों के माध्यम से एक धागा डालकर, शीर्ष कवर के स्क्रीन के अंदरूनी हिस्से को सील कर दिया जाएगा, जो विशेष रूप से अंदर की ओर इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई होती है। धागे को कसा जाएगा और उसमें अच्छी तरह से गांठ लगाई जाएगी। धागे के दोनों सिरों को पता लिखे टैग पर रखा जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी अपनी मुहर धागे और पता लिखे टैग पर लगाएंगे।

10.19 प्रयोग न होने वाली अभ्यर्थी बटनों को छिपाना

10.19.1 बैलेट यूनिट पर, केवल उन अभ्यर्थियों के बटन दिखाई देने चाहिए, जिनका उपयोग मतदाताओं द्वारा किया जाना है। दूसरे शब्दों में, अभ्यर्थियों के बटन की संख्या, जो दिखाई देनी चाहिए, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और नोटा के लिए एक पैनल के बराबर होगी। उदाहरण के लिए, यदि अभ्यर्थियों की संख्या नौ है तब ऊपर से लेकर पहले दस (अर्थात् 1 से 10) बटन दिखाई देते रहेंगे और शेष छह बटन (अर्थात् 11 से 16) को छिपाया जाना होगा। जब बैलेट यूनिट अभी भी एक पुस्तक की तरह खुली हुई है जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो अनुपयोगी बटन को सफेद मास्किंग टैब से ढक दिया जाएगा और केवल अभ्यर्थियों के बटन को प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के बटन नीले दिखेंगे, और अनुपयोगी बटन सफेद दिखेंगे।

10.20 एम2 बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच की सैटिंग

10.20.1 एम2 बैलट यूनिट के अंदर, ऊपर, दाहिने ओर एक स्लाइड स्विच होती है जिसकी चार स्थितियां-1, 2, 3 और 4 दी गई होती हैं। इस स्लाइड स्विच की स्थिति वह क्रम संख्या तय करती है जिसके अनुसार वह बैलट यूनिट कंट्रोल यूनिट से जुड़ेगी और मतदान केन्द्र पर प्रयोग हेतु मतदान कोष्ठ में रखी जाएगी।

10.20.2 जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पंद्रह तक होती है वहां केवल एक बैलट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा (चूंकि नोटा सोलहवें स्थान पर होगा)। ऐसी दशा में स्लाइड स्विच को 1 के रूप में चिह्नित स्थिति में बैठाया जाना होगा। जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पंद्रह से अधिक तथा इकतीस तक हो, वहां दो बैलट यूनिटें प्रयोग में लाई जाएंगी। पहली बैलट यूनिट, जिसमें क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम वाला मतपत्र होगा, स्लाइड स्विच को '1' के रूप में चिह्नित स्थिति तथा दूसरी बैलट यूनिट जिसमें क्रम सं. 17 के बाद वाले अभ्यर्थियों के नाम वाला मतपत्र होगा, स्थिति '2' में रखी जाएगी।

10.20.3 इसी प्रकार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इकत्तीस से अधिक तथा सैंतालीस तक होने पर जिस निर्वाचन क्षेत्र में तीन बैलट यूनिटों का प्रयोग किया जा रहा हो वहां पहली बैलट जिसमें क्रम सं. 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम आ रहे होंगे, में स्लाइड स्विच '1' के रूप में चिह्नित स्थिति में, दूसरी बैलट यूनिट जिसमें क्रम संख्या 16 से 32 पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दिखाई पड़ रहे होंगे, '2' के रूप में चिह्नित स्थिति तथा तीसरी बैलट यूनिट को '3' के रूप में चिह्नित स्थिति में बैठायी जाएगी। इसी प्रकार से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैंतालिस से अधिक रहने पर यदि चौथी बैलट यूनिट का भी प्रयोग किया जा रहा हो तब स्लाइड स्विच को अंतिम बैलट यूनिट में '4' के रूप में चिह्नित स्थिति में बैठाया जाना होगा।

टिप्पणी: यह सुनिश्चित करना अत्यंत अनिवार्य है कि प्रत्येक बैलट यूनिट में स्लाइड स्विच को उचित स्थिति में बैठाया जाए क्योंकि बैलट यूनिटों के गलत जुड़ने से मशीन काम नहीं करेगी और कंट्रोल यूनिट में कोई भी बटन दबाने पर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में जोड़ने में त्रुटि दर्शाते हुए 'एलई' शब्द दिखाई पड़ेंगे। जोड़ने में हुई इस त्रुटि को बैलट यूनिटों को उचित क्रम में आपस में जोड़कर ठीक किया जाना होगा।

10.21 एम3 बैलेट यूनिट में थंब व्हील्स की सैटिंग

10.21.1 एम3 बैलट यूनिट के अंदर दायीं तरफ के ऊपर थंब व्हील्स होते हैं। थंब व्हील्स की स्थिति या स्थान यह तय करेगा कि किस क्रमांक में एक बैलेट यूनिट को दूसरी बैलेट यूनिट से जोड़ा जाए और मतदान के अंदर रख कर मतदान केन्द्र में उपयोग में लाया जाए।

10.21.2 जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पन्द्रह तक होती है वहां केवल एक बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा (चूंकि नोटा सोलहवें स्थान पर होगा)। ऐसी दशा

में थंब व्हील्स को ‘01’ के रूप में चिह्नित स्थिति में बैठाया जाना होगा। जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पन्द्रह से अधिक तथा इकत्तीस तक हो, वहां दो बैलेट यूनिटें प्रयोग में लाई जाएंगी। पहली बैलेट यूनिट जिसमें क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम वाला मतपत्र होगा, अंगूठा चक्र (थंब व्हील्स) को '01' के रूप में चिह्नित स्थिति तथा दूसरी बैलेट यूनिट जिसमें क्रम 17 के बाद वाले अभ्यर्थियों के नाम वाला मतपत्र होगा, को ‘02’ के रुप में सेट किया जाएगा। इसी प्रकार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इकत्तीस से अधिक तथा सैंतालिस तक होने पर जिस निर्वाचन क्षेत्र में तीन बैलेट यूनिटों का प्रयोग किया जा रहा हो, वहां पहली बैलेट यूनिट जिसमें क्रम संख्या 1 से 16 तक के अभ्यर्थियों के नाम आ रहे होंगे, को '01' के रूप में चिह्नित स्थिति में, दूसरी बैलेट यूनिट जिसमें क्रम संख्या 16 से 32 पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दिखाई पड़ रहे होंगे, '02' के रूप में चिह्नित स्थिति तथा '03' तीसरी बैलेट यूनिट को 3 के रूप में चिह्नित स्थिति में सेट किया जाएगा। इसी प्रकार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैंतालिस से अधिक रहने पर चौथी बैलेट यूनिट का भी प्रयोग किया जा रहा हो तब अंगूठा चक्र (थंब व्हील्स) को चौथी बैलेट यूनिट में '04' के रूप में चिह्नित स्थिति में सेट किया जाएगा। इसी प्रकार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तिरसठ से अधिक होने पर पाँचवी बैलट यूनिट का भी प्रयोग किया जा रहा हो तब अंगूठा चक्र (थंब व्हील्स) को तब पाँचवीं बैलट '5' के रूप में चिह्नित स्थिति में सेट किया जाना होगा। इस तरह 24 बैलेट यूनिटों को एम3 ईवीएम के कंट्रोल यूनिट सेट करके जोड़ दिया जाएगा।

नोटः यह सुनिश्चित करना अत्यंत अनिवार्य है कि प्रत्येक बैलट यूनिट में अंगूठा चक्र को उचित स्थिति में सेट किया जाए क्योंकि बैलट यूनिटों के गलत जुड़ने से मशीन काम नहीं करेगी और कंट्रोल यूनिट में कोई भी बटन दबाने पर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में जोड़ने में त्रुटि दर्शाएगा। जोड़ने में हुई इस त्रुटि को बैलेट यूनिटों को उचित क्रम में आपस में जोड़कर ठीक किया जाना होगा।

10.22 बैलट यूनिट को मोहरबंद करना

10.22.1 इसके बाद, शीर्ष आवरण को उसकी मूल स्थिति में लाकर बैलट यूनिट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बैलट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी सील से सील कर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए दो धागों में से एक को ऊपर मौजूद तीन छिद्रों में से तथा दूसरे को इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से नीचे दिए गए तीन छिद्रों में से निकाल कर प्रत्येक धागे में कसकर गांठ लगाएं और विधिवत् रूप से विवरण को भरकर एक पता लिखे टैग पर दोनों सिरों को रखकर रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से प्रत्येक धागे को मोहरबंद कर दें।

10.22.2 रिटर्निंग अधिकारी की मोहर के अतिरिक्त अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे चाहते हों, को अपनी-अपनी मोहर लगाने की अनुमति भी दी जाएगी।

10.22.3 इसके अतिरिक्त, ईवीएम को तैयार करते समय अभ्यर्थियों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारत सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक द्वारा आपूर्ति की गई विशेष 'पिंक पेपर सील' से भी बैलट यूनिट मोहरबंद की जाएगी। पिंक पेपर सील बैलट यूनिट के सबसे निचले भाग में इस तरह से लगाई जाएगी कि किसी भी अभ्यर्थी का बटन या नाम या प्रतीक मोहर से ढक न जाए। पिंक पेपर सील लगाने के बाद बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करेंगे। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर से पहले अभ्यर्थी, दल का नाम के साथ पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधियों को भी बैलट यूनिट पर लगी पिंक पेपर सील की क्रम संख्या लिखने की अनुमति दी जाएगी। बैलेट यूनिट की विशिष्ट पहचान और पिंक पेपर सील संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए बैलट यूनिट पर इस्तेमाल की गई पिंक पेपर सील की क्रम संख्या दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर पर अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे। एक बार तैयारी पूरी हो जाने के बाद इस रजिस्टर की फोटोप्रतियां सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क दी जाएंगी।

10.22.4 बैलट यूनिट को इस प्रकार से तैयार और मोहरबंद किए जाने के बाद उसे वापस उसके वाहन बक्से में रख दिया जाएगा। उपर्युक्त विवरणों के साथ एक दूसरा पता लिखा टैग वहन बक्से के हत्थे पर लगा दिया जाएगा।

10.23 बैलट यूनिटों, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को आपस में जोड़ना

10.23.1 जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पन्द्रह से अधिक होगी वहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर एक से अधिक बैलट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। मतदान केन्द्र में उपयोग की जाने वाली इन सभी बैलट यूनिटों को आपस में जोड़ा जाएगा और केवल पहली बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी यूनिट से जोड़ी जाएगी।

10.23.2 बैलट यूनिट आपस में इस प्रकार जोड़ी जाएंगी कि दूसरी बैलट यूनिट अर्थात् वह बैलट यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच (एम3 ईवीएम में थम्बव्हील स्विच) स्थिति 2 (जैसे एम3 ईवीएम में 02) पर सेट की गई है, को पहली बैलट यूनिट इकाई, जिसमें स्लाइड स्विच (एम3 ईवीएम में थम्बव्हील स्विच) स्थिति 1 (जैसे एम3 ईवीएम में 01) पर सेट की गई है, को जोड़ा जाता है। जहां तीन बैलट यूनिटों का प्रयोग होना हो, वहां तीसरी बैलट यूनिट, दूसरी बैलट यूनिट से जोड़ी जाएगी और दूसरी पहले से, और जहां सभी चार बैलट यूनिटों का प्रयोग होना है वहां चौथी इकाई तीसरी इकाई से जोड़ी जाएगी, तीसरी, दूसरी से और यही क्रम आगे होगा।

10.23.3 एक बैलट यूनिट को दूसरी यूनिट से जोड़ने के लिए बैलट यूनिट के पीछे एक कोष्ठ में सॉकेट दिया गया होता है। दूसरी बैलट यूनिट को जोड़ने वाली केबल के कनेक्टर

को पहली बैलट यूनिट के ऊपर उल्लिखित सॉकेट के प्लग में डाला जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी बैलट यूनिट को जोड़ने वाली केबल के कनेक्टर को दूसरी यूनिट के प्लग में और चौथी यूनिट के कनेक्टर को तीसरी इकाई के प्लग में डाल दिया जाएगा। एम3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिटों के एक कास्केड को एक कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा (नोटा सहित 384 अभ्यर्थियों के लिए)। यदि चार से अधिक बैलेट यूनिटों का प्रयोग किया जाता है तो 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वें और 21वीं बैलेट यूनिट लगाने का प्रावधान है। यदि 4 से ज्यादा बैलेट यूनिटों का प्रयोग होता है तो 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं और 21वीं बैलेट यूनिट में बैटरी तभी डाली जाएगी जब चार से ज्यादा बैलेट यूनिटों का प्रयोग हो।

10.23.4 कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट में 'पावर' स्विच भी होता है और जब इस स्विच को 'ऑन' की स्थिति में लाया जाता है तब मतदान मशीन की बैटरी सक्रिय हो जाती है और इससे कंट्रोल यूनिट के साथ-साथ ऊपर बताए गए तरीके से कंट्रोल यूनिट से जुड़ी सभी बैलट यूनिटों में भी विद्युत की आपूर्ति होती है।

10.24 कंट्रोल यूनिट की तैयारी

10.24.1 बैलट यूनिट की तरह रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर भी मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट के लिये कुछ तैयारियां की जानी होती है। ये तैयारियां हैं:-

i. बैटरी लगाना,

ii. नोटा के साथ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट करना, और

iii. कंट्रोल यूनिट के उस खंड को सील करना, जिसे 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' कहा जाता है और जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करने के लिए बैटरी और बटन होता है।

10.25 बैटरी स्थापित करना

10.25.1 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एक विशेष बैटरी से चलती है, जिसकी आपूर्ति विनिर्माता कंपनी द्वारा की जाती है। जब कभी किसी निर्वाचन में मशीन का उपयोग किया जाता है तब केवल नई बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के ऊपरी हिस्से पर बैटरी लगाने का प्रावधान किया गया है।

10.26 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या निर्धारित करना

10.26.1 एम2 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में तिरसठ अभ्यर्थियों और नोटा का विकल्प अर्थात् कुल 64 अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है। एम3 ईवीएम में कंट्रोल यूनिट 383 अभ्यर्थियों और एक नोटा विकल्प प्रदान कर सकती है। अतः प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया जा रहा हो, कंट्रोल यूनिट को उस निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा एक नोटा विकल्प के आधार पर सेट किया जाता है।

10.26.2 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

i. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तथा नोटा का विकल्प कंट्रोल यूनिट में तभी सेट हो सकता है जब यह यूनिट प्रयोग की जाने वाली बैलट यूनिट या एक से अधिक बैलट यूनिटों से जुड़ी हो। बैलेट यूनिटों को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने की प्रक्रिया ऊपर पहले ही स्पष्ट कर दी गई है।

ii. कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट के जुड़ जाने के पश्चात् 'पावर' स्विच को 'ऑन' कर दें ताकि दोनों यूनिटें बिजली मिलने पर चालू हो सकें।

iii. कंट्रोल यूनिट के 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' में 'कैंड सेट' नामक बटन को दबाएं। इसके पश्चात् डिस्प्ले पैनल में 'सेट कैंडिडेट- -' दिखाई देगा।

iv. कंट्रोल यूनिट में जब डिस्प्ले पैनलों पर 'सेट कैंडिडेट- -' शब्द देखाई देने लगे तब बैलट यूनिट में नोटा विकल्प के सामने लगे अभ्यर्थी बटन को दबाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि नौ अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे हैं और मशीनों को नौ अभ्यर्थियों के लिए सेट किया जाना है तब नोटा विकल्प के सामने बैलट यूनिट में दसवें अभ्यर्थी का अभ्यर्थी बटन दबाया जाना चाहिए। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो, उदाहरण के तौर पर 23 हो, तो दूसरी बैलेट यूनिट में क्रम सं. 24 पर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के नाम तथा नोटा विकल्प के सामने वाले अभ्यर्थी बटन को दबाया जाना होगा। उस बटन को दबाने के बाद डिस्प्ले पैनलों में 'सेट कैंडिडेट - -' शब्द दिखाई देने बंद हो जाएंगे और इसके स्थान पर पूरे पैनल में अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके लिए मशीन सेट की गई है, जैसे 'कैंडिडेट 10' अथवा दूसरे मामले में 'कैंडिडेट 24' दिखाई देगी।

10.26.3 यदि गलती से बैलेट यूनिट में गलत बटन अर्थात् 10 के स्थान पर 9 या 11 दब जाता है तब पुनः 'कैंड. सेट' बटन दबाकर इस गलत सेटिंग में सुधार किया जा सकता है। मशीन फिर से 'सेट कैंडिडेट- -' शब्द दिखाएगी और तब बैलट यूनिट में सही बटन दबाया जाना चाहिए ताकि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सही संख्या सेट हो जाए।

10.27 मशीन को क्लियर करना

10.27.1 उपर्युक्त अनुसार कंट्रोल यूनिट में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट हो जाने के बाद ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच के दौरान छद्म मतदान के दौरान डाले गये मतों, यदि कोई हो, के बारे में मशीन में रिकॉर्ड सभी डेटा को हटाया जाएगा। ऐसा करने के लिए कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में 'क्लियर' नाम से चिह्नित बटन को दबाना होगा। 'क्लियर' बटन दबाने के बाद मशीन में सभी गिनती स्वतः शून्य पर सेट हो जाएगी और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या '0' (शून्य) प्रदर्शित करने लगेगा।

10.27.2 निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार कंट्रोल यूनिट सेट किए जाने के बाद पावर का बटन बंद कर दिया जाएगा और कंट्रोल यूनिट से आपस में जोड़ने

वाली केबल को हटाकर कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट (यूनिटें) एक-दूसरे से अलग कर दी जाएंगी।

10.28 'अभ्यर्थी सेट सेक्शन' को मोहरबंद करना

10.28.1 बैटरी लगाए जाने तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार कंट्रोल यूनिट को सेट किए जाने के बाद 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' बंद कर दिया जाएगा और इस प्रकार सील किया जाएगा कि इसके बाद कोई भी बैटरी और 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' में 'कैंड-सेट' बटन तक पहुंच न सके।

10.28.2 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' के कवर को बदलकर तथा कसकर बंद किया जाएगा। एम2 ईवीएम में बाईं ओर (एम3 ईवीएम में बाईं ओर और दाईं ओर, जहां बैटरी और कैंडिडेट सेट बटन के लिए दो अलग-अलग दरवाजे होते हैं) दिए गए दो छिद्रों में से धागा डालकर, मजबूत गांठ लगाई जाती है तथा धागे के दोनों सिरों को पता लिखे टैग पर रखकर मोहरबंद किया जाएगा, जिसे रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से सील किया जाएगा।

10.28.3 रिटर्निंग अधिकारी की मुहर के साथ पता लिखे टैग पर अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता को, यदि वे चाहें, अपनी मुहर लगाने की अनुमति होगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को वहन बक्से में रखा जाएगा, जो अब मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिए तैयार होगी। कंट्रोल यूनिट के हत्थे पर भी उपर्युक्त विवरण वाला एक पता लिखा टैग लगाया जाएगा।

10.29 वीवीपीएटी सेट करना

10.29.1 मतदान के लिए वीवीपीएटी तैयार की जाएगी। वीवीपीएटी यूनिट एक नयी बैटरी पावर पैक में लगाई जाएगी और बैटरी कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया जाएगा परंतु बैटरी कंपार्टमेंट को मोहरबंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतदान के दौरान यदि लो बैटरी की स्थिति प्रदर्शित होती है तो पावर पैक को (कंट्रोल यूनिट को बटन बंद करके) बदला जा सकता है। वीवीपीएटी में एक नया पेपर रोल लगाया जाना चाहिए। बीईएल / ईसीआईएल इंजीनियरों की मदद से क्रमांक, अभ्यर्थियों के नाम और उसका चिह्न जो कि बीयू में दिया गया है, वीवीपीएटी में लोड करना चाहिए। बैलेट यूनिट (बीयू) में बैलेट पेपर से एक टेस्ट प्रिंट आउट निकालकर देख लेना चाहिए। तत्पश्चात सभी अभ्यर्थियों का एक-एक मत डालकर यह चेक कर लेना चाहिए कि वीवीपीएटी पेपर पर्ची को सही तरह से प्रिंट कर रही है।

10.30 तैयार मतदान मशीनों का सुरक्षित संरक्षण

10.30.1 आरक्षित मशीनों सहित निर्वाचन में उपयोग किए जाने के लिए तैयार की गई सभी मतदान मशीनों को दोहरे ताले में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित निगरानी में रखा और संरक्षित किया जाएगा जो रिटर्निंग अधिकारी की मोहर से सील किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता, यदि चाहें तो उन्हें ताले पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

10.30.2 स्ट्रांग रूम केवल निर्धारित तारीख और समय पर खोला जाएगा जब मतदान दलों को मशीनें उनके मतदान केन्द्र पर जाने से पहले दी जानी होंगी। निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को स्ट्रांग रूम खोलने की निर्धारित तारीख और समय के बारे में लिखित रूप में पूर्व सूचना दी जाएगी। स्ट्रांग रूम को बंद करने और खोलने संबंधी विवरण रखने के लिए एक उचित लॉगबुक रखी जाएगी।

10.30.3 यदि किसी आकस्मिक अथवा अपरिहार्य कारण से स्ट्रांग रूम को निर्धारित तारीख और समय से पहले खोलना आवश्यक हो तब रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचना भेजेंगे और उनकी उपस्थिति में कमरा खोलेंगे। जिस उद्देश्य के लिए कमरा खोला गया था, उसके पूरा होते ही कमरा फिर से बंद कर दिया जाएगा और तत्काल सील कर दिया जाएगा। कमरे को खोलने और बंद करने के विवरण को ऊपर उल्लिखित लॉग बुक में सही-सही और पूर्ण रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए।

10.30.4 स्ट्रांग रूम की पूरी सुरक्षा का दायित्व हर समय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, को सौंपा जाना चाहिए। जहां संभव हो इसकी रक्षा के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

10.31 मतदान मशीनों के रिकॉर्डों का अनुवीक्षण

10.31.1 रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन में उपयोग की गई सभी कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों एवं वीवीपीएटी का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। इस रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी की क्रम संख्या सहित प्रत्येक मतदान केन्द्र में उपयोग की गई कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों की और वीवीपीएटी संख्या का पता चलना चाहिए। रिकॉर्ड से, प्रयोग के लिए तैयार और आरक्षित रखी गई कंट्रोल यूनिटों और बैलेट यूनिटों की क्रम संख्या सहित उनकी संख्या का भी पता चलना चाहिए। यदि इस प्रकार की कंट्रोल यूनिटों अथवा बैलेट यूनिटों को उपयोग में लाया जाता है तो इसका पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि ऐसी प्रत्येक यूनिट का कहां इस्तेमाल किया गया और उन कारणों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनके कारण उस आरक्षित यूनिट का उपयोग करना अनिवार्य हो गया था।

10.32 मतदान दलों को मतदान मशीनों की आपूर्ति

10.32.1 मतदान मशीनें केवल मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए जिसके संबंध में प्रत्येक पीठासीन अधिकारी से एक उचित रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए रिटर्निंग आफिसर मतदान केन्द्रों की संख्या और नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम और उन्हें दी गई कंट्रोल यूनिटों, बैलट यूनिटों और वीवीपीएटी की क्रम संख्या तथा यूनिटें प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में एक पृथक रजिस्टर रखेगा तथा उस पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेगा।

10.32.2 उक्त रजिस्टर में पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुई मशीनों का उचित लेखा-जोखा रखने का भी प्रावधान होगा।

10.32.3 आरक्षित मशीनें मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में किसी केन्द्रीय स्थान अथवा स्थानों पर रखी जाएंगी ताकि अचानक आवश्यकता पड़ने पर किसी कंट्रोल यूनिट अथवा बैलेट यूनिट अथवा वीवीपीएटी को किसी मतदान केन्द्र पर कम से कम समय पर यूनिट सौंपी जा सके। ये मशीनें सहायक रिटर्निंग अधिकारियों अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से नामनिर्देशित किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में रखी जाएंगी।

11. डाक मत-पत्र

11.1. सेवा मतदाता

11.1.1. सेवा मतदाता (उनके अतिरिक्त जिन्होंने परोक्ष मतदान करने का विकल्प लिया है) डाक मतपत्र प्राप्त करने के पात्र होते हैं (**परिशिष्ट 40**)।

11.1.2. डाक मतपत्र सभी सेवा निर्वाचकों को भेजा जाना होता है, जिनका नाम निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में सम्मिलित किया गया है, बशर्ते उन्होंने परोक्ष मतदान करने का विकल्प न लिया हो। सेवा निर्वाचकों को जिनको परोक्षी (प्रॉक्सी) के रूप में नियुक्त किया गया है, वर्गीकृत सेवा मतदाता (सीएसवी) कहा जाता है। उनके मामले में, परोक्षी उस क्षेत्र के लिए नियत मतदान केन्द्र में मतदान करेगा जिसमें सेवा मतदाता के घर का पता सम्मिलित हो। दिनांक: 21.10.2016 की अधिसूचना के द्वारा, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन करके, सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को ऐसे विद्युतीय साधनों के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जा सकता है जिसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा मतदाताओं के लिए निर्दिष्ट किया गया है। जहाँ पर कोई डाक मतपत्र विद्युतीय रूप से प्रेषित किया जाता है, इस नियम के प्रावधान और नियम 22, 24 एवं 27 यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

11.1.3. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के द्वितीय नियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में, आयोग ने सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीय साधनों द्वारा डाक मतपत्रों के प्रेषण के लिए निम्नलिखित तरीकों को स्थापित किया हैं। रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा।

(क) डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट पेपर)

(ख) प्ररूप 13-क-निर्वाचक द्वारा घोषणा

(ग) प्ररूप 13-ख के लिए लेबल-कवर क (आंतरिक लिफाफा),

(घ) प्ररूप 13-ग के लिए लेबल-कवर ख (बाह्य लिफाफा),

(ङ) प्रपत्र 13-घ निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

जैसे ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची अभ्यार्थी के नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के पश्चात तैयार की जाती है, रिटर्निंग अधिकारी 'सेवा मतदाताओं' के लिए उन डाक मतपत्रों को प्राप्त करेंगे जिन्हें अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद वाले दिन तक **विद्युतीय (इलेक्ट्रॉनिक) रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों (ईटीपीबी)** पर सेवा

मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों और संयुक्त पत्रों को अपलोड करने हेतु तैयार और व्यवस्थित किया गया है।

11.2. डाक मत-पत्र - प्ररूप एवं भाषा

11.2.1. यह ध्यान दिया जाए कि दो प्रकार के डाक मत-पत्रों के लिए अलग-अलग विनिर्देश होंगे, अर्थात

i. सेवा मतदाता के लिए डाक मत-पत्र

ii. पोस्टल बैलट (डाक मत) द्वारा मत देने के हकदार निर्वाचकों की अन्य श्रेणियों के लिए डाक मत-पत्र

11.2.2. सेवा मतदाताओं के लिए, अभ्यर्थियों के नाम और राजनैतिक दल की सहबद्धता के सम्बन्ध में विवरणों को राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी में मुद्रित किया जाना जारी रखा जायेगा। सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र पर निर्वाचन प्रतीक को मुद्रित नहीं करना होता है। अभ्यर्थियों के छायाचित्र भी इन पर मुद्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों के नाम के साथ-साथ, उनके दल की सहबद्धता, यदि कोई हो, को भी मुद्रित किया जाना होता है, अर्थात् राजनैतिक दल के नाम जो अभ्यर्थी तय करता है, को अभ्यर्थी के नाम के नीचे मुद्रित करना होता है। स्वतंत्र अभ्यर्थियों के प्रकरण में, "स्वतंत्र" शब्द का मुद्रण करना होता है।

11.2.3. निर्वाचकों के अन्य श्रेणियों के लिए, जहाँ तक डाक मत-पत्रों का सम्बन्ध है, अर्थात् उनके लिए जिनको डाक मतपत्र द्वारा मत डालने के लिए अधिकृत किया गया है (सेवा मतदाताओं के अतिरिक्त), अभ्यर्थियों को आवंटित किये गए निर्वाचन प्रतीक और अभ्यर्थियों के छायाचित्रों को भी उन पर मुद्रित करना होगा। मतपत्र पर विवरणों को राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी में भी (जहाँ पर अंग्रेजी आधिकारिक भाषा नहीं है) मुद्रित किया जायेगा। निर्वाचकों के इन श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र के प्रकरण में डाक मतपत्र पर दल की सहबद्धता को मुद्रित किया जाना आवश्यक नहीं है। निर्वाचन प्रतीक को अभ्यर्थी के छायाचित्र और मत को अंकित करने के लिए उपलब्ध रिक्त स्थान के बीच में मुद्रित किया जायेगा।

11.2.4. दोनों प्रकार के डाक मतपत्रों पर, अभ्यर्थियों के छायाचित्रों को मुद्रित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के छायाचित्रों को अभ्यर्थियों के नाम के पैनल पर मुद्रित किया जायेगा जो कि अभ्यर्थी के नाम और चिन्ह या मत/प्राथमिकता को अंकित करने के लिए उपलब्ध स्तम्भ के बीच में नाम के दाहिने तरफ दिखाई देंगे, जैसा भी प्रकरण हो। मतपत्र पर मुद्रित छायाचित्र 2 सेमी x 2.5 सेमी आकार का होगा।

11.3. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए डाक मत-पत्र

11.3.1. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति जो डाक मत-पत्र (पीबी) और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र (ईडीसी) के लिए अधिकृत हैं - निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्तियों;

जो उन मतदान केन्द्रों पर अपना मत डालने में सक्षम नहीं हैं, जहाँ पर उनका नाम एक मतदाता के रूप में लिखा गया है, को ईडीसी या फिर एक डाक मतपत्र डालने की सुविधा हेतु अधिकृत किया गया है। यदि उनको उस निर्वाचन क्षेत्र में; जहाँ पर उनका नाम एक मतदाता के रूप में लिखा गया है, निर्वाचन ड्यूटी पर रखा जाता है तो उनको एक ईडीसी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है जो उनको उस मतदान केन्द्र पर वोट डालने के लिए अधिकृत करता है, जहाँ पर वे ड्यूटी पर होते हैं। यदि वे एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ उनका नाम एक मतदाता के रूप में लिखा गया है, के अतिरिक्त किसी और निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो वे एक डाक मतपत्र डालने के लिए अधिकृत होते हैं। इन व्यक्तियों में मतदान दल के कर्मचारी, क्षेत्र अधिकारी, मण्डलीय अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी आदि सम्मिलित होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, तैनात कर्मचारीगण, नियंत्रण कक्ष एवं अन्य निर्वाचन सम्बंधित कार्यालय, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, सभी पुलिस कर्मचारी, होम गार्ड, वाहन चालक, परिचालक और क्लीनर्स जिनको निर्वाचन कार्य के लिए लगाया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति उसी मतदान केन्द्र; जहाँ पर उनका नाम एक मतदाता के रूप में नामांकित है, पर निर्वाचन से सम्बंधित ड्यूटी पर होने के कारण अपना मत डालने में अक्षम रहता है तो ऐसा व्यक्ति ईडीसी के लिए अधिकृत होता है। अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता भी इसी उद्देश्य से निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं। जबकि यदि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर होता है तो वह डाक मतपत्र के लिए अधिकृत होता है।

11.3.2. राजनैतिक दलों के लिए सूचना - सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को सुविधा केन्द्रों में डाक मतदान कराने की सूची लिखित में सूचित की जाएगी। उनको सुविधा केन्द्र में सुविधा प्रक्रिया को देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी।

11.3.3. डाक मतदान के लिए अलग से समय रखा जाना होता है - प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में डाक मतदान कराने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय अलग से रखा जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यकतानुसार इस उद्देश्य के लिए 2 घंटे से अधिक का समय अलग से रखा जा सकता है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के पश्चात्, डाक मतदान संपन्न किया जाना होता है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण पूरा हो जाने और डाक मतदान करवाने की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात् सुविधा केन्द्र में जाने की अनुमति दी जाएगी।

11.3.4. अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्थाएँ - अभ्यर्थियों को बैठने और मतदान कराने की प्रक्रिया को बिना कोई बाधा पहुँचाए देखने की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति मतदान कराने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो सुविधा केन्द्र का कार्यालय प्रभारी ऐसे व्यक्ति को परिसर छोड़कर तुरंत जाने के लिए आदेश दे सकता है।

11.3.5. सरलीकरण मतदान पेटी में डाक मतपत्र डालना - सुविधा केन्द्र में एक बड़े स्टील के ट्रंक जिसके ऊपर की ओर डाक मतपत्र डालने के लिए एक मुहाना बना हुआ होता है, का उपयोग एक सरलीकरण मतपत्र पेटी के रूप में किया जायेगा। डाक मतपत्र डालने की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व, रिक्त सरलीकरण मतदान पेटी को खोला जायेगा और सभी उपस्थित लोगों को दिखाया जायेगा। फिर सरलीकरण मतदान पेटी को सुविधा केन्द्र के कार्यालय प्रभारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा। प्रत्येक मतदाता अपने डाक मतपत्र पर चिह्न लगाकर और इसे लिफाफे में सीलबंद करके सरलीकरण मतदान पेटी में डालेगा।

11.3.6. डाक मतपत्रों की छँटाई - उस दिन के सभी डाक मतपत्रों को डाले जाने के पश्चात, मतपेटी को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सरलीकरण केन्द्र के कार्यालय प्रभारी द्वारा खोला जायेगा। सभी डाक मतपत्रों को पेटी से बाहर निकाला जायेगा और रिक्त मत-पेटी को राजनैतिक दलों के उक्त प्रतिनिधियों को दिखाया जायेगा। डाक मतपत्रों के लिफाफे की छँटाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर की जाएगी और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त डाक मतपत्र के लिफाफों की कुल संख्या को सुविधा केन्द्र में इस उद्देश्य से देखरेख किये जाने वाले प्रारूप-1 के विवरण में प्रविष्ट किया जायेगा। उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंजिका में अपना हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया जायेगा और उनको पंजिका के सम्बंधित पृष्ठों की एक प्रतिलिपि दी जाएगी। एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र के लिफाफों को उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। सुविधा केन्द्र का नाम, मतदान कराने की तिथि और उसमें सम्मिलित डाक मतपत्रों की संख्या इस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम, जिसके लिए लिफाफा निर्धारित है, भी लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। फिर इस लिफाफे को प्रारूप-1 में दर्ज सम्बंधित विवरण की एक प्रतिलिपि के साथ सम्बंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विशेष दूत के माध्यम से भेजा जायेगा जो उप-तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं होगा।

11.3.7. मतदान कराने वाले दलों की रवानगी की तिथि पर, एक स्टील का ट्रंक (सरलीकरण मतदान पेटी) भी प्रेषण केन्द्र में रखा जायेगा ताकि कोई निर्वाचन ड्यूटी का अधिकारी जिसने प्रशिक्षण सत्र में अपना वोट नहीं डाला था, लिफाफे को ऐसे सरलीकरण मतदान पेटी में डाल सकता है जिसमें डाक मतपत्र सम्मिलित होगा। सभी दलों के चले जाने के बाद, यह सरलीकरण मतपेटी खोली जायेगी और मतों को निर्वाचन क्षेत्रवार छांटा जायेगा और उसी तरह से सीलबंद लिफाफे में सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा जायेगा जैसा कि उपरोक्त में बताया गया है। अभ्यर्थियों को इस गतिविधि के बारे में अग्रिम में सूचित करना चाहिए ताकि यदि वे कोई प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहे तो वे ऐसा कर सकें।

11.3.8. यदि किसी मतदाता ने सरलीकरण केन्द्र में/ प्रेषण केन्द्र में वोट नहीं डाला है तो वह केवल डाक द्वारा अपना वोट डाल सकता है।

11.3.9. डाक द्वारा डाक मतपत्रों की प्राप्ति-

(क) डाक विभाग के साथ की जाने वाली व्यवस्था - डाक द्वारा डाक मतपत्रों को वापस प्राप्त करने के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाक विभाग के साथ एक व्यवस्था करेगा और उनसे प्रत्येक संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक डाकघर नामांकित करने के लिए कहेगा जो प्रत्येक दिन सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र सौंपेगा। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक दिन सायं 3 बजे वितरण का समय निर्धारित किया जायेगा; मतगणना के दिन को छोड़कर, जब वितरण का समय प्रातः 8 बजे से पूर्व का होगा या उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गणना केन्द्र में गणना आरंभ करने के लिए निर्धारित किया गया ऐसा कोई और समय। मतगणना केन्द्रों और रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों के पते/ठिकानों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक विभाग को लिखित में प्रेषित की जाएगी।

(ख) डाक द्वारा डाक मतपत्रों की प्राप्ति के समय राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों का उपस्थित रहना - निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लिखित में सूचित किया जायेगा कि वे या उनके प्रतिनिधि डाकघर द्वारा डाक मतपत्रों के वितरण के समय उपस्थित रह सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु, मतगणना वाले दिन मतगणना केन्द्र में प्रविष्ट होने के लिए नामांकित डाक विभाग के कर्मचारी को एक पास जारी किया जाना चाहिए।

(ग) डाक द्वारा डाक मतपत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया - डाकघर द्वारा वितरित डाक मतपत्रों की संख्या राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों और अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी और प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या की एक पावती डाकघर को दी जायेगी। इस पावती की एक प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी के अभिलेख में रखी जायेगी। प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या की प्रविष्टि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारूप-3 की दैनिक विवरणी में की जाएगी। सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

(घ) डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों का संग्रहण - रिटर्निंग अधिकारी प्रतिदिन डाक घर से प्राप्त डाक मतपत्रों को उस दिन के लिए एक अलग लिफाफे में रखेगा और लिफाफे पर तारीख और शब्दों में - "डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्र" लिखेगा। वह इस लिफाफे को डाक प्राप्त होने के बाद प्रत्येक दिन डाक मतपत्रों के लिए स्ट्रांग रूम में रखेगा।

11.3.10. डाक मतपत्रों को गणना के उस स्थल पर भेजना, जहाँ पर गणना रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय में नहीं की जाती है - उन मामलों में, जिसमें मतगणना आरओ मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थान पर की जाती है, संसदीय/ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाक मतपत्रों का स्थानांतरण मतगणना केन्द्रों में सम्बंधित संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाक मतपत्रों को मतगणना वाले दिन से एक दिन पूर्व एक अन्य

कोष कक्ष (स्ट्रांग रूम) में किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थियों को लिखित में उस समय को सूचित करेगा जिस समय इसे संपन्न किया जायेगा। डाक मतपत्रों के लिए कोष कक्ष को अभ्यर्थियों या उनके उपस्थित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा। फिर सभी डाक मतपत्रों को एक बड़े स्टील की पेटी में रखा जायेगा जिसे अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीलबंद किया जायेगा। फिर मतगणना केन्द्र में डाक मतपत्रों के लिए इस मतपेटी को सशस्त्र सीपीएफ की निगरानी में कोष कक्ष तक ले जाया जायेगा। अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को डाक मतपत्रों को ले जाने वाले वाहन का अनुसरण करने की अनुमति दी जाएगी। फिर उस मतपेटी को जिसमें डाक मतपत्र सम्मिलित हैं, मतगणना केन्द्र में अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डाक मतपत्रों के लिए निर्धारित एक कोष कक्ष में रखा जायेगा। फिर उस कोष कक्ष को सीलबंद किया जायेगा और अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर उनकी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में लिया जायेगा। अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को कोष कक्ष पर दृष्टि रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी, यदि वे ऐसी इच्छा रखते हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। मतगणना के दिन, रिटर्निंग अधिकारी कोष कक्ष को खोलेंगे और सुविधा केन्द्रों से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों और पंजिकाओं के सम्बंधित पृष्ठों की प्रतिलिपियों को उस मेज की ओर ले जायेंगे, जहाँ पर डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी।

11.3.11. मतगणना से पूर्व डाक मतपत्रों की संख्याओं का मिलान करना - सुविधा केन्द्रों से प्राप्त लिफाफों को एक-एक करके खोला जायेगा और प्रत्येक लिफाफे में प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या का मिलान सुविधा केन्द्र से प्राप्त पंजिकाओं के सम्बंधित पृष्ठों की प्रतिलिपियों में उल्लेखित संख्याओं के साथ किया जायेगा। ऐसे मिलान के परिणाम को डाक मतपत्रों की गणना से पूर्व अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा। ठीक इसी प्रकार से, डाक से प्राप्त डाक मतपत्रों की पंजिका को भी अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा।

12. मतदान कार्मिक

12.1. मतदान दलों का गठन

12.1.1. सभी योग्य मतदान कर्मचारियों के एक डाटाबेस का रखरखाव जिला निर्वाचन अधिकारी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा जायेगा जो कंप्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण को सुविधा प्रदान कर सकता है। नाम, लिंग, निवास स्थान (निर्वाचन क्षेत्र), कार्य स्थल, गृह निर्वाचन क्षेत्र, पदनाम, कार्यालय और विभाग/ संस्थानों जैसे सभी सम्बंधित विवरणों को प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

12.1.2. डाटाबेस में पृथक रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, शिक्षकों आदि शामिल होंगे जिन्हें मतदान कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

12.1.3. इसी प्रकार से, डाटाबेस में पृथक रूप से सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों; पीएसयू, बैंक आदि शामिल होंगे।

12.1.4. जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, मतदान समूहों का गठन राज्य सरकार के कर्मचारियों में से किया जायेगा। पीएसयू और बैंकों आदि सहित, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का उपयोग सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के लिए किया जायेगा।

12.1.5. पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का वर्गीकरण वेतनमान और उनके पद और श्रेणी के आधार पर किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, राजपत्रित अधिकारियों को पीठासीन अधिकारियों के रूप में तैनात किया जायेगा और ऐसा न होने पर केवल उन अधिकारियों को पीठासीन अधिकारियों के रूप में तैनात करना चाहिए जो, पर्यवेक्षक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी का वेतनमान/श्रेणी समूह के अन्य मतदान अधिकारियों की तुलना में उच्चतर होना चाहिए।

12.1.6. डाक मतपत्र के विषय से सम्बंधित नवीनतम निर्देशों के परिपेक्ष्य में, प्रत्येक अधिकारी का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या प्रदर्शित की जायेगी। यदि वह एक मतदाता नहीं है तो निरंतर उच्चीकरण की प्रक्रिया में उसे सम्बंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली और जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में नामांकित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से, सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए निर्धारित कर्मचारी को निरपवाद रूप से एक मतदाता के रूप में नामांकित करना चाहिए और निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा जिसमें

वह तैनात है या फिर जिसमें वह निवास करता है या फिर वह निर्वाचन क्षेत्र उसका गृह निर्वाचन क्षेत्र है।

12.1.7. किसी की अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पक्ष में मतदान कर्मचारियों के बीच सांठ-गाँठ के किसी आरोप से बचने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के बारे में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मन में आत्मविश्वास स्थापित करने के दृष्टिकोण से, किसी मतदान समूह के गठन के समय विभिन्न कार्यालयों और विभागों से लिए गए मतदान कर्मियों के उचित संयोजन को सुनिश्चित करना चाहिए। एक ही क्रम वर्ग/श्रेणी के दो अधिकारियों को एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मतदान समूह के दो सदस्य एक ही विभाग से नहीं होने चाहिए (स्कूल शिक्षकों के मामले में) उनको एक ही स्कूल से नहीं होना चाहिए।

12.1.8. मतदान कर्मियों के डाटाबेस में राज्य सरकार के विभाग और केन्द्र सरकार के कार्यालय सम्मिलित होना चाहिए। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का उपयोग सूक्ष्म पर्यवेक्षक की ड्यूटी के लिए होना चाहिए जिसका निर्णय पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। मतदान कर्मियों को जनपद के अन्दर तैनात करना होता है, जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता।

12.2. मतदान दलों के गठन की प्रक्रिया

12.2.1. सीईओ को डाटाबेस और सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहिए और जिला निर्वाचन अधिकारी के बीच में इनको वितरित करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को सम्बंधित प्राधिकारियों से मतदान समूह के कार्य के लिए सक्षम अधिकारियों का एक सम्पूर्ण डाटाबेस प्राप्त करना चाहिए। सभी सम्बंधित सूचनाओं को उस राज्य के सीईओ द्वारा अनुमोदित कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिकीकरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में प्रविष्ट करना चाहिए।

12.2.2. अधिकारियों के इस सम्पूर्ण डाटाबेस से, मतदान के लिए कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या की 120 प्रतिशत की सूची का निर्माण (आरक्षित सहित) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक रूप से किया जाना चाहिए। यह तीन चरणों के यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण हैं। इस चरण में पर्यवेक्षक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह यादृच्छिक सूची डीईओ आधारित है और किसी अन्य स्तर की नहीं है, जैसे कि उपमंडल, तहसील, प्रखंड (ब्लॉक), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आदि। यह मात्र उन अधिकारियों को पहचानने और चयन करने के लिए है जिनको उस जनपद के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के रूप में मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस चरण में, किसी भी प्रकार से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की पहचान जिसके लिए मतदान कर्मचारियों को तैनात किया जाना संभावित है, नहीं बताया जाता है। इस चरण में, मतदान कर्मी को केवल यह

बताया जायेगा कि वह एक पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी और प्रशिक्षण का स्थल एवं समय क्या है।

12.2.3. यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया का दूसरा चरण निर्वाचन क्षेत्र में तैनात पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में संपन्न होगा। इस चरण में, वास्तविक मतदान समूहों का गठन यादृच्छिकीकरण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके यादृच्छिक आधार पर किया जायेगा। इस चरण में पर्यवेक्षक मौजूद होना चाहिए। इस चरण में, हालाँकि वास्तविक मतदान केन्द्र के बारे में नहीं बताया जायेगा, तथापि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और दल संयोजन के बारे में जाना जा सकता है। इस यादृच्छिकीकरण का निष्पादन मतदान वाले दिन से 6 या 7 दिन पूर्व नहीं होना चाहिए। नियुक्ति पत्रों को प्रदान करने के उद्देश्य से, डीईओ प्रायोजित करने वाले विभागों/प्राधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और/या उस तिथि पर, जब अंतिम विवरण दिया जा सकता है एवं उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है, समूह के गठन में मतदान कर्मियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। यह डाक मतपत्रों को भी सुविधा प्रदान करेगा।

12.2.4. यादृच्छिकीकरण अभ्यास के तृतीय चरण का निष्पादन मतदान समूहों के प्रस्थान के समय होगा, जब मतदान केन्द्रों का आवंटन मतदान संपन्न कराने वाले दलों को किया जायेगा। प्रत्येक मतदान दल को मतदान केन्द्रों के अंतिम आवंटन के लिए इस तृतीय चरण के यादृच्छिकीकरण को पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत मतदान कर्मी को आवंटित वास्तविक मतदान केन्द्र का प्रकटीकरण मतदान दल के वास्तविक रूप से प्रकीर्णन केन्द्र छोड़कर जाने के ठीक पूर्व करना होता है।

12.2.5. जिला निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्वाचन आयोग को और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पृथक रूप से तुरंत एक प्रमाण-पत्र निम्नलिखित स्वरूप में प्रस्तुत करेगा: "यह प्रमाणित किया जाता है कि

(i) मतदान दलों का गठन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों से चयनित किये गए अधिकारियों के उपयुक्त संयोजन से किया गया है, तथा

(ii) राज्य सरकार के विभागों और जहाँ तक व्यवहारिक हो, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि से लिए गए अधिकारी

(iii) मतदान दलों का संपूर्ण डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से, जनपद के सभी सक्षम कर्मचारियों के डाटाबेस का उपयोग किया गया है।"

12.2.6. प्रथम चरण को छोड़कर, सम्पूर्ण यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया का निष्पादन अपरिवर्तनीय रूप से निर्वाचन क्षेत्र में भेजे गए पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया जाना

चाहिए। यदि संयोगवश यादृच्छिकीकरण (द्वितीय चरण) के माध्यम से मतदान कराने वाले दलों का गठन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया गया है तो द्वितीय चरण के यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया का निष्पादन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में फिर से किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

12.2.7. महिला मतदान कर्मचारियों को कंप्यूटर यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के आधार पर ड्यूटी पर नहीं रखा जाना चाहिए। उनको पड़ोस के मतदान केन्द्रों में तैनात पर्यवेक्षकों द्वारा हस्त-संचालित यादृच्छिकीकरण के माध्यम से ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए, ताकि वे स्वयं मतदान वाले दिन प्रातःकाल में मतदान केन्द्रों पर जा सकें।

12.3. मतदान दल का संयोजन

12.3.1. सामान्य मामले में, एक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी सम्मिलित होते हैं। चौथे मतदान अधिकारी की आवश्यकता तब होती है, जब वीएसडीयू को वीवीपीएटी के साथ जोड़ा जाता है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रतिलिपि का प्रभारी होता है और मतदाताओं के पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी, ईपीआईसी/अन्य पहचान प्रलेख के विवरणों सहित, मतदाताओं के पंजिका (प्रपत्र 17 क) में प्रविष्टि करता है, मतदाताओं के हस्ताक्षर या अँगूठे का छाप (निरक्षर मतदाताओं के मामले में) लेता है, मतदाताओं की बाएँ तर्जनी पर अमिट स्याही लगाता है और मतदाताओं को क्रम संख्या प्रदर्शित करता हुआ मतदाता पर्ची जारी करता है जिसके माध्यम वे अपने वोट डालने के लिए मतदान कोष्ठ में जायेंगे। तृतीय मतदान अधिकारी "सीयू" का संरक्षक होता है और "सीयू" के "बैलट" बटन को दबाकर "बीयू" को क्रियान्वित करता है एवं द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची पर अंकित क्रम संख्या के आधार पर मतदाता को मतदान कोष्ठ के अन्दर जाकर वोट डालने की अनुमति देता है। आयोग ने निर्णय किया है कि किसी विशेष जनपद/निर्वाचन-क्षेत्र में तैनात मतदान कर्मचारियों की कमी के प्रकरण में और ऐसे स्थानों पर मतदान दल में तीन मतदान अधिकारियों; जो कि एक मानक नियम है, के स्थान पर एक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं। उस मामले में, प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य में मतदाता के पहचान के उपरांत, मतदाता की ऊँगली पर अमिट स्याही लगाना भी सम्मिलित होगा। ऐसे मामलों में भी द्वितीय मतदान अधिकारी 'सीयू' का संरक्षक होगा; प्रपत्र 17क (मतदाताओं का रजिस्टर) में प्रविष्टि करने और उसमें निर्वाचकों के हस्ताक्षर/ऊँगली का छाप लेने के सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले जिसमें केवल दो मतदान अधिकारियों का उपयोग किया जाता है, मतदाता पर्ची की क्रम संख्या को तैयार करना आवश्यक नहीं होता। बल्कि, द्वितीय

मतदान अधिकारी 'सीयू' को क्रियान्वित करेगा और फिर ठीक उसी क्रम में मतदाताओं को मतदान कोष्ठ के अन्दर भेजेगा जिसमें उन्होंने मतदाताओं की पंजिका (प्रपत्र 17क) में हस्ताक्षर किया था। ऐसे मामलों में मतदान केन्द्रों में मतदाता पर्चियों को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में, जिसमें मतदान अधिकारियों की संख्या को दो तक सीमित कर दिया जाता है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इसके बारे में अग्रिम व लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। दोनों मतदान अधिकारियों द्वारा संपन्न किये जाने वाले कार्यों को अभ्यर्थियों को भी विस्तार से बताया जाना चाहिए।

13. पर्यवेक्षक

13.1. परिचय

13.1.1. भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन में सहायता करने के लिए वरिष्ठ और प्रशासनिक सेवा के अनुभवी अधिकारियों को अपने प्रेक्षक के रूप में नियुक्त करता है। वे फील्ड स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यकुशल और प्रभावशाली प्रबंधन का निरीक्षण भी करते हैं और फील्ड से निर्वाचन मशीनरी, अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और निर्वाचकों के साथ एक अंतराफलक (इंटरफ़ेस) के रूप में संयोजन करके यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग को प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रदान करते हैं कि निर्वाचनों से सम्बंधित क्रियाकलापों, नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों और दिशानिर्देशों का सभी सम्बंधित लोगों द्वारा कठोरता एवं निष्पक्ष रूप से पालन किया गया है।

13.2. प्रेक्षकों की सांविधिक शक्तियाँ

13.2.1. अभ्यर्थी के ध्यान को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20ख में आमंत्रित किया गया है, जो इस प्रकार है:

1. निर्वाचन आयोग एक सरकारी अधिकारी को एक प्रेक्षक के रूप में नामांकित कर सकता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन या निर्वाचनों के आयोजन पर दृष्टि रखने और ऐसे अन्य क्रियाकलापों को संपन्न करेगा जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपा जा सकता है।
2. उप-धारा (1) के अंतर्गत, नामांकित प्रेक्षक को उस निर्वाचन क्षेत्र या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र जिसके लिए उसे नामांकित गया है, के रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश देने, परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को रोकने या परिणाम को घोषित ना करने का अधिकार होगा, यदि प्रेक्षक के विचार में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों या मतदान के लिए निर्धारित स्थलों पर बूथ/बूथों पर कब्ज़ा कर लिया गया है अथवा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए निर्धारित किसी स्थान पर मतों की गणना या प्रयुक्त मतपत्रों को रिटर्निंग अधिकारी के संरक्षण से बाहर गैर-विधिक रूप से ले जाया गया है या उनको दुर्घटनावश या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है या गुम कर दिया गया है या उनको इस सीमा तक नुकसान पहुँचाया गया है या बिगाड़ा गया है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान के परिणामों को सुनिश्चित नहीं किया जा सके।
3. जहाँ पर किसी प्रेक्षक ने इस धारा के अंतर्गत, रिटर्निंग अधिकारी को मतों की गणना रोकने के लिए या फिर परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया है, तो वह यह विषय अविलम्ब निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा और उस पर निर्वाचन

आयोग सभी वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 58क या धारा 64क या फिर धारा 66 के अंतर्गत, उपयुक्त निर्देश जारी करेगा। प्रेक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किये गए व्ययों का भी निरीक्षण/नियंत्रण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के प्रतिदिन के लेखा-जोखा के रखरखाव के सम्बन्ध में आयोग के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया गया है और इसके अतिरिक्त, प्रेक्षक को अभ्यर्थियों द्वारा अनुरक्षित लेखा-जोखा पंजिका को जाँचने की भी आवश्यकता होती है।

13.3. सूक्ष्म पर्यवेक्षक

13.3.1. भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र के स्तर पर सूक्ष्म प्रेक्षकों के नियुक्ति की प्रणाली आरंभ की है जो आयोग के प्रेक्षक के नियंत्रण एवं निरीक्षण में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। सूक्ष्म प्रेक्षकों को विभिन्न घटकों; जो मतदाताओं के अतिसंवेदनशीलता में योगदान देते हैं, जैसे कि एक सामाजिक वर्ग का अन्य वर्ग पर प्रभुत्व, क्षेत्र तक ना पहुँच पाना, एपिक की अनुपलब्धता, हिंसा का पूर्व इतिहास आदि के आधार पर मतदान केन्द्रों पर तैनात किया जाता है। यदि मतदान को किसी भी प्रकार से दूषित किया जाता है तो वह प्रेक्षक के संज्ञान में इस विषय को तुरंत ही लायेगा। वह यह भी देखेगा कि क्या मतदान की प्रक्रिया का पालन मतदान अधिकारियों/मतदान अभिकर्ताओं द्वारा उचित प्रकार से किया जा रहा है या नहीं और वह मतदान की समाप्ति पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे संग्रह केन्द्र में तैनात प्रेक्षक को प्रस्तुत करेगा।

13.4. क्षेत्र अधिकारी

13.4.1. भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन के लिए मतदान प्रक्रिया की घोषणा के दिन से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रत्येक 10-12 मतदान केन्द्रों के लिए क्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति प्रणाली शुरू की है। उन्हें मतदान के 7 दिन पहले जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जाएगा और उनके पास विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार होंगे और उनके साथ पुलिस अधिकारी होंगे। क्षेत्र अधिकारियों के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं।

13.4.2. **<u>मतदान पूर्व दायित्व:</u>**

1. मतदान केन्द्रों तक पहुँच और सुगम्यता को सुनिश्चित करना।
2. मतदान केन्द्रों पर ढाँचागत सुविधाओं को सुनिश्चित करना - जल, छाँव, ढलान, शौचालय, दूरभाष आदि और भवन की भौतिक स्थिति।
3. यह सुनिश्चित करना कि नए मतदान केन्द्र का व्यापक प्रचार किया जाए।
4. मतदान केन्द्रों पर फ़ोन नंबरों को इकट्ठा करना और मोबाइल की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना।

5. वह अनधिकृत चुनाव अभियान के वाहनों की गतिविधि, संपत्ति की विकृति, अनाधिकृत अभियान, सार्वजनिक भवनों/सरकारी वाहनों/सरकारी सेवकों और आदर्श आचार संहिता के सभी संभावित उल्लंघन पर दृष्टि रखेगा और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
6. दृष्टि में आये मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रदर्शन और मतदाताओं को 'नोटा' विकल्प के बारे में बताया जाये।
7. एपिक कवरेज कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी दें।
8. मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्रों के हेल्पलाइन और स्थानों के बारे में सूचित करें।
9. मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम पीईआर में उनके नाम और प्रविष्टियों की जाँच करने के लिए सूचित करें।
10. आत्मविश्वास निर्माण के उपायों के लिए बार-बार दौरा करना और अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण को दुरस्त करना।
11. अति-संवेदनशीलता का मानचित्रण।
12. ग्रामों, उपग्रामों और धमकी एवं भय के प्रति अतिसंवेदनशील मतदाताओं के समूह की पहचान करना।
13. रिटर्निंग अधिकारी को अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के बारे में पहचान और रिपोर्ट करना।
14. मतदान के लिए मतदाताओं की मुफ्त पहुँच सुनिश्चित करना।
15. उनके टेलीफोन नंबरों के साथ, अतिसंवेदनशील समुदाय के अन्दर संपर्क बिन्दु स्थापित करना।

13.4.3. <u>मतदान पश्चात दायित्व</u>

1. सुनिश्चित करें कि मतदान दल और सभी सामग्री अपने मतदान केन्द्रों तक पहुँच चुके हैं।
2. सुनिश्चित करें कि योजना के अनुसार मतदान केन्द्रों पर सशक्त बल आ गया है।
3. मतदान कर्मियों के बीच ईवीएम एवं वीवीपीएटी संचालन पर या मतदान की प्रक्रिया पर किसी अंतिम क्षण के संदेह को स्पष्ट करें।
4. कंट्रोल रूम को ओके रिपोर्ट दें।

13.4.4. <u>मतदान के दिन दायित्व</u>

1. मतदान के आरम्भ से पूर्व दिखावटी मतदान की स्थिति को सुनिश्चित करना। यदि कोई समस्या हो तो उसे सुलझाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना।
2. मतदान केन्द्र का बार बार दौरा करना और उस पर ध्यान केन्द्रित करना जहाँ पर छद्म मतदान का आयोजन मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाना था।

3. मतदान प्रारम्भ होने की रिपोर्ट।
4. यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्रों पर तैनात सुरक्षाबल उपयुक्त स्थान पर तैनात हैं।
5. जहाँ पर आवश्यक हो, ईवीएम एवं वीवीपीएटी को बदल दिया जाये (क्षेत्र अधिकारी को अतिरिक्त ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों को रखना होता है।
6. मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति/अनुपस्थिति पर दृष्टि रखें और रिपोर्ट करें।
7. मतदान केन्द्र के अंदर मतदान दल की प्रक्रियाओं में सहायता करना।
8. मतदान प्रक्रिया की शुद्धता को बनाये रखना और मतदान केन्द्रों के अपने दौरों के दौरान मतदान के सभी पहलुओं की जाँच करना।
9. छद्म मतदान की स्थिति को 30 मिनटों के अन्दर निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना।
10. मतदान के पैटर्न की जाँच करना - इसकी अनुपस्थिति द्वारा कोई विशिष्ट भाग/अनुभाग सुधारात्मक उपायों के लिए रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें।
11. निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी को समय-समय पर मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट करें।
12. मतदान दिवस की शिकायतों का निपटारा।
13. मतदान दलों द्वारा ईवीएम, वीवीपीपीएटी की सीलिंग और कागजात तैयार करना।
14. मतदान दलों के साथ ईवीएम और वीवीपीएटी को रसीद केन्द्र में भेजना।
15. आरक्षित दलों के मतदान कर्मियों का प्रतिस्थापन।
16. मतदान के अंत में, वह सुनिश्चित करेंगे कि: पीठासीन अधिकारी की डायरी को उचित प्रकार से भरा गया है, ईवीएम एवं वीवीपीएटी को ठीक प्रकार से सीलबंद किया गया है, मतदान अभिकर्ताओं को 17ग की प्रतिलिपियाँ दी गई हैं, मतदाताओं का रजिस्टर 17क को उचित प्रकार से भरा गया है और प्रेक्षकों को जमा किये जाने वाले पीठासीन अधिकारी के लिए अतिरिक्त प्रतिवेदन के प्रारूप को ठीक प्रकार से भरा गया है।

13.4.5 मतदान के बाद, क्षेत्र अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को मतदान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

14. मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था

14.1. सुरक्षा

14.1.1. मतदान के दौरान मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन आयोग केन्द्रीय पुलिस बल की नियुक्ति करता है। निर्वाचन के दौरान स्थानीय राज्य पुलिस (अन्य बलों के साथ) एवं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल भारत निर्वाचन आयोग के साथ प्रतिनियुक्ति पर होते हैं और वे सभी प्रयोजनों के लिए इसके अधीक्षण एवं नियंत्रण में आते हैं। आयोग, सुचारू रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए इन बलों के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करता है।

14.1.2. आयोग के निर्देश अनुसार जिस मतदान केन्द्र में सीपीएफ जवान तैनात है, उन्हें मतदान केन्द्र के बाहर स्थैतिक बल के रूप में उपयोग किया जाये।

14.1.3. माननीय उच्चतम न्यायालय 2003 की सी.ए.सं. 9228 (जनक सिंह बनाम रामदास राय एवं अन्य) के अनुसार आयोग ने निर्देश दिया कि मतदान केन्द्र में एक सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात रहेगा जो मतदान केन्द्र में हो रही सभी गतिविधियों पर नज़र रखेगा। विशेषतः यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी अवांछित व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश न कर पाये या कोई अनियमितता मतदान अधिकारियों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा मतदान के दौरान न की जाए। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के अन्दर तैनात न हो।

14.1.4. मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर नियुक्त सीपीएफ जवान विशेषतः निम्न गतिविधियों पर नज़र रखेगा:-

1. कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कभी भी मतदान केन्द्र के भीतर मतदान के समय न जाए।
2. मतदान दल या अभिकर्ता, मत या मतों को डालने का प्रयास न करें. जब कोई भी मतदाता मतदान बूथ में न हो।
3. पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक के साथ मतदान कोष्ठ में न जाए।
4. कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को डराये-धमकाये नहीं या किसी तरह का डराने वाला संकेत न करें।
5. मतदान केन्द्र के भीतर हथियार न ले जाया जाए।
6. किसी प्रकार की धांधली न हो।

14.1.5. मतदान केन्द्र के दरवाजे पर तैनात सीपीएफ जवान यदि किसी भी तरह की निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लंघन देखता है या मतदान केन्द्र के भीतर कुछ भी अवांछित पाता है, तो वह किसी भी तरह मतदान क्रिया में व्यवधान नहीं करेगा, वरन् अपने प्रभारी

अधिकारी को रिपार्ट करेगा या पर्यवेक्षक को इसकी जानकारी देगा। सीपीएफ का प्रभारी अधिकारी तत्पश्चात् इसे रिटर्निंग ऑफिसर तथा पर्यवेक्षक के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लिखित में लाएगा।

14.1.6. जिन भवनों में यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र हो, जहाँ एक ही सीपीएफ जवान नियुक्त हो तो प्रवेश द्वार पर नियुक्त जवान दोनों मतदान केन्द्रों की गतिविधियों पर घूम-घूम कर नजर रखेगा एवं अवांछित घटनाओं की सूचना सीपीएफ प्रभारी को देगा।

14.1.7. रिटर्निंग ऑफिसर/पर्यवेक्षक, उन सभी अवांछित घटनाओं की सूचना जो सीपीएफ दलों द्वारा दी गई है आगे के निर्देशों के लिए आयोग को देंगे।

14.1.8. सीपीएफ जवान केवल उन्हीं मतदान केन्द्रों के बाहरी द्वार पर नियुक्त होंगे जहाँ की सीपीएफ नियुक्त हो।

14.1.9. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात सीपीएफ जवान मत डालने के लिए मतदान केन्द्रों में आने वाले किसी भी निर्वाचक की पहचान नहीं करेगा, क्योंकि यह कार्य मतदान अधिकारियों का होता है।

14.1.10. निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सीपीएफ जवानों को मतदान केन्द्र के भीतर नहीं नियुक्त किया जाए।

14.1.11. मतदान की समाप्ति के बाद ईवीएम, वीवीपीएटी एवं पीठासीन अधिकारी को सीपीएफ अभिरक्षा के साथ संग्रहण केन्द्र में ले जाया जाएगा। इसकी विस्तृत प्रक्रिया को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पर्यवेक्षकों के साथ पहले से ही निश्चित कर लेंगे।

14.1.12. सीपीएफ उस स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए भी ज़िम्मेदार होगा जहाँ मतदान हुई ई.वी.एम. मतगणना के दिन तक संग्रहीत करके रखी जाती हैं।

15. मतदान दिवस

15.1. प्रस्तावना

15.1.1. मतदान निर्वाचन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लोकतंत्र में मतदान के माध्यम से ही निर्वाचक अपनी पसंद के अभ्यर्थी का चयन करते हैं जो संसद या राज्य विधान मंडल में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

15.2. मतदान के दिन अवकाश की घोषणा

15.2.1. निर्वाचन विधि में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्ति को लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए मतदान करने हेतु पात्र व्यक्ति को मतदान के दिन छुट्टी दी जाए। भुगतान किए गए अवकाश के कारण ऐसे किसी भी व्यक्ति की मजदूरी में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

15.3. प्रचार पर प्रतिबंध

15.3.1. निर्वाचन विधि, मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों में या उसके निकट प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाता है। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं करेगा, अर्थात्:

(क) मतों के लिए प्रचार न करना;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मत न देने को किसी निर्वाचक को उकसाना;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को उकसाना;

(ङ) निर्वाचन के संबंध में कोई सूचना या संकेत (शासकीय सूचना से भिन्न) प्रदर्शित करना;

(च) किसी मेगाफोन या लाउड स्पीकर जैसे उपकरणों का मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान में न तो उपयोग में लाएगा और न ही चलाएगा; और

(छ) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान में चिल्लाना या अव्यवस्था पैदा करना।

कृपया ध्यान दें:- लाउडस्पीकर, आदि का उपयोग कितनी भी दूरी से नहीं किया जाएगा। इसे तब भी अपराध माना जाएगा जब इसका उपयोग 100 मीटर से अधिक की दूरी से किया जाता है, अगर यह मतदान के लिए मतदान केन्द्र पर जाने वाले किसी व्यक्ति को बाधा

पहुँचाता है या मतदान केन्द्र पर अधिकारियों और अन्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करता है।

15.4. मतदान केन्द्र में या उसके निकट शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध

15.4.1. अभ्यर्थी का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ख की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसका अंतर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस धारा में विशेष स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए लोगों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों या उनके आसपास के क्षेत्रों में हथियार लेकर नहीं जाएगा या इनका प्रदर्शन नहीं करेगा। इस प्रकार, निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी सुरक्षाकर्मी हो, उसे किसी भी मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए या ऐसे सुरक्षाकर्मियों के साथ आसपास के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। हालाँकि, एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जो अभ्यर्थी भी है, का सीपीटी हथियार के साथ पोलिंग बूथ के दरवाजे तक जाएगा और उसके बाद केवल एक पीएसओ, जो अपना हथियार छिपाकर रखेगा, सुरक्षा-प्राप्त अभ्यर्थी के साथ अंदर जाएगा और किसी भी रूप में कार्यवाही में बाधा डाले बिना ऐसे स्थान पर खड़ा होगा जहाँ से वह, यदि अपेक्षित हो, पीआर को अपेक्षित सुरक्षा कवर कर सके।

15.5. अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ

15.5.1. आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास अभ्यर्थियों के किसी भी निर्वाचन बूथ को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू निर्वाचन कराने में कठिनाइयां पैदा होती हैं जैसे मतदाताओं को बाधा होती है, पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच टकराव पैदा होता है कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। हालाँकि, अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर अपने अभिकर्ताओं और श्रमिकों के उपयोग के लिए उन्हें धूप/बारिश से बचाने के लिए छतरी या तिरपाल सहित एक मेज और दो कुर्सियां प्रदान कर सकते हैं ताकि मतदाताओं को गैर-सरकारी पहचान पर्चियाँ वितरित की जा सकें। ऐसी मेज के आसपास किसी भी भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

15.6. मतदाताओं को मतदान करने से रोकना

15.6.1. किसी मतदाता को उसकी सहमति या असहमति से शिविर या किसी अन्य स्थान पर रोकना या मतदान केन्द्र में जाने के उनके रास्ते में बाधा डालना या किसी भी तरीके से उन्हें मतदान करने से रोकना एक संज्ञेय अपराध है। यदि अभ्यर्थी को ऐसी सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति को पकड़ कर रखा गया या बाधित किया गया या रोका गया है तो उसे मामले की सूचना पीठासीन अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन या रिटर्निंग अधिकारी को देनी चाहिए, जो उस व्यक्ति को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेगा जिसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गलत तरीके से

पकड़ कर रखा गया या बाधित किया गया या रोका गया है भले ही ऐसी बाधा किसी निजी स्थान पर की गई हो।

15.7. मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहनों की अवैध हायरिंग

15.7.1. अभ्यर्थी को अपनी ओर से किसी को भी मतदान के दिन मतदाताओं को वाहन प्रदान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध दोनों है। यदि अभ्यर्थी, किसी अन्य अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं, समर्थकों या कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को ऐसे वाहन उपलब्ध कराते हुए देखता है, तो उसे इस संबंध में शिकायत करनी चाहिए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के तहत अपराधी के विरूद्ध मुकदमा चलाने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है और केवल निर्वाचन अधिकारियों को शिकायत भेजता है, तो अपराधियों के विरूद्ध बहुत मूल्यवान सबूत खो जाएगा। अभ्यर्थी आगे दोषी अभ्यर्थी के खिलाफ मतदान याचिका दायर करने के लिए इसे आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के लिए नि:शुल्क यातायात की व्यवस्था करना भी एक भ्रष्ट आचरण है। अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता इस संबंध में पीठासीन अधिकारी को लिखित में शिकायत भी कर सकता है, जो इसे संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा जिसे ऐसे मामलों से निपटने का अधिकार दिया गया है। अभ्यर्थी पीठासीन अधिकारी को उसकी शिकायत पर अपने नजरिए से टिप्पणी करने के लिए भी कह सकता है।

15.8. मतदान के दिन यातायात विनियमन

15.8.1. मतदान के दिन मतदाताओं के लिए मुफ्त परिवहन प्रदान करने के भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध को रोकने के लिए, आयोग ने एक योजना तैयार की है। योजना के मुख्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं:

(1) इसका उद्देश्य यह है कि निर्वाचन विधि के उल्लंघन में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने-ले जाने से रोकने के लिए मतदान के दिन मतदान क्षेत्रों की नाकाबंदी करके सभी वाहनों को आने से रोका जाना चाहिए।

(2) सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे बस, मिनी बस को चलाने की अनुमति है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाताओं की सुविधा के लिए इनका इस्तेमाल चोरी-छिपे न किया जा रहा हो।

(3) हालाँकि, यात्रियों को मतदान केंद्रों के अलावा, अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों, क्लबों, रेस्तराओं जैसे अन्य स्थानों पर ले जाने वाली निजी कारों, टैक्सी को सड़क पर चलाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उन्हें मतदाताओं के परिवहन के लिए मतदान क्षेत्रों के निकट चोरी-छिपे आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन वाहनों के यातायात को इस तरह से मोड़ा जाना चाहिए कि वे इसके दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित न कर सकें।

(4) लारियों, ट्रकों के आवागमन को भी इसी तरह विनियमित किया जाएगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आदि को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से विनियमन लागू करने के लिखित रूप में निर्देश दिए जाएंगे, और संबंधित अधिकारियों से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(6) राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके बीच, उनके अभिकर्ताओं तथा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी जाएगी कि विनियमन के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और यह निर्वाचन याचिका में निर्वाचन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है और विधि के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

15.8.2. लोक सभा के निर्वाचन के लिए, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निम्न के हकदार होंगे:

(क) पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन।

(ख) पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन।

(ग) इसके अलावा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं जैसा भी मामला हो, के उपयोग के लिए एक वाहन।

15.8.3. राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निम्न के हकदार होंगे:

(क) अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन

(ख) अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन

(ग) इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन।

टिप्पणी

(i) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं को केवल चार/तीन/दोपहिया वाहनों अर्थात कारों (सभी प्रकार के), टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और दो पहिया वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। इन वाहनों में चालक सहित पाँच से अधिक व्यक्तियों को मतदान के दिन जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) मतदान के दिन, यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है, तो किसी अन्य व्यक्ति को उसके उपयोग के लिए आवंटित वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.8.4. परमिट को जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर सहित स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित "निर्वाचन परमिट" शब्दों को वाहन के विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

15.8.5. अभ्यर्थी को आयोग की योजना के उपरोक्त दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और मतदान के दिन उसके/और उसके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के परमिट अग्रिम में ही प्राप्त करने चाहिए।

15.9. मतदान केन्द्र से ईवीएम के बैलेट पेपर को हटाना अपराध माना जाएगा

15.9.1. यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं को यह संदेह हो कि कोई मतदाता अवैध रूप से किसी भी मतदान-पत्र या मतदान मशीन को मतदान केन्द्र से बाहर ले जा रहा है या अनधिकृत रूप से या धोखे से इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसे मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई के लिए पीठासीन अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए।

15.10. आदेश नहीं मानने वाले व्यक्तियों को हटाना

15.10.1. कोई भी व्यक्ति, जो मतदान के दौरान कदाचार करता है या पीठासीन अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने आदेश के तहत मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है।

15.11. मतदान अभिकर्ता

15.11.1. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो एवजी अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है। हालाँकि, उनमें से एक समय में केवल एक ही मतदान केन्द्र के अंदर मौजूद रह सकता है। वे समय-समय पर एक-दूसरे का स्थान लेंगे। किसी अभिकर्ता के बाहर जाने पर दूसरा एवजी अभिकर्ता उसकी जगह ले सकता है। तीनों में से, जो भी मतदान केन्द्र के अंदर होता है, उसे उस समय अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता माना जाता है; उसके पास वही अधिकार और जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कानून द्वारा मतदान अभिकर्ता को दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मतदान अभिकर्ताओं को शौच आदि के लिए अपराह्न 3 बजे के बाद मतदान केन्द्रों से बाहर जाने और मतदान केन्द्र में वापस आने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी का केवल एक मतदान अभिकर्ता या उसका एवजी ही एक समय में मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित हो। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को ईवीएम और वीवीपीएटी को सील करने की घोषणा पर हस्ताक्षर करने आदि प्रकियाओं की निगरानी के लिए मतदान समाप्त होने तक मतदान केन्द्रों में ही रूकने की हिदायत देगा। मतदान अभिकर्ता/एवजी अभिकर्ता की मूवमंट् शीट प्रत्येक मतदान केन्द्र को प्रदान की जायेगी, जिसमें प्रत्येक मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के अंदर तथा बाहर जाने का समय अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा, आयोग ने निर्देश दिया है कि केन्द्र और राज्यों के मंत्रियों और सांसदों, विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों और राज्य द्वारा सुरक्षा प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा

कर्मिकों को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। सुरक्षा कवर प्राप्त किसी व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता बनने का पात्र होने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15.11.2. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति प्ररूप 10 (**परिशिष्ट 23**) में लिखित रूप से की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ता, आमतौर स्थानीय निवासी होंगे और केवल उसी मतदान केन्द्र में मतदाता होंगे। ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति जो मतदान क्षेत्र में पंजीकृत निर्वाचक है और उसे अभ्यर्थी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसके पास निर्वाचक का फोटो पहचान-पत्र नहीं है, तो उस स्थिति में, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता रिटर्निंग अधिकारी से लिखित अनुरोध कर सकते हैं जो ऐसे निर्वाचक को निर्वाचक का फोटो पहचान-पत्र जारी करने की आवश्यक व्यवस्था करेगा। सभी मतदान अभिकर्ता अपने मतदाता फोटो पहचान-पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे। अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश की प्रति रिटर्निंग अधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में मूल रूप से नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा ताकि पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केन्द्र में आने की अनुमति दे सके। किसी भी मतदान अभिकर्ता को अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति के रूप में प्ररूप 10 में नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि उनका हस्ताक्षर अभ्यर्थी की उपस्थिति में या उसके/उसके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में किया जाए, यदि निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति करता है। मतदान अभिकर्ता को भी मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में फिर से हस्ताक्षर करना होगा। उसे पीठासीन अधिकारी के सामने उसी तरह से हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाना चाहिए जैसा कि उसने अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के सामने हस्ताक्षर किया था ताकि उसके हस्ताक्षर में कोई विसंगति न हो। इससे उनकी पहचान को तुरंत स्वीकार करने में मदद मिलेगी।

15.11.3. किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु जैसा कि प्ररूप 10 में नियुक्ति-पत्र में दिया गया है, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना प्रारूप (**परिशिष्ट**-25) पर प्राप्त किया जाएगा और उसकी प्रतियां पर्याप्त संख्या में निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी, प्रेक्षकों, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि को दी जाएंगी। यदि अभ्यर्थी ने कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया है, तो उक्त प्रारूप में निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर के लिए बने कॉलम में "कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं" शब्द लिखे जाएंगे। अभ्यर्थी किसी

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यदि नियुक्ति में ऐसा परिवर्तन अंतिम समय में किया जाता है जब पीठासीन अधिकारी को पहले से ही अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर नमूने का प्रारूप (**परिशिष्ट-25**) प्रदान किया गया है, तो निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को निरस्त करने वाले प्ररूप 9 की एक प्रति प्रदान करना और पीठासीन अधिकारी को नए निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करने वाले प्ररूप 8 की एक प्रति प्रदान करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।

15.11.4. अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता अपने किसी भी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को प्ररूप 11 (**परिशिष्ट 24**) में लिखित रूप में रद्द कर सकते हैं और मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के साथ निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर सकते हैं। यदि मतदान अभिकर्ता मतदान से पहले मर जाता है, तो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी को सूचित करना चाहिए। निरस्तीकरण या मृत्यु के मामले में, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता दूसरे मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 10 में पहले की तरह नियुक्ति-पत्र देकर नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले में, ऐसी नियुक्ति के लिए पत्र में दिए गए तथ्यों का उल्लेख करें।

15.12. मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र कब पहुँचना चाहिए

15.12.1. मतदान अभिकर्ता को मतदान शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले मतदान केन्द्र पर पहुँच जाना चाहिए। इससे वह पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान कराने के लिए मतदान मशीनें और वीवीपीएटी तैयार करने और मतदान शुरू होने से पहले अन्य प्रारंभिक/व्यवस्थाओं को देख सकेगा। यदि इस प्रारंभिक तैयारी का कोई हिस्सा पहले ही पूरा किया जा चुका है, तो किसी भी देर से आने वाले अभिकर्ता के लिए नए सिरे से कार्यवाही नहीं की जाएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्राधिकार के साथ एक पास प्रदान किया जाएगा, जिससे मतदान अभिकर्ता आवश्यकता पड़ने पर मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर जा सकेंगे।

15.13. मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति की जाँच और छद्म मतदान का अनिवार्यत: संचालन और प्रमाणन

15.13.1. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उसके मतदान अभिकर्ता मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएं, ताकि मतदान पूर्व औपचारिकताएं जैसे कि अभिकर्ताओं को प्रवेश पास जारी करना, छद्म मतदान की शुरुआत आदि समय के भीतर पूरा किया जा सके।

15.13.2. पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पैरा 21.2 में बताए अनुसार छद्म मतदान आयोजित करेंगे और निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट** 28) में छद्म मतदान प्रमाण-पत्र तैयार करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

15.13.3. पीठासीन अधिकारी अभिकर्ताओं और अभ्यर्थियों के नाम का उल्लेख करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से उनका हस्ताक्षर लेंगे।

15.13.4. छद्म मतदान आम तौर पर मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले आयोजित किया जाएगा। सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों को पहले से ही लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए कि छद्म मतदान शुरू होने से एक घंटे पहले शुरू होगा और उन्हें सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपने मतदान अभिकर्ताओं को कहें कि वे छद्म मतदान के लिए समय पर उपस्थित रहें। छद्म मतदान के समय कम से कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित होने चाहिए। तथापि यदि कम से कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता मौजूद नहीं है तो पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार कर सकता है और यदि अभिकर्ता अभी भी नहीं आते हैं, तो पीठासीन अधिकारी आगे कार्रवाई करते हुए छद्म मतदान शुरू कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 मिनट के इंतजार के बाद यदि मात्र एक मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति की संभावना हो तो इस स्थिति में भी पीठासीन अधिकारी को आगे कार्रवाई करते हुए छद्म मतदान शुरू करना चाहिए। इसका छद्म मतदान प्रमाण-प्रत्र में विशिष्ट उल्लेख होना चाहिए।

15.13.5. रिटर्निंग अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से तथा मतदान केन्द्र/मोबाइल टीमों के साथ संचार संपर्क करके छद्म मतदान के आयोजित होने अथवा आयोजित न होने पर नजर रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर छद्म मतदान की स्थिति का पता लगाएंगे। छद्म मतदान की पुष्टि न होना इस बात का संकेत है कि पीठासीन अधिकारी अथवा ईवीएम की ओर से कुछ समस्या है और इसलिए रिटर्निंग अधिकारी समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करेगा।

15.13.6. ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थी उपस्थिति नहीं है और जहाँ अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में छद्म मतदान आयोजित किया जाना हो, वहाँ निर्वाचन मशीनरी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। रिजर्व सूक्ष्म-प्रेक्षक की तैनाती, वीडियो कैमरे लगाने, सेक्टर अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार दौरे करने जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

15.13.7. मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त छद्म मतदान संबंधी प्रमाणन के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करेंगे, जहाँ छद्म मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में आयोजित हुए अथवा जहाँ छद्म मतदान के समय मान्यता-प्राप्त दलों के एक से अधिक प्रतिद्वंद्वी के अभिकर्ता उपस्थित नहीं थे और ऐसे मतदान केन्द्रों से प्राप्त दस्तावेजों की उचित जाँच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रेक्षक भी इस पहलू पर अधिक ध्यान देंगे।

15.14. मतदान अभिकर्ता का कर्तव्य

15.14.1. मतदान अभिकर्ता का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थी के हितों को सुरक्षित रखा जाए, जिसके लिए उसे मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अन्य कर्तव्य इस प्रकार हैं-

(क) असली मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की चुनौती के मद्देनज़र असली मतदाता का पता लगाने और उसे रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता करना;

(ख) मतदान से पहले और बाद में नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को ठीक से सुरक्षित और सील करने में मदद करना;

(ग) मतदान के समापन के बाद पीठासीन अधिकारी से प्ररूप 17-ग में दर्ज वोट का लेखा-जोखा और पेपर सील की एक प्रति लेना; तथा

(घ) यह देखना कि मतदान से संबंधित दस्तावेजों को विधि के अनुसार सुरक्षित रखकर उचित प्रकार से सील किया गया है।

15.14.2. आयोग ने अलग से "मतदान अभिकर्ता के लिए पुस्तिका" का प्रकाशन किया है, जिसे अभ्यर्थी यदि आवश्यक समझे तो मतदान अभिकर्ताओं के बीच वितरण के लिए इन्हें पर्याप्त संख्या में खरीद सकते हैं। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध हैं।

15.15. मतदान अभिकर्ता द्वारा लाई जाने वाली चीजें

15.15.1. मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में आते समय अपने साथ निम्नलिखित वस्तुओं को लेकर आना चाहिएः-

(क) अपना नियुक्ति-पत्र;

(ख) मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति;

(ग) सूची में शामिल मृत अथवा स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं के नामों की सूची;

(घ) एक छोटी पीतल की सील, जिसका उपयोग वे मतगणना/संग्रह केन्द्र में ले जाने से पहले बैलेट यूनिट के वहन बक्से (बक्सों) में अपनी मुहर लगाने के लिए कर सकते हैं; तथा

(ङ) पेन, पेपर और पेंसिल।

15.16. मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि को लगाए रखना

15.16.1. मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को, अभ्यर्थी या राजनैतिक नेताओं के नाम और/या उनके प्रतीकों या उनके चित्रात्मक प्रतिनिधित्व वाले बैजों इत्यादि को लगाये रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसे अभ्यर्थी का प्रचार माना जाएगा।

15.16.2. मतदान के दिन मतदान केन्द्र में किसी राजनैतिक दल के नाम, चुनाव चिह्न अथवा नारा लिखी हुई टोपी अथवा शॉल आदि पहन कर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.16.3. तथापि, मतदान अभिकर्ता उस अभ्यर्थी के नाम को प्रदर्शित करने वाला बैज शरीर पर लगा सकेंगे, जिसका वह अभिकर्ता है, जिससे उनकी तत्काल पहचान की जा सके।

15.17. मतदान केंद्रों पर व्यवस्था

15.17.1. प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर, मतदान क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाले निर्वाचकों को मतदान केन्द्र और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

15.17.2. पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डीईओ द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र में "हेल्प डेस्क" के लिए नियुक्त बीएलओ के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, मतदान केन्द्र के बाहर सुनिश्चित की जाएगी ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। यह सिफारिश की जाती है कि उनकी सीट जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र के मुख्य द्वार के करीब हो ताकि मतदान केन्द्र पर आने वाले मतदाताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जा सके। ""हेल्प डेस्क-बूथ लेवल अधिकारी, पीएस नं....."" नामक एक डिस्पले बोर्ड उनकी सीट के पास प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

15.18. मतदान केन्द्रों में प्रवेश

15.18.1. पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचकों के अलावा केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान केन्द्र में प्रवेश करने दिया जा सकता है:

(क) मतदान अधिकारी;

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता तथा एक बार में प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभ्यर्थी;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(घ) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी;

कृपया ध्यान दें:- "निर्वाचन ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी" अभिव्यक्ति में पुलिस अधिकारी (जब तक कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया नहीं जाता), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होंगे।

(ङ) आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक;

(च) किसी निर्वाचक की गोद में बच्चा;

(छ) अंधे या अशक्त मतदाता, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, के साथ आने वाले व्यक्ति; तथा

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या अन्यथा मतदान में पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के उद्देश्य से आने की अनुमति दे सकते हैं।

कृपया ध्यान दें:- किसी भी निर्वाचक, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी, यदि कोई हो, को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में "मतदान केन्द्र के आसपास" के रूप में निर्धारित और मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.19. मतदान अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था

15.19.1. पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ताओं के लिए सीटें उपलब्ध कराने की इस तरह से व्यवस्था करेगा कि मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्रों के भीतर से मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले निर्वाचक का चेहरा देख सकें और जरूरत पड़ने पर निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। उन्हें मतदान केन्द्र की पूरी गतिविधि सहित और निर्वाचक द्वारा अपना मत दर्ज करने के बाद मतदान कंपार्टमेंट से बाहर निकलने तक मतदान केन्द्र के भीतर की पूरी कार्रवाई को देखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उन्हें किसी भी स्थिति में ऐसी जगह पर नहीं बैठाना चाहिए, जहाँ से उन्हें मतदाता को वास्तव में अपना मत दर्ज करते हुए देखने का मौका मिले, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो जाए।

15.19.2. आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार, अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था प्राथमिकताओं की निम्नलिखित श्रेणियों अनुसार निर्देशित होगी, अर्थात्

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी,

(ii) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी,

(iii) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उनके आरक्षित प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है,

(iv) पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी, और

(v) निर्दलीय अभ्यर्थी

15.20. मतदान के शुरू होने से पहले के कार्य

15.20.1. मतदान शुरू होने के तय समय से लगभग एक घंटे पहले, पीठासीन अधिकारी मतदान कराने के लिए प्रारंभिक तैयारी करेगा। पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित करेंगे-

(क) मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करना कि ईवीएम और वीवीपीएटी सही ढंग से कार्य कर रही है और यह कि मशीनों में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं हैं।

(ख) मतदान अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिए एक छद्म मतदान करना कि ईवीएम और वीवीपीएटी ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ग) मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट से ऐसे छद्म मतदान में दर्ज वोटों को मिटा दें और वीवीपीएटी से पेपर स्लिप हटा दें ताकि छद्म मतदान से संबंधित कोई भी डेटा ईवीएम और वीवीपीएटी में न रहे।

(घ) छद्म मतदान प्रमाण-पत्र तैयार करें और इस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें;

(ङ) कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदरुनी कंपार्टमेंट के भीतरी द्वार पर हरे कागज की सील लगाने के लिए प्रदान किए गए फ्रेम में हरे रंग की पेपर सील लगाएं;

(च) कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक द्वार को धागे से बंद करें और इसे "स्पेशल टैग" से सील करें। वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को भी कॉमन एड्रेस टैग लगाकर सील किया जाएगा।

(छ) धागे से कंट्रोल यूनिट के उस (रिजल्ट) सेक्शन के बाहरी कवर को धागे से बंद करें और इसे "एड्रेस टैग" से सील करें;

(ज) रिजल्ट सेक्शन को बाहर से "स्ट्रिप सील" से सील करें;

(झ) मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति (निर्वाचकों को मत देने की अनुमति देने वाले नामों को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निर्वाचक नामावली की प्रति) में डाक मत पत्र (पोस्टल बैलेट पेपर) और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त टिप्पणी के अलावा कोई टिप्पणी नहीं है; और यह कि अनुपूरक निर्वाचक नामावली में हटाए गए नाम यदि कोई हों, ड्राफ्ट रोल के साथ-साथ अंतिम प्रकाशन से पहले दावों और आपत्तियों के निपटान के बाद तैयार की गई अनुपूरक निर्वाचित नामावली को पुनर्मुद्रित मुख्य रोल में नाम काटकर दर्शाया गया है, जिस पर फोटो निर्वाचक नामावली के मामले में संबंधित निर्वाचक विवरण बॉक्स पर "डिलिटेड" ("D E L E T E D") शब्द लिखा गया है;

(निर्वाचक नामावली में एक एईआरओ और एक अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे); और

(ञ) मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित किया जाएगा कि "मतदाताओं के रजिस्टर" (17क से) में पहले से किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है।

15.21. मतदान से पहले ईवीएम और वीवीपीएटी की तैयारी

15.21.1. मत डालने के लिए मतदान केन्द्र पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने से पहले इसकी कंट्रोल यूनिट को अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में निम्नलिखित कदम उठाकर तैयार किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के नियत समय से लगभग एक घंटा पूर्व तैयारी शुरू कर देंगे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता मौजूद नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता के आने के

इंतजार में तैयारी स्थगित नहीं की जाएगी। यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आता है तो फिर से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। देर से आने वाला कोई भी मतदान अभिकर्ता केवल तैयारी के आगामी चरणों को ही देख पाएगा।

15.22. बैलेट यूनिट तैयारी

15.22.1. बैलेट यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर हर दृष्टि से पहले ही तैयार की जा चुकी होती है और इसलिए पीठासीन अधिकारी को मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिवाय इसके कि उसे आपस में जोड़ने वाली केबल को सावधानीपूर्वक वीवीपीएटी यूनिट में लगाना होता है।

15.22.2. जहाँ किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, वहाँ इन बैलेट यूनिट को सही क्रम में आपस में जोड़ा जाना होता है। ऐसे मामलों में केवल पहली बैलेट यूनिट ही वीवीपीएटी यूनिट से जुड़ी होगी। मतदान अभिकर्ता खुद को संतुष्ट कर सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी ने कंट्रोल यूनिट को वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट (यूनिटों) के साथ सही ढंग से जोड़ा है। यदि इस तरह की इंटरलिंकिंग में कोई खराबी है, तो इसे तुरंत कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर देखा जाएगा।

15.22.3. मतदान अभिकर्ताओं को यह भी जाँच करके सुनिश्चित करना चाहिए कि

i. बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे बैलेट डिस्प्ले पैनल में बैलेट पेपर अच्छी तरह से लगा हुआ है;

ii. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बैलेट यूनिट के दाहिनी ओर से ऊपर और नीचे के भाग में लगाई गई दो सील सही स्थिति में हैं;

iii. बैलेट यूनिट के सबसे निचले भाग में गुलाबी पेपर सील इस प्रकार से लगी हुई है कि किसी भी अभ्यर्थी का बटन या अभ्यर्थी का नाम अथवा प्रतीक सील से छिपा न हो;

iv. वीवीपीएटी यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने वाली केबल की पूरी लंबाई मतदान अभिकर्ताओं को दिखाई देनी चाहिए; तथा

v. बैलेट यूनिट पर स्लाइड स्विच (या एम3 ईवीएम में थंबव्हील स्विच) सही ढंग से लगाया गया है।

15.23. कंट्रोल यूनिट की तैयारी

15.23.1. मतदान अभिकर्ता को यह जाँचने की अनुमति दी जाएगी कि कंट्रोल यूनिट पर "कैंडिडेट सेट सेक्शन" पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई सील सही ढंग से लगी है। यह सील रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संबंधित संसदीय/विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटासहित) के अनुसार कंट्रोल यूनिट में अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करने के बाद लगाई गई है।

15.23.2. इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर निम्नलिखित तैयारी की जाएगी:

i. कंट्रोल यूनिट को वीवीपीएटी से जोड़ना: पीठासीन अधिकारी, बैलेट यूनिट से अथवा जहाँ एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जा रहा हो वहाँ पहली बैलेट यूनिट को आपस में जोड़ने वाली केबल को वीवीपीएटी के पिछले कम्पार्टमेंट में दिए गए सॉकेट में प्लग लगाएंगे। कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में दिए गए सॉकेट में वीवीपीएटी की इंटरकनेक्टिंग केबल का प्लग लगाएं।

ii. "पावर" स्विच को "ऑन" करना: तत्पश्चात् कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में दिए गए "पावर" स्विच को ऑन करें। जिसके बाद बीप की आवाज आएगी और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में ऑन लैम्प हरे रंग में प्रकाशित होगा।

उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित कार्यों को करने के बाद पिछले कम्पार्टमेंट को बंद कर दें। इसे कसकर बंद करने के लिए इसके लिए दिए गए दो छिद्रों से एक पतली तार निकालकर तारों के सिरों को कुछ घुमाव देते हुए कस दें। तथापि, पिछले कम्पार्टमेंट को सील न करें, क्योंकि मतदान समाप्ति के पश्चात पावर स्विच के बंद करने तथा वीवीपीएटी को अलग करने के लिए इसे फिर से खोलना पड़ेगा।

15.24. वीवीपीएटी की तैयारी

15.24.1. पीठासीन अधिकारी, बैलेट यूनिट से अथवा जहाँ एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जा रहा हो, वहाँ पहली बैलेट यूनिट को आपस में जोड़ने वाली केबल को वीवीपीएटी के पिछले कम्पार्टमेंट में इसके लिए दिए गए सॉकेट में डालेंगे। कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में इसके लिए दिए गए सॉकेट में वीवीपीएटी को आपस में जोड़ने वाली (इंटरकनेक्टिंग) केबल को प्लग करें। एम2 वीवीपीएटी के मामले में, वीएसडीयू को जोड़ने वाली केबल को वीवीपीएटी के पिछले कंपार्टमेंट में इसके लिए दिए गए सॉकेट में डालें।

15.25. ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रदर्शन

15.25.1. मतदान प्रारंभ करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को न केवल स्वयं बल्कि उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को भी सन्तुष्ट करना चाहिए कि मतदान मशीन एवं वीवीपीएटी एकदम चालू हालत में है और इसमें पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं हैं। इसके लिए, आपको सबसे पहले उपस्थित समस्त व्यक्तियों को "क्लियर" बटन दबाकर दिखाना चाहिए कि समस्त गणना शून्य पर सेट कर दी गई है। "क्लियर" बटन कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के कक्ष में उपलब्ध है। यह कंपार्टमेंट एक आन्तरिक द्वार और एक बाहरी कवर से ढका होता है। आंतरिक द्वार "क्लियर" बटन, "रिजल्ट" बटन और "प्रिंट" बटन वाले कम्पार्टमेंट को भी कवर करता है। इसके बगल में "क्लोज" बटन दूसरे कंपार्टमेंट में होता है। "क्लोज" बटन वाले इस कंपार्टमेंट को तब कवर किया जाता है जब रिजल्ट सेक्शन का अन्य कवर बंद हो जाता है। बाहरी कवर आन्तरिक द्वार के ऊपर दिया गया है और

यह "क्लोज" बटन वाले कंपार्टमेंट को भी कवर करता है। "क्लियर" बटन तक पहुँचने के लिए आपको बाईं ओर उपलब्ध खांचे को अंदर की ओर धीरे से दबाकर पहले बाहरी कवर को खोलना चाहिए। तत्पश्चात् "रिजल्ट" एवं "प्रिन्ट" बटन के ऊपर दो छिद्रों में अंगूठा और एक ऊंगली डालकर, खांचे को एक साथ अन्दर की ओर धीरे से दबाकर आन्तरिक द्वार को खोला जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऊपर वर्णित तरीके से खांचे को खोले बिना आन्तरिक द्वार को बलपूर्वक नहीं खोलना चाहिए अन्यथा यह अति महत्वपूर्ण कक्ष क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जब "क्लियर" बटन को दबाया जाएगा तब कंट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर निम्नलिखित जानकारी क्रमिक रूप से (बीप की आवाज के बाद प्रत्येक संकेत आता है) प्रदर्शित होनी आरम्भ हो जाएगी:-

डाले गए मत हटाना

अभ्यर्थी
10

डाले गए कुल मत

अभ्यर्थी - 01
मत 0

अभ्यर्थी - 02
मत 0

अभ्यर्थी - 10
मत 0

समाप्त

टिप्पणीः यदि "क्लियर" बटन दबाने पर डिस्प्ले पैनल कोई जानकारी डिस्प्ले नहीं करता है जैसा कि ऊपर बताया गया है तो इसका अर्थ यह होगा कि मशीन को क्लियर करने के लिए आवश्यक आरम्भिक क्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। मशीन को क्लियर करने

के लिए पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट को उचित रूप से जोड़ कर दिया गया है। तब उन्हें "क्लोज" बटन दबाना चाहिए और तत्पश्चात् "रिजल्ट" बटन दबाना चाहिए। अब "क्लियर बटन" को दबाने पर, प्रदर्शन पैनल जानकारी प्रदर्शित करना आरम्भ कर देगा। डिस्प्ले पैनल पर उपर्युक्त जानकारी का प्रदर्शन मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को इस बात की पुष्टि कर देगा कि मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी यह भी दर्शाएगा कि वीवीपीएटी का ड्रॉप बॉक्स खाली है।

15.26. छद्म मतदान

15.26.1. छद्म मतदान शुरू करने से पहले, पीठासीन अधिकारी को मतदान कंपार्टमेंट के अंदर बैलेट यूनिट (यूनिटों) और वीवीपीएटी को रखना चाहिए। मतदान कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट (यूनिटों) और वीवीपीएटी को रखते समय, यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता से समझौता न किया जाए। उपर्युक्त का प्रदर्शन करने के पश्चात् कि मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है; पीठासीन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यादृच्छिक आधार पर कम से कम 50 मत रिकॉर्ड करके एक छद्म मतदान आयोजित करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, वह निम्नलिखित कार्य करेंगे:-

(क) वह कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन के "बैलेट" बटन को दबाएंगे। "बैलेट" बटन के दबाने पर डिस्प्ले सेक्शन में "बिजी" लैम्प लाल रंग में दिखेगा। इसके साथ-साथ बैलेट यूनिट पर "रेडी" लैम्प भी हरे रंग में दिखना आरंभ कर देगा।

(ख) तब पीठासीन अधिकारी किसी भी मतदान अभिकर्ता से उनकी पसन्द के अनुसार बैलेट यूनिट पर किसी भी अभ्यर्थी के बटन को दबाने के लिए कहेंगे। ध्यान रहे कि प्रत्येक नीला (अनमास्कड) बटन कम से कम एक बार दबाया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रत्येक बटन जाँचा गया है और सही कार्य कर रहा हैं।

(ग) अभ्यर्थी के नीले बटन को इस प्रकार दबाये जाने पर बैलेट यूनिट पर "रेडी" लैम्प बुझ जाएगा और बटन के पास अभ्यर्थी का लाल लैम्प चमकने लगेगा। वीवीपीएटी कागज की एक छोटी पर्ची को मुद्रित करेगा जिसमें अभ्यर्थी का प्रतीक, नाम और क्रम संख्या प्रिंट होगी, जो वीवीपीएटी विंडो में सात सेकंड के लिए दिखाई देगी। कंट्रोल यूनिट से "बीप" की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ सेकण्ड पश्चात् अभ्यर्थी लैम्प की लाल बत्ती, "बिजी" लैंप की लाल बत्ती और बीप की आवाज बन्द हो जाएगी। यह इसका संकेत होगा कि अभ्यर्थी द्वारा जिसका नीला बटन दबाया गया है, उनका मत, कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड कर लिया गया है और मशीन अब अगला मत ग्रहण करने लिए तैयार है।

(घ) शेष बचे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या अधिक मत रिकार्ड करने हेतु पिछले पैरा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में

इस प्रकार रिकार्ड किए गए मतों का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखें। प्रत्येक मत के साथ वीवीपीएटी कागज की पर्ची प्रिंट होगी।

(ङ) जब मत इस प्रकार रिकार्ड किए जा रहे हों, तब पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर "टोटल" बटन को यह जाँच करने के लिए किसी भी समय दबा सकते हैं कि मशीन में रिकार्ड किए गए कुल मत, उस समय तक डाले गए मतों की संख्या से मेल खाते हैं।

टिप्पणीः "टोटल" बटन को किसी अभ्यर्थी के लिए मत रिकार्ड करने के पश्चात् और डिस्प्ले सेक्शन में "बिजी" लैम्प के बंद होने पर ही दबाया जाना चाहिए।

(च) छद्म मतदान की समाप्ति पर, जब पीठासीन अधिकारी रिजल्ट सेक्शन के "क्लोज" बटन को दबाते हैं, तब डिस्प्ले पैनल डिस्प्ले सेक्शन में क्रम-वार जानकारी दिखाएगा।

(छ) अब रिजल्ट सेक्शन के "रिजल्ट" बटन को दबाने पर डिस्प्ले पैनल क्रम-वार जानकारी दिखाना आरंभ कर देगा। छद्म मतदान के बाद, कंट्रोल यूनिट में परिणाम प्राप्त करें और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों (वीवीपीएटी ड्राप बॉक्स से बाहर निकालने के बाद) की गणना करें और पुष्टि करें कि परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में मतदान किए गए वोटों के साथ मेल खाता है।

(ज) इसके बाद, पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान के दौरान रिकार्ड किए गए मतों के लेखा-जोखा को "क्लियर" बटन दबाकर मिटा देंगे। "क्लियर" बटन को दबाए जाने पर डिस्प्ले पैनल समस्त गणना शून्य दर्शाएगा। वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से समस्त पर्चियों को भी हटा देना चाहिए और ड्राप बॉक्स को सीलबंद कर देना चाहिए।

15.26.2. चूंकि मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति से छद्म मतदान को रोकने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम और वीवीपीएटी उचित कार्य स्थिति में है और छद्म मतदान के समय डाले गए मतों को मिटा दिया गया है, इसलिए आयोग ने पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले एक प्रमाण-पत्र की शुरूआत की है जिसमें उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और उन अभ्यर्थियों के नाम होंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रमाण-पत्र पर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। छद्म मतदान प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा **परिशिष्ट-28** में दिया गया है।

15.27. कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना

15.27.1. मत की गोपनीयता को बनाए रखने की दृष्टि से, मतदान की परम्परागत पद्धति में, जहाँ मतपत्र और पेटियां उपयोग में लाई जाती हैं, वहाँ आयोग द्वारा विशेष रूप से मुद्रित हरी पेपर सील लगाकर मतपेटियों को सीलबंद और सुरक्षित किया जाता है। मतपेटी में एक बार हरी पेपर सील लगा दी जाए और पेटी का ढक्कन बंद कर दिया जाए तो पेटी को तब तक खोला नहीं जा सकता और उसमें डाले गए मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या गणना के लिए नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि हरी पेपर

सील को फाड़ न दिया जाए। इसी प्रकार के सुरक्षा उपाय ईवीएम में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मतदान प्रारंभ होने पर कोई भी मतदान मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में वही हरी पेपर सील लगाने का प्रावधान किया गया है जो मतपेटी को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त की जाती थी।

15.27.2. पेपर सील लगाने के लिए कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट के द्वार के अंदर की ओर एक फ्रेम उपलब्ध है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट के दरवाजे पर अन्दर की ओर इसके लिए दिए गए फ्रेम में हरी पेपर सील लगाने से पहले पीठासीन अधिकारी पेपर सील की सफेद सतह पर पेपर सील की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे। इस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। पीठासीन अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

15.27.3. सील इस प्रकार लगाई जाएगी ताकि इसे बाहर से छिद्र में से देखा जा सके और हरी पेपर सील का क्रमांक भी बाहर से दिखाई दे।

15.27.4. पेपर सील लगाने के पश्चात् अंदरूनी कम्पार्टमेंट के दरवाजे को दबाकर बंद कर दिया जाएगा। इसे इस तरह से बंद किया जाएगा कि पेपर सील के दोनों छोर अंदरूनी कम्पार्टमेंट के बाहर निकले हुए हो। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए फ्रेम में हरी पेपर सील लगाने के पहले पीठासीन अधिकारी तुरंत पेपर सील के सफेद हिस्से पर पेपर सील के क्रमांक के ठीक नीचे अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा, जो वर्तमान में वहाँ मौजूद हैं और अपने हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हैं। अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे उपयोग के लिए दी गई और वास्तव में उपयोग की गई पेपर सील की क्रम संख्या को नोट करने की अनुमति दी जाती है।

15.28. विशेष टैग

15.28.1. पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हरी पेपर सील को अच्छी तरह लगाने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद, पीठासीन अधिकारी द्वारा "क्लियर" बटन और "रिजल्ट" बटन पर अंदरूनी कम्पार्टमेंट का दरवाजा इस तरह से दबाकर फिट और बंद किया जाएगा कि पेपर सील के दोनों सिरे भीतरी दरवाजे के किनारों से बाहर की ओर निकले रहें। फिर इस अंदरूनी दरवाजे को "विशेष टैग" से सील किया जाएगा। इसके लिए, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से दी गई उच्च गुणवत्ता वाली सुतली को आंतरिक दरवाजे में दिए गए दो छेदों से गुजारकर गाँठ लगाएगा और विशेष टैग के साथ धागे पर सीलिंग वैक्स लगाएगा।

तत्पश्चात् सील को तोड़े बिना वह विशेष टैग को "क्लोज" बटन के कम्पार्टमेंट में यह सुनिश्चित करते हुए इस तरह से समायोजित करेगा कि "क्लोज" बटन विशेष टैग के बीच में काटे गए छेद से बाहर निकला रहे।

15.28.2. विशेष टैग का प्रयोग करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेंगे।

15.28.3. विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी विशेष टैग के पीछे की ओर अपना हस्ताक्षर करेंगे। वह मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से विशेष टैग के पीछे, यदि वे चाहें, अपना हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। वह विशेष टैग पर पूर्व-मुद्रित क्रम संख्या को पढ़ कर सुनाएंगे और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से जिन्होंने विशेष टैग के पीछे अपने हस्ताक्षर किए हैं, क्रम संख्या नोट करने के लिए कहेंगे।

15.28.4. पीठासीन अधिकारी द्वारा हरी पेपर सील पर हस्ताक्षर करने और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने के बाद, और कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कम्पार्टमेंट के दरवाजे के अंदर की ओर पेपर सील लगाने के लिए दिए गए फ्रेम को दबाकर बंद करने के बाद "क्लियर" बटन और "रिजल्ट" बटन के ऊपर, अंदरूनी कम्पार्टमेंट को सील करने के लिए विशेष टैग का इस्तेमाल किया जाता है। "क्लियर" बटन और "रिजल्ट" बटन पर अंदरूनी कम्पार्टमेंट के दरवाजे को इस तरह से दबा कर बंद करें कि पेपर सील के दोनों खुले सिरे भीतरी दरवाजे के किनारों से बाहर की ओर निकले रहें। फिर इस अंदरूनी दरवाजे को विशेष टैग के साथ सील किया जाना चाहिए। इसके लिए, पीठासीन अधिकारी उच्च गुणवत्ता वाली सुतली (जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है) को अंदरूनी दरवाजे में प्रदान किए गए छेदों से और विशेष टैग में प्रदान किए गए छेद में से गुजारकर निकालना चाहिए।

15.28.5. पीठासीन अधिकारी द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि खराब या टूटे हुए विशेष टैग का किसी भी स्थिति में उपयोग न किया जाए। यदि किसी कारण से विशेष टैग खराब हो जाए या टूट जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी को "ग्रीन पेपर सीलों" की तरह 3 या 4 "विशेष टैग" भी देंगे।

15.28.6. यह सब करने के बाद, धागे की गांठ लगाएं और विशेष टैग पर सीलिंग वैक्स लगाकर धागे को सीलबंद कर दें। तत्पश्चात् सील को तोड़े बिना वह विशेष टैग को "क्लोज" बटन के कम्पार्टमेंट में इस तरह से समायोजित करें कि "क्लोज" बटन विशेष टैग के बीच में काटे गए छेद से बाहर निकला रहे।

15.28.7. कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को बंद और सील करने के पश्चात् रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को, उस सेक्शन को बंद करने के लिए

दबाया जाना चाहिए। बाहरी कवर को दबाकर बंद करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पेपर सील के दोनों खुले सिरे बाहरी कवर के दोनों किनारों से बाहर की ओर निकले रहें।

15.28.8. रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करने के पश्चात् उस कवर को (i) बाहरी कवर को बाईं ओर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा निकालें, (ii) धागे में गांठ लगाएं और (iii) रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर "कैंडिडेट सैट सेक्शन" में लगाए गए लेबल (एड्रेस टैग) की तरह लेबल लगाएं और पीठासीन अधिकारी की वैक्स और सील से एड्रेस टैग को धागे से सील किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे चाहें, भी बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जाएगी।

15.28.9. रिटर्निंग अधिकारी मतदान सामग्री के भाग के रूप में पर्याप्त संख्या में खाली कॉमन एड्रेस टैग प्रदान करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा विवरण को एड्रेस टैग में ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का क्रमांक उसके निचले हिस्से पर अंकित होता है।

15.28.10. उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को पीठासीन अधिकारी की सील के साथ बाहरी आवरण एड्रेस टैग पर, यदि वे चाहें तो अपनी सील लगाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

15.28.11. इस प्रकार, अंदरूनी कम्पार्टमेंट और बाहरी आवरण को बंद करके और सील करने से, पूरे रिजल्ट सेक्शन को सीलबंद और सुरक्षित किया जाता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा दर्ज किए गए वोटों को हटाया नहीं जा सकता है या परिणाम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

15.29. स्ट्रिप सील

15.29.1. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को सीलबंद करने की व्यवस्था में सुधार करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने बाहरी पेपर स्ट्रिप सील (इसके बाद से और आगे स्ट्रिप सील कहा गया है) से कंट्रोल यूनिट के "रिजल्ट सेक्शन" को पूरी तरह से सीलबंद करने के लिए एक अतिरिक्त बाहरी सील लगाने की शुरूआत की है ताकि कंट्रोल यूनिट का यह हिस्सा मतदान आरंभ होने से लेकर मतगणना तक खोला न जा सके। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब मतदान केन्द्र में मशीन में पहला मत डाला गया हो और जब तक मशीन मतगणना मेज तक न आ जाए, कोई भी व्यक्ति स्ट्रिप सील को बिना नुकसान पहुँचाए, रिजल्ट सेक्शन को न खोल सके।

15.29.2. तद्नुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र, जहाँ निर्वाचन ईवीएम और वीवीपीएटी के इस्तेमाल से किया जाना है, कंट्रोल यूनिट को नीचे दर्शाए अनुसार बाहर से स्ट्रिप सील से पूर्णतः सुरक्षित और सीलबंद किया जाएगा ताकि स्ट्रिप सील को बिना नुकसान पहुँचाए यह हिस्सा खोला न जा सके। स्ट्रिप सील "रिजल्ट सेक्शन" के बाहरी कवर पर, "क्लोज" बटन

को कवर करने वाली रबर कैप के बिल्कुल नीचे इस प्रकार से लगाई जाएगी ताकि "क्लोज"" बटन को कवर करने वाली रबर कैप, स्ट्रिप सील से ढक न जाए।

15.29.3. स्ट्रिप सील - भौतिक विशेषताएं:

स्ट्रिप सील की प्रमुख भौतिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं;

1. स्ट्रिप सील कागज की एक सील होती है जिसका माप, लंबाई में 23.5" (तेईस दशमलव पाँच इंच) और चौड़ाई में 1" (एक इंच) होता है। स्ट्रीप की लम्बाई इतनी होती है कि इससे कंट्रोल यूनिट की चौड़ाई को चारों ओर आसानी से लपेटा जा सके ताकि मतदान आरंभ होने से पूर्व और जब अन्य मानक सीलों को कंट्रोल यूनिट पर लगाया जा चुका हो तब कंट्रोल यूनिट को अतिरिक्त बाहरी सील मिल जाए।

2. प्रत्येक स्ट्रिप सील की एक "विशिष्ट पहचान संख्या" होती है।

3. यह स्ट्रिप सील आयोग द्वारा विधिवत एक ऐसी फर्म से उपलब्ध कराई जाएगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक राज्य के लिए इसे केन्द्रीयकृत रूप से प्राप्त करेंगे।

4. स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर पहले से गोंद लगे चार (4) भाग होते हैं। इसमें से तीन की लंबाई लगभग एक वर्ग इंच होती है (जो अक्षर "ए", "बी", "सी" द्वारा पहचाने जाएंगे) और चौथा लगभग दो वर्ग इंच लंबा होगा (जो "डी" अक्षर से पहचाना जाएगा)। प्रत्येक गोंद वाला भाग वैक्स पेपर की पट्टी से ढका होगा।

5. बाहरी स्ट्रिप सील की एक आंतरिक परत और एक बाहरी परत होगी। आंतरिक परत के एक छोर पर आमने-सामने पहले से गोंद लगे हुए दो हिस्से होंगे जो "ए" और "बी" अक्षर से चिह्नित होंगे। आंतरिक परत के दूसरे छोर पर लगभग 2" (दो इंच) का पहले से गोंद लगा भाग "डी" होगा। स्ट्रिप के बाहरी तरफ पहले से गोंद लगा केवल एक भाग "सी" होगा। बाहरी और अंदरूनी परत को दर्शाते हुए स्ट्रिप सील का रेखाचित्र नीचे दिया गया है:

ए	बी	आंतरिक परत	डी
	सी	बाहरी परत	

ए, बी, सी, एवं डी सील की आंतरिक परत और बाहरी परत पर गोंद लगे भाग हैं।

15.29.4. आसानी से समझने के लिए, मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का पूरा क्रम-वार विवरण जिसमें स्ट्रिप सील को ठीक करना शामिल है, नीचे दिया गया है:

i. वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान करता है।

ii. छद्म मतदान करने और परिणाम दिखाने के बाद, पीठासीन अधिकारी "क्लियर" बटन को दबाकर छद्म मतदान से संबंधित डेटा को कंट्रोल यूनिट से मिटा देगा।

iii. डेटा मिटाने के बाद, वह रिजल्ट सेक्शन के भीतरी दरवाजे की खिड़कियों को कवर करने के लिए हरी पेपर सील लगाएगा। हरी पेपर सील को डालते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सील का हरा हिस्सा आंतरिक दरवाजे की खिड़कियों के बंद होने के बाद भी दिखाई दे।

iv. हरी पेपर सील डालने के बाद, रिजल्ट बटन के ऊपर बना आंतरिक दरवाजा बंद कर दिया जाएगा।

v. इसके बाद, रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक दरवाजे को विशेष टैग से बंद कर दिया जाएगा।

vi. विशेष टैग को लगाने के बाद, पीठासीन अधिकारी रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे को बंद कर देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बंद बाहरी दरवाजे के दोनों किनारों से हरी पेपर सील के किनारे बाहर को निकले हों।

vii. तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी बाहरी दरवाजे को धागे और पता टैग (एड्रेस टैग) से सील करेगा।

viii. इसके बाद, वह कंट्रोल यूनिट के चारों ओर स्ट्रिप सील को लगाने की कार्रवाई करेगा ताकि रिजल्ट सेक्शन को बाहर से पूरी तरह से सील किया जा सके और मतदान शुरू होने के बाद स्ट्रिप सील को नुकसान पहुँचाए बिना इस सेक्शन को खोला न जा सके।

ix. रिजल्ट सेक्शन को बाहर से सील करने के लिए स्ट्रिप सील लगाने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी पेपर सील की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेगा। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। वह यह सत्यापित करेंगे कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

x. स्ट्रिप सील को "क्लोज" बटन के ठीक नीचे लगाया जाएगा।

15.30. स्ट्रिप सील से कंट्रोल यूनिट को सील करने की विधि

15.30.1. ईवीएम को स्ट्रिप सील से सील करने की चरण-वार विधि निम्नानुसार हैः

- चरण 1: पीठासीन अधिकारी पहले हरी पेपर सील की आंतरिक परत को मध्य से दो बार मोड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सील का हरा वाला हिस्सा बाहर की ओर रहे।
- चरण 2: उसके बाद वह रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे के हिस्से से बाहर को निकल रही हरी पेपर सील के आंतरिक मोड़ के आधार के पास पहले से गोंद लगे निचले भाग "ए" के साथ स्ट्रिप सील को लगाएगा। "ए" वाले भाग से वैक्स

पेपर हटाने के बाद वे हरी पेपर सील की गोंद लगी अंदरूनी परत को चिपका कर दबा देंगे।

- चरण 3: इसके बाद वह पहले से गोंद लगे भाग "बी" के ऊपर लगे वैक्स पेपर को हटाएंगे और इसे हरी पेपर सील के बाहरी मोड़ पर गोंद लगे इस भाग के ऊपर चिपकाएंगे।
- चरण 4: पहले से गोंद लगे भाग "बी" को हरी पेपर सील पर चिपकाने पर "सी" वाला भाग ऊपर की तरफ आ जाएगा। पीठासीन अधिकारी "सी" भाग पर लगे वैक्स पेपर को हटाएंगे और बाहरी दरवाजे के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल रही हरी पेपर सील को दबाएंगे ताकि हरी पेपर सील "सी" पर पूरी तरह से चिपक जाए।
- चरण 5: वह कंट्रोल यूनिट के चारों तरफ स्ट्रिप सील के बचे हुए भाग को बाईं ओर से ले जाएंगे और यह ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिप "क्लोज" बटन के नीचे से होकर गुजरे। वह स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से बाहरी दरवाजे के ऊपर लाएंगे, जहाँ पहले से गोंद लगे हुए भाग "ए", "बी" और "सी" चिपकाए गए होंगे।
- चरण 6: पहले से गोंद लगे भाग "डी" पर लगे वैक्स पेपर को हटाने के बाद वह उसे दरवाजे के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल रही हरी पेपर सील के ऊपर मजबूती से चिपकाएंगे। पहले से गोंद लगा हिस्सा "डी" "क्लोज" बटन के नीचे स्ट्रिप सील पर आ जाएगा। पीठासीन अधिकारी "डी" भाग वाले हिस्से को स्ट्रिप सील पर अच्छी तरह से दबा देंगे। उपरोक्त प्रक्रिया से बाहरी दरवाजे के दोनों ओर निकली हरी पेपर सील के दोनों खुले सिरे अच्छी तरह से चिपक जाते हैं और स्ट्रिप सील से बंधे रहते हैं। इसके साथ रिजल्ट सेक्शन के ऊपर बाहरी दरवाजा भी सभी ओर से स्ट्रिप सील से सीलबंद हो जाता है और सील को नुकसान पहुँचाए बिना इस सेक्शन को खोल पाना संभव नहीं होता है।

स्ट्रिप सील लगाने के बाद

15.30.2. कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दौरान सील न तो नष्ट की गई है न ही उससे कोई छेड़छाड़ की गई है और यह सील मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान या उसके बाद भी हटाई नहीं जाएगी। निर्धारित समय पर मतदान खत्म होने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी स्ट्रिप सील से छेड़छाड़ किए बिना, "क्लोज" बटन के ऊपर लगी कैप को हटाएंगे और मतदान समाप्त करने के लिए "क्लोज" बटन दबाएंगे और कैप फिर से लगा देंगे। मतदान समाप्त होने तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट को सावधानी से वहन बक्से में रखेंगे और वहन बक्सों को एड्रेस टैग से

सीलबंद करेंगे। यह सीलबंद बक्से मतगणना केन्द्र में पहुँचा दिए जाएंगे। मतगणना वाले दिन, कंट्रोल यूनिट, जिस पर स्ट्रिप सील अच्छी तरह से लगी होगी, को मतगणना मेज पर उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्ताओं को देखने की अनुमति दी जाएगी। इसके पश्चात् ही सील हटाई जाएगी, यह ध्यान रखते हुए कि हरी पेपर सील क्षतिग्रस्त न हो। तत्पश्चात बाहर की ओर निकली ग्रीन पेपर सीलों की जाँच करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के बाहरी दरवाजे पर लगी धागे वाली सील खोली जाएगी।

महत्वपूर्ण सावधानियां

- यह स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जाएगी कि रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर "क्लोज" बटन कैप को ढकने वाली कैप के नीचे का भाग ढक जाए। इस स्ट्रिप सील को लगाते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि "क्लोज" बटन को साफ छोड़ दिया गया है एवं स्ट्रिप द्वारा इसका कोई भी भाग नहीं ढका है ताकि बटन को चलाने में कोई कठिनाई न हो
- स्ट्रिप सील कस कर लगाई जाएगी और ढीली नहीं छोड़ी जाएगी।
- किसी भी परिस्थिति में टूटी हुई स्ट्रिप सील इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र को हरी पेपर सील की तरह, 4 स्ट्रिप सीलें दी जाएगी।
- पीठासीन अधिकारी, मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र को दी गई प्रत्येक स्ट्रिप सील का लेखा-जोखा रखेंगे।
- वे इस्तेमाल में न लाई गई ऐसी प्रत्येक स्ट्रिप सील (स्ट्रिप या उनके टुकड़े सहित) जो अचानक क्षतिग्रस्त हो गई है) को रिटर्निंग अधिकारी को लौटा देंगे। यदि कोई स्ट्रिप सील किसी भी समय, किसी अनाधिकृत व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है तो इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या का रिकार्ड रखेंगे। इसी तरह, प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र को आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों का रिकार्ड रखेंगे।
- आयोग, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए राज्य को स्ट्रिप सीलों के नमूने जारी करता है। स्ट्रिप सील के इन नमूनों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए स्ट्रिप सील का प्रयोग करने के पश्चात् उसे बारीक टुकड़ों में काटकर नष्ट किया जाएगा।

15.31. पेपर सील का लेखा

15.31.1. पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए दिये गये और कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा एवं सीलिंग के लिए उनके और वास्तव में उपयोग की गई पेपर सील का सही हिसाब रखना चाहिए। उनके द्वारा इसका हिसाब विशेष रूप से इस उद्देश्य

के लिए निर्धारित निर्वाचन संचालन नियम 1961 के साथ में संलग्न प्ररूप 17ग के भाग-I के मद 9 में विशेष रूप से दिए गए प्रपत्र में रखा जाएगा।

15.31.2. पीठासीन अधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को दी गई और वास्तव में उपयोग की गई पेपर सील के क्रमांक को लिखने की अनुमति देगा।

15.32. वास्तविक मतदान के लिए तैयार मतदान मशीन तथा वीवीपीएटी

15.32.1. अब ईवीएम तथा वीवीपीएटी सभी तरह से वास्तविक मतदान के लिए तैयार है।

15.33. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

15.33.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 में यह प्रावधान है कि मतदान अभिकर्ता मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने में सहायता देंगे; कोई भी मतदान अभिकर्ता ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए किसी भी व्यक्ति को गणना की गई कोई जानकारी नहीं देगा। कानून के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कारावास के साथ दंडनीय है, जो 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

15.33.2. मतदान प्रांरभ करने के पूर्व पीठासीन अधिकारी मत की गोपनीयता को बनाए रखने संबंधी अपने कर्तव्य और उसके किसी उल्लंघन की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के अधीन दंड के प्रावधान को स्पष्ट करेंगे।

15.34. मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

15.34.1. पीठासीन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुसार प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने के बाद निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट- 26**) भाग I में इस आशय की एक घोषणा करेंगे कि उन्होंने प्रारंभिक कार्यों को पूरा कर लिया है। वह मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों को सुनाने के लिए ऊँची आवाज में घोषणा-पत्र को पढ़ेंगे और घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे तथा साथ ही उपस्थित ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे जो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। मतदान अभिकर्ताओं को उस घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए क्योंकि यह उन सभी को संतुष्ट करेंगे कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से शुरू हुए थे। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी उक्त घोषणा के प्रपत्र में दिए गए पैराग्राफ में उसके नाम के आगे टिप्पणी लिखेगा।

15.35. मतदान शुरु होना

15.35.1. मतदान इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय पर शुरू किया जाएगा। उस समय तक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक तैयारी पूरी कर ली गई होगी। यदि किन्ही अप्रत्याशित कारणों से प्रारम्भिक तैयारी समाप्त नहीं हुई हैं, तो पीठासीन अधिकारी मतदान शुरू होने के निर्धारित समय पर लगभग तीन या चार मतदाताओं को मतदान करने के लिए

आने की अनुमति दे सकते हैं और मतदान अधिकारियों को उनकी सहायता करने देंगे ताकि वे व्यवस्थित तरीके से मत डाल सकें।

15.35.2. किसी भी स्थिति में, पीठासीन अधिकारी नियत समापन समय को नहीं बढ़ा सकता, सिवाय ऐसे मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दे सकता है, जो मतदान के निर्धारित समय से पहले ही मतदान केन्द्र पर पहुँच चुके हैं और मतदान करने के लिए कतार में खड़े हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से शुरू करते हुए कतार में खड़े पहले व्यक्ति तक अपनी हस्ताक्षर की गई पर्चियाँ बांटेंगे, जो मतदान समाप्त होने के नियत समय से पहले उपस्थित थे।

15.36. मतदान केन्द्र में मतदाताओं का प्रवेश

15.36.1. आम तौर पर, पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी। कतारों की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति एक समय में तीन या चार मतदाताओं को या पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र में भेज सकते हैं। अंदर आने के लिए इंतजार कर रहे अन्य मतदाताओं को बाहर कतार में खड़ा किया जाएगा। पुरुष मतदाताओं के लिए या महिला मतदाताओं के लिए एक से अधिक कतार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान अभिकर्ताओं को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तथ्य के मद्देनजर कि मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए आने वाली महिला निर्वाचकों को कई घरेलू कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए एक पुरुष मतदाता के मुकाबले दो महिला मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग निर्वाचकों को मतदान अन्य निर्वाचकों के साथ कतार में इंतजार करने की बजाय मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अलग कतार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे निर्वाचकों को मतदान केन्द्र के अंदर अपनी व्हील-चेयर ले-जाने के लिए पूरी सुविधा प्रदान की जाए। पुरुष और महिला मतदाताओं को वैकल्पिक बैचों में मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

15.37. प्रेस प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं

15.37.1. यदि शांति और व्यवस्था को बनाए रखा जाए तो किसी भी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं की फोटो खींचने पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, निर्वाचन आयोग के अधिकार पत्र के बिना राज्य सरकार के प्रचार अधिकारियों सहित किसी को भी मतदान केन्द्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, मतदाता को अपना मत दर्ज करते हुए फोटोग्राफ खींचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

15.38. ईवीएम में वोटो की रिकॉर्डिंग की विधि

15.38.1. मतदान अभिकर्ता को ईवीएम पर मतों को रिकॉर्ड करने के तरीके से पूरी तरह परिचित होना चाहिए ताकि वे मतदान केन्द्र पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में अनावश्यक आपत्तियां न उठाएं।

15.38.2. किसी निर्वाचक की पहचान से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया आवश्यकता को पूरा करने के बाद, उसकी बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने (जैसा कि आगे के पैरा में विस्तार से बताया गया है) के बाद निर्वाचक को मतदान मशीन में अपना मत दर्ज करने की अनुमति दी जाती है। मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी, कंट्रोल यूनिट पर "बैलेट" बटन को दबाएंगे। इससे बैलेट यूनिट निर्वाचक के मत को दर्ज करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब "बैलेट" बटन दबाया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट पर चिह्नित "बिजी" लैंप लाल रंग से प्रकाशित होने लगेगा। इसके साथ ही, मतदान कंपार्टमेंट में रखी प्रत्येक बैलेट यूनिट में चिह्नित "रेडी" लैंप भी हरे रंग से प्रकाशित हो जाएगा। अपने वोट को दर्ज करने के लिए, निर्वाचक बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम, फोटो और प्रतीक के सामने दिए गए नीले बटन (जिसे अभ्यर्थी का बटन कहा जाता है) को दबाएगा (प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए, उसके नाम, तस्वीर और प्रतीक के सामने अलग से एक नीला बटन दिया गया है)। जब निर्वाचक अभ्यर्थी के नीले बटन को दबाएगा, तो "रेडी" लैंप बंद हो जाएगा और बैलेट यूनिट पर उसके नीले बटन के पास दिए गए अभ्यर्थी का लाल लैंप जलने लगेगा। वीवीपीएटी मतदान करने वाले अभ्यर्थी के प्रतीक, नाम और क्रम संख्या को कागज की एक छोटी सी पर्ची पर प्रिंट करेगा जो वीवीपीएटी की विंडो में सात सेकंड तक दिखाई देगी। इसके अलावा, कंट्रोल यूनिट से एक "बीप" की आवाज सभी उपस्थित लोगों को सुनाई देगी। कुछ सेकंड के बाद, बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थी के लैंप में लाल बत्ती, कंट्रोल यूनिट पर "बिजी" लैंप की लाल बत्ती और बीप की आवाज बंद हो जाएगी। ये दृश्य और श्रृव्य संकेत इस बात के प्रतीक हैं कि मतदाता द्वारा जिस अभ्यर्थी का बटन दबाया गया था, उसका वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो गया है। तत्पश्चात बैलेट यूनिट स्वतः बंद हो जाएगी और अगला मत तभी दर्ज किया जा सकता है जब कंट्रोल यूनिट मतदाता पर "बैलेट" बटन को अगले मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए फिर से दबाया जाए।

15.38.3. यदि किसी मतदाता को ईवीएम द्वारा मतदान करने की विधि के बारे में उचित जानकारी नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में रखे गए ईवीएम के कार्ड बोर्ड मॉडल का उपयोग करके उसे प्रदर्शित करेगा। मतदान अभिकर्ता को मतदाताओं की सहायता करने के लिए मतदान कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए।

15.39. मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया

संक्षेप में मतदान प्रक्रियाएं निम्न प्रकार हैं: -

1. जब कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करता है, तो वह सीधे पहले मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो मतदाताओं की पहचान और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा। उनकी पहचान स्थापित हो जाने के बाद और किसी भी मतदान अभिकर्ता द्वारा उनकी पहचान को कोई चुनौती न देने पर, निर्वाचनकर्ता की बाईं तर्जनी पर दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा अमिट स्याही से निशान लगाया जाएगा। यह मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) में प्रविष्टियां करने से पहले दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता के मतदान केन्द्र से बाहर जाने से पहले अमिट स्याही का निशान सूख जाए, क्योंकि वह "मतदाता रजिस्टर" का प्रभारी भी होगा (प्ररूप 17क)। मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली के अनुसार उसकी क्रम संख्या को रजिस्टर के कॉलम (2) में दर्ज करेगा। उनके द्वारा प्ररूप 17क (मतदाताओं का रजिस्टर) के कॉलम (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ईपीआईसी के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं के मामले में, यह पर्याप्त है कि संबंधित कॉलम में "ईपी" (ईपीआईसी को दर्शाते हुए) शब्द लिखा जाएगा और ईपीआईसी की संख्या को लिखना आवश्यक नहीं है। तथापि, जो लोग किसी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर वोट करते हैं, उनके मामले में, दस्तावेज़ के अंतिम चार अंकों को नोट करने के निर्देश लागू होंगे। इसमें प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वह उनसे संबंधित प्रविष्टि के सामने कॉलम (4) में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। मतदाता द्वारा पंजीकृत ईपीआईसी/पहचान दस्तावेजों के अंतिम चार अंकों को मतदाता के रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम (कॉलम 5) में दर्ज किया जाना चाहिए (प्ररूप 17-क)। तत्पश्चात दूसरा मतदान अधिकारी निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची तैयार करेगा।

2. इसके बाद *निर्वाचक* इस मतदाता पर्ची के साथ पीठासीन अधिकारी या तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो भी मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी, जैसा भी मामला हो, निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही के निशान का निरीक्षण करेगा और उसे उपरोक्त मतदाता पर्ची के आधार पर वोटिंग मशीन में अपना मत दर्ज करने की अनुमति देगा। वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट दर्ज करने की प्रक्रिया को पिछले पैराग्राफ में समझाया गया है।

3. निर्वाचकों को मतदान मशीन में उनके वोट को ठीक उसी क्रम में रिकॉर्ड करने की अनुमति होगी, जिस क्रम में उन्हें मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अप्रत्याशित या अपरिहार्य कारण से, किसी भी निर्वाचक के संबंध में ऐसे सटीक क्रम संख्या का पालन करना संभव न हो, तो उसने जिस सही क्रम में मतदान किया है उसका सही क्रम संख्या दर्शाते हुए एक सटीक प्रविष्टि संबंधित व्यक्ति के नाम के सामने मतदाताओं के रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में दर्ज की जानी चाहिए। इसी

तरह की प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं के संबंध में भी की जानी चाहिए जिनके क्रमांक में गड़बड़ी हुई है।

4. मतदान केन्द्र से बाहर निकलने से पहले मतदाता की बाईं तर्जनी की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि उस पर स्पष्ट अमिट स्याही का निशान मौजूद है जिसे लगाने का कार्य पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी पार्टी के किसी अन्य सदस्य के सौंपा गया था। यदि वह पाता है कि ऐसा निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है या अमिट स्याही को मिटा दिया गया है, तो वह मतदाता की बाईं तर्जनी पर फिर से अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

15.40. मतदाता की पहचान के लिए चुनौती

15.40.1. जैसा कि ऊपर कहा गया है, मतदान अभिकर्ता का एक मुख्य कर्तव्य पीठासीन अधिकारी को मतदाताओं की असली पहचान का पता लगाने और नकली मतदाता को रोकने में मदद करना है। इसलिए, मतदान अभिकर्ता जो किसी मतदाता के रूप में आने वाले व्यक्ति की पहचान को चुनौती देने का हक है, यदि उसे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी हो कि मतदाता का दावा करने वाला व्यक्ति असली नहीं है। तथापि, मतदान अभिकर्ताओं को बार-बार अनावश्यक चुनौतियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मतदान को सुचारू रूप से कराने में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे कुछ मतदाता जिसमें उसके अपने अभ्यर्थी के समर्थक शामिल हैं, थक सकते हैं और बिना मतदान किए ही कतार से वापस जा सकते हैं।

15.41. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से संदेहास्पद मतदाताओं की सूची

15.41.1. यह अपेक्षा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता के पास निर्वाचक नामावली की एक प्रति होगी और साथ ही मृत, अनुपस्थित और कथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची होगी जो अभ्यर्थी या उसकी पार्टी द्वारा तैयार की गई होगी। इस सूची की एक प्रति पीठासीन अधिकारी को भी दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे जिसका नाम उस सूची में उल्लेखित है तो मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहिए। ऐसा करना किसी प्रकार की औपचारिक चुनौती का मामला नहीं माना जाएगा। पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान की जाँच करेगा।

15.42. मतदाता की पहचान के लिए औपचारिक चुनौती

15.42.1. यदि पीठासीन अधिकारी सूची की अवहेलना करता है, तो मतदान अभिकर्ता औपचारिक रूप से उस व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता है बशर्ते वह संतुष्ट हो कि संबंधित व्यक्ति असली मतदाता नहीं है।

15.42.2. भले ही मृत, अनुपस्थित और कथित रूप से संदिग्ध मतदाताओं की उपरोक्त सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं है, लेकिन मतदान अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से

यह जानकारी है कि मतदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तविक मतदाता नहीं है, तो वह औपचारिक रूप से व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता है।

15.42.3. प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया है, वह निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है और यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करता है और इस विशेष चुनाव के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित ईपीआईसी या वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक और अन्य विवरण सही तरीके से दे रहा है तो उसे आम तौर पर मतदाता माना जाता है। इसलिए, मतदान अभिकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी मतदाता की पहचान को तभी चुनौती दें, जब वे चुनौती दिए गए जाने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में सुनिश्चित हों।

15.43. चुनौती फीस

15.43.1. पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी भी चुनौती को स्वीकार ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि चुनौतीकर्ता उसे नकद में दो रुपये जमा न कर दें। रकम जमा किये जाने के पश्चात्, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में चुनौतीकर्ता को इसकी एक रसीद देगा।

15.44. चुनौती में संक्षिप्त जाँच

15.44.1. जब किसी निर्वाचक की पहचान को मतदान अभिकर्ता द्वारा औपचारिक रूप से चुनौती दी जाती है, तो पीठासीन अधिकारी चुनौती दिये गये व्यक्ति को नकली मतदाता होने के दण्ड के बारे में सावधान करेंगे और निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूरा पढ़ेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसे उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, तब चुनौती दिये गये मतों की सूची **(परिशिष्ट 27)** में उसका नाम और पता लिखेंगे और उसे उस पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इंकार कर दे तो पीठासीन अधिकारी उसे मत देने की अनुमति नहीं देंगे।

15.44.2. पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनौती दिए गए मत की सूची में प्रविष्टियाँ पूरी करने के बाद और उक्त सूची में संबंधित कॉलम में चुनौती देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने के बाद वह चुनौती देने वाले व्यक्ति से यह दर्शाने के लिए सबूत पेश करने को कहेगा कि चुनौती दिया गया व्यक्ति वह मतदाता नहीं है जो वह होने का दावा करता है। यदि चुनौती देने वाला अपनी चुनौती के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी चुनौती को अस्वीकार कर देगा और चुनौती दिए गए व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देगा। यदि चुनौती देने वाला व्यक्ति प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल हो जाता है, कि चुनौती दिया गया व्यक्ति मतदाता नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को चुनौती के खिलाफ प्रमाण देने के लिए कहेगा, अर्थात् यह साबित करने के लिए कि उसका मतदाता होने का दावा सही है। जाँच के दौरान, पीठासीन अधिकारी किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य

से आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछकर सही तथ्यों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है और उसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी साक्ष्य के रूप में ले सकता है, जिसे वह अपनी जाँच में सहायक समझता है, जैसे, ग्राम अधिकारी, मतदाता का पड़ोसी या उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति। इस तरह के सबूत लेते समय, वह चुनौती देने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को सबूत देने के लिए कह सकता है।

15.44.3. जाँच पूरी होने के बाद, यदि पीठासीन अधिकारी यह मानता है कि चुनौती प्रमाणित नहीं हुई है, तो उसे चुनौती दिए गए व्यक्ति को वोट देने की अनुमति देनी चाहिए। तथापि, जहां वह यह मानता है कि चुनौती साबित हो गई है, वहां पीठासीन अधिकारी चुनौती दिए गए व्यक्ति को मतदान करने से प्रतिबंधित कर देगा। ऐसे मामले में, पीठासीन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के एसएचओ जिसके अंतर्गत मतदान केन्द्र आता है, ड्यूटी पर तैनात पुलिस को संबोधित एक शिकायत के साथ सौंप दे और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता है।

15.45. चुनौती शुल्क की जब्ती की वापसी

15.45.1. जाँच समाप्त होने के बाद, यदि चुनौती साबित हो जाती है, तो पीठासीन अधिकारी ऊपर बताए गए (**परिशिष्ट 27**) चुनौती वाले मतों की सूची में उपयुक्त कॉलम (कॉलम 10) में अपनी रसीद लेने के बाद और रसीद बुक में संबंधित रसीद के काउंटरफॉइल पर चुनौती देने वाले को 2 रुपये का चुनौती शुल्क वापस करेगा।

15.45.2. तथापि, जहां पीठासीन अधिकारी का मत है कि चुनौती बेवजह की गई थी या नेकनीयती से नहीं दी गई थी, तो वह चुनौती शुल्क को जब्त करते हुए सरकारी खाते में जमा करेगा और इसे चुनौती देने वाले को वापस नहीं करेगा।

15.46. लिपिकीय और मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी करना

15.46.1. कभी-कभी निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के संबंध में दर्ज प्रविष्टि उदाहरण के लिए, मतदाता की सही उम्र के बारे में, मतदाता की वास्तविक आयु की प्रविष्टि गलत छप जाती है या पुरानी हो जाती है। मतदान अभिकर्ता का निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट मतदाता की आयु से संबंधित प्रविष्टि में केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी कर देना चाहिए और यदि वह अन्यथा उस मतदान की पहचान से संतुष्ट है तो उसे ऐसे मतदान के खिलाफ आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। यदि निर्वाचक नामावली एक से अधिक भाषा में तैयारी की गई हो और किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में सम्मिलित नहीं किया गया हो और उसका नाम उसी क्षेत्र के लिए अन्य भाषा में तैयार की गयी निर्वाचक नामावली में दिया गया हो तो पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उस व्यक्ति को मत देने की अनुमति दी जानी

चाहिए। मतदान अभिकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मतदाता के संबंध में कोई आपत्ति न उठाएं।

15.47. मतदाता की पात्रता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाना

15.47.1. प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया है, वह निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है। जब तक इस तरह के व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है, तब तक मतदान केन्द्र पर किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए ऐसे व्यक्ति की पात्रता के बारे में पीठासीन अधिकारी के समक्ष कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

15.48. कम आयु वाले मतदाताओं द्वारा मतदान के प्रति सावधानियां

15.48.1. जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता होने के लिए निर्वाचक नामावली में शामिल है, की पात्रता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकती है। तथापि, यदि पीठासीन अधिकारी प्रथम दृष्टया किसी मतदाता की पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम शामिल हेने के बारे में भी संतुष्ट है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम मतदान आयु से कम समझता है, तो आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारी को उसकी आयु के बारे में संबंधित व्यक्ति से निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने से पहले, पीठासीन अधिकारी उसे निर्वाचक नामावली में उसके नाम को शामिल करने से संबंधित झूठी घोषणा करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देगा।

15.48.2. मतदान अभिकर्ता ऐसे मतदाताओं के मामले जिनके नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हैं, लेकिन जो मतदान की आयु से बहुत कम लगते हैं, को पीठासीन अधिकारी के ध्यान में ला सकता है ताकि पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं के संबंध में कार्रवाई कर सकें जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

15.49. प्रोक्सी के माध्यम से मतदान : वर्गीकृत सेवा मतदाता

15.49.1. डाक मत के विकल्प के रूप में, सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा मतदाता और सेना से संबंधित सदस्य, जिन पर सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू होते हैं, को प्रॉक्सी के माध्यम से या डाक मत-पत्र के माध्यम से मतदान का विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सेवा मतदाता, जो प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें "वर्गीकृत सेवा मतदाता" (सीएसवी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीएसवी को एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करने की आवश्यकता होती है जो प्रॉक्सी बनने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र का निवासी हो। प्रॉक्सी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे एक निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। नियुक्ति प्ररूप 13च में की जाएगी। एक बार की गई नियुक्ति भविष्य के

सभी निर्वाचनों के लिए मान्य होगी, जब तक कि नियुक्ति करने वाला व्यक्ति सेवा मतदाता बना रहे या जब तक नियुक्ति निरस्त कर दी जाए या प्रॉक्सी की मृत्यु न हो जाए। सीएसवी के पास नियुक्ति को रद्द करने और पिछले प्रॉक्सी की मृत्यु पर या अन्य कारणों से एक नया प्रॉक्सी नियुक्त करने का विकल्प है। नियुक्ति का ऐसा निरसन नए जोड़े गए प्ररूप 13छ में किया जाएगा।

15.49.2. सीएसवी द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने पर, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में सेवा मतदाता के नाम के सामने "सीएसवी" अक्षरों को अंकित करेगा, ताकि यह सूचित किया जा सके कि निर्वाचक ने अपनी ओर से मत डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया है। अगले निर्वाचन में प्रॉक्सी मतदान की सुविधा का उपयोग करने के लिए, प्रॉक्सी की नियुक्ति की सूचना उस निर्वाचन में नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक रिटर्निंग अधिकारी तक पहुँच जानी चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी भी आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में और दी गई पद्धति से अपने पूर्ण पते के साथ सीएसवी और उनके प्रॉक्सी की एक अलग सूची बनाएगा। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद, रिटर्निंग अधिकारी सभी सीएसवी और उनके समर्थकों की मतदान केन्द्रवार उप-सूचियाँ तैयार करेगा। इन उप सूचियों को संबंधित मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली के भाग के अंत में जोड़ा जाएगा और उप-सूची के साथ निर्वाचक नामावली का हिस्सा उस मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति होगी।

15.49.3. प्रॉक्सी उस मतदान केन्द्र पर सीएसवी की ओर से वह मत देगा, जिसके लिए सीएसवी को निर्देश दिया गया है, उसी तरह से जैसे किसी अन्य निर्वाचक को मतदान केन्द्र निर्धारित किया जाता है। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी के मामले में, नियम 37 के तहत अमिट स्याही का अंकन प्रॉक्सी के बाईं हाथ की मध्य उंगली पर किया जाएगा। प्रॉक्सी को अपने मत के अलावा सीएसवी की ओर से उसे सामान्य रूप से निर्देशित किए गए मतदान केन्द्र पर मत देने का अधिकार होगा जिसे वह अपने नाम पर डाल सकता है यदि वह निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत निर्वाचक है।

15.49.4. सीएसवी जिसने एक प्रॉक्सी नियुक्त किया है को डाक मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

15.50. नेत्रहीन एवं अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान

15.50.1. यदि पीठासीन अधिकारी संतुष्ट है कि कोई मतदाता ईवीएम की बैलेट यूनिट (यूनिटों) पर चिपकाए गए बैलेट पेपर पर प्रतीकों को पहचानने में असमर्थ है या दृष्टिहीन होने या अशक्तता के कारण बिना सहायता के अपना वोट नहीं दे पाएगा, तो वह मतदाता को उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसार मतदान करने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के वयस्क साथी को मतदान कंपार्टमेंट में नहीं ले जाने की अनुमति देगा। लेकिन किसी मतदाता की निरक्षरता उसे अपनी ओर से वोट देने के लिए सहायक के रूप में कोई साथी

देने का पर्याप्त कारण नहीं है। दृष्टिहीन व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के नीले बटन के दाईं ओर ऊपरी कवर पर बैलेट यूनिट (बीयू) पर ब्रेल साइनेज (1 से 16) में संख्या प्रदान की गई है।

15.50.2. ईवीएम की बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी का बटन दबाकर खुद वोट देने में सक्षम मतदाताओं को मतदान केन्द्र में केवल मतदान कंपार्टमेंट तक जाने के लिए अधिकृत साथी को अनुमति दी जाएगी, न कि मतदान कंपार्टमेंट के अंदर। यह उन मामलों में लागू होगा जहाँ शारीरिक अशक्तता की प्रकृति ऐसी है कि निर्वाचक को केवल अपने चलने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है न कि मतदान करने के लिए। पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलों में निर्णय स्वयं लेना होता है।

15.50.3. इसके अलावा, कोई भी मतदान कर्मचारी अपनी ओर से मतदान करने के लिए एक साथी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

15.50.4. कोई अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता (बशर्ते वह 18 वर्ष से कम आयु का न हो) भी दृष्टिहीन या अशक्त मतदाता का साथी बन सकता है। लेकिन वह उस दिन केवल एक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य कर सकता है। इस तरह के साथी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को निर्धारित रूप में इस आशय की घोषणा करनी होगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दिए गए मत को गुप्त रखेगा और उसने पहले उस दिन मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में काम नहीं किया है।

15.50.5. नियम 49ध के उप-नियम (1) के प्रथम परंतुक के अनुसार, कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मचारियों की सुविधा के लिए, अमिट स्याही निर्वाचक के साथी को भी लगाई जाएगी। साथी की दाहिनी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। ऐसे मामलों में निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर स्याही का निशान मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लागू रहेगा।

15.50.6. इससे पहले कि किसी निर्वाचक को उसके साथ मतदान कंपार्टमेंट के अंदर एक साथी ले जाने की अनुमति दी जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए साथी की दाँई तर्जनी की जाँच की जानी चाहिए कि उस पर पहले से अमिट स्याही का निशान तो नहीं लगा है। यदि निशान पहले से ही लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को नियम 49एन के उद्देश्य के लिए साथी बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15.50.7. किसी व्यक्ति को निर्वाचक का साथी बनने की अनुमति देने से पहले, उसे यह घोषित करना होगा कि वह निर्वाचक की ओर से दर्ज दिए गए मत को गुप्त रखेगा और वह किसी अन्य मतदान केन्द्र पर पहले अन्य किसी निर्वाचक के साथी नहीं रहे हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा साथी से निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्राप्त की जाएगी।

15.50.8. नियम 49ध के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी उन मामलों का रिकॉर्ड रखेगा, जहाँ निर्वाचक द्वारा प्रपत्र 14क में साथी की सहायता से मतदान किया गया है। इसमें उन सभी मामलों को शामिल किया जाना चाहिए जहाँ साथी को मतदान करने में सहायता करने के लिए निर्वाचक के साथ मतदान कंपार्टमेंट तक जाने की अनुमति दी जाती है। ऐसे मामले जहाँ कोई साथी निर्वाचक की उसके साथ चलने में सहायता के लिए आता है और मतदान कंपार्टमेंट में नहीं जाता है, उसे प्ररूप 14क में शामिल नहीं किया जाएगा।

15.51. निविदत्त मत

15.51.1. ऐसा हो सकता है कि विशेष निर्वाचक होने का दावा करने वाला कोई मतदान करने के लिए आए जिसका मत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले ही डाला जा चुका हो। ऐसे मामले में यदि पीठासीन अधिकारी आवश्यक पूछताछ के बाद ऐसे व्यक्ति की पहचान के बारे में वास्तविक मतदाता होने के बारे में संतुष्ट है, तो पीठासीन अधिकारी उसे निविदत्त मत-पत्र के माध्यम से मत देने की अनुमति देगा, लेकिन मतदान मशीन के माध्यम से नहीं। इस प्रयोजन के लिए, पीठासीन अधिकारी निविदत्त मत की सूची में आवश्यक प्रविष्टि करेगा (निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्ररूप 17ख) और उस पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। मतदाता को एक मत-पत्र दिया जाएगा जो मतदान मशीन की बैलेट यूनिट पर चिपकाए गए मत-पत्र के समान होगा और उस पर "निविदत्त मत-पत्र" की मुहर लगी होगी या उसके पीछे लिखा जाएगा। निर्वाचक तीर के निशान वाली रबर स्टैम्प द्वारा चिह्न लगाकर निविदत्त मतपत्र पर अपना मत दर्ज करेगा, जिसका उपयोग मतदान की पारंपरिक चिह्नित प्रणाली के तहत मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। मतदाता द्वारा मतदान कंपार्टमेंट में चिह्नित किए गए ऐसे निविदत्त मतपत्र मोड़ने के बाद, उन्हें पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो इसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए रखे गए कवर में अलग से रखेगा।

15.52. मतदान नहीं करने का निर्णय लेने वाले निर्वाचक

15.52.1. यदि कोई निर्वाचक, मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17क) में अपनी निर्वाचक नामावली संख्या दर्ज कराने तथा विधिवत रूप से उस रजिस्टर पर अपने अंगूठे का निशान लगाने के बाद अपना मतदान न करने का फैसला करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर या बाधित नहीं किया जाएगा। इस आशय की एक टिप्पणी कि उसने अपना मतदान न करने का फैसला किया है - पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि और हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के सामने टिप्पणी कॉलम में "वोट देने से इंकार किया" दर्ज किया जाएगा, नियम 49-न के तहत ऐसी टिप्पणी के सामने निर्वाचक का हस्ताक्षर लिया जाएगा। मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम (1) में निर्वाचक की क्रम संख्या या किसी भी सफल निर्वाचनकर्ता में कोई बदलाव करना आवश्यक नहीं होगा।

15.52.2. यदि कंट्रोल यूनिट पर "बैलेट" बटन को मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट पर मतदान देने के लिए दबाया गया है और वह मतदान करने से इंकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है, अगले मतदाता को सीधे अपना वोट को देने के लिए मतदान कंपार्टमेंट में जाने का निर्देश देगा या कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट में "पॉवर" स्विच को "ऑफ" रखेगा और फिर "ऑन" रखेगा "बैलेट" बटन को दबाएगा और अगले मतदाता को अपना वोट डालने के लिए सीधे मतदान कंपार्टमेंट में जाने का निर्देश देगा। यदि कंट्रोल यूनिट पर "बैलेट" बटन को मतदान यूनिट पर मतदान करने के लिए दबाया गया है और अंतिम मतदाता वोट देने से इंकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है "पावर" बटन दबाएगा। कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट में "पावर" को "ऑफ" करेगा और कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट (यूनिटों) को डिस्कनेक्ट करेगा। कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट (यूनिटों) को डिस्कनेक्ट करने के बाद, "पावर" स्विच को फिर से "ऑन" किया जाना चाहिए। अब "बिजी" लैंप बंद हो जाएगा और मतदान बंद करने के लिए "क्लोज" बटन कार्यात्मक हो जाएगा।

15.52.3. जो निर्वाचक किसी भी अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहते हैं, वे अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना किसी भी अभ्यर्थी को वोट नहीं देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। बैलेट पैनल में "उपरोक्त में से कोई नहीं" ("None of the Above") लिखा है और वोट डालने के लिए नोटा प्रतीक भी दिया गया है।

15.53. मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन

15.53.1. प्रत्येक निर्वाचक, जिसे अपना मत दर्ज करने की अनुमति दी गई है, को मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई भी निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे दी गई चेतावनी के बाद भी मतदान की गोपनीयता बनाए रखने से इंकार करता है और मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के निर्देश पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसे निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले ही जारी की जा चुकी है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में टिप्पणी दर्ज करेगा - "मतदान की अनुमति नहीं दी गई - मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया"। तथापि यह आवश्यक नहीं है कि उस रजिस्टर के कॉलम 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या या किन्ही भी बाद के निर्वाचकों में कोई बदलाव किया जाए।

15.54. पेपर ट्रेल पर मुद्रित विवरणों के बारे में शिकायत की स्थिति में प्रक्रिया

15.54.1. यदि कोई मतदाता अपना मत दर्ज करने के बाद यह आरोप लगाता है कि वीवीपीएटी द्वारा सृजित कागज की पर्ची में उस अभ्यर्थी के नाम या प्रतीक को नहीं

दिखाया गया है, जिसे उसने मतदान किया है, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में चेतावनी देने के बाद निर्वाचक से लिखित रूप में आरोप के बारे में लिखित घोषणा प्राप्त करेगा। यदि निर्वाचक लिखित घोषणा देता है, तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेगा और निर्वाचक को उसकी उपस्थिति में तथा अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हैं ईवीएम में एक परीक्षण वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति दे सकता है और वीवीपीएटी द्वारा सृजित कागज की पर्ची का निरीक्षण करेंगे। यदि आरोप सही पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी तुरंत रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यों के बारे में सूचित करेगा, उस ईवीएम में वोटों की आगे के मतदान को रोक देगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। तथापि, यदि आरोप गलत पाया जाता है और सृजित कागज की पर्ची मतदाता द्वारा दर्ज किए गए टेस्ट वोट के साथ मेल खाती है, तो, पीठासीन अधिकारी -

(क) दूसरी प्रविष्टि के सामने प्ररूप 17 में उस निर्वाचक से संबंधित एक टिप्पणी करेगा जिसमें अभ्यर्थी का क्रमांक और नाम का उल्लेख किया जाएगा, जिसके लिए ऐसे टेस्ट मत दर्ज किए गए हैं;

(ख) ऐसी टिप्पणी के सामने उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करें;

(ग) प्ररूप 17ग के भाग I में मद 5 में इस तरह के टेस्ट वोट के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां करें।

15.55. मतदान कोष्ठ के आस-पास जाने के लिए पीठासीन अधिकारी (और अन्य) पर प्रतिबंध

15.55.1. कभी-कभार, पीठासीन अधिकारी को यह संदेह हो सकता है कि स्क्रीनिंग वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी गई बैलेट यूनिट (यूनिटें) और वीवीपीएटी ठीक से काम नहीं कर रही है या कोई निर्वाचक जिसने मतदान कंपार्टमेंट में प्रवेश किया है, बैलेट यूनिट (यूनिटों)/वीवीपीएटी से छेड़छाड़ कर रहा है या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या लंबे समय से मतदान कंपार्टमेंट के अंदर बना हुआ है। पीठासीन अधिकारी को नियम 49न के तहत ऐसे मामलों में मतदान कंपार्टमेंट में प्रवेश करने का अधिकार है जो ऐसे कदम उठाने के लिए उसके द्वारा आवश्यक माना जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैलेट यूनिट (यूनिटों) और वीवीपीएटी से छेड़छाड़ या किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहे।

15.55.2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी मतदाता ने प्रतीक/नाम/मतपत्र बटन पर कोई कागज, टेप आदि को चिपकाकर कोई शरारत नहीं की है, पीठासीन अधिकारी समय-समय पर बैलेट यूनिट (यूनिटों) और वीवीपीएटी का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन

मतदान केन्द्र के अंदर मतदाता के न होने पर उसे मतदान अभिकर्ताओं की तत्काल मौजूदगी में ऐसा आदतन नहीं करना चाहिए।

15.56. समापन के समय उपस्थिति व्यक्तियों द्वारा मतदान

15.56.1. पीठासीन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय पर मतदान केन्द्र को बंद कर देगा और उसके बाद किसी भी निर्वाचक को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं देगा। लेकिन मतदान केन्द्र पर मौजूद सभी निर्वाचकों को अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी, भले ही इस प्रयोजन के लिए मतदान को निर्दिष्ट समापन घंटे से आगे बढ़ाना पड़े। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, पीठासीन अधिकारी सभी मतदाताओं को, जो कतार में खड़े हैं और निर्दिष्ट समापन समय पर वोट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने द्वारा हस्ताक्षरित 1 नम्बर से शुरू करते हुए मतदाता पर्ची वितरित करेगा। इसके बाद वह किसी भी व्यक्ति को कतार में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि वह कतार के अंतिम छोर से मतदाताओं को उपरोक्त पर्ची का वितरण शुरू करते हुए कतार के शुरू की ओर बढ़ेगा।

15.57. मतदान का समापन

15.57.1. अंतिम मतदाता द्वारा अपना मत देने के बाद पीठासीन अधिकारी मतदान बंद कर देगा, ताकि मशीन में आगे मत न डाले जा सके। इस प्रयोजन के लिए, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर "क्लोज" बटन दबाएगा और कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को यूनिट "ऑफ" रखेगा और कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट (यूनिटों) और वीवीपीएटी को डिस्कनेक्ट करेगा। जब "क्लोज" बटन दबाया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट पर डिस्प्ले पैनल "मतदान समाप्त" (पोल क्लोज्ड) दिखाएगा। वोटिंग मशीन अब आगे मतों को स्वीकार नहीं करेगी।

15.57.2. पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल संख्या को प्ररूप 17ग में दर्ज मत के खाते में तुरंत नोट किया जाएगा।

15.58. पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वोटों के लेखा-जोखे (प्ररूप 17ग) की प्रति भेजना

15.58.1. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49म में यह प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी मतदान के समापन पर, वोटिंग मशीन में दर्ज मतों का एक खाता निर्धारित प्रपत्र 17ग में तैयार करेगा। उपर्युक्त नियम के अनुसार वह मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को खाते की एक प्रमाणित प्रति देगा और मतदाता अभिकर्ता से एक रसीद प्राप्त करेगा। इसलिए, मतदान अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पीठासीन अधिकारी से उक्त खाते की एक प्रति प्राप्त करें क्योंकि मतों की गणना के समय उनके अभ्यर्थियों को ऐसे खाते की बहुत आवश्यकता होगी। पीठासीन अधिकारी से उक्त खाते की एक प्रति प्राप्त करने वाले प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को आयोग

द्वारा निर्धारित घोषणा (**परिशिष्ट 26 भाग III**) पर हस्ताक्षर करना चाहिए, जिसे पीठासीन अधिकारी मतदान के समय बनाना होगा। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपरोक्त खाते की एक प्रति स्वीकार करने से इंकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी उपर्युक्त घोषणा में ऐसे मतदान अभिकर्ता का नाम नोट करेगा।

15.59. मतदान की समाप्ति के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपीएटी को सीलबंद करना

15.59.1. मतदान की समाप्ति के पश्चात और मतदान मशीन में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17ग में तैयार करने तथा इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात् मतदान मशीन को सील किया जाना चाहिए और पीठासीन अधिकारी द्वारा इन्हें गणना/संग्रह केन्द्र तक परिवहन हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

15.59.2. मतदान मशीन सीलबंद करने और सुरक्षित करने के लिए, कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बंद करने के पश्चात बैलेट यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। बैलेट यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को वापस संबंधित वहन बक्सों में रखा जाएगा। वहन बक्सों को निर्वाचन और मतदान केन्द्र के विवरण को दर्शाने वाले सामान्य एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की सील से दोनों ओर से सील कर दिया जाएगा।

15.59.3. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हों और वहन बक्सों पर अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों, को भी ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

15.59.4. पीठासीन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं, जिन्होंने बैलेट यूनिट(यूनिटों), कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी के वहन बक्सों पर अपनी मुहर लगाई है, के नाम भी उस घोषणा में नोट किए जाएंगे, जिसे वह मतदान की समाप्ति पर **परिशिष्ट**-26 के भाग 4 द्वारा करेगा।

15.60. निर्वाचन पेपर सील करना - मतदान अभिकर्ताओं द्वारा उन पर सीलें लगाना

15.60.1. मतदान के समापन के पश्चात, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों और निर्देशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को भी अलग-अलग पैकेट में सील कर देंगे। मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदान अभिकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों वाले लिफाफे और पैकेटों पर, पीठासीन अधिकारी की मुहर के अलावा, अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जाती है: -

i. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति;
ii. मतदाताओं का रजिस्टर;
iii. मतदाता पर्ची;
iv. निविदत्त मतपत्र और प्रारूप 17ख में निविदत्त मतों की सूची;
v. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र;

vi. चुनौती दिये गये मतों की सूची;

vii. अप्रयुक्त तथा खराब पेपर सील, यदि कोई हो;

viii. मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति-पत्र; और

ix. अन्य कोई पत्र जिसे किसी मुहरबन्द पैकेट में रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी ने निर्देश दिया हो।

15.60.2. मतदान अभिकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अपने अभ्यर्थी के हित में निर्वाचन पत्रों के उपरोक्त पैकेटों पर मुहर लगाए।

15.61. ईवीएम, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों का संग्रह/संग्रहण केन्द्र में पहुँचाना

15.61.1. पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम, वीवीपीएटी और सभी निर्वाचन पत्रों को सील और सुरक्षित करने के बाद, वह संग्रह/संग्रहण केन्द्र में उन्हें जमा कराएगा।

15.62. वोटिंग मशीनों को ले जाने वाले वाहनों के साथ जाना

15.62.1. मतदान अभिकर्ताओं को उस वाहन के साथ जाने की अनुमति है जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्र संग्रह/संग्रहण केन्द्र तक ले जाए जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने परिवहन की व्यवस्था करनी होगी और उन्हें वोटिंग मशीन और निर्वाचन पत्र ले जाने वाले वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

15.63. ईवीएम, वीवीपीएटी और अन्य सामग्री के संग्रहण के लिए रिसेप्शन सेंटर में व्यवस्था

ईवीएम और वीवीपीएटी की अभिरक्षा

15.63.1. किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के पूरा होने के बाद, ईवीएम और वीवीपीएटी को भंडारण स्थल पर ले जाया जाएगा और जब तक उन्हें मतगणना स्थल पर नहीं ले जाया जाता है, तब तक उन्हें उचित गार्ड के तहत सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भंडारण दलों के कार्यक्रम और मार्ग के बारे में अग्रिम में सूचित किया जाएगा जो उनके द्वारा मतदान केंद्रों से ईवीएम और वीवीपीएटी के संग्रह के लिए भेजा जाएगा और उन्हें भंडारण स्थल पर लाया जाएगा। यदि अभ्यर्थी चाहे तो अपने/उसके अभिकर्ताओं को इन भण्डारण दलों के साथ जाने के लिए कह सकता है। तथापि, अभ्यर्थी को अपने परिवहन की व्यवस्था खुद करनी होगी क्योंकि उन्हें सरकारी वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी चाहे तो वह उस जगह पर नज़र रखने के लिए किसी अभिकर्ता को तैनात कर सकता है जहाँ ईवीएम और वीवीपीएटी रखी जाती है, और अभिकर्ता को उस इमारत के दरवाजों और खिड़कियों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिपकाए जाने वाली सील के अलावा, अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें मशीनें संग्रह की गई हैं। यदि अभ्यर्थी स्वयं या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी मुहरें नहीं लगा रहा है, तो अभ्यर्थी को ऐसे अभिकर्ता की पूरी जानकारी देनी चाहिए जो यह मुहरें लगाएगा, ताकि उसकी पहचान का सत्यापन हो सके। ईवीएम और वीवीपीएटी

को प्राप्त करने और संग्रह करने के बाद कमरे को बंद कर दिया गया है, और किसी को भी मतगणना के लिए निर्धारित दिन की सुबह तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान, किसी कारण से कमरा खोला जाना है, तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों को सूचित करेगा और उनकी उपस्थिति में कमरे को खोलेगा और जिस उद्देश्य के लिए कमरा खोला गया है उस उद्देश्य के पूरा होने के तुरंत बाद, अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि को फिर से दरवाजे और खिड़कियों को सील करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक लॉग बुक को भी बनाए रखा जाएगा ताकि कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड, आने का उद्देश्य, प्रवेश का समय, निकास का समय आदि उपलब्ध हो।

विशिष्ट मतदान केन्द्रों से ईवीएम और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था करना जिनके बारे में शिकायत मिली हो।

15.63.2. विशिष्ट मतदान केंद्रों से ईवीएम, वीवीपीएटी और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एक अलग विशेष काउंटर स्थापित किया जाएगा, जिनके बारे में राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों से मतदान के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई थीं; मतदान केन्द्र, जिनमें हिंसक घटनाएं, मतदान कर्मियों के साथ बहस, मतदान अभिकर्ताओं के बीच झड़प, ईवीएम के खराब होने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना दी गई है और जहाँ ईवीएम बदली गई थी, आदि। मतदान के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखेगा और रिसेप्शन सेंटर में मतदान पार्टी के आने से पहले इसे विशेष काउंटर पर एक होर्डिंग या एक नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट) रखा जाना चाहिए जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या और विवरणों को दर्शाया जाएगा। यह पुन: निर्वाचन यदि आवश्यक हो, के बारे में निर्णय लेने में सहायक होगा।

15.64. स्थगित मतदान

15.64.1. यदि मतदान केन्द्र पर कोई दंगा या खुलेआम हिंसा होती है या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे गंभीर तूफान, भारी बर्फबारी या इसी तरह या कुछ अन्य पर्याप्त कारण होते हैं, तो पीठासीन अधिकारी धारा 57 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत मतदान स्थगित करेगा। मतदान स्थगित करने के लिए तेज बारिश या तेज हवा आना पर्याप्त कारण नहीं होंगे। तथापि, आयोग ने यह फैसला लिया है कि उन सभी मतदान केंद्रों पर मतदान स्थगित करने का आदेश दिया जा सकता है जहाँ मतदान दो घंटे तक शुरू नहीं हो पाता है। स्थगित मतदान को किसी भी तारीख, समय और स्थान को आयोजित किया जाएगा। जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से तय किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गिनती तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कि स्थगित मतदान पूरा नहीं हो जाता।

15.64.2. जिस मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित किया गया है, स्थगित मतदान उसी चरण से आगे पुनः प्रारंभ होगा जहाँ से वह स्थगन के तत्काल पूर्व छोड़ दिया गया था

अर्थात् मतदान के स्थगन से पूर्व मत न डाल सके निर्वाचकों को ही स्थगित मतदान में मत डालने की अनुमति दी जाएगी। मतदान केन्द्र जहाँ स्थगित मतदान आयोजित हो रहा है, के पीठासीन अधिकारी को मुहरबंद आवरण प्रदान किया जाएगा जिसमें (*i)* निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, और (*ii)* मतदान केन्द्र जिस पर मतदान स्थगित किया गया था, के पीठासीन अधिकारी से पूर्व में प्राप्त मतदाता रजिस्टर, और एक नई मतदान मशीन भी शामिल होगी।

15.64.3. मतदान प्रारंभ होने से पूर्व निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और मतदाता रजिस्टर वाले मोहरबंद लिफाफे को पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में फिर से खोला जाएगा और स्थगित मतदान में निर्वाचक नामावली की यही चिह्नित प्रति और मतदाता रजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा।

15.64.4. किसी स्थगित मतदान को कराने के लिए नियम 28 और 49क से 49फ के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे स्थगन से पूर्व किसी मतदान पर लागू थे।

15.65. नए सिरे से मतदान

15.65.1. यदि किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी मतदान मशीन को -

i. अनधिकृत व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी तरीके से निकाल लिया गया हो, अथवा

ii. दुर्घटनावश अथवा जान-बूझकर नष्ट अथवा गुम अथवा क्षतिग्रस्त किया गया हो अथवा छेड़छाड़ की गई है और रिटर्निंग अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त कारणों से उक्त मतदान केन्द्र पर हुए मतदान के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है; अथवा

iii. की प्रक्रिया में कोई चूक अथवा अनियमितता बरती गई हो, जिससे मतदान केन्द्र पर मतदान के प्रभावित होने की संभावना हों;

रिटर्निंग अधिकारी तथ्यों की सूचना राज्य के निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देंगे।

15.65.2. सभी वास्तविक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो आयोग;

i. उस मतदान केन्द्र पर मतदान को अमान्य घोषित करेगा; तथा

ii. नए सिर से मतदान कराने के लिए औपचारिक रूप से तारीख और घंटे तय करेगा और इसे अधिसूचित करेगा।

15.65.3. आयोग से सूचना प्राप्त करने पर, रिटर्निंग अधिकारी फिर से निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को तिथि, समय और स्थान की सूचना देगा और अपने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाएगा, जिसमें तिथि

और घंटे को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, वह मतदान क्षेत्र में निर्धारित किए गए स्थान, तारीख और समय के बारे में मियादी कराकर या अन्यथा घोषणा द्वारा सूचित कराएगा।

15.65.4. नए सिरे से मतदान उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि मूल मतदान के लिए निर्धारित किया गया था।

15.65.5. शेष निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मतगणना के विरूद्ध कोई कानूनी रोक नहीं है। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी फिर से कराए गए मतदान के पूरा होने तक निर्वाचन का परिणाम घोषित नहीं करेगा और नए सिरे से कराए गए मतदान में दर्ज वोट को रिजल्ट शीट में शामिल करके गिना जाएगा।

15.66. बूथ पर कब्जा होने की स्थिति में निर्वाचन का प्रत्यादेश या नए सिरे से मतदान

15.66.1. यदि किसी मतदान केन्द्र पर बूथ पर कब्जा (धारा 135क में यथा परिभाषित) इस तरह से किया गया है कि उक्त मतदान केन्द्र पर मतदान के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता, तो रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग को धारा 58क के अधीन आगे मामला सूचित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग सभी वास्तविक परिस्थितियों पर विचार करते हुए या तो (i) उक्त मतदान केन्द्र पर हुए मतदान को अमान्य घोषित करेगा और निर्धारित तारीख पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश देगा अथवा (ii) यदि वह संतुष्ट हो कि कब्जे में लिए जाए बूथ में शामिल मतदान केन्द्रों की भारी संख्या को देखते हुए निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होने की संभावना है, तो वह निर्वाचन रद्द कर देगा।

15.66.2. यदि आयोग किसी मतदाता केन्द्र पर नए सिरे से मतदान कराए जाने का निर्देश देता है तब रिटर्निंग अधिकारी पिछले पैरा में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार नए सिरे से मतदान कराने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

15.66.3. यदि आयोग बूथ पर कब्जा किए जाने के कारण निर्वाचन रद्द करता है तब उक्त निर्वाचन के लिए सभी कार्यवाहियाँ नए सिरे से आरंभ होंगी तथा उक्त निर्वाचन के संबंध में एक नई अधिसूचना तथा समय जारी किया जाएगा।

15.67. यदि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा के बाद मतदान स्टेशन पर मतदान को रद्द कर दिया जाता है तो उस स्थिति में फिर से मतदान

15.67.1. फर्जी मतदान की जाँच करने के लिए, निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत पर नजर रखता है। मतदान समाप्त होने के बाद आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग प्रेक्षक के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों के मतदान प्रतिशत पर रिपोर्ट एकत्र करता है। जहाँ-कहीं भी यह पाया जाता है कि मतदान केन्द्र पर मतदान असामान्य रूप से अधिक हैं, जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, वहां आयोग, यदि आवश्यक हो, तो उन

मतदान केंद्रों के संबंध में, जहाँ मतदान एक विशिष्ट प्रतिशत को पार कर गया है, निर्वाचन अधिकारियों को विभिन्न दस्तावेज जैसे पीठासीन अधिकारी की डॉयरी, आंगतुक शीट, निगरानी/सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई गई डायरी, प्ररूप 17क और 17ग आदि की जाँच करने का आदेश दे सकता है।

15.67.2. ऐसे मामलों में, रिटर्निंग अधिकारी और संबंधित प्रेक्षक उन सभी मतदान केंद्रों के संबंध में प्रपत्र 17क और ऐसे अन्य दस्तावेजों की जाँच करेंगे, जहाँ प्रत्येक चरण के मतदान के बाद आयोग द्वारा निर्धारित मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है। रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक हस्ताक्षर/अंगूठे के निशानों की समानता के लिए प्ररूप 17क की जाँच करेंगे, जिसमें वोट डाले गए हैं (सतत क्रम संख्या), प्ररूप 17क बनाम प्रपत्र 17ग, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और प्रपत्र 17क में टिप्पणी कॉलम में प्रविष्टियों की जाँच करेंगे।

15.67.3. प्ररूप 17क और 17ग आदि की प्राप्ति, जाँच, सत्यापन और भंडारण की प्रक्रिया नीचे दी गई है-

प्रापण और भंडारण

1. मौजूदा निर्देश में यह निर्धारित किया गया हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 17ग (दर्ज मतों की संख्या) की प्रतियां मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र में मौजूद सभी मतदान अभिकर्ताओं को उनके द्वारा पूछे बिना दी जाएंगी, इसके लिए और प्ररूप 17ग की दो प्रतियां रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जाएंगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र से प्राप्त प्ररूप 17ग की दो प्रतियों में से, एक प्रति ईवीएम और वीवीपीएटी के साथ रखी जाएगी और दूसरी प्रति को अन्य निर्वाचन पत्रों के साथ अलग से रखा जाएगा।

2. संग्रह केन्द्र में, मतदान समाप्त होने के बाद, विशेष निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों की सामग्री प्राप्त करने के लिए एक अलग काउंटर खोला जाएगा। मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी, जहाँ मतदान प्रतिशत उक्त प्रतिशत से अधिक रहा है, को निर्देश दिया जाएगा कि वे ईवीएम, वीवीपीएटी और अन्य सामग्रियों को सौंपने के लिए इस काउंटर पर संपर्क करें।

3. सभी मतदान केंद्रों की ईवीएम और वीवीपीएटी, मतदान प्रतिशत की परवाह किए बिना, प्ररूप 17ग (मतों का लेखा (मतों की संख्या)) की एक प्रति के साथ, स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी जैसा कि मौजूदा समय में होता है।

4. मौजूदा प्रथा के अनुसार, मतदान केंद्रों से प्राप्त अन्य निर्वाचन पत्रों को एक अलग स्ट्रांग रूम (ईवीएम और वीवीपीएटी रखे जाने वाले स्ट्रांग रूम के अलावा) में रखा जाएगा। मतदान केंद्रों के संबंध में प्ररूप 17क और जाँच के लिए अन्य दस्तावेजों को लेने की सुविधा के लिए, जहाँ मतदान निर्धारित प्रतिशत से अधिक रहा है, यह अच्छा होगा कि मतदान के ऐसे निर्वाचन पत्रों को संग्रहीत करने के लिए अलग से एक कमरे की व्यवस्था

की जाए। यदि अलग से कोई उपयुक्त कमरा उपलब्ध नहीं है, तो इन दस्तावेजों को उसी कमरे में रखा जा सकता है जिसमें अन्य मतदान केंद्रों के संबंध में निर्वाचन पत्र रखे जाते हैं। ऐसे मामलों में मतदान केंद्रों से संबंधित निर्वाचन पत्र जहाँ मतदान का प्रतिशत मतदान की समाप्ति के बाद आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक था, उसे स्पष्ट रूप से चिह्नित स्थान पर रखा जा सकता है ताकि जाँच के लिए इन मतदान केंद्रों के संबंध में दस्तावेजों को बाहर निकालने के समय कोई भ्रम न हो।

जाँच

5. प्ररूप 17क और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने और ऐसे मतदान केंद्रों के संबंध में सामग्री, जहाँ मतदान की समाप्ति के बाद प्रतिशत आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक रहा है, को मतदान के अगले दिन 9 बजे तक लिया जाएगा। तथापि, यदि उस समय तक, पर्याप्त संख्या में मतदान दलों का यह कहना है कि 10% अभी वापस आना बाकी है, तो मतदान दलों के वापस आने तक जाँच को स्थगित किया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक द्वारा पहले से पहचाने गए स्थान/कमरे में, मुख्यतः स्ट्रांग रूम के पास ही जाँच की जाएगी। ऐसी जगह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सभी **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी** को लिखित में (उचित पावती के तहत), प्रपत्र 17क, 17ग, और अन्य दस्तावेजों की जाँच के बारे में और ऐसी जाँच शुरू करने के स्थान, तारीख और समय दर्शाते हुए अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। ऐसे नोटिस में, यह उल्लेख किया जाएगा कि या तो अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि केवल प्ररूप 17क, 17ग की जाँच और रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक द्वारा अन्य दस्तावेजों और सामग्रियों की कार्यवाही देखने के लिए मौजूद रह सकता है। उन मतदान केंद्रों के संबंध में जहाँ मतदान की समाप्ति के बाद मतदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक रहा है वहाँ उन्हें संतुष्ट करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है कि जाँच के समय किसी भी व्यक्ति द्वारा इन रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तथापि, प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के बीच की चर्चा और रिकॉर्ड की जाँच पर उनकी टिप्पणी को गोपनीय रखा जाएगा। अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को इस गतिविधि के दौरान सेलुलर फोन रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. जाँच की प्रक्रिया के दौरान, अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि सुरक्षित दूरी से कार्यवाही देख सकते हैं, **ताकि उन्हें कार्यवाही का एक स्पष्ट दृश्य मिल सके,** लेकिन कार्यवाही में निर्वाचन कागजात/सामग्री को संभालने या हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित बैरिकेडिंग की जाएगी और अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को किसी भी परिस्थिति में बैरिकेड पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. भण्डारण कक्ष जहाँ निर्वाचन रिकॉर्ड रखे जाते हैं को खोलने और बंद करने के समय और उद्देश्य को रिकॉर्ड करने के लिए उचित लॉग-बुक रखी जाएगी। प्रेक्षक (प्रेक्षकों) और अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय पर कक्ष खोला जाएगा। लेकिन, यदि कोई भी अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रतिनिधि इन कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहता है, तो लिखित नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्यवाही निर्धारित समय पर की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति के कारण इसे स्थगित/बाधित नहीं किया जाएगा। यदि वे देर से रिपोर्ट करते हैं जब कार्यवाही चल रही है, तो उन्हें केवल आगे की कार्यवाही देखने की अनुमति दी जा सकती है।

8. जाँच के लिए प्ररूप 17ग और प्ररूप 17क वाले पैकेट की प्रतियां और ऐसे मतदान केंद्रों के संबंध में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियां (जहाँ मतदान की समाप्ति पर मतदान आयोग द्वारा यथानिर्धारित प्रतिशत से अधिक मतदान रहा है) लेने के बाद स्ट्रांग रूम को लॉग-बुक में प्रविष्टि करने के बाद और उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद विधिवत रूप से बंद और सील किया जाएगा।

जाँच के पश्चात् प्रक्रिया

9. जाँच के बाद, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्रपत्र 17क, 17ग और निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ, अन्य दस्तावेज और सामग्री रिटर्निंग अधिकारी की मुहर के साथ फिर से सील कर दी जाएगी। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों को भी, यदि वे चाहें, अपनी मुहर लगाने या हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है। इन सीलबंद लिफाफों को उस स्ट्रांग रूम में वापस रखा जाएगा, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला गया था। यह अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी किया जाएगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी की सील लगाकर कमरे को सील कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि यदि चाहें तो इस पर अपनी मुहरें लगा सकते हैं/हस्ताक्षर भी कर सकते हैं।

10. प्रपत्र 17क, 17ग और अन्य दस्तावेजों और सामग्री की जाँच के बाद, रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक, जहाँ भी आवश्यक हो, आयोग को आवश्यक रूप से विचार करने के लिए मतदान केन्द्र वार आवश्यक सिफारिशें करेंगे। किसी भी तरह के मतभेद के मामले में, उनकी संबंधित रिपोर्ट में इसके कारण को दर्शाया जाएगा।

11. पीठासीन अधिकारियों की डायरी, आंगतुक शीट, निगरानी/सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई गई डायरी, जिला नियंत्रण कक्ष में रखे गए शिकायत रजिस्टर की जाँच करने की सामान्य आवश्यकता, साक्ष्य के बयानों का सख्ती से पालन किया जाएगा, और इन दस्तावेजों की जाँच में सामने आए तथ्यों पर विचार करके सभी मतदान केंद्रों में मत

प्रतिशतता के बावजूद फिर से मतदान कराने की सिफारिश करने के लिए राय बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

15.67.4. यदि आयोग किसी मतदान केन्द्र पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश देता है, तो रिटर्निंग अधिकारी नए सिरे से मतदान कराने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

15.67.5. नए सिरे से मतदान उसी तरीके से कराया जाएगा जैसा कि मूल मतदान के लिए निर्धारित था।

16. मतगणना

16.1. प्रस्तावना

16.1.1. मतगणना, निर्वाचन प्रक्रिया के समापन की दिशा में अंतिम मुख्य चरण है। यह सही और उचित मतगणना से ही मतदाताओं की वास्तविक पसंद का पता चलता और इस वास्तविक पसंद के ऐसे आकलन के आधार पर ही उनके पसंदीदा प्रतिनिधि को निर्वाचित घोषित किया जाता है। अतः मतगणना की प्रक्रिया के महत्व पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है।

16.1.2. विधि अधीन, मतगणना का कार्य निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी देखरेख और निर्देश में अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराई जानी होती है। विधि के तहत अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी मतगणना करवाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मतगणना एक साथ एक से अधिक स्थानों पर तथा एक ही स्थान पर एक या एक से अधिक मेजों पर की जा सकती है। चूंकि अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता से ऐसे प्रत्येक मतगणना स्थल और मेज पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है, अतः विधि अनुसार अभ्यर्थी अपने मतगणना अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकते हैं, जो प्रत्येक उक्त मतगणना स्थल और मतगणना मेज पर जा सकते हैं और अभ्यर्थी के हितों का ध्यान रख सकते हैं।

16.2. मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति और यादृच्छिकीकरण

16.2.1. मतगणना प्रेक्षकों और मतगणना सहायकों की तैनाती यादृच्छिक तरीके से इस प्रकार की जानी चाहिए कि मतगणना अधिकारी को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उन्हें आवंटित मेजों के बारे में तभी पता चले जब वह मतगणना के दिन मतगणना केन्द्र में पहुंचे।

16.2.2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त मतगणना कर्मचारियों को फोटो पहचान-पत्र जारी करेंगे। आगामी पैराओं में बताए गए यादृच्छिक कार्य के पूरा होने के बाद, आरक्षित कर्मचारियों को मतगणना केन्द्र के परिसर के भीतर अलग स्थान में बैठाया जाएगा।

16.2.3. जिला निर्वाचन अधिकारी अवश्य मतगणना के लिए उपलब्ध पूर्णतः प्रशिक्षित कर्मचारियों का पूल बनाकर रखेगा (आरक्षित पूल सहित)। मतगणना कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे मतगणना की तारीख को प्रातः 6 बजे मतगणना केन्द्र पर पहुँच जाएं। जैसा उपरोक्त पैरा 1 में बताया गया है, इन कर्मचारियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा मेज संख्या पहले से नहीं बताई जाएगी।

16.2.4. प्रेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी यादृच्छिकीकरण हेतु मतगणना के दिन प्राप्तः 5 बजे एक स्थान पर एकत्र होंगे। यह स्थान एनआईसी सेंटर, मतगणना केन्द्र अथवा अन्य कोई कार्यालय हो सकता है जहाँ यह प्रक्रिया आसानी से की जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षकों को प्रशिक्षित अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। ये दो सूचियाँ होंगी, एक मतगणना प्रेक्षकों की और दूसरे मतगणना सहायकों की और प्रत्येक मतगणना कर्मचारी को, एक विशिष्ट क्रमांक अथवा कोड नंबर दिया जाएगा, जिस पर इस प्रकार लेबल लगा होगा कि कर्मचारी की श्रेणी के साथ पता चल सके जिसका प्रयोग श्रेणी को स्पष्ट करने के लिए, अर्थात् वह मतगणना पर्यवेक्षक है अथवा मतगणना सहायक।

16.2.5. यादृच्छिकीकरण मैनुअली अथवा कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। मैनुअल यादृच्छिकीकरण के लिए, उपस्थित वरिष्ठतम प्रेक्षक ड्रॉ निकालकर मतगणना कर्मचारियों के यादृच्छिकीकरण से निर्वाचन क्षेत्र और मेज संख्या सौंपी जाएगी। यह कार्य उपरोक्त उल्लिखित दोनों सूचियों से अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से किया जाएगा ताकि प्रत्येक मेज के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक मतगणना सहायक का नाम निकाल सके। जिला निर्वाचन अधिकारी त्वरित और सुगम यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पहले से समस्त व्यवस्था करेंगे। इसमें मतगणना कर्मचारियों को आवंटित किए जाने वाले विशिष्ट क्रमांक की पर्चियाँ तैयार करना और निर्वाचन क्षेत्र/मेज के नम्बर तैयार करना शामिल होगा।

16.2.6. वैकल्पिक तौर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षकों के परामर्श से कंप्यूटर की सहायता से उपरोक्त उल्लिखित यादृच्छिकीकरण की व्यवस्था कर सकते हैं। हालाँकि, कंप्यूटर के प्रयोग से पूर्व प्रेक्षकों को यह संतुष्टि करनी होगी कि यह प्रक्रिया त्रुटिरहित रहे और यह कि इससे वास्तविक यादृच्छिक तरीके से परिणाम निकलते हैं।

16.2.7. जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि रिकार्ड हेतु इस यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई हैं।

16.2.8. इसे व्यावहारिक उदाहरण से समझाने के लिए, मान लेते हैं कि किसी जिले में 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14 मेज हैं। इस जिले के लिए 154 (10% आरक्षित सहित) मतगणना प्रेक्षक और 154 मतगणना सहायक अपेक्षित होंगे। इनमें से कई अधिकारी पहले से प्रशिक्षित होंगे और उन्हें ड्यूटी संबंधी आदेश जारी करते समय कोड दिए गए होंगे। मतगणना की तारीख को प्रातः 5 बजे, अलग-अलग पर्चियों पर लिखे गए प्रत्येक मतगणना प्रेक्षकों और मतगणना सहायकों के ये 154 कोड दो अलग-अलग बॉक्सों में रखे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य सभी प्रेक्षकों की उपस्थिति में वरिष्ठतम प्रेक्षक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विशेष के लिए यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया आरंभ करेंगे जिसमें वे यादृच्छिक

रूप से दोनों बॉक्सों में से एक-एक पर्ची निकालेंगे। इस तरह पहले ड्रॉ से चुने गए मतगणना प्रेक्षकों और मतगणना सहायकों को उस निर्वाचन क्षेत्र में मेज संख्या 1 सौंपी जाएगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जब तक एक मतगणना प्रेक्षक और एक-एक मतगणना सहायक को एक-एक मेज अर्थात् 14 मेज आवंटित कर दी जाती हैं। यही प्रक्रिया अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समान तरीके से दोहराई जाएगी। इस प्रक्रिया के अंत में जो अधिकारी बच जाएंगे उन्हें आरक्षित पूल के भाग के रूप में रखा जाएगा।

16.2.9. यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, निर्वाचन क्षेत्रवार तैनाती सूचियां, जिन पर जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षकों के हस्ताक्षर होंगे, प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय पर मतगणना केन्द्र पर लाई जाएंगी, ताकि उन्हें प्रातः 6 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों को सौंपा जा सके।

16.2.10. मतगणना अधिकारियों के मतगणना केन्द्र पर नियंत्रण कक्ष में पहुँचने पर उन्हें तैनाती संबंधी विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सौंपे गए निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना हॉल की संबंधित मेज पर पहुँचने के निर्देश दिए जाएंगे।

16.2.11. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि यादृच्छिकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुबह 6 बजे तक पूरी हो जाए ताकि गणना अधिकारी गणना की प्रक्रिया निर्धारित समय पर आरंभ होने से पूर्व सुविधाजनक रूप से अपने आवंटित स्थानों पर पहुँच सकें।

16.3. आरक्षित पूल

16.3.1. जिन अधिकारियों को कोई निर्वाचन क्षेत्र/मेज आवंटित नहीं की गई है वे आरक्षित पूल में रहेंगे।

16.3.2. अधिकारियों की तैनाती पाली में नहीं की जाएगी क्योंकि सामान्यतः गणना की प्रक्रिया में 6 से 8 घंटे से अधिक नहीं लगेंगे। तथापि, जिला निर्वाचन अधिकारी को ऐसी आवश्यकता होने पर अधिकारियों को एक-दूसरे की जगह बदलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ऐसा प्रतिस्थापन भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक से परामर्श करने के बाद अधिकारियों के आरक्षित पूल से यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।

16.4. पर्यवेक्षक द्वारा यादृच्छिक पुनर्जांच

16.4.1. पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मतगणना के प्रत्येक दौर के बाद, रिटर्निंग अधिकारी मतगणना प्रेक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मेज-वार परिणाम के आधार पर प्रत्येक दौर की तालिका बनाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस दौर के परिणाम घोषित करने से पूर्व उस के मेज-वार परिणाम पर प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

16.4.2. अब वर्तमान निर्देशों के माध्यम से व्यवस्था शुरु की जा रही है, जिसमें प्रेक्षकों द्वारा नीचे बताए गए तरीके से मतगणना अधिकारियों द्वारा मेज-वार उपलब्ध कराए गए परिणामों की यादृच्छिक तरीके से जाँच की जाएगी।

16.4.3. मतगणना के दौरान (एक दौर के लिए) प्रेक्षक मतगणना मेजों के बीच घूमता रहेगा और मतगणना प्रक्रिया पर निरंतर नज़र रखेगा।

16.4.4. प्रत्येक दौर की समाप्ति पर, प्रेक्षक यादृच्छिक तरीके से संबंधित राउंड से किन्हीं दो ईवीएम कंट्रोल यूनिट का चयन करेगा, जिनकी गणना हो चुकी होगी। उसके बाद वह रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से यादृच्छिक चयन से इस उद्देश्यार्थ विशेष रूप से तैनात मतगणना कर्मचारियों को निर्देश देगा कि वे चुनी गई कंट्रोल यूनिटों से स्वतंत्र रूप से मशीन द्वारा यथा इंगित डाले गए मतों का विवरण नोट करें। तब वह इन विवरणों को मेजवार परिणाम में अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से मिलाएगा ताकि दोनों के बीच किसी भी अन्तर की जाँच की जा सके। यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि यादृच्छिक जाँच के लिए जिम्मेदार स्टाफ को मेजवार परिणाम में उपलब्ध विवरण की जानकारी न हो।

16.4.5. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना हॉल में इस यादृच्छिक पुनर्जांच के लिए एक अलग और पर्याप्त स्थान निर्धारित हो ताकि आगामी दौर में सामान्य मतगणना बिना किसी बाधा के होती रहे।

16.4.6. इस पुनर्जांच के लिए प्रेक्षक की सहायता हेतु स्टाफ आरक्षित पूल से यादृच्छिक चयन से लिया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो कुछ दौर के बाद, आरक्षित पूल से नए स्टाफ के द्वारा इस स्टाफ को बदला जाना चाहिए।

16.4.7. यह संतुष्टि कर लेने के बाद कि कंट्रोल यूनिट द्वारा प्रदर्शित परिणाम और दौर-वार परिणाम शीट तथा प्ररूप-ग में दिखाए गए परिणाम मेल खाते हैं, दौर की परिणाम शीट पर प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रक्रिया प्रत्येक दौर में अपनाई गई है और दो कंट्रोल यूनिट का चयन पूर्णतः यादृच्छिक किया गया है।

16.4.8. यदि मेज से प्राप्त परिणाम तथा प्रेक्षक द्वारा यादृच्छिक जाँच के जरिए ज्ञात परिणाम के बीच कोई अंतर हो, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, तो:-

- प्रत्येक मेज के लिए उस दौर का परिणाम ईवीएम से पुनः सत्यापित किया जाएगा।
- ऐसे कर्मचारी जिन्हें मतगणना परिणाम को गलत नोट करता हुआ पाया जाएगा तो उन्हें हटा दिया जाएगा और उसकी जगह अन्य कर्मचारी रखे जाएंगे। उसके बाद दोषी कर्मचारी पर उसकी भूल-चूक के लिए गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

- पूर्ववर्ती दौरों में ऐसे स्टाफ (तथा मेज) द्वारा दिए गए परिणाम की प्रेक्षक की उपस्थिति में पुनः जाँच की जाएगी तथा संशोधित शीट, जहाँ आवश्यक हों, तैयार की जाएंगी।

16.4.9. मतगणना अधिकारियों के साथ साथ अभ्यर्थियों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं को प्रेक्षकों द्वारा की जाने वाली यादृच्छिक पुनर्जांच के इस प्रावधान के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह भी सूचित किया जाएगा कि यदि इस यादृच्छिक पुनर्जांच के दौरान कोई विसंगति पाई जाती है तो आयोग द्वारा उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार स्टाफ के विरुद्ध गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा अभियोजन।

16.4.10. प्रेक्षक निरंतर मतगणना कक्ष में मौजूद रहेंगे और आवधिक आधार पर मतगणना मेजों का निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतगणना का कार्य आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है।

16.4.11. प्रेक्षक, मतगणना के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख करेंगे कि स्टाफ की यादृच्छिकीकरण तैनाती और कंट्रोल यूनिट की यादृच्छिक जाँच आयोग के निर्देशानुसार की गई थी।

16.4.12. प्रत्येक मतगणना मेज के लिए एक मतगणना प्रेक्षक और एक मतगणना सहायक के अलावा, प्रत्येक 14 मतगणना मेजों के लिए एक-एक अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। यह अतिरिक्त स्टाफ अनिवार्यतः केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के पीएसयू के कर्मचारी होंगे। यह अतिरिक्त स्टाफ उस मेज पर प्रत्येक दौर में ईवीएम द्वारा दिखाए गए और नीचे दिए अनुसार गणना किए जा रहे मतों का विवरण लिखेंगे। इन अतिरिक्त मतगणना कर्मचारियों को नीचे दिए अनुसार पूर्व-मुद्रित विवरण उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर सी.यू. संख्या, दौर संख्या, मेज संख्या, मतदान केन्द्र की संख्या लिखे जाने के लिए स्थान रहेगा और इसके बाद निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में होंगे जैसा बैलेट पेपर पर होंगे। विवरण के अंत में वे अपने हस्ताक्षर करेंगे और उस विवरण को प्रत्येक दौर के बाद प्रेक्षक को सौंप देंगे।

अतिरिक्त मतगणना कर्मचारियों द्वारा मतों
को दर्ज करने का प्रपत्र

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम:

दौर संख्या:

मेज संख्या:

सीयू संख्या:

मतदान केन्द्र संख्या:

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम (पूर्व मुद्रित)	दर्ज मतों की संख्या

तारीख:

अतिरिक्त मतगणना कर्मचारी का हस्ताक्षर (पूर्ण नाम सहित)

*केवल प्रेक्षक को सौपा जाना है

16.4.13. प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी मतगणना स्टाफ द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 17ग के भाग-II में दर्ज किए गए आंकड़ों के साथ अतिरिक्त स्टाफ द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण की पुनर्जांच करेंगे।

16.4.14. जहाँ कहीं केन्द्र सरकार के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ मंडल आयुक्त द्वारा मंडल के भीतर पड़ोसी जिलों से अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को जुटा कर इस कमी को दूर किया जाएगा। अतिरिक्त कर्मचारियों को उपर्युक्त के अनुसार, मतगणना केन्द्र पर तैनात किए जाने से पूर्व संक्षिप्त अनुकूलन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक पहचान-पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की निर्वाचन-क्षेत्रवार तथा तदुपरांत मेजवार तैनाती भी प्रेक्षक द्वारा यादृच्छिक रूप से की जाएगी।

16.5. पर्यवेक्षक की भूमिका

16.5.1. प्रेक्षक को यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, जिसके लिए वह नामित हो, के लिए रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दें कि परिणाम की घोषणा से पूर्व मतगणना को रोक दें अथवा यदि प्रेक्षक की राय में, भारी संख्या में मतदान केन्द्रों पर बूथों पर अथवा मतदान अथवा मतगणना के लिए निर्धारित स्थलों पर कब्जा हुआ है

अथवा किसी मतदान केन्द्र पर अथवा मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त किसी बैलेट पेपर को गैर-कानूनी ढंग से रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से निकाला गया हो अथवा अथवा संयोग से यह जानबूझकर नष्ट किया गया हो अथवा गायब अथवा क्षतिग्रस्त हुआ हो अथवा उसमें इस प्रकार छेड़छाड़ की गई हो कि उस मतदान केन्द्र अथवा स्थल पर मतदान के परिणामों का पता न चल सके, तो परिणाम घोषित न किया जाए।

16.5.2. इस अनुच्छेद के तहत जहाँ प्रेक्षक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए गए हों कि मतगणना रोकी जाए और परिणाम घोषित न किया जाए, वहाँ प्रेक्षक आगे उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा और इस पर निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58-क अथवा धारा 64-क अथवा धारा-66 के तहत समुचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

16.6. मतगणना की तिथि, स्थान और समय

16.6.1. रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्वाचन के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले अथवा निर्धारित तारीखों के पहले दिन आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्ररूप **परिशिष्ट** 29 अथवा **परिशिष्ट** 30 जैसा लागू हो, में मतगणना के लिए निर्धारित स्थान, तारीख और जानकारी की देगा। पूरे देश में साधारण निर्वाचन के लिए मतगणना की तारीख सामान्यतः निर्वाचन के लिए मतदान की तारीखों की अंतिम तारीख के बाद की तारीख होगी। जब किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में साधारण निर्वाचन होता है, तो मतगणना की तारीख सामान्यतः उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मतदान की अंतिम तारीख के बाद की तारीख होगी। किसी उप-निर्वाचन के लिए मतगणना की तारीख, मतदान के अगले दिन या मतदान की तारीखों के अंतिम दिन से अगले दिन अथवा उस स्थिति में, दूसरे दिन होगी, जब निर्वाचन क्षेत्र दूर-दराज में हो और बॉक्सों अथवा मतदान मशीनों को जैसा भी मामला हो, मतदान की तारीख के अगले दिन मतगणना के लिए निर्धारित स्थान तक पहुँचाना वास्तविक तौर पर असंभव हो।

16.6.2. यदि किसी अपरिहार्य कारण से, रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित तारीख और समय, स्थान पर मतगणना नहीं करवा पता है और जिसकी सूचना अभ्यर्थी कर दी गई हो, तो वह मतगणना को स्थगित कर देगा और आवश्यक होने पर मतगणना के लिए कोई अन्य तारीख और समय निर्धारित करेगा। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को ऐसे किसी बदलाव की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

16.7. मतगणना की शुरुआत

16.7.1. आयोग के निर्देशानुसार, रिटर्निंग अधिकारी को मतदान की विस्तृत रिपोर्टें, जो सांविधिक है, आयोग को भेजनी अपेक्षित होती है। इन रिपोर्टों के आधार पर आयोग

निर्णय लेता है कि किसी मतदान केन्द्र/निर्वाचन क्षेत्र विशेष में पुनः मतदान कराया जाए अथवा नहीं। यदि आयोग की ओर से पुनः मतदान के लिए कोई आदेश न हों, तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग से किसी अनुमति की प्रतीक्षा के बिना मतगणना शुरु करा देगा।

16.7.2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नव समाविष्ट धारा 20ख के अधीन, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के संचालन पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त प्रेक्षकों को रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार होगा कि वे परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी भी समय मतगणना को रोक सकते हैं अथवा यदि उनकी राय में, भारी संख्या में मतदान केन्द्रों पर बूथों अथवा मतदान के लिए निर्धारित स्थलों पर कब्जा हुआ है अथवा किसी मतदान केन्द्र पर मतगणना हुआ हो अथवा किसी बैलेट पेपर का प्रयोग हुआ हो अथवा मतदान के लिए किसी निर्धारित स्थल को गैर-कानूनी ढंग से अथवा आकस्मिक तौर पर रिटर्निंग अधिकारी के अधिकार से वापस ले लिया गया हो अथवा उसे नष्ट किया गया हो अथवा गायब अथवा क्षतिग्रस्त अथवा वहाँ इस प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो कि उस मतदान केन्द्र अथवा स्थल पर मतदान के परिणामों का पता न चल सके, तो परिणाम घोषित नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे मामलों में निर्वाचन की प्रक्रिया आयोग के उन निर्देशों के तहत आगे बढ़ाई जाएगी, जो आयोग प्रेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर और समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जारी करें।

16.8. विभिन्न स्थानों पर गणना

16.8.1. संपूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना एक ही स्थान पर की जाएगी और उसी दिन मतगणना पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस उद्देश्यार्थ, मतगणना प्रातःकाल जल्दी आरंभ की जाएगी।

16.8.2. जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना एक ही स्थान पर की जाएगी, लेकिन लोकसभा निर्वाचन के लिए मतगणना एक से अधिक स्थानों पर की जा सकेगी, अर्थात् उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना के लिए निर्धारित स्थानों पर।

16.8.3. यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक स्थानों पर मतगणना की जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा ताकि अभ्यर्थी प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए अलग मतगणना अभिकर्ताओं को दल नियुक्त कर सके।

16.8.4. लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचन होने के मामले में, मतगणना विधानसभा खण्ड-वार एक-साथ की जाएगी। ऐसी स्थिति में,

संसदीय और विधानसभा निर्वाचनो के लिए सीटों के लिए अभ्यर्थियों को अपने अलग-अलग मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

16.9. मतगणना हॉलों में अनुमत व्यक्ति

16.9.1. मतगणना हॉल के अंदर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुमति होगी:-

- गणन प्रेक्षक और मतगणना सहायक;
- निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी;
- अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता।

कृपया ध्यान दें:

(1) 'ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी' में पुलिस अधिकारी शामिल नहीं होंगे, चाहे वे वर्दी में हों अथवा बिना वर्दी (जब तक रिटर्निंग अधिकारी उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने और अन्य ड्यूटी के लिए न बुलाए), केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य की विधान सभा/विधान परिषद के अध्यक्ष/सभापति हों।

(2) मतगणना परिसर और मतगणना कक्ष में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता, के साथ किसी सुरक्षा अधिकारी, यदि कोई हो, को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

16.10. उन मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या जो नियुक्त किए जा सकते हैं

16.10.1. प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेजों की संख्या अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर मतगणना को देखने के लिए वह एक और अभिकर्ता नियुक्त की अनुमति है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतगणना हॉल में मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी की एक मेज के अलावा 14 (चौदह) से अधिक मेज रखे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या सामान्यतः पन्द्रह से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि मतगणना मेजों की संख्या भी सामान्यतः पन्द्रह से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल है।

16.10.2. तथापि, आयोग सामान्य अथवा विशेष निर्देश के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पन्द्रह से अधिक मेज की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकता है। उस स्थिति में, अभ्यर्थी को भी पन्द्रह से अधिक और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई मेजों की संख्या के बराबर मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

16.10.3. जैसा ऊपर उल्लेख है, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें वह उस स्थान अथवा स्थानों की जानकारी देगा जहाँ मतगणना का कार्य होगा और यह कि किस तारीख और समय को मतगणना

आरंभ होगी। वह पर्याप्त समय रहते उन्हें यह जानकारी भी देगा कि मतगणना हॉल में कितनी संख्या में मतगणना मेज उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि तदनुसार वे अपने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकें।

16.10.4. गणन अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या के बारे में उपर्युक्त उल्लिखित सीमा, यदि मतगणना एक से अधिक स्थान पर की जाती है, तो प्रत्येक मतगणना स्थल के संबंध में अलग-अलग लागू होगी।

16.11. गणन अभिकर्ताओं की योग्यता

16.11.1. विधि द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई कि किन व्यक्तियों को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया जाए। तथापि, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे समझदार और व्यस्क व्यक्तियों को अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करें ताकि उनके हितों की सही देखभाल हो सके।

16.11.2. तथापि, कोई मंत्री/सांसद/विधायक/निगम पार्षद अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे सुरक्षा मिली हो, को मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी किसी नियुक्ति से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम हो सकता है, जैसाकि किसी भी परिस्थिति में उनके सुरक्षा कार्मिक को उनके साथ "मतगणना परिसर" और मतगणना कक्ष के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, सुरक्षा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को किसी अभ्यर्थी का ऐसी अभिकर्ता बनने के लिए अपनी सुरक्षा को लौटाने की अनुमति नहीं होगी।

16.11.3. सरकारी कर्मचारी भी किसी अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है, तो उसे 3 माह तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों दिया जा सकता है।

16.12. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

16.12.1. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्त स्वयं अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में (**परिशिष्ट** 31) के साथ संलग्न प्ररूप 18 में की जाएगी। इस प्ररूप में मतगणना अभिकर्ता का नाम और पता भरा जाएगा और अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत तौर पर उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। मतगणना अभिकर्ता अपनी भी नियुक्ति की स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में उस प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में, अभिकर्ताओं के फोटोग्राफ के साथ उक्त प्ररूपों की दो प्रतियां तैयार करके उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उक्त प्ररूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना अभिकर्ता को दी जाती है जिसे वह रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

16.12.2. अभ्यर्थी अपने समस्त मतगणना अभिकर्ताओं को प्ररूप 18 में एक ही नियुक्त पत्र द्वारा नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामले में, समस्त मतगणना अभिकर्ताओं को उस पत्र पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है कि उन्होंने उक्त नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।

16.12.3. यदि हस्ताक्षर के संबंध में कोई संदेह न हो, तो नियुक्ति वाले प्ररूप पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की प्रतिकृति भी स्वीकार की जाती है।

16.13. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की समय-सीमा

16.13.1. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, चाहे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या जो भी हो, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी अपने मतगणना अभिकर्ताओं की फोटोयुक्त सूचियां मतगणना के लिए निर्धारित तारीख से तीन दिन पूर्व 17.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगे। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक ऐसे अभिकर्ता के लिए पहचान-पत्र तैयार करेंगे और उन्हें अभ्यर्थी को जारी करेंगे।

16.13.2. गणन अभिकर्ता को मतगणना में आने के लिए अपने नियुक्ति-पत्र के साथ उक्त पहचान-पत्र दिखाना होगा।

16.13.3. गणन अभिकर्ता के नियुक्ति-पत्र के साथ पहचान-पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतगणना के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले प्रस्तुत करने होंगे। रिटर्निंग अधिकारी उक्त समय के बाद कोई नियुक्ति-पत्र स्वीकार नहीं करेंगे।

16.14. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना

16.14.1. अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने के लिए प्राधिकृत हैं।

16.14.2. ऐसी नियुक्ति को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में (**परिशिष्ट 32**) के साथ संलग्न प्ररूप 19 भर कर रद्द किया जाता है, और यह उसी समय से प्रभावी हो जाता है जब इसे रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थी मतगणना की शुरु होने से पहले कभी भी उस मतगणना अभिकर्ता के स्थान पर, जिसका नियुक्ति-पत्र रद्द किया गया हो, अन्य अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। मतगणना आरंभ होने पर, किसी नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

16.14.3. नए मतगणना अभिकर्ता की ऐसी नियुक्ति उसी प्रकार की जाएगी जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

16.15. मतगणना कक्ष में मतगणना अभिकर्ताओं का प्रवेश

16.15.1. रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नियुक्ति-पत्र और पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर, मतगणना अभिकर्ता को अपने नियुक्ति-पत्र में निहित घोषणा पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष इस आशय के हस्ताक्षर करने अपेक्षित होंगे कि वह मतदान की

गोपनीयता बनाए रखेगा। नियुक्ति-पत्र, परिचय पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद, रिटर्निंग अधिकारी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देंगे।

16.15.2. रिटर्निंग अधिकारी को अधिकार है कि वह किसी मतगणना अभिकर्ता के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व उसकी तलाशी ले सकता है।

16.16. मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैज

16.16.1. प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिससे यह पता लगेगा कि वह किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है और उस पर उस मेज का क्रमांक होगा, जिस पर वह मतगणना देखेगा। वह अपनी आबंटित मेज पर बैठा रहेगा। उसे कक्ष में इधर-उधर घूमने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर बैठे अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और उनकी अनुपस्थिति में, केवल उसके मतगणना अभिकर्ता को सभी मतगणना मेजों पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

16.17. मतगणना कक्ष में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना

16.17.1. मतगणना हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह पूरा अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में रिटर्निंग अधिकारी को पूर्ण सहयोग दें। वे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को मतगणना हॉल से भेज सकते हैं जो उनके निर्देशों का पालन नहीं करता है।

16.17.2. गणन अभिकर्ता और व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब कोई मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल में प्रवेश कर जाएंगे, तो उन्हें साधारणतया परिणाम घोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

16.17.3. मतगणना हॉल के समीप पेयजल, जलपान, शौचालय इत्यादि की समस्त पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

16.17.4. मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के प्रेक्षक को मोबाइल फोन साइलेंट मॉड में रखकर ले जाने की अनुमति होगी।

16.18. मतगणना परिसर और मतगणना कक्ष में धूम्रपान निषिद्ध है

16.18.1. अभ्यर्थी का ध्यान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत "सार्वजनिक स्थल" पर धूम्रपान करना निषेध है। अतः, निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर और मतगणना हॉल में धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी।

16.19. गणन अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था

16.19.1. मतगणना पंक्ति में लगाई गई मेजों पर किया जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में लगाई गई मेजों पर क्रम संख्या डाली जाएगी।

16.19.2. प्रत्येक मतगणना मेज पर, मतगणना मशीन की कंट्रोल यूनिट मेज के मध्य में रखी जाएगी। एकतरफा मतगणना पर्यवेक्षक और एक मतगणना सहायक बैठेंगे। मतगणना अभिकर्ता को कंट्रोल यूनिट की ओर मुख करके मेज के सामने बैठाया जा सकता है ताकि वे कंट्रोल यूनिट पर मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा किए जा रहे सभी कार्य को देख सकें।

16.19.3. प्रत्येक मतगणना मेज पर, मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित श्रेणियों अथवा प्राथमिकता को ध्यान में रखकर की जाएगी, अर्थात् :-

i. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी;

ii. राज्यों के मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थी;

iii. अन्य राज्यों के ऐसे मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित निर्वाचन चिह्नों के प्रयोग की अनुमति दी गई हो;

iv. पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी;

v. निर्दलीय अभ्यर्थी।

16.20. मतगणना कक्षों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा

16.20.1. किसी मतगणना केन्द्र से अभिप्राय उस स्थान से है, जहाँ मतगणना की जाएगी और इसमें एक अथवा अधिक मतगणना हॉल हो सकते हैं।

16.20.2. किसी मतगणना हॉल से अभिप्राय चारों ओर दीवारों से घिरे एक अलग कक्ष से है और बेहतर हो कि निकास और प्रवेश द्वार अलग-अलग है।

16.20.3. जहाँ पूर्व-निर्मित अलग-अलग कमरे उपलब्ध नहीं है लेकिन बड़े कमरों के अलग-अलग हॉल बनाने का प्रस्ताव हो, वहाँ ऐसे प्रत्येक हॉल के बीच अस्थायी दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें मजबूत सामग्री, परन्तु अधिमानतः केवल सीजीआई शीट की होंगी। जहाँ भवन के मालिकों को फर्श में गड्ढे बनाने पर आपत्ति है, वहाँ दोनों ओर सीजीआई शीट लगाकर उपयुक्त मजबूत ढांचे का प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त हॉल बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रत्येक हॉल चारों ओर दीवार से घिरा एक स्वतंत्र हॉल हो। किसी भी व्यक्ति के लिए न केवल हॉल से बाहर आए बगैर हॉल से जाना संभव न हो, बल्कि उक्त दीवार इतनी ऊँची होनी चाहिए कि एक हाल से दूसरे हॉल में किसी भी सामग्री को गुप्त तरीके से पहुंचाना असंभव हो। उक्त दीवारों के दोनों ओर गार्ड तैनात हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनसे विभाजकों से कोई छेड़छाड़ न की जा सके।

16.20.4. प्रत्येक मतगणना केन्द्र का एक विशिष्ट नंबर होगा और प्रत्येक मतगणना केन्द्र में प्रत्येक हॉल का एक विशिष्ट नंबर होगा।

16.20.5. प्रत्येक हॉल, जैसा पहले निर्धारित किया गया है, का प्रयोग एक समय में केवल एक विधानसभा खण्ड की मतगणना के लिए किया जाएगा। एक विधानसभा खण्ड की मतगणना अधिकतम दो हॉल में की जा सकेगी बशर्ते एक हॉल में स्थान को वास्तविक वितरण कि उसमें 8 से अधिक मेज (रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मेज सहित) न रखी जाएं। उन मामलों में जहाँ किसी विधानसभा में निर्वाचकों की संख्या असामान्य तौर पर बहुत ज्यादा हो तो उस विधानसभा के खण्ड के लिए प्रत्येक दो हॉल में अधिकतम 15-15 मेज लगाई जा सकती हैं। ऐसे सभी मामलों की जाँच अभ्यर्थियों की संख्या, मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या आदि जैसे सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

मतगणना मेजों के लिए बैरीकेड लगाना

16.20.6. प्रत्येक मतगणना हॉल में प्रत्येक मतगणना मेज के लिए बैरीकेड उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि मतगणना अभिकर्ता मतगणना मशीनों के हाथ न लगा सके। तथापि, मतगणना अभिकर्ता को मतगणना मेज पर संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया देखने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बैरीकेड पारदर्शी हों अथवा बैरीकेड लगाने के लिए प्रयुक्त बांस अथवा अन्य सामग्री के ऊपर अथवा इसके बीच की जगह इतनी हो कि वह मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह देख सके। कितने बैरिकेड्स लगाए जाने हैं, यह रिटर्निंग अधिकारी के विवेक पर छोड़ा गया है, जिसे वह तरीका अपनाना है जो वह यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित समझे कि मतगणना की प्रक्रिया में मतदान मशीनों का अनधिकृत व्यक्तियों ने नहीं छुआ हैं या उनसे किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई है।

16.20.7. ऐसे मामलों में जहाँ किसी विधानसभा खण्ड की मतगणना के लिए दो हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो दो हॉल (प्रत्येक कक्ष एक अलग कक्ष होने पर) को मतदान केन्द्र अग्रिम तौर पर पहले से आबंटित किए जाएंगे।

16.20.8. हॉल के विधानसभा खण्डों का पूर्व-आबंटन किया जाना चाहिए और इस आबंटन की जानकारी सर्वसंबंधित को अग्रिम रूप से दी जाएगी।

16.20.9. यदि हॉल की कुल संख्या किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, विधानसभा खण्डों की कुल संख्या से कम होती है, तो मतगणना का क्रम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बढ़ते क्रम के अनुसार होगा। अतः, यदि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सात विधानसभा निर्वाचन खण्ड हों और केवल तीन हॉल हों, तो उन तीन उपलब्ध हॉल में तीन निम्नतम क्रम संख्या वाले खण्डों की मतगणना की जाएगी। जैसे ही किसी हॉल

विशेष में एक विधानसभा खण्ड की मतगणना पूर्ण होती है और हॉल की आवश्यक क्लीयरेंस हो जाती है तो वहां हॉल को पूर्व-आबंटित अगले विधानसभा खण्ड की मतगणना की जाएगी।

16.20.10. किसी भी परिस्थिति में, एक हॉल में एक से अधिक विधानसभा खण्ड के लिए मतगणना का कार्य एक साथ शुरु नहीं किया जाएगा, और किसी भी परिस्थिति में, एक से अधिक विधानसभा खण्ड के लिए एक हॉल में किसी भी समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (अथवा बैलेट पेपर) मतगणना के लिए वास्तविक तौर पर उपलब्ध नहीं होगी।

16.20.11. आयोग द्वारा पहले ही मतगणना मेजों की संख्या की सीमा निर्धारित की जा चुकी है, जिन्हें एक हॉल के भीतर रखा जा सकता है। मतगणना मेजों की संख्या के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू मतदान केन्द्रों की संख्या, कक्ष के आकार, मतगणना अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या और तैनात किए जाने वाले मतगणना कर्मचारियों की कुल प्रस्तावित संख्या और सुरक्षा संबंधी पहलू होंगे।

16.20.12. किसी मतगणना हॉल में 15 मेजों (रिटर्निंग अधिकारी की मेज सहित) की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई नहीं जाएगी। सभी संगत कारकों पर विचार करके कोई अपेक्षाकृत वास्तविक निम्न सीमा निर्धारित की जा सकती है।

16.20.13. आयोग के प्रेक्षक अपने दौरे के दौरान मतगणना केन्द्रों का विस्तृत निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना हॉल को उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार बनाया गया है और तदनुसार प्रत्येक हॉल विधान सभा खंड को पूर्व में ही आबंटित कर दिए गए हैं। उन्हें प्रत्येक मतगणना केन्द्र की संगत ड्राइंग भी प्राप्त करनी चाहिए और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट के लिए रिकार्ड के रूप में अपने पास रखना चाहिए।

16.20.14. मतगणना हॉल, उपरोक्त अभ्यर्थी दीवारों सहित, को मतगणना की तारीख से कम से कम पूरे तीन दिन पहले तैयार करवा लिया जाना चाहिए। ये कक्ष इस प्रकार स्थित होने चाहिए कि मतदान वाली ईवीएम और अन्य कागजात स्ट्रांग रूम से आसानी से लाए-ले जाए जा सकें और वहाँ गैर-सरकारी व्यक्तियों और मीडिया के लोगों के द्वारा कोई बाधा न होती हो।

16.20.15. मतगणना केन्द्रों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोके जाने के लिए तीन स्तरीय घेरा व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को उचित फोटोयुक्त पहचान-पत्र डाले बिना, मतगणना केन्द्र के पहले घेरे को पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, पहले घेरे में ही सभी अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और समस्त मतगणना कर्मचारियों के पहचान पत्रों से उनकी पहचान भी

भली-भांति सत्यापित की जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने और प्रवेश को विनियमित करने के लिए प्रवेश द्वार पर एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी।

16.20.16. दूसरे घेरे में अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं और अन्य अधिकारियों जिनकी पहचान, पहचान-पत्र के माध्यम से कर ली गई है, को प्रवेश की अनुमति देने से पहले, सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी उचित तलाशी ली जानी चाहिए। तलाशी केवल राज्य सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों द्वारा ली जाएगी। महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मियों/महिला होम गार्ड द्वारा की जाएगी। कोई और तलाशी नहीं होनी चाहिए।

16.20.17. मतगणना के दौरान मतगणना की प्रक्रिया को कवर करते समय प्राधिकार पत्र धारकों को यदि वे चाहें, तो मतगणना कक्षों से बाहर आने की अनुमति दी जा सकती है अथवा दी जानी चाहिए। उन्हें इसी प्राधिकार पत्र के आधार पर पुनः प्रवेश की भी अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, किसी भी समय कोई भी प्रवेश, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की समग्र अपेक्षाएं, उचित शिष्टाचार और शांतिपूर्ण मतगणना के संचालन के अध्यधीन है। नियंत्रणयोग्य ऑडियो/विजुअल ग्रुपों (श्रव्य/दृश्य समूहों) द्वारा अल्पावधि की सीमित कवरेज की अनुमति दी जा सकती है, जिनका संचालन मतगणना के प्रभारी अधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

16.20.18. किसी भी मतगणना हॉल के भीतर किसी स्थिर कैमरे - मीडिया को स्टिल अथवा वीडियो कैमरा लगाने की अनुमति नहीं है। अतः मतगणना हॉल के भीतर कोई कैमरा स्टेंड ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, कैमरा हाथ में लेकर अथवा कंधे पर रखकर मतगणना प्रक्रिया की ऑडियो विजुअल कवरेज के समय किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बैलेट पेपर पर वास्तव में दर्ज किए गए मत का फोटो लेने अथवा उसकी ऑडियो विजुअल कवरेज की अनुमति नहीं है। किस स्थान विशेष तक स्टिल और वीडियो कैमरा ले जाया जा सकता है, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसे सर्वसंबंधित के मार्गदर्शन के लिए अग्रिम तौर पर एक लाइन खिंच कर अथवा डोरी लगाकर दर्शाया जाना चाहिए।

16.20.19. तदनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी विस्तृत प्लान तैयार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और मतगणना की शुरुआत से कम से कम 72 घंटे पहले पूरी हो जाएं। इससे सभी संबंधितों द्वारा मतगणना की सूचना के प्रसारण और प्रणाली की जाँच का प्रयोग किया जा सकेगा।

16.20.20. मतगणना के परिणाम की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, नीचे दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में एक दौर-वार विवरण तैयार किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करेंगे कि प्रत्येक मतगणना मेज के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम पड़े मतों की संख्या उस

मेज से संबंधित प्ररूप 17-ग के भाग-II (मतगणना का परिणाम) में दर्शाए आँकड़ों से मेल खाती हो। वे प्रत्येक मतगणना मेज के योग के नीचे अपने आद्याक्षर दर्ज करेंगे। उक्त प्रोफार्मा में दर्शाए अनुसार मतों की विस्तृत तालिकावार मतदान केन्द्र-वार, दौरे-वार ब्यौरे की प्रति प्रेक्षक द्वारा अपने फोल्डर में रखी जाएगी।

रुझान/परिणाम दर्शाने की तालिका

निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर और नाम _____ दौर नम्बर_____ तारीख _____

तालिका संख्या		1.	2.	3.	4.	5.	6.	कुल	पूर्व दौर से आगे लाया गया	संचयी योग
मतदाता बूथ संख्या										
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम									
अमान्य मत										
कुल मत										
		आरओ के हस्ताक्षर	आरओ के हस्ताक्षर	आरओ के हस्ताक्षर	आरओ के हस्ताक्षर	आरओ के हस्ताक्षर	आरओ के हस्ताक्षर	आरओ के हस्ताक्षर		
		प्रेक्षक के हस्ताक्षर	प्रेक्षक के हस्ताक्षर	प्रेक्षक के हस्ताक्षर	प्रेक्षक के हस्ताक्षर	प्रेक्षक के हस्ताक्षर	प्रेक्षक के हस्ताक्षर	प्रेक्षक के हस्ताक्षर		

महत्वपूर्ण:
1. कोई भी कांट-छांट प्रेक्षक द्वारा सत्यापित की जाएगी।
2. मतदान केन्द्र, जिसके मतों की मतगणना कर ली गई है, का नम्बर मेज के नम्बर के नीचे दर्शाया जाएगा।
3. इसकी एक प्रति प्रेक्षक द्वारा बाद में जांच हेतु अलग फोल्डर में रखी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मतगणना हॉल में कम्प्यूटर लगाया जाएगा जिस पर किसी तरह की मानवीय त्रुटि की जाँच करने के लिए एक्सेल शीट पर समानान्तर तालिका बनाई जाएगी। यह डाटा प्रविष्टि भी मतदान केन्द्र वार तथा दौर-वार की जाएगी। हालाँकि कम्प्यूटर तालिका मतों की गिनती को अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए बनाई जा रही मैनुअल तालिका के बराबर नहीं होगी, फिर भी कम्प्यूटर-आधारित सामानान्तर तालिका बनाना/योग निकालना मैनुअल तालिका की सटीकता की दोबारा जाँच के रूप में सहायक होगा।

16.20.21. मतगणना का अगला दौर तभी आरंभ होना चाहिए जब सभी मेजों पर पिछले दौर की मतगणना समाप्त हो गई हो, आगे उसे दोबार मिला लिया गया है और उनके परिणाम की शीटें सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर ली गई हो।

16.20.22. प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि मेज-वार-दौर (राउंड)-वार मतगणना के परिणाम तत्काल मतगणना केन्द्र के भीतर किसी सूचना-पट्ट पर साफ प्रदर्शित किए जाते हों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर उनकी घोषणा की जाती हो। मतगणना के पूरा होने के बाद और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अंतिम परिणाम शीट

को समेकित किए जाने के बाद, प्रेक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का मिलान दौर-वार विवरण से करेगा उसके द्वारा अपने फोल्डर में रखे और परिणाम तभी घोषित होने देगा जब आंकड़ों का एक-दूसरे से मिलान हो जाएगा।

16.20.23. आयोग ने जेनेसिस के माध्यम से डाटा के प्रवाह के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों का सभी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना है।

16.20.24. जैसे ही परिणाम घोषित होता है, प्ररूप 21 में निहित डेटा, जो विजेता अभ्यर्थी को सौंपा जाता है, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित है, आयोग की तत्काल जानकारी के लिए उसे प्रेक्षक को सौंपा जाएगा।

16.20.25. यह जरूरी है कि जैसे ही मतगणना का कार्य पूर्ण हो जाता हो, पूर्णतः संकलित मतगणना का डेटा को तालिकाबद्ध किया जाए और औपचारिक तौर पर परिणाम घोषित करने से पूर्व इसकी भली-भांति जाँच की जाए।

16.20.26. प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्ररूप 20क में अंतिम परिणाम पत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप 21ग में परिणाम की घोषणा करने तथा इसे उचित स्थानों पर भेजने से पूर्व भरा जाता है। सम्यक रूप से प्राप्त भरे गए प्ररूप 20क, 21ग तथा 21ङ की एक-एक प्रति प्रेक्षक द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा मतगणना पर उनकी रिपोर्टों के साथ संलग्न की जाएगी।

16.20.27. आयोग ने निर्णय लिया है कि सभी प्रेक्षक मतगणना तथा परिणामों के संकलन की प्रक्रिया पर निरन्तर निगरानी रखेंगे। किसी निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करने से पहले, रिटर्निंग अधिकारी संबंधित प्रेक्षक से परिणाम की घोषणा के लिए एक प्राधिकार प्राप्त करेंगे। प्रत्येक प्रेक्षक मतगणना की निष्पक्षता तथा परिणाम के संकलन की पूर्ण सटीकता के संबंध में अपने-आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा। ऐसा करने के बाद वह परिणाम की घोषणा के लिए निम्नलिखित प्रारूप (फार्मेट) में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्राधिकार जारी करेगा:-

"_____ प्रेक्षक (कोड_____), _____ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में _____ प्ररूप 20 में मतगणना की निष्पक्षता और परिणाम के संकलन की पूर्ण सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद _____ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए परिणाम घोषित करने हेतु एतद्द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्राधिकृत करता हूँ।"

प्रेक्षक के हस्ताक्षर_____

प्रेक्षक का नाम_____

प्रेक्षक का कोड_____

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम_____

16.20.28. कोई भी रिटर्निंग अधिकारी प्रेक्षक से उपर्युक्त ब्योरानुसार प्रपत्र में प्राधिकार प्राप्त किए बगैर परिणाम की घोषणा नहीं करेगा। मतगणना की निष्पक्षता तथा परिणाम सटीक संकलन सुनिश्चित करना प्रेक्षक तथा रिटर्निंग अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

16.20.29. यह सुनिश्चित करना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि सभी उपर्युक्त उल्लिखित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है और उन्हें मतगणना शुरु होने से पर्याप्त समय पहले रिटर्निंग अधिकारियों, प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों, मतगणना अभिकर्ताओं इत्यादि की जानकारी में लाया जाता हो।

16.21. गोपनीयता का रख-रखाव

16.21.1. विधि के तहत मतगणना हॉल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इसमें सहायता करेगा तथा किसी व्यक्ति को कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा जिससे उस गोपनीयता का उल्लंघन होता हो। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई उसे व्यक्ति इस संबंध में कानून का उल्लंघन करता है, इसे अधिकतम 3 माह का कारावास जा सकता है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128)।

16.21.2. मतगणना शुरु होने से पहले रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त उल्लिखित धारा 128 के प्रावधान की सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी उनकी ओर से और अनुपालन हेतु पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा।

16.22. मतगणना जारी रखी जाए

16.22.1. जहाँ तक व्यवहार्य हो, मतगणना तब तक जारी रखी जाए जब तक यह पूरी न हो जाए।

16.23. पहले डाक मतपत्रों की गणना करना

मतगणना वाले दिन, डाक मतपत्रों की मतगणना पहले की जाएगी और 30 मिनट के अंतराल के बाद, ईवीएम की मतगणना भी आरंभ की जा सकती है। डाक मतपत्रों की मतगणना के लिए एक अलग मेज होगी और उसके लिए अलग व्यवस्था होगी। प्रत्येक 500 डाक मतपत्रों के लिए, मतगणना के लिए अतिरिक्त मेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी अपनी मेज पर डाक मतपत्रों की मतगणना के लिए जिम्मेदार होगा। डाक मतपत्रों की मतगणना संभालने के लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित किया जाएगा। प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्रों की मतगणना के साथ-साथ ईवीएम मतगणना की प्रगति पर निरंतर नज़र रखेंगे। अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक अलग मतगणना अभिकर्ता नामित करने के लिए कहा जाएगा और वह मेज के समीप उपस्थित रहेगा, जहाँ डाक मतपत्रों की मतगणना का कार्य चल रहा होगा।

(क) सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक द्वारा प्राप्त मतों (ईटीपीबी) की गणना

16.23.1. ईटीपीबी की गणना, अन्य डाक मतपत्रों के मामले की भांति रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर की जाएगी। केवल उन डाक मत-पत्रों की गणना जाएगी जो मतगणना शुरू करने के लिये नियत समय से पूर्व प्राप्त होते हैं।

16.23.2. प्रथम चरण: प्ररूप 13ग खोलना (बाहरी आवरण): समय में प्राप्त प्ररूप 13ग के लिफाफों को सत्यापित कर एक-एक करके खोला जाना चाहिये। बाहरी लिफाफे पर क्यूआर कोड को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से स्कैन किया जायेगा तथा क्यूआर कोड रीडर तथा आवश्यक वैधता जाँच की जायेगी। बाहरी लिफाफे की वैधता जाँचने के पश्चात कम्प्यूटर एक विशिष्ट क्रमांक देगा। यह क्रमांक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मैनुअल रूप से सत्यापित किए जा रहे लिफाफे पर अंकित किया जाएगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्राप्त मतपत्रों की सूची में किसी भी संभावित डुप्लिकेट मतों के लिये क्यूआर कोड में प्रविष्टि की जाँच करेगा और ऐसे मामलों पर चेतावनी लगाएगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उन क्रमांकों की सूची भी प्रदान करेगा जो गणना किए जा रहे सभी डाक मत पत्रों के डुप्लिकेट हों। रिटर्निंग अधिकारी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा इंगित ऐसे सभी डुप्लिकेट लिफाफों का पता लगाएगा और उन्हें भौतिक रूप से एक साथ रखेगा और ऐसे सभी डुप्लिकेट/एकाधिक मतों को अमान्य कर देगा। अमान्य घोषित ऐसे सभी लिफाफे आगे कार्रवाई के लिये खोले नहीं जाएगें और उन्हें अलग रखा जाएगा तथा भविष्य के संदर्भ के लिये अलग संरक्षित किया जायेगा। ऐसे डुप्लिकेट डाक मतपत्रों की संख्या रजिस्टर में चिह्नित की जायेगी। आवरण 'ख' (प्ररूप 13 ग) खोलने पर भीतर दो दस्तावेज पाए जाने अपेक्षित होते हैं। प्रथम दस्तावेज प्ररूप-13क में मतदाता द्वारा घोषणा होती है तथा दूसरा भीतरी आवरण अर्थात प्ररूप 13ख में डाक मत-पत्र होता है। जैसे ही प्रत्येक आवरण खोला जाता है, रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 13क में घोषणा तथा प्ररूप-ख में आवरण निकालना चाहिए तथा इन्हें स्कैन और सत्यापित करके इसकी घोषणा की संवीक्षा करनी चाहिए।

16.23.3. जिसमें डाक मत-पत्र वाला प्ररूप 13ख में आवरण, खोलने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 13क में घोषणा की जाँच अवश्य ही कर लेनी चाहिए और प्ररूप 13ख को खोलने एवं उसकी गणना करने के पूर्व ऐसे सभी प्ररूप 13क को अलग रखना चाहिए और सील करना चाहिए। प्रारूप 13ख भीतरी आवरण खोले बगैर रिटर्निंग अधिकारी डाकमत पत्र को अस्वीकार कर देंगे यदि:

- प्ररूप 13क में घोषणा आवरण में नहीं पाई जाती है अथवा
- प्ररूप 13क में घोषणा में इलेक्ट्रानिक डाक मतपत्र पहचान संख्या (ई-पीबीआईडी) जारी ई-पीबीआईडी से मेल नहीं खाती हो।

- घोषणा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई हो अथवा सत्यापित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न की गई हो अथवा घोषणा में दर्शाये डाक मत का ई-पीबीआईडी प्ररूप 13ख के कवर पर ई-पीबीआईडी से अलग है।

16.23.4. ऐसे प्रत्येक अस्वीकृत आवरण को उपयुक्त तरीके से अस्वीकृत अंकित किया जाना चाहिए और घोषणा तथा आवरण को प्ररूप 13-ग (बाहरी लिफाफे) के आवरण में पुनः लगा दिया जाना चाहिए। प्ररूप 13-ग के ऐसे सभी आवरण सम्यक रूप से सीलबंद करके एक अलग पैकेट में एक साथ रखे जाने चाहिए तथा पूर्ण जानकारी जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख तथा सामग्री का संक्षिप्त ब्यौरा हेतु ऊपर लिख दिया जाना चाहिए ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। प्ररूप 13क में सभी घोषणाएं जो सही पाई गई हैं तत्पश्चात् अलग पैकेट में गणना हेतु रखी जानी चाहिए।

16.23.5. मतगणना को आगे बढ़ाने के लिए डाक मतपत्र की गणना के सभी निर्देश लागू होंगे।

16.23.6. क्यूआर कोड को बिना चूक बिना क्रमबद्ध तरीके से स्कैन करना चाहिये। प्ररूप 13ग को पहले स्कैन करना चाहिये, उसके पश्चात पहले प्ररूप 13क का क्यूआर कोड उसके बाद प्ररूप 13ख स्कैन करना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में क्यूआर कोड की स्कैनिंग का क्रम नहीं बदलना चाहिये।

(ख) **डाक मत पत्रों की गणना**

16.23.7. किसी मतदाता से प्राप्त प्रत्येक डाक मत-पत्र को प्ररूप 13-ख में अंदरूनी आवरण में रखा जाएगा। इस आवरण में प्ररूप 13-क में निर्वाचक के घोषणापत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित प्ररूप 13-ग में एक और बड़े आवरण में रखा जाएगा।

16.23.8. रिटर्निंग अधिकारी मत-पत्र वाले प्ररूप 13-ग में ऐसे किसी आवरण को नहीं खोलेगा जो उसे देरी से प्राप्त हुआ हो, अर्थात् जो मतगणना शुरु होने के निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुआ हो। वह इस उद्देश्य से प्ररूप 13-ग के आवरण पर उपयुक्त टिप्पणी देगा। इन आवरणों में रखे मतों की गणना नहीं की जाएगी। वह ऐसे लिफाफों का एक पैकेट बनाएगा और उस पैकेट को सील कर देगा।

16.23.9. डाक मतपत्र वाले प्ररूप 13ग के सभी आवरण, जो रिटर्निंग अधिकारी को समय पर प्राप्त हुए थे, को एक-एक करके खोले जाएंगे। प्ररूप 13क में अभ्यर्थी की घोषणा प्ररूप 13ग के प्रत्येक आवरण के अंदर मिलेगा। प्ररूप 13ख जिसमें उचित रूप से डाक मतपत्र को रखा गया है, के किसी भी आंतरिक आवरण को खोलने के पहले रिटर्निंग अधिकारी (प्ररूप 13क) घोषणा की जाँच करेगा। वह निम्न किसी भी मामलों में (प्ररूप 13ख) इसकी आंतरिक आवरण खोले बिना अस्वीकार कर सकता हैः

(क) यदि प्ररूप 13क की घोषणा प्ररूप 13ग में आवरण में नहीं पायी गयी हो;

(ख) यदि घोषणा निर्वाचक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नहीं हो अथवा इसे सक्षम अधिकारी के द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित नहीं किया गया हो अथवा घोषणा काफी दोषपूर्ण हो तो;

कृपया ध्यान दें: यह ध्यान रखा जाए कि ऐसा नियमानुसार यह आवश्यक नहीं है कि घोषणा का सत्यापन करने वाला अधिकारी उस पर अपनी मोहर लगाए, और इसलिए, यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी की पहचान प्ररूप में प्रस्तुत उसके पदनाम, पते इत्यादि से अन्यथा ज्ञात हो, तो इस आधार पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

(ग) यदि घोषणा पत्र में दर्शाये डाक मतपत्र का क्रमांक प्ररूप 13ख के आंतरिक आवरण पर दिये गये क्रमांक से भिन्न हो।

16.23.10. प्ररूप 13ख में अस्वीकृत सभी आवरण जिनमें डाक मत पत्र हैं को रिटर्निंग अधिकारी उचित पृष्ठांकन कर संबंधित घोषणा के साथ बड़े आवरण प्ररूप 13ग में रखेंगे। इस तरह के सभी बड़े आवरण अन्य अलग पैकेट में रखा जाएगा जिसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील किया जाएगा और उस पर पूर्ण जानकारी जैसे निवार्चन क्षेत्र, गणना की तारीख, सामग्री का संक्षिप्त विवरण आदि लिखा जाएगा जिससे पैकेट की पहचान हो सके।

16.23.11. इसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप 13ख में शेष आवरणों अर्थात् उपरोक्त अनुसार अस्वीकृत आवरणों को छोड़कर कार्रवाई करेंगे। इस उद्देश्य से कि डाक मतपत्रों की गोपनीयता भंग होने का कोई मामला न हो प्ररूप 13क में सभी घोषणा जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जाँच के बाद सही पाये जाने पर पहले उन्हें अलग पैकेट मे रखा जाएगा और सील कर दिया जाएगा। पहचान के ब्यौरे को पैकेट पर लिखा जाएगा। यह आवश्यक है कि प्ररूप 13ख के आवरण के मतपत्रों को पैकेट से बाहर निकालने के पूर्व इन घोषणाओं को मुहरबंद पैकेट में रख दिया जाये, चूंकि घोषणा-पत्रों में मतदाता के नाम तथा उनके डाक मत पत्र के क्रमांक होते हैं।

16.23.12. उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी एक-एक करके प्ररूप 13ख के आवरण को खोलेंगे तथा उनमें रखे डाक मत पत्रों को निकालेंगे। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक मत पत्र की जाँच कर उसकी वैधता का निर्णय लेंगे।

16.23.13. कोई डाक मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा:

(क) यदि उस पर कोई मत दर्ज नहीं है; अथवा

(ख) यदि इस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिए गए हैं; अथवा

(ग) यदि एक जाली मतपत्र है; अथवा

(घ) यदि इस प्रकार क्षतिग्रस्त या मुड़ा-तुड़ा है कि वास्तविक मत-पत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; अथवा

(ङ) यदि इस रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसके साथ निर्वाचक को भेजे गये आवरण में वापिस न किया गया हो; अथवा

(च) यदि मत को इंगित करने वाला चिह्न मतपत्र पर इस तरीके लगाया गया है कि यह सम्झना संदेहात्मक हो गया है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है; अथवा

(छ) इसमें ऐसा चिह्न या लेखन है जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है।

16.23.14. विधि द्वारा किसी डाक मतपत्र पर अपना मत इंगित करने के लिए मतदाता द्वारा कोई विशिष्ट चिह्न लगाया जाना अपेक्षित नहीं है। किसी भी चिह्न को तब तक विधिमान्य स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि इसे मत पत्र पर इस प्रकार अंकित एवं दर्ज किया गया हो कि किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए मतदाता द्वारा मत देने की मंशा स्पष्टतया किसी उचित संदेह से परे हो। इस प्रकार, उस अभ्यर्थी को आवंटित स्थान में कही भी चिह्न लगाने को संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत समझा जाएगा। डाक मतपत्र पर दर्ज किया गया मत भी केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि मत को इंगित करने वाला चिह्न विशिष्ट नहीं है अथवा इस एक ही अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि आशय यह है कि मत किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए होना चाहिए, जो मतपत्र का अंकित करने से साफ पता चले।

16.23.15. तत्पश्चात्, वैध मतों की गणना की जाएगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के खाते में उसे दिए गए मतों को जमा किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल डाक मतों की गणना की जाएगी, इसे प्ररूप 20 में परिणाम - पत्र में प्रविष्ट किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता की सूचना के लिए इसकी घोषणा की जाएगी।

16.23.16. तत्पश्चात् सभी विधिमान्य मतपत्रों तथा सभी अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग बण्डल में बांध दिया जाएगा तथा एक पैकेट में साथ रखा जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी की मुहर तथा ऐसे अभ्यर्थियों उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं (किसी एक अभ्यर्थी के संबंध में दो से अधिक नहीं) अथवा मतगणना अभिकर्ता उनकी मुहर, यदि वे लगाने के इच्छुक हों, से सील कर दिया जाएगा।

16.23.17. किसी भी परिस्थिति में डाक मतपत्रों की गणना को अंतिम रूप देने से पहले ईवीएम गणना के सभी दौर के परिणाम घोषित नहीं किए जाने चाहिए।

16.23.18. यदि केवल डाक मतपत्रों की संख्या से जीत का निर्धारण हो रहा हो तो सभी मतपत्रों का अनिवार्य रूप से पुनर्सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रेक्षक तथा रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में अविधिमान्य के रूप में अस्वीकृत सभी डाक मतपत्रों तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में गिने गए मतों का एक बार फिर सत्यापन किया जाएगा तथा उन्हें मिलाया जाएगा। प्रेक्षक तथा रिटर्निंग अधिकारी पुनर्सत्यापन के निष्कार्षो को दर्ज करेंगे तथा परिणाम को अंतिम रूप देने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करेंगे।

16.23.19. जब भी इस तरह का पुनर्सत्यापन/पुन: गणना की जाती है, तो मत की गोपनीयता के साथ समझौता किए बगैर समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए तथा वीडियो कैसेट/सीडी को भविष्य के संदर्भ हेतु एक अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाना चाहिए।

16.24. मतदान केन्द्रों पर डाले गए मतों की गणना

16.24.1. चूंकि डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर की जाती है, मतदान केन्द्रों पर ईवीएम के माध्यम से दर्ज मतों की गणना भी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतगणना हॉल में उपलब्ध अन्य मेजों पर की जाएगी। इस उद्देश्यार्थ, मतदान केन्द्रों से प्राप्त ईवीएम की कंट्रोल यूनिटों को विभिन्न मतगणना मेजों पर वितरित कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत मतदान केन्द्र सं. 1 की ईवीएम की कंट्रोल यूनिट का मेज संख्या 1 को देकर की जाएगी, इसी प्रकार मतदान केन्द्र सं. 2 की ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मेज संख्या 2 को दी जाएगी और यह क्रम आगे इसी तरह चलेगा। प्रत्येक मतगणना मेज पर, एक बार में एक मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों गणना की जाएगी। इस प्रकार, पहले दौर की गणना में विभिन्न, जितने मतदान केन्द्र होंगे उतनी ही मेजों पर से एक-साथ गणना की जाएगी। मतगणना आवश्यकतानुसार दौरे में की जाएगी और पूरी की जाएगी जिसके लिए मतगणना मेजों और मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार मतगणना में ही होगी। अगले दौर के लिए कंट्रोल यूनिट मतगणना मेजों पर नहीं लाई जाएंगी जब तक कि पिछले दौर की मतगणना पूरी न हो जाए। एक-साथ निर्वाचनों के मामले में, मतगणना मेज की कुल संख्या दो समूहों में बराबर-बराबर बांटी जाएगी। पहला समूह विधानसभा निर्वाचन के लिए होगा और दूसरा समूह संसदीय निर्वाचन के लिए। उदाहरण के लिए, यदि मतगणना मेज की कुल संख्या 14 (चौदह) हो, तो पहले दौर की मतगणना में, मतदान केन्द्र नम्बर 1 में प्रयुक्त विधानसभा निर्वाचन की कंट्रोल यूनिट मेज संख्या 1 को दी जानी चाहिए और लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र संख्या 1 में प्रयुक्त लोकसभा निर्वाचन की कंट्रोल यूनिट अर्थात् लोक सभा निर्वाचन के लिए मतों की गणना पहली मेज पर और मतदान केन्द्र संख्या 2 पर प्रयुक्त विधानसभा निर्वाचन की कन्ट्रोल यूनिट मेज संख्या 2 दी जानी चाहिए और मतदान केन्द्र संख्या 2 पर लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिट मेज संख्या 9 पर दी जानी चाहिए, अर्थात् इस प्रकार लोकसभा निर्वाचन की मतगणना के लिए दूसरी मेज को दी जाएगी और यह क्रम इसी तरह आगे चलेगा। गणना अभिकर्ता को उक्त आबंटन का विवरण अपनी जानकारी हेतु अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोकसभा एवं विधान सभा के साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए मतगणना की स्थिति में मतगणना का अगला दौर तभी शुरू किया जाएगा जब विधान सभा तथा संसदीय दोनों के निर्वाचनों के

संबंध में पूर्ववर्ती दौर में मतगणना पूरी कर ली गई हो तथा पूरे किए गए उस दौर में शामिल मतदान केन्द्रों में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों को मतगणना मेजों से हटा लिया गया हो।

16.24.2. मतगणना के समय, केवल मतदान विशेष केन्द्र पर प्रयुक्त मशीन की कन्ट्रोल यूनिट उस मतदान के परिणाम का पता लगाने के लिए अपेक्षित है। बैलेट यूनिटों को स्ट्रांग रूम में रखा जाना होता है।

16.24.3. किसी मतदान केन्द्र से संबंधित प्ररूप 17ग में दर्ज मतों का संगत ब्यौरे की मतगणना मेज पर दिया जाएगा।

16.24.4. प्रत्येक दौर के समाप्त होने पर, संबंधित दौर की जिन कंट्रोल यूनिट की मतगणना हो चुकी हो, प्रेक्षक द्वारा उनमें से यादृच्छिक किन्हीं दो ईवीएम कंट्रोल यूनिट को चुन लिया जाएगा। तत्पश्चात् वह इस उद्देश्यार्थ यादृच्छिक चयन के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेषतया नियुक्त मतगणना स्टाफ को निर्देश देगा कि वे चुनी गई कंट्रोल यूनिट्स से, जैसा मशीन द्वारा दर्शाया गया हो, डाले गए मतों का विवरण नोट करें। तब वह इस विवरण का मिलान इस दृष्टि से अधिकारियों द्वारा मेज-वार उपलब्ध कराए गए परिणाम से करेगा कि दोनों के बीच कहीं कोई विसंगति तो नहीं है। यह सावधानी बरती जानी होगी कि यादृच्छिक जाँच के लिए जिस स्टाफ को विवरण सौंपे गए हों उन्हें मेज-वार परिणाम में दिए गए विवरण की जानकारी नहीं हो।

16.24.5. प्रत्येक मतगणना मेज के लिए एक मतगणना प्रेक्षक और एक मतगणना सहायक के अलावा, प्रत्येक 14 मतगणना मेजों पर एक-एक अतिरिक्त स्टाफ बैठेगा। यह अतिरिक्त स्टाफ अनिवार्यत: एक केन्द्र सरकारी/केन्द्र सरकार के पीएसयू का कोई कर्मचारी होगा। इस अतिरिक्त स्टाफ को पूर्व मुद्रित विवरण दिया जाएगा जिस पर सी.यू. संख्या, दौर संख्या, मेज संख्या, मतदान केन्द्र संख्या नोट करने के लिए स्थान होगा और उसके बाद निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों के नाम और नोटा के लिए पैनल नोट किया जाएगा, जैसा बैलेट पेपर में दिया गया है। वे विवरण के अंत में अपने हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक दौर के बाद उस विवरण को प्रेक्षक को सौंपेगे।

16.24.6. जहाँ कहीं केन्द्र सरकार का पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ मण्डल आयुक्त द्वारा मंडल के भीतर पड़ोसी जिलों से अपेक्षित संख्या में स्टाफ जुटा कर इस कमी को दूर किया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को उपर्युक्त के अनुसार, मतगणना केन्द्र पर तैनात किए जाने से पूर्व उन्हें संक्षिप्त अनुकूलन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त स्टाफ को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक पहचान-पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे अतिरिक्त स्टाफ की निर्वाचन-क्षेत्रवार तथा तदुपरांत मेजवार तैनाती भी प्रेक्षक द्वारा यादृच्छिक रूप से की जाएगी।

16.25. कंट्रोल यूनिटों के वहन बक्सों को खोलना

16.25.1. जैसे ही कंट्रोल यूनिट के प्रत्येक वहन बक्सों को मतगणना मेज तक लाया जाता है, मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर लगाई गई सील की जाँच की जाएगी। यदि किसी मामले में वहन बक्सों की सील ठीक नहीं की है, परन्तु यदि उस पर सील, और विशेषकर ग्रीन पेपर सील लगी हो, तो उसमें रखी कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकी होगी। तब वहन बक्सों को खोला जाएगा और और कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाला जाएगा और मतगणना मेज पर मौजूद अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी निरीक्षण तथा सीलों के जाँच के लिए उसे मतगणना मेज पर रखा जाएगा।

16.26. कंट्रोल यूनिट पर मुहर की जाँच करना

16.26.1. किसी भी मतदान मशीन की किसी भी कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गणना से पूर्व मतगणना मेज पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को आउटर स्ट्रिप सील, विशेष टैग, पेपर सील तथा ऐसी अन्य महत्वपूर्ण सील जो वहन बक्से तथा कंट्रोल यूनिट पर लगाई गई हों की जांच, तथा यहां कि सील अक्षुष्ण है और कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, के इस संबंध में स्वयं को भी संतुष्ट करने की अनुमति होगी। यदि किसी कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ की गई पाई जाती है, तो उस मशीन में दर्ज मतों की गणना नहीं की जाएगी तथा और इस मामले की रिपोर्ट आयोग को उसके अनुदेशों की जाएगी।

16.27. कंट्रोल यूनिट पर मुहर तथा पहचान चिह्नों की जाँच करना

16.27.1. जैसे ही प्रत्येक कंट्रोल यूनिट को वहन बक्से से निकाला जाएगा इसकी क्रम संख्या की जाँच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वहीं कंट्रोल यूनिट है जिसकी मतदान केन्द्र पर प्रयोग हेतु आपूर्ति की गई थी। तत्पचात् मतदान केन्द्र पर मशीन की आपूर्ति से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई कैंडिडेट सेट सेक्शन' पर सील के बाहरी आवरण पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई गई सील की जाँच की जाएगी। चाहे इनमें से कोई मुहर अक्षुण्ण नहीं भी हो, कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकी होगी यदि परिणाम खण्ड के भीतरी आवरण पर लगे ग्रीन पेपर सील अक्षुण्ण होगी।

16.28. कागज मुहर की क्रम संख्या का मिलान

16.28.1. रिजल्ट सेक्शन का बाहरी आवरण खोले जाने पर, पीठासीन अधिकारी की सील के साथ सील किया गया अंदरूनी आवरण दिखाई देगा। यदि यह सील भी सही नहीं मिलती है, तो कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकी होगी, जब ग्रीन पेपर सील सही लगी हो और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी आवरण पर ग्रीन पेपर सील लगी होगी (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा 2006 से पूर्व निर्मित मशीनों के मामले में दो ग्रीन पेपर सील)। ग्रीन पेपर सील इस प्रकार लगाई जाएगी कि सील को दो खुले सिरे अंदरूनी कम्पार्टमेंट की तरफ से

बाहर दिखाई देंगे, जिसमें रिजल्ट बटन लगे होते हैं। पेपर सील के ऐसे एक खुले सिरे पर उस सील की मुद्रित क्रम संख्या होगी। पेपर सील पर उक्त क्रम संख्या का जैसा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 17-ग के भाग-1 की मद 9 में तैयार पेपर सील लेखा में दी गई क्रम संख्या से मिलान किया जाएगा। मतगणना मेज पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ता को पेपर सील की उक्त क्रम संख्या का पेपर सील से मिलान करने और यह संतुष्ट कर लेने की अनुमति दी जाएगी कि पेपर सील वही है जो मतदान शुरु होने से पहले मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई गई थी।

16.28.2. यदि कंट्रोल यूनिट में वास्तविक रूप से प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या पेपर सील लेखा में पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्शाई गई क्रम संख्या से मेल नहीं खाती है, तो ऐसा हो सकता है कि पेपर सील लेखा में लिखित त्रुटि की हो अथवा प्रथम दृष्टया यह संदेश होगा कि मतदान मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्याओं की जाँच करके इस क्षेत्र का समाधान करेगा। यदि उसे लगता है कि लिखित में गलती हुई है, तो वह विसंगति को नज़र अंदाज करेगा।

16.29. कंट्रोल यूनिटों के साथ छेड़छाड़ पाए जाने पर इन्हें अलग रखा जाना

16.29.1. दूसरी ओर, यदि रिटर्निंग अधिकारी संतुष्ट हैं कि मतदान मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, या यह वह मशीन नहीं है जिसकी आपूर्ति उस मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल हेतु की गई थी तो इस मशीन को अलग रख दिया जाना चाहिए तथा उसमें दर्ज मतों की गणना नहीं की जानी चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी को मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देनी चाहिए। विधि के अधीन, यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई भी मतदान मशीन पाई गई है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो पूरी मतगणना स्थगित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए, रिटर्निंग अधिकारी को अन्य मतदान केन्द्रों के संबंध में मतगणना जारी रखनी चाहिए।

16.30. परिणाम सुनिश्चित करना

16.30.1. यह संतुष्ट कर लेने के बाद कि पेपर सील अक्षुण्ण है, कंट्रोल यूनिट वही है जो मतदान केन्द्र को सप्लाई की गई थी और यह कि उससे कोई छेड़छाड़ नही की गई है, तो उसमें दर्ज किए गए मतों की गणना जाएगी। इस उद्देश्य से, मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i. कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में दिए गए पावर स्विच को 'ऑन' स्थिति में रखा जाएगा। तब कंट्रोल यूनिट के डिस्पले सेक्शन में 'ऑन' लैम्प हरे रंग में चमकेगा।

ii. रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक आवरण के ऊपरी छेद के नीचे दिए गए 'रिजल्ट' बटन पर पेपर सील को तोड़ा जाएगा।

iii. तब 'रिजल्ट' बटन दबाया जाएगा।

iv. 'रिजल्ट' बटन इस प्रकार दबाए जाने पर, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी और नोटा के लिए दर्ज मतों की कुल संख्या कंट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी।

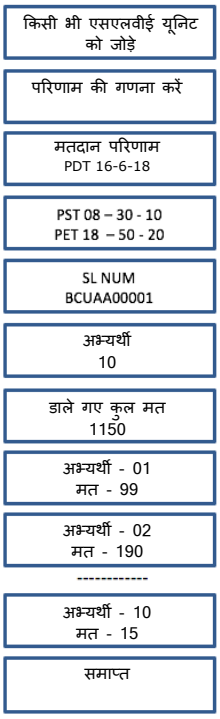

v. जैसा क्रम में अभ्यर्थी-वार ऊपर परिणाम दिखाई देगा उसे प्रेक्षक द्वारा प्ररूप 17-ग के भाग-II, मतगणना का परिणाम' में नोट किया जाएगा।

16.30.2. अपेक्षित होने पर, रिजल्ट बटन दोबारा दबाया जा सकता है ताकि अभ्यर्थी और/या इनके अभिकर्ता उपरोक्त परिणाम नोट कर सकें।

16.30.3. परिणाम नोट कर लेने के बाद, रिजल्ट सेक्शन के आवरण बंद कर दिया जाएगा और कंट्रोल यूनिट स्विच ऑफ कर दी जाएगी।

16.30.4. आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि प्रत्येक मतगणना दौर के दौरान, मतगणना पर्यवेक्षक सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर परिणाम बटन दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं को उनकी संतुष्टि के लिए कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखाया जाता है ताकि वे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर यथा प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मतों को नोट कर सकें। इस प्रयोजनार्थ, कंट्रोल यूनिट को आवश्यक होने पर एक मतगणना सहायक द्वारा इस तरीके से तथा इस स्थिति में उठा हुआ रखा जा सकता है कि डिस्पले पैनल मतगणना मेज पर बैठे मतगणना पर्यवेक्षक दूसरे मतगणना सहायक तथा सूक्ष्म प्रेक्षक तथा तार की जाली/चारदीवारी के पार बैठे हुए अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं को साफ-साफ दिखाई दे सके। यदि किसी

मतगणना अभिकर्ता की इच्छा परिणाम को ईवीएम पर एक से अधिक बार दिखाए जाने की हो तो ऐसा मतगणना प्रेक्षक द्वारा मतगणना अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिए किया जाएगा।

16.30.5. परिणामों की घोषणा के पश्चात् कोई भी अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता रिटर्निंग अधिकारी को मुद्रित वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना के लिये किसी या सभी मतदान केन्द्रों हेतु लिखित आवेदन दे सकते हैं। यदि ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होता है तो रिटर्निंग अधिकारी स्पष्ट आदेश देंगे कि वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना की जाए या नहीं। यदि रिटर्निंग अधिकारी किसी या सभी मतदान केन्द्रों की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करने की अनुमति देते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी के इस निर्णय को कारण देते हुए लिखित में रिकार्ड करना होगा। रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित को उचित महत्व देगाः

1. क्या उस मतदान केन्द्र में डाले गये मतों की कुल संख्या जीतने वाले और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के बीच मतों के अंतर से अधिक या कम है।

2. क्या उस मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान ईवीएम में कोई गड़बड़ी आई थी और उसे बदला गया था।

3. क्या मतदान के दौरान उस मतदान केन्द्र में वीवीपीएटी की पर्ची न निकलने की कोई शिकायत थी या नियम 49दक के तहत किसी मतदाता ने कोई शिकायत की थी।

16.30.6. यदि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतदान केन्द्र (केन्द्रों) में मतों की पुनः गणना की अपील पर किसी भी मतदान केन्द्र की मुद्रित पेपर पर्चियों की मतगणना का निश्चय करते हैं तो निम्न प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

- **चरण** 1:

1. वीवीपीएटी के ड्राप बॉक्स से निकाली गईं वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को रखने के लिये लगभग 1400 मुद्रित पेपर पर्चियों को आसानी से रखने के लिये 14 इंच X 10 इंच X 5 इंच (लंबाई X चौड़ाई X ऊँचाई) माप के ढक्कन के साथ पर्याप्त आकार का कंटेनर वीसीबी की मेज पर रखा जाएगा। यह कंटेनर मजबूत पारदर्शी सामग्री जैसे प्लास्टिक आदि से बना होना चाहिए।

2. संबंधित अभ्यर्थियों की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को रखने के लिये नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार खाने वाला ढांचा पहले से तैयार किया जाएगा जिसमें वीवीपीएटी के स्वतः परीक्षण पर्चियां रखने के लिये एक अतिरिक्त खाना होगा और इस वीसीबी के मेज पर रखा जायेगा। इस ढांचे में खानों की संख्या अवश्य रूप से कम से कम अभ्यर्थियों की संख्या होने के अलावा 2 और खाने के बराबर होना चाहिये। प्रत्येक खाना कम से कम 6 इंच X 4 इंच X इंच का होना चाहिये। यह खाने युक्त ढांचा मजबूत पारदर्शी सामग्री जैसे प्लास्टिक का होना चाहिये जिसका आधार स्थिर होना चाहिये जिससे

कोई वीवीपीएटी पेपर नीचे की ओर न निकल सके। बैलट पेपर के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का चिह्न अभ्यर्थी विशेष को आवंटित खाने की दीवार पर चिपका देना चाहिये। यह चिह्न 4 इंच X 3 इंच आकार के सादे कागज पर काले और सफेद रंग में मुद्रित करवाना होगा।

3. 25 वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के बण्डल बनाने हेतु कम से कम 100 रबर बैंड।

- **चरण 2:**

1. संबंधित मतदान केन्द्र(द्रों) की वीवीपीएटी यूनिट(टों) को वीसीबी में एक-एक करके लाया जाना चाहिये, जैसा भी मामला हो।

2. यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान कोई वीवीपीएटी यूनिट बदली गयी हो, तो उस मतदान केन्द्र में प्रयुक्त सभी वीवीपीएटी यूनिट वीसीबी पर लाई जानी चाहिये।

- **चरण 3**:

1. किसी मतदान केन्द्र में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की मतगणना शुरु करने से पहले उस मतदान केन्द्र में प्रयुक्त सभी वीवीपीएटी से मुद्रित पेपर पर्चियाँ निकाल ली जाएंगी।

2. ड्रॉप बॉक्स में से वीवीपीएटी पेपर पर्चियाँ निकालने के पूर्व ड्रॉप बॉक्स का एड्रैस टैग की इस दृष्टि से दोबारा जाँच की जाएगी कि वह वीवीपीएटी उसी मतदान केन्द्र की है।

3. चरण 1 (1) के विनिर्देशन के अनुसार वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई वीवीपीएटी पेपर पर्ची को कंटेनर में रखा जायेगा।

4. ड्रॉप बॉक्स से वीवीपीएटी पेपर पर्चियाँ निकालने के पश्चात मतगणना पर्यवेक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वीवीपीएटी पेपर पर्ची ड्राप बॉक्स में नहीं है, तत्पश्चात् खाली ड्राप बॉक्स उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाएंगे।

5. यदि कोई वीवीपीएटी यूनिट बदली गयी है तो ऐसा हो सकता है कि बिना अलग हुए पूरी वीवीपीएटी पेपर पर्ची यह उसका थोड़ा भाग रही हो और यह अलग होकर ड्रॉप बॉक्स में न गिरी हो तथा अभी भी पेपर रोल से लगी हो। अलग नहीं हुई इस वीवीपीएटी पेपर पर्ची को फाड़ना या गिनना नहीं चाहिये क्योंकि यह मत कंट्रोल यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज होता है जब तक वीवीपीएटी पेपर पर्ची अलग न हुई हो। इस स्थिति में जिस अंतिम मतदाता की वीवीपीएटी पेपर पर्ची अलग नहीं हुई थी उसे वीवीपीएटी बदलने के पश्चात मतदान करने का अवसर दिया गया होता है तथा उसके द्वारा डाले गए मत की वीवीपीएटी पेपर पर्ची उस मतदान केन्द्र में प्रयुक्त अगली वीवीपीएटी में होगी।

6. वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट की पर्चियां भी होंगी। उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें अभ्यर्थी न तो चुनाव चिह्न होता है न ही नाम होता है। इन सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट पर्चियों को वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के साथ रिकार्ड के लिये सुरक्षित रखा जाना होता है परंतु इनकी गणना नहीं की जानी है।

- **चरण 4**:

1. गणना अभिकर्ताओं को प्रत्येक पर्ची दिखाने के पश्चात, वीवीपीएटी पेपर पर्ची को एक-एक करके अलग कर दिया जाना चाहिए तथा उन्हें संबंधित खाने में रखा जाना चाहिए। स्व-परीक्षण रिपोर्ट वाली पेपर पर्चियों को भी अलग किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए रखे गए खाने में डाला जाएगा।

2. संबंधित अभ्यर्थियों के 25 वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के बंडल गणना के उद्देश्य से तैयार किए जाएंगे।

3. स्टाफ द्वारा वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना की जायेगी।

4. सभी वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना का परिणाम निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा और इस प्ररूप 17-ग के भाग-II के साथ संलग्न किया जाएगा।

5. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ(ख) के अनुसार वीवीपीएटी पेपर पर्ची का परिणाम मतगणना हॉल में साफ आवाज में घोषित किया जायेगा; यदि ईवीएम मतों की संख्या तथा पेपर पर्ची की संख्या में कोई विसंगति हो तो, पेपर पर्ची की संख्या को माना जाएगा। अतः उस मतदान केन्द्र में यदि कन्ट्रोल यूनिट में दर्शाये गये मतों की संख्या तथा मुद्रित पेपर पर्ची की संख्या में कोई विसंगति हो, तो मुद्रित पेपर पर्ची के अनुसार परिणाम शीट में संशोधन किया जाएगा।

- **चरण 5:**

1. वीवीपीएटी पेपर पर्ची की गणना पूरी होने के पश्चात् सभी वीवीपीएटी पेपर पर्ची के बंडलों को वापस संबंधित वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में रख दिया जायेगा तथा एड्रैस टैग से ड्रॉप बॉक्स के दरवाजे को सील बंद कर दिया जायेगा।

2. अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)/उनके अभिकर्ताओं को भी एड्रैस टैग पर अपने दल के संक्षिप्त नाम के साथ अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएं।

16.30.7. वे मतदान केन्द्र जिनकी वीवीपीएटी पेपर पर्ची की मतगणना कन्ट्रोल यूनिट के निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ) के तहत गणना पहले ही की जा चुकी है उन्हें भी यादृच्छिकरण हेतु सम्मिलित करना चाहिये या नहीं: इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि:

1. यदि मतदान केंद्रो जहाँ एक से अधिक वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था, के संबंध में वीवीपीएटी की पेपर पर्ची के मतों की गणना किया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसे मामलों में प्रत्येक वीवीपीएटी की पेपर पर्ची की एक-एक करके अलग से गणना करनी होगी तथा प्रत्येक वीवीपीएटी का परिणाम प्ररूप 17ग के साथ संलग्न अनुलग्नक में पृथक रूप से दर्ज किया जायेगा। उसके बाद उस मतदान केन्द्र विशेष के सभी परिणामों को जोड़कर अंतिम परिणाम पत्र तैयार किया जाएगा और इसे प्ररूप 17ग के साथ भी लगाया जायेगा।

2. यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खण्ड के एक मतदान केद्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के लिये वे मतदान केन्द्र जिनके वीवीपीएटी पेपर पर्ची की कंट्रोल यूनिट से परिणाम न दिखने के कारण या निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ के तहत पहले ही गणना की जा चुकी है। उन मतदान केन्द्रों को यादृच्छिकरण के लिये शामिल नहीं किया जाएगा।

16.31. प्ररूप 17ग के "भाग-II मतगणना का परिणाम" को पूर्ण करना

16.31.1. जैसे कि प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा द्वारा प्राप्त मत कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होते हैं, मतगणना पर्यवेक्षक को प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में ऐसे मतों की संख्या को अलग-अलग प्ररूप 17ग के 'भाग-II - मतगणना का परिणाम' में दर्ज करना चाहिए। उसे प्ररूप 17ग के उक्त भाग-II में यह भी नोट करना चाहिए कि क्या उस भाग में यथा प्रदर्शित मतों की कुल संख्या उप प्ररूप के भाग-I की मद 6 के सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती है अथवा क्या दोनों के योग में कोई विसंगति देखी गई है। उस प्ररूप को हर प्रकार से पूरा करने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक को इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उसे इसे मतगणना मेज पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाना चाहिए।

16.31.2. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा के साथ प्ररूप 17-ग का भाग-II (मतगणना का परिणाम) पहले से पर्याप्त संख्या में मुद्रित करवाए जाएंगे। आयोग के निर्देश हैं कि प्ररूप 17-ग का भाग-II कार्बन पेपर के प्रयोग से दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा और दोनों प्रतियों पर मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्ररूप 17-ग के भाग-II की एक प्रति दौर-वार कुल मतों की गणना के मिलान के लिए रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी जाएगी। भाग-II की दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा प्रत्येक मेज से प्राप्त की जाएगी। वह उस प्रति की फोटोकॉपी करके संबंधित मतगणना मेजों पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं के रिकार्ड और सत्यापन हेतु उन्हें वितरित करेंगे। इन प्रतियों का वितरण पूरा होने तक मतगणना के अगले दौर की मतगणना शुरु करने की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य एक-साथ चल सकता है। अतः प्रत्येक मतगणना कक्ष में फोटोकॉपी करने की आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। द्वितीय मूल प्रति संबंधित मेज के मतगणना पर्यवेक्षक को लौटाई जानी चाहिए। वे ईवीएम मतगणना के प्रत्येक दौर की प्रति अपने पास रखेंगे और मतगणना के बाद, उन्हें एक लिफाफे में रखेंगे जिस पर "प्ररूप 17ग-भाग-II में मतगणना के परिणाम की डुप्लीकेट कॉपी" लिखा जाएगा, मेज संख्या, मतगणना के दौर की कुल संख्या तथा मतगणना पर्यवेक्षक का नाम लिखा

जाएगा तथा मतगणना पूरी हो जाने के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाएगा। इस पैकेट को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील किया जाएगा और उसे अन्य दस्तावेज के साथ अलग से रखा जाएगा।

16.31.3. आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि जब प्रत्येक मतदान बूथ (प्ररूप 17ग) का तालिकाबद्ध शीट रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर प्राप्त हो जाएगी तो यह रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह इसे रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर बैठे अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं/गणन अभिकर्ताओं को दिखाए ताकि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणामों को नोट कर सकें। रिटर्निंग अधिकारी को इस बाद की संतुष्टि हो जाने पर कि प्ररूप समुचित रूप से भर दिया गया है तथा यह सभी प्रकार से पूरा कर दिया गया है, इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस प्रकार से हस्ताक्षरित प्ररूप को उस अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए जो अंतिम रूप से तैयार परिणाम का संकलन कर रहा है तथा प्ररूप 20 में अंतिम परिणाम शीट तैयार कर रहा है।

16.31.4. इसके अतिरिक्त, रिटर्निंग अधिकारी को इस बात की प्रत्येक दौर के बाद यथा प्रविष्ट मतदान केन्द्रवार प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की प्रविष्टियां की घोषणा करनी चाहिए अथवा उन्हें न्यूनतम 6x9 फीट के आकार के डिस्प्ले बोर्ड पर लिखवाना चाहिए जो ऐसी जगह लगा हो कि प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से देख सकें तथा प्रविष्टियों को नोट कर सके/दोबारा जाँच कर सकें तथा वह सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के जरिए घोषणा करवाएं। इससे रिटर्निंग अधिकारी अन्य मतदान केन्द्रों पर मतों की गणना निर्बाध रूप करवा सकेंगे।

16.31.5. आयोग ने निदेश दिया है कि आगे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर यदि परिणाम प्रदर्शित न हो तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:-

1. यदि किसी कंट्रोल यूनिट पर परिणाम प्रदर्शित नहीं होता है, तो उसे वापस उसके वहन बक्सों के अंदर रखा जाना चाहिए और मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। अन्य मशीनों में मतों की गणना यथावत जारी रहनी चाहिए।

2. इन कन्ट्रोल यूनिटों से सहायक डिस्प्ले यूनिट या प्रिंटर से परिणाम प्राप्त नहीं किया जाएगा।

3. सभी कन्ट्रोल यूनिटों से मतों की गणना पूरी होने के पश्चात्, संबंधित वीवीपीएटी की मुद्रित पेपर पर्ची की आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना प्रक्रिया के अनुसार गणना की जायेगी।

4. इसके पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 नियम 56घ के तहत् वीवीपीएटी की मुद्रित पेपर पर्ची, यदि कोई हो, की मतगणना की जानी चाहिए।

16.31.6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना के संबंध में रिपोर्ट आयोग को भेजी जानी है।

16.32. अंतिम परिणाम-पत्र की तैयारी

16.32.1. अंतिम परिणाम संकलित करने तथा अंतिम परिणाम शीट को प्ररूप 20 **(परिशिष्ट 33)** में तैयार करने वाले प्रभारी अधिकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में पूर्णतया अनुरूप प्ररूप 17ग के 'भाग- II मतगणना के परिणाम' में की गई प्रविष्टियों के अनुसार मतदान केन्द्रवार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पर प्राप्त मतों को दर्शाते हुए उस प्ररूप में प्रविष्टियां करेंगे। नोटा के संबंध में ऐसे मतों की संख्या भी प्ररूप 17ग के भाग- II में अलग से दर्शाई जानी चाहिए। किसी मतदान केन्द्र में वीवीपीएटी के संबंध में परीक्षण मतों तथा डाले गये निविदत्त मतों, यदि कोई हो, की संख्या को भी संबंधित मतदान केन्द्र के संबंध में प्ररूप 20 में उपयुक्त कॉलम में लिखा जाना चाहिए।

16.32.2. प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में प्ररूप 20 में की गई ऐसी प्रविष्टियों को घोषित किया जाएगा ताकि अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में मतगणना के परिणाम नोट कर सकें। वैकल्पिक तौर पर, रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप 20 में की गई प्रविष्टियों को ब्लैकबोर्ड पर लिखवा सकते हैं। इससे मतगणना अभिकर्ता अन्य मतदान केन्द्रों के मतों की मतगणना निर्बाध रूप से कर सकते हैं।

16.33. एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन

16.33.1. ईवीएम में दर्ज वोटों की मतगणना के अंतिम दौर के समापन के बाद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ के प्रावधानों के अतिरिक्त यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र के वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के अनिर्वाय सत्यापन किया जायेगा। राज्य विधान सभा के साधारण एवं उपचुनाव के मामले में प्रत्येक विधान सभा के यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र के वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन किया जाएगा। लोक सभा के साधारण एवं उप चुनाव के मामले में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा खण्ड के याद्धच्छिक रूप से आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार चयनित एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन किया जाएगा।

16.33.2. वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के इस अनिर्वाय सत्यापन के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

1. वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का यादृच्छिक रूप से चयनित प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड मतदान केन्द्र की सत्यापन ईवीएम में दर्ज मतों के गणना के अंतिम दौर के पूरा होने के बाद किया जाएगा।

2. एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड के एक मतदान केन्द्र का यादृच्छिक चयन, अभ्यर्थी/उनके अभिकर्ताओं और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ड्रा से किया जायेगा।

3. यह ड्रॉ विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड विशेष के लिये नामित मतगणना हॉल में ईवीएम (कंट्रोल यूनिट) में दर्ज मतों की गिनती के आखिरी दौर पूरा होने के तुरंत बाद निकाला जाना होगा।

4. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के सत्यापन के लिये एक मतदान केन्द्र के यादृच्छिक चयन के लिये ड्रा निकलने के संबंध में अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को अग्रिम रूप से लिखित सूचना दी जायेगी।

5. ड्रा निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) ड्रा निकालने के लिये पोस्टकार्ड आकार के सफेद रंग के पेपर कार्ड का प्रयोग किया जायेगा।

(ख) ऐसे पेपर कार्डों की कुल संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा खण्ड में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या के बराबर होनी चाहिये।

(ग) प्रत्येक पेपर कार्ड पर पहले से मुद्रित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/ खण्ड का नम्बर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड का नाम, सबसे ऊपर मतदान की तारीख तथा मध्य में मतदान केन्द्र की संख्या होगी। मतदान केन्द्र का नम्बर काले रंग में कम से कम 1" X 1" आकार (1इंच गुणा 1इंच) में मुद्रित होगा।

(घ) ड्रा के लिए प्रयुक्त पेपर कार्ड ऐसा होना चाहिए कि इसे चार तह लगाकर मोड़ा जा सके और मतदान केन्द्र का नम्बर न दिखे।

(ङ) प्रत्येक पेपर कार्ड को तह लगाकर कंटेनर में डालने से पूर्व अभ्यर्थी/उनके अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा।

(च) पेपर कार्ड को बड़े कंटेनर में रखा जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक पर्ची कार्ड उठाने से पहले इसे अच्छी तरह हिलाया जाना चाहिये।

16.33.3. वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए तैयार गणना हॉल के अंदर 'वीवीपीएटी मतगणना बूथ' में किया जायेगा। बूथ को बैंक कैशियर की कैबिन की तरह, तार की जाली में रखा जायेगा जिससे कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वीवीपीएटी पेपर पर्चियों तक पहुँच न पाये। गणना हॉल में किसी एक मतगणना मेज को वीवीपीएटी मतगणना बूथ में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे ईवीएम मतों के दौर की मतगणना पूरी होने के पश्चात् यादृच्छिक चयन के अनुसार वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की मतगणना से पहले ईवीएम के मतों की सामान्य गणना के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

16.33.4. यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन पूर्णतः मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा।

16.33.5. रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बूथ पर व्यक्तिगत रूप से वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना की निगरानी करेंगे। सामान्य प्रेक्षक भी पूरी प्रक्रिया का निरन्तर गहन जायजा लेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के निदेशों का पालन हो रहा है।

16.33.6. उपरोक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।

16.33.7. उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र देंगे:

यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन

राज्य का नाम

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम

विधान सभा खण्ड की संख्या और नाम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में)

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम

कंट्रोल यूनिट की विशिष्ट आईडी

वीवीपीएटी की विशिष्ट आईडी

प्रमाणित किया जाता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियाँ की गणना का प्रायोगिक परीक्षण आयोग के निदेशानुसार किया गया है।

अभ्यर्थी का नाम	डाले गए मत		विसंगति, यदि कोई हो
	ईवीएम के अनुसार	पेपर पर्ची के अनुसार	
1.			
2.			
3.			
...			
...			
नोटा			
कुल मत			

मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

सामान्य प्रेक्षक के हस्ताक्षर

16.34. पुनर्गणना

16.34.1. सामान्तया मतदान मशीनों में दर्ज मतों की दोबारा गणना करवाने का कोई प्रश्न नहीं होगा। मतदान मशीनों में दर्ज प्रत्येक मत वैध मत होता है और इसकी वैधता के संबंध में अथवा अन्यथा कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। यही होता है कि कभी कुछ अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता ने किसी मतदान केन्द्र विशेष में उस समय मतदान का परिणाम समुचित रूप से नोट नहीं किया है, कंट्रोल यूनिट पर वह परिणाम दिखाते हो। यदि पुनः सत्यापन की आवश्यकता हो तो उसके लिए 'रिजल्ट' बटन को दबाकर परिणाम देखा जा सकता है, इससे उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम उसकी कंट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर पुनः प्रदर्शित होंगे।

16.34.2. मतदान मशीनों के इस्तेमाल द्वारा दोबारा मतगणना की आवश्यकता को पूर्णतया समाप्त होने के बावजूद निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 63 में निहित उपबंध दोबारा मतगणना से संबंधित सभी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू होंगे।

16.34.3. तदनुसार, संपूर्ण मतगणना पूरी हो जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम की घोषणा करेंगे, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मतों की कुल संख्या अंतिम परिणाम शीट (प्ररूप 20) में यथा बताई जाएगी। घोषणा हो जाने के बाद, अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके कोई मतगणना अभिकर्ता, सभी अथवा किसी भी मतदान केन्द्र के दर्ज मतों की पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन कर सकते हैं जिसमें इस आधार का उल्लेख होगा जिस पर वह मतगणना की मांग कर रहा है। इस उद्देश्यार्थ, रिटर्निंग अधिकारी उसी समय और मिनट की भी घोषणा करेगा जिस समय तक उसने पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन की प्रतीक्षा करनी है। जब पुनर्गणना के लिए ऐसा कोई आवेदन दिया जाता है, तो पुनर्गणना के लिए दिए गए आधार पर विचार किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वह आवेदन को पूर्ण रूप से अथवा उसके भाग को स्वीकार कर सकता है, यदि उपयुक्त पाया जाता है, अथवा वह आधारहीन अथवा अनुचित पाया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उसे अस्वीकार कर सकता है। यदि, किसी मामले में, पुनर्गणना के लिए किसी आवेदन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी मतों की पुनर्गणना करने का निदेश देगा। यदि डाक मत-पत्र की पुनर्गणना करने का अनुरोध प्राप्त हो, और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसी किसी अनुरोध को स्वीकार करता है तो उनकी पुनर्गणना भी की जा सकती है। ऐसी किसी पुनर्गणना के पूरा होने के बाद, परिणाम शीट आवश्यकतानुसार संशोधित की जाएगी और किए गए संशोधनों की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में पड़े मतों की कुल संख्या की घोषणा होने के बाद, परिणाम शीट पूर्ण करके उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

16.34.4. यह ध्यान दिया जाए कि अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को कोई अधिकार नहीं है कि वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा

परिणाम शीट पूर्ण करके उस पर हस्ताक्षर करने के बाद पुनर्गणना की मांग करे। परिणाम शीट पूर्ण हो जाने तथा उस पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद मतों की पुनर्गणना की किसी मांग को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.34.5. जहाँ पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है वहाँ कोई भी अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई भी मतगणना अभिकर्ता परिणाम शीट में की गई प्रविष्टियों की घोषणा किए जाने के बाद किसी भी मतदान केन्द्र अथवा मतदान केन्द्रों के संबंध में प्रिंटर के ड्राप बॉक्स में मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप से आवेदन कर सकता है। यदि ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे सामान्य अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष दिशानिर्देशों के अध्यधीन, इस मामले का निर्णय करेंगे और समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं यदि उसे यह आवेदन निराधार अनुचित लगे। रिटर्निंग अधिकारी का प्रत्येक निर्णय लिखित रूप में होगा तथा इसमें उसके कारण निहित होंगे। यदि रिटर्निंग अधिकारी पेपर पर्चियों की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से या कुछ भागों की गणना करने का निर्णय लेते हैं, तो वह -

क. आयोग द्वारा यथा निदेशित तरीके से मतगणना करवाएगा,

ख. यदि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित मतों तथा पेपर पर्चियों की संख्या की गणना के बीच कोई विसंगति हो, तो पेपर पर्चियों की संख्या के अनुरूप प्ररूप 20 में परिणाम शीट को संशोधित करेगा।

ग. अपने द्वारा इस प्रकार किए गए संशोधनों की घोषणा करेगा।

घ. परिणाम शीट को पूरी तरह भरकर उस पर हस्ताक्षर करेगा।

16.34.6. यदि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतों की मतगणना एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, तो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 65 के अनुसार, मतों की दोबारा मतगणना की मांग इस प्रयोजनार्थ नियत अंतिम स्थान में मतगणना की समाप्ति पर ही की जा सकती है। ऐसा अंतिम स्थान आम तौर पर रिटर्निंग अधिकारी का मुख्यालय होगा जहाँ वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाले विभिन्न विधान सभा खण्डों के परिणामों को मिलान करेगा और समेकित करेगा।

16.35. पुनः मतदान के मामले में मतगणना का स्थगन

16.35.1. यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी मतदान मशीन में छेड़छाड़ पाई गई हो और उसने इस निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट दी हो तो वह निर्वाचन आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा करेगा। जहाँ आयोग द्वारा किसी प्रभावित मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान का निदेश दिया जाता है, तो वहाँ अन्य सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मतगणना स्थगति कर दी जाएगी। ऐसे मामले में, समस्त ईवीएम, वीवीपीएटी और साथ ही निर्वाचन संबंधी अन्य समस्त कागज़ात रिटर्निंग अधिकारी

द्वारा सील कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता, ऐसी प्रत्येक मतदान मशीन और पैकेट इत्यादि, जिनमें निर्वाचन संबंधी कागज़ात रखे गए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे, तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में इस प्रकार स्थगित मतगणना पुनः मतदान होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित तारीख और समय पर पुनः आरंभ की जाएगी, और इस उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पूरा किया जाएगा।

16.36. मतगणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः मुहरबंद करना

16.36.1. कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदान के परिणाम अभ्यर्थी-वार निर्धारित हो जाने तथा मतगणना के प्ररूप 17ग के भाग-II परिणाम तथा प्ररूप 20 में अंतिम रूप से तैयार परिणाम शीट में प्रविष्ट हो जाने के बाद, कंट्रोल यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी की सील, आयोग की गोपनीय सील और अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं की सील, जो वहाँ अपनी सील लगाना चाहते हों, के साथ पुनः सील किया जाएगा। तथापि, पुनः सील इस तरीके से किया जाएगा कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतदाता का परिणाम मिट न जाए और यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे।

16.37. मतों की समानता

16.37.1. मत बराबर होने के स्थिति में, परिणाम का निर्णय लॉट द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए - यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ए, बी, सी और डी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या इस प्रकार है: ए-12703, बी-17567, सी-17567, डी-16394। इस स्थिति में बी और सी के बीच ड्रॉ निकाला जाएगा, क्योंकि इन दोनों को सबसे अधिक मत मिले हैं (जो बराबर हैं) और जिस व्यक्ति का नाम ड्रॉ में निकलेगा उसे यह माना जाएगा कि एक मत अधिक मिला है। अब रिटर्निंग अधिकारी परिणाम शीट को पूरा भरकर उस पर हस्ताक्षर करेगा।

16.38. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

16.38.1. मतगणना का कार्य हर तरह से पूरा होने पर तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अंतिम परिणाम शीट को पूरा भरकर उस पर हस्ताक्षर करने के बाद, यदि आयोग द्वारा कोई अन्यथा निदेश न दिया गया हो, तो वह औपचारिक रूप से निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा। वह साधारण निर्वाचन के मामले में प्ररूप 21-ग में तथा उप-निर्वाचन के मामले में प्ररूप 21-घ में परिणामों की घोषणा करेगा।

16.38.2. यदि आयोग ने अपने अगले आदेशों तक किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम की घोषणा रोकने को निदेश दिया हो, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसी किसी भी निदेश के उल्लंघन में परिणाम की कोई घोषणा आरंभ से अमान्य हो जाएगी।

16.39. निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

16.39.1. परिणाम घोषित होने के शीघ्र बाद, रिटर्निंग अधिकारी चुने गए अभ्यर्थी को प्ररूप 22 के रूप में निर्वाचन का एक प्रमाणपत्र देगा और उससे हस्ताक्षर लेते हुए उसकी पावती लेगा। यदि परिणाम की घोषणा के समय अभ्यर्थी मौजूद नहीं हो, तो वह तत्काल रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करेगा और अपने निर्वाचन का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। इस संबंध में आयोग ने निर्णय लिया है कि -

(1) संसद और राज्य विधान सभाओं, दोनों के संबंध में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में अथवा हिन्दी में जारी किया जाना चाहिए, किन्तु निर्वाचित अभ्यर्थी को पावती पर किसी भी भाषा जिसमें उसकी इच्छा हो, में हस्ताक्षर करने की आजादी होनी चाहिए;

(2) जहाँ निर्वाचित अभ्यर्थी मतगणना में उपस्थित न हो और न ही उसके कुछ समय बाद वह वहाँ आता है तो प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत तथा रिटर्निंग अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से परिचित व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, आगे उस व्यक्ति के माध्यम से उसकी पावती (अभ्यर्थी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित) भी प्राप्त की जाएगी। पावती नीचे दिए प्ररूप में होगी:

मैं ..... निर्वाचन क्षेत्र से .....

(दिनांक) ..... को घोषित ..... अपने निर्वाचन के संबंध में प्ररूप 22 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र की पावती देता हूँ/ देती हूँ।

निर्वाचित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक: .....

सत्यापित तथा सचिव को अग्रेषित

.....

रिटर्निंग अधिकारी

16.39.2. उक्त पावती, निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेते समय और उसमें मांग लेते समय उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होती है।

17. बहु-निर्वाचन

17.1. संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन

17.1.1. एक अभ्यर्थी संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है [संविधान का अनुच्छेद 101 (1)] (**परिशिष्ट** 34)।

17.1.2. यदि अभ्यर्थी संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, लेकिन उसने किसी भी सदन में अपनी सीट नहीं ली है, तो उसे ऐसे निर्वाचन की तारीख या उसके बाद की तारीख में वह जिस सदन में भाग लेना चाहता है, के बारे में दस दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के सचिव को अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित में नोटिस देना चाहिए। तत्पश्चात् दूसरे सदन में अभ्यर्थी की सीट रिक्त हो जाएगी।

17.1.3. यदि अभ्यर्थी उस समय-सीमा के अंदर ऐसी सूचना भेजने में विफल रहता/रहती है, तो राज्य सभा में उसकी सीट अपने आप रिक्त हो जाएगी।

17.1.4. अभ्यर्थी द्वारा दी गई ऐसी कोई भी सूचना अंतिम और अपरिवर्तनीय होगी। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68।] (**परिशिष्ट** 35)

17.1.5. इस उद्देश्य के लिए, संसद के किसी भी सदन के लिए अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख वह होगी, जिस तारीख को उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया था।

17.2. राज्य परिषद के लिए निर्वाचित लोक सभा का सदस्य

17.2.1. यदि अभ्यर्थी पहले से ही लोक सभा का सदस्य है और उस सदन में अपनी सीट ले चुका है, लेकिन बाद में उसे राज्य सभा के लिए चुन लिया जाता है, तो उसकी लोक सभा की सीट राज्य सभा के लिए उसके निर्वाचन की तारीख से रिक्त हो जाएगी, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67-क में परिभाषित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69(1)]

17.3. लोकसभा के लिए निर्वाचित राज्य परिषद का सदस्य

17.3.1. यदि अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सभा का सदस्य है और उसने उस राज्य सभा में अपनी सीट ले ली है, लेकिन बाद में उसे लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67-क में परिभाषित अनुसार राज्य सभा में उसकी सीट उसके निर्वाचन की तारीख से रिक्त हो जाएगी। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69(2)।]

17.4. किसी भी राज्य विधान सभा या किसी संसद सभा में एक से अधिक सीट के लिए निर्वाचन

17.4.1. अभ्यर्थी को लोक सभा अथवा राज्य सभा या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में एक से अधिक सीटों के लिए चुना जा सकता है। ऐसे मामले में, उसे ऐसे निर्वाचन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर एक सीट छोड़कर अन्य सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, और जहाँ अलग-अलग सीटों के संबंध में उनके निर्वाचन की तारीखें अलग-अलग हैं वहां उन निर्वाचनों की तारीख से चौदह दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा। ऐसे इस्तीफे को अभ्यर्थी द्वारा लिखित में और हस्ताक्षर करके सूचित करना होगा। यह सूचना संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को संबोधित की जानी चाहिए अथवा यदि आवश्यक हो, तो उपसभापति या सदन के उपाध्यक्ष को भेजी जाए अथवा इसमें विफल रहने पर निर्वाचन आयोग को भेजी जाए। यदि अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी सभी सीटें रिक्त हो जाएंगी। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 70 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 91] (परिशिष्ट 36)।

17.5. संसद और राज्य विधानसभा दोनों के लिए निर्वाचन

17.5.1. अभ्यर्थी, संसद और किसी राज्य के विधानमंडल दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। यदि अभ्यर्थी को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुना गया है, तो उसे भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र में यह घोषणा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है, के प्रकाशन की तिथि जो भी बाद में हो, से चौदह दिनों के भीतर अपनी एक सीट से इस्तीफा देना होगा, यदि अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहता है, तो संसद में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। [संविधान के अनुच्छेद 101(2) और एक साथ सदस्यता निषेध नियम 1950 का नियम 2 **(परिशिष्ट 37)]**

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 91

91. सदन में के एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन की दशा में स्थानों से त्यागपत्र

(1) वह समय, जिसके अंदर व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में या राज्य के विधान-मण्डल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के स्थानों में से, जिनके लिए वह निर्वाचित हो गया है, एक को छोड़कर सब स्थानों से त्यागपत्र दे सकेगा -

(क) धारा 67क के अधीन उसके अपने निर्वाचन की तारीख से चौदह दिन का होगा; अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि विभिन्न स्थानों की बाबत उसके निर्वाचन की तारीखें विभिन्न हैं उन तारीखों में से अन्तिम तारीख से चौदह दिन का होगा।

(2) ऐसा त्यागपत्र-

(क) सम्पृक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को; अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि अध्यक्ष या सभापति का पद तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, सम्पृक्त सदन के उपाध्यक्ष या उपसभापति को; अथवा

(ग) उस दशा में, जिसमें कि उपाध्यक्ष या उपसभापति का पद भी तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, निर्वाचन आयोग को, सम्बोधित होगा।

(3) जहां कि त्यागपत्र निर्वाचन आयोग को उप-नियम (2) के अधीन संबोधित किया गया है, वहाँ निर्वाचन आयोग त्यागपत्र की प्राप्ति से यथाशक्यशीघ्र पश्चात उसकी प्रति सम्पृक्त सदन के सचिव को भेजेगा।

संविधान का अनुच्छेद 101 (2)--

(2) कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और [किसी] राज्य के विधानमंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान से पहले ही नहीं त्याग दिया है।

17.6. राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन

17.6.1. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता/सकती है। यदि अभ्यर्थी को दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, तो उसे यह पता लगाने के लिए तुरंत सदन के सचिवों से परामर्श करना चाहिए कि उसे एक या दूसरे सदन में स्थान किस प्रकार रिक्त करना चाहिए। अभ्यर्थी को संविधान के अनुच्छेद 190(1) के तहत इसके लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार, किसी एक सदन में अपने स्थान से त्यागपत्र देना होगा।

वह अवधि, जिसकी समाप्ति पर, किसी व्यक्ति का स्थान, जिसे भारत के संविधान (इसमें इसके बाद 'संविधान' कहा गया है) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन, दोनों का सदस्य चुना जाता है, रिक्त हो जाती है यदि उसने ऐसी तारीख को विधान सभा में अपने स्थान से पहले त्यागपत्र नहीं दिया है, भारत के राजपत्र अथवा राज्य के सरकारी राजपत्र में यह घोषणा, कि उसका चयन हो गया है, के प्रकाशन की तारीख चौदह दिन होगी।

संविधान का अनुच्छेद 190–स्थानों का रिक्त होना।

(1) कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा।

(2) कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधान-मंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ46/50-ग दिनांक 26.1.1950 द्वारा प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950

यह अवधि ऐसे प्रकाशन के बाद दस दिनों की होगी या जैसी स्थिति से, ऐसे राज्यों के सरकारी राजपत्रों में, यह घोषणा कि उनका चयन हो गया है, के प्रकाशन की तारीखें नवीनतम हो सकती हैं।

18. अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय और लेखा की निगरानी

18.1. विधिक उपबंध

18.1.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा के निर्वाचन में प्रत्येक अभिकर्ता को उस तारीख से जिस दिन उसे नाम निर्देशित किया गया है तथा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच, दोनों दिनों को शामिल करते हुए, निर्वाचन के संबंध में उसके अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए अथवा प्राधिकृत सभी व्यय का एक पृथक एवं सही-सही लेखा रखना अपेक्षित है। उक्त व्यय का योग ऐसी धनराशि से अधिक नहीं होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित की जाए। **निर्वाचन का संचालन नियम** 1961 के नियम 90 में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन व्यय की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना अथवा इसके लिए प्राधिकृत करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

18.1.2. उक्त अधिनियम की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करानी है। औचित्यपूर्ण कारण के बगैर समय सीमा के भीतर तथा विधि के तहत निर्धारित तरीके से, निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन आयोग द्वारा उस अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

18.1.3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अभ्यर्थी विधि के तहत निर्धारित तरीके से तथा समय सीमा में निर्वाचन व्यय के लेखे रखने तथा निर्वाचन व्यय की अपनी विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी का ध्यान विधि के उपर्युक्त उपबंधों की ओर लिखित रूप में आकृष्ट करेंगे। जैसे ही अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन पत्र दाखिल करता है इसे प्रत्येक अभ्यर्थी (**परिशिष्ट 42**) को पत्र लिखकर सूचित किया जाना चाहिए।

18.1.4. प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र/व्यय रजिस्टर (**परिशिष्ट 41**) में निर्वाचन व्यय का अपने लेखे जमा करना होता है। इस लेखे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(2) के अधीन यथा निर्धारित ब्यौरा होगा।

18.1.5. अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर में निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा रखा जाना अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित द्वारा किए गए। प्राधिकृत व्यय का ब्यौरा होगा।

i. राजनैतिक दल जिससे वह खड़ा हुआ है, और

ii. उसका समर्थन करने वाला कोई भी अन्य राजनैतिक दल,

iii. उसका समर्थन करने वाला कोई भी अन्य संघ/संगठन/निकाय, तथा

iv. उसका समर्थन करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति।

दैनिक लेखे के रजिस्टर सार विवरण का मानक प्रपत्र, परिशिष्ट 41 में दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने दैनिक व्यय रजिस्टर + रोकड़ रजिस्टर + बैंक रजिस्टर + सार विवरण + 1 से 9 अनुसूचियाँ + हलफनामा की पावती और **परिशिष्ट 41** में निर्धारित प्रपत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय के लेखे का ब्यौरा जमा करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी से पावती लें।

18.1.6. अभ्यर्थियों को, निर्वाचन व्यय को लेखे का रजिस्टर रखते समय निर्वाचन प्रचार अभियान की सामग्री इत्यादि, जिनका इस्तेमाल वस्तुतः नामनिर्देशन के बाद की अवधि के दौरान किया जाता है, तैयार करने के लिए नामनिर्देशन की तारीख से पहले किए गए व्यय सहित सभी व्यय का लेखा-जोखा देना चाहिए।

18.2. स्टार प्रचारकों पर उपगत निर्वाचन व्यय

18.2.1. धारा 77 (1) के अधीन समाविष्ट नए स्पष्टीकरण 1 और 2 के अनुसार, स्पष्टीकरण 2 के अधीन शामिल राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों (नेताओं) की यात्रा पर होने वाले व्यय को ही अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे में शामिल किए जाने से छूट दी जाएगी। राजनैतिक दलों, अन्य संघों, व्यक्तियों के निकाय, व्यक्तियों द्वारा किए गए/ प्राधिकृत सभी अन्य व्यय अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं। धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 2 में यह अपेक्षित है कि किसी राजनैतिक दल के नेताओं की सूची (मान्यता प्राप्त दलों के मामले में 40 तथा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के मामले में 20) स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ लेने के लिए संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा आयोग को तथा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग ऐसे राजनैतिक नेताओं के नाम रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। रिटर्निंग अधिकारी सीधे किसी राजनैतिक दल से प्राप्त ऐसी किसी सूची पर विचार नहीं करेगा।

18.2.2. जब ऐसा कोई नेता, जो स्वयं अभ्यर्थी है, अपने निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन प्रचार हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करता है, तो ऐसी यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को उस व्यक्ति का निर्वाचन व्यय माना जाएगा और उसे इस व्यय को उस व्यक्ति के निर्वाचन व्यय से छूट नहीं दी जा सकती है।

18.2.3. कोई राजनैतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 एवं 2 के प्रयोजनार्थ केवल उन व्यक्तियों को अपने नेताओं के रूप में नामनिर्देशित कर सकता है, जो उस दल के सदस्य हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति दल

का सदस्य नहीं है उसे अधिनियम की धारा 77(1) के प्रयोजनार्थ उस दल के 'नेता' के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया जा सकता है।

18.2.4. (क) यदि सुरक्षा गार्ड, चिकित्सा परिचर सहित कोई परिचर अथवा दल के किसी सदस्य, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी नहीं है, सहित कोई अन्य व्यक्ति अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट मीडिया का कोई प्रतिनिधि, राजनैतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उसके वाहन/हवाई जहाज/हेलीकॉप्टर इत्यादि में यात्रा करता हो तो ऐसे नेता की यात्रा का पूरा व्यय राजनैतिक दल के खते में डाला जाएगा, बशर्ते कि इस नेता (स्टार प्रचारक) के साथ वाहन साझा करने वाला ऐसा व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन प्रचार में किसी भी तरह कोई भूमिका न निभाता हो। तथापि, यदि नेता के साथ वाहन साझा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति (व्यक्तियों) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए निर्वाचन प्रचार में किसी भी तरीके से कोई भूमिका निभाता हो, तो नेता के यात्रा व्यय का 50% ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित राजनैतिक दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के लिए अधिसूचना की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किए जाने हैं और ऐसे नेता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन उपबंधित लाभ का हकदार उस तारीख से होगा जिस दिन उसके नाम सहित सूची भारत निर्वाचन आयोग तथा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त होती है।

(ग) यदि नेता (स्टार प्रचारक) उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर आयोजित किसी रैली का हिस्सा है, तो वह लोक प्रतिनधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन प्राप्त छूट का हकदार है। तथापि यदि वह नेता (स्टार प्रचारक) भी किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहा हो, तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किए गए यात्रा व्यय के लिए उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन किसी भी लाभ का हकदार नहीं है और यात्रा व्यय सहित उसके निर्वाचन क्षेत्र में उसके द्वारा आयोजित सभा अथवा रैली से संबंधित व्यय को निर्वाचन व्यय के उसके खाते में शामिल किया जाना है।

(घ) यदि रैली/सभा, नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित की जाती है, जहाँ नेता निर्वाचन लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ मंच साझा करता है तो उस सभा का व्यय उस नेता तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में डाला जाना है। तथापि यदि वह (स्टार प्रचारक) अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपने दल के निर्वाचन लड़ रहे अन्य अभ्यर्थियों के साथ किसी रैली/सभा में भाग ले रहा है, तो उस सभा का व्यय ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में बराबर डाला जाएगा, जिनके निर्वाचन के प्रचार अभियान के लिए, ऐसी रैली/सभा आयोजित की जाती है और उनके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर आयोजित

ऐसी रैली/सभा के व्यय का कोई भी हिस्सा नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा।

(ङ) यदि किसी अन्य राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के दल के साथ गठबंधन करने वाले दल का कोई स्टार प्रचारक रैली में हिस्सा लेता है तथा अभ्यर्थी का नाम लेता है अथवा अभ्यर्थी के साथ मंच साझा करता है, तो निर्वाचन क्षेत्र तक उस गठबंधन दल के उस प्रचारक के यात्रा व्यय को छूट नहीं है तथा उसे अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाना चाहिए।

(च) निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें स्टार प्रचारक किसी अभ्यर्थी के लिए प्रचार करते हैं के आवास/खान-पान व्यय सहित समस्त व्यय को उस अभ्यर्थी विशेष के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा, बशर्ते कि -

(क) स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने वास्तव में अभ्यर्थी के लिए प्रचार किया हो, और

(ख) स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने भोजन व्यवस्था तथा आवास के ऐसे व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक होटल अथवा लॉज में रहते हुए किया हो, चाहे भुगतान ऐसे अभ्यर्थी द्वारा किया गया है अथवा नहीं।

ऐसे वाणिज्यिक भोजन तथा आवास के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जाएगी यदि भोजन तथा आवास व्यवस्था उस अभ्यर्थी मातार्थ के सम्मान में की गई हो। यदि स्टार प्रचारक किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा आवास का लाभ लेते हुए, अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रचार करने के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तो भोजन तथा आवास व्यय को उन अभ्यर्थियों के व्यय के रूप में आनुपातिक रूप से बांटा जाएगा।

18.3. निर्वाचन व्यय के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका

18.3.1. आयोग ने अपने आदेश दिनांक 24 अक्तूबर 2003 में यह निर्देश दिया है कि जैसे ही कोई अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है, मानक प्रपत्र में दैनिक व्यय रजिस्टर + कैश रजिस्टर + बैंक रजिस्टर + सार विवरण + अनुसूची 1 से 9 + हलफनामा (परिशिष्ट 41) उसे अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को समुचित पावती लेकर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नमूना पत्र (**परिशिष्ट** 42) संलग्न करते हुए जारी किया जाएगा। प्रत्येक रजिस्टर पर विधिवत क्रम संख्या डाली जाएगी और इस जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अभ्यर्थी उस रजिस्टर में ही निर्वाचन व्यय का अपना दिन भर का हिसाब-किताब रखेगा और न कि किसी अन्य दस्तावेज में। उसके लेखे का रजिस्टर कानून के तहत यथा अपेक्षित निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन के व्यय के साथ का सार विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निर्धारित प्रपत्र में सभी व्यय का विवरण तथा अनुसूचियों 1 से 9 में होगी।

18.3.2. निर्वाचन लड़ रहे किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखा के साथ निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थी की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

18.3.3. अभ्यर्थी को उपर्युक्त रजिस्टर सहित उक्त पत्र की रसीद और उसके अनुलग्नकों की पावती देने के लिए कहा जाएगा।

18.3.4. अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी पावती रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के रिकॉर्ड के लिए उन्हें भेजे जाएंगे। केवल निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही लेखे प्रस्तुत करने हैं।

18.4. केवल निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा लेखा दाखिल किया जाना

18.4.1. हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 77 के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अपने निर्वाचन व्यय का लेखा रखना होता है, फिर भी केवल निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा ही निर्वाचन व्यय का अपना लेखा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

18.5. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

18.5.1. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ता है तो उसे प्रत्येक निर्वाचन जो वह लड़ रहा है, के लिए निर्वाचन व्यय की अलग विवरणी रखना होगी तथा इसे प्रस्तुत करना होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन एक अलग निर्वाचन होता है।

18.6. प्राधिकारी जिसके पास लेखा दाखिल किया जाना चाहिए

18.6.1. प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, जहाँ से उसने निर्वाचन लड़ा हो।

18.6.2. चूँकि कुछ राज्यों में कुछ विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में आते हैं, इसलिए यह प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों द्वारा किस जिला निर्वाचन अधिकारी को लेखे प्राप्त प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन व्यय का लेखा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्र की व्यवस्था की हो। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ, जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम तथा पदनाम स्थानीय रूप से प्रकाशित किये जाने चाहिए जिसमें उन निर्वाचन क्षेत्रों के नामों का उल्लेख होना चाहिए जिनके संबंध में उसे लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे।

18.6.3. जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख के तीन दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को पत्र भी जारी करेगा जिसमें उस जिला निर्वाचन

अधिकारी, जिसे लेखा प्रस्तुत किया गया है के नाम, पदनाम तथा पता साथ ही अंतिम तिथि का उल्लेख होना चाहिए जिससे पहले उसे यह लेख मिल जाना चाहिए।

18.7. अभ्यर्थी द्वारा लेखों एवं निर्वाचन व्यय के रजिस्टरों का रख-रखाव

18.7.1. प्रत्येक अभ्यर्थी को नामनिर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे दिये गये रजिस्टर में अपने निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा रखना होगा। रजिस्टर के तीन भाग होंगेः

- भाग 'क' में सफेद पन्नों में दैनिक लेखे का रजिस्टर;
- भाग 'ख' में गुलाबी पन्नों में नकद रजिस्टर; तथा
- भाग 'ग' में पीले पन्नों में बैंक रजिस्टर।

18.7.2. अभ्यर्थी को उपर्युक्त रखा गया रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार व्यय प्रेक्षक को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर डाला जाना चाहिए तथा उसके प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर रजिस्टर में प्रयुक्त कुल पृष्ठों का रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। रजिस्टर में अभियान की संपूर्ण अवधि के लिए पर्याप्त पृष्ठ होने चाहिए। तथापि, यदि रजिस्टर जल्दी भर जाता है तो अभ्यर्थी एक और रजिस्टर मांग सकता है और रिटर्निंग अधिकारी उसी फार्मेट में उसे दूसरा रजिस्टर जारी करेगा। अभ्यर्थी इन रजिस्टरों को प्राप्त करने की पावती देगा। रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी के रजिस्टरों की रसीद देगा।

18.7.3. निर्वाचन व्ययों से संबंधित लेखों का दैनिक रख-रखाव

1. अभ्यर्थी को सभी चाहे वे उसके अपनी ही निधि से, या किसी राजनैतिक दल से, या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय, संस्था या कंपनी से नकद, चेक, या ड्राफ्ट या भुगतान आदेश से प्राप्त सम्पूर्ण राशि को उसके द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से खोले गए अलग बैंक खाते में जमा करना होगा।
2. यदि नकद राशि अभ्यर्थी की अपनी है, तो उस नकद को निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाना होगा, और बैंक रजिस्टर में इसकी एक प्रविष्टि की जाएगी। यदि अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति/दल से नकद राशि प्राप्त होती है, तो यह राशि कैश रजिस्टर प्राप्ति शीर्ष (भाग ख) में दर्ज की जानी चाहिए। कैश रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद, उस राशि को निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा। बैंक में नकदी जमा होने के बाद, बैंक रजिस्टर (भाग ग) को अद्यतन किया जाएगा।
3. यदि अभ्यर्थी का अपने निर्वाचन व्यय के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति/दल आदि से चेक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में नकदी प्राप्त होती है, या वह अपने स्वयं के

बैंक खाते से चेक/ड्राफ्ट जारी करता है, तो उसे निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त बैंक खाते में इसे जमा करना होगा। यदि चेक उसके अपने बैंक खाते से जाता है, तो बैंक रजिस्टर में, "अभ्यर्थी के स्वयं की निधि से" का उल्लेख किया जाना होगा।

4. यदि कोई भी व्यक्ति, दल/निकाय/संघ अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए कुछ सामान या सेवाएं देता है, तो अभ्यर्थी के दैनिक व्ययों के रजिस्टर में इन वस्तुओं की आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी। इसके अलावा, यदि इस प्रकार की वस्तुएँ राजनीतिक दल, या किसी व्यक्ति/संघ द्वारा की गई हैं, तो राजनीतिक दल/व्यक्ति/संघ द्वारा उन वस्तुओं का कुल मूल्य और उसे देने वाले राजनैतिक दल/व्यक्ति/संघ का नाम और पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
5. दूसरी ओर, सभी निर्वाचन व्यय दैनिक खाते के रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। यदि इस राशि का भुगतान अभ्यर्थी/राजनीतिक दल/व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो राशि और अन्य विवरण को रजिस्टर में उपयुक्त कॉलम में भुगतानकर्ता के नाम और पते के विवरण के साथ उल्लेख किया जाएगा। व्यय के सभी भुगतान (पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनितिक दल के 10,000/- रुपये तक के फुटकर व्यय को छोड़कर), केवल खाताधारक अदाता चेक के माध्यम से किए जाने चाहिए। फुटकर व्यय का भुगतान नकद में तभी किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को पूरे प्रचार की पूरी अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि **रु.10,000/-** से अधिक न हो। फुटकर व्यय के लिए भुगतान किए जाने के बाद, इस तरह के व्यय दैनिक व्यय के रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

18.7.4. निर्वाचन प्रचार के उद्देश्य से अभ्यर्थी द्वारा डोनेशन इत्यादि की प्राप्ति

अभ्यर्थी को एक या एक से अधिक बार दान/अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली नकद राशि रु.10,000/- से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, राजनैतिक दलों के मामले में दान/अंशदान के तौर पर प्राप्त नकद राशि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के मौजूदा उपबंधों द्वारा शासित रहेगी।

18.7.5. अभ्यर्थी द्वारा नकद में व्यय

1. सभी अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे के रजिस्टर में नामनिर्देशन शामिल करने के दिन (अर्थात् पहले दिन से) तथा साथ ही नामनिर्देशन से पहले प्रचार सामग्री, जिसे नामनिर्देशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है, पर किए गए व्यय का लेखा-जोखा रखेंगे। नामनिर्देशन दाखिल करते समय आयोजित रैली तथा जुलूस से संबंधित सभी व्यय, अभ्यर्थियों के लेखे में शामिल किए जायेंगे।
2. जब आम लोग भुगतान या प्रतिपूर्ति वाहन से अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की जन रैली/जुलूस/जनसभा में आते हैं उन्हें इसका कोई भुगतान नहीं किया जाता है तो

इसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं डाला जाएगा। यद्यपि, किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के हित में प्रचार के प्रयोजन से झण्डे, बैनर या पोस्टर लगाकर रैली या जनसभा में प्रयोग किये गये निजी वाहन का व्यय अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के व्यय में डाला जाएगा। यदि वाणिज्यिक पंजीकरण नम्बर वाले वाणिज्यिक वाहनों का प्रयोग किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की रैली या जनसभा के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों पर व्यय को अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

3. अभ्यर्थी (अभ्यर्थियो) के निजी वाहन का प्रचार के लिए प्रयोग किये जाने पर उसे प्रचार वाहन माना जाएगा तथा बाजार दर से ईंधन तथा चालक के वेतन पर अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जाएगा। यदि अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) अनुमानित व्यय के अपने अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराये पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) द्वारा अनुमानित व्यय की गणना की जाएगी।
4. किसी दल के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों को छोड़कर) को निर्वाचन प्रचार के लिए एकाधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के दौरों के प्रयोजन से उनके वाहन पर व्यय को अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि जिला पदधारी स्वयं एक अभ्यर्थी है और वह उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है ऐसे वाहनों का प्रयोग उस निर्वाचन क्षेत्र जहां से वह निर्वाचन लड़ रहा है, में आने-जाने के लिए किया जाता है या ऐसे वाहन का प्रयोग किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) विशेष के प्रचार के लिए किया जाता है, तो वाहन का भाड़ा-प्रभार, प्रचार के प्रयोजन से वाहन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जाएगा।
5. किसी दल के प्रतीक वाले ध्वजों, मफलरों अथवा टोपी जैसी वस्तुओं पर व्यय को उस दल द्वारा अपने निर्वाचन व्यय में डाला जाएगा। यदि इन वस्तुओं पर अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम या फोटो लगाए हैं तो इसे अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा। यद्यपि, दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परिधान जैसे साड़ी, कमीज, टी-शर्ट एवं धोती इत्यादि देने और बांटने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसे मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाता है।
6. यदि निरीक्षण के दौरान, जब्त नकदी या अन्य वस्तुएं किसी अभ्यर्थी से जुड़ी पाई जाती हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा शिकायत/एफआईआर दर्ज की जाएगी। वह शिकायत/एफआईआर की प्रति व्यय प्रेक्षक/सहायक व्यय प्रेक्षक को भेजेगा, जो इसे शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में दर्ज करेगा। हालाँकि, जब्त की गई राशि को तब तक अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय नहीं माना जाएगा, जब तक कि अदालत में दायर मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आ

जाता और तब तक इसे शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा। उस शिकायत/एफआईआर की प्रति साक्ष्य के फ़ोल्डर में रखी जाएगी।

7. निर्वाचन में किये गये व्यय या प्राधिकृत व्यय के प्रमाण के समस्त दस्तावेज जैसे वाउचर्स, रसीदें, पावतियाँ उसी दिन प्राप्त की जाएंगी जिस दिन व्यय किया गया है या व्यय प्राधिकृत किया गया है तथा इसका ब्यौरा दिन-प्रतिदिन का लेखा दर्शाने वाले उपरोक्त उल्लिखित रजिस्टर के साथ-साथ सही तारीख-वार रखा जाएगा।

1) उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे जाने वाले निर्वाचन व्यय के लेखे में निर्वाचन व्यय के लेखा की विशिष्टियाँ दिन-प्रतिदिन की प्रत्येक मद के संबंध में निम्नलिखित विवरण शामिल होगा -

(क) वह तिथि जिस दिन व्यय किया गया/अधिकृत किया गया;

(ख) व्यय का स्वरूप (उदाहरणार्थ यात्रा, डाक प्रभार, अथवा मुद्रण एवं ऐसा अन्य व्यय);

(ग) व्यय की राशि (क) अदा की गई राशि; (2) बकाया राशि;

(घ) भुगतान की तिथि;

(ङ) राशि प्राप्तकर्ता का नाम व पता;

(च) यदि राशि का भुगतान किया गया हो तो वाउचरों की क्रम संख्या;

(छ) यदि राशि का बकाया हो तो बिल यदि कोई हो, की क्रम संख्या;

(ज) उस व्यक्ति का नाम एवं पता **जिन पर** बकाया राशि देय है

2) व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर प्राप्त किया जाएगा जब तक कि व्यय का स्वरूप जैसे डाक प्रभार, रेल यात्रा आदि जैसा न हो, जिसके लिए वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है।

3) अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखा सहित सभी वाउचर भुगतान की तारीख-वार और क्रम संख्या वार लगाकर प्रस्तुत किए जाएंगे और लेखा में ऐसे क्रमांक की प्रविष्टि उपनियम (1) की मद (च) के अंतर्गत होगी।

4) व्यय की उन मदों जिनके लिए उप नियम (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं, के संबंध में उप-नियम (1) की मद (ङ) में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

18.8. निरीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला लेखा

18.8.1. आयोग ने निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा सहायक दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त रजिस्टर में रखा गया दैनिक लेखा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम तीन बार आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी/**व्यय प्रेक्षक** अथवा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

18.8.2. रिटर्निंग अधिकारी इस प्रयोजनार्थ व्यय प्रेक्षक के परामर्श से व्यय प्रेक्षक या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण की अनुसूची तैयार करेगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या अपने उसके निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से या उसके द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के लिए नामित अधिकारी के सामने रजिस्टर प्रस्तुत करे।

18.8.3. दो निरीक्षणों के बीच कम से कम तीन दिनों का अंतराल होना चाहिए। इस अनुसूची का प्रेस के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी की सुविधा के लिए निरीक्षण का समय पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक रखा जा सकता है। समय इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि कार्य अपराह्न 7:00 बजे तक समाप्त हो जाए। निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय कक्ष या अन्य किसी सम्मेलन कक्ष/कार्यालय चैंबर में किया जा सकता है। अंतिम निरीक्षण मतदान से 3 दिन पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रत्येक निरीक्षण के बाद, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, अभ्यर्थी के दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर को निरीक्षण करने की तारीख तक स्कैन किया जाएगा और इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के लिए उपलब्ध लिंक पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही इसकी एक प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर लगायी जाएगी।

18.8.4. यदि अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर, उस प्रयोजनार्थ निर्धारित तारीख को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को इस सूचना का लिखित में नोटिस जारी किया जाएगा कि यदि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को भी फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं रखा है। इस नोटिस का यथा संभव अधिकाधिक प्रचार किया जाएगा तथा इसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर लगायी जाएगी। यदि नोटिस भेजने के बाबजूद, अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, यदि अभ्यर्थी नोटिस दिये जाने के तीन दिनों के बाद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने के लिए दी गयी अनुमति वापस ले ली जाएगी। वाहनों के प्रयोग की अनुमति वापस लेने के मामले की सूचना सभी निगरानी दलों तथा उड़न दस्तों को दी जाएगी तथा इस रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा।

18.8.5. निर्धारित निरीक्षण अनुसूची के अनुसार अभ्यर्थियों के लेखा का निरीक्षण करते समय रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण अधिकारी द्वारा रजिस्टर के संगत पृष्ठों की दो छायाप्रतियाँ रखी जाएं। संगत पृष्ठों के एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी तथा दूसरी प्रति प्रत्येक अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी के पास अभिलेख के साक्ष्य के रूप में एक अलग फाइल में रखी जाएगी तथा मतदान प्रक्रिया की समाप्ति पर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। इस कार्य में, रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निरीक्षण उत्पीड़न/प्रताड़ना का साधन न बन जाए और इससे अभ्यर्थी का निर्वाचन प्रचार अभियान कार्यरत न हो जो उसका कानूनी अधिकार है।

18.8.6. इस बात का भी प्रचार किया जाना चाहिए कि व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जन भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से 1/- रुपये प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है। रजिस्टर का निरीक्षण यथा संभव केवल व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ रजिस्टर का निरीक्षण किन्हीं अपरिहार्य कारणों से व्यय प्रेक्षक को छोड़कर किसी नामित अधिकारी द्वारा किया जाता है, वहाँ व्यय प्रेक्षक को, ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के परिणाम तथा किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे निरीक्षण के कारणों से अवगत कराया जाएगा।

18.8.7. भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखने के लिए एतद्द्वारा निम्न आदेश जारी करता है -

1. यदि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी का निर्वाचन प्रतिक्रिया के दौरान ऐसी सूचना मिलती है कि किसी अभ्यर्थी ने कुछ व्यय किया है या इसके लिए प्राधिकृत किया है और उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अधीन उसके द्वारा रखे गए निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखा में उक्त पूरा व्यय या इसका कोई भाग नहीं दिखाया गया है अथवा प्राधिकृत अधिकारी या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्धारित तिथि को निरीक्षण के लिए उक्त लेखे प्रस्तुत नहीं किये है तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को जहां तक हो सके, सूचना प्राप्ति या लेखा के निरीक्षण की तरीख के 24 घण्टों के अंदर उक्त व्यय न दर्शाने व प्रमाण के साथ नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यय के ब्यौरों का उल्लेख होगा जो दैनिक लेखों में वास्तविक और सही रूप से नहीं दिखाए गये हैं, अथवा जैसी भी स्थिति हो, यह सूचना होगी, कि उसने अपना लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि, संदिग्ध पेड न्यूज के मामलों में, जहाँ मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति (एम.सी.एम.सी) की सिफारिशों के अनुसार रिटर्निंग

अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है या जारी किया जा रहा है, ऐसी मदें इस नोटिस में शामिल नहीं की जाएंगी।

2. ऐसा अभ्यर्थी 48 घण्टों के अंदर उक्त नोटिस का जबाब देगा, जिसमें वह उसके नोटिस में लाई गयी चूक के कारणों को स्पष्ट करेगा। जहाँ अभ्यर्थी नोटिस में उल्लेखित छिपाये गये व्यय की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है तो वह उसके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जाएगा।
3. जिन मामलों में अभ्यर्थी अपना दिन-प्रतिदिन का लेखा प्रस्तुत नहीं करता है और नोटिस दिये जाने के बाबजूद भी वह लेखा प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसा नोटिस दिए जाने के 48 घंटों के बाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(1) के अंतर्गत एफआईआर दायर किया जाना होता है और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों आदि के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जाएगी।
4. जिस मामले में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नोटिस मिलने के 48 घण्टों के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने नोटिस में उल्लेखित छिपायी गयी धनराशि की बात मान ली है और उसे ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा।
5. यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता नोटिस में उल्लेखित छिपाये गये व्यय की बात पर विवाद करता है, तो वह इस असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत करेगा और उसे जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डी.ई.एम.सी) को अग्रेषित करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
   (क) निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक
   (ख) जिला निर्वाचन अधिकारी
   (ग) उपजिला निर्वाचन अधिकारी/जिले के व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी
6. डी.ई.एम.सी नोटिस में उल्लेखित साक्ष्य तथा उस पर अभ्यर्थी के उत्तर की जाँच करने के पश्चात् जहां तक हो सके अभ्यर्थी से उत्तर प्राप्त होने के 72 घंटों के अंदर इस संबंध में निर्णय लेगी कि क्या ऐसे छिपाये गये व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाए या नहीं।
7. अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के 26वें दिन जिला निर्वाचन लेख में अधिकारी द्वारा बुलाई जाने वाली लेखा समाधान बैठक में निर्वाचन व्यय की कम करके दर्शाई गयी धनराशि, यदि कोई हो, के समाधान का एक और मौका दिया जाएगा।

18.9. दर तालिका तैयार करना

18.9.1. आयोग ने सभी निर्वाचन प्रेक्षक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में आगमन पर तत्काल सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्नलिखित मदों की दरें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इन मदों की सूची जो सम्पूर्ण नहीं वरन सांकेतिक है, में निम्नलिखित

शामिल है:- 1. एम्पलीफायर तथा माइक्रोफोन के साथ लाउडस्कीपर किराये पर लेने के प्रभार 2. मंच/पंडाल (4-5 व्यक्तियों के बैठने की जगह का मानक आकार) का निर्माण 3. कपड़े का बैनर 4. कपड़े के झण्डे 5. प्लास्टिक के झण्डे 6. इश्तहार (लागत का परिकलन किया जाना है तथा प्रिंटर से प्रिंट आर्डर का निर्धारण किया जाना है-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 127 (क) देखें) 7. पोस्टर 8. होर्डिंग्स 9. कट आउट्स (लकड़ी का) 10. कट आउट्स (कपड़ा/प्लास्टिक) 11. वीडियो कैसेट 12. आडियो कैसेट 13. द्वार का निर्माण 14. मेहराब का निर्माण 15. वाहनों को किराये पर लेने का दैनिक प्रभार: (i) जीप/टैम्पो/ट्रकर इत्यादि (ii) सुमो/क्वालिस (iii) कार (iv) तिपाहिया वाहन (v) साइकल रिक्शा 16. होटल के कमरों/अतिथि गृहों को किराये पर लेने का प्रभार 17. चालक के वेतन प्रभार 18. फर्नीचर (कुर्सी, सोफा, आदि) और जुड़नार को किराये पर लेने के प्रभार 19. नगर पालिका प्राधिकारियों से होर्डिंग स्थलों को किराये पर लेने के प्रभार 20. जिले में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली अन्य मदें।

18.10. बैरिकेड तथा मंच इत्यादि पर व्यय

18.10.1. बैरिकेड/मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय, जब ये संबंधित दल के आयोजकों की ओर से निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से आरम्भ में सरकारी एजेन्सियों को उस अभ्यर्थी के व्यय के रूप में दर्ज किया जाना है जिसके निर्वाचन क्षेत्र में उक्त सभा आयोजित की जाती है अथवा उन अभ्यर्थियों के समूह के व्यय के रूप में दर्ज किया जाना है जो उस समय उपस्थित रहते हैं जब किसी राजनीतिक दल का नेता ऐसी सभी को संबोधित करता हो। इन मामलों में जहाँ 'नेता' की उक्त सभा के समय राजनीतिक दल के एक से अधिक अभ्यर्थी मौजूद होते हों तो व्यय सभी के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा और जिले जहाँ ऐसी सभा होती है, का जिला निर्वाचन अधिकारी इस कार्यक्रम के तीन दिनों के भीतर संबंधित सरकारी एजेन्सियों से अंतिम लागत प्राप्त करेंगे तथा अभ्यर्थियों को व्यय की उनकी निजी हिस्सेदारी की सूचना देंगे। यह सूचना उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले के रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाएगी जहाँ से अन्य अभ्यर्थी संबद्ध हों।

18.10.2. जहाँ अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) अथवा राजनीतिक दल अथवा आयोजकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे बैरिकेड/मंच का निर्माण उनकी अपनी निधियों से ही किये जाते हैं, वहाँ धनराशि 'नेता' की सभा में उपस्थित संबंधित अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थियों के समूह के लेखों में दर्शाई जाएगी। इन लेखों का सत्यापन **व्यय प्रेक्षक** अथवा लेखा की संवीक्षा के लिए नियुक्त नामोदिष्ट अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से किया जाएगा।

18.10.3. जहाँ बैरिकेड/मंच का निर्माण सरकारी एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा हो, वहाँ अभ्यर्थी/राजनीतिक दल/आयोजक बैरिकेड/मंच की अनुमति लागत अग्रिम में जमा कर देंगे।

18.11. लेखा दाखिल करने का तरीका

18.11.1. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये रजिस्टर जिसमें अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा रखा हो, विधि के अधीन यथा अपेक्षित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थी द्वारा उसके निर्वाचन व्यय के लेखा के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे।

18.11.2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त रजिस्टर के साथ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे प्रदत्त प्रपत्र के भाग I से IV में सार विवरण भी प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित है। रजिस्टर (रजिस्टरों) या प्रपत्र के सार विवरण में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि उसमें सूचीबद्ध किसी भी मद पर कोई व्यय नहीं किया गया है अथवा प्राधिकृत नहीं किया गया है तो उपयुक्त कॉलम में 'शून्य' प्रविष्टि की जानी चाहिए।

18.11.3. इसके अलावा, प्रत्येक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय की विवरणी प्रस्तुत करते समय, निर्वाचन व्यय के अपने लेखे के समर्थन में एक हलफनामा भी दाखिल करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले हलफनामे का प्रपत्र ऊपर उल्लेखित मानक प्रपत्र का एक भाग है।

18.11.4. प्रस्तुत लेखा अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया सही एवं पूर्ण लेखा होना चाहिए तथा इसे वस्तुतः अभ्यर्थी द्वारा ही प्रमाणित किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होता और चाहे निर्वाचन अभिकर्ता लेखे को प्रमाणित करता हो, इसे स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।

18.12. लेखों के साथ दाखिल किए जाने वाले वाउचर

18.12.1. प्रत्येक अभ्यर्थी को के साथ प्रत्येक मद या व्यय के लिए वाउचर प्रस्तुत करना चाहिए जब तक कि मामले का स्वरूप ऐसा न हो कि वाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं है, उदाहरणार्थ, डाक-शुल्क रेल द्वारा यात्रा इत्यादि। सभी वाउचरों पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए।

18.13. हस्ताक्षर किये जाने वाले वाउचर

18.13.1. सार विवरण के भाग I-IV तथा शपथ-पत्र पर स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही पूरे हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जबकि बिल, वाउचर बैंक विवरण की प्रमाणित प्रतियों पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पूरे हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

18.14. लेखे दाखिल करने की अंतिम तिथि

18.14.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत लेखा निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

[**कृपया ध्यान दें:** (i) 30 दिनों की अवधि की गणना करने में, उस तारीख जिस दिन रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित करता है, को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (ii) यदि इस प्रकार परिकलित 30वां दिन रविवार अथवा अन्य छुट्टी का दिन हो और **जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय** उस दिन बंद है तो निर्वाचन व्ययों का लेखा अगले दिन जब **जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय** खुला हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे मामले में, लेखा समय प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।]

18.15. निर्वाचन की तारीख का अभिप्राय

18.15.1. किसी निर्वाचित अभ्यर्थी के 'निर्वाचन की तारीख' वह तारीख होती है जिस दिन रिटर्निंग अधिकारी उसे निर्वाचित हुआ घोषित करते हैं, चाहे वह निर्वाचन सविरोध हो या निर्विरोध।

18.16. लेखे की प्राप्ति के संकेत स्वरूप पावती जारी करना

18.16.1. जैसे ही अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय को लेखे प्रस्तुत किया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में इसकी पावती देनी चाहिए। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी को लेखा डाक द्वारा मिलता है, तो उसे तत्काल डाक से पावती ही देनी चाहिए। पावती की एक प्रति लेखा प्राप्त करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी/नामोदिष्ट अधिकारी द्वारा रखी जानी चाहिए।

18.17. लेखे दाखिल करने का नोटिस

18.17.1. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय को लेखा प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो दिन के भीतर, जिला निर्वाचन अधिकारी वे सूचना पट्ट पर एक सूचना लगाएं जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट हो -

i. तारीख जिस दिन लेखा प्रस्तुत किया गया है;

ii. अभ्यर्थी का नाम; तथा

iii. समय व स्थान जहाँ लेखे का निरीक्षण किया जा सकता है।

18.18. निरीक्षण व प्रतिलिपियाँ

18.18.1. कोई भी व्यक्ति एक रुपये के शुल्क की अदायगी करके किसी किसी अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत लेखे का निरीक्षण कर सकता है। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 88 के अनुसार, आयोग ने निर्वाचन व्यय के लेखे अथवा उसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए प्रति पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग के लिए 1 रुपये का शुल्क नियत किया है।

18.18.2. यदि निर्वाचन व्यय के लेखे के निरीक्षण के लिए उस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदन किया गया हो जब लेखा निर्वाचन आयोग के पास हो, तो आयोग से लेखा वापस प्राप्त किए लिए जाने तक उस आवेदन को आयोग को लंबित रखना चाहिए जिसके बाद आवेदन को निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

18.19. आयोग को रिपोर्ट करना

18.19.1. जिला निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा के बाद व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ तथा निर्वाचन प्रेक्षक की सहायता तथा सहयोग से प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखे के सार की संवीक्षा करेगा और परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिये संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। व्यय प्रेक्षक की टिप्पणियों को भी जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संदर्भ में जाँच रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करने में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनाएं जाने वाली प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड XIV दिनांक 2 जून, 2016 में दी गई है।

18.19.2. जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए तथा सभी अभ्यर्थियों के सार विवरण (भाग I से भाग VI) की स्कैन की गई प्रतिलिपि, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान जारी सभी सूचनाओं, यदि कोई हों, तथा उनके उत्तर को, की प्रति अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने के ठीक 3 दिनों के भीतर आम जनता तक सूचना के व्यापक प्रसार के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अवश्य रूप से डाली जानी चाहिए।

18.19.3. जिला निर्वाचन अधिकारी की जाँच रिपोर्ट को इसे अंतिम रूप देने के 3 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा, ईईएमएस सॉफ़्टवेयर में प्रविष्ट की जानी है।

18.20. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक रिपोर्ट

18.20.1. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में पृथक रिपोर्ट भेजेंगे। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए, चाहे वे निर्वाचन में निर्वाचित हुए हों अथवा पराजित।

18.21. विलंब से दाखिल किए गए लेखे

18.21.1. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय का अपना लेखा तब प्रस्तुत किया है जब डीआईओ ने अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी है, तो उसके संबंध में उसी प्ररूप में एक पूरक रिपोर्ट भेजें।

18.22. जाँच की प्रकृति

18.22.1. चूंकि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय की विवरणी में "सभी" निर्वाचन व्यय के "सही" लेखे शामिल होने चाहिए, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थी का लेखा इस दृष्टि से स्वीकार करने से पूर्व कि यह निर्धारित तरीके के अनुरूप है, ऐसी जाँच पड़ताल करेगा जो वह आवश्यक समझता हो और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन यथा अपेक्षित आयोग को अपनी रिपोर्ट के संप्रेषण के समय,

उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में तथा उपयुक्त जाँच-पड़ताल के माध्यम से उसके द्वारा यथा सत्यापित, आयोग को प्रमाणित करेगा कि लेखा विवरण निर्धारित तरीके के अनुरूप है।

18.23. रिपोर्ट का प्रकाशन

18.23.1. जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग को प्रेषित प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति अपने सूचना पट्ट पर लगाकर प्रति का प्रकाशन करेंगे।

18.24. रिपोर्ट पर आयोग का निर्णय

18.24.1. आयोग रिपोर्ट पर विचार करेगा और यह निर्णय करेगा कि क्या किसी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्यय के बारे में समय के भीतर और विधि के तहत अपेक्षित रीति से लेखा दर्ज नहीं किया है। इस तरह के मामले में आयोग अभ्यर्थी को इस आशय का कारण देने के लिए कहेगा कि उसे क्यों न अयोग्य किया जाए।

18.25. अभ्यर्थियों को आयोग के नोटिस की सुपुर्दगी

18.25.1. यह सुनिश्चित करने कि आयोग द्वारा जारी नोटिस चूककर्ता अभ्यर्थियों को शीघ्र मिल जाए तथा बिना किसी विलम्ब के मामले को निपटाया जाए। अब आयोग ऐसे नोटिस को जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करेगा ताकि यह संबंधित अभ्यर्थियों को मिल जाए। आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्ति के तीन दिन के अंदर इन अभ्यर्थियों से संबंधित नोटिस की सुपुर्दगी का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

18.25.2. अभ्यर्थी को यह नोटिस उसे प्राप्त होने के प्रमाण के रूप में उचित पावती लेकर दिया जाना चाहिए।

18.25.3. यदि अभ्यर्थी पते पर उपलब्ध नहीं है और उसके परिवार के सदस्य नोटिस लेने से मना करते हैं, तो उस नोटिस को अभ्यर्थी के आवास की दीवार/दरवाजे पर वहां रहने वाले दो गवाहों की उपस्थिति में लगाया जाए। इस आशय का एक नोट मौके पर अवश्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और उस पर गवाहों के पते के साथ उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए।

18.26. चूककर्ता अभ्यर्थी का अभ्यावेदन

18.26.1. निर्वाचन लड़ रहा कोई भी अभ्यर्थी जिसे कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, वह इस नोटिस की प्राप्ति के बीस दिनों के अंदर, निर्वाचन आयोग को लिखित अभ्यावेदन दे सकता है, और साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यावेदन की प्रति और निर्वाचन व्यय का एक पूर्ण लेखा-जोखा प्रेषित करेगा यदि उसने यह लेखा पहले प्रस्तुत नहीं किया हो।

18.27. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरक रिपोर्ट

18.27.1. जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी पूरक रिपोर्ट तथा अभ्यर्थी को नोटिस मिलने के प्रमाण के रूप में उससे प्राप्त पावती उस अवधि, जिसके भीतर आयोग द्वारा

अभ्यर्थी को अपने लेखे के साथ अपना अभ्यावेदन यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का निदेश दिया है, के समाप्त होने के बाद आयोग को तत्काल और किसी भी हालत में एक सप्ताह के भीतर भेजनी चाहिए।

18.27.2. पूरक रिपोर्ट उस स्थिति में भी भेजी जानी चाहिए जब अभ्यर्थी ने कोई अभ्यावेदन न दिया हो।

18.28. आयोग का अंतिम आदेश

18.28.1. यदि, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने एवं ऐसी जाँच जो वह सही समझे, करने के बाद निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाए कि अभ्यर्थी के पास समय पर और विधि के तहत अपेक्षित तरीके से लेखा प्रस्तुत न करने का कोई सही कारण या औचित्य नहीं है तो वह लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 10-क के अधीन आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करेगा तथा ये आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा।

18.29. अनर्हता का निराकरण

18.29.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 11 के अधीन, निर्वाचन आयोग कारण दर्ज करके ऐसी आयोग्यता हटा या उसकी अवधि को कम कर सकता है।

18.30. समय सीमा का कड़ाई के साथ अनुपालन करना

18.30.1. आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी पूर्ववर्ती पैराओं में यथानिर्दिष्ट, ऐसी सभी सीमाओं, चूककर्ता अभ्यर्थी द्वारा नोटिस के पालन, आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। आयोग इस संबंध में किसी भी चूक को गंभीरता से लेता है।

18.31. अधिकतम निर्वाचन व्यय

18.31.1. निम्नांकित तालिका के कॉलम 1 में उल्लेखित कुल व्यय, जिसका लेखा-जोखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत रखा जाना है और जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किया जाता है या प्राधिकृत किया जाता है

(क) उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट राशि; और

(ख) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में, यदि कोई हो, उक्त तालिका के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा -

क्र. सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा (रुपये में)	
		संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
	1	2	3
	I. राज्य		
1	आंध्र प्रदेश	70,00,000	28,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	54,00,000	20,00,000
3	असम	70,00,000	28,00,000
4	बिहार	70,00,000	28,00,000
5	गोवा	54,00,000	20,00,000
6	गुजरात	70,00,000	28,00,000
7	हरियाणा	70,00,000	28,00,000
8	हिमाचल प्रदेश	70,00,000	28,00,000
9	जम्मू और कश्मीर	70,00,000	---------
10	कर्नाटक	70,00,000	28,00,000
11	केरल	70,00,000	28,00,000
12	मध्य प्रदेश	70,00,000	28,00,000
13	महाराष्ट्र	70,00,000	28,00,000
14	मणिपुर	70,00,000	20,00,000
15	मेघालय	70,00,000	20,00,000
16	मिजोरम	70,00,000	20,00,000
17	नागालैंड	70,00,000	20,00,000
18	ओडिशा	70,00,000	28,00,000
19	पंजाब	70,00,000	28,00,000
20	राजस्थान	70,00,000	28,00,000
21	सिक्किम	54,00,000	20,00,000
22	तमिलनाडु	70,00,000	28,00,000
23	त्रिपुरा	70,00,000	20,00,000
24	उत्तर प्रदेश	70,00,000	28,00,000
25	पश्चिम बंगाल	70,00,000	28,00,000
26	छत्तीसगढ़	70,00,000	28,00,000
27	उत्तराखंड	70,00,000	28,00,000
28	झारखंड	70,00,000	28,00,000
29	तेलंगाना	70,00,000	28,00,000

II. संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	54,00,000	-----
2	चंडीगढ़	54,00,000	-----
3	दादरा और नगर हवेली	54,00,000	-----
4	दमन और दीव	54,00,000	-----
5	दिल्ली	70,00,000	28,00,000
6	लक्षद्वीप	54,00,000	-----
7	पुडुचेरी	54,00,000	20,00,000

18.32. धन बल के भ्रष्टाचारी प्रभाव को रोकने के उपाय

18.32.1. निर्वाचनों में धन बल की बढ़ती हुई भूमिका सर्वविदित है और यह उन गंभीर समस्याओं में से एक है जिससे कई बार निर्वाचन प्रक्रिया उस समय मज़ाक बन कर रह जाती है जब किसी अभ्यर्थी का सामना वित्तीय संसाधनों से सम्पन्न किसी दूसरे अभ्यर्थी से होता है जिसका उसे साफ तौर पर लाभ होता है। ऐसे निर्वाचन के परिणाम से लोगों की असली पसंद का पता नहीं चल सकता है। इस व्यवस्था से कई बार योग्य और सक्षम व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो जाते हैं।

18.32.2. यह सामान्य धारणा है कि विधि के उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान धनबल के गलत प्रभाव को रोकने में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं रह गए हैं।

18.32.3. इस सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक है (गडख यशवंतराव कंकरराव बनाम ई.वी., बनाम बालासाहेब विखे पाटिल एवं अन्य - एआईआर 1994 एससी 678):

"वर्तमान कानून विद्यमान वास्तविकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वयं अभ्यर्थी द्वारा किये गए या प्राधिकृत व्यय की अधिकतम सीमा तय है परन्तु उसके निर्वाचन अभियान में उसके दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय कानूनी दायरे से एकदम बाहर है। इस प्रकार जब बच कर निकला जाता है तो उक्त प्रावधान की मूल भावना समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी अभ्यर्थी द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा सिर्फ दिखावा है और स्वस्थ लोकतन्त्र बनाए रखने के जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था उससे निर्वाचन व्यय पर कोई व्यावहारिक रोक नहीं लग पाई है। लेकिन कानून में इस कमी को संसद दूर करता है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि यह धारणा और दृढ़ हो जाए कि इसे जानबूझकर बदला नहीं जा रहा है ताकि इससे सभी को सुविधा रहे। यदि ऐसा व्यवहार्य न हो तो इस प्रावधान को हटाना बेहतर होगा ताकि इसके अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करने और कानून को ताक पर रखने के अप्रत्यक्ष तरीके अपनाने को रोका जा सके और यह मान लिया जाए कि कुछ भी हो, निर्वाचन में धनबल का प्रयोग तो होगा। इस प्रावधान से अब यह वास्तविकता बिल्कुल भी छुप नहीं सकती। कानून में इस कमी की भरपाई हालाँकि संसद को करना है,

फिर भी कहीं यह धारणा सुदृढ़ न हो जाये कि इसका अवरोधन जानबूझकर सभी की सुविधा के लिए किया गया है। यदि यह व्यावहारिक नहीं है तो इसके कपट और कानून समापन के अप्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लेने से रोकने हेतु, निर्वाचनों में धनबल की भूमिका को बिना किसी संदेह के स्वीकार करते हुए इस प्रावधान को मिटाना उचित हो सकता है।

18.32.4. माननीय न्यायालय ने आगे उपरोक्त निर्णय में अपने दिल की भावना भी व्यक्त की है कि राजनैतिक दलों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेतृत्व का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे मानक अपनाएं जिनकी उनसे आशा है और निर्वाचकों को अपेक्षित जानकारी देने की प्रथा बनाए ताकि किसी भी स्तर के निर्वाचक को यह जानकारी मिले और निर्वाचन और निष्पक्ष निर्वाचन का अनुकूल वातावरण बने।

18.32.5. आयोग ने भारत सरकार को निर्वाचन व्यय से सम्बंधित कानून के उपर्युक्त प्रावधानों में कई संशोधन करने की संस्तुति की है ताकि उन्हें वास्तव में प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सके। लेकिन, अभी तक आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार कानून में संशोधन नहीं किया गया है।

18.32.6. इस बीच, आयोग ने मौजूदा कानून के दायरे के भीतर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखे को यथा संभव कम गलत ठहराने और यथा संभव सही करने के तौर-तरीकों पर भली-भांति विचार किया है।

18.33. निर्वाचन प्रेक्षकों की नियुक्ति

18.33.1. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस बात की निरन्तर निगरानी रखेंगे कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं एवं ये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा किये गए व्यय का विश्लेषण भी करेंगे और आयोग को निर्वाचकों की इच्छा को प्रभावित करने के लिए धनबल के दुरुपयोग की घटनाओं की रिपोर्ट करेंगे। आयोग इन प्रेक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में निर्वाचन व्यय की मात्रा भी निर्धारित करेंगे।

18.34. निर्वाचन लड़ रहे किसी भी अभ्यर्थी को लेखा दाखिल करने में छूट नहीं

18.34.1. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस बात की निरन्तर निगरानी रखेंगे कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं एवं ये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा किये गए व्यय का विश्लेषण भी करेंगे और आयोग को निर्वाचकों की इच्छा को प्रभावित करने के लिए धनबल के दुरुपयोग की घटनाओं की रिपोर्ट करेंगे। आयोग इन प्रेक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में निर्वाचन व्यय की मात्रा भी निर्धारित करेंगे।

18.35. संबंधित कानूनी प्रावधान

18.35.1. तत्काल संदर्भ हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में अंतर्निहित निर्वाचन व्यय के लेखा से संबन्धित संगत कानूनी प्रावधान **परिशिष्ट 38** में दिए गए हैं।

19. विविध

19.1. निरक्षर व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर

19.1.1. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 2 के उपनियम (2)(ङ) में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति जो अपना नाम नहीं लिख सकता है, तो यह माना जा सकता है कि उसने लिखत या दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया है यदि उसने इस तरह के लिखत या दूसरे दस्तावेज पर रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के सामने या इस तरह के अधिकारी के समक्ष निशान लगा दिया है जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट हो। आयोग इसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी, जो कि प्रशासनिक सेवा का है, उप-मंडल अधिकारी से नीचे स्तर का न हो, को अधिकारी नियुक्त करता है जिसकी उपस्थिति में इस तरह का निशान लगाया जा सकता है।

19.2. पांडुलिपि, टंकित अथवा निजी तौर पर मुद्रित प्ररूप

19.2.1. उपरोक्त वर्णित नियम के नियम 2(1)(छ) "प्ररूप" को इस प्ररूप के रूप में परिभाषित करता है जो कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से लगा हुआ है, जिसमें सरकारी उद्देय से किसी राज्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त किसी भी भाषाओं में अनुवाद निहित हो। जब किसी अभ्यर्थी को एक प्रपत्र का उपयोग करना है, जिसे नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, तो उसे उस प्रपत्र को अपनाना चाहिए। यदि राज्य सरकार ने प्रपत्रों का मुद्रण किया है तो अभ्यर्थी को ऐसे मुद्रित प्रपत्र की एक प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी निजी तौर पर मुद्रित, साइक्लोस्टाइल किया हुआ, टंकण किया हुआ या यहाँ तक की हाथ से लिखे हुए प्रपत्र का भी उपयोग कर सकता है जिसे स्वीकार किया जायेगा। हालाँकि, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने हेतु सावधान रहना चाहिए कि निर्धारित प्रपत्र के लेख की प्रतिलिपि उचित प्रकार से बनाई गयी है और उसके द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र में किसी प्रकार की असंगति नहीं है।

19.3. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुतीकरण और निरीक्षण

19.3.1. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 92 यह कहता है कि निर्वाचन से सम्बंधित सभी पत्रों को सुरक्षित संरक्षण में रखना जिला निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य है जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है (संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी)।

19.3.2. उक्त नियमों के नियम 93(1) के अंतर्गत, सीलबंद मतदान मशीनों, मतदाताओं के पंजिकाओं के सीलबंद पैकेट, अप्रयुक्त मतपत्रों के साथ संलग्न प्रतिपर्ण (काउंटरफॉइल) के सीलबंद पैकेट, प्रयुक्त मतपत्र (चाहे वे वैध, निविदत्त या निरस्त किए हुए

हों), प्रयुक्त मतपत्रों की काउंटरफॉइलों के पैकेट्स, निर्वाचक नामावली की अंकित प्रतिलिपियाँ, डाक मतदान के लिए अधिकृत निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाएँ और उनके हस्ताक्षर के सत्यापनों को खोला नहीं जायेगा और उनकी विषय वस्तुओं का निरीक्षण या प्रस्तुतीकरण किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत प्रस्तुत किसी व्यक्ति या अधिकारी के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

19.3.3. आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं की पर्चियों, जिन्हें आयोग के निर्देशों के अंतर्गत मतदान केन्द्र के अन्दर मतदाताओं को जारी किया जायेगा, के सीलबंद पैकेटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अतिरिक्त व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए उसी प्रकार से नहीं खोला जायेगा।

19.3.4. अन्य सभी निर्वाचन पत्रों का किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करके एवं अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त की गयी प्रमाणित प्रतिलिपियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

19.4. निर्वाचन दस्तावेजों का उत्पादन एवं निरीक्षण

19.4.1. निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 93 के उपनियम (2) में उपबंध है कि वे सारे दस्तावेज जो कि निर्वाचन से संबंधित है न कि वह, जो उपनियम (1) में संदर्भित हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा यथा निर्देशत शर्तों एवं शुल्क की अदायगी के अध्यधीन जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

19.4.2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के साथ पठित उपनियम के अनुसरण में आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए है:-

1. **निरीक्षणः**

(क) उक्त दस्तावेजों (निर्वाचन खर्च के लेखे से भिन्न) के निरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में होगा और इनमें किस निरीक्षण की जरूरत है, के रिकार्ड से संबंधित विशिष्टियां निहित होनी चाहिए।

(ख) दस्तावेज या उसके किसी भाग के निरीक्षण की अनुमति किसी व्यक्ति को प्रति घंटे के निरीक्षण के लिए 5/- रुपए शुल्क की अदायगी के साथ आवेदन देने पर दी जाएगी, जब निरीक्षण अत्यावश्यक किए जाने की जरूरत हो, तब उसके लिए या उसके भाग के लिए शुल्क 10/- रुपए प्रति घंटा होगा।

(ग) किसी साधारण आवेदन के संबंध में निरीक्षण की अनुमति आवेदन की तारीख के दिन या अगले दिन दी जाएगी और तत्काल आवेदन पर निरीक्षण की अनुमति उन्हें उसी दिन दी जाएगी। निर्वाचन खर्च के लेखे के निरीक्षण के लिए उसकी प्रतिलिपियों की आपूर्ति के संबंध में अनुदेश पिछले अध्याय में निहित हैं।

2. **सत्यापित प्रतिलिपिः** उक्त दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रतिलिपि (निर्वाचन खर्च के ब्योरे के अलावा) किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसने ऐसा आवेदन शुल्क देने के बाद

दिया हो जो कि उसी दर से प्रभारित किया जाता है जैसा कि राज्य में राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिलिपि के लिए प्रभारित किया जाता है। इसके लिए आवेदन के संदर्भ में अपनाई गई क्रियाविधि वही होगी जो राजस्व अधिकारी द्वारा देखे जाने वाले मामले के संबंध में ऐसे ही आवेदन के लिए लागू है।

3. आवेदन में अर्जी देने वाले के निरीक्षण या सत्यापित नकल की पूर्ति के लिए अधिकार को स्थापित करना चाहिए तथा उस उद्देश्य के लिए इसमें स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए कि अर्जी देने वाले का इस तरह के दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और स्पष्ट हित है और वह इस तरह के हित की प्रकृति भी प्रकट करेगा।

4. जब निरीक्षण या सत्यापित प्रतिलिपि की सरकारी उद्देश्यों के लिए आवश्यकता हो, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

19.5. परिणाम पत्रों और निर्वाचन विवरणी की प्रतिलिपियों की आपूर्ति

19.5.1. प्ररूप 20 में परिणाम पत्र की प्रतियों की आपूर्ति, यदि ये मांगी जाएं, अन्य निर्वाचन रिकार्डों के लिए शुल्क की अदायगी पर, जो कि सत्यापित प्रतियों के लिए प्रभारित किया गया हो, दी जा सकती हैं।

19.5.2. प्ररूप 21-ङ में निर्वाचन विवरणी की प्रतियां रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग द्वारा, शुल्क रू.2/- प्रति प्रतिलिपि की अदायगी पर निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 93 के उपनियम (3) के अधीन आपूर्ति की जा सकती है।

19.6. जमाराशि की वापसी के लिए आवेदन प्ररूप

19.6.1. प्रतिभूति राशि की वापसी के लिए आवेदन के प्रपत्रों को **परिशिष्ट 39** में दिया गया है। वापसी राशि के लिए प्रत्येक आवेदन अभ्यर्थी या उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसने यथोचित प्रपत्रों में अपनी ओर से राशि जमा की है। अभ्यर्थी के अतिरिक्त, जब किसी अन्य व्यक्ति ने राशि जमा की हो तो अभ्यर्थी को आवेदन का सत्यापन करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी की मृत्यु हो गयी है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।

19.7. जमाराशि कब वापस की जानी है

19.7.1. यदि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रदर्शित नहीं होता है अथवा यदि मतदान के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई हो तो जमाराशि यथा संभव सूची के प्रकाशन के बाद अथवा यथास्थिति, उसकी मृत्यु के बाद लौटाई जानी चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों ने अपने दूसरे एवं उत्तरवर्ती नामनिर्देशन के साथ और भी जमानत राशि जमा की होती है। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के बाद यथासाध्य दूसरी एवं उत्तरवर्ती जमानत राशि लौटाई जानी चाहिए। अन्य मामलों में, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के बाद जमाराशि यथासाध्य शीघ्र लौटा दी जानी चाहिए।

19.8. केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यावर्त्य जमाराशि

19.8.1. ध्यान रखें कि यदि कोई अभ्यर्थी लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा में एक से अधिक संसदीय अथवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन लड़ रहा हो तो वह अपने द्वारा अथवा उसकी ओर से दी गई जमाराशि में एक से अधिक जमाराशि वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके अथवा उसकी ओर से दी गई अन्य जमाराशि सरकार के पास जब्त कर ली जाएगी।

19.8.2. लोक सभा के निर्वाचन तथा राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ रहा अभ्यर्थी, दोनों निर्वाचन साथ-साथ होने की स्थिति में दोनों निर्वाचनों में दी गई जमाराशि को वापस प्राप्त करने का पात्र होता है, यदि वह ऐसी जमा राशि वापस प्राप्त करने का अन्यथा पात्र हो क्योंकि दोनों निर्वाचन अलग-अलग हैं।

19.9. जमा वापसी की शर्तें

19.9.1. किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई जमाराशि तभी वापस की जाएगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:-

i. अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची में नहीं दिखाई देता है अर्थात् उसका नामनिर्देशन या तो अस्वीकृत कर दिया गया अथवा उसका नामनिर्देश स्वीकृत किए जाने के बाद उसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है; अथवा

ii. मतदान शुरू होने के पहले उसकी मृत्यु हो गई हो; अथवा

iii. वह निर्वाचित हो गया हो; अथवा

iv. वह निर्वाचित नहीं हुआ हो किन्तु निर्वाचन में सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या के 1/6 से अधिक मत प्राप्त किए हों।

कृपया ध्यान दें

i. यदि अभ्यर्थी ने सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या का ठीक 1/6 मत प्राप्त किया हो तो जमाराशि वापस नहीं की जाएगी।

ii. यदि अभ्यर्थी निर्वाचित हो गया हो तो जमाराशि वापस कर दी जाएगी भले ही उसने सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त कुल वैध मतों के 1/6 से अधिक मत प्राप्त नहीं किया हो।

19.10. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को जमाराशि की वापसी

19.10.1. जहाँ अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी किसी साधारण निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ता है तो उसे धारा 34(1) के अधीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की स्थिति में 25000 रुपये के स्थान पर केवल 12500 रुपये की धनराशि तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की स्थिति में 10000 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये की धनराशि जमा करने की आवश्यकता है। यदि वह गलती से अथवा अन्यथा 25000 रुपये अथवा यथास्थिति 10000 रुपये की पूर्ण राशि जमा कर देता है तो

वह अपने द्वारा वस्तुतः जमा की गई अतिरिक्त धनराशि के वापस लेने का पात्र होगा। ऐसी राशि वापस करने की अनुमति देने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को अपने-आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

19.11. निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक

19.11.1. अभ्यर्थी की सुविधा के लिए, भारत के संविधान में समाविष्ट निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक से सम्बंधित प्रासंगिक प्रावधानों को फिर से नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

"329. इस संविधान में निर्वाचन के विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक के होते हुए भी,

क. अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अंतर्गत, बनाये गए या बनाये जाने के अभिप्राय वाले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से सम्बंधित किसी नियम की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी;

ख. संसद के दोनों सदनों के लिए या राज्य के एक या दोनों विधानमंडलों के लिए किसी भी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकेगी, केवल ऐसे प्राधिकारी को और इस तरह से प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त, जिसे उपयुक्त विधेयक द्वारा बनाये गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्रावधान किया गया हो।

19.11.2. सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अनेक निर्णयों द्वारा यह व्यवस्था दी है कि संविधान के उपरोक्त उद्धृत अनुच्छेद 329 (ख) में प्रयुक्त किया गया 'निर्वाचन' शब्द निर्वाचन कराने की अधिसूचना जारी करने और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने तक की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को दर्शाता है (देखें; एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी, नमक्कल और अन्य (एआईआर 1952 एससी 64), मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य (एआईआर 1978 एससी 851), लक्ष्मी चरण सेन और अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य (एआईआर 1985 एससी 1233), निर्वाचन आयोग बनाम शिवाजी (एआईआर 1988 एससी 61) आदि। सभी न्यायालयों को किसी संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के अंतर्गत मध्यस्थ चरण में निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या उसे निषेध करने के लिए, निर्णयात्मक ढंग से रोका जाता है।

19.11.3. किसी निर्वाचन से सम्बंधित सभी संशयों और विवादों को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 4 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात सम्बंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका दायर करके ही उठाया जा सकता है और अन्य किसी ढंग से नहीं।

19.12. बाल श्रम

19.12.1. आयोग ने विभिन्न निर्वाचन गतिविधियों में बाल श्रम के उपयोग को कड़े अपवाद के रूप में लिया है और यह निर्देश दिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े किसी कार्य से बाल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आयोग द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा और इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

20. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

20.1. कौन निर्वाचन लड़ सकता है

प्रश्न 1. लोकसभा (लोक सभा) या विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तरः नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की तारीख को आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (संदर्भ: भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (ख) और संविधान के अनुच्छेद 173 (ख) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 36 (2) ।

प्रश्न 2. मैं किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हूं। क्या मैं निर्वाचन लड़ सकता हूं?

उत्तरः नहीं। अभ्यर्थी को निर्वाचन लड़ने के लिए वर्तमान निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (4)(घ) और धारा 5(ग))

प्रश्न 3. मैं एक राज्य विशेष में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हूं। क्या मैं उस राज्य के बाहर लोक सभा के लिए निर्वाचन लड़ सकता हूं?

उत्तरः हाँ। अभ्यर्थी असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर देश में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ सकता है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4)

प्रश्न 4. एक व्यक्ति किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। क्या वह वह किसी अन्य राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर लोक सभा का निर्वाचन लड़ सकता है?

उत्तरः हाँ। वह किसी अन्य राज्य से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचन लड़ सकते हैं। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4)

प्रश्न 5. एक व्यक्ति किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। क्या वह वह किसी अन्य राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर लोक सभा का निर्वाचन लड़ सकता है?

उत्तरः हाँ। लक्षद्वीप के असम के स्वायत्व जिलों के अलावा और असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर वह किसी अन्य राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर लोक सभा का निर्वाचन लड़ सकता है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4)

प्रश्न 6. एक व्यक्ति एक विशेष राज्य में एक निर्वाचक है। क्या वह किसी अन्य राज्य की विधानसभा में सीट के लिए निर्वाचन लड़ सकते हैं?

उत्तरः नहीं। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5)

प्रश्न 7. एक व्यक्ति किसी राज्य विशेष में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह अन्य राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य है। क्या वह विधान सभा के लिए उस राज्य की किसी आरक्षित सीट पर निर्वाचन लड़ सकता है, जहाँ वह एक मतदाता है?

उत्तरः नहीं। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5)

प्रश्न 8. एक व्यक्ति किसी राज्य विशेष में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह अन्य राज्य की अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। क्या वह विधान सभा के लिए उस राज्य की किसी आरक्षित सीट पर निर्वाचन लड़ सकता है, जहाँ वह एक मतदाता है?

उत्तरः नहीं। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5)

प्रश्न 9. एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है। क्या वह एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ सकता है?

उत्तरः हाँ। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 एवं 5)

प्रश्न 10. एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है। क्या वह निर्वाचन लड़ सकता है?

उत्तरः नहीं। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3))

प्रश्न 11. यदि उक्त व्यक्ति जमानत पर है, उसकी अपील लंबित है, क्या वह निर्वाचन लड़ सकता है?

उत्तरः नहीं। यदि कोई व्यक्ति ज़मानत पर भी हो, दोषसिद्धी के बाद और उसकी अपील का निपटान होने तक, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वह निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होता। किन्तु यदि उसके दोषी ठहराए जाने पर स्टे मिल जाता है, तो वह निर्वाचन लड़ सकता है।

प्रश्न 12. क्या जेल में कैद कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत डाल सकता है?

उत्तरः नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं डाल सकता, जो जेल में कैद हो, भले ही वह सजायाफ्ता हो अथवा देशनिकाला प्राप्त हो अथवा अन्यथा, अथवा वह पुलिस की कानूनी कैद में हो। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 (5))

प्रश्न 13. क्या एक व्यक्ति जिसे किसी निवारक कानून के तहत कैद मिली हो तो क्या वह किसी निर्वाचन में मत डालने का पात्र है?

उत्तरः हाँ। वह डाक मत-पत्र द्वारा मत डालने का पात्र है (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) और निर्वाचन आचरण नियम 1961 का नियम 18 (क) (iv) के प्रावधान)।

प्रश्न 14. क्या कोई प्रवासी निर्वाचक निर्वाचन लड़ सकता है?

उत्तरः हाँ। एक प्रवासी निर्वाचक जिसका नाम निर्वाचक नामावली में हो, वह निर्वाचन लड़ने का अधिकारी है, बशर्ते वह अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी करता हो। निर्धारित कानूनी

आवश्यकताओं में से एक अनिवार्य योग्यता यह है कि अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में इस संबंध में आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेना होगा।

20.2. जमानत राशि

प्रश्न 1. प्रत्येक अभ्यर्थी को जमानत राशि जमा करना आवश्यक है। लोकसभा निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी है?

उत्तरः पच्चीस हजार रुपये। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 (1) (क))

प्रश्न 2. क्या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबद्ध किसी अभ्यर्थी के लिए लोक सभा निर्वाचन के लिए जमानत राशि में कोई रियायत है?

उत्तरः हाँ। यह बारह हजार पाँच सौ रुपये है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 (1) (क))

प्रश्न 3. विधान सभा निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी है?

उत्तरः दस हजार रुपये। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 (1) (ख))

प्रश्न 4. क्या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबद्ध किसी अभ्यर्थी के लिए विधान सभा निर्वाचन के लिए जमानत राशि में कोई रियायत है?

उत्तरः हाँ। यह पाँच हजार रुपये है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 (1) (ख))

प्रश्न 5. यदि एक व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, यदि वह सामान्य सीट से निर्वाचन लड़ता है, तो उसे लोक सभा/विधान सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी अपेक्षित होगी?

उत्तरः लोकसभा के लिए बारह हजार पाँच सौ रुपये/विधानसभा के लिए पाँच हजार रुपये। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 (1) (क) (ख))

प्रश्न 6. किस अभ्यर्थी की जमानत राशि जब्त हो जाती है?

उत्तरः एक हारा हुआ अभ्यर्थी, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में वैध मतों का छठवां हिस्सा पाने में विफल रहता है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 (4))

20.3. नाम निर्देशन

प्रश्न 1. यदि, मैं एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य के किसी दल का एक अभ्यर्थी हूं, मुझे अपने नाम निर्देशन के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी?

उत्तरः केवल एक। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1))

प्रश्न 2. यदि मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी हूं अथवा एक गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल का अभ्यर्थी हूं, मुझे अपने नाम निर्देशन के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी?

उत्तरः दस। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1))

प्रश्न 3. क्या कोई व्यक्ति लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन जितने निर्वाचन क्षेत्रों से चाहे लड़ सकता है

उत्तरः नहीं। एक व्यक्ति लोकसभा/विधानसभा के लिए एक साधारण निर्वाचन में दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33)

प्रश्न 4. क्या किसी सदन में एक-साथ होने वाले उप-निर्वाचनों के लिए समान प्रतिबंध लागू होंगे?

उत्तरः हाँ। एक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा समान सदन में एकसाथ होने वाले दो उप-निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नहीं लड़ सकता। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7))

प्रश्न 5. एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए कितने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं?

उत्तरः चार। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (6))

प्रश्न 6. क्या मैं अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जुलूस के साथ जा सकता हूं?

उत्तरः नहीं। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के भीतर वाहनों की अधिकतम संख्या 3 तक सीमित है और अधिकतम 5 व्यक्तियों (अभ्यर्थी सहित) को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

प्रश्न 7. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम-निर्देशनों की जाँच के समय कितने व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होती है?

उत्तरः अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक और एक अन्य व्यक्ति (जो एक अधिवक्ता हो सकता है) जो लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत होंगे, किन्तु कोई अन्य व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम-निर्देशनों की जाँच के समय उपस्थित नहीं हो सकता। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (1))

प्रश्न 8. यदि कोई अभ्यर्थी, जिसके नाम निर्देशन पत्र के संबंध में कोई आपत्ति की गई हो, उस आपत्ति को दूर करने हेतु समय के लिए आवेदन करता है, तो क्या रिटर्निंग अधिकारी उक्त अभ्यर्थी को समय देंगे?

उत्तरः हाँ। रिटर्निंग अधिकारी आपत्ति की सुनवाई को अगले दिन तक अथवा उसके अगले दिन प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से सुनवाई को अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित दिन को अपराह्न 3.00 बजे से पहले पूरी कर लेनी चाहिए।

20.4. शपथ अथवा पुष्टि

प्रश्न 1. क्या किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करे?

उत्तरः हाँ। (संदर्भ: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 4(क) या संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 4(क), संविधान के अनुच्छेद 84 (क) या अनुच्छेद 173 (क))

प्रश्न 2. निर्वाचन आयोग का वह अधिकृत व्यक्ति कौन होता है जिसके समक्ष शपथ ली जाती है अथवा प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर किया जा सकता है?

उत्तरः किसी निर्वाचन विशेष के लिए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, प्रमुख रूप से, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी जेल में कैद हो अथवा निवारक रोक के अधीन हो, तो जेल अधीक्षक अथवा डिटेंशन कैम्प का कमांडेंट, जहाँ वह कैद हो, अथवा जहाँ उसे रोके रखा गया हो, वे शपथ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई अभ्यर्थी अपनी बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी अस्पताल अथवा कहीं और भर्ती हो, तो अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अथवा उसका इलाज कर रहे चिकित्सक समान रूप से प्राधिकृत हैं। यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में हो, तो भारतीय राजदूत अथवा उच्चायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत डिप्लोमेटिक काउंसलर (कौंसलीय प्रतिनिधि) भी शपथ/प्रतिज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हो सकते हैं।

प्रश्न 3. अभ्यर्थी द्वारा कब शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेना अपेक्षित होती है?

उत्तरः अभ्यर्थी को अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के तत्काल बाद व्यक्तिगत रूप से शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेना होता है और यह कार्य किसी भी मामले में जाँच की तारीख से एक दिन पहले होना चाहिए।

20.5. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

प्रश्न 1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक कौन आवंटित करता है?

उत्तरः रिटर्निंग अधिकारी. [संदर्भ: निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968]

प्रश्न 2. किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य के दल के अभ्यर्थी को आरक्षित निर्वाचन प्रतीक कैसे आबंटित किया जाता है?

उत्तरः आरक्षित निर्वाचन प्रतीक के लिए अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन प्ररूप में यह घोषणा करनी होती है कि उसे संबंधित मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़ा किया गया है और इस प्रयोजनार्थ कि उसे दल द्वारा खड़ा किया गया है, उसे दल के अधिकृत पदाधिकारी से प्ररूप ख में निर्धारित घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है। प्ररूप ख में निर्धारित घोषणापत्र पर दल के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके नमूना हस्ताक्षर प्ररूप-क के तहत प्रस्तुत किए गए हों, बशर्ते दोनों प्ररूप राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तारीख को दोपहर 3

बजे से पहले सौंपे जा चुके हों। [संदर्भ: निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 8 और 13]

प्रश्न 3. क्या कोई अभ्यर्थी प्ररूप क और प्ररूप ख में राजनीतिक दल के पदाधिकारी के वास्तविक हस्ताक्षर अथवा रबर की मोहर इत्यादि के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ घोषणापत्र प्रस्तुत कर सकता है?

उत्तरः नहीं। प्ररूप क और प्ररूप ख पर राजनीतिक दल के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। [संदर्भ: निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 13]

प्रश्न 4. क्या किसी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित कोई अभ्यर्थी अथवा स्वतंत्र रूप से निर्वाचन लड़ रहा कोई अभ्यर्थी मुक्त प्रतीक में निर्धारित कोई निर्वाचन प्रतीक चुन सकता है?

उत्तरः हाँ। इस उद्देश्य से, उक्त अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार और अपने नाम निर्देशन पत्र में किए समान उल्लेख के अनुसार, सूची में से 3 प्रतीक का चयन कर सकता है। [संदर्भ: निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 12]

प्रश्न 5. क्या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप क और प्ररूप ख प्रस्तुत करे?

उत्तरः हाँ। [संदर्भ: निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 का अनुच्छेद 13]

20.6. निर्वाचन अभिकर्ता

प्रश्न 1. एक अभ्यर्थी के रूप में, क्या मैं निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता हूं?

उत्तरः हाँ। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 40)

प्रश्न 2. निर्वाचन अभिकर्ता के कार्य क्या हैं??

उत्तरः निर्वाचन अभिकर्ता विधि के अन्तर्गत प्राधिकृत कोई भी कार्य कर सकता है जिसे अभ्यर्थी द्वारा उसको सौंपा जाए। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 45)

प्रश्न 3. क्या सुरक्षा कवर में रहने वाले किसी मंत्री/सांसद/विधायक/निगम पार्षद अथवा किसी अन्य व्यक्ति, को निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ। कोई अभ्यर्थी किसी सुरक्षा कवर में रहने वाले मंत्री/सांसद/विधायक/निगम पार्षद अथवा किसी अन्य व्यक्ति, को निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी किसी नियुक्ति से उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, क्योंकि उसके सुरक्षाकर्मी उसके साथ किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर, जिसे "पोलिंग स्टेशन नेबरहुड" कहा जाता है, और मतदान

बूथ के भीतर तथा मतगणना केन्द्र के परिसर और मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। साथ ही, सुरक्षा कवर में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता बनने के लिए अपने सुरक्षा कवर को सरेंडर नहीं कर सकता।

प्रश्न 4. एक अभ्यर्थी के रूप में, क्या मैं अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता हूं?

उत्तरः जी हाँ, प्रत्येक अभ्यर्थी को व्यय संबंधी विभिन्न मामलों में सहायता हेतु एक अतिरिक्त अभिकर्ता की नियुक्ति करने की अनुमति है। यह अतिरिक्त अभिकर्ता केवल व्यय संबधी मामलों पर नजर रखने जैसे गैर-सांविधिक कार्यों के लिए होगा। सांविधिक कर्तव्यों के मामले में, जो निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी की ओर से कार्य के लिए अधिकृत होता है, वह केवल निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ही किया जा सकता है।

20.7. मतदान अभिकर्ता

प्रश्न 1. एक अभ्यर्थी के रूप में, क्या मैं कहीं से भी व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकता हूं?

उत्तरः नहीं। ऐसा व्यक्ति जो आपके द्वारा मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया हो वह एक साधारण नागरिक होना चाहिए तथा उस संबद्ध मतदान केन्द्र के क्षेत्र का ही निर्वाचक होना चाहिए और संबंद्ध मतदान केन्द्र से बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।

प्रश्न 2. क्या अभ्यर्थी को प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त करना आवश्यक है?

उत्तरः कानूनन अभ्यर्थी अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तीन मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है ताकि वे उसके हितों का ध्यान रख सकें। किन्तु किसी एक समय, केवल एक उक्त अभिकर्ता मतदान केन्द्र के भीतर रह सकता है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 46 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 13)

प्रश्न 3. मतदान अभिकर्ताओं के कर्तव्य क्या हैं?

उत्तरः मतदान अभिकर्ताओं का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि उनकी नियुक्ति करने वाले अभ्यर्थी के हित मतदान केन्द्र पर सुरक्षित हैं और इसके लिए वह जिस निर्वाचक के वास्तविक निर्वाचक होने पर संदेह हो, वे उसकी पहचान को चुनौती देकर उसे रोकते हैं तथा मतदाताओं का पता लगाने तथा प्रतिरूपण रोकने में पीठासीन अधिकारी की सहायता करते हैं और देखते हैं कि ईवीएम और वीवीपीएटी मतदान के दौरान और समापन के पश्चात समुचित रूप से सुरक्षित/सीलबंद की गई है और मतदान का अभ्यास उनकी उपस्थिति में होता हो तथा मतदान की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित होती हो।

प्रश्न 4. मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर सामान्यतया कब तक पहुंचना अपेक्षित होता है?

उत्तरः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह मतदान केन्द्र पर मतदान आरंभ होने से कम से कम एक घंटा पहले अपने मतदान को अभिकर्ता नियुक्त करे ताकि वे पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम को तैयार करने के दौरान तथा मॉक पोल किए जाने के समय इत्यादि के समय उपस्थित रह सकें।

प्रश्न 5. क्या मतदान केन्द्र में किसी भी समय मतदान अभिकर्ता को उसके रिलिव करने वाले अभिकर्ता से बदले जाने की अनुमति दी जा सकती है?

उत्तरः जी हाँ। किन्तु मतदान अभिकर्ता का इस प्रकार का प्रतिस्थापन मतदान की समाप्ति से दो घंटे पूर्व किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

20.8. मतदान कार्मिक

प्रश्न 1. मतदान दलों के गठन के लिए मतदान कर्मियों का चयन कैसे किया जाता है?

उत्तरः किसी जिले में सभी पात्र सरकारी कर्मियों (केन्द्र/राज्य सरकारी) की जानकारी उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में रखी जाती है और इसके बाद कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त नामों को यादृच्छिक तरीके से मिश्रित किया जाता है और उनमें से मतदान दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः, किसी ऐसे व्यक्ति को उस विधान सभा क्षेत्र में मतदान ड्यूटी नहीं दी जाती, जिस क्षेत्र में वह कार्यरत हो अथवा जहाँ वह निवास करता हो अथवा वह निर्वाचन क्षेत्र, उसका घरेलू निर्वाचन क्षेत्र हो।

प्रश्न 2. मतदान दलों को कब सूचित किया जाता है कि उन्हें सौंपे जा रहे मतदान केन्द्र की संख्या और नाम क्या है?

उत्तरः मतदान दलों को वास्तविक मतदान केन्द्र की संख्या और नाम उसी समय बताया जाता है जब वे केन्द्र में ड्यूटी के लिए जाने की शुरुआत करते हैं।

प्रश्न 3. किसी व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उसे किसी मतदान केन्द्र पर मतदान कार्मिक/मतगणना कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है?

उत्तरः जिन सरकारी अधिकारियों को मतदान कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी किए जाते हैं।

प्रश्न 4. क्या महिला मतदान कर्मियों के लिए कोई रियायत है?

उत्तरः हाँ। महिला मतदान कर्मी को कंप्यूटर की यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें पर्यवक्षक द्वारा मैनुअल यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नजदीकी मतदान केन्द्रों पर ड्यूटी दी जानी चाहिए ताकि वे मतदान के दिन ही प्रातःकाल में मतदान केन्दों में जा सकें।

20.9. निर्वाचन अभियान

प्रश्न 1. क्या निर्वाचन संबंधी कार्यो के प्रयोजनार्थ वाहनों को सेवा में लगाने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ। एक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी कार्यो के प्रयोजनार्थ कितनी भी संख्या में वाहनों का उपयोग कर सकता है (2 पहिया वाहनों सहित सभी यांत्रिकीय/मोटरयुक्त वाहन), किन्तु इसके लिए अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी का अनुमोदन लेना होगा और वाहन की विंडस्क्रीन पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी परमिट मूल रूप में (फोटोकॉपी नहीं) प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करना होगा। परमिट पर वाहन का नंबर और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में वह जारी होगा, उसका नाम लिखा होगा। इस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रश्न 2. क्या जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना निर्वाचन संबंधी कार्यो के प्रयोजनार्थ कोई वाहन उपयोग में लाया जा सकता है?

उत्तरः जी नहीं। ऐसा वाहन अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के लिए अनधिकृत माना जाएगा और उसके लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-क के प्रावधान के अनुसार दंड लगाया जा सकता है और इसलिए उक्त वाहन को प्रचार कार्य से हटा देना चाहिए।

प्रश्न 3(क). क्या संबंधित दल के अभ्यर्थी या सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, झंडा आदि प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः एक अभ्यर्थी संबंधित पार्टी के पोस्टर, इश्तहार, बैनर, झंडे इत्यादि सार्वजनिक संपत्ति पर प्रदर्शित कर सकता है बशर्ते इसके लिए स्थानीय कानून और लागू निषेधात्मक आदेशों का पालन किया जाता हो।

प्रश्न 3(ख). यदि स्थानीय कानून/उप-नियम तो निजी परिसरों/संपत्तियों पर दीवार पर लिखाई और पोस्टर चिपकाने, होर्डिंग बैनर इत्यादि लगाने की अनुमति देते हों, तो क्या उस परिसरों/संपत्तियों के मालिकों से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी?

उत्तरः हाँ। अभ्यर्थी को परिसरों/संपत्तियों के मालिकों से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होती है और उक्त अनुमति की फोटोप्रतियां 3 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी अथवा इस उद्देश्य से नामित किसी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रश्न 3(ग). क्या किसी जुलूस और अभ्यर्थी के वाहन पर संबंधित पार्टी के पोस्टर/इश्तहार/बैनर/झंडे प्रदर्शित करने/ले जाने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः एक अभ्यर्थी जूलूस के दौरान अपने वाहन पर पोस्टर/इश्तहार/बैनर/झंडे प्रदर्शित कर सकता है बशर्ते वह मोटर वाहन अधिनियम और अन्य स्थानीय विधि/उप-विधि के प्रावधानों का पालन करता हो।

प्रश्न 3(घ). क्या शिक्षण संस्थानों सहित उनके मैदानों (भले ही वे सरकारी सहायता प्राप्त हों, निजी अथवा सरकारी हों) का राजनैतिक प्रचार और रैलियों हेतु इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः शिक्षण संस्थानों सहित उनके मैदानों (भले ही वे सरकारी सहायता प्राप्त हों, निजी अथवा सरकारी हों) का राजनैतिक प्रचार और रैलियों के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 4 क्या रैलियों के लिए उपयोग होने वाले वाहनों में कोई बाहरी फिटिंग/आशोधन करने की अनुमति दी जाती है?

उत्तरः लाउडस्पीकरों की फिटिंग सहित वाहनों पर बाहरी आशोधन मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियमों के अनुसार किए जाएंगे। आशोधित वाहन और विशेष प्रचार वाहन जैसे वीडियो रथ इत्यादि केवल तभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब सक्षम प्राधिकारी से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत इसकी अनुमति प्राप्त कर ली जाती हो।

प्रश्न 5. क्या राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थी द्वारा अस्थायी कार्यालयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए कोई शर्तें/दिशानिर्देश हैं?

उत्तरः हाँ। ऐसे कार्यालय किसी निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति पर/किसी धार्मिक स्थल पर अथवा ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में/किसी शिक्षा संस्थान/अस्पताल से सटे क्षेत्र/विद्यमान मतदान केन्द्र के 200 मी. के क्षेत्र में अतिक्रमण करके नहीं खोले जा सकते। साथ ही, ऐसे कार्यालय केवल एक दल के झंडे और बैनर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके साथ पार्टी का निर्वाचन प्रतीक/फोटोग्राफ हो सकते हैं और ऐसे कार्यालयों में उपयोग होने वाले बैनर का आकार 4 फीट x 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें यह भी शर्त होती है कि यदि बैनर/होर्डिंग इत्यादि के लिए स्थानीय नियमानुसार कम आकार भी निर्धारित हो सकता है, तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित कम आकार का नियम लागू होगा।

प्रश्न 6. वह कौन सी समय सीमा है जिसके बाद कोई जनसभा और जुलूस नहीं निकाला जा सकता है?

उत्तरः रात्रि 10.00 बजे के बाद और प्रातः 6.00 बजे से पहले जनसभाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं। साथ ही, अभ्यर्थी द्वारा मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे के भीतर जनसभाओं और जुलूसों का आयोजन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए, मतदान का दिन 7 दिसंबर, 2018 (शुक्रवार) निर्धारित है और मतदान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 5.00 बजे तक तय है, तो जनसभाओं और जुलूसों आदि का आयोजन 5 दिसंबर, 2018 (बुधवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगा। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126)

प्रश्न 7. क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार अवधि समाप्त हो जाने के बाद राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ। प्रचार अवधि (मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले) ऐसे राजनैतिक कार्यकर्ता, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हों, और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न हों, को उस निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रचार अभियान समाप्त हो जाने के बाद तत्काल उक्त निर्वाचन क्षेत्र से चले जाना चाहिए।

प्रश्न 8. क्या किसी राज्य के राजनैतिक दल के पदाधिकारी, जो निर्वाचन प्रभारी भी हों, के मामले में ऐसे प्रतिबंध लागू हैं?

उत्तरः हाँ। हालांकि, लोकसभा/राज्यों की विधान सभाओं के आम निर्वाचनों के ऐसे किसी पदाधिकारी, जो निर्वाचन अवधि के दौरान राज्य के निर्वाचन प्रभारी भी हों, के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। ऐसे पदाधिकारी राज्य के मुख्यालयों में अपने प्रवास के स्थान के बारे में तथा इस आलोच्य अवधि के दौरान अपनी आवाजाही की जानकारी सामान्यतः अपने पार्टी कार्यालय और अपने प्रवास के स्थान के बीच आवाजाही तक सीमित रखेंगे। सभी निर्वाचनों में अन्य कार्यकर्ताओं के संबंध में उपरोक्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।

प्रश्न 9. क्या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी की कोई व्यवस्था है?

उत्तरः हाँ। निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय/राज्य स्तर की राजनैतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा बैठकों को संबोधित करने/इनमें शामिल होने, हिंसक घटनाओं इत्यादि के वीडियोटेप रिकार्ड करने के लिए वीडियो टीमें गठित की जाती हैं।

प्रश्न 10. क्या प्रचार के दौरान विशेष सामग्री जैसे टोपी, मास्क, स्कार्फ इत्यादि पहनने की अनुमति होती है?

उत्तरः हाँ, बशर्ते उनका लेखा-जोखा संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में डाला जाता हो। तथापि, मुख्य कपड़ों जैसे साड़ी, कमीज़ की आपूर्ति और वितरण पार्टी/अभ्यर्थी द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह मतदाताओं को घूस देना माना जाता है।

प्रश्न 11. क्या पर्चे, पोस्टर आदि के मुद्रण पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ। कोई अभ्यर्थी ऐसा कोई निर्वाचन पर्चा अथवा पोस्टर प्रिंट अथवा प्रकाशित नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई नाम प्रिंट अथवा प्रकाशित नहीं करवाएगा, जिस के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंटर अथवा प्रकाशक का नाम और पता नहीं दिया गया हो। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क)

प्रश्न 12. क्या निर्वाचन प्रचार के लिए पूजा स्थलों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निर्वाचन प्रचार के लिए पूजा स्थलों के किसी भी तरह के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निषेध) अधिनियम, 1988 किसी राजनैतिक दल के लाभ के लिए किन्ही राजनैतिक विचारों अथवा राजनैतिक गतिविधियों के प्रचार और प्रसार के लिए धार्मिक संस्थानों के इस्तेमाल अथवा धार्मिक संस्थानों के फंड के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।

20.10. मतदान दिवस

प्रश्न 1. क्या अभ्यर्थी/राजनैतिक पार्टियों द्वारा मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र के निकट निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए कोई दिशानिर्देश हैं?

उत्तरः निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी पर बनाया जा सकता हैं, जहाँ केवल 1 अथवा 2 कुर्सियां, 1 छाता अथवा दो व्यक्तियों के बचाव हेतु तिरपाल अथवा कपड़े का एक टुकड़ा तथा बूथ पर अभ्यर्थी/पार्टी के नाम के साथ निर्वाचन प्रतीक वाला एक बैनर (3 X 4.5 फीट) प्रदर्शित किया जा सकता है। वहाँ कोई भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 2. निर्वाचन बूथ बनाने के लिए क्या संबंधित सरकारी प्राधिकारियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तरः हाँ। ऐसे निर्वाचन बूथ बनाने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकारियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बूथ पर बैठने वाले व्यक्ति के पास पुलिस/निर्वाचन प्राधिकारियों के मांग करने पर उन्हें दिखाने के लिए लिखित अनुमति होनी चाहिए।

प्रश्न 3. यदि कोई राजनैतिक दल किसी क्षेत्र में बूथ स्थापित नहीं कर सकता था इसके लिए तैयार नहीं है तो क्या मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में अपना नाम पता लगाने के लिए कोई सुविधा प्रदान की जाती है?

उत्तरः हाँ। एक "मतदाता सहायता बूथ" ऐसे परिसर/भवन में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ तीन या अधिक मतदान केंद्र स्थित हैं और वहाँ यह एक उचित साइनेज के साथ अधिकारियों की एक टीम द्वारा संचालित होते हैं, जिनके पास मतदाताओं को नामावली में उनकी क्रम सं. और रोल और संबंधित मतदान केंद्र का पता लगाने में सहायता देने के लिए वर्णमाला के क्रम में निर्वाचक नामावली की सूची प्रदान की जाती हैं। यदि राजनैतिक दल अपनी असमर्थता के बारे में पहले से सूचित करते हैं, तो जिला निर्वाचन अधिकारी अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं।

प्रश्न 4. क्या मतदान केंद्र में या उसके आस-पास प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तरः हाँ। मतदान के दिन मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर मत आदि के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। (संदर्भ: 1951 के प्रतिनिधित्व की धारा 130)

प्रश्न 5. क्या मतदान केंद्र के पास या उसके पास सशस्त्र जाने पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तर: हाँ। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास शस्त्र अधिनियम 1959 में शस्त्र के रूप में यथा-परिभाषित हथियारों से लैस किसी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। (संदर्भ: 1951 के अभ्यावेदन की धारा 134ख)

प्रश्न 6. मतदान के दिन, अभ्यर्थी को कितने वाहन प्रयोग करने का अधिकार है?

उत्तरः (I) लोकसभा निर्वाचन के लिए, एक अभ्यर्थी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन और पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन का हकदार होगा। इसके अलावा, उस संसदीय क्षेत्र में शामिल प्रत्येक विधानसभा खंड के लिए उनके कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं जैसा भी मामला हो, के उपयोग के लिए एक वाहन का उपयोग किया जा सकता हैं।

राज्य विधानसभा के किसी निर्वाचन के लिए, किसी अभ्यर्थी को उसके स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन रखने का हकदार होगा। इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन का उपयोग कर सकता है।

प्रश्न 7. यदि अभ्यर्थी निर्वाचन के दिन निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित रहता है, तो क्या उसके नाम पर आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। अभ्यर्थी के उपयोग के लिए आवंटित वाहन का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 8. क्या मतदान के दिन निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग किया जा सकता है?

उत्तरः नहीं। अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को केवल चार/तीन/दोपहिया वाहनों अर्थात कार (सभी प्रकार के), टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और दो पहिया वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। इन वाहनों में, वहाँ चालकों सहित पाँच से अधिक व्यक्तियों को मतदान के दिन लाने-ले जाने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 9. क्या निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा मतदान की कार्यवाही की निगरानी के लिए मतदान केंद्रों के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की जाती है या नहीं?

उत्तरः उच्चतम न्यायालय ने 2003 की सिविल अपील संख्या 9228 (जनक बिंघम बनाम दास राय और अन्य) में दिनांक 11 जनवरी, 2005 के अपने निर्णय में निहित सुझावों के संदर्भ में विभिन्न कारकों के संबंध में संवेदनशील माने गए कतिपय अभिचिन्हित मतदान केन्द्रों में मतदान की गोपनीयता से समझौता किए बिना निर्वाचकों की तस्वीर लेने तथा सभी कार्यवाहियों को कवर करनेके लिए मतदान केन्द्र के भीतर अधिकृत वीडियो-ग्राफर को फोटोग्राफी की अनुमति दी गई है।

प्रश्न 10. क्या पीठासीन अधिकारी या कोई अन्य मतदान अधिकारी किसी भी समय "वोटिंग कम्पार्टमेंट" (मतदान कोष्ठ) का निरीक्षण कर सकता है?

उत्तरः हाँ। पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान कक्ष का दौरा कर सकते हैं कि किसी भी मतदाता ने प्रतीक/नाम/मतपत्र बटन पर कोई कागज, टेप आदि चिपकाकर कोई शरारत नहीं की है, लेकिन वह ऐसा वहाँ उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में करेगा।

प्रश्न 11. मतपत्रों के रंग क्या हैं?

उत्तरः जब तक कि किसी विशेष मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक संसदीय चुनावों के लिए मतपत्र श्वेत कागज पर, और विधानसभा निर्वाचनों के लिए गुलाबी कागज पर मुद्रित किए जाएंगे।

प्रश्न 12. (क) क्या निर्वाचक के पास किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देने का कोई विकल्प है (ख) नोटा से क्या अभिप्राय है?

उत्तरः हाँ। जो मतदाता किसी भी अभ्यर्थी को मत देने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना, किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन मतदाताओं की सुविधा के लिए बैलट पेपर पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम और विवरण वाले पैनल के ठीक बाद "उपर्युक्त से कोई नहीं: नोटा" का एक बैलेट पैनल उपलब्ध होगा, जो उन मतदाताओं के प्रयोगार्थ होगा, जो निर्वाचन मैदान में किसी भी अभ्यर्थी के लिए मत नहीं करने का विकल्प चुनने की इच्छा कर सकते हैं।

प्रश्न 13. क्या महिला निर्वाचक के लिए कोई प्राथमिकता है?

उत्तरः आम तौर पर, पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी। इस तथ्य के मद्देनजर कि मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए आने वाली महिला निर्वाचकों को कई घरेलू कामों को निपटाना होता इसलिए है, एक पुरुष मतदाता के प्रवेश के उपरांत दो महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

प्रश्न 14. (क) क्या निर्वाचक के लिए यह जानना संभव है कि उसने किस अभ्यर्थी को अपना वोट दिया है? (ख) वीवीपीएटी का क्या मतलब है?

उत्तरः हाँ। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि मत के एक पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को भी संलग्न किया जाना है। मतपत्र के बटन को दबाकर, मतदाता पारदर्शी खिड़की के माध्यम से मुद्रित कागज की पर्ची को देख सकेंगे, जिसमें उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक दिखाया जाता है, जिसे उसने अपना मत डाला है, इससे पहले कि वह कागज की पर्ची कट जाए और ड्रॉप बॉक्स में गिर जाए।

20.11. सूक्ष्म पर्यवेक्षक

प्रश्न 1. माइक्रो आब्जर्वर की अवधारणा क्या है?

उत्तरः जिले में कार्यरत केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक अधिकारी/कर्मचारी किसी मतदान केंद्र या एक परिसर/भवन में स्थित मतदान केंद्रों के एक समूह में एक माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक की देखरेख व सीधे नियंत्रण में कार्य करता है।

प्रश्न 2. सूक्ष्म पर्यवेक्षक की तैनाती के लिए क्या मापदंड हैं?

उत्तरः मतदान केन्द्रों को उन कारकों के आधार पर इस प्रयोजनार्थ सूचीबद्ध किया जाता है जो मतदाताओं के लिए इसे अतिसंवेदनशील बनाते हैं।

प्रश्न 3. मतदान के दिन सूक्ष्म पर्यवेक्षक के कर्तव्य क्या हैं?

उत्तरः सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के कर्तव्य मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं की देखरेख करना है: (i) मॉक पोल प्रक्रियाएं, (ii) मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति और उनके संबंध में ईसीआई के निर्देशों का पालन, (iii) प्रवेश पास प्रणाली और मतदान केंद्र तक पहुंच का अवलोकन, (iv) भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदाताओं की उचित पहचान, (v) अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लिकेट निर्वाचक नामावली (एएसडी सूची) के लिए पहचान और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया, जहाँ भी इसे बनाया गया है, (vi) अमिट स्याही का लगाया जाना व प्रयोग, (vii) प्ररूप 17क में रजिस्टर में निर्वाचकों के विवरणों को प्रविष्ट करने पर ध्यान देना, (viii) मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना, (ix) मतदान अभिकर्ताओं का आचरण, उनकी शिकायतें, यदि माइक्रो ऑब्जर्वर को लगता है कि मतदान किसी भी कारण से बाधित हो रहा है, तो वह तुरंत कार्यवाही करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक के संज्ञान में इसे लाएगा।

20.12. मतगणना

प्रश्न 1. मतों की गणना और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तरः रिटर्निंग अधिकारी। (संदर्भः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 64 और 66)

प्रश्न 2. क्या मतगणना प्रक्रिया की निगरानी/देखरेख के लिए रिटर्निंग अधिकारी के अलावा मतगणना केन्द्र में कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी तैनात होता है?

उत्तरः हाँ। भारत निर्वाचन आयोग एक वरिष्ठ अधिकारी को मतगणना केंद्र पर मतगणना प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता है। प्रत्येक मतगणना मेज पर एक केंद्रीय सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधिकारी को भी नियुक्त किया जाता है।

प्रश्न 3. मतगणना के दिन भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक के अधिकार क्या हैं?

उत्तरः पर्यवेक्षक को यह देखना होगा कि मतगणना कानून और आयोग के निर्देशों के अनुसार कड़ाई से की गई है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि मतगणना अभिकर्ताओं को गिनती की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखने का अवसर दिया गया है, परिणाम चक्र-वार घोषित किए गए हैं, और इसका सकल योग कंप्यूटर के माध्यम से तथा मैन्युअल रूप से त्रुटिरहित रूप में किया गया है। पर्यवेक्षक जब तक संतुष्ट न हो कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ ही त्रुटि मुक्त भी है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा को रोके रखने का अधिकार रखता है।

प्रश्न 4. मतगणना केंद्र पर तैनात किए जाने से पहले, मतगणना करने वाले कर्मचारियों की "यादृच्छिककरण" करने की कोई प्रणाली है?

उत्तरः हाँ। मतगणना सुपरवाइज़र और मतगणना सहायक की नियुक्ति इस तरह बेतरतीब ढंग से की जाती है कि मतगणना अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पता उसी समय चलता है जब वे मतगणना केंद्र में मतगणना के दिन पहुँचते हैं, और उनके आने के समय पर ही उन्हें मतगणना मेज सौंपी जाती है।

प्रश्न 5. क्या मतगणना के लिए माइक्रो आब्जर्वर भी मतदान के लिए नियुक्त किए जाते हैं?

उत्तरः हाँ। प्रत्येक मतगणना मेज के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक और एक मतगणना सहायक के अलावा, प्रत्येक चक्र में ईवीएम द्वारा प्रदर्शित मतों का विवरण नोट करने और विवरण सौंपने के लिए केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के एक अतिरिक्त अधिकारी को प्रत्येक मतगणना मेज में तैनात किया जाता है, जो इसके विवरण आयोग के पर्यवेक्षक को सौंपता है।

प्रश्न 6. मतगणना कक्ष में प्रवेश करने के लिए किन लोगों की अनुमति प्राप्त है?

उत्तरः केवल मतगणना पर्यवेक्षकों/सहायकों/माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक और अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति है।

प्रश्न 7. क्या कोई अभ्यर्थी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतगणना परिसर और मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकता है?

उत्तरः नहीं। यदि वह एक अभ्यर्थी है, तो उसे केवल एक छुपे हथियार वाले पीएसओ के साथ एसपीजी सुरक्षा सहित प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, ताकि अन्यथा कार्यवाही को किसी प्रकार बाधित किए बिना, वह इस तरह से खुद को सुरक्षित रख सके और उस स्थिति में खुद को स्थान दे सके, जिस तरह से उसे सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

प्रश्न 8. क्या ऐसे व्यक्तियों की मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रतिबंध है, जिन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है?

उत्तरः हाँ। सुरक्षा कवर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों को मतगणना केंद्र के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और ऐसे व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता बनने हेतु सक्षम करने के लिए सुरक्षा कवर को सरेंडर करने की भी अनुमति नहीं है।

प्रश्न 9. मतगणना केंद्र परिसर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?

उत्तरः मतगणना केंद्र में तीन स्तरीय कॉर्डिंग सिस्टम स्थापित किया जाता है, ताकि मतगणना केंद्र के अंदर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

प्रश्न 10. एक अभ्यर्थी द्वारा कितने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है?
उत्तरः प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेज पर कई मतगणना अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, और साथ ही रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर निगरानी करने के लिए एक और मतगणना अभिकर्ता को नियुक्त किया जा सकता है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 47)
प्रश्न 11. क्या मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र है?
उत्तरः हाँ। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना की तारीख से 3 दिन पहले, शाम 17.00 बजे तक, रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप-18 में उनकी तस्वीरों के साथ मतगणना अभिकर्ताओं की एक सूची प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभिकर्ताओं के लिए पहचान पत्र तैयार करेगा और इसे अभ्यर्थी को जारी करेगा। {संदर्भ: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 52(2)}
प्रश्न 12. मतगणना केंद्र में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना अभिकर्ता की तैनाती किस प्रकार की जाती हैं?
उत्तरः प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को एक बैज दिया जाता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि वह किसका अभिकर्ता है और इस बैज पर मतगणना मेज की क्रम संख्या लिखी होती है, जहाँ वह मतगणना देख सकता है, और उसे पूरे हॉल में यहा-वहाँ घूमने की अनुमति नहीं है।
प्रश्न 13. क्या मतगणना मेज की संख्या के लिए कोई अधिकतम संख्या निर्धारित है जिसे मतगणना कक्ष में रखा जा सकता है?
उत्तरः आम तौर पर, अधिकतम संख्या 15 मेजों की होती है जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल होती है।
प्रश्न 14. क्या मतगणना अभिकर्ताओं को ईवीएम का प्रबंध करने की अनुमति है?
उत्तरः नहीं। प्रत्येक मतगणना हॉल में, प्रत्येक मतगणना मेज के लिए बैरिकेड बनाए जाते हैं ताकि ईवीएम को मतगणना अभिकर्ताओं द्वारा नियंत्रित न किया जाए। मतगणना मेज पर पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए अभिकर्ताओं को सभी उचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
प्रश्न 15. यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम की नियंत्रण इकाई (कंट्रोल यूनिट) के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है?
उत्तरः ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती से पहले, ईवीएम की कैरेयिगं केस और कंट्रोल यूनिट को मतगणना मेज पर मौजूद अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी सील्स के निरीक्षण और जाँच के लिए मतगणना मेज पर रखा जाता है। अगर कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है, तो उस मशीन में दर्ज मतों की गिनती नहीं की जाती है, और मामले को आगे की कार्रवाई हेतु आयोग को सूचित किया जाता है।
प्रश्न 16. डाक मतपत्रों की गणना किस चरण में की जाती?

उत्तरः डाक मतपत्रों की गणना सबसे पहले रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर की जाती है। (संदर्भ: निर्वाचन आचरण नियम 1961 का नियम 54(क))।

प्रश्न 17. क्या एक अभ्यर्थी पुन: मतगणना की मांग कर सकता है?

उत्तरः हाँ। एक लिखित आवेदन में इसके उचित आधार को बताते हुए, पुन: मतगणना की मांग की जा सकती है। ऐसा आवेदन रिटर्निंग अधिकारी को दिया जा सकता है, जो अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप 20) तैयार करता है और हस्ताक्षर करता है।

20.13. निर्वाचन व्यय

प्रश्न 1. क्या कोई अभ्यर्थी अपने निर्वाचन पर जितना चाहे खर्च कर सकता है?

उत्तरः नहीं। एक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन पर जितना चाहे उतना खर्च करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कानून निर्देशित करता है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल निर्वाचन खर्च निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा। {संदर्भ: निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम 90 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(6)}

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन खर्च की सीमा क्या है?

उत्तरः निर्वाचन खर्च की सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक संसदीय क्षेत्र के लिए खर्च की सीमा 70 लाख रुपये है। (संदर्भ: निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम 90)

प्रश्न 3. इन बड़े राज्यों में किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसे खर्चों हेतु निर्धारित सीमा क्या है?

उत्तरः वर्तमान समय में उपर्युक्त बड़े राज्यों में किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा 28 लाख रूपए है। (संदर्भ: निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम 90)

प्रश्न 4. क्या ये सीमाएं सभी राज्यों के लिए समान हैं? यदि नहीं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सबसे न्यूनतम सीमा क्या है?

उत्तरः नहीं। निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमाएँ राज्य से अलग-अलग होती हैं। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे कम सीमा 54 लाख रुपये है। (संदर्भ: निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का नियम 90)

प्रश्न 5. क्या अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है?

उत्तरः हाँ। लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन में हर अभ्यर्थी को या तो स्वंय या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अभ्यर्थी के नामनिर्देशित होने की तिथि और परिणाम घोषित होने की तिथि, दोनों तिथियां, संयुक्त हैं, के बीच उसके या उसके निर्वाचन एजेंअ द्वारा किए गए या प्राधिकृत किए गए निवा्रचन व्यय के संबंध में सभी खर्चों का एक

अलग और सही हिसाब रखना होता है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम के 30 दिनों के भीतर उक्त खाते की एक वास्तविक या मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 तथा 78)

प्रश्न 6. वह प्राधिकारी कौन है जिसके समक्ष ऐसा लेखा प्रस्तुत किया जाना है?

उत्तरः अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन खर्च का लेखा-जोखा उस जिले के उस जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस जिले में उसका निर्वाचन क्षेत्र आता है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78)

प्रश्न 7. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है, क्या उसे अलग अलग खाते के परिचालन की जरूरत है या फिर एक ही समग्र खाते से इसका संचालन किया जा सकता है?

उत्तरः यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसके द्वारा लड़े जा रहे हर निर्वाचन के लिए, निर्वाचन खर्च का एक अलग ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन एक अलग निर्वाचन है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77)

प्रश्न 8. यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय का हिसाब नहीं देता है तो इसके लिए क्या जुर्माना लगाया जाता है?

उत्तरः यदि निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के कानून के तहत या उसके अनुसार निर्वाचन खर्च का लेखा-जोखा रखने में विफल रहा है, और उसके पास इसमें विफल रहने का कोई ठोस कारण या औचित्य नहीं है, तो आयोग के पास अधिकार है कि उसे किसी भी लोकसभा या विधान सभा या राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए चुने जाने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए है। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क)

प्रश्न 9. क्या किसी पार्टी के प्रचार के लिए, किसी राजनैतिक पार्टी के स्टार प्रचारकों (नेताओं) द्वारा किए गए यात्रा खर्च को उस पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्च/अधिकृत किए गए व्यय के रूप में माना जाएगा? यदि हाँ, तो इसकी शर्तें क्या हैं?

उत्तरः राजनैतिक पार्टी के स्टार प्रचारकों (नेताओं) के संबंध में, जिन्होंने ऐसे नेताओं की सूची (राष्ट्रीय और राज्य दलों के मामले में 40 और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी के मामले में 20), ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य रिटर्निंग अधिकारी को अधिसूचना जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की है, के केवल यात्रा पर किए गए खर्च के मामले में, छूट दी जाती है, और इसमें विफल होने पर इस तरह के व्यय को उस पार्टी के संबंधित अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्च/अधिकृत

किए गए व्यय के रूप में माना जाएगा। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के स्पष्टीकरण 1 से धारा 77 का खंड (क))

प्रश्न 10. क्या कोई व्यक्ति जो पार्टी का सदस्य नहीं है, क्या इस उद्देश्य के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक (नेता) के रूप में नामित किया जा सकता है?

उत्तरः नहीं {संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1)}

प्रश्न 11. क्या स्टार प्रचारक(कों) का नाम आयोग को प्रस्तुत करने के बाद, स्टार प्रचारकों (नेताओं) की सूची से इन्हें बाद में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है?

उत्तरः नहीं। सूची में से किसी नाम को रखने की अनुमति केवल कानून के तहत दी जाती है, उस सूची में वर्णित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या उसके संबंधित राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ने के मामले में अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। {संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) की व्याख्या 2}

प्रश्न 12. क्या कोई अभ्यर्थी, जिसे किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा स्टार प्रचारक (नेता) घोषित किया गया है, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से अपने ही निर्वाचन क्षेत्र जहां वह निर्वाचन लड़ रहा है में अपने राजनैतिक दल का एक स्टार प्रचारक (नेता) माना जा सकता है?

उत्तरः नहीं। ऐसे नेता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने राजनैतिक दल का स्टार प्रचारक (नेता) नहीं माना जा सकता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में, पहले वह एक अभ्यर्थी हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उनके द्वारा किए गए व्यय की गणना उनके निर्वाचन व्यय की मद में की जानी है।

प्रश्न 13. क्या किसी अभ्यर्थी का मित्र अपने मित्र के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने के लिए उसके अनुमोदन के बगैर उसके खर्चों का वहन कर सकता है?

उत्तरः अभ्यर्थी की मंजूरी के बिना निर्वाचन के प्रोत्साहन हेतु 10/- रुपये की राशि से अधिक का किया गया व्यय दंडनीय है। (संदर्भ: भारतीय दंड संहिता की धारा 171एच)

प्रश्न 14. मान लीजिए कि किसी मित्र द्वारा उसके निर्वाचन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यर्थी के अनुमोदन से व्यय किया जाता है, तो क्या इस तरह के खर्च की गणना अभ्यर्थी के खातों में की जाती है?

उत्तरः हाँ। (संदर्भ: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77)

प्रश्न 15. यदि अभ्यर्थी एक ही वाहन में स्टार प्रचारक के साथ यात्रा कर रहा है, तो क्या वाहन पर खर्च की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय खाते में की जाएगी?

उत्तरः यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) की व्याख्या-2 के तहत कवर किया गया किसी राजनैतिक पार्टी (स्टार प्रचारक) के नेता के वाहन में अभ्यर्थी या पार्टी के अन्य कार्यकर्ता/अभ्यर्थी भी यात्रा करते हैं, तो वाहन पर खर्च का 50% चुनावी व्यय संबंधित अभ्यर्थी(यों) के खाते में दर्ज किया जाएगा। [अर्थात जिस अभ्यर्थी(यों) के

निर्वाचन की संभावना को बढ़ाने के लिए, नेता यात्रा कर रहा है] नोट: वाहन में नेता द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर या परिवहन के अन्य साधन शामिल हैं।

प्रश्न 16. क्या जिला स्तर के पदाधिकारियों/नेताओं द्वारा जिले के भीतर उनकी यात्रा के लिए किए गए व्यय को पार्टी के अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च में दर्ज किया जाना चाहिए?

उत्तरः नहीं। यदि कोई भी राजनैतिक दल अपने जिला स्तर के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारक के अलावा) द्वारा वाहनों के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन करता है, तो निर्वाचन के उद्देश्य से जिले के भीतर कई विधान सभाओं में उनकी यात्रा के लिए संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, परमिट व्यक्ति के नाम पर होगा जिसमें वाहन के पंजीकरण नंबर का उल्लेख भी किया जाएगा। इस वाहन का व्यय राजनैतिक दल द्वारा किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों द्वारा। इस परमिट का उपयोग अन्य जिलों में यात्रा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी विशेष जिले के लिए, किसी मान्यताप्राप्त पार्टी चाहे वह राष्ट्रीय या राज्य राजनैतिक दल हो, के लिए केवल एक परमिट जारी किया जा सकता है, और जारी परमिट पर राजनैतिक नेता का नाम, वाहन की पंजीयन संख्या और वह अवधि भी दर्शाई जाती है, जिसके लिए उसे जारी किया जाता है। अभ्यर्थियों और स्टार प्रचारकों को परमिट जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के कागज से अलग रंग के कागज में परमिट जारी किया जा सकता है, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। परमिट की एक सत्यापित प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, और मूल प्रति को व्यक्ति के पास पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारियों द्वारा जाँच के लिए रखा जाएगा।

प्रश्न 17. क्या नाम निर्देशन की तारीख से पहले प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए किए गए खर्च की गणना निर्वाचन खर्च में की जाएगी?

उत्तरः हाँ। अभ्यर्थियों को निर्वाचन खर्च का लेखा रजिस्टर तैयार करते समय नाम निर्देशन की तारीख से पहले तैयार की गई प्रचार सामग्री पर किए गए खर्च सहित उन सभी खर्चों का भी लेखा-जोखा भी लेखा रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए, जो वास्तव में निर्वाचन के संबंध में नाम निर्देशन के बाद उपयोग किए जाते हैं।

प्रश्न 18. क्या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापनों पर किए गए खर्च का हिसाब अभ्यर्थियों के खातों में दर्ज होना चाहिए?

उत्तरः हाँ। किसी भी निर्वाचन के संबंध में विज्ञापनों पर एक राजनैतिक पार्टी द्वारा किए गए व्यय को निम्नलिखित तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) सामान्य प्रचार पर व्यय, सामान्य रूप से पार्टी और उसके अभ्यर्थियों के लिए समर्थन की मांग करना, लेकिन किसी विशेष अभ्यर्थी, या अभ्यर्थियों के किसी विशेष वर्ग समूह के संदर्भ दिए बिना; (ii) किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के लिए सीधे विज्ञापन आदि में समर्थन और/या मत मांगने हेतु पार्टी द्वारा किए गए खर्च; (iii) पार्टी द्वारा किया गया व्यय, जो

किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए खर्च से संबंधित हो।

राजनैतिक दलों द्वारा किसी भी विज्ञापन के मामले में, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया में, जो ऊपर वर्णित (i) की श्रेणी में आता हो, जो किसी विशेष अभ्यर्थी, या अभ्यर्थियों के एक समूह के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, सामान्य पार्टी के प्रचार पर इस प्रकार किया गया खर्च, राजनैतिक पार्टी के खर्च के रूप में माना जाएगा। उपरोक्त श्रेणियों (ii) और (iii) में होने वाले व्यय के मामले में, अर्थात ऐसे मामले जहाँ व्यय किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से संबंधित है, व्यय को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत व्यय के रूप में माना जाएगा, और इस तरह के खर्च का हिसाब उन संबन्धित अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च के हिसाब में दर्ज किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ अभ्यर्थियों के एक विशेष समूह के लाभ के लिए पार्टी द्वारा व्यय किया जाता है, उन अभ्यर्थियों के बीच व्यय को समान रूप से विभाजित करके दर्ज किया जाना चाहिए।

प्रश्न 19. क्या प्रचार सामग्री के वितरण के लिए राजनैतिक दलों द्वारा किया गया व्यय अभ्यर्थियों के चुनावी खर्चों में शामिल है?

उत्तरः नहीं। यदि कोई भी राजनैतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करता है कि वे राज्य में अपने पार्टी कार्यालयों को अपने प्रचार सामग्री के वितरण के लिए एक वाहन की अनुमति चाहते हैं, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (चाहे राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी) के लिए एक वाहन की अनुमति दे सकते हैं। संबंधित राजनैतिक दल (आवेदक) को उपरोक्त उद्देश्य के लिए, जिले के नाम, रूट मैप और वह तिथि जब वाहन की आवश्यकता होगी का उल्लेख करना होगा। ऐसे वाहनों के लिए, मुख्य रिटर्निंग अधिकारी अनुमति जारी करेगा, लेकिन वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के वाहन की सामान्य जाँच की जाएगी, और उनका उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह के वाहन का खर्च संबंधित राजनैतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा, न कि अभ्यर्थियों द्वारा।

20.14. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

प्रश्न 1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? किस प्रकार इसकी कार्यप्रणाली पारंपरिक मतदान प्रणाली से भिन्न है?

उत्तरः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो यूनिटें होती हैं-कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट-बैलेट यूनिट में 5 मीटर का केबल होता है जिसका प्रयोग कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़ने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है और बैलेट यूनिट मतदान कम्पार्टमेंट के भीतर रखी जाती है। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी मतदान अधिकारी मतदाता के लिए बैलेट पेपर जारी करने के बजाए कंट्रोल यूनिट पर दिए किए गए "बैलेट" बटन को दबाता है। इससे मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी और

प्रतीक के सामने बैलेट यूनिट पर "कैंडिडेट" बटन (ब्लू बटन) को दबाकर अपना मत डाल पाता है।

प्रश्न 2. ईवीएम को किसने विकसित किया है?

उत्तरः ईवीएम को निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की सहायता से अनेक बैठकों प्रोटोटाइप की टेस्ट चेकिंग और गहन फील्ड ट्रायल के उपरांत विकसित एवं डिजाइन किया गया है।

प्रश्न 3. ईवीएम का विनिर्माण करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को इसकी आपूर्ति कौन करता है?

उत्तरः केंद्रीय सरकार के दो उपक्रमों यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, एकमात्र निर्माता हैं जिनसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम का प्रापण किया जाता है।

प्रश्न 4. ईवीएम की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं?

उत्तरः यह एक साधारण मशीन है जिसे मतदान कर्मियों और मतदाताओं, दोनों द्वारा आसानी से संचालित किया जा सकता है। यह पर्याप्त मजबूत होती है जिससे यह रफ़ हैंडलिंग और परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए अनुकूल है। बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के स्टैंड-अलोन मशीन होने के कारण, कोई भी इसकी प्रोग्रामिंग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और परिणाम में हेरफेर नहीं कर सकता है।

प्रश्न 5. कंट्रोल यूनिट की विशेषताएं क्या हैं?

उत्तरः कंट्रोल यूनिट मुख्य इकाई है जो सभी डेटा को स्टोर करती है और ईवीएम के कार्यकरण को नियंत्रित करती है। जो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के कार्यकरण को नियंत्रित करता है, उसे "वन-टाईम प्रोग्रामेबल बेसिस" पर माइक्रोचिप में स्थापित किया जाता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद, इसे पढ़ा नैन जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता या इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ईवीएम बैलटिंग यूनिट से कंट्रोल यूनिट तक प्रेषित डेटा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डाइनैमिक कोडिंग का उपयोग करता है। ईवीएम में रियल टाइम घड़ी और तारीख-समय की मुद्रांकन सुविधा है, जो उन्हें बटन दबाए जाने पर सटीक समय और तारीख रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है। मतदान पूरा होने के बाद और क्लोस बटन दबाने के उपरांत, मशीन किसी भी डेटा को स्वीकार नहीं करती है अथवा किसी भी मत को रिकॉर्ड नहीं करती है। "टोटल" बटन को दबाये जाने पर, नियंत्रण इकाई उस समय तक दर्ज किए गए मतों की संख्या प्रदर्शित करती है, जिन्हें प्ररूप 17क में मतदाताओं के रजिस्टर के साथ क्रॉस-चेक किया जा सकता है। नियंत्रण इकाई की प्रदर्शन प्रणाली एक मतदान केंद्र में मतदान किए गए मतों की कुल संख्या को दर्शाती है, और मशीन में मतदान करने वाले अभ्यर्थियों को मिले मतों को दर्शाती है, जब मतगणना कर्मचारियों द्वारा मतगणना केंद्र में

मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में 'रिज़ल्ट' बटन को दबाया जाता है। कंट्रोल यूनिट कनेक्टिंग केबल के साथ की गई किसी भी भौतिक छेड़छाड़ का भी पता लगा सकती है और डिस्प्ले यूनिट में भी इसका संकेत दे सकती है।

प्रश्न 6. बैलटिंग यूनिट की विशेषताएं क्या हैं?

उत्तरः यह अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीकों वाले मतपत्र रखता है। जब इसे दबाया जाता है, तो बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थी बटन कंट्रोल यूनिट को एक संकेत भेजता है, जहाँ यह एक गैर-परिवर्तनीय मेमोरी में दर्ज किया जाता है, जो बिना बैटरी बैक-अप के भी पोल डेटा को अनिश्चित काल तक संग्रहीत कर सकता है।

प्रश्न 7. मतदाता ईवीएम का उपयोग करके अपना वोट कैसे डालते हैं?

उत्तरः ईवीएम की बैलेट यूनिट में सुरक्षित रूप से रखा हुआ बैलेट पेपर होगा, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम के साथ उनके प्रतीक चिह्न भी होंगे। नियंत्रण इकाई के प्रभारी पीठासीन/मतदान अधिकारी मतदाता को मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति देने से पहले मतपत्र बटन दबाएंगे। जब कंट्रोल यूनिट पर मतपत्र का बटन दबाया जाता है, तो मतपत्र इकाई मत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाती है, जो बैलेट इकाई पर जलाने वाली बत्ती द्वारा इंगित किया जाता है। अब केवल मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने वाले बैलेट यूनिट पर नीले रंग का अभ्यर्थी बटन दबाना होगा।

प्रश्न 8. बिना बिजली वाले क्षेत्रों में किस प्रकार ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तरः ईवीएम एक साधारण बैटरी पर चलती है। यह बिजली पर निर्भर नहीं करता है

प्रश्न 9. ईवीएम में अधिकतम कितने मत डाले जा सकते हैं?

उत्तरः ईवीएम अधिकतम 2000 मत रिकॉर्ड कर सकती हैं। जैसा कि आमतौर पर एक मतदान केंद्र में निर्वाचकों की कुल संख्या आमतौर पर 1400 से अधिक नहीं होगी, ईवीएम की क्षमता पर्याप्त से अधिक है।

प्रश्न 10. किसी ईवीएम में अधिकतम कितनी संख्या के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है?

उत्तरः एम2 ईवीएम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) को शामिल किया जा सकता है और एम3 ईवीएम अधिकतम 384 अभयर्थी को समायोजित कर सकता है (नोटा सहित)। एक बैलेट यूनिट 16 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था है। यदि अभ्यर्थियों की कुल संख्या 16 से अधिक है तो दूसरी बैलेट यूनिट को पहली बैलेट यूनिट से श्रृंखलाओं में जोड़ी जा सकती है। इसी प्रकार, यदि अभ्यर्थियों की कुल संख्या 32 से अधिक है तो एक तीसरी बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है और यदि अभ्यर्थियों की कुल सं. 48 से अधिक है तो एक चौथी बैलेट यूनिट को अधिकतम 64 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) को शामिल करने के लिए जोड़ा जा सकता है। जब चार बैलेटिंग यूनिटों का उपयोग किया जा रहा हो तो केवल एक कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होती है। एम3 ईवीएम के मामले में 24 बैलेटिंग यूनिटों को एक

साथ समायोजित किया जा सकता है जिससे कि अधिकतम 384 अभ्यर्थियों (नोटा को मिलाकर) को इसमें शामिल किया जा सके।

प्रश्न 11. यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 384 से अधिक हो जाती है तो क्या होगा?

उत्तरः यदि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 384 (नोटा सहित) से आगे जाती है, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से मतदान की पारंपरिक विधि को अपनाना होगा।

प्रश्न 12. मतदाता को कैसे पता चलता है कि उसका वोट ईवीएम में दर्ज किया गया है?

उत्तरः मतदाता को मतदान कक्ष में रखी गई बैलेट यूनिट में जाने के लिए कहा जाएगा। वोटिंग मशीन के ऊपरी भाग पर एक हरी बत्ती यह दर्शाती है कि मशीन मतदान के लिए तैयार है। मतदाता को बैलेट यूनिट पर अपने अभ्यर्थी की पहचान करनी होती है, और अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के दाईं ओर नीले बटन को दबाना होता है। एक बार नीले बटन को दबाए जाने के बाद, एक बीप की ध्वनि सुनाई देगी और अभ्यर्थी के प्रतीक के बगल में संकेतक बत्ती का रंग लाल हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि संबंधित अभ्यर्थी के लिए मत डाला जा चुका है। इसके अलावा, वीवीपीएटी प्रिंटर द्वारा एक मतपत्र पर्ची प्रिंट की जाती है, जिसमें अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक होता है और यह सात सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से प्रदर्शित होता है। इसके बाद, यह प्रिंटर स्लिप स्वतः कट जाती है और वीवीपीएटी के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

प्रश्न 13. यदि किसी विशेष मतदान केंद्र में ईवीएम खराब हो जाता है तो क्या होगा?

उत्तरः मतदान के दिन कुछ मतदान केंद्रों को कवर करने के लिए एक अधिकारी को ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। वह कुछ अतिरिक्त ईवीएम अपने साथ रखता है और खराब हुए ईवीएम को एक नए के साथ बदला जा सकता है। ईवीएम के खराब हो जाने पर उस चरण तक दर्ज किए गए मत, नियंत्रण इकाई की स्मृति में सुरक्षित होंगे, और यह नए ईवीएम के साथ मतदान के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा, जिस समय पहला ईवीएम खराब हुआ था। यह आवश्यक नहीं है कि पुनः शुरुआत से ही मतदान आरंभ किया जाए।

प्रश्न 14. हमारे देश में, बहुत बड़ी जनसंख्या के निरक्षर होने का कारण क्या यह निरक्षर मतदाताओं के लिए समस्याएं पैदा नहीं करेगा?

उत्तरः वास्तव में, ईवीएम द्वारा मतदान पारंपरिक प्रणाली, जहाँ मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास मतदान निशान लगाना होता है, फिर उसे पहले उर्ध्वाधर रूप से और फिर क्षैतिज रूप में मोड़ना होता है और उसके बाद मत पेटी में डालना होता है, की तुलना में सरल है। ईवीएम में मतदाता को केवल अपनी पसंद अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने ब्लू बटन को दबाना होता है और मत दर्ज हो जाता है। ग्रामीण एवं

निरक्षर लोगों को अपने मत दर्ज करने में कोई कठिनाई नहीं हुई तथा वास्तव में उन्होंने ईवीएम के प्रयोग का स्वागत किया है।

प्रश्न 15. मतदाताओं में ईवीएम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तरः विज्ञापन और पठन सामग्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ईवीएम पर वास्तविक प्रदर्शन किया जाता है। मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान आरंभ करने के लिए आयोग द्वारा पहले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया था।

प्रश्न 16. क्या कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी से मदद मांग सकता है कि ईवीएम में वोट कैसे डाला जाए?

उत्तरः हाँ। पीठासीन अधिकारी मतदाता को बैलेट यूनिट (जो मतदान केंद्र पर प्रदान किया जाता है) के कार्डबोर्ड मॉडल (प्रतिकृति) का उपयोग करके मतदान प्रक्रिया को इस तरह समझा सकता है कि मतदाता समझने में सक्षम हो लेकिन केवल पोलिंग अभिकर्ताओं की उपस्थिति में और मतदान कक्ष के अंदर नहीं।

प्रश्न 17. क्या कोई अभ्यर्थी अपने स्वयं के नाम और प्रतीकों का उपयोग करके नमूना बैलट पत्रों को प्रिंट कर सकता है और उस स्थान को इंगित कर सकता है जहाँ वह मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए प्रचार सामग्री के रूप में दिखाई देता हो?

उत्तरः हाँ। ऐसे नमूना बैलट पेपर किसी भी रंग पर मुद्रित किए जा सकते हैं, लेकिन गुलाबी और सफेद रंग में नहीं, और इसमें अन्य अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीकों को नहीं दिखाया जाना चाहिए।

प्रश्न 18 क्या ईवीएम के इस्तेमाल से बूथ - कैप्चरिंग (बूथ पर कब्ज़ा) को रोका जा सकता है?

उत्तरः यदि किसी के बूथ पर कब्ज़ा करने का अभिप्राय है, मतदान पेटियों या मतपत्रों को ले जाना या उसे नुकसान पहुँचाना तो इस कमी को ईवीएम का प्रयोग करके रोका नहीं जा सकता क्यूंकि ईवीएम को भी बदमाशों द्वारा बल प्रयोग से ले जाया जा सकता है या नुकसान पहुँचाया जा सकता है। परन्तु यदि कोई बूथ कब्जे को बदमाशों द्वारा मतदानकर्मियों को डराने या मतपत्रों के निर्वाचन चिन्हों पर ठप्पा लगाने और मिनटों में ही भाग जाने की घटना के रूप में देखता है तो इसे ईवीएम के प्रयोग से रोका जा सकता है। ईवीएम को इस प्रकार से नियोजित किया गया है कि मशीन एक मिनट में केवल पाँच मत ही दर्ज कर सकता है। क्यूंकि मतों का अभिलेखन अनिवार्य रूप से नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई के माध्यम से ही होता है, इसलिए चाहे बदमाशों की संख्या कुछ भी हो, वे

केवल 5 मत प्रति मिनट के दर से मत दर्ज कर सकते हैं। मतपत्रों के प्रकरण में, बदमाश किसी मतदान केंद्र को आवंटित किये गए सभी 1000 विषम मतदानपत्र स्वयं के बीच वितरित कर सकते है, उन पर मोहर लगा सकते हैं, कुछ मिनटों में मतदान पेटियों के अन्दर ठूंस सकता है और पुलिस कुमुक के पहुँचने से पूर्व ही वहाँ से भाग सकते हैं। जबकि ईवीएम में, बदमाश आधे घंटे में अधिकतम 150 मत ही दर्ज कर सकते हैं, सम्भावना है कि पुलिस कुमुक उस समय तक पहुँच जाये। इसके अतिरिक्त, जैसे ही पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारियों में से कोई मतदान केंद्र के अन्दर कुछ घुसपैठिए को देखता है, वह "बंद" (समापन) बटन को तुरंत दबा सकता है। एक बार जैसे ही "बंद" बटन को दबाया जाता है, किसी मत को दर्ज कर पाना संभव नहीं हो पाएगा और यह बूथ कब्जे के प्रयासों को विफल कर देगा।

प्रश्न19. क्या संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए एक साथ ईवीएम का उपयोग करना संभव है?

उत्तरः नहीं। संसद और राज्य विधानसभा के एक साथ निर्वाचन के आयोजन के लिए दो पृथक ईवीएम'ओं की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 20. ईवीएम का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

उत्तरः इसका सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि लाखों मतपत्रों की छपाई को छोड़ा जा सकता है क्यूंकि प्रत्येक अकेले मतदाता के लिए एक मतपत्र के स्थान पर, प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदान इकाई में डालने के लिए केवल एक मतपत्र की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप, कागज, छपाई, परिवहन, भण्डारण और वितरण की लागत से बड़ी बचत की जा सकती है। दूसरा, इससे मतों की गिनती शीघ्र होती है और परिणाम की घोषणा पारंपरिक प्रणाली के अंतर्गत, लगे औसतन 30-40 घंटों की तुलना में, 2 से 3 घंटों के अन्दर की जा सकती है। तीसरा, ईवीएम मतदान प्रणाली के अंतर्गत, कोई भी अवैध मत नहीं पड़ता। इसके महत्त्व को अधिक सराहा जायेगा, यदि यह स्मरण किया जाये कि पिछले कई घटनाओं में, कई निर्वाचनक्षेत्रों में अवैध मतों की संख्या जीतने वाले अभ्यर्थी और दूसरे स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी के बीच जीत के अंतर से अधिक होता था इस सीमा तक, निर्वाचक वर्ग का चयन अधिक उचित प्रकार से प्रतिविम्बित होगा, यदि ईवीएम का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 21 .क्या ईवीएम के उपयोग से मतदान की गति धीमी हो जाती है?

उत्तरः वास्तव में, मतदान की गति ईवीएम के प्रयोग से शीघ्र हो जाता है क्यूंकि मतदाता द्वारा पहले मतपत्र को खोलने, अपनी प्राथमिकता को चिन्हित करने, फिर से मोड़ने, उस स्थान तक जाने जहाँ पर मतपेटी को रखा गया है और पेटी के अन्दर इसे डालना आवश्यक नहीं है। ईवीएम प्रणाली के अंतर्गत, उसे अभ्यर्थी के नाम, फोटो और अपने पसंद के चिन्ह के निकट स्थित बटन को बस दबाना भर होता है।

प्रश्न 22. मतपेटियों के साथ मतपत्रों को मिलाने के बाद मतगणना की जाती है। क्या ईवीएम का इस्तेमाल होने पर इस प्रणाली को अपनाना संभव है?

उत्तरः साधारण नियम है, मतदान केंद्र के आधार पर मतों की गणना करना और प्रत्येक मतदान केंद्र में ईवीएम का प्रयोग इसी प्रकार से किया जा रहा है। मिश्रण प्रणाली से गणना केवल उन निर्वाचनक्षेत्रों में किया जाता है जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में, कई मतदान केन्द्रों में प्रयोग किये गए ईवीएम'ओं को विशेष रूप से डिजाईन किये गए "टोटलाइजर" से जोड़ा जाता है और तब किसी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के कुल परिणाम का पता चल पायेगा और ना कि प्रत्येक अलग-अलग मतदान केंद्र के परिणाम का।

प्रश्न 23. नियंत्रण इकाई (कंट्रोल यूनिट) कब तक अपनी मेमोरी में परिणाम रख सकती है?

उत्तरः नियंत्रण इकाई परिणाम को अपनी मेमोरी में 10 साल और इससे भी अधिक समय तक स्टोर कर सकती है।

प्रश्न 24. जहाँ पर भी किसी निर्वाचन याचिका को दर्ज किया जाता है, निर्वाचन का परिणाम याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होता है। उपयुक्त प्रकरणों में, न्यायालय मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकते हैं। क्या ईवीएम'ओं को इतने लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और क्या न्यायालयों द्वारा अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में परिणाम निकाला जा सकता है? क्या बैटरी लीक करेगा या अन्यथा ईवीएम को क्षतिग्रस्त कर देगा?

उत्तरः मतदान और गणना के समय पर ईवीएम'ओं को सक्रिय करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। जैसे ही मतदान समाप्त हो जाए, बैटरी के स्विच को बंद किया जा सकता है और इसकी फिर से आवश्यकता केवल मतगणना के समय पर होती है। बैटरी को परिणाम निकलने के तुरंत बाद भी हटाया जा सकता है और अलग से रखा जा सकता है। इसलिए, बैटरी के लीक होने या अन्यथा ईवीएम को क्षति पहुँचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक कि जब बैटरी को हटाया जाता है, माइक्रोचिप की मेमोरी यथावत रहती है। यदि न्यायालय पुनर्गणना का आदेश देता हा तो नियंत्रण इकाई को बैटरी के साथ जोड़कर फिर से सक्रिय किया जा सकता है और यह मेमोरी में संचित परिणाम को प्रदर्शित करेगा।

प्रश्न 25. क्या बार-बार बटन दबाने से एक से अधिक बार मतदान संभव है?

उत्तरः नहीं। जैसे ही मतदान इकाई पर स्थित किसी अभ्यर्थी विशेष के सामने वाले बटन को दबाया जाता है, उस अभ्यर्थी विशेष के लिए मत दर्ज हो जाता है और मशीन लॉक हो जाती है। फिर भी यदि कोई उस बटन या और किसी बटन को दबाता है, कोई अन्य मत दर्ज नहीं होगा। इस तरह से, ईवीएम "एक व्यक्ति, एक मत" के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 26. क्या यह सही है कि कभी कभी शॉर्ट-सर्किट अथवा अन्य कारणों से "नीला बटन" दबाते समय मतदाता को बिजली का करेंट लगाने की संभावना होती है?

उत्तरः नहीं। ईवीएम एक बैटरी पर कार्य करता है और 'नीले बटन' दबाने के समय पर या फिर मतदान इकाई को संभालने के दौरान किसी भी समय पर मतदाता को बिजली का झटका लगने की कोई सम्भावना नहीं होती।

प्रश्न 27. क्या ईवीएम को इस तरह से नियोजित कर पाना संभव है कि प्रारंभ में, माना कि 100 मतों तक, मत उसी तरह से ठीक दर्ज हो जायेंगे जैसे ही 'नीले बटनों' को दबाया जाता है परन्तु उसके पश्चात, मत केवल किसी एक अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में दर्ज हो जायेंगे, इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या उस अभ्यर्थी या किसी अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में 'नीला बटन' दबाया गया है।

उत्तरः ईवीएम में प्रयोग किये गए माइक्रोचिप को इसके निर्माण के समय रोबोटों द्वारा स्थायी रूप से सीलबंद बंद किया जाता है। इसे खोला नहीं जा सकता और चिप को क्षति पहुंचाए बिना किसी के भी द्वारा प्रोग्राम को बदला नहीं किया जा सकता। अतः, किसी अभ्यर्थी विशेष या राजनैतिक दल के चयन के लिए एक विशेष तरीके से ईवीएम'ओं के नियोजन की सम्भावना बिल्कुल भी नहीं होती।

प्रश्न 28. क्या ईवीएम को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा?

उत्तरः नहीं। बल्कि मतदान पेटिकाओं की तुलना में ईवीएम का परिवहन करना सरल होगा क्यूंकि ईवीएम हलके, वहन करने योग्य होते है और पॉलीप्रोपाइलिन के वहन करने योग्य बक्सों में आते है।

प्रश्न 29. देश के कई क्षेत्रों में, अभी भी विद्युत् के कनेक्शन नहीं है और यहाँ तक कि उन स्थानों पर जहाँ पर विद्युत् कनेक्शन तो है परन्तु आपूर्ति अस्थिर रहती है। इस परिदृश्य में, क्या इन मशीनों को वातानुकूल के बिना सुरक्षित रखने में समस्या उत्पन्न नहीं होगी?

उत्तरः उस कक्ष/हॉल को वातानुकूल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहाँ पर ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है। आवश्यकता है, कक्ष/हॉल को केवल धूल, आद्रता (नमी) और कीड़े-मकोड़े से मुक्त रखना जैसा कि मतदान पेटिकाओं के प्रकरण में किया जाता है।

प्रश्न 30. पारंपरिक व्यवस्था में, किसी एक समय पर पड़े मतों की कुल संख्या के बारे में जान पाना संभव होगा। ईवीएम में 'रिजल्ट' वाला हिस्सा सील किया जाता है और और इसे केवल मतगणना के समय खोला जाता है। मतदान के दिन डाले गए मतों की कुल संख्या के बारे में कैसे जाना जा सकता है?

उत्तरः ईवीएम पर 'रिजल्ट' बटन के अतिरिक्त, 'टोटल' का एक बटन होता है। इस बटन को दबाने पर, किसी भी समय अभ्यर्थियों के विवरण के बिना डाले गए मतों की कुल संख्या प्रदर्शित होगी।

प्रश्न 31. बैलेट यूनिट पर 16 अभ्यर्थियों की व्यवस्था होती है। एक निर्वाचन क्षेत्र में, केवल 10 अभ्यर्थी होते हैं (नोटा सहित)। मतदाता बटन संख्या 11 से 16 तक कोई भी बटन दबा सकता है। क्या ये मत बेकार नहीं होते?

उत्तरः नहीं। अभ्यर्थी सं. 11 से 16 तक को उपयोग से पहले मास्क से कवर किया जाएगा। साथ ही, अभ्यर्थी सं. 11 से 16 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से ब्लैंक ऑफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी का स्विच 10 पर सैट कर दिया जाता है। अतः, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता कि कोई मतदाता यदि अभ्यर्थी सं. 11 से 16 तक के बटन दबाता है तो वह ईवीएम में रिकार्ड होगा।

प्रश्न 32. जब ईवीएम का उपयोग किया जा रहा हो तो क्या निविदत्त बैलेट पत्र को जारी करने हेतु कोई प्रावधान है?

उत्तरः हाँ। ईवीएम की कार्यप्रणाली में भी टेंडर बैलेट पेपर जारी किए जाने का प्रावधान होता है। किन्तु, जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, संबंधित मतदाता, को एक सामान्य बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। बैलेट पेपर पर एरो क्रास वाली रबर स्टेंप लगाने के बाद, टेंडर बैलेट पेपर को इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध एक लिफाफे के भीतर रखकर उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा सील करके रखा जाएगा।

प्रश्न 33. पारंपरिक व्यवस्था में, मतदान आरंभ होने से पूर्व, पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दिखाता है कि मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने वाला बैलेट बॉक्स खाली है। क्या मतदान अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि ईवीएम में पहले से रिकार्ड किए गए कोई हिडन मत नहीं हैं?

उत्तरः हाँ। मतदान की शुरुआत से पूर्व, पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग अभिकर्ताओं को 'रिजल्ट' बटन दबाकर यह दिखाया जाता है कि मशीन में पहले से कोई हिडन मत दर्ज नहीं हैं। तत्पश्चात्, वह मतदान के अभ्यास का आयोजन करेगा जिसमें वह पोलिंग अभिकर्ताओं को अपना मत दर्ज करने को कहेगा तथा उनकी संतुष्टि के लिए परिणाम बताएगा कि परिणाम पूरी तरह से उनके द्वारा दर्ज के गए मतों के अनुसार है। इसके बाद, पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान की शुरुआत से पहले मतदान के अभ्यास के परिणाम को क्लियर करने के लिए 'क्लियर' बटन दबाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के अभ्यास का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर वहाँ उपस्थित पोलिंग अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे कि मतदान का अभ्यास का आयोजन किया गया है और मेमोरी क्लियर कर दी गई है और ईवीएम की मेमोरी क्लियर होने के बाद कुल डाले गए मतों की संख्या '0' दिखाई देगी।

प्रश्न 34. कोई व्यक्ति कैसे इस संभावना से बच सकता है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा मतदान के बाद और मतगणना से पहले किसी भी समय मत दर्ज किए जा सकते हैं?

उत्तरः जैसे ही अंतिम मतदाता अपना मतदान कर लेता है, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी अधिकारी 'बंद' बदन दबा देगा। इसके बाद ईवीएम किसी मत को स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही, मतदान की समाप्ति के बाद बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट करके अलगा रखा जाता हैष मतदाता केवल बैलेट यूनिट के माध्यम से ही मत दर्ज कर सकता है। पुनः मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को दर्ज हुए मतों का लेखा-जोखा सौंपेगा। मतगणना के समय कुल संख्या का इस जोड़ के साथ मिलान किया जाएगा और यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो गणन अभिकर्ताओं द्वारा उसे उजागर किया जाएगा।

प्रश्न 35. ईवीएम को संबद्ध मतदान केन्द्रों को सौंपे जाने से पूर्व क्या उसके 'यादृच्छिकीकरण' की कोई व्यवस्था होती है?

उत्तरः हाँ। ईवीएम को पहले जिला रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष पूर्णतया जाँच करके यादृच्छिक किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए आबंटित ईवीएम की यादृच्छिक सूची पार्टियों के प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है और यदि किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित न हो, तो भी उक्त सूची पार्टी के कार्यालय को भिजवाई जाती है। ईवीएम का दूसरा यादृच्छिकीकरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के समक्ष उन्हें विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों को सौंपे जाने के समय किया जाता है। ऐसी ईवीएम की एक सूची, जिसमें प्रत्येक मतदान केन्द्र को सौंपी जाने वाली मशीन का नंबर दिया होता है, अभ्यर्थी के प्रतिनिधि को दी जाती है।

प्रश्न 36. क्या मतदान से पहले ईवीएम को सील करने की कोई प्रक्रिया है?

उत्तरः एक ईवीएम के विभिन्न हिस्सों की सीलिंग इसलिए की जाती है कि मतदान की विभिन्न प्रक्रियाओं के नियंत्रण करने वाले बटनों तक पहुंचा न जा सके। ऐसा विभिन्न चरणों में किया जाता है। बैलेट यूनिट की बैलेट स्क्रीन और कंट्रोल यूनिट के अभ्यर्थी वाले सेक्शन की सीलिंग अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है अथवा अभ्यर्थी के अभिकर्ता बैलेट पेपर की अलाइनमेंट की टेम्परिंग और अभ्यर्थी के बटनों में अवांछित बदलावों की रोकथाम करते हैं, जो किसी मतदान विशेष के लिए वास्तव में अपेक्षित होता है। इसी प्रकार, किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के अभ्यास के बाद 'रिजल्ट' सेक्शन को सील किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति निर्धारित तारीख को मतगणना केन्द्र में मतगणना के लिए लाए जाने से पूर्व किसी मतदान केन्द्र का परिणाम न देख सके। अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को टैग/पेपर सील पर रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी की सील सहित अपने हस्ताक्षर करने के लिए निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

प्रश्न 37. मतदान के बाद, मतगणना तक ईवीएम को कहां रखा जाता है?

उत्तरः मतदान होने के बाद ईवीएम को सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र में अथवा किसी नजदीकी जगह में एक सुरक्षित स्टोरेज सेंटर में रखा जाता है ताकि अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधि वहाँ नज़र रख सकें। अधिकांशतः यह वही स्थान होता है जहाँ मतगणना का आयोजन होता है।

प्रश्न 38. मतगणना के दौरान यदि किसी ईवीएम में डिस्प्ले परिणामों को नहीं दिखा रहा है। ऐसे परिणाम को किस प्रकार सत्यापित किया जाएगा?

उत्तरः ईवीएम के निर्माताओं ने एक "ऑग्जिलरी डिस्प्ले यूनिट" का निर्माण किया है। इस एडीयू के उपयोग से, जब कंट्रोल यूनिट पर ऑरिजनल डिस्प्ले विफल हो जाता है, तो अधिकांश समय इस पर परिणाम देखा जा सकता है।

प्रश्न 39. ईवीएम में मतों की गिनती कैसे होती है ?

उत्तरः मतगणना केन्द्रों में, ईवीएम को कई मतगणना टेबलों पर रखा जाता है, जिनकी संख्या सामान्यतः 14 से अधिक नहीं होती। मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि वे ईवीएम और उसके डिस्प्ले को स्पष्ट तौर पर देख सकें। जब एक ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर 'रिजल्ट' बटन को दबाया जाता है, तो किसी मतदान केन्द्र विशेष पर पड़े मतों की कुल संख्या प्रदर्शित हो जाती है और तत्पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले मतों की संख्या क्रमानुसार प्रदर्शित होती हैष मतगणना स्टाफ के अलावा, इसके वितरण मतगणना अभिकर्ताओं द्वारा भी नोट के जाते हैं। प्रत्येक दौर की समाप्ति के बाद, उस दौर के परिणाम और प्रगामी योग की घोषणा की जाती है। प्रत्येक दौर के योग का जोड़ करके परिणाम को संकलित किया जाता है।

परिशिष्ट 1

(अध्याय 1, पैरा 1.18.1)

भारत के संविधान से उद्धरण

326 **लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना**

लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से उद्धरण

14. (क) "निर्वाचन क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है;

(परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी)।

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं

(1) यदि कोई व्यक्ति-

(क) भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा।

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा- एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा - किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो -

(क) अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है;

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से उद्धरण

11-क दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता

(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् - भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 171ङ या धारा 171च अथवा इस अधिनियम की धारा 125 या धारा 135 के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, तो वह, दोषसिद्धि की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह आदेश प्रभावशील होता है, छह वर्ष की कालावधि के लिए, किसी भी निर्वाचन में मत देने से निरर्हित होगा।

(2) धारा 8ए की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरर्हित व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत देने से उसी कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता की बाबत धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर राष्ट्रपति का

विनिश्चय, जहाँ तक हो सके इस अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, जैसा कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पहले था, किसी निर्वाचन में मत देने के लिए उसके द्वारा उपगत निरर्हता की बाबत, उसी प्रकार लागू होगा मानो ऐसा विनिश्चय मत देने के लिए उक्त निरर्हता की बाबत विनिश्चय हो।

62. मत देने का अधिकार

(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक में मत न देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में मत दे, तो ऐसे सब निर्वाचन-क्षेत्रों में के उसके मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी, मत न देगा कि उसका नाम उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है, तो उस निर्वाचन-क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वाचन के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्ति को लागू न होगी।

उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहाँ तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

परिशिष्ट 2

(अध्याय 1, पैरा 1.21.1)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से उद्धरण

22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि

यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि -

(क) किसी विशिष्ट में गलत है या त्रुटिपूर्ण है,

(ख) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति ने उस निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर अपना मामूली निवास-स्थान बदल दिया है नामावली में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए, अथवा

(ग) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति मर गया है या उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, निकाल दी जानी चाहिए,

तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ऐसे किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हो, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अध्यधीन रहते हुए तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात् उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अन्यत्र रख सकेगा या निकाल सकेगा:

परन्तु खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही या खंड (ग) के अधीन इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है कोई कार्यवाही करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर सम्पृक्त व्यक्ति को तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात् उस व्यक्ति के संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

23. निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र नामावली में सम्मिलित नहीं है, उस नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को आवेदन कर सकेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है तो तथ्यों का ऐसी रीति में

जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात् वह यह निदेश देगा कि उसका नाम उसमें सम्मिलित किया जाए:

परन्तु यदि आवेदक किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को इत्तिला देगा और वह आफिसर ऐसी इत्तिला प्राप्त होने पर तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात् उस नामावली में से आवेदक के नाम को काट देगा।

(3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र समाविष्ट है, निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति से पूर्व धारा 22 के अधीन कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जाएगी, न अन्यत्र रखी जाएगी और न निकाली जाएगी और न इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए कोई निर्देश ही दिया जाएगा।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से उद्धरण

26. निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों का शुद्ध किया जाना और नामों को सम्मिलित किया जाना - (1) धारा 22 या धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन प्ररूप 6, 6क, 7, 8, 8क, 9ख में से ऐसे एक प्ररूप में जैसा समुचित हो, दो प्रतियों में किया जाएगा:

परंतु ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सेवा अर्हताएं हैं, निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त प्ररूप 2, 2क और 3 में विवरणियों को धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन के रूप में माना जाएगा।

(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।

(3) रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अविलंब यह निदेश देगा कि उसकी एक प्रति यह आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगा दी जाए कि ऐसे लगाए जाने की तारीख से सात दिन का कालावधि के अंदर ऐसे आवेदन पर आक्षेप किए जाएं।

(4) यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो, वह नामावली में जैसा आवश्यक हो, प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निदेश देगा :

परंतु जब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

27. अधिनियम की धारा 24 के अधीन अपीलें - (1) अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अपील -

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी;

(ख) अपील के साथ जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है की प्रति होगी; और

(ग) अपील किए गए आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या निर्वाचक आयोग द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित समतुल्य रैंक के अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी ताकि उस अवधि के भीतर उन तक पहुंच सके:

परन्तु यह कि ऐसा मजिस्ट्रेट, कलक्टर या अधिकारी उसे अपील प्रस्तुत करने में विलंब को माफ कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपील-

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी;

(ख) अपील के साथ जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है की प्रति होगी; और

(ग) अपील किए गए आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर मुख्य निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी ताकि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

परन्तु यह कि ऐसा मुख्य निर्वाचक अधिकारी उसे अपील प्रस्तुत करने में विलंब को माफ कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी अपील को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, जब अपील का ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा या उसके निमित्त सम्बंधित मजिस्ट्रेट, कलक्टर, अधिकारी या यथास्थिति, सम्बंधित मुख्य निर्वाचक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दिया जाता है।

परिशिष्ट 3

(अध्याय 2, पैरा 2.3.2)

भारत के संविधान से उद्धरण

84. संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं

कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब: -

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता

कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब: -

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।

परिशिष्ट 4

(अध्याय 2, पैरा 2.5.1)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

[भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84(क)]

(संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान)

मैं _____ जो राज्य सभा (*लोक सभा) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।

अभ्यर्थी का स्पष्ट अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20..... के ..... माह ..... दिवस को ....., (स्थान) पर ईश्वर के नाम से शपथ ली गई/सत्यपिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

(शपथ प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र)

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(नाम), जो कि राज्य सभा (या लोकसभा) के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, ने ..... तारीख को ..... बजे (समय) मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथापेक्षित शपथ ली है/ प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

तिथिः

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

ध्यान दें: इस प्ररूप को अभ्यर्थी को अंग्रेजी में तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजभाषा, दोनों में प्रदान किया जाना चाहिए।

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)]

(राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान)

मैं ..... जो विधानसभा (*या विधान परिषद) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।

अभ्यर्थी का स्पष्ट अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 200..... के माह के ..... दिवस को ..... (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और मुहर

(शपथ प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र)

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (नाम), जो कि विधानसभा (*या विधान परिषद) के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, ने ..... तारीख को ..... बजे (समय) मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथापेक्षित शपथ ली है/प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और मुहर

तिथि:

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

ध्यान दें: इस प्ररूप को अभ्यर्थी को अंग्रेजी में तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजभाषा, दोनों में प्रदान किया जाना चाहिए।

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 4 (क)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान)

मैं ..... जो विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।

अभ्यर्थियों का स्पष्ट अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर

श्री/श्रीमति ..... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 200.... के माह के ..... दिवस को ..... (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम और मुहर

(शपथ प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र)

(अधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (नाम) जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, ने ..... तारीख को .....बजे (समय) मेरे कार्यालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 द्वारा यथोपेक्षित शपथ ली है/प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और मुहर

तिथि:

ध्यान दें: इस प्ररूप को अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजभाषा, दोनों में प्रदान किया जाना चाहिए।

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 4 (क)

(पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान)

मैं ..... जो पुडुचेरी विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के

संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।

अभ्यर्थी का स्पष्ट अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 200.... के माह के ..... दिवस को ..... (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और मुहर

(शपथ प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र)

(अधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (नाम) जो पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यार्थी है, ने ..... तारीख को ..... बजे (समय) मेरे कार्यालय में पुडुचेरी संघ शासित अधिनियम 1963 द्वारा यथोपेक्षित शपथ ली है/प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और मुहर

तिथि:

ध्यान दें: इस प्ररूप को अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुडुचेरी की राजभाषा, दोनों में प्रदान किया जाना चाहिए।

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 से उद्धरण

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं

कोई व्यक्ति संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब: -

(क) वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ ले या प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे ;

(ख) कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का हो, और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हो, जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।

राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं ..... जो विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधनियम, 1951 से उद्धरण

4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं

लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि -

(क) अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में, वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) (असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों से भिन्न) अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह (असम के जनजाति क्षेत्रों का अपवर्जन करके) उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों, में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है या किसी ऐसे स्वशासी जिले को समाविष्ट करने वाले अन्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(गग) लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(गगग) सिक्किम राज्य को आवंटन में मिले स्थान की दशा में, वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो, तथा

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं

किसी राज्य की विधान सभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि: -

(क) उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह, यथास्थिति, उन जातियों में से या उन जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो और उन सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें उस जिले के लिए ऐसा स्थान या कोई अन्य स्थान आरक्षित है निर्वाचक न हो, तथा

(ग) किसी अन्य सीट की दशा में वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो:

परन्तु अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैण्ड की विधान सभा में ट्यूनसांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद का सदस्य न हो।

7. परिभाषाएं - इस अध्याय में, -

(क) "समुचित सरकार" से संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "निरर्हिता" से संसद के दोनों सदनों से किसी का या किसी राज्य का विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित अभिप्रेत है।

8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता

(1) निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति -

(क) भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171ङ (रिश्वत का अपराध) या धारा 171च (निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376क या धारा 376ख या धारा 376ग या धारा 376घ (बलात्संग से संबंधित अपराध), या धारा 498क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरतता करने का अपराध), या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध);

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) जो "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करता है; या

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध); या

(घ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिविरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधिविरुद्ध संगम की निधियों के बरतने से संबंधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध); या

(ङ) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46); या

(च) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61); या

(छ) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकला (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध); या

(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध); अथवा

(झ) इस अधिनियम की धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध) या धारा 135क (बूथों के बलात् ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क)

(किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध); (या)

(ञ) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 (किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध); या

(ट) राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) की धारा 2 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध); अथवा

(ठ) सती आयोग (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3); या

(ड) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49); या

(ढ) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15),

किसी अपील को तब अयोग्य ठहराया जायेगा, जब आरोपित व्यक्ति को निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है -

(i) केवल अर्थदंड, ऐसे दोषसिद्धि की तिथि से छः वर्षों की अवधि के लिए;

(ii) कारावास, ऐसे अपराध घटित होने की तिथि से और उसके रिहा होने तक, अतिरिक्त छः वर्षों की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाना जारी रहेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो-

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि; या

(ख) खाद्य या औषधि के अपमिश्रण से संबंधित किसी विधि; या

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के किन्हीं उपबंधों,

के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा में -

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाली विधि" से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है-

(i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन;

(ii) उस कीमत का नियंत्रण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके;

(iii) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन;

(iv) किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के विधारण का प्रतिषेध, जो मामूली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है;

(ख) "औषधि" का वह अर्थ है जो उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में समनुदिष्ट है;

(ग) "आवश्यक वस्तु" का वह अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में समनुदिष्ट है;

(घ) "खाद्य" का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में समनुदिष्ट है।

8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता-

(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार, कार्य करेगा।

9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता

(1) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद

धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगा।

परन्तु इस भाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

9क. सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता

कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्ही संकर्मों के निष्पादन के लिए की है।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भगतः पालन नहीं किया है यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है।

10. सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता -

कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कम्पनी या निगम का जिसकी पूंची में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है।

10क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता -

यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 से उद्धरण (1991 की सं. 1)

4. कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब: -

(क) भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।

15. (1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा: -

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा या राजधानी या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ; अथवा

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार का किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

परिशिष्ट 5

(अध्याय 2, पैरा 2.5.1)

अधिसूचनाएं

अधिसूचना 1: राज्य परिषद् के लिए या लोक सभा में या राज्य विधानसभा में (जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त) या राज्य के विधान परिषद् में (जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त) जिसका एक विधान परिषद् हो।

दिनांक 18 मार्च 1968

अधिसूचना

सं. 3/6/68/(1) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के खण्ड (क) तथा अनुच्छेद 173 के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा दिनांक 25 अप्रैल 1967 की अपनी अधिसूचना सं. 3/3/66 के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा (i) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ सभी सहायक रिटर्निंग आफिसरों, (ii) प्रथम श्रेणी के सभी वैतनिक प्रेसिडिंसी मजिस्ट्रेटों, तथा (iii) सभी जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के अलावा किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सभी व्यक्तियों, को ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है जिनमें से किसी एक के समक्ष, राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) की विधानसभा या विधान परिषद वाले किसी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) की विधान परिषद के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यार्थी (यहां इसके बाद अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में नामनिर्देशित होने के बाद, उक्त संविधान की तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्ररूप में शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

2. उक्त अनुच्छेद 84 के खंड (क) तथा उक्त अनुच्छेद 173 के खण्ड (क) के अनुसरण में, पैराग्राफ 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिसके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

(क) जहाँ अभ्यर्थी कारागार में परिरूद्ध है वहां कारागार का अधीक्षक।

(ख) जहाँ अभ्यर्थी निवारक निरोध के अधीन है वहां निरोध कैम्प का कमांडेंट।

(ग) जहाँ अभ्यर्थी अस्पताल में बिस्तर पर या बीमारी या किसी अन्य कारण से अन्यत्र परिरूद्ध है वहां अस्पताल का प्रभारी अधीक्षक या उसका इलाज कर रहा मेडिकल प्रैक्टिशनर।

(घ) जहाँ अभ्यर्थी भारत के बाहर है वहां उस देश में, जहाँ अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनीतिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) जहाँ अभ्यर्थी किसी कारण से रिटर्निंग अधिकारी या पूर्वोक्त किसी अन्य सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या उसे उपस्थित होने से निवारित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य व्यक्ति, बशर्ते इस निमित्त आयोग को आवेदन किया गया हो।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना में -

(1) पद "संबंधित रिटर्निंग अधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के स्थान या किसी राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के स्थान या किसी राज्य के विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया है, वहां उस निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी;

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हेतु नामनिर्देशित किया गया है, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी।

(ग) जहाँ किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य की विधान परिषद के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु नामनिर्देशित किया गया है, वहां उस निर्वाचन का रिटर्निंग अधिकारी।

(1-क) पद "जिला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में दिए गए हैं।

(2) पद "संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा "विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) में दिए गए हैं।

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा

अधिसूचना 2 : केन्द्रशासित विधानसभा हेतु

दिनांक 18 मार्च 1968

अधिसूचना

सं. 3/6/68(2). संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 4 के खंड (क) के अनुसरण में तथा दिनांक 02 मई 1967 की अपनी अधिसूचना सं. 3/3/66 के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा (1) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ सभी सहायक रिटर्निंग आफिसरों, (2) सभी वैतनिक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा प्रथम श्रेणी के सभी वैतनिक मजिस्ट्रेटों, तथा (3) सभी जिला न्यायाधीशों और किसी राज्य की न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीशों से भिन्न सभी व्यक्तियों, को ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है जिनमें से किसी एक के समक्ष, संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी (यहां इसके बाद अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में नामनिर्देशित होने के बाद, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्ररूप में शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

2. उक्त धारा 4 के खंड (क) के अनुसरण में, पैराग्राफ 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिसके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

(क) जहाँ अभ्यर्थी कारागार में परिरूद्ध है, वहां कारागार का अधीक्षक।

(ख) जहाँ अभ्यर्थी निवारक निरोध के अधीन है वहां निरोध कैम्प का कमांडेंट।

(ग) जहाँ अभ्यर्थी अस्पताल में बिस्तर पर या बीमारी पर किसी अन्य कारण से अन्यत्र परिरूद्ध है वहां अस्पताल का प्रभारी अधीक्षक या उसका इलाज कर रहा मेडिकल प्रैक्टिशनर।

(घ) जहाँ अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जहाँ अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) जहाँ अभ्यर्थी किसी कारण से रिटर्निंग अधिकारी या पूर्वोक्त किसी अन्य सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या उसे उपस्थित होने से निवारित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य व्यक्ति, बशर्ते इस निमित्त आयोग को आवेदन दिया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में -

(1) पद "संबंधित रिटर्निंग अधिकारी" से ऐसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी अभिप्रेत है, जहाँ से किसी व्यक्ति को विधानसभा का स्थान भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।

(1-क) पद "जिला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में दिए गए हैं, तथा

(2) पद "विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो उसके लिए संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 (1963 का 20) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में दिए गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव के आदेश द्वारा

<u>अधिसूचना 3: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा हेतु</u>

दिनांक 18 मार्च 1968

अधिसूचना

सं. 3/6/68 (3) - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 (1992 का 1) की धारा 4 के खंड (क) के अनुसरण में तथा दिनांक 02 मई 1967 की अधिसूचना सं. 3/3/66 (1) के अपनी अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद द्वारा (i) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ सभी सहायक रिटर्निंग आफिसरों, (ii) सभी वैतानिक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा प्रथम श्रेणी के सभी वैतनिक मजिस्ट्रेटों, तथा (iii) सभी जिला न्यायाधीशों और किसी राज्य की न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीशों से भिन्न सभी व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है जिनमें से किसी एक के समक्ष दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी (यहां इसके बाद अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में नामनिर्देशित होने के बाद उक्त अधिनियम की अनुसूची में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्ररूप में शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

2. उक्त धारा 4 के खंड (क) के अनुसरण में पैराग्राफ 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिसके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

(क) जहाँ अभ्यर्थी कारागार में परिरूद्ध है, वहां कारागार का अधीक्षक,

(ख) जहाँ अभ्यर्थी निवारक निरोध के अधीन है वहां निरोध कैम्प का कमांडेंट,

(ग) जहां अभ्यर्थी अस्पताल में बिस्तर पर या बीमारी या किसी अन्य कारण से अन्यत्र परिरूद्ध है वहां अस्पताल का प्रभारी अधीक्षक या उसका इलाज कर रहा मेडिकल प्रैक्टिशनर,

(घ) जहाँ अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जहाँ अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,

(ङ) जहाँ अभ्यर्थी किसी कारण से रिटर्निंग अधिकारी या पूर्वोक्त किसी अन्य सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या उसे उपस्थित होने से निवारित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य व्यक्ति, बशर्ते इस निमित्त आयोग को आवेदन दिया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में -

(1) अभिव्यक्ति "सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी" से अभिप्राय है, विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी जहाँ से एक व्यक्ति को *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विधानसभा में एक रिक्त सीट को भरने हेतु निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।

(1-क) पद "जिला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में दिए गए हैं; तथा

(2) अभिव्यक्ति "विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र" का अभिप्राय इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 2 के अनुच्छेद (ख) में आवंटित किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव के आदेश द्वारा

अधिसूचना 4: जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान सभा या परिषद हेतु

दिनांक 18 मार्च 1968

अधिसूचना

सं. 3/4/जेएंडके/68 - जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 51 के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा दिनांक 14 मई 1965 की अपनी अधिसूचना सं. 3/4/जे एंड के/65 अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा -

(i) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी।

(ii) सभी वैतनिक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा प्रथम श्रेणी के सभी वैतनिक मजिस्ट्रेटों, तथा

(iii) सभी जिला न्यायाधीशों और जम्मू एवं कश्मीर राज्य की न्यायिक सेवा के जिला न्यायधीशों से भिन्न सभी व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है जिनमें से किसी एक के समक्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधान सभा का विधान परिषद के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी (वहां इसके बाद अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में नामनिर्देशित होने के बाद उक्त संविधान की पाँचवी अनुसूची में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्ररूप में शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

2. उक्त धारा 51 के खंड (क) के अनुसरण में, पैराग्राफ 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करता है जिसके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा:-

(क) जहां अभ्यर्थी कारागार में परिरूद्ध है, वहां कारागार का अधीक्षर,

(ख) जहां अभ्यर्थी निवारक निरोध के अधीन है, वहां निरोध कैम्प का कमांडेंट,

(ग) जहां अभ्यर्थी अस्पताल में बिस्तर पर या बीमार या किसी अन्य कारण से अन्यत्र परिरूद्ध है वहां अस्पताल का प्रभारी अधीक्षक या उसका इलाज कर रहा मेडिकल प्रैक्टिशनर,

(घ) जहां अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जहां अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनियक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,

(ङ) जहां अभ्यर्थी किसी कारण से रिटर्निंग अधिकारी या पूर्वोक्त किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है या उसे उपस्थित होने से निवारित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य व्यक्ति, बशर्ते इस निमित आयोग को आवेदन दिया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में -

(1) पद "संबंधित रिटर्निंग अधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) जहां किसी व्यक्ति को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में या विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित किया गया है वहां उस निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी,

(ख) जहां किसी व्यक्ति को विधानसभा के स्थान को भरने के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हेतु नामनिर्देशित किया गया हैं वहाँ उस निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी,

(1-क) पद "जिला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 112 में दिए गए हैं।

(2) पद "विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र" तथा 'विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र' के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 में दिए गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव के आदेश द्वारा

परिशिष्ट 6

(अध्याय 3, पैरा 3.3.1)

प्ररूप 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरे के साथ, सफेद/हल्की सफेद पृष्ठभूमि में हाल का डाक टिकट के आकार (2 सेमी X 2.5 सेमी) का फोटोग्राफ संलग्न करें।

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग I

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता ..... उसका नाम ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ..... में क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ..... में क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट है।

तारीख .....

.....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

भाग II

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र+(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ..... में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं: -

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्र.सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
		निर्वाचक नामावली की भाग सं.	उस भाग में क्रम सं.			
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

कृपया ध्यान दें - प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग III

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि -

(क) मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मैंने किसी विदेशी राष्ट्र या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है।

(ख) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे ग(i) या ग(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

अथवा

(ग) (ii) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं। (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ..... (ii) ..... (iii) .....हैं।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है;

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं।

*मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो ..... राज्य के उस राज्य में के ..... (क्षेत्र) के संबंध में ***अनुसूचित जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तिथि.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

+जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

**लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग III क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) सिद्धदोष ठहराया गया है -

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (2); या हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक .....

(ii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले) ..... राज्य .....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) .....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था .....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें .....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे.....

हां/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण की तारीख और विवरण, आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां .....।

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो-

(क) निपटाने की तारीख(तारीखें) .....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) .....

(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर पदस्थ है?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो पद का विवरण.....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हैं? (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो क्या वह दिवालियापन से विमुक्त किया गया हैं.....

(4) क्या अभ्यर्थी/अभ्यर्थी किसी (विदेश/अन्य देश) के अधीन तो नहीं है, यदि हाँ तो विवरण दें?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो विवरण दें.....

(5) क्या अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य तो घोषित नहीं किया गया हैं?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ तो अवधि जिसके लिए अयोग्य घोषित किया गया हैं.....

(6) क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार के पद पर आसीन होते हुए भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किया गया हैं? ..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ, तो बर्खास्तगी का दिनांक.....

(7) क्या अभ्यर्थी के पास व्यक्तिगत क्षमता में या ट्रस्ट के माध्यम से या साझेदारी में सरकार के साथ बने रहने का कोई अनुबंध है, जिसमें अभ्यर्थी के पास उस सरकार को किसी सामान की आपूर्ति करने के लिए या उस सरकार द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के निष्पादन के लिए कोई शेयर है?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ, तो किस सरकार के साथ और बने रहने वाले अनुबंध का विवरण.....

(8) क्या अभ्यर्थी प्रबंधक अभिकर्ता या प्रबंधक या किसी कंपनी या निगम में (सहकारी समिति के अतिरिक्त) सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का 25 प्रतिशत से कम भागीदारी न हों?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो किस सरकार से तथा उसका विवरण.....

(9) क्या अभ्यर्थी को आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया है..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ, तो - अयोग्य घोषित होने का दिनांक.....

स्थान .....

तिथि .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 4

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं. .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक (प्रस्तावक का नाम .....) द्वारा प्रदत्त किया गया।

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय

मैने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में निर्णय करता हूं:-

.....

.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....(छिद्रण).....

भाग 6

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्र.सं.....

..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी ..... का नामांकन-पत्र मेरे कार्यालय में ..... (बजे) ..... (तिथि) को *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा पहुँचाया गया। सभी नामनिर्देशन-पत्रों को ..... (बजे) ..... तिथि को जाँच के लिए ..... स्थान पर ले जाया जायेगा।

तिथि.....

रिटर्निंग अधिकारी

*जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट 7

(अध्याय 3, पैरा 3.3.1)

प्ररूप 2ख

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

..... राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

पूरे चेहरे के साथ हाल का सफेद या हल्की सफेद पृष्ठभूमि में, संलग्न करे।

नीचे भाग I या भाग II जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग I

(मान्यप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए विधान सभा ..... निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम..... पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता ..... उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ..... में क्र.सं. ..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है जो ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ..... में क्र. सं. ..... पर प्रविष्ट है।

तारीख .....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

भाग II

(मान्याप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए विधान सभा ..... निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम..... पिता/माता/पति का नाम ..... उसका डाक पता ..... उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं ..... में क्र.सं. ..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामानिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं: -

प्रस्थापकों का विवरण और उनके हस्ताक्षर

क्र.सं.	प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग सं.	उस भाग में क्रम सं.			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

कृपया ध्यान दें - प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग III

मैं भाग I/भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामानिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और एतद्द्वारा घोषणा हूं कि -

(क) मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मैंने किसी विदेशी राष्ट्र या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है।

(ख) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे ग(i) या ग(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(i) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए।

अथवा

(ग) (ii) मुझे इस निर्वाचन में .....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम

(i).....(ii).....(iii).....हैं:

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है; तथा

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य के विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं।

*मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... **जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो राज्य के उस राज्य में ..... के (क्षेत्र) के संबंध में ..... ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे विधान सभा के लिए साथ-साथ निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन में दो से अधिक विधान सभा ..... निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

**लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें:- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग III क

(अभ्यथी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को

(i) सिद्धदोष ठहराया गया है -

(क) उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, हाँ/नहीं

लोक प्रतिनिधित्व - अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की - या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....

(ii) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) ..... राज्य .....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) .....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें .....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे.....

हां/नहीं

(ix) अपील की तिथि और विवरण/पुनरावलोकन के लिए आवेदन संलग्न किया गया.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वें लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो-

(क) निपटाने की तारीख(तारीखें) .....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) .....

(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर पदस्थ है?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ तो पद का विवरण.....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हैं? (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो क्या वह दिवालियापन से विमुक्त किया गया हैं.....

(4) क्या अभ्यर्थी/अभ्यर्थी किसी (विदेश/अन्य देश) के अधीन तो नहीं है, यदि हाँ तो विवरण दें?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो विवरण दें.....

(5) क्या अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य तो घोषित नहीं किया गया है?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो अवधि जिसके लिए अयोग्य घोषित किया गया है.....

(6) क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार के पद पर आसीन होते हुए भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किया गया है? ..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ, तो बर्खास्तगी की तारीख .....

(7) क्या अभ्यर्थी के पास व्यक्तिगत क्षमता में या ट्रस्ट के माध्यम से या साझेदारी में सरकार के साथ कायम रहने वाला कोई अनुबंध है, जिसमें अभ्यर्थी के पास उस सरकार को किसी सामान की आपूर्ति करने के लिए या उस सरकार द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के निष्पादन के लिए कोई शेयर है?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ, तो किस सरकार के साथ और बने रहने वाले अनुबंध के विवरण.....

(8) क्या अभ्यर्थी प्रबंधक अभिकर्ता या प्रबंधक या किसी कंपनी या निगम में (सहकारी समिति के अतिरिक्त) सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का 25 प्रतिशत से कम भागीदारी न हों?..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ तो किस सरकार से तथा उसका विवरण.....

(9) क्या अभ्यर्थी को आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया है..... (हाँ/नहीं)

- यदि हाँ, तो - अयोग्य घोषित होने का दिनांक.....

स्थान .....

तिथि .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं. .....

इस नामांकन को *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में ..... बजे .....तिथि को पहुँचाया गया। (प्रस्तावक का नाम .....)

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी

भाग V

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय

मैने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में निर्णय करता हूं:-

.....

.....

.....

.....

तारीख.....

रिटर्निंग अधिकारी

.....(छिद्रण).....

भाग VI

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्र.सं.....

..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी ..... का नामनिर्देशन-पत्र मेरे कार्यालय में ..... बजे .....

तिथि को *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा पहुँचाया गया। सभी नामनिर्देशन-पत्रों को ..... बजे ..... तिथि को जाँच के लिए ..... स्थान पर ले जाया जायेगा।

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

परिशिष्ट 8

(अध्याय 3, पैरा 3.8.1)

प्ररूप 26

(नियम 4क देखें)

यहां हाल के पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं

..... निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से..... (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क

मैं, ... ''पुत्र/ पुत्री/ पत्नी.....आयु.....वर्ष, जो.....(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं ..... **(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ/ **एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम.....(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. ..... के क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट हैं।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ..... है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ..... और मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है।

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(4) स्थाई लेखा संख्या (पैन)* के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थितिः

क्र.सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)	
1.	स्वयं			(i)	
				(ii)	
				(iii)	
				(iv)	
				(v)	
2.	पति या पत्नी			(i)	
				(ii)	
				(iii)	
				(iv)	
				(v)	
3.	हिंदु अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)			(i)	
				(ii)	
				(iii)	
				(iv)	
				(v)	
3.	आश्रित-1			(i)	
				(ii)	
				(iii)	
				(iv)	
				(v)	
4.	आश्रित-2			(i)	
				(ii)	
				(iii)	

				(iv)	
				(v)	
5.	आश्रित-3			(i)	
				(ii)	
				(iii)	
				(iv)	
				(v)	

टिप्पणी: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिह्नांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

तालिका

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.			
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.			
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधनियमों/संहिताओं			

	की धाराएं *(धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)*			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं *(हां या नहीं का उल्लेख करें)*			
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है *(हां या नहीं का उल्लेख करें)*			

(6) दोषसिद्धि के मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

तालिका

(क)	मामला सं.			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं *(धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)*			
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है			
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है *(हाँ या नहीं का उल्लेख करें)*			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें			

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन पर यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, लागू नहीं होता है, स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए]

टिप्पणी:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।

2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रुप से दिए जाएं।

3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलो को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।

4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।

5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं, मेरे पति/ पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (चल ओर अचल आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

क. जंगम संपत्तयों का ब्यौरा :

टिप्पणी 1: संयुक्त नाम में आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पणी 2 :निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पणी 3:वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र / डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पणी 4:आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (v) में उसका है।

टिप्पणी 5:प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक रूप से दिया जाना है।

टिप्पणी6: ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण - इस टिप्पणी के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी निक्षेप या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम					
(iii)	बंधपत्रों / डिबेंचरों / शेयरों और कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम					
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम					
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियों और रकम					
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/ जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष, और रकम)					
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (वस्तुएं)					

	(भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज					
(ix)	सकल कुल मूल्य					

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पणी 1: संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पणी 2: इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या आपर्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि: स्थान सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)					
	क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)					
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित): -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)					
	क्या विरासत संपत्तिहै (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)					
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)					
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)					
(vi)	उपर्युक्त (i) से (vi) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

(10)मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/ देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ -

(**टिप्पण**: कृपयाप्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या देय, राशि,बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार					
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देयताएं : सरकारी आवास से संबंधित विभाग को देय		(क) क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? (ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:- (i) सरकारी आवास का पता: ---------- ---------- ---------- (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मुद्दे कोई शोध्य संदेय नहीं है- (क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार; और (घ) ..... (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीक होनी चाहिए]				हां/नहीं (कृपया उपर्युक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

			टिप्पण - उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत् संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए	
(iii)	सरकारी वरिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकॉप्टरों सहित)			
(iv)	आय-कर देय			
(v)	जीएसटी देय			
(vi)	नगरपालिका / संपत्ति कर देय			
(vii)	कोई अन्य कर देय			
(viii)	सभी सरकारी देय का सकल योग			
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।			

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....…

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे:

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हो, ...

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं …….

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है …….

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है: -

……..

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप को उल्लेख करते हुएउच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)।

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश:

1.		अभ्यर्थी का नाम			श्री/श्रीमति/कु.		
2.		डाक का पूरा पता					
3.		निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य					
4.		उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)					
5.		लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या					
6.		ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है					
7.			**स्थायी लेखा संख्या (पैन)**		वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
		(क) अभ्यर्थी					
		(ख) पति या पत्नी					
		(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब					
		(घ) आश्रित					
8.		आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रुपयों में ब्यौरे					
		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-I	आश्रित-II	आश्रित-III
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)						
ख.		स्थावर आस्तियां						
	I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत						
	II.	क्रय के पश्चात्						

		स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)						
	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत - (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)						
9.		दायित्व						
	(i)	सरकारी देय (कुल)						
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
10.		दायित्व जो विवादग्रस्त हैं						
	(i)	सरकारी देय (कुल)						
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए,उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, के ब्यौरे दें। विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।						

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित, अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है । मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है;

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/ मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

..... स्थान पर आज तारीख ..... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभ, भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपाठ्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टाम्प होनी चाहिए।

परिशिष्ट 9

(अध्याय 5, पैरा 5.7.5)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य एवं भाषाएं

सं. 3/4/2018/एसडीआर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के अनुसार तथा निर्देश सं. 3/4/2008/जेएस-II, दिनांक 16 सितंबर, 2008, तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 10 के उपनियम (1) एवं (3) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निदेश देता है कि नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में प्ररूप 7क में निर्वाचन लड रहे अभ्यर्थियों की सूची, स्तंभ (2) के तहत उल्लिखित विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उस निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट भाषाओं में तैयारी की जाएगी तथा यह कि जहां सूची एक से अधिक भाषा में तैयार की जाएगी, वहां अभ्यर्थियों का नाम स्तंभ (3) में पहले विनिर्दिष्ट भाषा की लिपि के अनुसार वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा :-

जब कोई ऐसी सूची निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जाएगी तो यदि वह अंग्रेजी में नहीं है, इसका अंग्रेजी अनुवाद साथ में भेजा जाएगा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
	1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	तेलुगू
2	अरुणाचल प्रदेश	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेज़ी
3	असम	1-रतबाडी (अ.जा.)	बंगाली
		2- पाथर कण्डी	
		3-करीमगंज उत्तर	
		4- करीमगंज दक्षिण	
		5-बदरपुर	
		6-हैलाकण्डी	
		7- कटलिचेरा	
		8- अल्गापुर	
		9-सिलचर	
		10-सिल्चर	
		11-धोलाई (अ.जा.)	

		12- उधरबोण्ड	
		13-लखिपुर	
		14- बड़खोला	
		15- कटिगोरा	
		16-हाफलोंग (अ.ज.जा.)	अंग्रेजी
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	असमिया
4	बिहार	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
5	छत्तीसगढ़	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
6	गोवा	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	देवनागरी लिपि में अंग्रेजी और कोंकणी/मराठी
7	गुजरात	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती
8	हरियाणा	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
9	हिमाचल प्रदेश	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
10	झारखंड	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
11	कर्नाटक	1-निप्पानी	कन्नड़ और मराठी
		2-चिक्कोडी - सदालगा	
		11-बेलगाम उत्तर	
		12-बेलगाम दक्षिण	
		13-बेलगाम ग्रामीण	
		14-खानापुर	
		47-बासवकल्याण	

		51 भाल्की	
		52 औराद (अ.जा.)	
		76 हलियाल	
		44- गुलबर्गा दक्षिण	कन्नड़ और उर्दू
		45- गुलबर्गा उत्तर	
		146- कोलार गोल्ड फील्ड (अ.जा.)	कन्नड़ और अंग्रेजी
		154 राजाराजेश्वरीनगर	
		156- महालक्ष्मी लेआउट	
		157-माल्लेश्वरम	
		159-पुलाकेशीनगर (अ.जा.)	
		160-सरवागनानगर	
		161- सी. वी. रमन नगर (अ.जा.)	
		162-शिवाजी नगर	
		163-शांति नगर	
		164-गांधी नगर	
		165-राजाजी नगर	
		166-गोविंदराज नगर	
		167-विजय नगर	
		168-चामराजपेट	
		169- चिकपेट	
		170- बासावन्नागुडी	
		173-जयानगर	
		सभी अन्य विधान सभा भाषाएँ	कन्नड़
12	केरल	1-मंजेश्वर	मलयालम और कन्नड़
		2-कासरागोड	
		88-देवीकुलम (अ.जा.)	मलयालम और तमिल
		अन्य सभी विधान सभा क्षेत्र	मलयालम
13	मध्य प्रदेश	150-भोपाल उत्तर	हिंदी और उर्दू
		151-नरेला	
		152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम	

		153-भोपाल मध्य	
		180-बुरहानपुर	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
14	महाराष्ट्र	52-नागपुर दक्षिण पश्चिम	मराठी और अंग्रेजी
		53-नागपुर दक्षिण	
		54-नागपुर पूर्व,	
		55-नागपुर मध्य	
		56-नागपुर पश्चिम	
		57-नागपुर उत्तर (अ.जा.)	
		146-ओवला माजीवडा	
		148-कोपरी-पवपारवडी	
		148-ठाणे	
		149- मुंब्रा कलवा	
		150 ऐरोली	
		151-बेलापुर	
		152 बोरीवली	
		153-दहिसर	
		154 मागाठणे	
		155-मुलुन्ड	
		156-विक्रोली	
		157-भान्डुप पश्चिम	
		158-जोगेश्वरी पूर्व	
		159- दिन्डोशी	
		160-कान्दीवली पूर्व	
		161- चारकोप	
		162-मलाड पश्चिम	
		163-गोरेगांव	
		164-वरसोवा	
		165-अन्धेरी पश्चिम	
		166-अन्धेरी पूर्व	
		167-विलेपार्ले	
		168- चान्दीवली	
		169-घाटकोपर पश्चिम	
		170-घाटकोपर पूर्व	

		171-मानखुर्द शिवाजी नगर	
		172-अणुशक्ति नगर	
		173-चेम्बूर	
		176-वान्द्रे पूर्व	
		177-वान्द्रे पश्चिम	
		178-धारावी (अ.जा.)	
		179-सायन कोलीवाडा	
		180 वडाला	
		182-वरली	
		183- शिवडी	
		185-मलबार हिल	
		187-कोलाबा	
		205-चिंचवड	
		206-पिंपरी (अ.जा.)	
		207-भोसरी	
		208-वडगांव शेरी	
		209-शिवाजी नगर	
		210-कोथरुड	
		211- खडकवासला	
		212-पर्वती	
		213- हडपसर	
		214-पुणे छावनी (अ.जा.)	
		215-कसबा पेठ	
		86-नांदेड उत्तर	मराठी और उर्दू
		87-नांदेड दक्षिण	
		106- फूल्मबरी	
		107-औरंगाबाद मध्य	
		108-औरंगाबाद पश्चिम (अ.जा.)	
		109-औरंगाबाद पूर्व	
		114-मालेगांव मध्य	
		115-मालेगांव बाहरी	
		136-भिवंडी पश्चिम	
		137-भिवंडी पूर्व	
		174-कुर्ला (अ.जा.)	मराठी, अंग्रेजी और उर्दू
		175-कलीना	

		181-माहिम	
		184-बायखला	
		186-मुम्बादेवी	
		250-अक्कलकोट	मराठी और कन्नड़
		251-शोलापुर दक्षिण	
		271- चंदगड	
		280- शिरोल	
		288-जत	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	मराठी
15	मणिपुर	41-चंडेल (अ.ज.जा.)	अंग्रेज़ी
		42-जिरिबाम (अ.ज.जा.)	
		43-फुन्गयार (अ.ज.जा.)	
		44-उखरूल (अ.ज.जा.)	
		45-चिंगाड (अ.ज.जा.)	
		46-सैंकुल (अ.ज.जा.)	
		47-कारोंग (अ.ज.जा.)	
		48-माओ (अ.ज.जा.)	
		49-ताडुबी (अ.ज.जा.)	
		50-कन्गपोकपी	
		51-सैतू (अ.ज.जा.)	
		52-तामेई (अ.ज.जा.)	
		53-तामेंलोंग (अ.ज.जा.)	
		54-नुन्गबा (अ.ज.जा.)	
		55-तिपाईमुख (अ.ज.जा.)	
		56-थानलोन (अ.ज.जा.)	
		57-हन्गलेप (अ.ज.जा.)	
		58-चुराचन्दपुर (अ.ज.जा.)	
		59-सैकोट (अ.ज.जा.)	
		60-सिंघाट (अ.ज.जा.)	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	मणिपुरी
16	मेघालय	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेज़ी

17	मिजोरम	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेज़ी
18	नागालैंड	सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेज़ी
19	ओड़ीसा	127-छतरपुर (अ.जा.)	ओड़िया और तेलुगू
		133-बरहामपुर	
		137-परलरवेमुण्डी	
		138-गुनुपुर (अ.ज.जा.)	
		140-रायागढ़ (अ.ज.जा.)	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	उड़ीसा
20	पंजाब	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	पंजाबी
21	राजस्थान	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
22	सिक्किम	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेज़ी
23	तमिलनाडु	3-तिरुट्टानी	तमिल और तेलुगु
		11-डॉ. राधाकृष्णन नगर	तमिल और अंग्रेजी
		12-पेराम्बुर	
		13- कोलाथुर	
		14- विल्लिवक्कम	
		15-थिरु-वी-का-नगर (अ.जा.)	
		16-एगमोर (अ.जा.)	
		17-रोयापुरम	
		18-हारबर	
		19-चेपौक थिरुवल्लीकेनी	
		20-थाउजेन्ड लाइट्स	
		21-अन्ना नगर	
		22- विरुगम्पक्कम	

		23-सैदापेट	
		24- त्यागरायनगर	
		25-माइलापोर	
		26-वेलाचेरी	
		54- वेप्पनहल्ली	तमिल, तेलुगु और कन्नड़
		55-होसुर	
		56-थाल्ली	
		109-गुडालुर (अ.जा.)	तमिल और मलयालम
		232-पद्मनाभपुरम	
		233-विलावानकोड	
		234- किल्लीयूर	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	तमिल
24	तेलंगाना	8-बोथ (अ.ज.जा.)	तेलुगु और मराठी
		10-मुधोले	
		13-जुक्कल (अ.जा.)	
		17- निज़ामाबाद (शहरी)	तेलुगु और उर्दू
		57- मुशीराबाद	तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू
		58-मलकपेट	
		59-अम्बरपेट	
		60-रवैराताबाद	
		61-जुबली हिल्स	
		62-सनतनगर	
		63-नामपल्ली	
		64-कारवां	
		65-गोशमहल	
		66-चारमिनार	
		67 चन्द्राथनगुट्टा	
		68-याकुतपुरा	
		69-बहादुरपुरा	
		70-सिकन्दराबाद	
		71-सिकन्दराबाद कैंट (अ.जा.)	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	तेलुगु

25	त्रिपुरा	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	बंगाली
26	उत्तर प्रदेश	3-सहारनपुर	हिंदी और उर्दू
		4-सहारनपुर	
		7-गांगोह	
		8-कैराना	
		14-मुजफ्फरनगर	
		17-नजीबाबाद	
		18-नगीना (अ.जा.)	
		19-बढ़ापुर	
		20-धामपुर	
		21-नहटौर (अ.जा.)	
		22-बिजनौर	
		23-चाँदपुर	
		24-नुरपूर	
		26-ठाकुरद्वारा	
		27-मुरादाबाद ग्रामीण	
		28-मुरादाबाद नगर	
		29-कुन्दरकी	
		30-बिलारी	
		31-चंदौसी (अ.जा.)	
		32-असमोली	
		33-सम्भल	
		34-स्वार	
		35-चमरव्वा	
		37-रामपुर	
		40-नौगावां सादात	
		41-अमरोहा	
		47-मेरठ कैन्टोनमैंट	
		48-मेरठ	
		49-मेरठ दक्षिण	
		60-गढ़मुक्तेश्वर	
		75-कोल	
		76 अलीगढ़	
		97-फिरोजाबाद	

		115-बदायूँ	
		124-बरेली	
		125-बरेली कैन्टोनमेंट	
		127-पीलीभीत	
		135-शाहजहांपुर	
		171-लखनऊ पश्चिम	
		174-लखनऊ मध्य	
		213-सीसामऊ	
		214-आर्य नगर	
		278-टाण्डा	
		286-बहराइच	
		313-खलीलाबाद	
		356-मऊ	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
27	उत्तराखंड	सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
28	पश्चिम बंगाल	22-कलिम्पोंग	बंगाली और नेपाली
		23-दार्जिलिंग	
		24-कुर्सीओंग	
		25-मातीगारा नक्सलबाड़ी (अ.जा.)	
		26-सिलीगुड़ी	
		27-फन्सिदेव (अ.ज.जा.)	
		29-इस्लामपुर	बंगाली और हिंदी
		30- गोलपोखर	
		31- चकुलिया	
		115-राजारहाट न्यू टाउन	अंग्रेजी
		116-बिधान नगर	
		149-कसबा	
		153-बेहला पूर्व	
		154-बेहला पश्चिम	
		157- मेतियाबुरुज	
		158-कोलकाता पोर्ट	

		159- भबानीपुर	
		160- राशबिहारी	
		161-बालीगंज	
		162- चौरंगी	
		163- इन्टाल्ली	
		164- बेलेघाटा	
		165-जोरसान्को	
		166- श्यामपुकुर	
		167- मणिकटाला	
		168-काशीपुर-बेलगाछिया	
		224-खड़गपुर सदर	बंगाली और अंग्रेजी
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	बंगाली
29	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20-चाँदनी चौक	हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी
		21-मटिया महल	
		22-बल्लीमारान	
		54-ओखला	
		63-सीमापुरी (अ.जा.)	
		65-सीलमपुर	
		69 मुस्तफाबाद	
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी और अंग्रेजी
30	पुडुचेरी	29-माहे	मलयालम
		30 यानाम	तेलुगू
		सभी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	तमिल

परिशिष्ट 9क

(अध्याय 5, पैरा 5.7.5)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्य एवं भाषाएं

सं. 3/4/2018/एसडीआर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के अनुसार तथा निर्देश सं. 3/4/2008/जेएस-II, दिनांक 6 फरवरी, 2009, तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 10 के उपनियम (1) एवं (3) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निदेश देता है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में प्ररूप 7क में निर्वाचन लड रहे अभ्यर्थियों की सूची उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उस निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट भाषाओं में तैयारी की जाएगी तथा यह कि जहां सूची एक से अधिक भाषा में तैयार की जाएगी, वहां अभ्यर्थियों का नाम उक्त स्तंभ में पहले विनिर्दिष्ट भाषा की लिपि के अनुसार वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

जब ऐसी कोई सूची निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जाती है और यदि वह अंग्रेजी में नहीं है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद साथ में भेजा जाएगा।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संसदीय निर्वाचन क्षेत्र**	**भाषा/भाषाएं**
1	आन्ध्र प्रदेश	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तेलुगू
2	अरूणाचल प्रदेश	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
3	असम	1-करीमगंज (अ.जा.)	बंगाली
		2-सिल्चर	
		3-स्वशासी जिले (अ.ज.जा.)	असमिया और अंग्रेजी
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	असमिया
4	बिहार	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
5	छत्तीसगढ़	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
6	गोवा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	देवनागरी लिपि में कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी
7	गुजरात	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती

8	हरियाणा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
9	हिमाचल प्रदेश	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
10	जम्मू एवं कश्मीर	5-उधमपुर	उर्दू और हिन्दी
		6-जम्मू	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	उर्दू
11	झारखण्ड	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
12	कर्नाटक	1-चिक्कोडी	कन्नड और मराठी
		2-बेलगाम	
		7-बीदर	
		12-उत्तर कन्नड़	
		23-बंगलौर ग्रामीण	कन्नड और अंग्रेजी
		24-बंगलौर उत्तर	
		25-बंगलौर केन्द्रीय	
		26-बंगलौर दक्षिण	
		28-कोलार (अ.जा.)	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	कन्नड
13	केरल	1-कासरागोड	मलयालम और कन्नड
		14-इडुक्की	मलयालम और तमिल
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	मलयालम
14	मध्य प्रदेश	19-भोपाल	हिंदी और उर्दू
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
15	महाराष्ट्र	10-नागपुर	मराठी और अंग्रेजी
		25-ठाणे	
		26-मुम्बई उत्तर	
		27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम	
		28- मुम्बई उत्तर-पूर्व	
		29- मुम्बई उत्तर-मध्य	

		30- मुम्बई दक्षिण-मध्य	
		31-मुम्बई दक्षिण	
		34-पुणे	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	मराठी
16	मणिपुर	1-आंतरिक मणिपुर	मणिपुरी
		2-ब्राह्य मणिपुर (अ.ज.जा.)	मणिपुरी और अंग्रेजी
17	मेघालय	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
18	मिजोरम	संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
19	नागालैंड	संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
20	उड़ीसा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	उड़ीसा
21	पंजाब	1-गुरूदासपुर	पंजाबी और हिन्दी
		2-अमृतसर	
		4-जालन्धर (अ.जा.)	
		6-होशियारपुर (अ.जा.)	
		8-पटियाला	
		9-लुधियाना	
		13-फिरोजपुर	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	पंजाबी
22	राजस्थान	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
23	सिक्किम	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
24	तमिलनाडु	2-चेन्नई उत्तर	तमिल और अंग्रेजी
		3-चेन्नई दक्षिण	
		4-चेन्नई केन्द्रीय	
		7-अराकोन्नम	तमिल और तेलुगु
		9-कृष्णागिरी	तमिल, तेलुगु और कन्नड
		19-नीलगिरी (अ.जा.)	तमिल और मलयालम

		39-कन्याकुमारी	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तमिल
25	तेलंगाना	1-आदिलाबाद (अ.ज.जा.)	तेलुगु और मराठी
		5-ज़हीराबाद	
		4-निज़ामाबाद	तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू
		7-मल्काजगिरी	
		8-सिकन्दराबाद	
		9-हैदराबाद	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तेलुगु
26	त्रिपुरा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
27	उत्तर प्रदेश	1-सहारनपुर	हिंदी और उर्दू
		4-बिजनौर	
		5-नगीना (अ.जा.)	
		6-मुरादाबाद	
		7-रामपुर	
		8-सम्भल	
		9-अमरोहा	
		10-मेरठ	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
28	उत्तराखंड	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी
29	पश्चिम बंगाल	4-दार्जिलिंग	बंगाली और नेपाली
		5-रायगंज	बंगाली और हिंदी
		17-बारासात	बंगाली और अंग्रेजी
		21-डायमण्ड हारबर	
		34-मेदीनिपुर	
		23-कोलकाता दक्षिण	अंग्रेजी
		24-कोलकाता उत्तर	
		सभी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	बंगाली

30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी और अंग्रेजी
31	चंडीगढ़	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी और पंजाबी
32	दादर और नगर हवेली	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती, मराठी और अंग्रेजी
33	दमन और दीव	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिंदी और अंग्रेजी
35	लक्षद्वीप	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	मलयालम
36	पुडुचेरी	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तमिल, तेलुगु और मलयालम

परिशिष्ट 10

प्ररूप क

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनैतिक दल अथवा रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खडे किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचक अधिकारी,

..... (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)।

2. रिटर्निंग अधिकारी,

..... निर्वाचन क्षेत्र।

विषयः ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) का साधारण निर्वाचन-प्रतीकों का आबंटन-अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।

महोदय,

निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 कि पैरा 13(ग), (घ) और (ङ) के अनुसरण में मैं एतदद्वारा यह सूचित करता हूँ कि दल, जो कि ..... राज्य में राष्ट्रीय दल/राज्य दल/ रजिस्ट्रीकरण गैर-मान्यता प्राप्त दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को प्राधिकृत किया गया है जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए खड़े किए जाने वाले प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देगा/देंगे।

नोटिस भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद	जिला (जिलों)/ क्षेत्र (क्षेत्रों)/निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिए प्राधिकृत किया गया हैं।
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		

2. उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति (यों) के हस्ताक्षर के नमूने नीचे दिए गए हैं:

1. श्री ..... के हस्ताक्षर के नमूने (i) .....

   (ii) ..... (iii) .....

2. श्री ..... के हस्ताक्षर के नमूने (i) .....

(ii) ..... (iii) .....

3. श्री ..... के हस्ताक्षर के नमूने (i) .....

(ii) ..... (iii) .....

भवदीय,

स्थान:

तिथि:

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम

(दल की मोहर)

टिप्पणी:-

1. यह रिटर्निंग आफिसर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न के अपश्चात् अवश्य दे दिया जाए।

2. फार्म उपर्युक्त पदाधिकारी (पदाधिकारियों) द्वारा स्याही से अवश्य ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। किसी भी पदाधिकारी के अनुलिपि हस्ताक्षर अथवा रबर स्टाम्प आदि के माध्यम से किए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाग III

फार्म 'ख'

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना

(निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13(ख), (ग) और 13क को देखें)

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
2. रिटर्निंग आफिसर ..... (निर्वाचन-क्षेत्र)

विषय:- ..... (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र) से .....
के लिए साधारण निर्वाचन-उम्मीदवारों का खड़ा किया जाना।

महोदय,

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 (ख), (ग) और (ड.) और 13के के अनुसारण में, मैं ..... (दल) की ओर से एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे-

(i) स्तंभ 2 से 4 में दिए गए है उक्त नामित दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तंभ 5 से 7 में वर्णित हे, दल का स्थानापन्न अभ्यर्थी है जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र की समीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने पर उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/ माता का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक पता	स्थानापन्न अभ्यर्थी का नाम जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशित पत्र की संवीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने अथवा उसके निर्वाचन से हट जाने के बाद उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी हैं	स्थानापन्न अभ्यर्थी के पिता/ माता/पति का नाम	स्थानापन्न अभ्यर्थी का डाक का पता
1	2	3	4	5	6	7

*2. फार्म "ख" में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ..... दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री..... के पक्ष में पहले दी गई सूचना को एतद्दवारा दिखंडित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत शामिल हैं।

स्थान .....

तारीख .....

* यदि लागू न हो तो काट दें।

भवदीय,

(दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर)

(दल की मुहर)

नोट:

1. नामांकन पत्र दादाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न से अपश्वात् रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए।
2. फार्म पर उक्त वर्णित पदाधिकारी/पदाधिकारियों द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी पदाधिकारी द्वारा रबड़ स्टाम्प द्वारा हस्ताक्षर या जाली हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. यदि लागू न हो तो फार्म का पैरा 2 को काट दें, और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिए।

परिशिष्ट 11

(अध्याय 4, पैरा 4.10.1)

अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए - क्या करें और क्या न करें

क्या करें

1. चुनावों से संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधानों की स्वयं जानकारी रखें।
2. अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित वर्तमान परिसीमन आदेश के बारे में जानकारी लें।
3. अपने निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का अध्ययन करने का ध्यान रखें और इसकी जाँच करें।
4. चुनाव में खड़े होने का निर्णय लेने से पूर्व वर्तमान निर्वाचक नामावली में अपना नाम और विवरणों की जाँच कर लें।
5. यह जाँच कर लें कि आप चुनाव लड़ने के लिए अर्हता रखते हैं।
6. यह जाँच कर लें कि आप चुनाव में खड़े होने के लिए अपात्र नहीं होते हों।
7. यह सुनिश्चित करने के लिए नामांकन पत्र की जाँच कर लें कि यह निर्धारित प्ररूप (प्ररूप 2-ए अथवा 2-बी) में हो।
8. नामांकन फॉर्म व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें अथवा इसे अपने प्रस्तावक के माध्यम से भिजवाएं।
9. यह जाँच कर लें कि प्रस्तावक उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हों, जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हों।
10. नामांकन पत्र में कोई भी विवरण खाली न छोड़ें। अपेक्षित स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करें।
11. नामांकन पत्र की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
12. ध्यान रखें कि आप स्वयं नामांकन पत्रों की छानबीन के समय उपस्थित हों।
13. यह जाँच कर लें कि यदि आपका नामांकन स्वीकार होता हो, तो आपका नाम वैध नामांकनों की सूची में परदर्शित होता हो।
14. यह जाँच कर लें कि आपका नाम वैध नामांकित अभ्यर्थियों की सूची में सही रूप में प्रविष्ट किया गया हो।
15. यह जाँच कर लें कि, यदि आपने अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, तो आपका नाम और अन्य विवरण चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो। सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ सही तरीके से चिपकाया गया हो।
16. यह देख लें कि चुनाव के घंटे अधिसूचित अनुसार हों।
17. निर्वाचन अभिकर्ता को सही तरीके से और समय पर नियुक्त करें।

18. यह जाँच लें कि आपका निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव के समय मतदान के लिए अथवा एक सांसद होने अथवा किसी राज्य का विधायक होने के कारण अपात्र घोषित न किया गया हो।
19. मतदान केन्द्रों की सूची की एक प्रतिलिपि प्राप्त करें और उसकी जाँच कर लें।
20. प्रत्येक और हर एक मतदान केन्द्र के लिए समय से सही तरीके से पोलिंग अभिकर्ताओं की नियुक्ति करें।
21. अपने पोलिंग अभिकर्ताओं को मतदाता सूचियों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएं।
22. प्रत्येक और हर एक मतगणना टेबल के लिए काउंटिंग अभिकर्ताओं और एक अतिरिक्त अभिकर्ता की समय से नियुक्ति करें।
23. ध्यान रखें कि मतगणना के समय आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।
24. उपरोक्त कानूनी आवश्यकताओं के विपरीत चुनावी पेम्पलेट अथवा पोस्टर आदि के प्रकाशन के बारे में जानकारी मिलने पर ऐसे घटनाओं के बारे में आप उपरोक्त प्राधिकारियों को अथवा रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट करें।
25. रिटर्निंग अधिकारी द्वरा गठित निर्वाचन क्षेत्र समिति की बैठकों में हिस्सा लें ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों और अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित हो सके।
26. अपने ध्यान में आने वाली उक्त आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की घटनाओं की रिपोर्ट करें ताकि उनका आवश्यक निवारण हो अथवा दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।
27. एक अभ्यर्थी के रूप में अपने नाम निर्देशन की तारीख से लेकर चुनाव की तारीख तक होने वाले चुनावी खर्च के संबंध में उचित और सही लेखा-जोखा उस रजिस्टर में रखें, जो इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
28. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण संबंधी अभ्यासों में आप अपने अभिकर्ताओं के साथ सहभागिता करें।
29. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू किए जाने के समय या तो आप स्वयं उपस्थित हों अथवा अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत करें।

क्या न करें

1. अपना नामांकन पत्र अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी प्रस्तावक के माध्यम से दाखिल न करवाएं।
2. किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं करें।
3. नामांकन पत्र निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में दाखिल न करें।
4. चार से अधिक नामांकन पत्र दाखिल न करें।

5. नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी (जो इस कार्य के लिए अधिकृत हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत न करें।
6. अपेक्षित राशि नकद रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक में अथवा सरकारी राजकोष में अथवा रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना न भूलें।
7. नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख तक शपथ अथवा वचनबद्धता लेने तथा उसे जमा करना न भूलें और शपथ अथवा वचनबद्धता लेने तथा उसे जमा करने की रसीद प्राप्त करना न भूलें।
8. ऐसी परिचय पर्चियां जारी न करें जिन पर आपका नाम अथवा चुनाव चिह्न अथवा आपकी पार्टी का नाम अथवा मतदाताओं को लुभाने वाले उपदेश हों कि वे आपको अथवा पार्टी को वोट दें।
9. किसी व्यक्ति को कोई उपहार अथवा प्रस्ताव देने का कोई वायदा न करें कि वह एक अभ्यर्थी के रूप में चुनाव में खड़ा हो अथवा न खड़ा हो अथवा चुनाव से अपना नाम वापस ले ले अथवा नाम वापस न ले अथवा वोट दे अथवा चुनाव में वोट न डाले अथवा किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने अथवा न खड़ा होने अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने अथवा वोट डालने अथवा वोट न डालने का वायदा न करें।
10. किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को लेकर हस्तक्षेप करने का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयास न करें।
11. मतदाताओं से धर्म, वंश, जाति अथवा समुदाय अथवा भाषा के आधार पर वोट डालने अथवा वोट डालने से परहेज करने की अपील न करें।
12. धार्मिक चिह्नों अथवा राष्ट्रीय चिह्नों का उपयोग अथवा उन्हें लेकर कोई अपील न करें।
13. धर्म, वंश, जाति अथवा समुदाय अथवा भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच द्वेष अथवा वैमनस्य की भावनाएं भड़काने का प्रयास न करें।
14. किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में अथवा उसकी उम्मीदवारी को लेकर अथवा किसी अभ्यर्थी के नाम वापस लेने के संबंध में कोई झूठा बयान प्रकाशित न करें।
15. मतदान केन्द्र तक मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए सवारी के रूप में वाहनों को किराये पर न लें अथवा वाहनों की खरीद न करें।
16. अपने चुनाव के लिए अधिकतम निर्धारित राशि से अधिक राशि व्यय अथवा निर्धारित न करें।
17. सरकारी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए खर्च न करें।
18. मतदान केन्द्र पर कदाचार में शामिल न हों।

19. मतदान केन्द्र में अथवा उसके आसपास गैरकानूनी आचरण को प्रोत्साहन न दें।
20. चुनाव परिणाम के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे के दौरान किसी भी समय मतदान क्षेत्र में कोई जन सभाएं, जुलूस इत्यादि का आयोजन न करें। साथ ही, आरपी एक्ट, 1951 की धारा 126 में उल्लिखित अनुसार पिछले 48 घंटों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई चुनावी मुद्दा प्रकाशित न कराएं।
21. चुनावी बैठकों में बाधाएं उत्पन्न न करें।
22. चुनाव की तारीख अथवा तारीखों में मतदान केन्द्र में अथवा उसके आसपास प्रचार न करें।
23. मुद्रक अथवा प्रकाशक को अपना व्यक्तिगत विवरण दिए बिना और मुद्रक अथवा प्रकाशक को अपने परिचय संबंधी घोषणा दिए बिना तथा यदि मुद्रण कार्य किसी राज्य की राजधानी में किया जा रहा हो, उस घोषणा की प्रतिलिपियां मुख्य चुनाव अधिकारी को भिजवाए बिना और मुद्रण कार्य अन्य स्थानों पर हो रहा हो, तो ऐसे मामलों में जिला न्यायाधीश को भिजवाए बिना, चुनावी पेम्पलेट अथवा पोस्टर प्रिंट न करें।
24. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अंतर्गत चिपकाए गए नामांकन पत्र अथवा किसी सूची, नोटिस अथवा दस्तावेज को धोखाधड़ी से नष्ट न करें।
25. किसी मतपत्र अथवा मतपत्र पर किसी आधिकारिक टिप्पणी अथवा परिचय संबंधी किसी घोषणापत्र को नष्ट न करें; अपने मतपत्र के अलावा मतदान पेटी में कुछ अन्य न डालें।
26. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा मतपत्र के साथ कोई हस्तक्षेप न करें।
27. ऐसा कोई बयान प्रकाशित न करें अथवा प्रकाशन के लिए अपनी अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति न दें, जो झूठा हो अथवा जिसे आप झूठा समझते हों अथवा जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र अथवा उसकी उम्मीदवारी अथवा उसके द्वारा नाम वापस लेने और आचरण के संबंध में सही नहीं समझा जाता हो, और एक ऐसा बयान हो, जो चुनाव में अभ्यर्थी की संभावना के पूर्वाग्रह से समुचित रूप से तैयार किया गया एक बयान हो।
28. किसी अभ्यर्थी अथवा किसी मतदाता अथवा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की गतिविधि द्वारा धमकाने का कार्य न करें जिसमें सामाजिक निर्वासन और बहिष्कार अथवा किसी जाति अथवा समुदाय से निष्कासन शामिल है।
29. किसी अभ्यर्थी अथवा किसी मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए उत्प्रेरित करता है या न उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवीय कोप या आध्यात्मिक निंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा।

30. किसी चुनाव में छद्म रूप के अपराध को बढ़ावा न दें।

31. चुनाव की तारीख के 30 दिनों के भीतर, इस तथ्य के बावजूद, जिला चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने चुनाव खाते को जमा कराना न भूले चाहे आप निर्वाचित होते हों अथवा नहीं, चाहे आप चुनाव गंभीरतापूर्वक लड़ें अथवा नहीं।

32. संपत्ति को विकृत किए जाने अथवा किसी प्रचार अभियान में कानूनी प्रावधानों और आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शामिल न हों।

33. आयोग द्वारा गठित समिति के पूर्व-प्रमाणन के बिना टी.वी. चैनल, केबल टी.वी. अथवा रेडियो पर कोई राजनीतिक विज्ञापन जारी न करें। प्रिंट मीडिया में, पिछले 48 घंटों के दौरान प्रकाशित ऐसे विज्ञापनों के लिए समिति से प्रमाणपत्र लिया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 12

(अध्याय 4, पैरा 4.11.1)

आचार संहिता- अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें'

(निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्तह होने तक अनुपालन किया जाए)

कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यों के संबंध में:

1. किसी भी रूप में नई परियोजनाओं या कार्यक्रमों या रियायतों या वित्तीय अनुदानों अथवा तत्संबंधी वायदों की घोषणा अथवा शिलान्यास करना आदि प्रतिबंधित है जिससे मतदाता सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभावित हो सकते हैं।

2. ये प्रतिबंध नई योजनाओं और चल रही योजनाओं पर भी समान रूप से लागू हैं। लेकिन इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य उपयोगी योजनाओं के मामले में, जो पहले ही पूर्ण होने के स्तर पर आ गई हैं, जनहित में उनके उपयोग या कार्यात्मक बनाने को रोका या विलंबित किया जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने से ऐसी योजनाओं को चालू न करने या उन्हें निष्क्रिय रखने के बहाने के रूप में नहीं लिया जा सकता। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की योजनाओं को सिविल प्राधिकारियों द्वारा राजनैतिक पदाधिकारियों को साथ लिए बिना और किसी धूमधाम या समारोहों के बगैर, चाहे जो हो, शुरू किया जाए ताकि ऐसा कोई संकेत न जाए कि इसे मतदाताओं को सत्तारूढ दल के पक्ष में प्रभावित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। यदि संदेह हो, तो भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ भारतीयनिर्वाचन आयोगसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल इस वजह से कि किसी विशेष योजना के लिए बजट प्रावधान किया गया है या योजना को पहले मंजूरी दे दी गई है अथवा योजना का राज्यपाल के संबोधन या मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, इसका यह आश्य नहीं है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान, निर्वाचन की घोषणा के बाद ऐसी योजनाओं की घोषणा या उद्घाटन किया जा सकता है अथवा अन्यथा उठाया जा सकता है, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से मतदाताओं को प्रभावित करना चाहेंगे। यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

4. सरकारी योजनाओं के लिए कोई नयी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव पूरे होने तक राजनीतिक कार्यकारी (मंत्रियों आदि) द्वारा समीक्षा और लाभग्राही-उन्मुखी योजनाओं पर कार्रवाई, चाहे पहले से चल रही हो, रोक दी जानी चाहिए। आयोग की पूर्वानुमति के बगैर राज्य, जहां चुनाव चल रहा है, के किसी भी हिस्से में कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों के संबंध में कोई नई धनराशि विमुक्त नहीं की जानी चाहिए अथवा निर्माण

कार्यों के लिए अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें संसद सदस्य (राज्य सभा सदस्यों सहित) के अधीन निर्माण कार्य, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि या विधायक/एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि शामिल हैं, यदि राज्य में ऐसी कोई योजना चालू है।

5. ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में भले ही आदर्श संहिता (मॉडल कोड) लागू होने से कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, यदि क्षेत्र में काम वास्तव में शुरू नहीं हुआ है। ये निर्माण कार्य चुनाव कार्य पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है, तो इसे जारी रखा जा सकता है।

6. संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि की शर्त पर पूर्ण कार्य (कार्यों) के लिए भुगतान देने पर कोई रोक नहीं होगी।

7. आयोग सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने जैसी आपात स्थितियों या अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए शुरू की गई योजनाओं अथवा वृद्धजनों, दुर्बलों के लिए कल्याणकारी उपायों के लिए अनुमोदन की मनाही नहीं करता। हालांकि, इन मामलों में आयोग की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए और तड़क-भड़क वाले सभी समारोहों से सख्ती से बचना चाहिए और ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा कार्यालय में ये कल्याणकारी उपाय या राहत और पुनर्वास कार्य इसीलिए किए जा रहे हैं कि मतदाताओं को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में प्रभावित किया जा सके और साथ ही इससे अन्य दलों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में: आयोग का निर्देश है कि निर्वाचन के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;

(ii) संभागीय आयुक्त;

(iii) निर्वाचन संचालन से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर और अन्य राजस्व अधिकारी;

(iv) निर्वाचन के प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे रेंज आईजी और डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उप-अधीक्षक और निर्वाचन कार्यों के लिए बनाए गए और अन्य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के तहत आयोग में प्रतिनियुक्त हैं;

(v) अन्य अधिकारी जैसे सेक्टर और जोनल अधिकारी, परिवहन प्रकोष्ठ, ईवीएम प्रकोष्ठ, मतदान सामग्री खरीद और वितरण प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुद्रण प्रकोष्ठ, वरिष्ठ अधिकारी भी, जिनकी राज्य में निर्वाचन प्रबंधन में भूमिका होती है, इस दिशा-निर्देश के अधीन कवर होते हैं।

(vi) घोषणा की तारीख से पहले उपर्युक्त श्रेणियों के अधिकारियों के संबंध में जारी किए गए किंतु आदर्श संहिता के लागू होने तक लागू न किए गए स्थानांतरण आदेशों को अयोग से विशिष्ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा।

(viii) उन मामलों में जहां प्रशासनिक तात्कालिकता के कारण किसी अधिकारी का स्थानांतरण आवश्यक माना जाता है, राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ पूर्व मंजूरी के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

(ix) आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना, इस अवधि के दौरान, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी।

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर:

1. सरकारी वाहनों का उपयोग चुनाव कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। 'सरकारी वाहनों' में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, विपणन बोर्डों (चाहे जो नाम हो), सहकारी समितियां, स्वायत्त जिला परिषदों, या अन्य निकाय, जिनमें सरकारी निधि, चाहे कुल का कितना ही छोटा हिस्सा क्यों न हो, निवेशित किया जाता है, के सभी वाहन और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के तहत रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय पुलिस संगठनों के वाहन भी आते हैं।

2. केंद्रीय या राज्य मंत्री को अपने निजी वाहन से निजी दौरे करने की छूट है। ऐसी निजी यात्राओं के लिए, मंत्रियों के सरकारी निजी कर्मचारी उनके साथ नहीं होंगे। हालाँकि, यदि कोई मंत्री विशुद्ध रूप से आधिकारिक कार्य पर अपने मुख्यालय से बाहर, किसी आकस्मिक स्थिति में दौरा करते हैं, जिसे जनहित में टाला नहीं जा सकता है, तो इस आशय को प्रमाणित करने वाला पत्र, विभाग के संबंधित सचिव से उस राज्य के मुख्य सचिव को भेजा जाना चाहिए जहां मंत्री दौरा करना चाहते हैं और इसकी प्रति आयोग को दी जानी चाहिए। ऐसे दौरे के दौरान, मुख्य सचिव उनके सरकारी दौरे के लिए मंत्री को सरकारी वाहन, आवास और अन्य सामान्य शिष्टाचार प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे सरकारी दौरे के तुरंत पहले या इसके दौरान या इसकी निरंतरता में कोई भी मंत्री किसी भी चुनाव अभियान या राजनीतिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता अथवा उसके साथ नहीं मिला सकता। आयोग अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से इस तरह की व्यवस्था पर नज़र रखेगा।

3. कोई मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो अथवा राज्य मंत्री हो, निर्वाचन की घोषणा के साथ शुरू चुनाव की अवधि के दौरान किसी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को किसी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुलाएगा। केवल तभी अपवाद होगा जब कोई मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी अथवा मुख्यमंत्री की हैसियत से

कानून व्यवस्था की विफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी आपात स्थिति के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र का सरकारी दौरा करते हैं, जिसके लिए समीक्षा/ निस्तारण/राहत के विशिष्ट प्रयोजन और ऐसे किसी प्रयोजन के लिए ऐसे मंत्रियों/मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति अपेक्षित हो।

4. मंत्री, सरकारी वाहनों का उपयोग अपने सरकारी कार्य के लिए केवल अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय में आने के लिए करने के ही पात्र हैं, बशर्ते इस यात्रा के साथ कोई चुनावी कार्य या कोई राजनीतिक गतिविधि न जुड़ी हो।

5. मंत्री, चाहे संघ के हों या राज्य के, किसी भी तरह से अपने आधिकारिक दौरों में निर्वाचन कार्य के साथ गठबंधन नहीं करेंगे।

6. चाहे निजी यात्रा पर हों या सरकारी यात्रा पर, कोई भी प्रायोगिक कार (कारों) या किसी भी रंग के दीपस्तंभ प्रकार वाली कार (कारों) या किसी भी प्रकार के सायरन वाली कार (कारों) का उपयोग किसी राजनीतिक अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा चाहे राज्य प्रशासन ने उसे ऐसा सुरक्षा कवर दिया हो जिसके लिए ऐसे दौरे पर उसके साथ सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति की आवश्यकता हो। यह लागू है चाहे वाहन सरकारी स्वामित्व का हो या निजी स्वामित्व का यह दोनों पर लागू रहेगा।

7. कोई भी अधिकारी, उस निर्वाचन क्षेत्र के उनके निजी दौरे पर मंत्री से मिलता है, जहां चुनाव हो रहे हैं, संबंधित नियमों के तहत कदाचार का दोषी होगा; और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 (1) में उल्लिखित एक अधिकारी है, तो उस पर अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विचार किया जाएगा और उस पर इसके अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' का निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक अनुपालन किया जाएं।

आयोग ने अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद से चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची तैयार की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इसका व्यापक प्रचार किया जाए और सभी अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों की जानकारी के लिए राज्य की राजभाषा सहित स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाए। अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के स्पष्ट नोटिस में लाया जाना चाहिए कि 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची केवल निदर्शनात्मक है, संपूर्ण नहीं है और इसका उद्देश्य उपर्युक्त विषयों पर अन्य विस्तृत दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को प्रतिस्थापित या संशोधित करना नहीं है, जिनका सख्ती से पालन और अनुपालन किया जाना चाहिए।

क्या करें

(1) प्रगतिशील कार्यक्रम, जो वास्तव में निर्वाचन की घोषणा से पहले क्षेत्र में शुरू हो गए थे, जारी रखे जा सकते हैं।

(2) बाढ़, सूखे, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत और पुनर्वास के उपाय शुरू किए और जारी रखे जा सकते हैं।

(3) प्राणघातक या गंभीर रूप से रूग्ण व्यक्तियों को नकद अनुदान या चिकित्सा सुविधाएं जारी रखी जा सकती है।

(4) चुनाव बैठकें करने के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान सभी दलों/अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसी प्रकार, समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए हेलिपैड का उपयोग सभी दलों/अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(5) अन्य राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम से संबंधित होनी चाहिए।

(6) शांतिपूर्ण और सुकुन से घरेलू जीवन जीने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

(7) स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रस्तावित बैठकों के आयोजन स्थल और समय की पूरी जानकारी होनी चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई हों।

(8) यदि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश है, तो उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। छूट के लिए, यदि आवश्यक हो, समय रहते आवेदन किया जाए और समय रहते लिया जाना चाहिए।

(9) प्रस्तावित सभाओं के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

(10) सभाओं में गड़बड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

(11) किसी भी जुलूस के समय और आरंभिक स्थान, इसके रूट और समाप्ति के समय एवं स्थान की व्यवस्था अग्रिम में की जानी चाहिए और पुलिस अधिकारियों से अग्रिम में अनुमति ली जानी चाहिए।

(12) जहां से जुलूस गुजरना है, उन स्थानों में लागू, किसी भी प्रतिबंधात्मक आदेश का पता लगाया जाना चाहिए और उसका पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यातायात विनियमों और अन्य प्रतिबंधों का भी पालन करना चाहिए।

(13) जुलूस का मार्ग यातायात में बाधा रहित होना चाहिए।

(14) शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को हर समय सहयोग देना चाहिए।

(15) सभी कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा।

(16) मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफ़ेद) कागज पर होगी और इसमें कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

(17) अभियान अवधि और मतदान दिवस के दौरान वाहनों को रोकने पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

(18) किसी भी मतदान केन्द्र में निर्वाचन आयोग से विशिष्ट वैध प्राधिकारी पत्र वाले व्यक्ति (मतदाताओं, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को छोड़कर), ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी (जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक आदि) को, चाहे कितना ही उच्च अधिकारी न हो, इस शर्त से छूट नहीं है।

(19) निर्वाचन संचालन संबंधी कोई भी शिकायत या समस्या आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/भारतीय निर्वाचन आयोग के नोटिस में लाई जाएगी।

(20) निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

(21) यदि आप उस निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता नहीं हैं, तो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।

क्या न करें

(1) सत्तारूढ दल/सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खजाने से किसी या सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध है।

(2) कोई मंत्री किसी मतदान केन्द्र या मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि वह एक अभ्यर्थी या केवल मतदान के लिए मतदाता है।

(3) सरकारी कामकाज को प्रचार अभियान/निर्वाचन में नहीं मिलाया जाना चाहिए।

(4) कोई अभियोग, वित्तीय या अन्यथा, मतदाता को नहीं दिया जाएगा।

(5) मतदाताओं की जाति/सांप्रदायिक भावनाओं पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

(6) ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी, जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ सकते हों अथवा उनके बीच आपसी घृणा या तनाव पैदा हो सकते हों।

(7) दूसरी पार्टी के किसी भी नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू पर, जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं, के बारे में अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं को आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू की आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो।

(9) चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का भाषण, पोस्टर, संगीत आदि सहित चुनाव प्रचार के स्थानों के रूप इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(10) मतदान समाप्त होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान, ऐसे कार्यकलाप करने पर, जो भ्रष्ट आचरण हैं अथवा चुनावी अपराध है जैसे रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, मतदाताओं को डराना, दूसरे का मतदान करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचारप्रसार - करना, जनसभाएं आयोजित करना और मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर आनाजान-ा निषिद्ध है।

(11) लोगों के मत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उनके घरों के बाहर प्रदर्शन करने या धरना देने या गतिविधियों का सहारा नहीं लिया जाएगा।

(12) स्थानीय कानूनों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, मालिक से विशिष्ट अनुमति जिला) (निर्वाचन अधिकारी को दिखायी एवं जमा की जाए लिए बिना किसी की भूमि, भवन, परिसर की दीवार, वाहनों आदि का उपयोग झंडे के डंडों को लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए नहीं कर सकता।

(13) अन्य राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित जनसभाओं या जुलूसों में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी।

(14) जिन स्थानों पर अन्य पार्टी सभाएं कर रही हैं, वहाँ उनके साथ जुलूस/रैली नहीं निकाले जाएंगे।

(15) जुलूस निकालने वालों को ऐसी कोई भी वस्तु साथ ले जाने की अनुमति नहीं हो, जिनका दुरुपयोग हो सकता है, जैसे मिसाइल या हथियार।

(16) अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाया या बिगाड़ा नहीं जाएगा।

(17) पोस्टर, झंडे, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामग्री को मतदान के दिन, मतदान पहचान पर्ची वितरण स्थान के पास या मतदान केंद्रों के पास इस्तेमाल अथवा प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(18) लाउडस्पीकर, चाहे स्थिर हों या चालित वाहनों पर लगे हों, का उपयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात 10 बजे के बाद, संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर नहीं किए जाएंगे।

(19) संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर, सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों में भी लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जाएगा। आम तौर पर, ऐसी बैठकों/जुलूसों को रात में 10.00 बजे से बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ये स्थानीय कानूनों, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय धारणाओं और मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा अवधि आदि जैसे अन्य प्रासंगिक महत्वों के अधीन होगा।

(20) निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जाना चाहिए।

(21) मतदान के दिन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा का खतरा हो और इसलिए उसे आधिकारिक तौर पर सुरक्षा दी गई हो, वह अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केन्द्र

परिसर (100 मीटर के भीतर) के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा, मतदान के दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घूमेगा। यदि आधिकारिक सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति मतदाता भी है, तो वह सुरक्षा कर्मियों के साथ केवल मतदान करने के लिए अपनी गतिविधि को सीमित करेगा।.

(22) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे सुरक्षा का खतरा हो और इसलिए उसे आधिकारिक तौर पर सुरक्षा दी गई हो, या जिसके पास स्वयं के लिए निजी सुरक्षा गार्ड हैं, को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

नोट: उपरोक्त "क्या करें" और "क्या नहीं करें" की सूची केवल उदाहरण मात्र हैं और संपूर्ण नहीं है, तथा उपरोक्त विषयों पर किसी अन्य विस्तृत आदेश, निर्देश/निर्देशों को प्रतिस्थापित करने का इरादा नहीं रखते हैं, और जिनका कड़ाई से अनुपालन एवं अनुसरण किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 13

(अध्याय 5, पैरा 5.2.1)

प्ररूप 5 - अभ्यर्थिता वापिस लेने की सूचना

[नियम 9(1) देखिये]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

..... के लिए निर्वाचन*

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं, ... जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में 1 विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा सूचना देता/ देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/ लेती हूँ।

दिनांक .....

स्थान .....

1 [विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] के हस्ताक्षर

यह सूचना .....(नाम) आप, जो ..... है, ... (दिनांक) को ..... (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख:

स्थान:

रिटर्निंग अधिकारी

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के लिये रसीद

(सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिये)

..... की, जो कि ..... के लिये निर्वाचन में 1 विधिमान्यतः नामनिदिष्ट अभ्यर्थी है, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना ..... द्वारा ..... (तारीख) को ..... (बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटर्निंग अधिकारी

---

* यह निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:

(1) ..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद।

+यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:

(1) अभ्यर्थी।

(2) अभ्यर्थी का प्रस्तापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

(3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

परिशिष्ट 14

(अध्याय 6, पैरा 6.1.1)

प्रपत्र 8 - निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

प्रपत्र 8

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

[नियम 12 (1) देखिए]

..... के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं, ... जो ..... का हूं और ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा ..... कल ..... को ऊपरवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूं।

स्थान.....

तारीख.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

---

* यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:

(1) ..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद।

परिशिष्ट 15

(अध्याय 6, पैरा 6.1.4)

प्ररूप 9 - निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

प्ररूप 9

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

[नियम 12(2) देखें]

..... के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं ..... जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतदद्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता, ... की नियुक्ति प्रतिसंहरण करता हूं।

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

* यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:

(1) ..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद।

परिशिष्ट 16

(अध्याय 7, पैरा 7.2.1)

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण)

भाग VII

[भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध]

[अध्याय I - भ्रष्ट आचरण]

123. भ्रष्ट आचरण

निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे: -

[(1) "रिश्वत" अर्थात् -

(अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी पारितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परतः यह उद्देश्य हो कि-

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थित [वापस लेने या न लेने के लिए], अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए, अथवा जो-

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता [वापस ले ली या नहीं ली], अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा;

(ख) किसी तुष्टिकरण की पावती या उसे प्राप्त करने के लिए सहमति, चाहे वो एक अभिप्राय या एक पारितोषिक के रूप में हो -

(क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता [वापस लेने या न लेने के लिए]; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता [वापस लेने या न लेने के लिए] उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए।

[स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी पारितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब प्रकार के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या

निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।]

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न :

परन्तु -

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो-

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित कराने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचक अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है;

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

परंतु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आवंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा।

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना।

(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए *सती* की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) में हैं।

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के [मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा] या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाडे पर लेना या उपाप्त करना अथवा [ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना]:

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक

परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना।

(7) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा (किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से) किसी व्यक्ति; चाहे वह सरकार की सेवा हो या नहीं और निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी का प्रतिनिधित्व करता है, से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए कोई सहायता (वोट देने के अतिरिक्त) प्राप्त या अर्जित करना या प्राप्त या अर्जित करने के लिए उकसाना, अर्थात्:-

(क) राजपत्रित आफिसरों;

(ख) साम्बलिक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट;

(ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्य;

(घ) पुलिस बलों के सदस्य;

(ङ) उत्पाद-शुल्क आफिसर;

(च) राजस्व आफिसर, जो लंबरदार, मालगुज़ार, पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और

(छ) सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ऐसी अन्य श्रेणी जिसे निर्धारित किया जा सकता है:

परंतु इस श्रेणी का कोई व्यक्ति, सरकार की सेवा में हो और उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी का प्रतिनिधित्व करता हो, अपने आधिकारिक कर्तव्य के तथाकथित पालन में किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति; जो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (चाहे अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय संभाले रखने के कारण या कोई और कारण) की सहमति से कार्य करता है, के लिए, या उनसे सम्बंधित कोई व्यवस्था करता है या कोई सुविधा प्रदान करता है या कोई और क्रियाकलाप या कार्य करता है, ऐसी व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ या क्रियाकलाप या कार्य उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं के प्रोत्साहन के लिए सहायक नहीं माना जायेगा।

(ज) स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्थान या प्रतिष्ठान या उपक्रम की सेवा में, निर्वाचनों के आयोजन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की श्रेणी।

(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण।

स्पष्टीकरण- (1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है।

(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन-

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में रहा था।

(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है।

अध्याय III - निर्वाचन अपराध

125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना

जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

125क. मिथ्य शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति

कोई अभ्यर्थी जो स्वयं या अपने प्रस्तापक के माध्यम से किसी निर्वाचन में चयनित हो जाने के आशय से -

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

धारा 33 की उप-धारा 1 के अंतर्गत, प्रस्तुत किये गए अपने नामांकन पत्र में या अपने शपथ-पत्र में जिसे धारा 33क की उप-धारा 2 के अंतर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसी भी स्थिति हो, वर्तमान में लागू अन्य किसी कानून में कुछ सम्मिलित होने के बाद भी एक निश्चित अवधि के लिए दंड का अधिकारी होगा जिसे छः महीने तक या अर्थदंड के साथ या फिर दोनों एक साथ बढ़ाया जा सकता है।

126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का निषेध

(1) कोई भी व्यक्ति -

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा,

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

126क. निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन

(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात्: -

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "निर्गम मत सर्वेक्षण" से वह राय सर्वेक्षण अभिप्रेत है जो इस संबंध में है कि निर्वाचकों ने कैसे किसी निर्वाचन में मतदान किया या इस संबंध में है कि किसी निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की पहचान सभी मतदाताओं ने कैसे की है;

(ख) "इलैक्ट्रानिक मीडिया" के अन्तर्गत इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन भी हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन, सेटेलाइट, क्षेत्रीय या केबल चैनल, मोबाइल और ऐसा अन्य मीडिया सम्मिलित है जो सरकार के या निजी व्यक्ति अथवा दोनों के स्वामित्वाधीन है;

(ग) "प्रिंट मीडिया" के अन्तर्गत कोई समाचारपत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंडबिल या कोई अन्य दस्तावेज भी है;

(घ) "प्रसार" के अन्तर्गत किसी "प्रिंट मीडिया" में प्रकाशन या किसी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण या प्रदर्शन भी है।

126ख. कंपनियों द्वारा अपराध-

(1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव

(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विश्रृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में की गई है।

(3) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है और तो यदि सभा के सभापति द्वारा

उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस आफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

127क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन

(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को-

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है ; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित-

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को; तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के, जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ; तथा

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना

(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा:

परंतु इस उपधारा के उपबंध ऐसे आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

129. निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे

(1) जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य -

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का; या

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का; या

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का,

प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखें को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में कोई कार्य न करेगा, अर्थात् :-

(क) मतों के लिए संयाचना; या

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत को याचना करना; या

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना; या

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना; या

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, -

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विश्रृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा,

कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास, से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति

(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता

है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है या है, [जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग अधिकारी], सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशत प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा 'पदीय कर्तव्य' पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाली सरकारी सेवकों के लिए शास्ति

यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134ख. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध

(1) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन आफिसर और किसी पुलिस आफिसर से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस-पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी।

4. उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा

(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा:

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया

जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध

1. जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्ति द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135(ख) मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना

(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति-

(क) कोई नामनिर्देश-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा [या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा]; अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा,

तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति, -

(क) यदि वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

संसद अधिनियम
भारतीय दंड संहिता से उद्धरण
(1860 का अधिनियम 45)

153क. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना

(1) जो कोई-

(क) बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनायें, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशांति में विघ्न डालता है, या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो, अथवा

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा

की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है, यह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

153ख राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान

(1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरुपणों द्वारा या अन्यथा-

(क) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

(ख) यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रुप में उनके अधिकार न दिए जाएँ या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के सम्बन्ध में इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक् करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक् या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी सम्भाव्य हैं, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासन अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से, जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

171क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-

(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।

171ख. रिश्वत

(1) जो कोई-

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिये इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा

(ii) स्वयं अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई परितोषण ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिये इनाम के रुप में प्रतिगृहीत करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है

परन्तु लोकनीति की घोषणा या लोक- कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा।

(2) जो व्यक्ति परितोषणा देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है।

(3) जो व्यक्ति परितोषणा अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिये जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरुप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिये इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।

171ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना

(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई-

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवीय अप्रसाद या आधायात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या, बना दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

171घ. निर्वाचनों में प्रतिरुपण

जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मत-पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकाने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम के मत-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरुपण का अपराध करता है।

171ङ. रिश्वत के लिये दण्ड

जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा: परन्तु सत्कार के रुप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- 'सत्कार' से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रुप में है।

171च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण के लिए दण्ड

जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

171छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन

जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

171ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय

जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा; परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हों, जो कुल मिलाकर दस रुपये से अधिक न हो, उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसे व्यय किये गये हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किये हैं।

171-झ. निर्वाचन-लेखा रखने में असफलता

जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

505. लोक रिष्टि कारक वक्तव्य -

1) जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को,--

(क) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई आफिसर, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे, या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या, उसके पालन में असफल रहे, अथवा

(ख) इस आशय से कि, या जिससे वह सम्भाव्य हो कि, लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरूद्ध या लोक-प्रशांति के विरूद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरूद्ध अपराध यकरने के लिए उद्दीप्त किया जाए,

रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वष्र्ज़ तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन - जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएँ, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य

किसी भी आधार पर पैदा या सम्प्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा (2) के अधीन अपराध -

जो कोई उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अपवाद - ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है प्रकाशित करता है या परिचालित करता है।

परिशिष्ट 17

(अध्याय 7, पैरा 7.3.2)

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता

I. **सामान्य आचरण**

(1) किसी दल या अभ्यर्थी को एसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक, भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।

(2) जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत छवि ओर कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों।

(3) मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

(4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओ को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के भीतर मत देने का अनुरोध संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को समाप्त होने वाली 48 घंटे की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाऐं करना और मतदाताओं को सवारी से पॉलिंग स्टेशनों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

(5) सभी राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें, चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिये।

(6) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की उनकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए।

(7) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं जुलूसों आदि में बाधाएं न डालें या उन्हे भंग न करे। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिन्तकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के पर्चे वितरित करके, गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाने चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

II. **सभाएं**

(1) दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये, वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सकें।

(2) दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर, जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबोधात्मक आदेश लागू तो नहीं है। यदि ऐसे आदेश लागू हों तो, उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेश से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुमति या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(4) किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने या इसका प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करें।

III. **जुलूस**

(1) जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये, कि जुलूस किस-किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये।

(2) आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को अग्रिम सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक इंतजाम कर सकें।

(3) आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बन्धाहमक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाये, उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। यातायात के विनियमों और निर्बन्धों का भी ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिये।

(4) आयोजकों को जुलूस का इन्तजाम ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकालना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अन्तरालों पर, विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिये समय-समय पर रास्ता दिया जा सके ओर इस प्रकार भारी यातायात के जाम से बचा जा सके।

(5) जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क के दायीं ओर रखा जाए और डयूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह पर कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये।

(6) यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी राजनैतिक रास्ते या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है, तो आयोजको को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इन्तजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथा शीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

(7) जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में, जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये।

(8) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलपे, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

IV. **मतदान दिवस**

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों का चाहिये कि वे-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिये मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें;

(ii) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बेज या पहचान पत्र दें;

(iii) इस बात से सहमत हो कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे (सफेद) कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा;

(iv) मतदान के दिन ओर उसके पूर्व के 24 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित

न करें;

(v) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा पोलिंग स्टेशनों के निकट लगाए गए कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में मुकाबला और तनाव न होन पाये;

(vi) यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किए जायें और भीड़ न लगाई जाए; और

(vii) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे वे साफ-साफ दिखाई देते रहें।

V. **मतदान केन्द्र**

मतदाताओ के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वान आयोग द्वारा दिये गये विधि मान्य पास के बिना पोलिंग स्टेशनों में प्रवेश नहीं करेगा।

VI. **पर्यवेक्षक**

निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उनकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।

VII. **सत्ताधारी दल**

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या सम्बन्धित राज्यो में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह यह शिकायत करने का कोई मौका न दे कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, ओर विशेष रूप से-

(i)(क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए ओर निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए;

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभायें आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिए हेलिपैडों के

इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं ऐसे स्थानो का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(iii) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुज्ञा देगा किन्तु कोई दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का (इनके साथ संलग्न परिसरों सहित) प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण व्याप्ति के लिए सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन-माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बंद रहना चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाई गई हों।

(v) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए; तथा

(vi) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं:-

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करें अथवा

(ख) (लोक सेवकों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखंगे, या

(ग) सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे का कोई वचन नहीं देंगे, आदि

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

नोट: आयोग जिस किसी भी निर्वाचन की तिथि की घोषणा करेगा, जो कि सामान्यतया उस तिथि से तीन सप्ताह पहले से अधिक की नहीं होगी जिस तिथि को ऐसे निर्वाचनों के संबंध में अधिसूचना जारी की जानी है।

(vii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत की अपनी हैसियत को छोड़कर किसी भी पोलिंग स्टेशन या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

(vii) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी मतदान केंद्र अथवा मतगणना के स्थान में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि वह स्वयं एक अभ्यर्थी अथवा कोई प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं हो।

परिशिष्ट 18

(अध्याय 7, पैरा 7.11.1)

पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध से संबंधी आदेश

सं. 3/9(ईएस008)/94-जे.एस.II दिनांक: 2 सितम्बर, 1994

विषय: पर्चों (पम्फलेट्स), पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध

चुनावी पर्चे (पम्फलेट), पोस्टर आदि का मुद्रण और प्रकाशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

2. चुनाव के पर्चे (पम्फलेट), पोस्टर इत्यादि की छपाई पर उपरोक्त कानून के तहत ये प्रतिबंध ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशक, प्रिंटर की पहचान करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, ताकि यदि ऐसे किसी दस्तावेज में कोई भी मामला या सामग्री जो अवैध है, अपमानजनक है या धर्म, जाति, जाति, समुदाय या भाषा या किसी प्रतिद्वंद्वी के चरित्र हनन, आदि पर आपत्तिजनक, है, तब अपील होने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक या निवारक कार्रवाई की जा सके। ये पाबंदियां राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों द्वारा चुनावी पर्चे, पोस्टर आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर अनाधिकृत रूप से चुनावी खर्च करने पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य को भी पूरा करती हैं।

3. आयोग के ध्यान में यह आया है कि चुनाव के पर्चे, पोस्टर, आदि की छपाई और प्रकाशन से संबंधित कानून के उपरोक्त प्रावधानों के पालन करने के बजाय उनका उल्लंघन ज्यादा हो रहा है। चुनाव के समय, निजी और सरकारी भवनों की दीवारों पर बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज़ मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित और चिपकाए जाते हैं, जिनके संबंध में कानून की उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस, धारा 127क (2) के तहत आवश्यक संबंधित ऐसे मुद्रित दस्तावेजों को प्रकाशक से प्राप्त घोषणापत्र के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों या, जैसा भी लागू हो, जिला मजिस्ट्रेट को शायद ही कभी भेजते हैं। अधिकतर, चुनावी पर्चे, पोस्टर, आदि पर धारा 127क (1) का उल्लंघन करते हुए उन पर प्रिंटर और/या प्रकाशक के नाम और पते को नहीं छापते हैं।

4. आयोग को यह भी शिकायत मिली है कि अपराधियों के खिलाफ समय से कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अपमानजनक सामग्री अनियंत्रित रूप से प्रकाशित की जाती है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रहीम खान बनाम खुर्शीद अहमद और अन्य (एआईआर 1975 एससी 290): मामले में की गई टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। "इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि प्रश्नगत हैंडबिल में प्रिंटर और प्रकाशक का नाम ही नहीं है, हालाँकि चुनाव कानून में ऐसा करना अपेक्षित है। दुर्भाग्य से, जब ऐसी मुद्रित सामग्री परिचालित की जाती है, तो कानून की एसी कोई एजेंसी नहीं है, जो उचित जाँच के बाद त्वरित कार्रवाई करे, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव के दौरान

कोई भी प्रिंटर या अभ्यर्थी या प्रचारक कानून की घोर उपेक्षा करता है और वह यह जानते हुए कि चुनाव के कुछ समय बाद तक कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसी गड़बड़ी को बेरोकटोक सफलतापूर्वक करने में सक्षम होता है, जब अचानक कुछ मुकदमे शुरू होते हैं तब स्रोत का पता लगाया जाता हैं। कानून बनाना और उसे लागू करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसे समय- पर लागू करना भी है।"

5. इस विषय पर, कानून के उपर्युक्त प्रावधानों की अपेक्षाओं का भविष्य में अनुपालन हो, और इस विषय पर अपने पिछले सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत या इसे इस विषय में मिले अन्य अधिकारों की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, ये निर्देश देता है :-

(i) निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही किसी संसदीय, विधानसभा या परिषद निर्वाचन क्षेत्र से कोई चुनाव घोषित किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट चुनाव की ऐसी घोषणा के तीन दिनों के भीतर, अपने जिलों में सभी प्रिंटिंग प्रेस को यह निर्देश देंगे।

(क) कि उपर्युक्त धारा 127क की आवश्यकताओं पर ध्यान दिलाते हुए कि किसी भी चुनावी पर्चे या पोस्टर या उनके द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर विशेष रूप से प्रिंटर और प्रकाशक के नाम और पते की प्रिंट लाइन अनिवार्यत: छापेंगे;

(ख) सभी प्रिंटिंग प्रेस, इसकी छपाई के तीन दिनों के भीतर धारा 127क (2) के तहत अपेक्षित प्रकाशक से प्राप्त घोषणापत्र के साथ ऐसी मुद्रित सामग्री (प्रत्येक ऐसी मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ) भेजेंगे;

(ग) और उन्हें यह स्पष्ट शब्दों में निर्देश देंगे कि धारा 127क और आयोग के उपरोक्त निर्देशों के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उचित मामलों में राज्य के प्रासंगिक कानूनों के तहत प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का निरस्त करना भी शामिल होगा।

(2) मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य की राजधानियों में स्थित प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में भी तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

(3) किसी भी चुनावी पर्चे या पोस्टर इत्यादि की छपाई शुरू करने से पहले, प्रिंटर को प्रकाशक से एक घोषणापत्र प्राप्त करना होगा जो कि आयोग द्वारा अनुबंध-क सूची में निर्धारित प्रोफार्मा में धारा 127क (2) के संदर्भ में निर्धारित है। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों जिन्हें प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से जानता है द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी। ऐसा होने के बाद इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, यथा लागू, को अग्रेषित किया जाएगा।

(4) जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है, प्रिंटर मुद्रित सामग्री की चार (4) प्रतियों को, प्रकाशक की घोषणा के साथ, छपाई के तीन (3) दिनों के भीतर इस तरह की मुद्रित सामग्री और घोषणा के साथ, प्रिंटर भी आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनुबंध-ख में, मुद्रित्

प्रतियों की संख्या और इस तरह के मुद्रण कार्य के शुल्क के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेगा। इस तरह की जानकारी प्रिंटर द्वारा, प्रत्येक चुनाव दस्तावेज़ के मुद्रण के तीन (3) दिनों के भीतर उसके द्वारा छपे प्रत्येक चुनावी पर्चे, पोस्टर आदि के संबंध में, सामूहिक रूप से नहीं बल्कि प्रत्येक के लिए अलग-अलग रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट को प्रिंटिंग प्रेस से किसी भी चुनाव के पर्चे या पोस्टर आदि मिलते हैं, वह जाँच कराएंगे कि प्रकाशक और प्रिंटर ने कानून की आवश्यकताओं और आयोग के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। वह अपने कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शन हेतु एक-एक प्रति लगाएगा, ताकि सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और अन्य इच्छुक व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकें कि क्या इस तरह के दस्तावेज़ के संबंध में कानून की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है और ऐसे अन्य चुनाव के पर्चे, पोस्टर इत्यादि के मामले जिनके संबंध में कानून की उपरोक्त आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ है, के संबंध में अधिकारियों के संज्ञान में ला सकेगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी इसी तरह उक्त उप-पैरा (5) में उल्लिखित पम्फलेट, पोस्टर आदि के संबंध में, आगे की कार्रवाई करेंगे।

(7) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट चुनाव पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के प्रकाशन से संबंधित उक्त धारा 127क और/ या आयोग के उपरोक्त निर्देशों के उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले ध्यान में आने या ध्यान में लाए जाने पर जाँच के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करेंगे। ऐसे सभी मामलों में अपराधियों के खिलाफ सबसे तेजी से मुकदमा चलाया जाएगा और संबंधित अदालतों में इन मामलों की दृढता से पैरव्वी की जाए।

6. आयोग सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और अन्य लोगों को एतद्वारा सावधान करता है कि उक्त कानून के उल्लंघन और उपरोक्त विषय पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता के साथ लिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

7. कोई भी अधिकारी जो कानून के उपरोक्त प्रावधानों और आयोग के निर्देश के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है और इस संबंध में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में विफल रहते हैं, तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए वांछनीय किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के अलावा गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव के आदेश द्वारा

अनुलग्नक - क

[देखें अध्याय 11, पैरा 11.13]

प्रकाशक द्वारा निर्वाचन पोस्टरों, पम्फलेटों आदि प्रस्तुत किये जाने की घोषणा का प्ररूप

[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क देखें]

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (ग्राम/कस्बा)..... निवासी .... जिला ..... राज्य, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं..... (चुनाव पोस्टर पैम्फलेट इत्यादि का संक्षिप्त विवरण दें) का प्रकाशक हूँ, जिनका मुद्रण है (प्रिंटिंग प्रेस का नाम) ..... में किया जा रहा स्थान .....

दिनांक .....

प्रकाशक के हस्ताक्षर

पूरा पता .....

अनुप्रमाणित (प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाला)

1. हस्ताक्षर, नाम और पता
2. हस्ताक्षर, नाम और पता

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रकाशक के हस्ताक्षर, नाम और पता

अनुलग्नक-ख

[देखें अध्याय VII, पैरा 11.2 (ख)]

निर्वाचन पोस्टरों, पैम्फलेट इत्यादि की प्रिंटिंग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा

1. मुद्रक का नाम और पता .....
2. प्रकाशक के नाम और पता .....
3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तिथि .....
4. प्रकाशक की घोषणा की तारीख .....
5. निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट, आदि का संक्षिप्त विवरण .....
6. उपरोक्त दस्तावेज की मुद्रित प्रतियों की संख्या .....
7. मुद्रण की तिथि .....
8. प्रिंटिंग प्रभार (कागज की लागत सहित) को प्रकाशक से उपरोक्तु दस्तावेज ..... के संबंध में प्रभारित किया जा रहा है

स्थान .....

दिनांक .....

(प्रिंटर के हस्ताक्षर)

प्रिंटर की मोहर

परिशिष्ट 19

(अध्याय 9, पैरा 9.1.3)

निर्वाचनों का संचालन नियम 1992

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सां. आ. 230(ङ) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्र सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के उपरांत, चुनाव संचालन नियम, 1961 में आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों को चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 1992 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकार के राजपत्र में, अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. चुनाव संचालन नियम, 1961 में (इसके बाद इन्हें यहाँ प्रमुख नियमों के तौर पर संदर्भित किया जाएगा)।

(क) भाग IV में शीर्षक के बाद, निम्नलिखित समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"अध्याय I मतपत्र द्वारा मतदान"

(ख) नियम 28 में, "इस भाग में" शब्दों के स्थान पर शब्द "इस अध्याय तथा अध्याय II में" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) नियम 49 के बाद, निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

अध्याय II

इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान

49क. इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का परिकल्प

प्रत्येक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन कहा गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

49ख. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट पर विशिष्टियां

(1) मतदान मशीन के मतदान यूनिट पर विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतदान यूनिट पर उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जाएगा।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग अधिकारी,

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और चिह्नों को अंतर्विष्ट करने वाला लेबल मतदान यूनिट में लगाएगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थित करेगा और अभ्यर्थी व्यवस्था अनुभाग को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा।

49ग. मतदान केन्द्रों में इंतजाम

(1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर -

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना; तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा।

(4) निर्वाचन आफिसर, उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

49घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश

पीठासीन आफिसर निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा -

(क) मतदान आफिसर;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बच्चे के;

(च) अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन आफिसर नियम 49-छ के उपनियम (2) या नियम 49ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

सिवाय सब अन्य व्यक्ति वहां से अपवर्जित करेगा।

49ङ. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना

(1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर -

(क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम;

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक ; और

(घ) मतदान की तारीख,

चिह्नित होगा या होगी।

(2) मतदान के प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेबल लगा है।

(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन आफिसर पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों।

(4) पीठासीन आफिसर इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो।

(6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित किया जाएगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन आफिसर और मतदान अभिकर्ताओं के पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा।

49च. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति

मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, पीठासीन आफिसर मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में -

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में किए गए चिह्न से भिन्न कोई चिह्न।

49छ. महिला निर्वाचकों के लिए सुविधाएं

(1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासीन आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन आफिसर किसी स्त्री को मतदात्रियों की सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान करने में साधारणतया पीठासीन आफिसर की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जब कि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

49ज. निर्वाचकों का अभिज्ञान

(1) पीठासीन आफिसर ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान आफिसर निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन आफिसर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान आफिसर के समक्ष निर्वाचक अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करेगा।

(4) किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेज्ञा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

49झ. निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं

(1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है।

(2) ऐसी प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन आफिसर -

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अंत में प्रविष्ट कराएगा; तथा

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।

49ञ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप

(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन आफिसर के पास नकद दो रुपये की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसा निक्षेप किए जाने पर -

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा ;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन आफिसर तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जाँच करेगा और उस प्रयोजन के लिए -

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जाँच के पश्चात् पीठासीन आफिसर का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जाँच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय

(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर द्वारा किया जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिह्न लगाया जाने देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक -

(क) अपनी बांई तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिह्नित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बांई तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से है या ऐसे स्याही चिह्न को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है, तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहां उस निर्वाचक को, जिसकी बांई तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिह्नित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान-पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया

(1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान आफिसर -

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा;

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा; तथा

(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है;

(घ) निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा देगा:

परंतु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो।

(2) नियम 2 के उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया

(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन् पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल -

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आश्य रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा; और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा:

परन्तु जहाँ पर पेपर ट्रेल का प्रयोग बटन को दबाकर वोट डालने में किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद (ख) में संदर्भित है, निर्वाचक (मतदाता) प्रिंटर के पारदर्शी झरोखे से देखने में सक्षम होगा, जिसे मतदान कक्ष के अन्दर मतदान की इकाई के साथ रखा जाता है, मुद्रित कागज जो अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह को दर्शाता है जिसके लिए उसने पहले वोट डाला है, ऐसा पेपर स्लिप कट जाता है और प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है।

(4) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ या 49त के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करे, तो पीठासीन आफिसर या पीठासीन आफिसर के निर्देश से मतदान आफिसर ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन आफिसर अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आश्य का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

49डक. पेपर स्लिप पर मुद्रित विवरणों के बारे में शिकायत के प्रकरण की प्रक्रिया

(1) जहाँ पर पेपर ट्रेल का प्रयोग किया जाता है, यदि कोई निर्वाचक नियम 49ड के अंतर्गत, अपना वोट दर्ज करने के पश्चात आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा निकाले गये पेपर स्लिप ने उस अभ्यर्थी जिसको उसने वोट किया है, के स्थान पर किसी और का नाम या चिह्न प्रदर्शित किया है, तो पीठासीन अधिकारी झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में निर्वाचक को सचेत करते हुए निर्वाचक से अपने आरोप के बारे में लिखित में घोषणा प्राप्त करेगा।

(2) यदि निर्वाचक उप-नियम (1) के सन्दर्भ में लिखित में घोषणा देता है, तो पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 17क में उस निर्वाचक से सम्बंधित द्वितीय प्रविष्टि करेगा और अपनी उपस्थिति में और अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्मियों जो मतदान केन्द्र में उपस्थित रह सकते हैं, की उपस्थिति में निर्वाचक को वोटिंग मशीन में एक परीक्षण वोट दर्ज करने की अनुमति देगा और प्रिंटर द्वारा निकाले गए पेपर स्लिप का अवलोकन करेगा।

(3) यदि आरोप सत्य पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक अधिकारी को तुरंत ही तथ्यों को सूचित करेगा, उस मतदान मशीन में वोटों का आगे दर्ज होना रोक देगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गए संभावित निर्देशानुसार कार्य करेगा।

(4) हालाँकि, यदि आरोप झूठा पाया जाता है और उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रिंटर द्वारा निकाला गया पेपर स्लिप का मिलान उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्वाचक द्वारा दर्ज किये गए परीक्षण वोट के साथ हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी -

(i) प्रपत्र 17क में उस निर्वाचक से सम्बंधित द्वितीय प्रविष्टि के विरुद्ध एक टिप्पणी देगा जिसमें उस अभ्यर्थी के क्रम सं. और नाम का उल्लेख होगा जिसके लिए ऐसे परीक्षण वोट को दर्ज किया गया है;

(ii) ऐसे टिप्पणियों के लिए उस निर्वाचक का हस्ताक्षर या अँगूठे का छाप प्राप्त करेगा; और

(iii) प्रपत्र 17ग के भाग I के मद 5 में ऐसे परीक्षण वोट के बारे में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा।

49ढ. दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन

(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि दृष्टिहीनता या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना

यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 49ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49त. निविदत्त मत

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाय निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का

होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तत्क्षण -

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, एक क्रॉस चिह्न (X) लगा कर अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन आफिसर को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न दर्शित करेगा;

(ङ) उसे पीठासीन आफिसर को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) यदि अन्धेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए और नियम 49ड में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49थ. मतदान के दौरान कोष्ठ में पीठासीन आफिसर का प्रवेश करना

(1) जब कभी पीठासीन आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि मतदान यूनिट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए।

(2) यदि पीठासीन आफिसर के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन आफिसर मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49द. मतदान बन्द करना

(1) पीठासीन आफिसर मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा:

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन आफिसर द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

49ध. अभिलिखित मतों का लेखा

(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग में मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में परिवेष्टित कर उस पर 'अभिलिखित मतों का लेखा' शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् देगा और उसे सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित करेगा।

49न. मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना

(1) मतदान की समाप्ति के पश्चात, जितना शीघ्र संभव हो, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण इकाई को बंद कर देगा और मतदान वाले इकाई को नियंत्रण इकाई और प्रिंटर से पृथक कर देगा, हालाँकि जहाँ पर प्रिंटर का भी उपयोग किया जाता है, ताकि प्रिंटर के ड्राप बॉक्स में समाविष्ट कागज की पर्चियाँ अक्षुण्ण रह सके।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् अलग-अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे मुद्राबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों को खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी मुद्रा लगाने की वांछा करे को भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49प. अन्य पैकेटों को मुद्राबन्द करना

(1) पीठासीन आफिसर तब-

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के;

(ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के;

(ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 17ख में सूची के;

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के; और

(ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वे मुद्राबंद पैकेट में रखे जाएं,

पृथक् पैकेट बनाएगा।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन आफिसर की ओर से या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा।

49फ. मतदान मशीन आदि का रिटर्निंग अधिकारी को पारेषण

(1) पीठासीन आफिसर तब रिटर्निंग अधिकारी को-

(क) मतदान मशीन;

(ख) प्ररूप 17ग में अभिलिखित मतों का लेखा;

(ग) नियम 49प में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गए सब अन्य कागजपत्र,

ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49ब. मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया

(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 49थ से 49फ तक के उपबंध यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द हुआ हो।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ हो तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबंद पैकेट जिनमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अंतर्विष्ट है, प्ररूप 17क मतदाता रजिस्टर और एक नई मतदान मशीन उपबंधित करेगा।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबंद पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचकों के नाम जिन्हें स्थगति मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिह्नित करने के लिए करेगा।

(5) नियम 28 और नियम 49क से 49फ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

49भ. बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना

जहां पीठासीन आफिसर की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के

नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त बंद कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाएं तथा मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।

(घ) नियम 66 के उपरांत, निम्नलिखित नियम को लागू किया जायेगा, जैसे कि -

66क. जहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया है मतों की गणना - जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना के संबंध में-

(i) नियम 50 से 54 के उपबंध और नियम 55, 56 और 57 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्:-

"55ग. मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण:

(1) रिटर्निंग अधिकारी एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई गई मतदान मशीनों के नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसे यूनिट में अभिलिखित किए गए मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा।

(2) इसके पहले कि किसी मतदान मशीन में अभिलिखित किए गए मतों की उपनियम (1) के अधीन गणना की जाती है अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता, जो गणना पटल पर उपस्थित है, को उस पत्रमुद्रा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का जो यूनिट पर लगी हो का निरीक्षण और अपना यह समाधान कि मुद्रा अविकल है, करने दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है।

(4) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की बाबत जहां उस मशीन का प्रयोग किया गया है को यथा लागू धारा 58 या धारा 58क या धारा 64क में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

56ग. मतों की गणना

(1) रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे "परिणाम" चिह्नित उपयुक्त बटन को दबा कर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे।

(2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए मतों का संप्रदर्शन किया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी, -

(क) प्ररूप 17ग के भाग II में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत ऐसे मतों की संख्या अलग-अलग अभिलिखित कराएगा:

यह कहा जाता है कि यदि प्रपत्र 17ग के भाग 1 के मद 5 के अनुसार, किसी अभ्यर्थी के लिए परीक्षण वोट दर्ज किया जाता है तो उसे ऐसे अभ्यर्थी के लिए दर्ज किये गए वोटों की कुल संख्या; जैसा कि नियंत्रण इकाई में प्रदर्शित किया गया होगा, से घटा दिया जायेगा।

(ख) प्ररूप 17ग का भाग 2 अन्य संदर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएगा; और

(ग) परिणाम शीट प्ररूप 20 में तत्स्थानी प्रविष्टियां कराएगा और परिणाम शीट में इस प्रकार दर्ज विशिष्टियों की घोषणा कराएगा।

56घ. पेपर ट्रेल की जाँच

(1) जहाँ पर पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, परिणाम-पत्र में प्रविष्टियां किये जाने की घोषणा के पश्चात, कोई अभ्यर्थी या उसकी उपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ताओं में से कोई किसी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रिंटर के ड्राप बॉक्स में पड़े मुद्रित कागज की पर्चियों की गणना के लिए निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसा आवेदन दिये जाने के पश्चात, निर्वाचन अधिकारी ऐसे सामान्य या विशेष दिशानिर्देशों; जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जा सकता है, के अधीन विषय का निर्णय करेगा और आवेदन को सम्पूर्ण या आंशिक रूप में सहमति दे सकता है या पूरी तरह से निरस्त कर सकता है, यदि उनको यह आवेदन तुच्छ या असंगत प्रतीत होता है।

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत, निर्वाचन अधिकारी का प्रत्येक निर्णय लिखित में होगा और उसमें उसके कारण भी सम्मिलित होंगे।

(4) यदि निर्वाचन अधिकारी उप-नियम (2) के अंतर्गत कागज की पर्चियों की गणना पूरी या आंशिक रूप से करने की सहमति देने का निर्णय लेता है तो -

(क) वह उस प्रकार से गणना करेगा जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है;

(ख) वह कागज की पर्चियों की गणना के अनुसार, प्रपत्र 20 में समाविष्ट परिणाम-पत्र का संशोधन करेगा, यदि नियंत्रण इकाई में प्रदर्शित वोटों और कागज की पर्चियों की गणना के बीच में अंतर रहता है;

(ग) वह अपने द्वारा किये गए ऐसे संशोधनों को घोषित करेगा; और

(घ) वह परिणाम-पत्र को पूरा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

57ग. मतदान मशीनों का मुद्राबंद करना

(1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित करने और नियम 56ग के अधीन प्ररूप 17ग के भाग 2 और प्ररूप 20 में दर्ज करने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, मुद्रा से यूनिट को पुनः मुद्राबंद करेगा जिससे यूनिट में अभिलिखित मतदान के मिटाया न जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति प्रतिधारित कर सके तथा जहाँ पर पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, निर्वाचन अधिकारी उस तरीके से कागज की पर्चियों को सीलबंद करेगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया होगा।

(2) इस प्रकार मुद्राबन्द किए गए नियंत्रण यूनिट को विशेष रूप से तैयार किए गए बक्सों में रखा जाएगा जिस पर रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात्: -

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम;

(ख) उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लाया गया है;

(ग) नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्यांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) गणना की तारीख।"

(ii) नियम 60 से 66 के उपबंध, जहां तक हो सके, मतदान मशीनों द्वारा मतदान करने के संबंध में लागू होंगे और उन नियमों में कोई प्रतिनिर्देश-

(क) मतपत्र को ऐसी मतदान मशीन के प्रतिनिर्देश में सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) कोई नियम भाग IV के अध्याय 2 के तत्स्थानी नियम या, यथास्थिति, नियम 55ग या 56ग या 57ग के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा।

(ङ) मुख्य नियमों के नियम 92 में, -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को लागू किया जायेगा, जैसा कि:-

"निर्वाचन में प्रयुक्त सभी मतदान मशीनों को सम्बंधित जनपदीय निर्वाचन अधिकारी के संरक्षण में रखा जायेगा"

(ii) उप-नियम (2) में, अनुच्छेद घ के पश्चात, निम्नलिखित अनुच्छेद को लागू किया जायेगा, जैसे कि:-

"(घघ) पैकेटों में सम्मिलित हैं, प्रपत्र 17क में वोटरों की पंजिका;

(च) मुख्य नियमों के नियम 93 में, -

(i) उप-नियम (1) में, अनुच्छेद (घ) के पश्चात, निम्नलिखित अनुच्छेद को लागू किया जायेगा, जैसे कि:-

"(घघ) पैकेटों में सम्मिलित हैं, प्रपत्र 17क में वोटरों की पंजिका"

परिशिष्ट 20

प्ररूप 17क

(नियम 49ठ देखें)

मतदाता रजिस्टर

.....निर्वाचन क्षेत्र से-..... लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा ..... के लिए निर्वाचन, मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ..... निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .....

क्र. संख्यांक	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				

आदि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 21

प्रपत्र 17ख

(नियम 49त देखें)

निविदत्त मतों की सूची

.....क्षेत्र से निर्वाचन- .....लोक सभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .....

क्र. संख्यांक	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17क) क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.				

तारीख .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 22

प्ररूप 17ग

[नियम 49ध तथा 56ग (2) देखें]

भाग- 1 लिखित मतों का लेखा

..... निर्वाचन-क्षेत्र से ..... लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्याक :

नियंत्रण यूनिट .....

मतदान यूनिट .....

प्रिंटर (यदि प्रयुक्त हुआ है) .....

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. नियम 49ण के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. नियम 49डक के (घ) अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत --

(क) कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या कुल संख्या प्ररूप 17(क) में निर्वाचक (निर्वाचकों) की क्रम संख्या (संख्याएं)

....

(ख)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मतों की सं.
.....	.....	.....
.....	.....	.....

.6 मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या:.....

7. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा--मद 3 के सामने दर्शित मत (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 4949त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए:..... .....
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या :

क्रम सं.

		कुल	से	तक
(क)	प्रयोग के लिए प्राप्त			
(ख)	निर्वाचकों को जारी किए गए			
(ग)	प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए			

10. कागज की सीलों का लेखा :

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

.1	उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें :	कुल सं..... . क्र तक ..... से .... .सं.	---------- .1
.2	प्रयुक्त हुई ही कागज की सीलें :	कुल सं..... . क्र तक ..... से ... .सं.	---------- .2
3.	रिटरिंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीले :	कुल सं..... . क्र तक ..... से ... .सं.	---------- .3
4.	नष्ट हुई कागज की सीलें, यदि कोई हो:	कुल सं..... . क्र तक ..... से ... .सं.	---------- .4
			---------- .5

दिनांक .....

स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं. .....

भाग -- 2मतगणना का परिणाम

क्रमस संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या	भाग 1 के मद 5 के अनुसार कटौती किए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या	विधिमान्य मतों की संख्या (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

योग

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग **1** की मद **6** के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान .....
तिथि .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

स्थान .....
तिथि .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 23

(अध्याय 15, पैरा 15.11.2)

प्ररूप 10

[नियम (2)13देखें]

***मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति**

..... ** के लिए निर्वाचन

मैं ..... जो, ऊपरिवर्णित निर्वाचन में †अभ्यर्थी हूँ ..... का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा .....1[..... (नाम और पता) को] ..... मैं ..... (संख्यांक वाले †मतदान केन्द्र में/मतदाने के लिए नियत स्थान..... में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान: .....

तारीख: .....

† अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान: .....

तारीख: .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन आफिसर के समक्ष हस्ताक्षर की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128†† द्वारा, जो मैंने पढ़ ली है/ *जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूंगा।

तारीख .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षिरत की गई

तारीख: .....

पीठासीन आफिसर

.....

*मतदान केंद्र में, या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने लिए मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

**यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1)..... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2)..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (केंद्र संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) ..... विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) ..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद।

†जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

††लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ,की धारा 128---

"128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना :- (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

परिशिष्ट 24

(अध्याय 15, पैरा 15.11.4)

प्रपत्र 11

[नियम (1)14देखें]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....* के लिए निर्वाचन

प्रेषिती--

पीठासीन अधिकारी,

मैं, ..., जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी [..... का निर्वाचन अभिकर्ता] अपने/उसके मतदान अभिकर्ता ..... की नियुक्ति एदतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूँ।

स्थान: .....

तारीख: .....

वापस लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

---

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (केंद्र संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) ..... विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद।

विशेष टिप्पण–[ ] से चिह्नित शब्द यदि उन्हें देना आवश्यक हो तो, छोड़ दीजिए।

परिशिष्ट 25

(अध्याय 15, पैरा 15.11.3)

अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षरों के लिए प्ररूप

*साधारण/द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन..... (माह/वर्ष)

*विधानसभा की संख्या एवं नाम

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र .....

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं ताकि निर्वाचन के समय निर्वाचन अभिकर्ताओं के नियुक्ति संबंधी पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षरों को सत्यापित किया जा सके:

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के नमूना हस्ताक्षर	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम	नमूना हस्ताक्षर
1.श्री/श्रीमति/सुश्री		श्री/श्रीमति/सुश्री	
1.श्री/श्रीमति/सुश्री		श्री/श्रीमति/सुश्री	
1.श्री/श्रीमति/सुश्री		श्री/श्रीमति/सुश्री	
1.श्री/श्रीमति/सुश्री		श्री/श्रीमति/सुश्री	

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर

(मोहर)

रिटर्निंग अधिकारी

परिशिष्ट 26

(अध्याय 15, पैरा 15.34.1)

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग-I

मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम.....

मतदान की तारीख.....

मै, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ :

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को -

(क) मॉक पोल आयोजित कर के यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है;

(ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;

(ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है;

(2) कि मैंने मतदान मशीन के कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिये प्रयुक्त पेपर सील(लों) पर अपने हस्ताक्षर तक दिये हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैने स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये है, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ा दी है और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:
1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 8. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार किया:
1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)4..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी
दिनांक.....

भाग II

पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती मतदान मशीन के उपयोग, यदि कोई हो, के समय घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम.....

मतदान की तारीख.....

मै, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ :

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्ति को प्रदर्शित कर दिया है कि-

(क) मॉक पोल करके दिखा दिया है कि मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है;

(ख) यह कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्रों और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाए गए चिह्नों के अलावा कोई अन्य चिह्न नहीं है;

(ग) यह कि मतदान के समय उपयोग में लाए जाने वाले मतदान रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर किसी अन्य मतदाता के संबंध में प्रविष्टि नहीं है;

(2) यह कि मैंने पेपर सील(लों) पर जो वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सुरक्षित रखती है, पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) यह कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3.....…... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

5.....…... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)6. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

7.....…..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)8. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

9.....…... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार किया:

1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2.....…..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4.....…..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....

भाग III

मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस (2) के अधीन यथा-अपेक्षित प्रारूप 17ग के भाग-I रिकार्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

तिथि.....

समय.....

रिकार्ड किये गये मतों के लेखों (प्रारूप 17ग का भाग-I) में की गयी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 8. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्रारूप 17ग के भाग-I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इंकार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गयी है।

1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 8. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....

समय.....

भाग IV

मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैंरिंग केसों पर मैंने मेरी मुहर लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुहर लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

पीठासीन अधिकारी के

हस्ताक्षर .....

दिनांक.....

समय.....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुहर लगा दी है। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. ..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुहर लगाने से इंकार कर दिया या मुहर लगानी नहीं चाही:

1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4..... (अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....

परिशिष्ट 27

(अध्याय 15, पैरा 15.44.1)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

(नियम 36 (2) (ग) को देखिए)

* ..... निर्वाचन-क्षेत्र से..... के लिए निर्वाचन 1[..... समूह निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ..... /मतदान के स्थान का नाम .....]

प्रविष्टि का क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	नामावली के भाग का क्रम संख्याक	उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.				
2.				
3.				

जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचाने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन आफिसर का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त कने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
6	**7**	**8**	**9**	**10**
1.				
2.				
3.				

तारीख: .....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए।

परिशिष्ट 28

मॉक पोल (छद्म मतदान) प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र संख्या ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर समाविष्ट छद्म मतदान आज दिनांक ..... को समय ..... बजे रखा गया जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सभी निर्देशों का पालन किया -

सी.यू. क्रम संख्या (जैसा सी.यू. के पिछले हिस्से में प्रिंटेड है) .....

बी.यू क्रम संख्या. (जैसा बी.यू. के पिछले हिस्से में प्रिंटेड है) .....

वीवीपीएटी क्रम संख्या (जैसा वीवीपीएटी के पिछले हिस्से में प्रिंटेड है) .....

1. कुल ..... मत प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा के लिए डाले गए।

2. यह जाँच कर ली गई थी कि सही अभ्यर्थी/नोटा बटन के विरूद्ध एलईडी लाइट जल रही थी, जब बटन दबाया गया तो बीप की आवाज उचित रूप से सुनाई दे रही थी।

3. छद्म मतदान के दौरान डाले गए मतों का अभ्यर्थी अनुसार विवरण परिणाम दर्शाया गया है जैसा कि नीचे दिया जा रहा है :

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	छद्म मतदान के दौरान मतों की संख्या	परिणाम जाँचने पर सी.यू. में दर्शाये गये मतों की संख्या	प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या जो छद्म मतदान गणना में परिणाम में दिए	डाले गए मत एवं दर्शित परिणाम तथा प्रिंटेड पेपर स्लिप्स (यदि वीवीपीएटी प्रयोग में लाए गए हैं) गणना करके एक दूसरे के साथ मिलान कर लिया गया है (हाँ/नहीं)
	नोटा				
	योग				

4. मैंने ईवीएम की मेमोरी को क्लीयर कर दिया है एवं छद्म मतदान के पश्चात् सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को भी दूर कर दिया है एवं सभी बटनों को दबाकर उसकी मैमोरी क्लीयर होने की जाँच कर ली है एवं सभी '0' में देख लिए हैं।

5. छद्म मतदान के समय अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखिति पोलिंग अभिकर्ता जिनका नाम उल्लेखित है, उपस्थित थे एवं मैंने उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं।

6. वास्तविक मतदान शुरू होने का दिनांक एवं समय सी.यू. के डिस्प्ले पर देख लिया .....

क्र.सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

या

छद्म मतदान की समय सारिणी में कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थिति नहीं था। चुनाव लड़ रहे केवल एक ही अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। पन्द्रह मिनट अधिक इंतजार करने के पश्चात् मैंने अन्य पौलिंग स्टाफ के साथ ..... बजे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।

माइक्रो-पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर (यदि पोलिंग स्टेशन पर तैनात है)
तारीख:

समय:

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
पोलिंग स्टेशन सं. .....
पोलिंग स्टेशन का नाम .....

परिशिष्ट 29

(अध्याय 16, पैरा 16.6.1)

अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना संबंधी तिथि, समय और स्थान के संबंध में नोटिस

..... लोकसभा का निर्वाचन

..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

(जब मतगणना एक स्थान पर संपन्न हो रही हो)

निर्वाचन नियमों के आचरण, 1961 के नियम 51 के अनुपालन में, मैं एततद्वारा सूचित करता हूँ कि मैंने उक्त नियम के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती के लिए तिथि और समय के रूप में .....(तारीख), ...(माह) 20 का.....प्रातः/अपराह्न बजे ऐसी गणना के लिए .....(स्थान) निर्धारित किया है।

स्थान .....

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

सभी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता

परिशिष्ट 30

(अध्याय 16, पैरा 16.6.1)

अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को मतगणना संबंधी तिथि, समय और स्थान के संबंध में नोटिस

..... लोकसभा ..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

(जब मतगणना एक स्थान पर संपन्न हो रही हो)

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 51 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैंने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा खंडों के लिए मतों की गणना के लिए तिथि, समय और स्थान निर्धारित किया है, जो निम्नानुसार है :

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम	तिथि और समय	मतगणना स्थान

सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी और सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान के परिणाम ..... स्थान पर ..... (तारीख) को ..... (समय) बजे समेकित किया जाएगा।

स्थान .....

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

सभी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता

परिशिष्ट 31

(अध्याय 16, पैरा 16.12.1)

प्ररूप 18

[नियम 52 (2) देखिए]

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

....निर्चाचन क्षेत्र से-..... के लिए निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं, ..., *जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/..... ..... का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ..... पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अपने गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूँ।

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता का पता

1.

2.

3.

आदि

*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1.

2.

3.

आदि

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

स्थान .....

तारीख .....

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए(

हम एततद्वारा घोषणा करते हैं कि हम ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 128 1 द्वारा जिसे* हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध हैं कोई बात न करेंगे।

1.

2.

3.

आदि

तारीख .....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी

---

*जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128:-

"128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना:- (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

परिशिष्ट 32

(पैरा 16. अध्याय 16, 14.2)

प्ररूप 19

[नियम (4)52देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....*के लिए निर्वाचन

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं ..... जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन अभ्यर्थी [..... का निर्वाचन में अभिकर्ता] हूँ अपने/उसके गणन अभिकर्ता ..... की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं।

स्थान .....

तारीख .....

प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक जो समुचित हो, लिखिए :-

(1) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) ..... (केंद्र संघ राज्य क्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) ..... विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद।

(6) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद।

ध्यान दीजिए–[ ] से चिह्नित शब्द आवश्यकतानुसार छोड़ दीजिए।

परिशिष्ट 33

(अध्याय 16, पैरा 16.32.1)

प्ररूप 20 - अंतिम परिणाम पत्रक

प्ररूप 20

अंतिम परिणामपत्र

[नियम 56ग(2)(ग) देखें]

56 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा हेतु

निर्वाचन - भाग-I

(संसदीय और विधानसभा निर्वाचन दोनों के लिए प्रयोग किया जाए)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड में निर्वाचकों की कुल संख्या ..... 87,725 विधान सभा/खंड का नाम ..... 275कख..... (संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन के मामले में)

मतदान केंद्र की क्रम सं.		निम्नलिखित के पक्ष में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या			घ	कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	नोटा	कुल	निविदत्त मतों की संख्या
		क	ख	ग						
1	1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	5	135	205	403	5	748	एन		748	1
2.	6	170	145	340	118	765	एन		765	-
3.	6क	405	70	105	230	810	एन		810	-
4.	7	240	120	215	362	937	एन		937	2
5.	8	72	269	142	319	802	एन		802	-
6.	9	72	142	347	92	653	एन		653	-
7.	10	240	267	142	115	764	एन		764	-

.....इत्यादि.....

.....

(अंतिम पृष्ठ)

मतदान केंद्र का क्रम सं	निम्नलिखित के पक्ष में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या				कुल वैध मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	नोटा	कुल	निविदत्त मतों की संख्या
	क	ख	ग	घ	मत	मत			मत
1	2	3	4	5	6	7		8	9
.....									
.....									
.....									
78	93	127	347	349	916	एन		916	-
79	368	40	197	215	820	एन		820	-
मतदान केंद्रों पर दर्ज की गई कुल मतों की संख्या	21,059	19,178	12,358	18,753	71,340	एन		71,340	3

पोस्टल बैलेट पेपर पर अभिलिखित मतों की संख्या लागू नहीं

(विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में भरा जाए)

डाले गए कुल मत 21,059 19,178 12,358 18,753 71,340 शून्य 71,340 3

स्थान: उपप्रभाग कार्यालय - एबी

दिनांक:1992 ,जुलाई 27

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

भाग II

केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपयोग)

(किए जाने के लिए

विधान सभाखंड का / नाम	निम्नलिखित के पक्ष में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या				कुल विधि-मान्य मत	प्रति-क्षेपित मतों की संख्या	नोटा	कुल	**निविदत्त मतों की संख्या**
	ए	बी	सी	डी					
1	2	3	4	5	6	7		8	9
275 AB	18,697	15,.353	10,974	8,458	53,482		शून्य	53.482	3
276CD	21,059	19,170	12,358	18,753	71,340		शून्य	71,340	9
277 EF	21,610	13,448	23,117	9,321	67,496		शून्य	67.496	
278 GH	11,822	23,731	13,728	6,540	55,821		शून्य	55,821	1
280 IJ	17,523	17,.399	16,055	18,835	69,812		शून्य	69,812	2
281 KL	21,937	16,756	17,080	11,921	67,694		शून्य	67,694	
कुल योग	112,648	105,857	93,312	73,828	385,645		8,770	385,645	15
पोस्टल बैलेट पेपर पर अभिलिखित मतों की संख्या	47	13	22	5	87	17	104	15	

स्थान: -

दिनांक: 28 -जुलाई1992 ,

क्यूआरएस (हस्ताक्षरित)

रिटर्निंग अधिकारी

परिशिष्ट 34

(अध्याय 17, पैरा 17.1.1)

भारत के संविधान से उद्धरण

संविधान के अनुच्छेद 101(1)

स्थानों का रिक्त होना-

(1) कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सिदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

संविधान का अनुच्छेद 190

स्थानों का रिक्त होना --

(1) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या दो से अधिक राज्यों विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

परिशिष्ट 35

(अध्याय 17, पैरा 17.1.4)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण

67क. अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिस तारीख को अभ्यर्थी के बारे में यह घोषणा की जाती है कि वह संसद या राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के लिए धारा 53, या धारा 66 के उपबंधों के अधीन निर्वाचित हो गया है, उस तारीख की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख है।

अध्याय VI. - बहुस्थानिक निर्वाचन

68. संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाने पर स्थानों का रिक्त हो जाना

(1) जो कोई व्यक्ति लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है और जिसने दोनों सदनों में से किसी में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित और निर्वाचन आयोग के सचिव को परिदत्त लिखित सूचना द्वारा उस तारीख के या उन तारीखों के पश्चात् वाली तारीख से दस दिन के भीतर, जिसको या जिनको वह ऐसे चुना गया है, या प्रज्ञापित कर सकेगा कि वह दोनों सदनों में से किस में सेवा करना चाहता है और ऐसा करने पर उसका उस सदन में स्थान, जिसमें वह सेवा नहीं करना चाहता, रिक्त हो जाएगा।

(2) पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना के देने में व्यतिक्रम करने पर राज्य सभा में का उसका स्थान उस कालावधि के अवसान पर रिक्त हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रज्ञापना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी।

(4) जिस तारीख को व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए चुना गया है, इस धारा और धारा 69 के प्रयोजनों के लिए वह तारीख, निर्वाचित सदस्य की दशा में, उसके निर्वाचन की तारीख होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य की दशा में, उसके नामनिर्देशन के भारत के राजपत्र में प्रथम प्रकाशन की तारीख होगी।

69. जो व्यक्ति संसद के एक सदन के सदस्य पहले से ही हैं दूसरे सदन के लिए उनके निर्वाचित हो जाने पर उनके स्थानों का रिक्त हो जाना

(1) जो व्यक्ति लोक सभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसे सदन में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह राज्य सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो लोक सभा में उसका स्थान, उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाएगा।

(2) जो व्यक्ति राज्य सभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसी सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह लोक सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो राज्य सभा में का उसका स्थान, उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाएगा।

70. संसद के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी में, के एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन

यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचित हो गया है तो जब तक कि वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी या आफिसर को, जैसा विहित किया जाए, संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उन स्थानों में से केवल एक के अतिरिक्त सब के त्यागपत्र विहित समय के अन्दर नहीं दे देता, वे सब स्थान रिक्त हो जाएंगे।

परिशिष्ट 36

(अध्याय 17, पैरा 17.4.1)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण

91. सदन में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन की दशा में स्थानों से त्यागपत्र

(1) वह समय, जिसके अन्दर व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में या राज्य के विधान-मण्डल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन में के स्थानों में से, जिनके लिए वह निर्वाचित हो गया है, एक को छोड़कर सब स्थानों से त्यागपत्र दे सकेगा -

(क) धारा 67क के अधीन उसके अपने निर्वाचन की तारीख से चौदह दिन का होगा; अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि विभिन्न स्थानों की बाबत उसके निर्वाचन की तारीखें विभिन्न हैं उन तारीखों में से अन्तिम तारीख से चौदह दिन का होगा।

(2) ऐसा त्यागपत्र -

(क) सम्पृक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को; अथवा

(ख) उस दशा में जिसमें कि अध्यक्ष या सभापति का पद तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, सम्पृक्त सदन के उपाध्यक्ष या उपसभापति को; अथवा

(ग) उस दशा में, जिसमें कि उपाध्यक्ष या उपसभापति का पद भी तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, निर्वाचन आयोग को, सम्बोधित होगा।

(3) जहां कि त्यागपत्र निर्वाचन आयोग को उपनियम (2) के अधीन सम्बोधित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग त्यागपत्र की प्राप्ति से यथाशक्यशीघ्र पश्चात् उसकी प्रति सम्पृक्त सदन के सचिव को भेजेगा।

परिशिष्ट 37

(अध्याय 17, पैरा 17.5.1)

समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 से उद्धरण

समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 के नियम 2

वह कालावधि जिसके अवसान पर उस व्यक्ति को जो संसद के और भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य विधान-मण्डल के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, संसद में स्थान उस दशा के सिवाय जिसमें उसने ऐसे राज्य के विधान-मण्डल में अपना स्थान पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में से जो भी तारीख पश्चात्वर्ती हो, उस तारीख से चौदह दिन की होगी।

परिशिष्ट 38

(अध्याय 18, पैरा 18.35.1)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण

भाग V

अध्याय VIII

निर्वाचन व्यय

76. अध्याय का लागू होना

यह अध्याय केवल लोक सभा के और राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों को लागू होना।

77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा

(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय को जो, उस तारीख के, जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, -

(क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायुयान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा में उपगत व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा;

(ख) सरकार की सेवा में और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के परन्तुक में यथावर्णित अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में या तात्पर्यित निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधाओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध में उपगत कोई व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध में, "राजनैतिक दल के नेताओं" पद से, -

(i) जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, वहां संख्या में चालीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति, और

(ii) जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए यथास्थिति, भारत के राजपत्र में उस राज्य के राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित कर दिए गए हैं:

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड (i) में या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह ऐसे राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर, नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी।

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो विहित की जाए।

78. लेखे को जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल किया जाना

(1) निर्वाचन में का हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

भाग VIII

निर्वाचन व्यय

86. निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियां

(1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो निर्वाचन व्ययों का लेखा 77 के अधीन रखा जाना है उसमें दिन प्रतिदिन के व्यय की हर एक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(क) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था;

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिए यात्रा, डाक या मुद्रण और तत्समान व्यय)

(ग) व्यय की रकम -

(i) संदत्त रकम;

(ii) परादेय रकम;

(घ) संदाय की तारीख;

(ङ) पाने वाले का नाम और पता;

(च) संदाय की गई रकम की दशा में वाउचरों का क्रम संख्यांक;

(छ) परादेय रकम की दशा में विपत्रों में का यदि कोई हो क्रम संख्यांक;

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे परादेय रकम देय है।

(2) व्यय की हर मद के लिए वाउचर तब के सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तद्रूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है।

(3) सब वाउचर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संदाय की तारीख के क्रम से रखे जाकर और क्रम संख्यांकित किए जाकर निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किए जाएंगे और ऐसे क्रम संख्यांक उपनियम (1) में के लेखे में मद (च) के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे।

(4) उपनियम (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके लिए उपनियम (2) के अधीन वाउचर अभिप्राप्त नहीं किए गए हैं।

87. लेखों के निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन आफिसर द्वारा सूचना

जिला निर्वाचन आफिसर, उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा धारा 78 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अंदर एक सूचना जिसमें -

(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; तथा

(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा,

विनिर्दिष्ट होंगी, अपने सूचनाफलक पर लगवाएगा।

88. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करना

कोई व्यक्ति एक रुपये की फीस का संदाय करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

89. निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्च्य

(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल करने के लिए धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, जिला निर्वाचन अधिकारी -

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम की;

(ख) इस बात की कि क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि किया है तो उस तारीख की, जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, तथा

(ग) इस बात की कि क्या उसकी राय में ऐसा लेखा उतने समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, दाखिल किया गया है या नहीं,

रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा।

(2) जहां जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा इस अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं और उसके साथ दाखिल वाउचरों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजी जाने के अव्यवहित पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) निर्वाचन आयोग उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो कि अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं।

(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि उसे असफलता के लिए धारा 10क के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उपनियम (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बीस दिन के भीतर उस विषय की बाबत लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को निवेदित कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले ही ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी जिला निर्वाचन आफिसर को भेजेगा।

(7) जिला निर्वाचन आफिसर उसकी प्राप्ति के पाँच दिन के अंदर अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(8) यदि अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर और जिला निर्वाचन आफिसर द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो वह उसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

परिशिष्ट 39

(अध्याय 19, पैरा 19.6.1)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 **की धारा** 34 **के अधीन**

अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई राशि लौटाने संबंधी आवेदन

(अभ्यर्थी द्वारा)

प्रेषक

नाम.....

पता.....

सेवा में,

रिटर्निंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आफिसर ---------- संसदीय/

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 के अधीन जमा राशि लौटाना

महोदय,

मैं ..... निर्वाचन क्षेत्र से ..... निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी था।

2. मैंने रसीद संख्या ..... दिनांक के अधीन ..... सरकारी खजाने में उक्त निर्वाचन के लिए ..... रुपये जमा कराए थे।

3. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मेरा नामनिर्देशन पत्र ..... स्वीकार/अस्वीकार किया गया था।

4. मैंने ..... को समय पर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली थी/ वापस नहीं ली थी।

5. मैं निर्वाचित हुआ/निर्वाचित नहीं हुआ था और मैंने निर्वाचन में डाले गए विधिमान्य मतों में से कुल संख्या के छठे भाग से अधिक *मत प्राप्त किए थे/नहीं किए थे।

6.क मैं किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा नहीं हुआ था।

6.ख (क) मैं

(i) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(ii) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(iii) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हुआ था

(ख) मैंने इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में जमा राशि लौटाने हेतु आवेदन नहीं किया है। इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जमा राशि को जब्त किया जा सकता है।

7. मैं अनुरोध करता हूँ कि पैराग्राफ में उल्लिखित जमा राशि मुझे वापस की जाए। 2

8. मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं।

भवदीय

स्थान.....

तारीख .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* अपने मामले में लागू न होने वाले शब्दों को हटा दें।

[ ] में दिए यथा आवश्यक भाग को मिटा दें।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 के अधीन जमा की
गई राशि लौटाने संबंधी आवेदन
(जमाकर्ता द्वारा जब वह अभ्यर्थी नहीं है)

प्रेषक,

नाम.....

पता.....

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर ..... निर्वाचन क्षेत्र

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 के अधीन जमा राशि लौटाना

महोदय,

मैं ..... (अभ्यर्थी का नाम) ..... निर्वाचन क्षेत्र से ..... निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी था।

2. उल्लिखित अभ्यर्थी की ओर से मैंने रसीद संख्या ..... दिनांक ..... के अधीन ..... सरकारी खजाने में उक्त निर्वाचन के लिए ..... रुपये जमा कराए थे।

3. रिटर्निंग आफिसर द्वारा उनका नामनिर्देशन पत्र ..... स्वीकार/अस्वीकार किया गया था।

4. उन्होंने ..... दिनांक को समय पर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी।

5. वह ..... के लिए निर्वाचित हुआ/निर्वाचित नहीं हुआ था और उन्हें निर्वाचन में डाले गए विधिमान्य मतों में से कुल संख्या के छठे भाग से अधिक ..... मत प्राप्त किए/प्राप्त नहीं किए थे।

6. वह किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े नहीं हुए थे।

अथवा

6. (क) वह

(i) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(ii) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(iii) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हुआ था।

(ख) इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में जमा राशि को लौटाने हेतु आवेदन नहीं किया है। इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जमा राशि को जब्त कर लिया जाए।

7. मैं अनुरोध करता हूँ कि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित जमा राशि मुझे लौटा दी जाए।

8. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरणों की मैंने जाँच कर ली है और मेरी जानकारी में ये सत्य हैं।

भवदीय,

स्थान .....

तारीख..... .....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

.....निर्वाचन क्षेत्र से ..... निर्वाचन के लिए मैं ..... ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन के पैरा 2 से 6 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

भवदीय

स्थान.....

तारीख.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* अपने मामले में लागू न होने वाले शब्दों को हटा दें।

[ ] में दिए गए यथा आवश्यक भाग को मिटा दें।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 के अधीन जमा की गई राशि लौटानी संबंधी आवेदन

(अभ्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा)

प्रेषक,

नाम.....

पता.....

सेवा में,

रिटर्निंग ऑफिसर ..... निर्वाचन क्षेत्र

विषय:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 के अधीन जमा की गई

महोदय,

स्व. श्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) ..... निर्वाचन क्षेत्र से ..... निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे। दिनांक ..... को उनकी मृत्यु हो गई और मैं उनका कानूनी प्रतिनिधि हूँ।

2. उन्होंने रसीद संख्या ..... दिनांक ..... के अधीन ..... सरकारी खजाने में उक्त निर्वाचन के लिए ..... रुपये जमा कराए थे।

3. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनका नामनिर्देश पत्र ..... *स्वीकार/अस्वीकार किया गया था।

4. उन्होंने ..... तारीख को समय पर अपनी अभ्यर्थिता *वापस ले ली थी/वापिस नहीं ली थी।

5. वह ..... के लिए निर्वाचित हुए/निर्वाचित नहीं हुए और निर्वाचन में डाले गए विधिमान्य मतों में से कुल संख्या के छठे भाग से अधिक प्राप्त किए/प्राप्त नहीं किए थे।

6. वह किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा नहीं हुए थे।

अथवा

6. (क) वे साधारण निर्वाचन में भी अभ्यर्थी के रूप में खड़े हुए थे-

(I) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(II) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(III) ..... लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(ख) इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में जमा राशि लौटाने हेतु आवेदन नहीं दिया गया है। इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जमा की गई राशि को जब्त किया जा सकता है।

7. मैं अनुरोध करता हूँ कि पैरा **2** में उल्लिखित जमा राशि मुझे लौटा दी की जाए।

8. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं।

भवदीय,

स्थान.....

दिनांक .....

.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* अपने मामले में लागू न होने वाले शब्दों को हटा दें। [ ] में दिए गए यथा आवश्यक भाग को मिटा दें।

परिशिष्ट 40

(अध्याय 11, पैरा 11.1.1)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण

डाक मतपत्र

17. परिभाषाएं। इस भाग में, -

(क) "सेवा नियोजित मतदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है किन्तु इसके अंतर्गत नियम 27ङ में परिभाषित "अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता" नहीं है;

(ख) "विशेष मतदाता" से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) "निर्वाचन-कर्तव्यारुढ़ मतदाता" से मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान आफिसर, पीठासीन आफिसर या अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है जहां कि वह मत देने का हकदार है।

18. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति

एतस्मिनपश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् :-

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में -

i) विशेष मतदाता;

ii) सेवा नियोजित मतदाता;

iii) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता; तथा

iv) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक;

(ख) परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में -

(i) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता;

(ii) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक; तथा

(iii) निर्वाचन-क्षेत्र के संपूर्ण या किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में निर्वाचक उस सूरत में जिसमें कि नियम 68 के खंड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों;

(ग) सभी सदस्यों द्वारा किसी निर्वाचन में-

(i) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक; तथा

(ii) सब निर्वाचक उस दशा में, जिसमें कि नियम 68 के खंड (क) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों,

सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे।

19. विशेष मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना -

जो विशेष मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 12 में प्रज्ञापना ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले उसके पास पहुंच जाए और प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी उसे एक डाक-मतपत्र भेज देगा।

20. निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना -

(1) जो निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे, पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।

(2) जहां कि ऐसा मतदाता, उस निर्वाचन-क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदान आफिसर, पीठासीन आफिसर या अन्य लोक सेवक होते हुए [संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में] के निर्वाचन में स्वयं, न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहां वह रिटर्निंग अधिकारी के प्ररूप 12क में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है तो वह-

(क) आवेदन को प्ररूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर देगा,

(ख) निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने 'नि.क.प्र.' यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए।

21. निवारक निरोध के अधीन निर्वाचन -

(1) समुचित सरकार निर्वाचक के समाहूत किए जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर, उन निर्वाचकों के, यदि कोई हों, नाम जो निवारक निरोध के अध्यधीन हैं, उनके पतों और निर्वाचक नामावली संख्यांकों तथा उनके निरोध के स्थानों की विशिष्टियों के सहित अभिनिश्चित करेगी और रिटर्निंग अधिकारी को प्रज्ञापित करेगी।

(2) निवारक निरोध के अध्यधीन कोई निर्वाचक के समाहूत किए जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर अपना नाम, पता, निर्वाचक नामावली संख्यांक और निरोध के स्थान पर का विनिर्देश करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को यह प्रज्ञापना भेज सकेगा कि मैं डाक मत देना चाहता हूं।

(3) निवारक निरोध के अध्यधीन हर निर्वाचक को, जिसके नाम की प्रज्ञापना रिटर्निंग अधिकारी को उपनियम (1) के अधीन या उपनियम (2) के अधीन दी गई है रिटर्निंग अधिकारी एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।

22. मतपत्र का प्ररूप -

(1) प्रत्येक डाक-मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगी और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी, जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम डाक-मतपत्र पर उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति में उसको सुभिन्न किया जाएगा।

23. मतपत्रों का जारी किया जाना -

(1) डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा डाक-मतपत्र निर्वाचक को भेजा जाएगा, जिसके साथ -

(क) प्ररूप 13क में घोषणा;

(ख) प्ररूप 13ख में लिफाफा;

(ग) प्ररूप 13ग में रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित बड़ा लिफाफा; तथा

(घ) निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए प्ररूप 13घ में अनुदेश:

परन्तु रिटर्निंग अधिकारी विशेष मतदाता या निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता की दशा में मतपत्र और प्ररूप स्वयं ऐसे मतदाता को परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा:

आगे कहा जाता है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक मतपत्रों को ऐसे विद्युतीय साधनों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है जिसे नियम 18 के अनुच्छेद (क) के उप-अनुच्छेद (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(1क) जहाँ पर कोई डाक मतपत्र विद्युतीय रूप से प्रेषित किया जाता है, इस नियम और नियम 22, 24 एवं 27 के प्रावधान *आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे*;

(2) रिटर्निंग अधिकारी उसी समय -

(क) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्या अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में, निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह निर्वाचक मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए।

(3) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में या सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी करने के पहले, मतपत्र का क्रम संख्यांक प्रभावपूर्ण रूप में ऐसी रीति में छिपाया जाएगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करें।

(4) हर आफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक-मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह मतपत्र सम्बोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए।

(5) डाक द्वारा मत देने के लिए हकदार सब निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी -

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के उस भाग को जो सेवा-नियोजित मतदाताओं से संबद्ध है नियम 27त के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक पैकेट में रखकर मुद्राबंद करेगा और उसकी अंतर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख, जिसको वह मुद्राबन्द किया गया है, पैकेट पर अभिलिखित करेगा और चिह्नित प्रति के अन्य सुसंगत भाग ऐसे निर्वाचकों के नाम, जिन्हें मतदान केन्द्रों में मतपत्र, दिए गए हैं, निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांक उनमें अभिलिखित किए बिना, चिह्नित करने के लिए विभिन्न पीठासीन आफिसरों को भेजेगा; तथा

(ख) किसी अन्य निर्वाचन में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति को एक पैकेट में रखकर मुद्राबन्द करेगा और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख जिसको वह मुद्राबंद किया गया है, पैकेट पर अभिलिखित करेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी डाक द्वारा मतदान करने के लिए हकदार निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को एक अलग पैकेट में मुद्राबंद भी करेगा और पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख अभिलिखित करेगा जिसको मुद्राबंद किया गया था।

24. मत का अभिलेखन -

(1) जिस निर्वाचक को डाक-मतपत्र प्राप्त हुआ है और जो मत देना चाहता है वह मतपत्र पर अपना मत प्ररूप 13घ के भाग 1 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार अभिलिखित करेगा और वह तब उसे प्ररूप 13ख वाले लिफाफे में बंद करेगा।

(2) जो साम्बलिक मजिस्ट्रेट या नीचे विनिर्दिष्ट अन्य आफिसरों में से जो भी समुचित आफिसर निर्वाचक को स्वयं जानता है या जिसके समक्ष निर्वाचक समाधानप्रद रूप में पहचाना गया है उस मजिस्ट्रेट की या उस अन्य समुचित आफिसर की, अर्थात् -

(क) सेवा नियोजित मतदाता की दशा में, उस आफिसर की, जो उस यूनिट, पोत या स्थापन के कमान आफिसर द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, जिसमें यथास्थिति, मतदाता या उसका पति नियोजित है या उस आफिसर को, उस देश में, जिसमें ऐसा मतदाता निवासी है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतनिधि द्वारा प्रदत्त इस निमित्त नियुक्त किया जाए;

(ख) विशेष मतदाता की दशा में, उस आफिसर की जो सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है;

(ग) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता की दशा में किसी राजपत्रित आफिसर की या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर की जिस पर वह निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ है;

(घ) निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक की दशा में उस जेल के अधीक्षक या उस निरोध शिविर के समादेशक की, जिसमें वह निर्वाचक निरोधाधीन है; तथा

(ङ) किसी अन्य दशा में, उस आफिसर की जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

25. निरक्षर या शिथिलांग मतदताओं की सहायता -

(1) यदि निर्वाचक निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक अंग-शैथिल्य के कारण अपना मत डाक-मतपत्र पर अभिलिखित करने में और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है तो वह अपने द्वारा प्राप्त घोषणा और लिफाफों के सहित मतपत्र, नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन अपने

हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करने के लिए, सक्षम आफिसर के पास ले जाएगा और उस आफिसर से प्रार्थना करेगा कि वह उसकी ओर से उसका मत अभिलिखित करे और उसकी घोषणा हस्ताक्षरित करे।

(2) ऐसा आफिसर तदुपरि मतपत्र को निर्वाचक की इच्छा के अनुसार उसकी उपस्थिति में चिह्नित करेगा, उसकी ओर से घोषणा हस्ताक्षरित करेगा और प्ररूप 13क में अंतर्विष्ट समुचित प्रमाणपत्र भर कर पूरा करेगा।

26. मतपत्र का पुनः जारी किया जाना -

(1) जबकि नियम 23 के अधीन भेजे गए डाक-मतपत्र और अन्य कागजपत्र किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तब रिटर्निंग अधिकारी अपने से प्रार्थना किए जाने पर उन्हें डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा या स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने अनवधानता से मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी से, जो उसे नियम 23 के अधीन भेजे गए हैं, ऐसी रीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाए जा सकते तो कागजपत्रों का एक दूसरी संवर्ग खराब हुए कागजपत्रों को निर्वाचक द्वारा लौटाए जाने और रिटर्निंग अधिकारी का समाधान अनवधानता के बारे में किए जाने पर उसे जारी कर दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक पैकेट में रखेगा।

27. मतपत्र लौटाना -

(1) निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने और नियम 24 या नियम 25 के अधीन अपनी घोषणा करने के पश्चात् वह मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग अधिकारी को उन अनुदेशों के अनुसार जो उसे प्ररूप 13घ के भाग II में संसूचित किए गए हैं, ऐसे लौटा देगा कि वे रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय से पहले पहुंच जाएं।

(2) यदि डाक-मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाला कोई लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी को उस समय के अवसान के पश्चात् जो उपनियम (1) के अधीन नियत है, प्राप्त होता है, तो वह उसकी प्राप्ति की तारीख और समय पर उस पर टीप लेगा और सब ऐसे लिफाफों को एक साथ पृथक् पैकेट में रखेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी डाक-मतपत्र को अन्तर्विष्ट रखने वाले सब लिफाफों को जो उसे प्राप्त हुए हैं, मतों की गणना के प्रारंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

परिशिष्ट 41

(अध्याय 18, पैरा 18.1.4)

(भाग क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखों के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम:

राजनैतिक दल, यदि कोई हो, का नाम:

वह निर्वाचन क्षेत्र जिससे निर्वाचन लडा गया:

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख:

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता:

किया गया/ प्राधिकृत कुल व्यय:

(नाम निर्देशन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तक, दोनों तारीखों सहित)

व्यय/कार्यक्रम की तारीख	व्यय की प्रकृति			कुल राशि रूपयों में (भुगतान की गई राशि + बकाया राशि)	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	बिल नं./ वाउचर नं. एवं तारीख	अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत प्राधिकृत राशि	राजनैतिक दलों द्वारा किया गया प्राधिकृत व्यय तथा दल का नाम	अन्य व्यक्तियों/ संस्थानों/ निकायों/ अन्य किन्हीं द्वारा व्यय की गई/ प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता दें)	टिप्पणियां, यदि कोई हो
1	2			3	4	5	6	7	8	9
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया यह सच्चा लेखा है (निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के उपरांत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नोटः

1. इस रजिस्टर में दैनिक आधार पर लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए तथा इसकी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी समय जांच की जा सकती है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में यह रजिस्टर मूल रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर के साथ निर्वाचन व्ययों का संक्षिप्त विवरण (खंड 1 से 4 तथा अनुसूची 1 से 9) एवं शपथ-पत्र निर्धारित प्ररूप में भरकर भेजे जाने चाहिए। किसी भी व्यय संबंधी विवरणी को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके साथ निर्वाचन व्ययों का संक्षिप्त विवरण तथा शपथपत्र नहीं भेजे जाएंगे।

3. केवल डाक खर्च, हवाई यात्रा जैसी उन मदों के संबंध में वाउचर संलग्न नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1961 के नियम 86(2) के अधीन सूचीबद्ध किया गया है। इन नियम के अधीन संलग्न न किए गए किसी भी वाउचर के लिए निर्धारित रजिस्टर में यह स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए कि अपेक्षित वाउचरों को प्राप्त कर पाना क्यों व्यावहारिक नहीं था।

4. लेखा तथा संक्षिप्त विवरण, यदि निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये अभ्यर्थी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए जो कि लेखों की वास्तविक प्रति होनी चाहिए। शपथपत्र पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं शपथ ली जानी चाहिए।

5. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से /प्राधिकृत किए गए व्ययों के अलावा, अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए उसकी सहमति से राजनैतिक दल, अन्य संगठनों, व्यक्तियों के निकायों, व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी व्ययों/प्राधिकृत किए गए सभी प्रकार के व्ययों को लेखों में शामिल किया जाना चाहिए। एकमात्र अपवाद केवल राजनैतिक दलों के विशिष्ट नेताओं द्वारा दल के कार्यक्रम के प्रचार हेतु की गई मात्रा के लिए किए गए व्यय के मामले में हैं। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) का स्पष्टीकरण 1 एवं 2 देखें)।

6. यदि ऊपर कॉलम 2 एवं 3 में दर्शाई गई किसी भी मद पर किसी राजनैतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के निकायों/ किसी व्यक्ति (अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को छोड़कर) द्वारा व्यय किया जाता है तो उसका/उनका नाम एवं पूरा पता कॉलम 7 एवं 8 में दर्शाया जाना चाहिए।

7. उपर्युक्त तालिका के कॉलम 2 एवं 3 में दिए गए कुल व्यय में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के दौरान नकद रूप में किया गया सभी प्रकार का व्यय तथा अभ्यर्थी को वस्तुओं के रूप में प्राप्त सेवाओं की कीमत शामिल होनी चाहिए।

8. निर्धारित प्ररूपों के अनुसार इस रजिस्टर में सफेद पृष्ठों में दैनिक लेखा रजिस्टर जैसा कि भाग क हैं, भाग ख में यथा उल्लिखित गुलाबी पृष्ठों में नकद रजिस्टर तथा भाग-ग में किए गए उल्लेख के अनुसार पीले पृष्ठों में बैंक रजिस्टर शामिल होना चाहिए।

(भाग ख)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दैनिक लेखा-जोखा रखने के लिए नकदी रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम:

राजनैतिक दल, यदि कोई हो, का नाम:

वह निर्वाचन क्षेत्र जिससे निर्वाचन लडा गया:

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख:

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता:

(निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखों सहित)

प्राप्ति				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणियां, यदि कोई हो
दिनांक	उस व्यक्ति/ दल/ संगठन/ निकाय/ अन्य जिससे राशि प्राप्त की गई का नाम एवं पता	रसीद संख्या	राशि	बिल संख्या/ वाउचर संख्या एवं दिनांक	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	व्यय की प्रकृति	राशि	वह स्थान जहां पर अथवा व्यक्ति जिसे पास बकाया राशि रखी गई है (यदि नकद राशि एक से अधिक स्थानों/ व्यक्तियों के पास रखी गई है तो स्थान तथा व्यक्ति का नाम एवं शेष राशि)	इस तालिका व कॉलम 7 में उल्लिखित किसी प्रकार के व्यय तथा जिसका तालिका के भाग क के स्तंभ 2 में उल्लेख नहीं किया गया है, को यहां स्पष्ट किया जाना चाहिए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अधीन मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया यह सच्चा लेखा है (निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए है)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(भाग ग)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दैनिक लेखा-जोखा रखने के लिए बैंक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम:

राजनैतिक दल, यदि कोई हो, का नाम:

वह निर्वाचन क्षेत्र जिससे निर्वाचन लडा गया:

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख:

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता: बैंक का नाम:

शाखा का पता:

खाता संख्या:

(निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखों सहित)

प्राप्ति				भुगतान				बकाया	टिप्पणियां, यदि कोई हो
दिनांक	उस व्यक्ति/ दल/संगठन/ निकाय/ अन्य कोई स्रोत जिससे राशि प्राप्त की गई अथवा/जिसके बैंक खाते में राशि जमा कराई गई है का नाम एवं पता	नकद/ चैक संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम	राशि	चैक संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि		इस तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित किसी प्रकार के व्यय तथा जिसका तालिका के भाग क के स्तंभ 2 में उल्लेख नहीं किया गया है, को यहां स्पष्ट किया जाना चाहिए।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया यह सच्चा लेखा है (निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा-जोखा रखने संबंधी दिशा निर्देश:

किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी स्वयं की निधि अथवा राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय, संस्थान अथवा कंपनी से प्राप्त नकद राशि, चैक, अथवा ड्राफ्ट या पे ऑर्डर को निर्वाचन व्यय के लिए अभ्यर्थी द्वारा खोले गए एक पृथक बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

1. <u>नकद रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए</u>

1.1 निर्वाचन व्यय के लिए प्रयोग की जाने वाली अभ्यर्थी की अपनी नकद राशि हेतु: - यदि अभ्यर्थी अपनी नकद राशि लाता है तो उसे यह राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् बैंक रजिस्टर (दैनिक लेखा रजिस्टर का भाग-ग) के कॉलम 2 में "अभ्यर्थी की अपनी निधि", कॉलम 3 में 'नकद' तथा कॉलम 4 में राशि लिखकर प्रविष्टि की जानी होती है।

1.2 अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति/दल/संगठन/निकाय से प्राप्त नकद राशि :- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के लिए किसी अन्य व्यक्ति/दल से नकद राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी राशि की प्रविष्टि नकदी रजिस्टर (भाग-ख) में प्राप्ति वाले भाग के कॉलम 1 में तथा कॉलम 2 में व्यक्ति/दल का नाम एवं पता, जिससे नकद राशि प्राप्त हुई है, कॉलम 3 में रसीद संख्या (यदि कोई हो) तथा कॉलम 4 में नकद राशि लिखकर की जाती है। नकदी रजिस्टर में प्रविष्टि करने के उपरांत वह राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए। बैंक खाते में राशि जमा होने के पश्चात् नकद रजिस्टर में (कैश रजिस्टर) में भुगतान वाले भाग की ओर कॉलम 5 में तारीख, कॉलम 6 में बैंक खाता संख्या जहां नकद जमा कराया गया है तथा कॉलम 7 में "जमा" और कॉलम 8 में राशि लिखकर इससे संबंधित प्रविष्टि की जाती है।

1.3 बैंक में नकद जमा करवाने के उपरांत बैंक रजिस्टर (भाग ग) को कॉलम 1 में तारीख, कॉलम 2 में "अभ्यर्थी" की अपनी नकदी कॉलम 3 में नकद तथा कॉलम 4 में राशि लिखकर अद्यतन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैंक की पासबुक से मिलान करने के लिए बैंक बकाया का आहरण किया जा सके।

2. प्राप्त हुए चैकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों के लिए

2.1 किसी व्यक्ति/दल /संगठन इत्यादि अथवा अभ्यर्थी के अपने बैंक खाते से प्राप्त चैक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश: यदि किसी अभ्यर्थी को उसके निर्वाचन व्यय के लिए किसी व्यक्ति/दल इत्यादि के चैक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश प्राप्त होते हैं अथवा वह अपने बैंक खाते से चैक/बैंक ड्राफ्ट जारी करता है तो उसे इन्हें निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त खातों में जमा करवाना चाहिए। उसे बैंक रजिस्टर के जमा भाग में इसकी प्रविष्टि करनी चाहिए। जिसमें कॉलम 1 में तारीख कॉलम 2 में उस व्यक्ति/दल का नाम एवं पता, जिससे चैक प्राप्त हुआ है, कॉलम 3 में चैक/ड्राफ्ट भुगतान आदेश संख्या तथा बैंक/शाखा का नाम और कॉलम 4 में चैक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश की राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि चैक उसके अपने बैंक खाते का है तो बैंक रजिस्टर के कॉलम 2 में अभ्यर्थी की अपनी निधि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. वस्तु रूप में प्राप्त सामग्री एवं सेवाएं

3.1 किसी दल या अन्य व्यक्ति/निकाय/संगठन से यदि वाहनों, पोस्टरों, इश्तहारों, मीडिया विज्ञापनों, हैलिकॉप्टरों, वायुयानों इत्यादि जैसी सामग्री अथवा सेवाएं प्राप्त होती हैं: यदि कोई व्यक्ति/दल/निकाय/संगठन अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार हेतु कोई सामग्री या सेवाएं वस्तु रूप में प्रदान करता है तो दैनिक लेखा रजिस्टर के भाग क के कॉलम 1 में दिनांक कॉलम 2 में सामग्री का विवरण, मात्रा, प्रति यूनिट दर, कॉलम 3 में व्यय की प्रकृति एवं कुल लागत (मदों की अनुमानित कीमत) का उल्लेख करते हुए आवश्यक प्रविष्टि की जानी चाहिए। यदि वस्तु रूप में प्रदान की गई मदें किसी राजनैतिक दल द्वारा दी गई है तो इन मदों की कुल कीमत तथा

राजनैतिक दल के नाम की प्रविष्टि कॉलम 7 में की जानी चाहिए और यदि ऐसी मदें किसी अन्य व्यक्ति/संगठन द्वारा दी गई है तो इनकी प्रविष्टि इस रजिस्टर के कॉलम 8 में की जानी चाहिए।

4. <u>निर्वाचन व्ययों के लिए</u>

4.1 निर्वाचन संबंधी सभी व्ययों की प्रविष्टि लेखा रजिस्टर (भाग-क) में की जानी चाहिए। मान लीजिए यदि एक टैक्सी की आवश्यकता है और इसके लिए जब कभी ऐसा व्यय किया जाता है तो दैनिक लेखा रजिस्टर में नियमानुसार प्रविष्टि की जाएगी: कॉलम 1 में तारीख, कॉलम 2 में व्यय की प्रकृति जैसे कि टैक्सी संख्या ..... तथा कुल घंटे/दिन जिनके लिए इसकी जरूरत थी तथा प्रति घंटा/प्रतिदिन के हिसाब से दर के विवरण सहित कॉलम 3 में कुल राशि, कॉलम 4 में टैक्सी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता, तथा कॉलम 5 में बिल/वाउचर का उल्लेख किया जाएगा। यदि राशि का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा किया जाता है तो उसका उल्लेख कॉलम 6 में किया जाएगा। यदि राशि का भुगतान राजनैतिक दल द्वारा सीधे टैक्सी प्रदाता को किया जाता है तो दल का नाम तथा भुगतान की गई राशि का उल्लेख कॉलम 7 में किया जाएगा। यदि राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई राशि, उसका नाम एवं पता कॉलम 8 में लिखा जाएगा।

4.2 चैकों के माध्यम से किए गए व्यय हेतु भुगतान: सभी प्रकार के व्ययों (सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकल दल के लिए किए गए 10,000/- रुपये तक के छोटे व्यय को छोड़कर) का भुगतान अदाता (केवल खाता धारक के खाते में भुगतान किया जाने वाला) चैकों के माध्यम से किया जाएगा। चैक के माध्यम से भुगतान करने के लिए बैंक रजिस्टर (भाग-ग) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जानी होती है, कॉलम 5 में चैक संख्या कॉलम 6 में उस व्यक्ति का नाम जिसे चैक जारी किया गया है, कॉलम 7 में व्यय की प्रकृति तथा कॉलम 8 में राशि लिखी जाएगी।

4.3 <u>नकद रूप में किए गए फुटकर व्ययों के भुगतान हेतु:</u> यदि फुटकर व्ययों के लिए कोई भी भुगतान नकद रूप में किया जाना हो तो (वह भी तब जब निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को दी जाने वाली राशि 10,000/- रुपये से अधिक न हो) तब वह राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त बैंक खाते से आहरित की जाएगी। इसके लिए बैंक रजिस्टर (भाग-ग) में इस प्रकार प्रविष्टि की जाएगी: कॉलम 5 में आहरित किए जाने वाले चैक की संख्या, कॉलम 6 में "स्वयं (सेल्फ)", कॉलम 7 में व्यय की प्रकृति "फुटकर व्ययों के लिए आहरण" तथा कॉलम 8 में राशि का उल्लेख किया जाएगा। आहरण के उपरांत इस राशि को प्राप्ति भाग में नकद रजिस्टर (भाग-2) में प्रविष्टि करके दर्शाया जाएगा। इसके लिए कॉलम 1 में तारीख कॉलम 2 में "सैल्फ", कॉलम 3 में बैंक से आहरण तथा कॉलम 4 में राशि का उल्लेख किया जाएगा यदि वह अल्प धन विभिन्न शाखा कार्यालयों तथा अभिकर्ताओं को छोटे-मोटे खर्चे के लिए दिया जाता है तो राशि तथा व्यक्तियों/स्थानों के नाम की प्रविष्टि कॉलम 9 में की जाएगी। छोटे-मोटे व्ययों के लिए भुगतान किए जाने के पश्चात् ऐसे व्ययों की दैनिक लेखों (भाग क) में निम्नानुसार प्रविष्टि की जाएगी: कॉलम 1 में तारीख, कॉलम 2 में भुगतान की प्रकृति, कॉलम 3 में कुल राशि, कॉलम 4 में भुगतानकर्ता का नाम एवं पता, कॉलम 5 में बिल/वाउचर तथा कॉलम 6 में "सैल्फ" लिखा जाएगा। (ईसीआई सं. 76/ निर्देश /2014/ईईपीएस/ संस्करण. I दिनांक 23.01.2014)

निर्वाचन व्ययों का संक्षिप्त विवरण		
भाग - I		
I	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमति/कुमारी
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
IV	निर्वाचन की प्रकृति (कृपया यह बताएं कि क्या साधारण निर्वाचन, राज्य विधानसभा, लोकसभा का है/उप निर्वाचन है)	
V	निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख	
VI	निर्वाचन अभिकर्ता का नाम व पता	
VII	यदि अभ्यर्थी को किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें	
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है	हाँ/नहीं

दिनांक:

स्थान:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

भाग II: अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का संक्षिप्त विवरण					
क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया गया/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	राजनैतिक दल द्वारा किया गया/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	अन्यों द्वारा किया गया/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (3)+(4)+(5)
1	2	3	4	5	6
I	सार्वजनिक सभाओं, रैलियाँ, जलूसों इत्यादि में किया गया व्यय: I. क. सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों इत्यादि में किया गया व्यय (अर्थात् उन सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों को छोड़कर जिनमें स्टार प्रचारक शामिल होते हैं) (अनुसूची 1 के अनुसार संलग्न करें)				
	I ख. ऐसी सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों इत्यादि में किया गया व्यय जिनमें स्टार प्रचारक शामिल हैं (अर्थात् साधारण दल प्रचार के लिए की गई सभाओं, रैलियों, जुलूसों को छोड़कर) (अनुसूची 2 के अनुसार संलग्न करें)				
II	ऊपर क्रम संख्या 1 में उल्लिखित सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर (अनुसूची 3 के अनुसार संलग्न करें)				
III	केबल नेटवर्क, बड़ी संख्या में एसएमएस अथवा इंटरनेट				

	एवं सोशल मीडिया सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के रूप में संलग्न।)				
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के लिए प्रयुक्त वाहन/वाहनों पर किया गया व्यय (अनुसूची 5 के रूप में संलग्न)				
V	अभियान कार्यकर्ताओं/ अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के रूप में संलग्न)				
VI	प्रचार संबंधी अन्य कोई व्यय				
	सकल योग				

भाग III: अभ्यर्थी द्वारा जुटाई गई निधियों के स्रोत का सार		
क्रमांक	विवरण	राशि (रु. में)
1	2	3
I	निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग की गई अपनी निधि राशि (अनुसूची 7 के रूप में संलग्न)	
II	दल (दलों) से नकद अथवा चैक आदि के माध्यम से प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के रूप में संलग्न)	
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघ निकाय से प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के रूप में संलग्न)	
	कुल	

भाग - IV

शपथ पत्र का फार्म

जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ..... (जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

श्री/श्रीमति/सुश्री ..... (पुत्र, पत्नी, पुत्री) ..... का शपथ पत्र। मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... आयु ..... वर्ष, निवासी ..... एतद द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार घोषणा करता हूँ:-

(1) कि मैं ..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा/विधानसभा के साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन के लिए लड़ने वाला एक अभ्यर्थी था जिसके परिणाम की घोषणा ..... को की गई।

(2) कि मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ..... के दौरान संचालित उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में (वह तारीख जिस दिन मेरा नामनिर्देशन हुआ था) तथा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा किए जाने की तारीख, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, में किए गए व्यय/प्राधिकृत व्यय से संबंधित एक पृथक एवं सही लेखा-जोखा रखा गया था।

(3) यह कि उक्त खाते का लेखा-जोखा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए रजिस्टर में रखा गया था तथा उक्त लेखे में उल्लिखित सहायक वाउचरों/बिलों के साथ उक्त रजिस्टर को संलग्न किया गया है।

(4) यह कि इसके साथ संलग्न निर्वाचन व्यय संबंधी मेरे खाते में मेरे द्वारा प्राधिकृत अथवा मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय वह राजनीतिक दल जिसके द्वारा मुझे प्रायोजित किया गया था, निर्वाचन के दौरान मेरी सहायता करने वाले अन्य संगठनों/निकायों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए निर्वाचन संबंधी व्यय की सभी मदें शामिल हैं तथा इस संबंध में (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन किए गए स्पष्टीकरण 1 एवं 2 के तहत शामिल नेताओं के यात्रा व्यय को छोड़कर) किसी भी मद अथवा व्यय को छुपाया नहीं गया है।

(5) यह कि उक्त खाते के साथ अनुबंध II के रूप में संलग्न निर्वाचन व्यय संबंधी संक्षिप्त विवरण में मेरे अथवा मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया गया/प्राधिकृत व्यय तथा मुझे प्रायोजित करने वाले दल, निर्वाचन के संबंध में मेरी सहायता करने वाले अन्य संगठनों/निकायों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय शामिल है।

(6) यह कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा इसमें दिया गया विवरण असत्य नहीं है और न ही इसमें किसी बात को छुपाया गया है।

अभिसाक्षी

वर्ष 201..... दिनांक ..... को मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से निश्चयपूर्वक कहा गया/शपथ ली गई।

(तसदीक करने वाले प्राधिकारी अर्थात् प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयोग अथवा नोटरी पब्लिक)

पावती फॉर्म

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

_____

_____

_____

महोदय,

मैं आपके दिनांक ..... के पत्र संख्या ..... की इसके अनुलग्नकों सहित पावती भेज रहा हूँ जिसमें अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ निर्वाचन व्ययों संबंधी मेरे लेखों के रखरखाव हेतु क्रम संख्या ..... वाला एक रजिस्टर भी शामिल है।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों संबंधी लेखा-जोखा तथा उस लेखे की एक अनुप्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करवाने संबंधी अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

भवदीय,

(दिनांक सहित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जो लागू न हों उसे काट दें ।

पावती (कार्यालय द्वारा भरी जाए)

..... (निर्वाचन क्षेत्र), जिसका परिणाम ..... (तारीख) को घोषित किया गया था, के संबंध में किए गए निर्वाचन व्यय के लेखा-जोखा को उस अभ्यर्थी अथवा उसकी ओर से दिनांक ..... को फाइल किया गया है तथा यह मुझे आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को प्राप्त हो गया है।

जिला_____

जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय मोहर

अनुसूची 1 से 9: अभ्यर्थी की निर्वाचन निधियों एवं व्यय का ब्यौरा

अनुसूची- 1					
जनसभा, रैली, जुलूस आदि में व्यय (अर्थात् राजनैतिक दल के स्टार प्रचारकों के लिए हुए व्यय से भिन्न)					
क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	रु. में कुल राशि	व्यय का स्रोत		
			अभ्यर्थी/ अभिकर्ता द्वारा उपगत प्राधिकृत व्यय	नाम सहित राजनैतिक दलों द्वारा उपगत व्यय	अन्यों द्वारा उपगत राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंगतुकों (विजिटर्स) को लाने ले जाने के लिए वाहन				
2	मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर, पोल आदि लगाना				
3	मेहराब एवं बेरिकेड आदि				
4	फूल/मालाएं				
5	लाउडस्पीकर्स, माइक्रोफोन, एम्प्लीफायर्स, कम्पेरर्स आदि को किराये पर लेना				
6	पोस्टर, हैंडबिल, पम्फलेट, बैनर, कटआउट होर्डिंग				
7	पेय पदार्थ अर्थात् चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस आदि				
8	डिजिटल टी.वी. -बोर्ड डिस्प्ले, प्रोजेक्टर डिस्प्ले, टिकर्स बोर्ड 3डी डिस्प्ले।				
9	जानी-मानी हस्तियों पर व्यय, संगीतकारों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि।				
10	रोशनी की व्यवस्था संबंधी मदें अर्थात् सीरियल लाइट्स बोर्ड आदि				
11	परिवहन, हेलिकॉप्टर/एयरक्राफ्ट/वाहनों आदि				

	के प्रभारों पर व्यय (स्टार प्रचारक से भिन्न स्वयं, जानी-मानी हस्तियों या अन्य प्रचारक)				
12	**बिजली की खपत/जनरेटर का प्रभार**				
13	**आयोजन स्थल का किराया**				
14	**गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार**				
15	**स्वयं, जानी मानी हस्ती, दल के कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित किसी अन्य प्रचारक के रहने एवं खाने पीने पर व्यय**				
16	**अन्य व्यय**				
	कुल				

अनुसूची - 2

अभ्यर्थी के लिए निर्धारित स्टार प्रचारक(कों) के साथ जन सभा, रैली, जुलूस आदि पर व्यय (अर्थात् सामान्य दल प्रचार पर हुए व्यय से भिन्न)

क्र.सं.	तारीख एवं स्थान	स्टार प्रचारक(कों) का नाम एवं दल का नाम	अभ्यर्थी के लिए निर्धारित स्टार प्रचारक (कों) के साथ जनसभा, रैली, जुलूस आदि पर व्यय की रकम रुपये में (सामान्य दल प्रचार के लिए व्यय की रकम से भिन्न)			अभियुक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4			5
			आय स्रोत			
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि	
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची-3

अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए प्रचार सामग्री अर्थात् हैंडबिल, पम्फलैट, पोस्टरों, होर्डिंगों, बैनरों, कटआउट्स, प्रवेश द्वार एवं मेहराबों (आर्चिज), वीडियो और ऑडियो कैसेट, सीडी/डीवीडी, लाउड

स्पीकर, एम्पलीफायरों, डिजिटल टीवी/बोर्ड डिस्प्ले, 3डी डिस्प्ले आदि पर व्यय का विवरण (अर्थात् अनुसूची-1 और 2 में शामिल लोगों के अलावा)

क्र.सं.	व्यय का विवरण	कुल राशि रू. में	व्यय का स्रोत			अभियुक्ति, यदि कोई हो
			अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची - 4

अभ्यर्थी के लिए केबल नेटवर्क, थोक (बल्क) एसएमएस या इंटरनेट या सोशल मीडिया, न्यूज/टीवी/रेडियो चैनल आदि पेड न्यूज सहित एमसीएमसी द्वारा निर्धारित या अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत किया गया। इस विवरण में ऐसे सभी समाचार जो निजी समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो चैनलों आदि में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, का समावेश होना चाहिए।

क्र. सं.	प्रचार माध्यम की प्रकृति (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट तथा अवधि)	मीडिया प्रदाता (प्रिंट/इले./ एसएमएस/वॉयस/ केबल, टी.वी. सोशल मीडिया इत्यादि का नाम एवं पता)	एजेन्सी, रिपोर्टर, स्ट्रिंजर, कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति का नाम एवं पता जिसको प्रभार/कमीशन आदि का भुगतान किया गया है/ देय है/ यदि कोई हो	कुल रकम रु. में कॉलम (3) + (4)	व्यय का स्रोत		
					अभ्यर्थी/ अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
कुल							

अनुसूची -4क

अभ्यर्थी के लिए केबल नेटवर्क, थोक (बल्क) एसएमएस या इंटरनेट या सोशल मीडिया, न्यूज/टीवी/रेडियो

चैनल आदि पेड न्यूज सहित एमसीएमसी द्वारा निर्धारित या अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छ से स्वीकृत किया गया। इस विवरण में ऐसे सभी समाचार जो निजी समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो चैनलों आदि अभ्यर्थी के स्वामित्व या राजनीतिक पार्टी जो अभ्यर्थी को प्रायोजित कर रही है, का समावेश होना चाहिए।							
क्र.सं.	प्रचार माध्यम की प्रकृति (इलेक्ट्रॉनिक /प्रिंट) तथा अवधि	मीडिया प्रदाता (प्रिंट/इले.) एमएमएस/ वॉयस/केवल, टी.वी. सोशल मीडिया इत्यादि का नाम एवं पता	एजेंसी, रिपोर्टर, स्ट्रिंजर, कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति का नाम एवं पता जिसको प्रभार/ कमीशन आदि का भुगतान किया गया है/ यदि कोई हो	रु. में कुल राशि कॉलम (3) + (4)	व्यय का स्रोत		
					अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
कुल							

अनुसूची - 5

अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए प्रचार वाहन(नों) पर मतदान व्यय और अभियान वाहन(नों) पर व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	वाहन की रजिस्ट्रीकरण	वाहनों का किराया प्रभार	दिनों की संख्या	कुल उपगत/	व्यय का स्रोत

	संख्या और वाहन	वाहन किराए पर लेना/ अनुरक्षण की दर	ईंधन प्रभार (यदि किराये में शामिल न हो)	ड्राइवर का प्रभार (यदि किराए में शामिल न हो)	जिनके लिए प्रयोग किया गया	प्राधिकृत राशि (रु. में)	अभ्यर्थी/ अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि
1	2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
कुल									

अनुसूची - 6

मतदाताओं की पर्चियों के वितरण के लिए प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं, और मतदान केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों के बूथ (कियोस्क) पर खर्च का विवरण

क्र. सं.	तिथि एवं स्थान	प्रचार अभियान कार्यकर्ताओं पर व्यय			रु. में कुल उपगत/ प्राधिकृत व्यय	व्यय का स्रोत		
		व्यय की प्रकृति	मात्रा	कार्यकर्ताओं/ अभिकर्ताओं की संख्या/कियोस्क की संख्या		अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य द्वारा राशि
1	2	3क	3ख	3ग	6	7	8	9
1		मतदाता पर्चियों के वितरण के लिए स्थापित किए गए अभ्यर्थियों के बूथ (कियोस्क)						
2		प्रचार कार्यकर्ताओं को मानदेय/वेतन आदि						
3		बोर्डिंग						

4		लॉजिंग						
5		अन्य						
	कुल							

अनुसूची - 7

निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग की गई स्वयं की निधि रकम का ब्यौरा

क्र.सं.	तारीख	नकद	आहरिती बैंक का ब्यौरा सहित डीडी/चैक संख्या आदि	कुल राशि रु. में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
कुल					

अनुसूची - 8

दल (दलों) को नकद या चैक या डीडी में या लेखा अंतरण द्वारा प्राप्त एक मुश्त रकम का ब्यौरा

क्र.सं.	राजनैतिक दल का नाम	तिथि	नकद	आहरिती बैंक का ब्यौरा सहित डीडी/चैक सं.	कुल रकम रू. में	अभियुक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
	कुल					

अनुसूची - 9

किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों (एसोसिएशन)/व्यक्तियों के निकाय आदि से ऋण, उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त एकमुश्त रकम का ब्यौरा

क्र.	नाम एवं पता	तारीख	नकद	आहरिती बैंक	उल्लेख करें,	कुल रकम	अभ्युक्ति

सं.				का ब्यौरा सहित डीडी/चैक सं.	क्या ऋण, उपहार या दान आदि है	रुपये. में	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
	कुल						

नोटः

1. अनुसूची 5 में: -

(क) सभी वाहनों, जिनके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति (परमिट) जारी किया गया है, से संबंधित आदेश की प्रति संलग्न की जाए।

(ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/अभिकर्ता के स्वामित्व वाले वाहन का उपयोग निर्वाचन प्रयोजन के लिए किया जाता है तो एक ऐसे वाहन, जो अभ्यर्थी के स्वामित्व में है और उसके द्वारा उपयोग किया जाता है, को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों के किराये की सांकेतिक लागत, ऐसे वाहन के लिए ईंधन एवं ड्राइवरों के वेतन की सांकेतिक लागत को उपर्युक्त सारणी में व्यय की कुल रकम में सम्मिलित किया जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में, यदि वस्तुओं एवं सेवाओं पर कोई व्यय अभ्यर्थी की ओर से राजनैतिक दल, या किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/व्यक्तियों के निकाय द्वारा प्रदान किया जाता है तो ऐसी सभी वस्तुओं या सेवाओं का सांकेतिक बाजार मूल्य संबंधित स्तंभों में दर्शाया जाए।

3. भाग-III में राजनैतिक दल या अन्य या अभ्यर्थी की स्वयं की निधि से प्राप्त एकमुश्त रकम का उल्लेख तारीखवार किया जाना चाहिए। ऐसी सभी दशाओं में ऐसी रकमों को पहले निर्वाचन व्ययों के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

4. संक्षिप्त विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

परिशिष्ट 42

(अध्याय 18, पैरा 18.1.3)

सं. ..... दिनांक: .....

सेवा में .....

(नाम)

और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

विषय: निर्वाचन खर्चों का लेखा-जोखा रखना और उसकी वास्तविक प्रति प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो इस बात को निर्दिष्ट करती है कि चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी या तो खुद या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से, चुनाव के संबंध में सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखेगा, उस तिथि के बीच जिस पर उसे नामांकित किया गया है, और परिणाम की घोषणा की तिथि, जिसमें दोनों तिथियां सम्मिलित हैं।

2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 78 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जो आगे उल्लेख करता है कि चुनाव में हर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को चुनाव समाप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अनुरक्षित खाते की एक सच्ची प्रति होगी।

3. यहां तक कि अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से चुनाव नहीं लड़ता है, और अपनी सुरक्षा राशि आदि पर केवल मामूली खर्च करता है, तो भी उसे कानून के अनुसार चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

4. चुनाव लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी, जो चुनाव खर्चों के लेखा-जोखा के संबंध में कानून की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तीन साल की अवधि के लिए, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 10क के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत एक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे जाने वाले चुनाव खर्च की राशि, चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 86 के तहत दैनिक निर्धारित व्यय के विवरण, जिसे दैनिक आधार पर खर्च/अधिकृत किए गए हैं, शामिल होंगे।

6. एक व्यय रजिस्टर जिसमें दिन-प्रतिदिन का खाता रजिस्टर है, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, एफिडेविट का फॉर्म, संक्षिप्त विवरण (भाग I से IV) और पावती फॉर्म के साथ आपको एतद प्रेषित किया जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इस पंजीयन में चुनाव के खर्च के लिए अपना दिन प्रतिदिन का हिसाब रखें और किसी अन्य दस्तावेज में नहीं। सभी सहायक समर्थित वाउचर, बिल आदि को रजिस्टर के साथ रखा जाना चाहिए, और हर समय उचित कालानुक्रमिक क्रम में

व्यवस्थित किया जाना चाहिए। चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद आपके द्वारा व्यय का एक सार विवरण भाग I से IV में भी तैयार किया जाना चाहिए, जो एतद संलग्न है।

7. सभी दस्तावेज जैसे वाउचर, रसीदें, पावती आदि, जो किए गए खर्च या अधिकृत खर्च के समर्थन में हैं, दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे, और इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में अनुरक्षित किया जाएगा, साथ ही रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन के लेखा में दर्शाया जाएगा।

परिशिष्ट 43

(अध्याय 3, पैरा 3.8)

प्रारूप ग-1 से ग-3

प्रारूप ग-1

(अभ्यर्थी को समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशित करने के लिए)

<u>आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा</u>

(वर्ष 2011 की डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 5 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार, (जनहित फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ और एएनआर)

अभ्यर्थी का नाम और पता: .....

राजनैतिक दल का नाम: .....

(निर्दलीय अभ्यर्थियों को यहां "निर्दलीय" लिखना चाहिए)

निर्वाचन का नाम: .....

*निर्वाचन क्षेत्र का नाम: .....

मैं ..... (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त उल्लिखित चुनाव का अभ्यर्थी अपने आपराधिक मामलों के बारे में निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक सूचना के लिए घोषणा करता हूं:

क्र.सं.	लंबित आपराधिक मामले			आपराधिक अपराधों के लिए सजा के संबंध में मामलों का विवरण	
	न्यायालय का नाम	मामले की संख्या तथा मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा संबंधित और अपराध का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम और आदेश की तारीख	अपराध (ओं) का विवरण और लगाया गया दंड

*राज्यों की परिषद के चुनाव या विधायकों द्वारा विधान परिषद के चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

नोटः (i) प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग पंक्तियों में विवरण दिया जाना चाहिए।

(ii) समाचार पत्रों में सामग्री कम से कम 12 के फ़ॉन्ट आकार में होने चाहिए।

प्रारूप ग-2

(वेबसाइट, समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशित करने के लिए राजनैतिक दल के लिए)

<u>दल द्वारा स्थापित अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्वजों के बारे में घोषणा</u>

(2011 का डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 536 (जनहित फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ एवं एएनआर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: .....

*निर्वाचन का नाम: .....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम: .....

1	2	3	4		5	
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले		आपराधिक अपराधों के लिए सजा के संबंध में मामलों का विवरण	
			न्यायालय का नाम, मामले की संख्या तथा मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा संबंधित और अपराध का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम और आदेश की तारीख	अपराध(ओं) का विवरण और लगाया गया दंड

*राज्यों की परिषद के चुनाव या विधायकों द्वारा विधान परिषद के चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

नोटः (i) उपरोक्त जानकारी प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।
(ii) समाचार पत्रों में सामग्री कम से कम 12 के फॉन्ट आकार में होने चाहिए।

प्रारूप ग-3

<u>रिटर्निंग अधिकारी का अधिकारी</u>

निर्वाचन क्षेत्र का नाम: .....

राज्य का नाम: .....

निर्वाचन का नाम: .....

सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011 की डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 536 (जनहित फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ एवं एएनआर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय और आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर के अनुसार, आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों को - या तो लंबित मामले या विगत के दोषसिद्धि के मामले में उम्मीदवारी की वापसी की अंतिम तारीख के अगले दिन और मतदान की तारीख से दो दिन पहले की अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करना आवश्यक है। टीवी चैनलों में घोषणा का प्रकाशन निर्धारित समय या मतदान का समापन पूरा होने से 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी होनी चाहिए।

चूंकि आपने, श्री सुश्री/श्रीमती/..... (अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख करें(, उपरोक्त चुनाव के लिए नामित अभ्यर्थी, फॉर्म 26 के मद में आपराधिक मामलों की जानकारी की 6/5 घोषणा कर दी है, इसलिए आपको निर्वाचन क्षेत्र में और टीवी चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले समाचार-पत्रों में कम से कम तीन बार सूचनाओं को प्रकाशित करने की आवश्यकता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सूचना प्रकाशित करने का प्रारूप संलग्न है। यह भी सूचित किया जाता है कि आपराधिक मामलों की सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की प्रतियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत चुनाव खर्च के लेखा-जोखा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

दिनांक: .....

हस्ताक्षर .....

आरओ/एआरओ का नाम .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

नोट: इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति आरओ के पास होनी चाहिए।

फार्मेट सी-4

अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामलों के संबंध में की जाने वाली घोषणा के प्रकाशन की रिपोर्ट

अभ्यर्थी का नाम और पता :.....

राजनैतिक दल का नाम :.....

(निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा यहां 'निर्दलीय' लिखा जाना चाहिए)

निर्वाचन का नाम :.....

*निर्वाचन क्षेत्र का नाम :.....

मैं, ...(अभ्यर्थी का नाम), ऊपर उल्लिखित निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी, प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इन्टरेस्ट फाउन्डेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार समाचार-पत्रों और टेलीविजन चैनलों में अपनी घोषणा का प्रकाशन/प्रसारण कर दिया है। ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं.	समाचार-पत्र			टेलीविजन			भुगतान की विधि (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/ डीडी/नकद) (कृपया उल्लेख करें)
	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/टेली प्रसारण की तारीख और समय	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	

उन समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं जिनमें घोषणा प्रकशित की गई।

दिनांक : अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर

नोट:- (i) लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में इसे निर्वाचन व्यय के लेखा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) राज्य-सभा और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों के मामले में इस रिपोर्ट को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

फार्मेट सी - 5

राजनीतिक दल द्वारा आपराधिक मामलों के संबंध में की जाने वाली घोषणा के प्रकाशन की रिपोर्ट

राजनीतिक दल का नाम:.....

निर्वाचन का नाम :.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि :..... (राजनीतिक दल का नाम) ने आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अपने अभ्यर्थियों की घोषणा को वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इन्टरेस्ट फाउन्डेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार अपनी पार्टी की वेबसाइट, समाचार-पत्रों और टी.वी चैनलों में प्रकाशित/प्रसारित कर दिया है। ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं.	वेबसाइट	समाचार-पत्र			टेलीविजन			भुगतान की विधि (इलेक्ट्रॉनिक/ चैक/डीडी/नकद) (कृपया उल्लेख करें)
	प्रदर्शित किए जाने की अवधि	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख (तारीखें)	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/ प्रसारण की तारीख और समय	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	

उन समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं जिनमें घोषणा प्रकाशित की गई।

दिनांक :

पदाधिकारी के

हस्ताक्षर.....

नाम एवं पदनाम.....

नोट: यह रिपोर्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबंधित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न : किसी अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई है के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका(सिविल) वर्ष 2011 की 536 के मामले में दिनांक 25.09.2018 के निर्णय के अनुसरण में इसका प्रचार।

प्र.1 ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए किन समाचार पत्रों का चयन किया जाना है ?

उ. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निदेश के अनुसार, घोषणा को संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता होती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विभिन्न समाचार पत्रों की उस निर्देशात्मक सूची को प्राप्त कर सकते हैं जो राज्य के डीआईपी द्वारा तैयार की गई हो और जिसमें विभिन्न जिलों/विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के व्यापक प्रचालन का विवरण हो। इस निर्देशात्मक सूची को राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

प्र.2 इसे कब प्रकाशित किया जाना है ?

उ. आयोग के दिनांक 10-10-2018 के पत्र में यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि प्रचार अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिवस से शुरू होकर और मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक की अवधि तक किया जाता है।

प्र. 3 हस्ताक्षर के लिए कोई कालम नहीं होता है। इसे कौन प्रमाणित करेगा ?

उ. फार्मेट के ऊपरी भाग पर अभ्यर्थी का नाम एवं पता और राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख करने के लिए एक कॉलम होता है। इसकी घोषणा से प्रकाशक का नाम स्पष्ट हो जाएगा। सूचना को प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्र. 4 यदि कोई व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों के बारे में गलत सूचना प्रकाशित करता है तो क्या होगा ?

उ. किसी अभ्यर्थी के संबंध में गलत कथन के प्रकाशन के किसी मामले से निपटने के लिए पहले ही प्रावधान हैं [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4) और भारतीय दंड संहिता की धारा 171छ]

प्र. 5 घोषणा का किस टीवी चैनल में प्रसारण किया जाना है ?

उ. कृपया ऊपर दिए गए प्रश्न संख्या 1 के लिए दिए गए उत्तर का संदर्भ लें। इसे उन टीवी चैनलों में प्रसारित करवाना है जो संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध/लोकप्रिय हैं।

प्र. 6 टीवी में प्रचार का फोन्ट साइज और अवधि क्या होगी ?

उ. फोन्ट साइज टीवी में प्रदर्शित किए जाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला मानक साइज होगा। इसकी अवधि 7 सेंकड से कम की नहीं हो सकती ।

प्र. 7 यदि किसी अभ्यर्थी का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है तो क्या उसे यह प्रचार करना जरूरी है ?

उ. नहीं । केवल उन अभ्यर्थियों, जिनके आपराधिक मामले लंबित होते हैं या जो पहले दोषसिद्ध हो चुके हैं, को घोषणा प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

प्र. 8 क्या संबद्ध अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा एफआईआर मामलों का प्रकाशन किया जाना है ?

उ. हां। ''मामला सं. और मामले की स्थिति' शीर्षक के अंतर्गत, प्ररूप-26 की मद सं. 5 में उल्लिखित एफआईआर से संबंधित विवरणों का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता होती है।

प्र. 9 नाम निर्देशन करने के बाद यदि आपराधिक मामले की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो क्या अभ्यर्थी विवरण में सुधार कर सकता है ?

उ. संबंधित अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी को संशोधित स्थिति अधिसूचित करने एवं केवल संशोधित स्थिति को प्रकाशित करने की छूट होगी। यदि यह शून्य है तो अभ्यर्थी को इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्र. 10 प्रकाशन के लिए किए गए व्यय को कौन वहन करेगा ?

उ. व्यय, यदि कोई है, का वहन संबंधित मामलों में अभ्यर्थी और राजनैतिक दलों द्वारा किया जाएगा।

प्र.11 क्या इस बारे में किए गए व्यय का लेखांकन होगा ?

उ. हां। यह निर्वाचन से संबंधित व्यय होने के कारण, यदि **इस संबंध में कोई व्यय उपगत** किया जाता है तो निर्वाचन के प्रयोजन के लिए इसकी गणना होगी।

प्र. 12 क्या इंगित किए जाने पर, ऐसे विवरण में कोई विसंगति पाए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी कार्रवाई कर सकता है ?

उ. नहीं। रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी/राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित घोषणाओं की परिशुद्धता की जांच करने की अनुमति नहीं है।

प्र. 13 ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को मामलों के प्रचार के बारे में किस तरीके से सूचना प्रस्तुत करेंगे ?

उ. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के लिए घोषणा का प्रकाशन करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग फार्मेट विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ये अभ्यर्थियों के लिए ग-4 फार्मेट और राजनीतिक दलों के लिए ग-5 फार्मेट हैं।

प्र.14 यदि ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे राजनीतिक दल विहित रीति से प्रकाशित नहीं करते हैं तो क्या होता है ?

उ. इस प्रकार की विफलता निर्वाचनोपरांत कार्रवाई जैसे निर्वाचन याचिका या माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना का आधार बन सकती है।

"No voter to be left behind"

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
https://www.eci.gov.in